

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

के लिए

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

एवं

अदाणी लखनऊ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड

के बीच

रियायत समझौता

दिनांक: 14 फरवरी, 2020

## विषयसूची

|             |                                |     |
|-------------|--------------------------------|-----|
| अनुच्छेद 1  | परिभाषाएँ और व्याख्या          | 6   |
| अनुच्छेद 2  | परियोजना का दायरा              | 25  |
| अनुच्छेद 3  | रियायत का अनुदान               | 26  |
| अनुच्छेद 4  | परिस्थिति के मिसाल             | 27  |
| अनुच्छेद 5  | रियायतग्राही के दायित्व        | 30  |
| अनुच्छेद 6  | प्राधिकरण के दायित्व           | 37  |
| अनुच्छेद 7  | अभ्यावेदन और वारंटी            | 43  |
| अनुच्छेद 8  | अस्वीकरण                       | 46  |
| अनुच्छेद 9  | निष्पादन सुरक्षा               | 48  |
| अनुच्छेद 10 | मार्ग - अधिकार                 | 50  |
| अनुच्छेद 11 | उपयोगिताएँ और पेड़             | 55  |
| अनुच्छेद 12 | हवाई अड्डे का विकास और विस्तार | 56  |
| अनुच्छेद 13 | निर्माण की निगरानी             | 60  |
| अनुच्छेद 14 | चरण का समापन                   | 63  |
| अनुच्छेद 15 | वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश      | 66  |
| अनुच्छेद 16 | संक्रमणकालीन व्यवस्था          | 67  |
| अनुच्छेद 17 | कार्यक्षेत्र में परिवर्तन      | 69  |
| अनुच्छेद 18 | संचालन, रखरखाव और प्रबंधन      | 71  |
| अनुच्छेद 19 | ओ एंड एम सेवाएँ                | 81  |
| अनुच्छेद 20 | आरक्षित सेवाएँ                 | 87  |
| अनुच्छेद 21 | संचालन और रखरखाव की निगरानी    | 91  |
| अनुच्छेद 22 | यातायात विनियमन और जनगणना      | 95  |
| अनुच्छेद 23 | मुख्य निष्पादन संकेतक          | 96  |
| अनुच्छेद 24 | स्वतंत्र इंजीनियर              | 100 |
| अनुच्छेद 25 | शहर के किनारे का विकास         | 102 |
| अनुच्छेद 26 | वित्तीय समापन                  | 106 |
| अनुच्छेद 27 | रियायत शुल्क                   | 107 |
| अनुच्छेद 28 | फीस                            | 110 |
| अनुच्छेद 29 | निलंब खाता                     | 116 |

|             |                                    |     |
|-------------|------------------------------------|-----|
| अनुच्छेद 30 | बीमा                               | 118 |
| अनुच्छेद 31 | लेखा और लेखापरीक्षा                | 120 |
| अनुच्छेद 32 | अप्रत्याशित घटना                   | 123 |
| अनुच्छेद 33 | समझौते के उल्लंघन के लिए मुआवज़ा   | 129 |
| अनुच्छेद 34 | रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन | 130 |
| अनुच्छेद 35 | समापन                              | 132 |
| अनुच्छेद 36 | अधिकारों और हितों का विनिवेश       | 137 |
| अनुच्छेद 37 | समाप्ति के बाद दोष दायित्व         | 139 |
| अनुच्छेद 38 | असाइनमेंट और शुल्क                 | 141 |
| अनुच्छेद 39 | नियामक दर्शन में बदलाव             | 143 |
| अनुच्छेद 40 | दायित्व और क्षतिपूर्ति             | 144 |
| अनुच्छेद 41 | विवाद समाधान                       | 147 |
| अनुच्छेद 42 | खुलासा                             | 149 |
| अनुच्छेद 43 | लोक शिकायतों का निवारण             | 150 |
| अनुच्छेद 44 | विविध                              | 151 |

भाग ।

प्रारंभिक

### रियायत समझौता

यह रियायत समझौता ("समझौता") 14 फरवरी, 2020 को नई दिल्ली में किया गया है।

#### द्वारा और के बीच:

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत बनाई गई एक निगमित संस्था है और जिसका निगमित कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफ़दरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली, 110003, भारत में स्थित है (जिसे

आगे "प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिसमें, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल होंगे)

## और

2. अडानी लखनऊ इंटरनेशनल हवाई अड्डा लिमिटेड, जो कंपनीज़ अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत बनी एक कंपनी है, जिसकी निगमित पहचान सं U63030GJ2019PLC109814 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय अडानी हाउस, 56 श्रीमाली सोसाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, 380009, गुजरात, भारत में है (जिसे आगे "रियायतग्राही" कहा जाएगा, इस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और प्रतिस्थापी शामिल होंगे)

संदर्भ के अनुसार, प्राधिकरण और रियायतग्राही को आगे अलग-अलग "पार्टी" और सामूहिक रूप से "पार्टियाँ" कहा जाएगा।

## जबकि:

- क. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत प्राधिकरण के कामों और अधिकारों में भारत में हवाई अड्डों का विकास, रख-रखाव और प्रबंधन शामिल है। इसी के तहत, प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ में हवाई अड्डा बनाया है और वह इस अधिनियम के नियमों के अनुसार इसे चला रही है।
- ख. भारत सरकार (जैसा कि नीचे बताया गया है) ने भाविप्रा के कुछ हवाई अड्डों के प्रचालन , प्रबंधन और विकास के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के आधार पर बोलियां आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य ज़रूरी निवेश जुटाने के साथ-साथ सेवा प्रदान करने में दक्षता, विशेषज्ञता, उद्यमशीलता और व्यावसायिकता लाना है।
- ग. प्राधिकरण ने हवाई अड्डा (जैसा कि नीचे बताया गया है) के प्रचालन , प्रबंधन और विकास के लिए तकनीकी और व्यावसायिक नियम और शर्तें तय करते हुए, 14 दिसंबर, 2018 के अपने 'रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल' नंबर 2018\_भाविप्रा\_19455\_1 ("रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल" या "आरएफपी") के ज़रिए प्रोजेक्ट (जैसा कि नीचे बताया गया है) के लिए प्रस्ताव मंगाए।
- घ. बोली लगाने वालों से मिली बोलियों के मूल्यांकन और भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी क्लीयरेंस मिलने के बाद, प्राधिकरण ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ("चुनी गई बोली लगाने

वाली कंपनी") की बोली स्वीकार कर ली और उसे 15 जुलाई, 2019 का अपना लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) नंबर भाविप्रा/KID/पीपीपी/06 कPTS/एलओए/Lucknow/2019/92 जारी किया। इस एलओए के तहत चुनी गई बोली लगाने वाली कंपनी को, अन्य बातों के अलावा, आरएफपी में तय समय-सीमा के भीतर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसपीवी) के ज़रिए यह अनुबंध करना था।

- इ. चुने गए बोलीदाताओं ने आरएफपी की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 'रियायतग्राही' (रियायतग्राही) के तौर पर एक 'स्पेशल पर्पस व्हीकल' (SPV) बनाया और उसे रजिस्टर कराया है। साथ ही, उन्होंने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वे इस रियायतग्राही को उस इकाई के रूप में स्वीकार करें जो एलओए के तहत चुने गए बोली लगाने वाले की ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगी और अधिकारों का इस्तेमाल करेगी, और जो हवाई अड्डा के प्रचालन , प्रबंधन और विकास का काम करने के लिए इस समझौते को करने की ज़िम्मेदारी उठाएगी।
- च. 29 जनवरी 2020 के अपने पत्र के ज़रिए, रियायतग्राही ने यह बताते हुए कि उसे इस काम के लिए चयनित ब बोलीदाता द्वारा प्रमोट किया गया है, प्राधिकरण से चुने गए बोलीदाता के उस अनुरोध का समर्थन किया जिसमें रियायतग्राही को उस इकाई के तौर पर स्वीकार करने को कहा गया था जो चुने गए बोलीदाता की ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगी और उसके अधिकारों का इस्तेमाल करेगी, जिसमें एलओए के तहत इस समझौते को करने की ज़िम्मेदारी भी शामिल है।
- छ. प्राधिकरण, चुने गए बोलीदाता और रियायतग्राही के उक्त अनुरोध पर सहमत हो गई है और इसी के अनुसार, नीचे बताई गई शर्तों और नियमों के अधीन, पीपीपी के ज़रिए हवाई अड्डा के प्रचालन , प्रबंधन और विकास के लिए रियायतग्राही के साथ इस समझौते को करने के लिए सहमत हो गई है।

इसलिए, ऊपर बताई गई बातों और इस समझौते में दिए गए संबंधित नियमों और समझौतों को ध्यान में रखते हुए (जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है) और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्ष निम्नलिखित बातों पर सहमत हैं:

## अनुच्छेद 1 परिभाषाएँ और व्याख्या

### 1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में, नीचे दिए गए शब्दों और वाक्यांशों का अर्थ वही होगा जो उनके सामने बताया गया है, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के हिसाब से उनका कोई और अर्थ न निकलता हो:

"भाविप्रा" या "प्राधिकरण" का अर्थ है 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण', जिसे 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994' (जिसमें 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003' के तहत संशोधन किया गया था) के तहत स्थापित किया गया है, और इसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समानुदेशिनी भी शामिल होंगे;

"एएआईसीएलएएस" का अर्थ है भाविप्रा कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज़ कंपनी लिमिटेड और इसमें इसके उत्तराधिकारी और अधिकृत समनुदेशिनी भी शामिल हैं;

"एक्सेप्टिंग इंप्लोईज" का वही अर्थ है जो खंड 6.5.7 में बताया गया है।

"लेखांकन वर्ष" (लेखा वर्ष) का अर्थ है वह वित्तीय वर्ष जो कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को खत्म होता है; बशर्ते कि, पहले लेखांकन वर्ष के लिए, यह अवधि सीओडी की तारीख से शुरू होकर उसके ठीक बाद आने वाले 31 मार्च को खत्म होगी और रियायत अवधि के आखिरी लेखांकन वर्ष के लिए, यह अवधि 1 अप्रैल से शुरू होकर रियायत अवधि के आखिरी दिन खत्म होगी;

"अधिनियम" का वही अर्थ है जो खंड 23.7.1 में बताया गया है;

'प्राधिकरण द्वारा नामित लेखा परीक्षक' का अर्थ खंड 31.2.3 में बताए गए लेखा परीक्षक से होगा।;

"एडजस्टेड घम्ड इनिशियल आरएबी" का वही अर्थ होगा जो खंड 28.11 में बताया गया है।;

"एईआरए" का अर्थ है " भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, जिसे एईआरए अधिनियम के तहत बनाया गया है, और इसमें लागू कानूनों के अनुसार कोई भी उत्तराधिकारी संस्था भी शामिल होगी;

"एईआरएण्डटी" से तात्पर्य भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 से है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित और निरस्त किया गया है।

"विमानन संबंधी परिसंपत्तियाँ" से तात्पर्य उन परिसंपत्तियों से है जो हवाई अड्डे पर विमानन सेवाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक हैं, और इसमें वे अन्य परिसंपत्तियाँ भी शामिल होंगी जिन्हें रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर विमानन सेवाओं के निष्पादन के लिए या उससे संबंधित प्राप्त कर सकता है, और इसमें गैर-विमानन संबंधी परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं।

"वैमानिकी चार्ज" का अर्थ है नियामक द्वारा मंजूर किए गए चार्ज, जिन्हें रियायतग्राही वैमानिकी सेवा देने के लिए लगा सकता है, वसूल सकता है और इस्तेमाल कर सकता है।;

"वैमानिकी राजस्व" का अर्थ है नियामक ढाँचे के अनुसार नियामक द्वारा तय की गई कुल राजस्व ; वैमानिकी सर्विसेज़ का वही अर्थ है जो एईआरए अधिनियम में बताया गया है।,

'प्रभावित पक्ष' का वही अर्थ है जो खंड 32.1 में बताया गया है।;

"समझौता" या "रियायती समझौता" का अर्थ यह समझौता, इसकी प्रस्तावना, अनुसूचियां और इस समझौते में मौजूद प्रावधानों के अनुसार किया गया कोई भी संशोधन होगा।

"एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम" से तात्पर्य हवाई अड्डे पर स्थित प्रकाश व्यवस्था से है, जिसमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और अप्रोच से संबंधित वे व्यवस्थाएं शामिल हैं, जो संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निहित प्रावधानों के अनुसार विमान प्रचालन के लिए आवश्यक हैं।

"हवाई अड्डा" से तात्पर्य साइट पर स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से है, और इसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कार्य, टर्मिनल भवन, कार्गो सुविधाएं, रनवे और हवाई अड्डे के प्रचालन और विस्तार के लिए आवश्यक और उससे संबंधित सभी परियोजना परिसंपत्तियां शामिल हैं।

"एओडीबी" का वही अर्थ है जो खंड 21.1 में बताया गया है;



"लागू कानून" का अर्थ है भारत सरकार और/या राज्य सरकार, घजीसीए, बीसीएस, आईसीएओ के सभी कानून - जिनमें गाइडलाइंस, सर्कुलर, नियम, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, फैसले, आदेश, निषेधाज्ञा, रिट और किसी भी कोर्ट के आदेश शामिल हैं - जो अनुबंध और इसके तहत पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों के इस्तेमाल, पालन और उन्हें पूरा करने पर लागू होते हैं, और जो इस अनुबंध के लागू रहने के दौरान प्रभावी हों।;

"लागू परमिट" का अर्थ है वे सभी मंजूरी, लाइसेंस, परमिट, अधिकार-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सहमति, मंजूरी और छूट, जिन्हें इस समझौते के दौरान प्रोजेक्ट के संबंध में लागू कानूनों के तहत प्राप्त करना या बनाए रखना ज़रूरी है।,

"मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता" का अर्थ है इनकम कर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे मूल्यांकनकर्ता, जिन्हें कम से कम 5 (मौजूदा) ऐसी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने का अनुभव हो, जिनमें से हर एक की कीमत 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो।;

"अवार्ड" का वही अर्थ है जो खंड 41.3.3 में बताया गया है।;

"आर्किटेक्चरल डिज़ाइन" का वही अर्थ है जो खंड 12.4.1 में बताया गया है।;

"एसएमयू" का वही अर्थ है जो खंड 18.154 में बताया गया है।;

"एसक्यू" का अर्थ है हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता, जिसे खंड 23.7.1 में बताए अनुसार अधिनियम द्वारा किए गए प्रयोगकर्ता सर्वे के आधार पर तय किया जाता है।;

"एसोसिएट" या "एफिलिएट" का अर्थ है, किसी भी पार्टी और/या चुने गए बोलीदाता के संबंध में, कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पार्टी या चुने गए बोलीदाता को नियंत्रित करता है, उसके द्वारा नियंत्रित होता है, या उसके साथ साझा नियंत्रण में है (इस परिभाषा में इस्तेमाल किए गए "नियंत्रण" शब्द का अर्थ है: किसी ऐसी इकाई के संबंध में जो कंपनी, कॉर्पोरेशन या लिमिटेड देयता पार्टनरशिप है, उस इकाई के आर्थिक या वोटिंग अधिकारों का 50% (पचास प्रतिशत) से अधिक स्वामित्व (चाहे सीधे हो या अप्रत्यक्ष रूप से); और किसी ऐसी इकाई के संबंध में जो कंपनी, कॉर्पोरेशन या लिमिटेड देयता पार्टनरशिप नहीं है, उस इकाई के प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति, चाहे वह कानून के प्रचालन से हो, अनुबंध से हो या किसी अन्य तरीके से हो);

"एटीसी" का अर्थ है एयर ट्रेफिक कंट्रोल:

"एटीसी सुविधा" का अर्थ है हवाई अड्डा पर एयर ट्रेफिक सेवा कॉम्प्लेक्स, जिसमें एटीसी टावर, टेक्निकल ब्लॉक और कर्मचारियों के लिए गाड़ी पार्क करने की जगह के साथ ऑफिस की सुविधा शामिल है। साथ ही, इसमें एयर-कंघशनिंग और बिजली व पानी की लगातार सप्लाई की व्यवस्था भी होती है।;

"प्राधिकरण चूक" का वही अर्थ है जो खंड 35.2.1 में बताया गया है।;

"बैलेंसिंग पेमेंट" का वही अर्थ होगा जो खंड 31.4.1 में बताया गया है;

"बैंक" से तात्पर्य भारत में निगमित और न्यूनतम 1,000,00,00,000 रुपये (एक हजार करोड़ रुपये) की शुद्ध संपत्ति वाले अनुसूचित बैंक या वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा स्वीकार्य किसी अन्य बैंक से है, परंतु इसमें कोई सहकारी बैंक शामिल नहीं है;

"बैंक दर" से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 49 या उसके किसी प्रतिस्थापन के अनुसरण में, जो समय-समय पर प्रभावी हो, निर्दिष्ट ब्याज दर से है;

"बीसीएस" का तात्पर्य नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो या उसका कोई विकल्प या असाइनमेंट से है;

"बोली" का अर्थ है, चुने हुए बोलीर द्वारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के जवाब में, उसके उपबंधों के अनुसार जमा की गई बोली में शामिल सभी दस्तावेज।

"बोली सुरक्षा" से तात्पर्य प्रस्ताव के अनुरोध के अनुसार, बोली के साथ रियायतकर्ता द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई सुरक्षा से है, और जो प्रदर्शन सुरक्षा द्वारा प्रतिस्थापित होने तक लागू रहेगी;

"कार्गो सुविधा" का अर्थ है भवन, संरचना और उपकरण, डॉकिंग स्पेस, विमान पार्किंग, गाड़ी पार्किंग और उससे जुड़ी ज़मीन, जैसा भी हो, जो आने-जाने वाले कार्गो की हैंडलिंग के लिए ज़रूरी हो, जिसमें लघु अवधि वेयरहाउसिंग भी शामिल है।

"कानून में बदलाव" का अर्थ है बोली की तारीख के बाद नीचे दी गई किसी भी चीज़ का होना

(क) किसी नये भारतीय कानून का अधिनियमन;

(ख) किसी विद्यमान भारतीय कानून का निरसन, संशोधन या पुनः अधिनियमन

(ग) किसी भारतीय कानून का प्रारंभ जो बोली की तिथि तक प्रभावी नहीं हुआ है

(घ) किसी भारतीय कानून की व्याख्या या अनुप्रयोग में किसी प्रतिष्ठित न्यायालय के ऐसे निर्णय द्वारा परिवर्तन, जो बोली की तिथि से पहले के प्रतिष्ठित न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या या अनुप्रयोग की तुलना में अंतिम, निर्णायक और बाध्यकारी हो गया हो; या

(ङ) किसी भी कर की दरों में कोई परिवर्तन जिसका परियोजना पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है;

"स्वामित्व में बदलाव" का अर्थ है किसी भी शेयर, या शेयर में बदलने वाली सिक्योरिटीज़ के डायरेक्ट और/या अप्रत्यक्ष कानूनी या फायदेमंद स्वामित्व का ट्रांसफर, जिससे कुल होल्डिंग होती है:

(क) चयनित बोलीदाता की कुल हिस्सेदारी में से 51% (इक्यावन प्रतिशत) से नीचे आना, निगमन तिथि से 5 (पांच) वर्ष की समाप्ति तक, यदि चयनित बोलीदाता एकल बोलीदाता है; या

(ख) चयनित बोलीदाता के प्रत्येक सदस्य(यों) का, जिनके अनुभव का मूल्यांकन तकनीकी क्षमता और/या वित्तीय क्षमता के लिए कुल हिस्सेदारी में 26% (छब्बीस प्रतिशत) से नीचे गिरने के लिए किया गया है, निगमन तिथि से 5 (पांच) वर्ष की समाप्ति तक, यदि चयनित बोलीदाता एक संघ है;

"नियामक दृष्टिकोण में बदलाव" का अर्थ है बोली की तारीख के बाद नियामक ढाँचे में बदलाव

"सर्विसेज में बदलाव" का अर्थ खंड 17.1.1 में बताया गया है।

"स्कोप ऑर्डर में बदलाव" का अर्थ खंड 17.2.3 में बताया गया है।

"सर्विसेज में बदलाव का नोटिस" का अर्थ खंड 17.2.1 में बताया गया है।

"चेक-इन सर्विसेज" का अर्थ खंड 19.10.1 में बताया गया है।

"शिकागो सम्मेलन" का अर्थ है शिकागो सम्मेलन, 1944, जिसे समय-समय पर बदला और/या बढ़ाया गया है, शिकागो सम्मेलन के "एनेक्स" का अर्थ होगा ऐसा एनेक्स जिसे समय-समय पर बदला और/या बढ़ाया गया है।

"सिटी साइड" का तात्पर्य उस रियल एस्टेट से है जो साइट का हिस्सा है और अनुसूची ए में सिटी साइड के तौर पर मार्क किया गया है;

"सिटी साइड विकास" का अर्थ खंड 3.2 में बताया गया है।

"सीएनएस/एटीएम समझौता" का अर्थ है प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच एक समझौता, जो कि अनुसूची क्यू में निर्धारित प्रारूप में है;

"सीएनएस/एटीएम उपकरण" का तात्पर्य सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा आवश्यक सभी उपकरणों से है;"

"सी.एन.एस/वा.या.प्र सेवा" का अर्थ है विमानपत्तन पर दी जाने वाली संचार, दिग्गालन और निगरानी, और एयर ट्रैफिक प्रबंधन सर्विसेज।

"सीओडी" या "वाणिज्यिक प्रचालन डेट" का अर्थ खंड 15.1.1 में दिया गया है।

"शिकायत रजिस्टर" का अर्थ खंड 43.1.1 में बताया गया है।

"शिकायतकर्ता" का अर्थ धारा 43.1.1 में दिए अनुसार है;

"पूरा होना" का अर्थ धारा 14.2 में दिए अनुसार है;

"समाप्ति प्रमाण-पत्र" का अर्थ खंड 14.2 में दिया गया है;

"पूर्णता रिपोर्ट" का अर्थ वही है जो खंड 14.2 में दिए गए हैं ;

"रियायत" का वही अर्थ है जो खंड 3.1.1 में बताया गया है ;

"रियायतग्राही" का वही अर्थ है जो पक्षों की श्रृंखला में उसे दिया गया है;

"रियायत अवधि" से तात्पर्य उस अवधि से है जो हस्तांतरण तिथि से प्रारंभ होती है और हस्तांतरण तिथि पर समाप्त होती है;

"रियायत वर्ष" का अर्थ है 1 (एक) साल का हर समय, जो कंपोजिशन से शुरू होता है और अधिवर्ष को छोड़कर सभी सालों के लिए 365 दिन और अधिवर्ष के लिए 366 दिन खत्म होने पर खत्म होता है, बशर्ते कि ऐसा समय आखिरी रियायत वर्ष के लिए हस्तांतरण तिथि पर खत्म हो।

"रियायतग्राही की चूक" का अर्थ धारा 35.1.1 में दिए अनुसार है;

"पूर्ववर्ती शर्तें" का अर्थ धारा 4.1.1 में दिए अनुसार हैं;

"निर्माण कार्य" का अर्थ है इस समझौते के अनुसार किसी चरण को पूरा करने के लिए ज़रूरी सभी काम और चीज़ें, और इसमें वैमानिक परिसंपत्तियाँ, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियाँ, प्रोजेक्ट सुविधा और रियायत अवधि के हिस्से के तौर पर विमानपत्तन पर किए गए कोई भी दूसरे निर्माण कार्य शामिल हैं;

"ठेकेदार" का अर्थ है वह व्यक्ति या वे व्यक्ति (जैसा भी मामला हो), जिनके साथ रियायतग्राही ने इपीसी कॉन्ट्रैक्ट, प्रचालन व प्रबंधन अनुबंध या विमानपत्तन के प्रचालन, प्रबंधन व विकास या उससे जुड़े मामलों के लिए कोई अन्य ज़रूरी समझौता या अनुबंध किया है; लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रियायतग्राही को वित्तीय मदद देने के लिए कोई समझौता किया हो।

"अनुबंध" का अर्थ धारा 5.6.2 में दिए अनुसार है;

"काम की लागत" का अर्थ है कुल:

(क) रियायतग्राही द्वारा तय किए गए फेज़ I के निर्माण, इम्प्लीमेंटेशन और कमीशनिंग के संबंध में होने वाली अनुमानित कैपिटल लागत

(ख) अनुमानित माना गया प्रारंभिक आरएबी

(ग) खंड 6.4.5 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को रीडंबर्स की गई रकम; और

(घ) अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश

" प्रसंविदा " का अर्थ धारा 5.2.5 में दिए अनुसार है

सीपीआई(आईडब्ल्यू) श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से है और इसमें कोई भी सूचकांक शामिल होगा जो सीपीआई (आईडब्ल्यू) का स्थान लेता है, और सीपीआई (आईडब्ल्यू) के किसी भी संदर्भ को , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, पिछली तिमाही के साथ समाप्त अवधि के लिए प्रकाशित सीपीआई (आईडब्ल्यू) के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा ;

"सुधार अवधि" का अर्थ है इस समझौते में बताई गई वह अवधि, जिसके तहत इस समझौते के किसी भी नियम के उल्लंघन या चूक को ठीक करने के लिए ज़िम्मेदार पार्टी को ऐसे उल्लंघन या चूक के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और

(क) उस तिथि से प्रारंभ होगा जिस तिथि को एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित में सूचना दी जाती है, जैसा कि ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट है ।

(ख) इस समझौते के उपबंधों या लागू कानूनों के तहत किसी भी पार्टी को क्षति या क्षतिपूर्ति देने की देयता से राहत नहीं देगा; और

(ग) इस समझौते के तहत निलंबन की किसी भी अवधि को किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जाएगा; बशर्ते कि अगर रियायतग्राही द्वारा किसी उल्लंघन को ठीक करने के लिए रियायतग्राही द्वारा कोई उचित कार्रवाई की ज़रूरत हो, जिसे प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए, तो लागू सुधार अवधि को प्राधिकरण द्वारा अपनी मंजूरी देने में लगने वाले समय तक बढ़ाया जाएगा।

"क्षति" का अर्थ खंड 1.2.1 के सब-खंड (वाई) में बताया गया है।

"मानित प्रतिन्युक्ति अवधि" का अर्थ खंड 6.5.1 में बताया गया है।

"डीमंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी" का अर्थ खंड 9.4 में दिया गया है।

"मान्य प्रारंभिक आरएबी" का अर्थ खंड 28.11 में निर्धारित किया गया है;

"रक्षा बल" का तात्पर्य भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना से है और इसमें अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं, जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

"डेफिसिट एम्प्लॉई" का अर्थ खंड 6.5.10 में बताया गया है।

"डेफिसिट एम्पलॉई लागत" का अर्थ खंड 6.5.10 में निर्धारित है;

"भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी" का अर्थ है भारत सरकार के नियंत्रण वाला कोई विभाग या संस्था, जिसे हवाई अड्डा के प्रचालन और प्रबंधन से जुड़े कानूनी काम सौंपे गए हों, जैसे कि कस्टम्स कंट्रोल, इमिग्रेशन कंट्रोल, क्वारंटीन, एयर ट्रेफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, मौसम-संबंधी, स्वास्थ्य, आदि।

"विकास प्लान" का अर्थ अनुसूची क के अनुलग्नक II में दिया गया है।

"विकास अवधि" से तात्पर्य सीओडी की तिथि से लेकर प्रथम चरण के समापन तिथि तक की अवधि से है, और बाद के चरणों के संबंध में, यह अवधि रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से निर्धारित तिथि से प्रारंभ होगी और संबंधित चरण के समापन की तिथि पर समाप्त होगी।

"डीजीसीए" का अर्थ है नागरिक विमानन महानिदेशालय या उसका कोई विकल्प

"विवाद" का अर्थ धारा 41.1.1 में दिए अनुसार है;

"विवाद समाधान प्रक्रिया" का अर्थ है खंड 41.2 में बताए गए डिस्प्यूट्स के रेज़ोल्यूशन का प्रोसीजर।

"विनिवेश हेतु आवश्यकताएं" का अर्थ है खंड 36.1 में बताए गए टर्मिनेशन के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही की ज़िम्मेदारियाँ।

"दस्तावेज" या "प्रलेखन" का अर्थ है मुद्रित या लिखित रूप में, या टेप, डिस्क, ड्राइंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, लेख, रिपोर्ट, फोटो, फिल्म, कैसेट, या किसी भी अन्य लिखित, इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो या विज़ुअल रूप में व्यक्त किया गया प्रलेखन।

"ड्राइंग" से तात्पर्य हवाई अड्डे से संबंधित सभी ड्राइंग, गणनाओं और दस्तावेजों से है, जैसा कि खंड 12.3 में वर्णित है, और इसमें हवाई अड्डे के 'निर्मित' ड्राइंग भी शामिल होंगे।

"इपीसी अनुबंध" का अर्थ है अभियांत्रिकी, खरीद और निर्माण अनुबंध या अनुबंध जो रियायतग्राही एक या ज़्यादा ठेकेदारों के साथ, दूसरी बातों के साथ, इस समझौते के उपबंधों के अनुसार विमानपत्तन की अभियांत्रिकी और निर्माण के लिए करता है;

"इपीसी ठेकेदार" का अर्थ वह व्यक्ति है जिसके साथ रियायतग्राही ने इपीसी अनुबंध किया है।

"इमरजेंसी" का अर्थ है ऐसी हालत या स्थिति जिससे विमानपतन पर या उसके आस-पास जान-माल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है या जिससे प्रोजेक्ट की किसी भी संपत्ति को तुरंत नुकसान होने का खतरा हो, और इसमें सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा भी शामिल है।

"भार" का अर्थ है, विमानपतन के संबंध में, कोई भी भार जैसे कि मॉर्गेज, चार्ज, प्लेज, लियन, हाइपोथेकेशन, सिक्योरिटी इंटेरेस्ट, असाइनमेंट, प्रिविलेज या प्रायोरिटी, जिसका असर सिक्योरिटी या ऐसी दूसरी जिम्मेदारियों पर हो, और इसमें विमानपतन से जुड़ी किसी भी बीमा पॉलिसी के तहत लॉस पेयी या बेनिफिशियरी का कोई भी डेज़िग्नेशन या ऐसा ही कोई व्यवस्था शामिल होगा, जहाँ लागू हो, लेकिन खंड 11.1 में बताई गई मौजूदा यूटिलिटीज़ को छोड़कर।

"एम्प्लॉयमेंट ऑफर" का अर्थ खंड 6.5.6 में बताया गया है।

"हिस्सेदारी" का अर्थ है भारतीय रुपये में बताई गई रकम, जो रियायतग्राही के पेड अप हिस्सेदारी शेयर कैपिटल को दिखाती है, और इस समझौते के मकसद के लिए इसमें कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स या कैपिटल के दूसरे मिलते-जुलते रूप शामिल होंगे, जिन्हें ज़रूरी तौर पर रियायतग्राही के हिस्सेदारी शेयर कैपिटल में बदलना होगा।

"एस्करो खाता" से तात्पर्य उस खाते से है जिसे रियायतग्राही किसी बैंक में खोलेगा और बनाए रखेगा, जिसमें पूंजी और राजस्व प्राप्त तथा व्यय के मद में होने वाले सभी नकद प्रवाह और बहिर्वाह को इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, जमा और डेबिट किया जाएगा, और इसमें ऐसे एस्करो खाते के उप-खाते भी शामिल हैं।

"एस्करो समझौते" का अर्थ खंड 29.1.2 में बताया गया है।

"एस्करो बैंक" का अर्थ धारा 29.1.1 में दिए अनुसार है;

"एस्करो चूक" का अर्थ अनुसूची एम में निर्धारित है;

"अनुमानित माना गया प्रारंभिक आरएबी" का अर्थ 28.11.3(ख) में निर्धारित है;

"छूट प्राप्त व्यक्ति" से तात्पर्य उन व्यक्तियों/व्यक्तियों की श्रेणियों से है, जिन्हें नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नागरिक हवाई अड्डों पर विमान-उड़ान पूर्व सुरक्षा जांच से छूट प्राप्त है;



"मौजूदा अनुबंध" से तात्पर्य अनुसूची टी में सूचीबद्ध पट्टों सहित अनुबंधों से है।

"शुल्क" का अर्थ है प्रयोगकर्ता द्वारा इनमें से किसी एक या सभी का फ़ायदा उठाने के लिए लगाया गया और देय चार्ज: (क) नियामक ढाँचे के नियमों के अनुसार, नियामक द्वारा तय या बदले गए और मंज़ूर रेट के हिसाब से वैमानिक सेवा; और (ख) गैर-वैमानिक सेवा।

"वित्तीय क्षमता" का अर्थ आरएफपी में निर्धारित है।

"वित्तीय क्लोज़" का अर्थ है सीनियर लेंडर्स का फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स के तहत फंड्स बांटने के लिए तैयार होना।

"वित्तीय चूक" का अर्थ अनुसूची पी में दिया गया है।

"फाइनेंसिंग एग्रीमेंट्स" का अर्थ है, सीनियर लेंडर्स द्वारा लोन, गारंटी, नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर और दूसरे डेट इंस्ट्रुमेंट्स के सब्सक्रिप्शन के ज़रिए दी जाने वाली वित्तीय मदद के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स, जिसमें लोन एग्रीमेंट्स, गारंटी, नोट्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स और दूसरे डेट इंस्ट्रुमेंट्स, सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स, और लागत ऑफ़ कार्य की फाइनेंसिंग (रीफाइनेंसिंग सहित) से जुड़े दूसरे दस्तावेज शामिल हैं, और इसमें खंड 5.2.3 के अनुसार किए गए बदलाव या मॉडिफिकेशन्स शामिल हैं।

"अप्रत्याशित घटना" या "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ धारा 32.1 में दिया गया है।

"फ़ोर्स मेज्योर लागत" का अर्थ खंड 32.7.2 में बताया गया है।

"भारत सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार और उसके सभी विभागों/मंत्रालयों/एजेंसियों से है;

"अच्छे उद्योग अभ्यास" से तात्पर्य उन प्रथाओं, विधियों, तकनीकों, डिजाइनों, मानकों, कौशलों, परिश्रम, दक्षता, विश्वसनीयता और विवेक से है जो सामान्यतः और उचित रूप से एक कुशल और अनुभवी ऑपरेटर से उसी प्रकार के उपक्रम में लगे हुए हैं जैसा कि इस समझौते के तहत परिकल्पित है और जिसके परिणामस्वरूप रियायतकर्ता द्वारा इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार विश्वसनीय, सुरक्षित, किफायती और कुशल तरीके से अपने दायित्वों का प्रदर्शन करने और सुरक्षित, किफायती, विश्वसनीय और कुशल वैमानिकी सेवाएं और गैर-वैमानिकी सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाएगी।

"सरकार" का तात्पर्य भारत की राज्य सरकार अथवा संघ सरकार से है, जैसा भी लागू हो।

"सरकारी क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्ति" का अर्थ धारा 40.1.1 में दिए अनुसार होगा।

"सरकारी साधन" का अर्थ है भारत सरकार का कोई विभाग, प्रभाग या उप-विभाग, राज्य सरकार और इसमें कोई आयोग, बोर्ड, प्राधिकरण, एजेंसी या नगरपालिका और अन्य स्थानीय प्राधिकरण या वैधानिक निकाय, पंचायत सहित, भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण में, जैसा भी मामला हो, और समग्र रूप से या हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से का अधिकार क्षेत्र या इस समझौते के तहत या उसके अनुसार रियायतकर्ता की सभी या किसी भी सेवा या दायित्वों का निष्पादन शामिल है।

"ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं" का अर्थ खंड 19.2 में निर्धारित है;

"जीएसटी" का तात्पर्य वस्तु एवं सेवा कर या कोई अन्य कर होगा जो भविष्य में वस्तु एवं सेवा कर का स्थान लेगा;

"आईएटीए" का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है;

"आईएटीए सेवा इष्टतम स्तर" का अर्थ आईएटीए के विमानपत्तन विकास संदर्भ पुस्तिका के 10वें संस्करण में 'इष्टतम श्रेणी' में निर्धारित विभिन्न विमानपत्तन उप-प्रणालियों पर न्यूनतम सेवा आवश्यकताओं से है, जिसे समय-समय पर संशोधित, संशोधित या पूरक किया जा सकता है, और संदेह से बचने के लिए, आईएटीए द्वारा विमानपत्तन विकास संदर्भ पुस्तिका का प्रकाशन बंद करने की स्थिति में सेवा ढांचे का कोई समान स्तर इसका तात्पर्य होगा;

शिकागो सम्मेलन और उसके बाद आने वाले किसी संगठन द्वारा बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ,

"आईसीएओ दस्तावेज एवं अनुलग्नक" का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के दस्तावेज एवं अनुलग्नक, जिन्हें समय-समय पर संशोधित एवं प्रकाशित किया जाता है;

"शुरुआत का समय" का अर्थ है इस समझौते की तारीख से शुरू होने वाला और सीओडी होने पर खत्म होने वाला समय,

"मुआवज़ा पाने वाली पार्टी" का अर्थ है वह पार्टी जो खंड 40.3 के तहत हर्जाने का फ़ायदा पाने की हकदार है;

"क्षतिपूर्ति करने वाली पार्टी" का अर्थ है वह पार्टी जो खंड 40.3 के अनुसार दूसरी पार्टी को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है;

"स्वतंत्र अभियंता" का अर्थ धारा 24.1.1 में दिए अनुसार है;

"अप्रत्याशित राजनैतिक घटना का अर्थ खंड 32.3 में बताया गया है;

"आरंभिक गैर-वैमानिकी निवेश" का अर्थ खंड 28.12.1 में दिए अनुसार है;

निरीक्षण रिपोर्ट का अर्थ खंड 13.2 के अनुसार स्वतंत्र अभियंता द्वारा बनाई गई रिपोर्ट होगा;

"बीमा कवर" का अर्थ है बीमा के तहत इंश्योर्ड मैक्सिमम रकम का टोटल।

अनुच्छेद 30 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा लिया गया, और इसमें खंड 30.2 के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा लिए जाने वाले सभी बीमा शामिल हैं, लेकिन वास्तव में नहीं लिए गए हैं, और जब किसी कार्य या घटना के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ ऐसे कार्य या घटना के संबंध में बीमित और देय या बीमित और देय मानी जाने वाली अधिकतम राशियों का कुल योग होगा;

"बौद्धिक संपदा" का अर्थ है सभी पेटेंट, ट्रेडमार्क, सेवा मार्क, लोगो, गेट-अप, ट्रेड नेम, इंटरनेट डोमेन नेम, पैटर्न, डिज़ाइन में अधिकार, ब्लू प्रिंट, प्रोग्राम और मैनुअल, ड्राइंग, कॉपीराइट (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अधिकार सहित), डेटाबेस अधिकार, सेमी-कंडक्टर, टोपोग्राफी अधिकार, यूटिलिटी मॉडल, नो-हाउ में अधिकार और दूसरे बौद्धिक संपदा अधिकार, हर मामले में चाहे पंजीकृत हों या अनपंजीकृत और इसमें पंजीकरण के लिए एप्लीकेशन शामिल हैं, और दुनिया में कहीं भी बराबर या एक जैसा प्रभाव रखने वाले सभी अधिकार या सुरक्षा के तरीके;

"संयुक्त प्रबंधन अवधि" का अर्थ धारा 6.5.1 में निर्धारित है;

"मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित व्यक्तियों से है;

"मुख्य निष्पादन संकेतकों का अर्थ धारा 23.1 में दिए अनुसार है;

"पुरस्कार पत्र" या "एलओए" का तात्पर्य विवरण घ में निर्दिष्ट पुरस्कार पत्र से है;

वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में मामलों के संबंध में वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से कार्य करने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति से है , और इसमें उसके उत्तराधिकारी, समनुदेशिनी और स्थानापन्न शामिल हैं;

"मास्टर प्लान" का अर्थ है विमानपत्तन के निर्माण के लिए रियायतग्राही द्वारा तैयार किया गया योजना, जिसमें रियायत अवधि के लिए वैमानिक सर्विसेज और गैर-वैमानिकसर्विसेज शामिल हैं, और जिसे प्रोजेक्ट की ज़रूरतों के हिसाब से समय-समय पर अपडेट किया जाता है;

"भौतिक विपरित प्रभाव" का अर्थ है किसी भी काम या घटना का इस समझौते के नियमों के तहत और उसके अनुसार किसी भी पार्टी की अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता पर पड़ने वाला कोई भी बुरा असर, और जिस काम या घटना से किसी भी पार्टी पर कोई बड़ा फ़ाइनेंशियल बोझ या नुकसान होता है,

"मासिक रियायत शुल्क" का अर्थ खंड 27.1.1 में निर्धारित किया गया है;

"मासिक विवरण" से तात्पर्य खंड 28.9 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्रत्येक माह के पूरा होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण से है;

"नामित कंपनी" का अर्थ है ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा चुनी गई और प्रतिस्थापन समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के लिए प्राधिकरण को प्रस्तावित कंपनी;

"गैर- वैमानिकी परिसंपत्तियों" से तात्पर्य उन परिसंपत्तियों से है जो हवाई अड्डे पर गैर- वैमानिकी सेवाओं के प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं और इसमें ऐसी अन्य परिसंपत्तियां शामिल होंगी, जिन्हें रियायतग्राही समय-समय पर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार गैर-वैमानिकी सेवाओं के प्रदर्शन के लिए या उसके संबंध में खरीद सकता है, और इसमें वैमानिकी परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं;

"गैर- वैमानिकी सेवाओं" से तात्पर्य वैमानिकी सेवाओं से भिन्न सेवाओं से है;

"गैर-राजनीतिक घटना" का अर्थ धारा 32.2 में दिए अनुसार है;

"ओ एंड एम" का तात्पर्य हवाई अड्डे के प्रचालन , प्रबंधन और रखरखाव से है और इसमें इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रचालन और रखरखाव, सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान और शुल्क के संग्रह से जुड़े या प्रासंगिक सभी मामले शामिल हैं;

"प्रचालन एवं प्रबंधन कॉन्ट्रैक्ट्स" का अर्थ है ऑपरेशन्स, प्रबंधन और रख-रखाव कॉन्ट्रैक्ट्स जो रियायतग्राही और प्रचालन एवं प्रबंधन ठेकेदारों के बीच सभी या किसी भी प्रचालन एवं प्रबंधन ऑब्लिगेशन्स के परफॉर्मंस के लिए किए जा सकते हैं;

"ओ एंड एम ठेकेदार" का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, यदि कोई हो, जिनके साथ रियायतग्राही ने रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से ओ एंड एम दायित्वों के निर्वहन के लिए ओ एंड एम अनुबंधों में प्रवेश किया है;

"प्रचालन एवं प्रबंधन खर्च" का अर्थ है रियायतग्राही या प्राधिकरण की ओर से, जैसा भी मामला हो, सभी प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए किए गए खर्च, जिसमें शामिल हैं (क) कर्मचारियों की वेतन और दूसरे मुआवज़े का खर्च, (ख) सामान, सप्लाई, यूटिलिटी और दूसरी सेवा का खर्च, बीमा के लिए प्रीमियम, (घ) प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए सभी कर और शुल्क, (ङ) सभी रिपेयर, रिप्लेसमेंट, पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना, सुधार और रखरखाव लागत, (एफ) ओ एंड एम अनुबंधों, शुल्क संग्रह अनुबंध या ओ एंड एम के संबंध में या उससे संबंधित किसी अन्य अनुबंध के तहत किए जाने वाले भुगतान, और (जी) लागू कानूनों, लागू परमिट या इस समझौते के तहत हवाई अड्डे के ओ एंड एम के लिए किए जाने वाले सभी अन्य व्यय;

"ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट" का अर्थ धारा 21.5 में निर्धारित है;

"चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पैनल" का अर्थ खंड 31.2.1 में दिए अनुसार है;

"पार्किंग" का अर्थ धारा 19.12 में दिए अनुसार है;

"पार्टीज़" का अर्थ है इस समझौते की पार्टियाँ मिलकर और "पार्टी" का अर्थ होगा इस समझौते की कोई भी पार्टी अकेले,

"यात्री ट्रैफिक" से तात्पर्य हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले यात्रियों की कुल संख्या से है, जिसमें चढ़ने और उतरने वाले यात्री भी शामिल हैं;

"पीक आवर" से तात्पर्य पिछले लेखा वर्ष के उस घंटे के आधार पर निर्धारित घंटे से है जिसमें यात्री ट्रैफिक उस लेखा वर्ष के दौरान 30वां (तीसवां) सबसे व्यस्त घंटा था;

"पीक अवधि" का अर्थ है दिन के वे 4 (चार) घंटे जब पैसेंजर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है; और दिन के बाकी घंटे "ऑफ पीक अवधि" माने जाएंगे;

प्रत्येक दिन पीक आवर के दौरान होने वाले यात्री ट्रैफिक से है ;

"परफॉरमेंस सिक्योरिटी" का अर्थ खंड 9.1.1 में बताया गया है;

"प्रदर्शन गारंटी का अर्थ खंड 37.2.3 में निर्धारित अनुसार होगा;

"फेज़" का अर्थ है रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले निर्माण के काम, ताकि मास्टर योजना के अनुसार विमानपत्तन की क्षमता बढ़ाई जा सके, ताकि आम तौर पर इस समझौते की शर्तों और खास तौर पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का पालन पक्का किया जा सके।

"फेज I" का अर्थ है मास्टर योजना के अनुसार, खंड 4.1.3(ज) के अनुसार रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य, और इसमें, किसी भी शक से बचने के लिए, खंड 6.4.5 के अनुसार प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सौंपे गए चल रहे कार्य भी शामिल होंगे;

"चरण I समापन तिथि" से तात्पर्य उस तिथि से है जिस तिथि को अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के तहत समापन प्रमाणपत्र या अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, जारी किया जाता है;

"चरण पूर्णता अनुसूची" से तात्पर्य ऐसे चरण के लिए निर्धारित पूर्णता तिथि को या उससे पहले संबंधित चरण को पूरा करने के लिए प्रगतिशील चरण मील के पत्थर से है;

"फेज़ माइलस्टोन" का अर्थ है खंड 12.5.2 और अनुसूची च में बताए गए प्रोग्रेसिव माइलस्टोन:

"पुलिस का तात्पर्य कानून प्रवर्तन एजेंसी से है और इसमें राज्य पुलिस या कोई अन्य संगठन शामिल है जिसे सुरक्षा, अपराध रोकथाम या कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए लागू कानूनों के तहत अधिकार दिया गया है;

"पुलिस सहायता पोस्ट" का अर्थ धारा 20.4 में दिए अनुसार है;

"राजनीतिक घटना" का अर्थ धारा 32.4 में दिए अनुसार है;

"प्रमोटर एस.पी.वी." का अर्थ धारा 5.3.3 में दिए अनुसार है;

"चयनित बोलीदाता" का अर्थ अनुच्छेद घ में दिए अनुसार है, और यदि कोई संघ चयनित बोलीदाता है, तो इसमें ऐसे संघ के सभी सदस्य शामिल होंगे;

"संरक्षण लागत" का अर्थ धारा 13.5.3 में दिए अनुसार है;

"प्रोजेक्ट" का अर्थ है इस समझौते के उपबंधों के अनुसार विमानपत्तन का प्रचालन, प्रबंधन और विकास, और इसमें प्रोजेक्ट के सर्विसेज से जुड़े या उसके बारे में सभी काम, सेवा और उपकरण शामिल हैं;

"प्रोजेक्ट समझौते" का अर्थ है यह समझौता, फाइनेंसिंग समझौते, इपीसी अनुबंध, प्रचालन एवं प्रबंधनअनुबंध, सीएनएस/एटीएमसमझौते, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन, विमानपत्तन ऑपरेटर

समझौते, और सब-लीज या सब-लाइसेंस और कोई भी अन्य भौतिक समझौते या अनुबंध जो रियायतग्राही द्वारा किसी व्यक्ति के साथ प्रोजेक्ट से संबंधित, उससे उत्पन्न या आकस्मिक मामलों के संबंध में किया जा सकता है और जिसका अनुबंध सालाना या कुल मिलाकर 25,00,00,000/- रुपये ( पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक का हो, लेकिन इसमें एस्क्रो समझौते और प्रतिस्थापन समझौते शामिल नहीं हैं; "प्रोजेक्ट परिसंपत्तियाँ" का अर्थ है साइट से जुड़े या उसका हिस्सा बनने वाले सभी फिजिकल और दूसरे परिसंपत्तियाँ, जिनमें शामिल हैं:

(क) पट्टे, मार्गाधिकार या अन्यथा के रूप में साइट पर अधिकार;

(ख) वैमानिक संपत्तियां और गैर- वैमानिक संपत्तियां ;

(ग) मूर्त संपत्तियां जैसे कि नागरिक कार्य और उपकरण जिनमें नींव, जल निकासी कार्य, विद्युत प्रणाली, संचार प्रणाली और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं;

(घ) साइट पर स्थित परियोजना सुविधाएं,

(ङ) नगरीय विकास का हिस्सा बनने वाली इमारतें और अचल संपत्ति या संरचनाएं;

(च) परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकार;

(छ) वित्तीय आस्तियां, जैसे प्राप्त, सुरक्षा जमा, सभी परक्राम्य लिखत इत्यादि;

(ज) बीमा आय; और

(झ) हवाई अड्डे से संबंधित या उसके संबंध में लागू परमिट और प्राधिकरण ;

"प्रोजेक्ट सुविधाओं" का अर्थ है साइट पर स्थित सभी सुख-सुविधाएं और सुविधाएं, जैसा कि अनुसूची बी में वर्णित है;

"संरक्षित दस्तावेजों" से तात्पर्य उन दस्तावेजों, उपकरणों और सूचनाओं से है, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8, या समय-समय पर प्रतिस्थापित, संशोधित और परिवर्तित किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत छूट दी गई है;

"अनंतिम समापन" का अर्थ खंड 14.3.1 में निर्धारित है;

"पंच सूची" का अर्थ धारा 14.3.1 में दिया गया है;

"रु.", ".", "रुपये", "INR" या "इंडियन रुपये" का अर्थ है भारतीय गणराज्य की कानूनी करेंसी;

"नियामक" का तात्पर्य एईआरए या कोई अन्य इकाई है जिसे भारत सरकार द्वारा लागू कानूनों के अनुसार हवाईअड्डे के लिए वैमानिकी शुल्क के निर्धारण के लिए नामित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो;

"विनियामक ढांचा" से तात्पर्य एईआरए अधिनियम और हवाईअड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (हवाईअड्डा संचालकों के लिए शुल्क निर्धारण हेतु नियम व शर्तें) दिशानिर्देश, 2011 सहित लागू कानूनों के अनुसार विनियामक द्वारा अपनाया गया ढांचा है;

"प्रस्ताव के लिए अनुरोध" या "आरएफपी" का अर्थ अनुच्छेद सी में दिए अनुसार है;

"आरक्षित क्षेत्र" का तात्पर्य खंड 19.8 और खंड 20.7 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसियों के लिए आरक्षित स्थान और क्षेत्र से है;

"आरक्षित पार्किंग" का अर्थ खंड 19.12.4 में दिया गया है;

"आरक्षित सेवाओं" का अर्थ धारा 20.1.1 में दिए अनुसार है;

"राइट ऑफ वे" का अर्थ है साइट का कंस्ट्रक्टिव कब्ज़ा, साथ ही सभी वे लीव्स, केसमेंट्स, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और दूसरे राइट्स ऑफ वे, चाहे जैसे भी बताए गए हों, जो विमानपत्तन के ऑपरेशन्स, प्रबंधन और विकास के लिए ज़रूरी हैं;

"नियम" से तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, नई दिल्ली के मध्यस्थता नियमों से है, जिनमें समय-समय पर संशोधन या सुधार किया जाता है;

"रनवे" का अर्थ विमानपत्तन पर ज़मीन की वह पट्टी है, जिस पर से हवाई जहाज़ उड़ान भरेंगे और उतरेंगे और यह इंसान की बनाई हुई सतह हो सकती है, जिसमें डामर कंक्रीट या दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल किया गया हो;

"सुरक्षा आवश्यकताओं" का अर्थ खंड 18.15 में निर्धारित है;



"तय समय पर काम पूरा होने की तारीख" का अर्थ चरण I के लिए खंड 12.5.1 में बताया गया है, और दूसरे चरण के मामले में, इसे निर्माण का काम शुरू होने से पहले, उस चरण के लिए स्वतंत्र अभियंता से सलाह करके रियायतग्राही तय करेगा;

"परियोजना का दायरा" का अर्थ खंड 2.1 में निर्धारित है;

"चुनिंदा कर्मचारी" का अभिप्राय धारा 6.5.1( i ) में दिए अनुसार है;

"चुनिंदा कर्मचारी लागत" का अर्थ खंड 6.5.5 में निर्धारित है;

"सीनियर लेंडर्स" का अर्थ है वित्तीय इंस्टीट्यूशन, बैंक, मल्टीलेटरल लेंडिंग एजेंसियां, ट्रस्ट, फंड और डिबेंचर होल्डर्स के एजेंट या ट्रस्टी, जिसमें उनके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल हैं, जो किसी भी फाइनेंसिंग समझौते के तहत रियायतग्राही को गारंटी देने या फाइनेंस देने के लिए सहमत हुए हैं और जो रियायतग्राही के परिसंपत्तियाँ, राइट्स, टाइटल और इंटरेस्ट पर, उसकी शर्तों के अनुसार, पैरी पासु चार्ज होल्ड करते हैं।

"सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं" का अर्थ अनुसूची ज के अनुबंध I में दिए अनुसार है;

"साइट" का अर्थ धारा 10.1 में दिए अनुसार होगा;

"विनिर्देश और मानक" का अर्थ है हवाई अड्डे के लिए गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता और अन्य आवश्यकताओं/मापदंडों से संबंधित विनिर्देश और मानक, जैसा कि अनुसूची सी में निर्धारित है और उनमें कोई भी संशोधन या परिवर्धन;

"राज्य" का तात्पर्य उस राज्य से है जिसमें प्राधिकरण का पंजीकृत कार्यालय स्थित है;

"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

"सांविधिक लेखा परीक्षक" का अर्थ है चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक जानी-मानी फर्म जो कंपनी एक्ट, 2013 के उपबंधों के तहत, जिसमें उसका कोई री-एनेक्टमेंट या संशोधन भी शामिल है, रियायतग्राही के सांविधिक लेखा परीक्षक के तौर पर काम करती है, और जिसे कंपनी एक्ट, 2013 के खंड 31.2.1 और सेक्शन 139 के अनुसार नियुक्त किया गया है;

"अधीनस्थ ऋण" का अर्थ है, हस्तांतरण तिथि पर बकाया नीचे दी गई रकम का कुल जोड़, जो भारतीय रुपये या डेब्ट की मुद्रा में हो, जैसा भी मामला हो:

प्रोजेक्ट की लागत को पूरा करने के लिए लेंडर्स या रियायतग्राही के शेयरहोल्डर्स द्वारा दिए गए कर्ज की मूल रकम, जो सीनियर लेंडर्स द्वारा दी गई वित्तीय मदद के अधीन है; और

(ख) ऊपर सब-खंड (क) में बताए गए कर्ज पर सारा जमा हुआ ब्याज, लेकिन यह असल ब्याज दर और भारतीय रुपये में दिए गए लोन के मामले में बैंक रेट से 5% (पांच प्रतिशत) ज्यादा के बराबर दर, और विदेशी मुद्रा में दिए गए लोन के मामले में असल ब्याज दर और 6 (छह) महीने के एलआईबीओआर (लंदन इंटर-बैंक ऑफर रेट) प्लस 2% (दो प्रतिशत) में से जो भी कम हो, तक सीमित है, लेकिन इसमें हस्तांतरण तिथि से 1 (एक) साल पहले का कोई भी ब्याज शामिल नहीं है:

बशर्ते कि यदि अधीनस्थ ऋण का पूरा या कोई भाग ऋणदाताओं और/या रियायतग्राही के शेयरधारकों के विकल्प पर हिस्सेदारी में परिवर्तनीय है, तो इस समझौते के प्रयोजनों के लिए इसे ऐसे रूपांतरण के बाद भी अधीनस्थ ऋण माना जाएगा और उसके मूलधन के साथ वैसे ही व्यवहार किया जाएगा मानो ऐसा रूपांतरण किया ही नहीं गया हो;

"प्रतिस्थापन समझौते" का अर्थ खंड 38.3.1 में निर्धारित है;

"निलंबन" का अर्थ अनुच्छेद 34 में निर्धारित है;

"कर" का अर्थ है कोई भी भारतीय कर जिसमें एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वस्तु एवं सेवा कर, वैल्यू एडेड कर, सेवा कर, सेल्स कर, लोकल कर, सेस और इसी तरह का कोई भी इंपोस्ट या अधिशुल्क (चाहे केंद्रीय, राज्य या स्थानीय) शामिल है, जो विमानपत्तन में शामिल और उसका हिस्सा बनने वाले सामान, मटीरियल, उपकरण और सर्विसेज पर किसी भी सरकारी संस्था द्वारा लगाया, लगाया या लगाया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी अकाउंट पर लगाया गया कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी और दूसरी रकम शामिल नहीं है। कर में कॉर्पोरेट इनकम पर कर शामिल नहीं होगा;

"टेक्निकल क्षमता" का अर्थ आरएफपी में बताया गया है:

"टर्मिनल भवन" का अर्थ है स्टैंड-अलोन और/या इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल भवन, जिसमें साइट पर डोमेस्टिक पैसेंजर और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए अलग से पहचानी गई जगह और उससे जुड़ी ज़मीन शामिल है, जिसमें कर्बसाइड और अप्रोच रोड शामिल हैं और मौजूदा टर्मिनल भवन भी शामिल है, जैसा

कि अनुसूची क के अनुलग्नक II में दिए गए पर्सपेक्टिव योजना और/या मास्टर योजना में बताया और बताया गया है, जैसा भी मामला हो;

"टर्मिनेशन" का अर्थ है इस समझौते और इसके तहत रियायत का खत्म होना या खत्म होना,

समाप्ति नोटिस का अर्थ है इस समझौते को समाप्त करने के लिए एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस समझौते के अनुसार जारी किया गया संचार;

"समाप्ति नोटिस" समाप्ति भुगतान" का अर्थ है उप-खंड (ए) के अनुसार निर्धारित की गई राशि के बराबर राशि, और उप-खंड (बी) और उप-खंड (सी) के अनुसार निर्धारित की गई राशि में से कम राशि।

(क) अंतरण तिथि को निम्नलिखित राशियों का योग:

(i) वैमानिकी प्रभारों के नवीनतम निर्धारण में विनियामक द्वारा शामिल की गई मानी गई प्रारंभिक आर.ए.बी. की राशि, यदि कोई हो, विनियामक द्वारा विचारित/निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास की गई; तथा

(ii) सीओडी पर और उससे (और घमंड प्रारंभिक आरएबी का हिस्सा नहीं) किसी भी वैमानिकी संपत्ति में रियायतकर्ता द्वारा निवेश का मूल्य, जैसा कि नियामक द्वारा वैमानिकी शुल्कों के अपने नवीनतम निर्धारण में शामिल किया गया है, और नियामक द्वारा विचारित/निर्धारित दरों के अनुसार मूल्यहास किया गया है।

(ख) स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रमाणित हस्तांतरण तिथि पर नीचे दी गई रकम का योग:

(i) रियायतग्राही द्वारा बनाए गए, खरीदे गए या लगाए गए किसी भी अतिरिक्त वैमानिकी परिसंपत्तियाँ की वैल्यू, जिसे नियामक ने वैमानिकी चार्ज के अपने नए तय करने में शामिल नहीं किया है (लेकिन ऐसे किसी भी वैमानिकी परिसंपत्तियाँ को छोड़कर जिन्हें नियामक ने ऐसे तय करने में शामिल किया है), नियामक द्वारा सोची गई/तय की गई दरों के अनुसार डेप्रेशिएट की जाएगी।

(ii) प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेशों का मूल्य, रियायतग्राही की पुस्तकों में प्रयुक्त दरों पर मूल्यहास;

(iii) सीओडी पर और उससे गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों (सिटी साइड विकास और प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेशों का हिस्सा बनने वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर) में रियायतग्राही द्वारा निवेश का मूल्य, रियायतग्राही की पुस्तकों में उपयोग की गई दरों पर मूल्यहास;

(iv) सीओडी पर और उसके बाद सिटी साइड विकास का हिस्सा बनने वाले सभी प्रोजेक्ट परिसंपत्तियाँ में रियायतग्राही द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, रियायतग्राही की बुक्स में इस्तेमाल रेट्स पर डेप्रीशिएट की गई; और

(v) हस्तांतरण तिथि पर प्राधिकरण को सौंपे गए प्रोग्रेस कार्य में रियायतग्राही द्वारा उठाए गए असल खर्च (जहां तक नियामक ने इसे वैमानिकी परिसंपत्तियों के हिस्से के तौर पर और वैमानिकी चार्ज के अपने लेटेस्ट डिटरमिनेशन में शामिल नहीं किया है)।

(ग) उप-खण्ड (ख) में निर्धारित परिसंपत्तियों और/या व्यय के मूल्यों का योग, जैसा भी मामला हो, जो एक अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसे हस्तांतरण तिथि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा चुना और नियुक्त किया जाएगा, और जो नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपना निर्धारण प्रस्तुत करेगा;

"परीक्षण" का अर्थ इस समझौते, संबंधित आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों और घजीसीए द्वारा निर्धारित लागू दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार समापन का निर्धारण करने के लिए अनुसूची जी में निर्धारित परीक्षण है और इसमें, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, इस समझौते और मास्टर योजना के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे के विस्तार के समापन का निर्धारण करने के लिए समान परीक्षण शामिल होंगे;

"हस्तांतरण तिथि" का अर्थ वह तारीख है जिस दिन यह समझौता और इसके तहत दी गई छूट इस समझौते के उपबंधों के अनुसार खत्म हो जाती है या टर्मिनेशन नोटिस द्वारा खत्म कर दी जाती है;

"अप्रत्याशित घटना का अर्थ धारा 32.12.1 में दिए अनुसार है;

"उपयोगकर्ता" से तात्पर्य किसी भी एयरलाइन, यात्री, आगंतुक या अन्य व्यक्ति से है, जो शुल्क के भुगतान पर या इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे या उसके किसी हिस्से को, किसी या सभी वैमानिकी सेवाओं या गैर- वैमानिकी सेवाओं सहित, उपयोग करता है या करने का इरादा रखता है;

"उपयोगकर्ता चार्टर" का अर्थ धारा 23.10 में निर्धारित है;

"प्रयोगकर्ता संतुष्टि सर्वे" का अर्थ खंड 23.7.3 में दिया गया है;

"वेस्टिंग प्रमाण-पत्र" का अर्थ खंड 36.4 में बताया गया है; और

"डब्ल्यूपीआई" का अर्थ है सभी चीज़ों के लिए होलसेल प्राइस सूचकांक, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ़ इंडस्ट्री, भारत सरकार प्रकाशित करता है और इसमें कोई भी सूचकांक शामिल होगा जो डब्ल्यूपीआई की जगह लेता है, और डब्ल्यूपीआई का कोई भी संदर्भ, जब तक कि प्रसंग में कुछ और ज़रूरी न हो, पिछले महीने के साथ खत्म होने वाले अवधि के लिए प्रकाशित किए गए डब्ल्यूपीआई का संदर्भ माना जाएगा।

## 1.2 व्याख्या

1.2.1 इस समझौते में, जब तक कि प्रसंग में कुछ और ज़रूरी न हो,

(क) किसी विधान या उसके किसी उपबंध के संदर्भ में ऐसे विधान या उसके किसी उपबंध का संशोधन, पुनः अधिनियमन या समेकन शामिल होगा, जहां तक ऐसा संशोधन, पुनः अधिनियमन या समेकन इसके अधीन किए गए किसी लेन-देन पर लागू होता है या लागू होने में सक्षम है;

(ख) लागू कानूनों के संदर्भ में ऐसे कानून, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, विनियम, उपनियम या अधिसूचनाएं शामिल होंगी जो भारत के क्षेत्र में कानून की ताकत रखते हैं और जिन्हें समय-समय पर संशोधित, परिवर्तित, पूरक, विस्तारित या पुनः अधिनियमित किया जा सकता है;

(ग) किसी "व्यक्ति" का संदर्भ तथा किसी प्राकृतिक व्यक्ति को दर्शाने वाले शब्दों का अर्थ किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम, सोसायटी, ट्रस्ट, सरकार, राज्य या राज्य की एजेंसी या उपरोक्त दो या अधिक के किसी संघ या साझेदारी (चाहे पृथक कानूनी व्यक्तित्व हो अथवा नहीं हो) के संदर्भ के रूप में लगाया जाएगा और इसमें उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिनी शामिल होंगे;

(घ) इस समझौते में सामग्री की तालिका, शीर्षक या उपशीर्षक केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और उनका उपयोग इस समझौते के निर्माण या व्याख्या में नहीं किया जाएगा और वे इसे प्रभावित नहीं करेंगे;

(इ) शब्द "शामिल" और "सहित" का अर्थ बिना किसी सीमा के लगाया जाएगा और उन्हें "बिना सीमा के" या "किन्तु इस तक सीमित नहीं" के बाद माना जाएगा, चाहे उनके बाद ऐसे वाक्यांश हों अथवा नहीं;

(च) "निर्माण" या "भवन" के संदर्भ में, जब तक कि प्रसंग से कुछ और ज़रूरी न हो, इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन, अभियांत्रिकी, प्रोक्योरमेंट, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, प्रोसेसिंग, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग,

कमीशनिंग, एक्सपेंशन और निर्माण से जुड़ी दूसरी गतिविधियाँ शामिल हैं, और "कंस्ट्रक्ट" या "बिल्ड" का अर्थ उसी हिसाब से लगाया जाएगा,

(छ) "विकास" के संदर्भ में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निर्माण, विस्तार, नवीकरण, नवीनीकरण, वृद्धि, उन्नयन और उससे संबंधित अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं और "विकास" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा:

(ज) किसी समय अवधि के संदर्भ से तात्पर्य भारतीय मानक समय के अनुसार संदर्भ से है;

(झ) "घंटे" के किसी भी संदर्भ का तात्पर्य घड़ी के घंटे या आधे घंटे पर आरंभ होने वाली 60 (साठ) मिनट की अवधि से है, जिसका उदाहरण के तौर पर अर्थ है 5.00 (पांच), 6.00 (छह), 7.00 (सात) इत्यादि घड़ी के घंटे पर घंटे हैं तथा 5.30 (सात तीस), 6.30 (छह तीस), 7.30 (सात तीस) इत्यादि घड़ी के आधे घंटे पर घंटे हैं;

(ञ) दिन के किसी संदर्भ से तात्पर्य कैलेंडर दिवस के संदर्भ से होगा,

(ट) "कार्य दिवस" के संदर्भ का तात्पर्य उस दिन (रविवार को छोड़कर) के संदर्भ से लगाया जाएगा, जिस दिन राज्य में बैंक सामान्यतः व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं;

(ठ) महीने या तिमाही के किसी संदर्भ का तात्पर्य ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैलेंडर महीने या कैलेंडर तिमाही के संदर्भ से होगा,

(ड) किसी तिथि, अवधि या चरण मील के पत्थर के संदर्भ का तात्पर्य ऐसे तिथि, अवधि या चरण मील के पत्थर से है और इसमें ऐसी तिथि, अवधि या चरण मील का पत्थर शामिल होगा जिसे इस समझौते के अनुसरण में बढ़ाया जा सकता है;

(ढ) किसी निर्दिष्ट दिन या तारीख से शुरू होने वाली और किसी निर्दिष्ट दिन या तारीख तक या तक की अवधि के संदर्भ में ऐसे दोनों दिन या तारीखें शामिल होंगी, बशर्ते कि, यदि इस समझौते के तहत गणना की गई किसी अवधि का आखिरी दिन कोई कारोबारी दिन नहीं है, तो अवधि अगले कारोबारी दिन के अंत तक चलेगी;

(ण) एकवचन का अर्थ बताने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और इसके विपरीत;

(त) किसी भी लिंग के संदर्भ में अन्य और तटस्थ लिंग शामिल होंगे;

(थ) "लाख" का अभिप्राय एक लाख (100,000) तथा "करोड़" का अभिप्राय दस मिलियन (10,000,000) है;

(द) "ऋणग्रस्तता" का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसमें धन के भुगतान या पुनर्भुगतान के लिए कोई दायित्व (चाहे वह मूलधन या ज़मानत के रूप में किया गया हो) शामिल हो, चाहे वह वर्तमान हो या भविष्य का, वास्तविक हो या आकस्मिक;

(ध) किसी कंपनी या निगम के "समापन", "विघटन", "दिवालियापन", या " पुनर्गठन " के संदर्भों की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी कि इसमें उस क्षेत्राधिकार के कानून के अंतर्गत कोई समतुल्य या समान कार्यवाही शामिल हो जिसमें ऐसी कंपनी या निगम निगमित है या कोई क्षेत्राधिकार जिसमें ऐसी कंपनी या निगम व्यवसाय करती है, जिसमें परिसमापन, समापन, पुनर्गठन , विघटन, व्यवस्था, देनदारों के संरक्षण या राहत की मांग करना शामिल है;

(न) इस करार में अन्यथा प्रदान की गई बात के सिवाय, किसी भी समय, किसी भी करार, विलेख, लिखत, पट्टे, लाइसेंस या किसी भी वर्णन के दस्तावेज का कोई संदर्भ, उस करार, विलेख, लिखत, पट्टे, लाइसेंस या अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जैसा कि ऐसे संदर्भ के समय संशोधित, भिन्न, पूरक, संशोधित या निलंबित किया गया है, बशर्ते कि यह उप-खण्ड (टी) इस प्रकार कार्य नहीं करेगा, जिससे किसी भी तरह से इसके अधीन या इसके अनुसरण में प्राधिकरण की देनदारियों या दायित्वों में वृद्धि हो।

(प) इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में किसी भी पक्ष से या उसके द्वारा अपेक्षित कोई समझौता, सहमति, अनुमोदन, प्राधिकरण , नोटिस, संचार, सूचना या रिपोर्ट तभी वैध और प्रभावी होगी जब वह इस पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में हो, अन्यथा नहीं;

(फ) इस समझौते की अनुसूचियां और विवरण इस समझौते का अभिन्न अंग होंगे और पूर्णतः लागू रहेंगे जैसे कि वे इस समझौते के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हों;

(ब) इस अनुबंध में उल्लेखों, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, शर्तों या अनुसूचियों के संदर्भों का तात्पर्य, सिवाय जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो, इस अनुबंध के उल्लेखों, अनुच्छेदों, खंडों, उप-खंडों, शर्तों और अनुसूचियों के संदर्भों से होगा;

(भ) किसी अनुलग्नक के संदर्भ का, उसमें विनिर्दिष्ट किसी प्रतिकूल बात के अधीन रहते हुए, उस अनुसूची के अनुलग्नक के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जाएगा जिसमें ऐसा संदर्भ आता है; और किसी

अनुच्छेद के संदर्भ का, उसमें विनिर्दिष्ट किसी प्रतिकूल बात के अधीन रहते हुए, अनुसूची या अनुलग्नक के उस अनुच्छेद के संदर्भ के रूप में अर्थ लगाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जिसमें ऐसा संदर्भ आता है;

(म) इस समझौते में बताए गए अनुसार, किसी भी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया जाने वाला हर्जाना, चाहे रोज़ाना के आधार पर हो या नहीं, आपसी सहमति से तय किया गया असली पहले से तय नुकसान और क्षति है जो इसे पाने की हकदार पार्टी को झेलनी पड़ सकती है और यह पेनल्टी के तौर पर नहीं है ("हर्जाना");

(य) "इसके बारे में, 'इसके अंतर्गत', 'इसके प्रति' और 'इसके अंतर्गत' शब्द तथा समान आयात के शब्द, जब इस अनुबंध या किसी अन्य परियोजना अनुबंध में उपयोग किए जाते हैं, तो उनका संदर्भ इस अनुबंध या ऐसी अन्य परियोजना अनुबंध, जैसा भी मामला हो, समग्र रूप में होगा, न कि इस अनुबंध या ऐसी अन्य परियोजना अनुबंध के किसी विशेष प्रावधान के लिए, जैसा भी मामला हो;

(र) जब तक इसमें अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, यहां प्रयुक्त सभी लेखांकन शब्दों की व्याख्या की जाएगी, और इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले वित्तीय मामलों से संबंधित सभी वित्तीय विवरण और प्रमाणपत्र और रिपोर्टें भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की जाएंगी, और सभी तकनीकी शब्दों और कथनों की व्याख्या और उन्हें अच्छे उद्योग प्रथाओं के अनुसार लागू किया जाएगा;

(ल) कोई खास उपबंधों, रिप्रेजेंटेशन या वारंटी किसी ज़्यादा आम उपबंधों, रिप्रेजेंटेशन या वारंटी के लागू होने को सीमित नहीं करेगा, और पार्टियों का इरादा यह है कि इस समझौते में शामिल हर रिप्रेजेंटेशन, वारंटी, कवनेंट, शर्त और समझौते को पूरा, अलग और स्वतंत्र असर दिया जाएगा और ऐसे उपबंधों कुल मिलाकर लागू होंगे; और

(व) पार्टियों की अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में समय बहुत ज़रूरी होगा। अगर यहां बताई गई कोई समय अवधि बढ़ाई जाती है, तो वह बढ़ा हुआ समय भी बहुत ज़रूरी होगा।

1.2.2 जब तक इस समझौते में साफ़ तौर पर कुछ और न बताया गया हो, रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को दिया जाने वाला कोई भी प्रलेखन मुफ्त में और 3 (तीन) फ़िज़िकल कॉपी और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में दिया जाएगा, और अगर प्राधिकरण को ऐसे किसी प्रलेखन को अपनी टिप्पणियों और/या मंजूरी के साथ वापस करना होता है, तो वे उसकी दो कॉपी रखने के हकदार होंगे।



1.2.3 निर्माण का यह नियम, अगर कोई हो, कि किसी अनुबंध का अर्थ उसकी ड्राफ्टिंग और तैयारी के लिए जिम्मेदार पार्टियों के खिलाफ निकाला जाना चाहिए, लागू नहीं होगा।

1.2.4 खंड 1.2 में दिए गए अर्थ के नियमों के तहत, इस समझौते में इस्तेमाल किया गया कोई भी शब्द या बात, जब तक कि इस समझौते में अलग से न बताया गया हो या उसका अर्थ न निकाला गया हो, उसका आम इंग्लिश अर्थ होगा और इन मकसदों के लिए, जनरल खंड एक्ट, 1897 लागू नहीं होगा।

### 1.3 माप और अंकगणितीय परंपराएँ

सभी मेज़रमेंट और कैलकुलेशन मीट्रिक सिस्टम में होंगे और कैलकुलेशन 2 (दो) डेसिमल प्लेस तक किए जाएंगे, जिसमें 5 (पांच) या उससे ज़्यादा के तीसरे डिजिट को ऊपर की ओर और 5 (पांच) से कम के डिजिट को नीचे की ओर राउंड किया जाएगा।

### 1.4 समझौते, खंड और अनुसूची की प्राथमिकता

1.4.1 यह समझौता, और इस समझौते का हिस्सा बनने वाले या इसमें बताए गए सभी दूसरे समझौते और दस्तावेज को एक-दूसरे को समझाने वाला माना जाएगा और, जब तक इस समझौते में कहीं और साफ़ तौर पर न बताया गया हो, इस समझौते और इसका हिस्सा बनने वाले या इसमें बताए गए दूसरे दस्तावेज और एग्रीमेंट्स की प्रायोरिटी, उनके बीच किसी भी झगड़े की स्थिति में, इस क्रम में होगी:

(क) यह समझौता, और

(ख) बाकी सभी समझौते और दस्तावेज जो इसका हिस्सा हैं या जिनका ज़िक्र है, यानी ऊपर (क) में दिया गया समझौता, (ख) में दिए गए समझौते और दस्तावेज पर लागू होगा।

1.4.2 खंड 1.4.1 के नियमों के तहत, इस समझौते में कोई साफ़ जानकारी या अंतर होने पर, ये लागू होंगे:

(क) इस समझौते के दो या अधिक खंडों के बीच, विचाराधीन मुद्दे से संबंधित किसी विशिष्ट खंड के प्रावधान अन्य खंडों के प्रावधानों पर प्रबल होंगे;

(ख) इस समझौते के खंडों तथा अनुसूचियों के बीच खंड प्रबल होंगे तथा अनुसूचियों एवं अनुबंधों के बीच अनुसूचियां प्रबल होंगी;

- (ग) किन्हीं दो अनुसूचियों के बीच, विवाद्यक से संबंधित अनुसूची प्रबल होगी;
- (घ) चित्रों पर लिखित विवरण तथा विनिर्देशों एवं मानकों के बीच, बाद वाला प्रबल होगा;
- (ङ) ड्राइंग से लिए गए साइज़ और उसके खास लिखे हुए साइज़ के बीच, बाद वाला ही मान्य होगा; और
- (च) अंकों में लिखे किसी मूल्य और शब्दों में लिखे मूल्य के बीच, शब्दों में लिखा मूल्य मान्य होगा।

भाग II

रियायत

## अनुच्छेद 2. परियोजना का दायरा

### 2.1 परियोजना का दायरा

प्रोजेक्ट के सर्विसेज ("प्रोजेक्ट का दायरा") का अर्थ होगा और इसमें रियायत अवधि के दौरान, विमानपत्तन का प्रचालन, प्रबंधन और विकास शामिल होगा, जिसमें ये शामिल हैं:

(क) साइट पर और अनुसूची ए और अनुसूची बी में व्यापक रूप से निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार चरणबद्ध तरीके से हवाई अड्डे के डिजाइन, विकास, वित्तपोषण, निर्माण, उन्नयन और विस्तार, साथ ही अनुसूची बी में निर्दिष्ट संबंधित परियोजना सुविधाओं के प्रावधान के साथ और अनुसूची सी में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप और लागू कानूनों और लागू परमिट के अनुसार;

(ख) इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का प्रचालन , रखरखाव और प्रबंधन;

(ग) इस समझौते के उपबंधों, और खास तौर पर अनुसूची क, अनुसूची ख और अनुसूची ग के अनुसार सिटी साइड का विकास, प्रचालन और रख-रखाव; और

(घ) इस समझौते के तहत रियायतग्राही की सभी दूसरी ज़िम्मेदारियों और उनसे जुड़े या सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ज़रूरी मामलों का प्रदर्शन और पूर्ति, इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिट के उपबंधों के अनुसार।

### अनुच्छेद 3. रियायत का अनुदान

#### 3.1 रियायत

3.1.1 इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिट के नियमों के अनुसार, प्राधिकरण रियायतग्राही को, सीओडी से शुरू होकर 50 (पचास) साल के समय के लिए विमानपत्तन को ऑपरेट करने, मैनेज करने और डेवलप करने का खास अधिकार, लीज़ और प्राधिकरण ("रियायत") सहित, यहाँ बताई गई रियायत देती है, और रियायतग्राही इस रियायत को स्वीकार करता है और यहाँ बताई गई शर्तों के अनुसार प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए सहमत है।

3.1.2 इस समझौते, प्राधिकरण, लागू कानूनों और लागू परमिट के नियमों के अनुसार, इसके द्वारा दी गई रियायत, रियायत पाने वाले को (जैसा भी मामला हो) इसके लिए मजबूर या हकदार बनाएगी:

(क) इस समझौते के प्रावधानों द्वारा प्रदत्त उद्देश्य के लिए और उस सीमा तक साइट पर रास्ता, पहुंच और पट्टे का अधिकार;

(ख) विमानपत्तन के विकास और विस्तार के लिए फाइनेंस करना;

(ग) हवाई अड्डे का प्रचालन , रखरखाव और प्रबंधन करना और तीसरे पक्ष द्वारा इसके उपयोग को विनियमित करना;

(घ) हवाई अड्डे या उसके किसी हिस्से का उपयोग करने के लिए शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं से शुल्क की मांग करना, संग्रह करना और विनियोजित करना तथा देय शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में ऐसे किसी भी उपयोगकर्ता को प्रवेश से इंकार करना;

(ङ) इस समझौते के तहत और इसके अनुसार रियायतग्राही के सभी दायित्वों को पूरा करना और पूरा करना;

(च) इस समझौते में साफ़ तौर पर बताए गए को छोड़कर, इस समझौते के तहत रियायतग्राही की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने से जुड़े या उससे जुड़े सभी खर्च, लागत, कर और चार्ज का भुगतान करेगा; और

(छ) इस समझौते या इसके द्वारा दी गई रियायत या पूरे विमानपत्तन या उसके किसी हिस्से पर कोई लियन या बोझ न तो असाइन करें, ट्रांसफर करें या बनाएं, और न ही उसका कोई हिस्सा ट्रांसफर करें

या कब्ज़ा करें, सिवाय इसके कि इस समझौते या प्रतिस्थापन समझौते द्वारा साफ़ तौर पर इजाज़त दी गई हो।

### 3.2 सिटी साइड का विकास

इस समझौते और लागू कानूनों के नियमों के अनुसार, इसके द्वारा दी गई रियायत, खंड 3.1.2 के नियमों पर बिना किसी असर के, रियायत पाने वाले को अनुसूची क में बताई गई साइट पर, अनुसूची ख और अनुसूची ग के अनुसार रियल एस्टेट का विकास, फाइनेंस, प्रचालन और रख-रखाव करने का अधिकार देगी, और अनुच्छेद 25 "सिटी साइड विकास" के नियमों के अनुसार वाणिज्यिक मकसद के लिए ऐसे विकास का इस्तेमाल करने का अधिकार देगी। साथ ही, प्रोजेक्ट समझौते के ज़रिए इसके किसी या सभी हिस्सों को सब-लीज़ और/या सब-लाइसेंस करने का अधिकार भी देगी।

यह साफ़ किया जाता है कि सिटी साइड का एंड-यूज़ इस समझौते के लागू होने की तारीख को लागू कानूनों के अनुसार होगा, और रियायतग्राही किसी भी बाद के रीस्टेटमेंट, संशोधन या री-एनेक्टमेंट के तहत मंज़ूर किसी भी एक्स्ट्रा एंड-यूज़ का हकदार सिर्फ़ भारत सरकार की पहले से लिखी हुई मंजूरी पर होगा।

## अनुच्छेद 4. परिस्थिति के मिसाल

### 4.1 परिस्थिति के उदाहरण

4.1.1 अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 44 में साफ़ तौर पर दिए गए नियमों को छोड़कर, या जब तक कि संदर्भ में कुछ और ज़रूरी न हो, इस समझौते के तहत पार्टियों के अपने-अपने अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ इस खंड 4.1 ("पहले की शर्तें") में बताई गई शर्तों को पूरी तरह से पूरा करने पर निर्भर होंगी। हालाँकि, यह शर्त है कि कोई पार्टी खंड 4.1.2 या खंड 4.1.3 के नियमों के अनुसार, जैसा भी हो, दूसरी पार्टी द्वारा किसी भी पहले की शर्त को पूरा करने से छूट दे सकती है, और ऐसी छूट की सीमा तक, वह पहले की शर्त इस खंड 4.1.1 के मकसद के लिए पूरी हुई मानी जाएगी।

4.1.2 रियायतग्राही, अनुच्छेद 9 के अनुसार प्राधिकरण को निष्पादन सुरक्षा प्रदान करने पर, नोटिस द्वारा प्राधिकरण से इस खंड 4.1.2 में निर्धारित पूर्व शर्तों में से किसी एक या सभी को नोटिस में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने की मांग कर सकता है, और ऐसी अवधि रियायतग्राही को निष्पादन सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उपलब्ध अवधि से कम नहीं होगी, और प्राधिकरण द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्व शर्तें तब पूरी मानी जाएंगी जब प्राधिकरण उन्हें पूरा कर देगा।

(क) रियायतग्राही के लिए, साइट पर जाने का अधिकार, खंड 10.3 के प्रावधान के अनुसार खरीदा गया;

(ख) रियायतग्राही के पक्ष में विद्यमान अनुबंधों का नवीकरण, इस सीमा तक कि ऐसा नवीकरण संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है;

(ग) पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से, रियायतग्राही को ऐसे मौजूदा अनुबंध के संबंध में प्राधिकरण के एजेंट के रूप में उसकी ओर से काम करने का अधिकार दिया गया है, जिसे किसी भी कारण से रियायतग्राही के पक्ष में नोवेटेड नहीं किया जा सकता है।

(घ) नीचे दिए गए संबंधित समझौते पूरे किए हों (बशर्त कि रियायतग्राही अपनी संबंधित ज़िम्मेदारियों का पालन कर रहा हो):

(i) अनुसूची एम में दिए गए प्रारूप में एस्करो समझौता:

(ii) अनुसूची द में दिए गए फॉर्म में मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग; और

(iii) अनुसूची थ में दिए गए फॉर्म में सीएनएस/एटीएम समझौते

खुद से, या संबंधित एंटीटी द्वारा, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही से इसकी सही तरह से एग्जीक्यूट की गई कॉपी मिलने और उसके तहत सभी शर्तों का पालन करने पर, जो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए ज़रूरी हो सकता है।

4.1.3 इस समझौते में खास तौर पर कुछ और न बताया गया हो, तो इस समझौते की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के अंदर रियायतग्राही को जिन शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है, वे तब पूरी मानी जाएंगी, जब रियायतग्राही, प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन, ये काम करेगा:

(क) प्राधिकरण को धारा 9.1 के अनुसार प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान की;

(ख) परियोजना के आरंभ के लिए आवश्यक सभी लागू परमिट बिना शर्त प्राप्त कर लिए गए हैं, या यदि शर्तों के अधीन हैं, तो उसमें निर्दिष्ट तिथि तक पूरी की जाने वाली ऐसी सभी शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हो गई होंगी, और ऐसे लागू परमिट पूरी तरह से लागू हैं;

(ग) अनुसूची ड में दिए गए फॉर्म में एस्क्रो समझौते को पूरा किया गया है और वह उसकी शर्तों के अनुसार लागू हो जाएगा,

(घ) अनुसूची द में दिए गए फॉर्म में सीएनएस/एटीएम समझौते को पूरा किया और हासिल किया और यह उसकी शर्तों के अनुसार लागू हो जाएगा:

(ङ) आरएफपी और इस समझौते की आवश्यकताओं के अनुसार रियायतग्राही की शेयरधारिता बनाए रखी;

(च) चयनित बोलीदाता से प्राधिकरण को दी गई, इस समझौते के खंड 7.1 के उप-खंड (ग), (घ), (छ), (ज), (ट), (ठ), (ण) और (त) में निर्धारित अभ्यावेदन और वारंटियों की सत्यता की पुष्टि;

(छ) इस समझौते में प्रवेश करने के लिए रियायत प्राप्तकर्ता के अधिकार और इसके प्रावधानों की प्रवर्तनीयता के संबंध में रियायत प्राप्तकर्ता के कानूनी सलाहकार से कानूनी राय प्राधिकरण को दी गई;

(ज) प्राधिकरण को सौंपा गया:

(क) पहले 7 (सात) रियायत वर्षों में किए जाने वाले निर्माण कार्यों की सूची, कार्यों पर उचित ध्यान देते हुए:



क. वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा रहा है, और

ख. समझौते पर साइन करने की तारीख को प्राधिकरण द्वारा लागू करने का प्रस्ताव (और जैसा अनुसूची प में बताया गया है),

(ख) ऐसे निर्माण कार्यों के पूरा होने की निर्धारित तिथि;

(i) अनुसूची आर में दिए गए फॉर्म में समझौता ज्ञापन को निष्पादित और प्राप्त किया गया है और यह उसके नियमों के अनुसार प्रभावी हो जाएगा।

बशर्ते कि रियायतग्राही के लिखकर निवेदन करने पर, प्राधिकरण अपने हिसाब से, सीओडी पाने के मकसद से इस खंड 4.1.3 में बताई गई किसी भी शर्त को माफ कर सकती है। प्राधिकरण अपने हिसाब से, ऐसी शर्तों के साथ कोई भी छूट दे सकती है जो उसे ठीक लगे।

4.1.4 प्रत्येक पक्ष निर्धारित समय में पूरी क्षमता से उदाहरण की शर्तों को पूरा करने का प्रयास करेगा और दूसरे पक्ष को भी ऐसा ही सहयोग प्रदान करेगा जैसा उदाहरण की शर्तों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो और वह जिसके लिए उत्तरदायी हो।

4.1.5 पार्टियां कोशिश करेगी और दूसरी पार्टी को ऐसा सही सहयोग देगी जो उस पार्टी को उन पहले से तय शर्तों को पूरा करने में मदद करने के लिए ज़रूरी हो, जिनके लिए वह पार्टी ज़िम्मेदार है। एक-दूसरे को महीने में कम से कम एक बार लिखकर बताएंगी कि पिछली शर्तों को पूरा करने में कितनी प्रोग्रेस हुई है। हर पार्टी को तुरंत दूसरी पार्टी को बताना होगा जब कोई पिछली शर्त पूरी हो जाती है, जिसके लिए वह ज़िम्मेदार है।

## 4.2 रियायतग्राही द्वारा देरी के लिए हर्जाना

यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि— (क) रियायतग्राही खण्ड 4.1.3 में निर्धारित किसी एक या सभी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति अथवा उनके अधित्याग को उस खण्ड में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सुनिश्चित नहीं करता है; और (ख) ऐसा विलम्ब, खण्ड 4.1.2 के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति में विफलता अथवा इस करार के अधीन प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी अन्य उल्लंघन के कारण या अप्रत्याशित घटना के कारण नहीं हुआ है, तो रियायतग्राही, ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति होने तक, प्रत्येक दिन के विलम्ब के लिए कार्य-निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) की राशि के 0.3% (शून्य दशमलव तीन प्रतिशत) की दर से परिकलित क्षतिपूर्ति प्राधिकरण को अदा करेगा, जो अधिकतम कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की राशि के 20% (बीस प्रतिशत) के बराबर राशि तक सीमित होगी। उक्त अधिकतम

सीमा तक क्षतिपूर्ति पहुँच जाने पर, प्राधिकरण, अपने एकमात्र विवेकाधिकार से तथा खण्ड 9.2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस करार को समाप्त कर सकता है। परन्तु यह कि, यदि खण्ड 4.1.2 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करने में प्राधिकरण की ओर से हुआ विलम्ब, खण्ड 4.1.3 के अधीन रियायतग्राही द्वारा पूरी की जाने वाली किसी पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, तो खण्ड 4.2 के अधीन रियायतग्राही द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय या भुगतान योग्य नहीं होगी, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा खण्ड 4.1.2 में विनिर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित नहीं कर दी जाती। इस खण्ड 4.2 के अनुसार देय क्षतिपूर्ति का भुगतान, इस करार के किसी अन्य उपबंध के अधीन रियायतग्राही के दायित्वों से स्वतंत्र होगा। इस खण्ड के अधीन देय क्षतिपूर्ति, रियायतग्राही की ओर से हुए विलम्ब के संबंध में प्राधिकरण को उपलब्ध एकमात्र उपचार होगी।

#### **4.3 देरी होने पर माना गया टर्मिनेशन**

4.3.1 खंड 4.2 के नियमों पर बिना किसी असर के, और खंड 9.1 और खंड 9.2 के नियमों के तहत, पार्टियां साफ़ तौर पर सहमत हैं कि अगर इस समझौते के लागू होने की तारीख से 270 (दो सौ सत्तर) दिन या इस समझौते की शर्तों के अनुसार या पार्टियों के बीच किसी और तरह से तय की गई अवधि खत्म होने से पहले, किसी भी वजह से, पहले की शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो इस समझौते के तहत या इससे मिलने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकार, खास अधिकार, दावे और हक, रियायतग्राही की सहमति से छोड़ दिए गए माने जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, और यह समझौता पार्टियों की आपसी सहमति से खत्म माना जाएगा। लेकिन, अगर कंघशंस प्रीसीडेंट को पूरा करने में देरी रियायतग्राही की वजह से होती है, तो ऊपर दिए गए खंड 4.2 के नियमों के बावजूद, रियायतग्राही की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को प्राधिकरण द्वारा क्षति के तौर पर कैश और इस्तेमाल किया जाएगा।

4.3.2 ऐसे टर्मिनेशन पर: हर सिलेक्टेड बोलीर और रियायतग्राही को, अगर कोई देयता बनी है, तो उसे, किसी भी तरह से, ऐसे टर्मिनेशन के 7 (सात) दिनों के अंदर खत्म करना होगा।

#### **4.4 प्राधिकरण द्वारा देरी के लिए हर्जाना**

यदि (i) प्राधिकरण, खंड 4.1.2 में निर्धारित किसी एक या सभी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति निर्धारित अवधि के भीतर सुनिश्चित नहीं करता है, और (ii) ऐसी देरी रियायतग्राही द्वारा इस करार के उल्लंघन या अप्रत्याशित घटना के कारण नहीं हुई है, तो प्राधिकरण, ऐसी पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति होने तक प्रत्येक दिन की देरी के लिए निष्पादन प्रतिभूति के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) की दर से रियायतग्राही

को क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा, जो अधिकतम निष्पादन प्रतिभूति के 20% (बीस प्रतिशत) तक सीमित होगा।

## अनुच्छेद 5. रियायतग्राही के दायित्व

### 5.1 रियायतग्राही के दायित्व

5.1.1 इस समझौते के नियमों और शर्तों के तहत, रियायतग्राही अपने खर्च पर, लागू परमिट, लागू कानूनों, इस समझौते के नियमों के अनुसार, विमानपत्तन के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए फाइनेंस खरीदेगा और उसे पूरा करेगा। साथ ही, इस समझौते में बताई गई या इसके तहत आने वाली अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को मानेगा, पूरा करेगा और निभाएगा।

5.1.2 रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में सभी लागू कानूनों और लागू परमिट (ज़रूरत के हिसाब से रिन्यूअल सहित) का पालन करेगा।

5.1.3 रियायतग्राही, इस समझौते के लागू रहने के दौरान, प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए ज़रूरी, लागू परमिट में बताई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।

5.1.4 इस समझौते या लागू कानूनों में दिए गए किसी और प्रावधान को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, हर समय गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस का पालन करेगा।

5.1.5 रियायतग्राही समय-समय पर इस समझौते और गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस के उपबंधों के अनुसार वैमानिकी परिसंपत्तियाँ और नॉन-वैमानिकी परिसंपत्तियाँ का एक्सपेंशन या ऑगमेंटेशन करेगा।

5.1.6 इस समझौते में साफ़ तौर पर दिए गए नियमों के अलावा, रियायतग्राही को इस समझौते के रहने के दौरान, विमानपत्तन, किसी भी वैमानिकी सेवा, नॉन-वैमानिकी सेवा और दूसरी सेवा, या उनमें स्टोर किए गए सामान के संबंध में, जो किसी भी सरकारी संस्था द्वारा लगाया जा सकता है, सभी कर और दूसरे सभी कानूनी चार्ज, बकाया, असेसमेंट या खर्च देने होंगे।

5.1.7 रियायतग्राही, अपने खर्च पर, इस समझौते में कहीं और बताई गई अपनी ज़िम्मेदारियों के अलावा, न कि उनसे अलग हटकर, ये करेगा:

(क) लागू परमिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक विवरण और ब्यौरे के साथ प्रासंगिक सरकारी निकायों को आवश्यक आवेदन करना या करवाना, और लागू कानूनों के अनुरूप ऐसे लागू परमिट प्राप्त करना तथा उन्हें लागू रखना;

(ख) आवश्यकतानुसार, हवाई अड्डे में प्रयुक्त या शामिल की गई सामग्री, विधियों, प्रक्रियाओं, तकनीकी जानकारी और प्रणालियों के लिए उचित मालिकाना अधिकार, लाइसेंस, समझौते और अनुमतियां प्राप्त करना;

(ग) वित्तपोषण समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना;

(घ) इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में अपने या अपने ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मियों के बीच सामंजस्य और अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए उचित प्रयास करना;

(ङ) यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना कि उसके ठेकेदार इस समझौते के तहत किसी भी रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन में सभी लागू परमिटों और लागू कानूनों का अनुपालन करते हैं;

(च) हमेशा इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप तरीके से कार्य करें और जानबूझकर या अन्यथा ऐसा कोई कार्य, काम या बात न करें या करने में विफल न हों, जिससे किसी भी तरह से इस समझौते के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होगा;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि हवाई अड्डे के अंदर सभी सुविधाएं और सुख-सुविधाएं इस समझौते और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार संचालित और रखरखाव की जाती हैं और यह सुनिश्चित करना कि उपयोगकर्ताओं को इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिट के प्रावधानों के अनुसार उनके उपयोग के लिए गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच प्राप्त हो;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि उपयोगकर्ताओं के साथ उचित शिष्टाचार और विचार के साथ व्यवहार किया जाए तथा उन्हें सेवाओं और सूचनाओं तक आसान पहुंच प्रदान की जाए;

(झ) इस अनुबंध, लागू कानूनों तथा लागू परमिटों के उपबंधों के अनुसार हवाई अड्डे पर वैमानिकी सेवाएं तथा गैर- वैमानिकी सेवाएं प्रदान करना अथवा प्रदान करवाना ;

(ञ) हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाओं के प्रावधान और प्रचालन के लिए, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी को सभी समर्थन और सहायता प्रदान करना;

(ट) खंड 18.12.1 के तहत, विमानपत्तन को बिजली, टेलीसंचार सेवा, पानी और दूसरी ऐसी यूटिलिटीज़ की सप्लाई इस समझौते की तारीख के लेवल से कम नहीं होगी। इसमें वैमानिक सेवा और नॉन-वैमानिक सेवा के रख-रखाव के लिए ज़रूरी यूटिलिटीज़ की सप्लाई के लिए स्टैंडबाय इंतज़ाम करना

शामिल है , अगर सप्लाई में रुकावट या फेलियर होता है, और विमानपत्तन और अलग-अलग वैमानिक सेवा और गैर-वैमानिकसेवा के यूजर्स के लिए लागू कानूनों के अनुसार ऐसी यूटिलिटीज़ की उपलब्धता का भी इंतज़ाम करना शामिल है:

बशर्ते कि यह ज़िम्मेदारी सिर्फ़ सीओडी से 6 (छह) महीने बाद की तारीख से शुरू होगी, और उस तारीख तक प्राधिकरण द्वारा किए गए मौजूदा इंतज़ामों के तहत ऐसी यूटिलिटीज़ की सप्लाई जारी रहेगी। यह साफ़ किया जाता है कि रियायतग्राही को ऊपर बताए गए 6 (छह) महीने के समय के दौरान ऐसी यूटिलिटीज़ की सप्लाई के संबंध में सभी पेमेंट करने होंगे, इस शर्त के साथ कि प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को संबंधित इनवॉइस, प्राधिकरण को ऐसे इनवॉइस मिलने के 7 (सात) दिनों के अंदर दिए जाएंगे।

(ठ) इस समझौते, लागू कानूनों तथा लागू परमिटों के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन और प्रचालन में प्राधिकरण का समर्थन, सहयोग तथा सुविधा प्रदान करना;

(ड) इस समझौते की समाप्ति पर इसके प्रावधानों के अनुसार परियोजना परिसंपत्तियों को प्राधिकरण को हस्तांतरित करना, और

(ढ) मौजूदा विमानपत्तन परिसंपत्तियाँ का ऑपरेट करना, रख-रखाव करना और रिनोवेशन करना (अगर ज़रूरी हो तो), जिसमें टर्मिनल भवन, रनवे, कार्गो टर्मिनल, कार पार्क, एप्रन, टैक्सीवे और अनुसूची क के अनुलग्नक 1 में दिए गए दूसरे विमानपत्तन परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

## **5.2 प्रोजेक्ट समझौते से संबंधित दायित्व**

5.2.1 रियायतग्राही, इस समझौते के समय के दौरान, प्रोजेक्ट समझौते या किसी दूसरे समझौते में लिखी किसी भी बात के बावजूद, इस समझौते के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों के लिए ज़िम्मेदार और लायबल होगा, और किसी भी प्रोजेक्ट समझौते या किसी दूसरे समझौते के तहत कोई भी गलती रियायतग्राही को उसकी ज़िम्मेदारियों या देयता से छूट नहीं देगी या प्राधिकरण की तरफ से कोई और ज़िम्मेदारी या देयता नहीं लगाएगी।

5.2.2 इस समझौते की अनुसूची के रूप में संलग्न परियोजना करारों को छोड़कर, प्राधिकरण को समय-समय पर सभी परियोजना करारों (के प्रारूपों अथवा उनमें किए गए किसी संशोधन या उनके प्रतिस्थापन के प्रारूपों तक पहुँच प्राप्त करने का अधिकार होगा, किंतु ऐसा करना प्राधिकरण का दायित्व नहीं होगा। प्राधिकरण यह अधिकार भी सुरक्षित रखता है कि वह रियायतग्राही द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ

परियोजना से संबंधित, उससे उत्पन्न होने वाले अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में किए जाने वाले सभी करारों, अनुबंधों, उप-पट्टों, उप-अनुज्ञप्तियों तथा किसी अन्य महत्वपूर्ण करार या अनुबंध की सत्य प्रतियाँ माँग सके और प्राप्त कर सके, भले ही ऐसे अनुबंध का वार्षिक प्रतिफल ₹25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) से कम हो।

5.2.3 रियायतग्राही, प्राधिकरण को पहले से लिखकर जानकारी दिए बिना किसी भी फाइनेंसिंग समझौते में कोई बदलाव, रिप्लेसमेंट या बदलाव नहीं करेगा।

5.2.4 विमानपत्तन के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के मकसद से, जिसमें वैमानिकी सर्विसेज और नॉन-वैमानिकी सर्विसेज शामिल हैं, इस समझौते में बताई गई बातों को छोड़कर, रियायतग्राही किसी भी प्रोजेक्ट एसेट पर कोई एन्कम्ब्रेंस नहीं डालेगा या किसी भी तरह से नहीं बनाएगा। यह साफ़ किया जाता है कि यह खंड सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होगा, जो खंड 25.6 के तहत आएगा।

5.2.5 रियायतग्राही यह पक्का करेगा कि, उन प्रोजेक्ट समझौते को छोड़कर जिनमें प्राधिकरण या कोई सरकारी कंपनी एक पार्टी है, हर प्रोजेक्ट समझौते में ऐसे नियम होंगे जो प्राधिकरण को टर्मिनेशन या निलंबन ("क्वर्नेट") की स्थिति में, अपने विवेक से, रियायतग्राही की जगह लेने का अधिकार देंगे। यह साफ़ तौर पर सहमति है कि अगर प्राधिकरण हस्तांतरण तिथिसे 90 (नब्बे) दिनों से ज़्यादा समय के अंदर बदलने के ऐसे अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करती है, तो प्रोजेक्ट समझौते हस्तांतरण तिथिसे लागू नहीं माने जाएंगे और प्राधिकरण पर कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं होगी और क्वर्नेट में ऐसी स्थिति के लिए साफ़ तौर पर प्रावधान होगा। रियायतग्राही स्पष्ट रूप से ऐसे सभी परियोजना करारों में अनुबंध को शामिल करने के लिए सहमत है और यह वचन देता है कि वह ऐसे प्रत्येक परियोजना करार के संबंध में, प्राधिकरण को ऐसे प्रत्येक परियोजना करार के प्रतिपक्ष(यों) से प्राधिकरण को स्वीकार्य प्रपत्र में एक पावती और वचनपत्र प्राप्त करेगा और उसे सौंपेगा, जिसके तहत ऐसे प्रतिपक्ष(यों) अनुबंध को अभिस्वीकृत और स्वीकार करेंगे तथा उससे बाध्य रहने तथा समाप्ति या निलंबन की स्थिति में प्राधिकरण से किसी भी प्रकार की राहत या उपाय की मांग नहीं करने का वचन देंगे।

यह साफ़ किया जाता है कि यह समझौता सभी समझौते, अनुबंध, सब-लीज़, सब-लाइसेंस और किसी भी दूसरे ज़रूरी समझौते या अनुबंध का हिस्सा नहीं होगा, जो रियायतग्राही किसी भी व्यक्ति के साथ सिटी साइड विकास से जुड़े, उससे जुड़े या उससे जुड़े मामलों के संबंध में कर सकता है, ये अनुबंध खंड 25.7 के तहत आएंगे।

5.2.6 प्रोजेक्ट समझौते के तहत दी गई सिक्योरिटी डिपॉज़िट, किसी भी 3 (तीन) अकाउंटिंग साल की अवधि में, संबंधित प्रोजेक्ट समझौते के तहत रियायतग्राही को मिलने वाले किराए और दूसरे राजस्व के कुल योग से ज़्यादा नहीं होगी।

यह साफ़ किया जाता है कि यह रोक सभी समझौते, अनुबंध, सब-लीज़, सब-लाइसेंस और किसी भी दूसरे ज़रूरी समझौते या अनुबंध पर लागू होगी, जो रियायतग्राही किसी भी व्यक्ति के साथ प्रोजेक्ट से जुड़े, उससे होने वाले या उससे जुड़े मामलों के संबंध में कर सकता है, भले ही अनुबंध का मुनाफ़ा सालाना Rs. 25,00,00,000/- (Rs. पच्चीस करोड़) से कम हो।

5.2.7 इस करार में इसके विपरीत निहित किसी भी प्रावधान के होते हुए भी, रियायतग्राही सहमत होता है और स्वीकार करता है कि किसी एक या सभी EPC ठेकेदारों अथवा O&M ठेकेदारों का चयन या प्रतिस्थापन तथा सभी EPC अनुबंधों अथवा O&M अनुबंधों (O&M Contracts) का निष्पादन, लोकहित के दृष्टिकोण से प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से नामित भारत सरकार अभिकरण की पूर्व स्वीकृति के अधीन होगा। इस संबंध में प्राधिकरण तथा नामित भारत सरकार अभिकरण का निर्णय अंतिम, निर्णायक तथा रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही यह वचन देता है कि ऐसी पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना वह ऐसे किसी चयन या अनुबंध को प्रभावी नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि इसके अंतर्गत नामित भारत सरकार अभिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति क्रमशः केवल राष्ट्रीय सुरक्षा तथा लोकहित के दृष्टिकोण तक ही सीमित होगी। यह भी सहमति है कि ऐसी स्वीकृति प्रदान किए जाने या अन्यथा प्रदान न किए जाने के कारण प्राधिकरण किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा तथा ऐसी स्वीकृति अथवा उसकी अस्वीकृति किसी भी प्रकार से रियायतग्राही अथवा उसके EPC ठेकेदारों या O&M ठेकेदारों को इस करार के अंतर्गत किसी दायित्व या बाध्यता से मुक्त नहीं करेगी।

### **5.3 स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित दायित्व**

5.3.1 रियायतग्राही, प्राधिकरण की पहले से लिखी हुई मंजूरी के बिना, स्वामित्व में कोई बदलाव नहीं करेगा या उसकी इजाज़त नहीं देगा।

5.3.2 इस समझौते में किसी भी उलटी बात के बावजूद, रियायतग्राही सहमत है और मानता है कि:

(क) किसी एक्वायरर द्वारा हिस्सेदारी के सभी एक्विजिशन, चाहे वह खुद हो या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर, डायरेक्टली या अप्रत्यक्षली, जिसमें किसी भी हिस्सेदारी के डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष



लीगल या बेनिफिशियल स्वामित्व या कंट्रोल का ट्रांसफर शामिल है, जो रियायतग्राही की टोटल हिस्सेदारी का कुल 15% (पंद्रह परसेंट) या उससे ज़्यादा हो, या

(ख) किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं अथवा उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ मिलकर रियायतग्राही के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी नियंत्रण का अधिग्रहण,

स्वामित्व में परिवर्तन होगा जिसके लिए केवल सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण से प्राधिकरण की और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से नामित भारत सरकार एजेंसी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। इस संबंध में प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक और रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही यह वचन देता है कि वह प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना हिस्सेदारी के ऐसे किसी अधिग्रहण या रियायतग्राही के निदेशक मंडल के नियंत्रण को प्रभावी नहीं करेगा। नामित भारत सरकार एजेंसी और प्राधिकरण का अनुमोदन क्रमशः राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के दृष्टिकोण तक ही सीमित होगा, और प्राधिकरण इस पर अपना निर्णय शीघ्रता से बताने का प्रयास करेगा। प्राधिकरण ऐसे अनुमोदन के अनुदान, देरी या अन्यथा के कारण किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसा अनुमोदन, देरी, इनकार या अन्यथा किसी भी तरह से इस समझौते के तहत किसी भी देयता या दायित्व से रियायतग्राही को मुक्त नहीं करेगा।

इस खंड 5.3.2 के मकसद के लिए:

(i) "अधिग्रहणकर्ता", "नियंत्रण" तथा "संगठित रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति" पदों का वही अर्थ है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियमन, 2011 या उसके किसी वैधानिक पुनः अधिनियमन में यथा प्रभावी है, जो हिस्सेदारी के अधिग्रहण की तिथि को अथवा रियायतग्राही के निदेशक मंडल के नियंत्रण, जैसा भी मामला हो, के अधीन है;

(ii) हिस्सेदारी के कानूनी या लाभकारी स्वामित्व के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण या नियंत्रण का अर्थ भारत या विदेश में किसी भी कंपनी या कंपनियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण का हस्तांतरण होगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिग्रहणकर्ता को रियायतकर्ता के शेयरों या शेयरों के वोटिंग अधिकारों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, और

(iii) किसी भी कंपनी के शेयरों के नियंत्रण या अधिग्रहण के आधार पर, अनुबंध द्वारा या नियंत्रण के आधार पर, सीधे या एक या एक से अधिक कंपनियों के माध्यम से (चाहे भारत में स्थित हो या विदेश

में) रियायतकर्ता की हिस्सेदारी, रियायतकर्ता के निदेशक मंडल में आधे से कम निदेशकों या किसी भी कंपनी के, सीधे या परोक्ष रूप से, चाहे भारत में स्थित हो या विदेश में, रियायतकर्ता की हिस्सेदारी का 15% (पंद्रह प्रतिशत) या उससे अधिक का अंतिम नियंत्रण रखने वाली नियुक्त करने की शक्ति, रियायतकर्ता के निदेशक मंडल के नियंत्रण के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण का गठन करेगी।

5.3.3 रियायतग्राही इस बात से सहमत है कि अगर चुना गया बोलीर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है।

मुख्य रूप से रियायतग्राही में हिस्सेदारी रखने के मकसद से बनाया गया (ऐसा चुना हुआ बोलीर एक "प्रमोटर SPV" है), ऐसे प्रमोटर SPV में किसी भी शेयरहोल्डिंग का ट्रांसफर, इस समझौते के मकसद के लिए प्रमोटर SPV द्वारा हिस्सेदारी का अप्रत्यक्ष ट्रांसफर माना जाएगा और इस समझौते में बताए गए शेयरों के ट्रांसफर पर पाबंदियों के तहत होगा।

5.3.4 पार्टियों का इरादा है कि अगर रियायतग्राही को विकास फंडिंग की ज़रूरत हो, तो वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और/या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज(ज़) पर रियायतग्राही के शेयरों की लिस्टिंग करवा सकता है। ऐसी कोई भी लिस्टिंग खंड 5.3.1, 5.3.2 और/या 5.3.3 में बताई गई ज़िम्मेदारियों पर बिना किसी रोक-टोक के होगी।

#### **5.4 शेयरधारिता से संबंधित दायित्व**

प्राधिकरण, रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय, रियायतग्राही की किसी भी कैपिटल ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी भी तरह का सपोर्ट या गारंटी नहीं देगी।

#### **5.5 डीजीसीए अनुज्ञप्ति से जुड़ी ज़िम्मेदारियां**

5.5.1 रियायतग्राही DGCक से लागू परमिट खरीदेगा और उन्हें लागू रखेगा, और अगर ऐसे लागू परमिट शर्तों के तहत जारी किए जाते हैं, तो रियायतग्राही को हर समय ऐसी सभी शर्तों का पालन करना होगा।

5.5.2 रियायतग्राही के अनुरोध पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को DGCक से लागू परमिट पाने के लिए ज़रूरी मदद देने की कोशिश करेगी। यह मदद रियायतग्राही के DGCक में पूरी और सही एप्लीकेशन फाइल करने की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के अंदर दी जाएगी।

5.5.3 खंड 5.5.1 और खंड 5.5.2 के नियम, ज़रूरी बदलावों के साथ, इस समझौते के खत्म होने तक लागू परमिट के रिन्यूअल पर लागू होंगे।

#### **5.6 वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित दायित्व**

5.6.1 रियायतग्राही इस बात से सहमत है और वादा करता है कि वह विमानपत्तन के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए अनुबंध, सामान और सेवा सही, ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से खरीदेगा, और इस मामले में बिना किसी गलत फायदे या भेदभाव के। इसके लिए, वह सीओडी से 6 (छह) महीने के अंदर, एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बनाएगा जिसमें सामान और सेवा की सप्लाई के लिए अनुबंध देने में अपनाए जाने वाले प्रिंसिपल और प्रोसेस बताए जाएंगे, और पॉलिसी को आम जनता और सभी इंटरस्टेड पार्टियों की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर डालेगा। पॉलिसी में ये शामिल होंगे:

(क) इसमें हवाई अड्डे में निजी संस्थाओं को किसी स्थान, भवन, अधिकारों या विशेषाधिकारों के उप-पट्टे, उप-लाइसेंस या अनुदान या आवंटन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांत और प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

(ख) रियायतग्राही के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5.6.2 सामान, काम, सेवा, सब-लीज़, सब-लाइसेंस, या किसी दूसरे अधिकार या खास अधिकार की खरीद के लिए, जहाँ किसी भी अकाउंटिंग ईयर में (किसी भी तरह के डिपॉज़िट सहित) रकम 25,00,00,000/- रुपये (कुल मिलाकर, "अनुबंध") से ज़्यादा हो, रियायतग्राही ई-टेंडरिंग के ज़रिए खुली कॉम्पिटिटिव बोली लगाकर ऑफ़र बुलाएगा और खंड 5.6.1 में बताई गई पॉलिसी के हिसाब से अवॉर्ड पाने वालों को चुनेगा।

5.6.3 पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि रियायतग्राही आवेदकों की पूर्व-योग्यता निर्धारित करते हुए उनका निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संक्षिप्त चयन करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल अनुभवी एवं योग्य आवेदकों का ही अंतिम रूप से चयन किया जाए। ऐसा चयन स्वतंत्र पक्षों के बीच के आधार पर, वाणिज्यिक रूप से विवेकपूर्ण तरीके से तथा उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए किया जाएगा।

5.6.4 रियायतग्राही इसके द्वारा किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई सब्सिडियरी या जॉइंट वेंचर या इसी तरह का कोई और अरेंजमेंट नहीं करने के लिए सहमत है।

## **5.7 विदेशी नागरिकों के रोज़गार से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ**

रियायतग्राही यह मानता है, सहमत है और वादा करता है कि रियायतग्राही और/या उसके ठेकेदार और उनके सब-ठेकेदार द्वारा विदेशी लोगों को नौकरी देने के लिए ज़रूरी नियामक परमिट और मंजूरी देनी होगी, जिसमें रोज़गार/रेसिडेंशियल वीज़ा और वर्क परमिट और सिक्योरिटी क्लीयरेंस, अगर कोई हो,

शामिल हैं। ऐसी मंजूरी और परमिट के लिए अप्लाई करने और उन्हें पाने की ज़िम्मेदारी हमेशा रियायतग्राही की होगी और, इस समझौते में इसके उलट कुछ भी होने के बावजूद, रियायतग्राही या उसके किसी भी ठेकेदार या सब-ठेकेदार द्वारा ऐसी कोई भी मंजूरी और परमिट लेने से मना करना या न मिल पाना फ़ोर्स मेज्योर इवेंट नहीं माना जाएगा, और इससे किसी भी तरह से रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों को पूरा करने और उन्हें पूरा करने से छूट नहीं मिलेगी।

### **5.8 प्रशिक्षित कर्मियों के रोजगार से संबंधित दायित्व**

रियायतग्राही यह पक्का करेगा कि इस समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसके द्वारा रखे गए कर्मचारी हर समय अपने-अपने काम के लिए ठीक से ट्रेंड हों। रियायतग्राही लोकल कर्मचारियों को काम पर रखने के संबंध में लागू कानूनों और लागू परमिट का पालन करेगा, और प्रोजेक्ट को लागू करने, विकास और प्रचालन के दौरान लोकल कर्मचारियों को काम पर रखने की कोशिश करेगा।

### **5.9 सुरक्षा मंजूरी से संबंधित दायित्व**

इस समझौते में किसी भी उलटी बात के बावजूद, रियायतग्राही और उसके ठेकेदार और सब-ठेकेदार के कर्मचारियों, स्टाफ और लोगों का काम हमेशा लागू कानूनों के तहत ज़रूरी डेज़िगनेटेड भारत सरकार एजेंसी से सिक्योरिटी क्लीयरेंस के अधीन होगा, और सिर्फ वैलिड सिक्योरिटी क्लीयरेंस वाले लोगों को ही साइट पर जाने की इजाज़त होगी। यह सहमति है कि रियायतग्राही या उसके किसी भी ठेकेदार या सब-ठेकेदार द्वारा ऐसे किसी भी परमिट और अप्रूवल को लेने से मना करना या न कर पाना कोई फ़ोर्स मेज्योर इवेंट नहीं माना जाएगा, और किसी भी तरह से रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों को पूरा करने और उन्हें पूरा करने से छूट नहीं देगा। हालाँकि, यह बताया गया है कि यहाँ दी गई रोक साइट का हिस्सा बनने वाले सिटी साइड विकास पर लागू नहीं होगी।

### **5.10 गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच से संबंधित दायित्व**

लागू परमिट के तहत, रियायतग्राही विमानपत्तन को एक कॉमन प्रयोगकर्ता बेसिस पर ऑपरेट और मैनेज करेगा और इस समझौते के उपबंधों के अनुसार सभी एयरलाइंस, विमान और दूसरे लोगों को बिना भेदभाव वाला एक्सेस देगा और किसी भी प्रयोगकर्ता या उसके होने वाले प्रयोगकर्ता के खिलाफ कोई भी गलत या भेदभाव वाला तरीका अपनाने से बचेगा।

### **5.11 चिकित्सा सहायता से संबंधित दायित्व**

यूजर्स को इमरजेंसी मेडिकल मदद देने के लिए, रियायतग्राही विमानपत्तन पर एक मेडिकल एड पोस्ट बनाएगा और चलाएगा, जो फर्स्ट एड देने और आस-पास के हॉस्पिटल से इमरजेंसी मेडिकल मदद लेने में मदद करने के लिए तैयार होगा।

## 5.12 विमानपत्तन की सुंदरता से जुड़ी ज़िम्मेदारियां

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे के स्वरूप, दृशात्मक प्रस्तुति तथा सौंदर्यपरक गुणवत्ता का उच्च स्तर बनाए रखा जाए और उपयुक्त अभिकल्पना तथा दृष्टिगोचर होने वाले सभी तत्वों के संवेदनशील प्रबंधन के माध्यम से हवाईअड्डे का आसपास के परिदृश्य के स्वरूप के साथ समुचित एकीकरण किया जाए। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए कि हवाईअड्डे की अभिकल्पना उपर्युक्त सौंदर्यपरक मानकों को पूरा करती है, प्रतिष्ठित एवं अनुभवी वास्तुकारों तथा नगर एवं क्षेत्र नियोजकों की सेवाएँ प्राप्त करेगा। रियायतग्राही जाने-माने प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और टाउन योजनार को हायर करेगा ताकि यह पक्का हो सके कि विमानपत्तन का डिज़ाइन ऊपर बताए गए एस्थेटिक स्टैंडर्ड को पूरा करता है।

## 5.13 शोर नियंत्रण से संबंधित दायित्व

रियायतग्राही, विमानपत्तन से होने वाले शोर और यूजर्स और आस-पड़ोस पर पड़ने वाले उसके असर को कंट्रोल करने और कम करने के लिए लागू कानूनों और गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार सभी ज़रूरी कदम उठाएगा।

## 5.14 रियायतग्राही का एकमात्र उद्देश्य

5.14.1 रियायतग्राही को सिर्फ़ इस समझौते के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करने, अपनी ज़िम्मेदारियों और देनदारियों को पूरा करने और पूरा करने के मकसद से बनाया गया है, यानी विमानपत्तन का प्रचालन, प्रबंधन और विकास। रियायतग्राही इसके ज़रिए यह सहमत है कि वह किसी भी एंटीटी में कोई शेयरहोल्डिंग इंटरैस्ट या किसी और तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं रखेगा, या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई और अरेंजमेंट नहीं रखेगा, जिससे वह कोई और बिज़नेस एक्टिविटी कर सके।

5.14.2 रियायतग्राही इस बात से सहमत है कि वह किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई सब्सिडियरी या जॉइंट वेंचर या इसी तरह का कोई और अरेंजमेंट नहीं करेगा।

### 5.15 हवाई अड्डे की ब्रांडिंग

5.15.1 विमानपत्तन या उसके किसी भी हिस्से को रियायतग्राही या उसके शेयरहोल्डर्स के नाम या पहचान को एडवर्टाईज़ करने, दिखाने या दिखाने के लिए किसी भी तरह से ब्रांड नहीं किया जाएगा। नॉर्मल बिज़नेस के दौरान ज़रूरी होने पर और हमेशा प्राधिकरण के नाम के साथ, रियायतग्राही यह वादा करता है कि वह किसी भी तरह से विमानपत्तन के नाम या पहचान का इस्तेमाल अपनी पहचान, ब्रांड हिस्सेदारी या बिज़नेस इंटरेस्ट, जिसमें उसके शेयरहोल्डर्स के इंटरेस्ट भी शामिल हैं, को एडवर्टाईज़ करने या दिखाने के लिए नहीं करेगा।

5.15.2 विमानपत्तन को हमेशा सिर्फ "चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल विमानपत्तन" के नाम से जाना, प्रमोट, दिखाया, एडवर्टाईज़ और ब्रांड किया जाएगा, और रियायतग्राही हर समय, किसी भी एडवर्टाईज़मेंट, डिस्प्ले, रिफ्लेक्शन, ब्रांडिंग या किसी और मकसद के लिए, विमानपत्तन को उसी नाम से दिखाएगा। अगर वह यूज़र्स के लिए दूसरी पब्लिक नोटिस दिखाने वाली जगहों पर अपना या अपने शेयरहोल्डर्स का नाम दिखाना चाहता है, तो उससे पहले प्राधिकरण का नाम लिखा जाएगा।

5.15.3 रियायतग्राही यह पक्का करेगा कि विमानपत्तन पर या उसके संबंध में किसी भी विज्ञापन, डिस्प्ले या किसी और चीज़ में प्राधिकरण का लोगो उसी रूप और तरीके से होगा, जैसा प्राधिकरण समय-समय पर बताएगी।

### 5.16 दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं

रियायतग्राही, मिनिस्ट्री ऑफ़ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या उसके किसी विकल्प द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों और गाइडलाइंस के अनुसार, विमानपत्तन इस्तेमाल करने वाले दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए बिना रुकावट वाला माहौल बनाएगा

## अनुच्छेद 6. प्राधिकरण के दायित्व

### 6.1 प्राधिकरण के दायित्व

6.1.1 प्राधिकरण अपने खर्च पर इस समझौते में बताई गई या इसके तहत आने वाली सभी ज़िम्मेदारियों का पालन करेगी और उन्हें पूरा करेगी।

6.1.2 प्राधिकरण रियायतग्राही को सपोर्ट देने के लिए सहमत है और इस समझौते और लागू कानूनों के नियमों के अनुसार, नीचे दी गई बातों का पालन करने, उनका पालन करने और उन्हें पूरा करने का वादा करती है:

(क) रियायत प्राप्तकर्ता के लिखित अनुरोध पर, और रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन करने के अधीन, हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के लिए किसी भी सरकारी संस्था से आवश्यक लागू परमिट प्राप्त करने के लिए उचित समर्थन और सहायता प्रदान करना, रियायत प्राप्तकर्ता की लागत और खर्च पर;

(ख) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, रियायतग्राही को पानी और बिजली सहित सभी आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं और उपयोगिताओं तक पहुँच प्राप्त करने में उचित सहायता प्रदान करना, दरों और शर्तों पर जो रियायतग्राही के लिए सामान्य रूप से समान उपयोगिता ग्राहकों को उपलब्ध दरों और शर्तों से कम अनुकूल नहीं होनी चाहिए, जो कि लगभग समान सेवाएँ प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यह पक्का करना कि विमानपत्तन पर या उसके आस-पास कोई भी सरकारी संस्था या उसके ज़रिए या उसके तहत दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, सुरक्षा ज़रूरतों, इमरजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा, या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर, कोई रुकावट न खड़ी करे या न रखे,

(घ) लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन और उनके अनुसार, रियायतग्राही को साइट और हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ताओं को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करना;

(ङ) उपयोगकर्ताओं के विनियमन, अतिचारियों को हटाने तथा हवाई अड्डे पर या उस पर सुरक्षा के लिए नामित भारत सरकार एजेंसी से सहायता प्राप्त करने में रियायतग्राही की मदद करना;

(च) ऐसा कोई कार्य, कर्म या बात न करना या करने से चूकना, जो किसी भी तरह से इस समझौते के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हो;

(छ) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास में रियायतकर्ता का समर्थन, सहयोग और सुविधा प्रदान करना;

(ज) रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर और खंड 5.7 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही और रियायतग्राही या उसके ठेकेदारों के किसी भी प्रवासी कर्मचारी को इस समझौते और प्रोजेक्ट समझौते के तहत अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए लागू वीजा और वर्क परमिट पाने में उचित मदद देना;

(झ) सीओडी के 12 (बारह) हफ्तों के अंदर, उपकरण की वारंटी और रख-रखाव अनुबंध के तहत बेनिफिशियरी के तौर पर रियायतग्राही को नॉमिनेट करें, और अगर किसी वजह से ऐसा नॉमिनेशन मुमकिन न हो, तो यह पक्का करें कि उपकरण के बारे में ऐसी वारंटी और रख-रखाव अनुबंध अच्छे से मेंटेन और मैनेज किए जाएं, ताकि उपकरण का रख-रखाव, जैसा भी मामला हो, ऐसी वारंटी या अनुबंध के हिसाब से हो; और

(ञ) रियायतग्राही को हवाई अड्डे के सभी 'एज़-बिल्ट ड्राइंग' (यथानिर्मित चित्र) उपलब्ध कराने के प्रयास करें, जिसमें मौजूदा सुविधाओं, यूटिलिटीज़ और सेवाओं के स्पेसिफिकेशन और उनके रखरखाव के रिकॉर्ड शामिल हों। रियायतग्राही को हवाई अड्डे के सभी 'निर्मित चित्र' उपलब्ध कराने का प्रयास करना, जिसमें मौजूदा सुविधाओं, उपयोगिताओं और सेवाओं के विनिर्देश शामिल हैं।

## **6.2 सीओडी से पहले रखरखाव की ज़िम्मेदारियाँ**

सीओडी से पहले, प्राधिकरण अपने खर्च पर विमानपत्तन का रख-रखाव करेगी, ताकि बोली की इयू डेट से 7 (सात) दिन पहले की हालत की तुलना में इसकी हालत कभी भी बहुत खराब न हो, और नॉर्मल टूट-फूट के अलावा किसी भी तरह की खराबी या नुकसान होने पर, उसकी मरम्मत करेगी, या सीओडी के बाद ऐसी मरम्मत के लिए स्वतंत्र अभियंताद्वारा तय की गई लागत और खर्च रियायतग्राही को देगी। प्राधिकरण सीओडी से पहले सिर्फ़ रूटीन रख-रखाव करेगी, और यह सिर्फ़ विमानपत्तन के सुरक्षित प्रचालन को पक्का करने के लिए, या बाढ़ या तेज़ बारिश जैसी अचानक होने वाली घटनाओं की वजह से बहुत ज़्यादा खराबी या नुकसान होने पर ही खास मरम्मत करेगी।

## **6.3 आरक्षित सेवाओं से संबंधित दायित्व**

6.3.1 इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार, प्राधिकरण नामित भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं, अनुच्छेद 20 के प्रावधानों के अनुसार सीएनएस/एटीएम सेवाओं की खरीद में समर्थन प्रदान करेगा, और हर समय यह



सुनिश्चित करेगा कि हवाई यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए सशक्त नामित भारत सरकार एजेंसी लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार रनवे पर विमानों की आवाजाही को सक्षम करेगी।

6.3.2 अनुच्छेद 20 के उपबंधों के तहत, प्राधिकरण इस समझौते और लागू कानूनों और लागू परमिट के उपबंधों के अनुसार सभी रिज़र्व सर्विसेज के परफॉर्मंस के लिए सपोर्ट देगी।

6.3.3 प्राधिकरण इस बात से सहमत है और यह वादा करती है कि रियायतग्राही को इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करने के लिए, प्राधिकरण अपने काम अच्छे से और गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार करेगी।

#### 6.4 मौजूदा अनुबंध के संबंध में दायित्व

6.4.1 प्राधिकरण, शुरुआती समय के दौरान, मौजूदा अनुबंध के तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेगी और उनका पालन करेगी, और अपने खर्च पर, रियायतग्राही के पक्ष में ऐसे अनुबंध और समझौते का नोवेशन करवाएगी, जो सीओडी से लागू होंगे और बाकी समय तक लागू रहेंगे। पार्टियां इस खंड 6.4.1 के तहत मौजूदा अनुबंध ("नोवेटेड अनुबंध") के नोवेशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज को पूरा करने के लिए सहमत हैं। रियायतग्राही इसके संबंध में देय सभी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करेगा।

6.4.2 अगर प्राधिकरण ऊपर बताए गए ("नॉन-नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स") के हिसाब से किसी मौजूदा अनुबंध का नोवेशन नहीं करवा पाती है, तो वह सीओडी से एक पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करेगी, जिसमें रियायतग्राही (अपने ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए काम करते हुए) को अपना अटॉर्नी और एजेंट बनाया जाएगा, जिसके पास नॉन-नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स के सर्विसेज तक सभी मकसदों और मकसदों के लिए उसकी तरफ से काम करने की पावर होगी, जिसमें ऐसे किसी भी नॉन-नोवेटेड अनुबंध के तहत प्राधिकरण को समय-समय पर मिलने वाले सभी फायदों को लेने और ऐसे नॉन-नोवेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स को उनकी शर्तों के हिसाब से खत्म करने की पावर भी शामिल है। रियायतग्राही ऐसे पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में देय सभी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करेगा।

6.4.3 सीओडी से और उसके पश्चात्, रियायतग्राही, अपने स्वयं के जोखिम एवं लागत पर, (1) नव-हस्तांतरित अनुबंधों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का; तथा (2) गैर-हस्तांतरित अनुबंधों के अंतर्गत प्राधिकरण के सभी दायित्वों का, इस प्रकार पालन एवं निष्पादन करेगा मानो रियायतग्राही ऐसे अनुबंधों का मूल पक्षकार हो। रियायतग्राही सहमत होता है और यह वचन देता है कि COD के पश्चात् उत्पन्न

होने वाले किसी भी नव-हस्तांतरित अनुबंध या गैर-हस्तांतरित अनुबंध के अंतर्गत या उसके संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार और प्रकृति की हानि, क्षति, लागत एवं व्यय के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी वादों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, मांगों और दावों से सरकारी क्षतिपूर्ति-प्राप्त व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, उनका प्रतिरक्षण करेगा तथा उन्हें सुरक्षित एवं किसी भी दायित्व से मुक्त रखेगा; सिवाय उस हानि, क्षति, लागत एवं व्यय के, जो COD के पश्चात् उत्पन्न हुआ हो, किंतु COD से पूर्व प्राधिकरण के किसी कार्य या चूक से संबंधित हो।

6.4.4 प्राधिकरण कोशिश करेगी कि (i) ऐसे किसी भी मौजूदा अनुबंध को रिन्यू न करे जो सीओडी के 6 (छह) महीने के अंदर खत्म होने वाले हैं या जो शुरुआती समय के दौरान खत्म हो गए हैं; और/या (ii) रियायतग्राही की पहले से लिखी हुई मंजूरी के बिना, तीसरे पक्ष के साथ नए अनुबंध न करे, जिन्हें बिना वजह रोका या देर नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि विमानपत्तन के सुरक्षित, आसान और बिना रुकावट के काम करने के लिए मौजूदा अनुबंध को रिन्यू करने और/या नया अनुबंध करने की ज़रूरत हो। लेकिन, यह भी ध्यान रखें कि जहाँ नया अनुबंध करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए ऊपर बताई गई बातों के हिसाब से रियायतग्राही की पहले से लिखी हुई मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नया अनुबंध सिर्फ किसी ऐसे मौजूदा अनुबंध के बदले में होगा जो शुरुआती समय के दौरान खत्म हो गया है या खत्म हो गया है, और ऐसा नया अनुबंध, पूरा होने पर, मौजूदा अनुबंध माना जाएगा। इसके अलावा, अगर किसी मौजूदा अनुबंध को रिन्यू करने की कोशिश की जाती है और/या कोई नया अनुबंध शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए इस सब-खंड के नियमों के मुताबिक रियायतग्राही की पहले से लिखी हुई मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, तो प्राधिकरण यह पक्का करेगी कि: (1) ऐसे रिन्यू किए गए मौजूदा अनुबंध और/या नए अनुबंध का समय 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों से ज़्यादा नहीं होगा; और (ii) मौजूदा अनुबंध को रिन्यू करने और/या नए अनुबंध को पूरा करने से पहले, प्राधिकरण रियायतग्राही से सलाह लेगी और उसके कमेंट्स पर विचार करेगी, जिसके लिए प्राधिकरण रियायतग्राही को नीचे दिए गए हर काम के लिए 15 (पंद्रह) कार्य दिवस देगी:

(क) नये अथवा विद्यमान अनुबंध के प्रस्तावित मसौदे की समीक्षा;

(ख) प्राधिकरण से क्लैरिफिकेशन मांगना; और

(ग) प्राधिकरण द्वारा दी गई क्लैरिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए रियायतग्राही के फाइनल कमेंट्स जमा करना।

#### 6.4.5 कार्य प्रगति पर

इस खंड 6.4 में किसी भी उलटी बात के बावजूद, रियायतग्राही प्राधिकरण को ऐसी रकम देने के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो अनुसूची में बताए गए कामों से जुड़े अनुबंध के संबंध में सीओडी पर प्राधिकरण द्वारा खर्च की गई हो। ऐसी रकम की जानकारी प्राधिकरण द्वारा सीओडी के 30 (तीस) दिनों के अंदर सपोर्टिंग दस्तावेज और डिटेल्स के साथ दी जाएगी और रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को 90 (नब्बे) दिनों के अंदर देनी होगी।

पार्टियां एक कमेटी बनाएंगी जिसमें रियायतग्राही, प्राधिकरण और ऐसे अनुबंध के तहत हर काउंटरपार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। यह कमेटी इन चीजों के लिए ज़िम्मेदार होगी: (क) रियायतग्राही और ऐसे अनुबंध के तहत काउंटरपार्टी के बीच किसी भी चर्चा और/या बातचीत को आसान बनाना, जिसमें काम में कोई भी बदलाव शामिल है, और (ख) ऐसे चल रहे कामों की प्रोग्रेस को कोऑर्डिनेट करना, आसान बनाना और मॉनिटर करना। सीओडी के बाद ऐसे चल रहे कामों को पूरा करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा खर्च उठाने के लिए रियायतग्राही ज़िम्मेदार होगा।

ऊपर उल्लिखित कार्याधीन परिसंपत्तियों के संबंध में COD तक प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय की राशि की रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किए जाने तथा रियायतग्राही द्वारा ऐसे कार्याधीन कार्यों को पूरा किए जाने पर, ऐसी कार्याधीन परिसंपत्तियाँ हवाईअड्डे का हिस्सा बन जाएंगी।

प्रतिपूर्ति की गई राशि प्राधिकरण को रियायतग्राही और इस तरह की कार्य-प्रगति वाली परिसंपत्तियों को पूरा करने के लिए रियायतग्राही द्वारा की गई अतिरिक्त राशि को नियामक द्वारा वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के उद्देश्य से ऐसी परिसंपत्तियों के निर्माण में रियायतग्राही द्वारा किए गए निवेश के रूप में माना जाएगा। इस घटना में कि इस खंड 6.4.5 के अनुसार प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि के किसी भी हिस्से को प्राधिकरण की ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण नियामक द्वारा पास-थ्रू के लिए नहीं माना जाता है, रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की गई राशि में किसी भी अंतर के लिए समायोजन और नियामक द्वारा पास-थ्रू के लिए विचार की गई राशि को संतुलन भुगतान के हिस्से के रूप में किया जाएगा जो नियामक द्वारा वैमानिकी शुल्क के निर्धारण के तुरंत बाद खंड 31.4 के अनुसार देय और देय हो जाता है।

## **6.5 प्राधिकरण के कर्मचारी**

6.5.1 इस खंड 6.5 के प्रयोजन के लिए:

(i) "चयनित कर्मचारियों" का अर्थ प्राधिकरण के उन कर्मचारियों से होगा जैसा कि अनुसूची एस (सहायक महाप्रबंधक के रैंक और नीचे के रैंक के) में निर्धारित किया गया है, जो प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे पर तैनात हैं और संयुक्त प्रबंधन अवधि और डीम्ड प्रतिनियुक्ति अवधि की अवधि के लिए हवाई अड्डे पर तैनात किए जाएंगे।

चयनित कर्मचारी शास्युक्त प्रबंधन अवधि या डीम्ड प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है या अन्यथा प्राधिकरण की सेवाओं से अलग हो गए हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि चयनित कर्मचारियों को एएआई द्वारा स्थानांतरित किए गए कर्मचारियों की सीमा तक कम नहीं किया जाएगा।

(ii) "संयुक्त प्रबंधन अवधि" का अर्थ सीओडी से शुरू होने वाली अवधि से होगा और उस तारीख को समाप्त होगा जो सीओडी के बाद 1 (एक) कैलेंडर वर्ष है।

(iii) "डीम्ड प्रतिनियुक्ति अवधि" का अर्थ संयुक्त प्रबंधन अवधि की समाप्ति से शुरू होने वाली अवधि से होगा और उस तारीख को समाप्त होगा जो 2 (दो) कैलेंडर वर्ष है।

6.5.2 चुनिंदा कर्मचारियों के अपवाद के साथ, रियायतग्राही के पास हवाई अड्डे के संबंध में सेवारत प्राधिकरण के मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा।

6.5.3 (i) उप महाप्रबंधक और उससे ऊपर के रैंक के प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी ("वरिष्ठ कार्मिक") सीओडी से 3 (तीन) महीने से अधिक की अवधि के लिए हवाई अड्डे पर प्रतिनियुक्त रहेंगे।

(ii) ऐसी 3 (तीन) महीने की अवधि की समाप्ति पर, वरिष्ठ कार्मिक को हवाई अड्डे से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा पुनः तैनात किया जाएगा।

(iii) यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही वरिष्ठ कार्मिकों के संबंध में कोई लागत वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिसकी लागत पूरी तरह से प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी।

6.5.4 रियायतग्राही संयुक्त प्रबंधन अवधि और डीम्ड प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए चयनित कर्मचारी लागत वहन करेगा।

6.5.5 खंड 6.5.4 के अधीन, रियायतग्राही प्राधिकरण को मासिक आधार पर ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो प्राधिकरण द्वारा चयनित कर्मचारियों को देय परिलब्धियों के संबंध में रियायतग्राही पर प्राधिकरण द्वारा उठाए जाने वाले चालान में दर्शाई जा सकती है ("कर्मचारी लागत का चयन करें")।

(i) रियायतग्राही उस तारीख से 7 (सात) दिनों तक या उससे पहले चुनिंदा कर्मचारी लागतों का भुगतान करेगा जिस पर चालान बढ़ाया गया है।

(ii) रियायतग्राही द्वारा ऐसा भुगतान करने पर, रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा चुनिंदा कर्मचारियों को परिलब्धियों का भुगतान न करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(iii) रियायतग्राही की ओर से चुनिंदा कर्मचारी लागतों के भुगतान में विलंब की स्थिति में, रियायतग्राही बैंक दर से 2% (दो प्रतिशत) के बराबर दर पर गणना की गई देरी की अवधि के लिए प्राधिकरण को ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iv) कर्मचारी का चयन करने की लागत कंपनी के आधार पर प्रासंगिक सेवा नियमों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित की जाएगी और जैसा लागू हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की ओर लागत शामिल होगी।

(v) यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड 6.5.5 के तहत रियायतग्राही की देयता स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की सीमा तक कम हो जाएगी।

6.5.6 संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान किसी भी समय, लेकिन सीओडी से 90 (नब्बे) दिनों के बाद नहीं, रियायतग्राही चयनित कर्मचारियों के न्यूनतम 60% (साठ प्रतिशत) को रोजगार ("रोजगार प्रस्ताव") की पेशकश करेगा।

(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएलए में निर्धारित तरीके से चुनिंदा कर्मचारियों की संख्या में कमी की स्थिति में 6.5.1 का उपयोग करें, चयनित कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या जिन्हें रोजगार प्रस्ताव देने की आवश्यकता है, तदनुसार कम हो जाएगी, उसके किसी भी अंश को निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा।

(ii) के रोजगार के निबंधन और शर्तें, वेतन, स्थिति आदि के संदर्भ में, वार्षिक लागत से कंपनी आधार पर चुनिंदा कर्मचारियों की वर्तमान रोजगार शर्तों के समान होंगे।

6.5.7 रोजगार प्रस्तावों के प्राप्तकर्ता रोजगार प्रस्ताव किए जाने के 1 (एक) महीने के भीतर रोजगार प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे।

(i) ऐसे चुनिंदा कर्मचारी, रोजगार प्रस्तावों ("स्वीकार करने वाले कर्मचारी") को स्वीकार करने पर, प्राधिकरण के रोजगार से इस्तीफा दे देंगे, और प्राधिकरण के कर्मचारी नहीं रहेंगे।

(ii) रियायतरियायतग्राही और स्वीकार करने वाले कर्मचारियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर स्वीकार करने वाले कर्मचारियों का नया नियोक्ता होगा।

6.5.8 जिस तारीख को पहला रोजगार प्रस्ताव दिया जाता है, उस तारीख से 15 (पंद्रह) महीने की समाप्ति के बाद किसी भी समय, लेकिन सीओडी से 2 (दो) वर्षों की समाप्ति से पहले, रियायतग्राही आगे रोजगार प्रस्ताव बनाने का हकदार होगा। खंड 6.5.7 के प्रावधान, उत्परिवर्तन के साथ, ऐसे रोजगार प्रस्तावों पर लागू होंगे।

6.5.9 डीम्ड प्रतिनियुक्ति अवधि के अंत में, प्राधिकरण के साथ रोजगार जारी रखने का विकल्प चुनने वाले सभी चुनिंदा कर्मचारी या जिन्हें रोजगार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राधिकरण के साथ अपना रोजगार जारी रखेंगे और उन्हें हवाई अड्डे से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा फिर से तैनात किया जाएगा।

6.5.10 यदि, डीम्ड प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर, स्वीकार करने वाले कर्मचारियों की संख्या चुनिंदा कर्मचारियों ("घाटे वाले कर्मचारी") के 60% (साठ) प्रतिशत से कम है, तो रियायतग्राही, डीम्ड प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से शुरू होकर, प्राधिकरण को मासिक आधार पर भुगतान करेगा, ऐसी राशि जो ऐसे घाटे वाले कर्मचारियों ("घाटे कर्मचारी लागत") के संबंध में प्राधिकरण द्वारा देय परिलब्धियों के संबंध में रियायतग्राही पर प्राधिकरण द्वारा उठाए जाने वाले चालान में इंगित की जा सकती है।

(i) जिन चुनिंदा कर्मचारियों के संबंध में घाटे की कर्मचारी लागत देय है, उन्हें डीम्ड प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से 3 (तीन) महीने पहले पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से पहचाना जाएगा।

(ii) वैमानिकी प्रभागों के निर्धारण में घाटे वाले कर्मचारी लागतों पर पास-थ्रू के लिए विचार किया जाएगा।

(iii) उप-खंड 6.5.5 (i), 6.5.5 (ii), 6.5.5 (iii), और 6.5.5 (iv) के प्रावधान, परिवर्तनशील परिवर्तन, घाटे कर्मचारी लागत के भुगतान पर लागू होंगे।

(iv) घाटे वाले कर्मचारी लागत घाटे वाले कर्मचारियों की प्राधिकरण की सेवाओं से सेवानिवृत्ति या अन्य अलगाव तक, जो भी पहले हो, देय होगी।

## अनुच्छेद 7: अभ्यावेदन और वारंटी

### 7.1 रियायतग्राही के अभ्यावेदन और वारंटी

रियायतग्राही प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि:

(क) यह भारत के कानूनों के तहत विधिवत संगठित और वैध रूप से मौजूद है, और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने और निष्पादित करने और इसके द्वारा विचार किए गए लेनदेन को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और अधिकार हैं;

(ख) इसने इस समझौते के निष्पादन और वितरण को अधिकृत करने और इस समझौते के तहत अपने अधिकारों का वैध रूप से प्रयोग करने और अपने दायित्वों का पालन करने के लिए लागू कानूनों के तहत सभी आवश्यक कॉर्पोरेट और अन्य कार्रवाई की है;

(ग) चयनित बोलीदाता (उसके सदस्यों सहित, यदि कोई हो) के पास वित्तीय स्थिति और क्षमता है, जिसमें सीओडी के रूप में इस समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना को शुरू करने की वित्तीय क्षमता और तकनीकी क्षमता शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, और सीओडी से 5 (पांच) वर्ष की समाप्ति तक ऐसी वित्तीय स्थिति और क्षमता बनी रहेगी;

(घ) यह समझौता इसके कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करता है, जो यहां की शर्तों के अनुसार इसके खिलाफ लागू करने योग्य है, और इस समझौते के तहत इसके दायित्व यहां की शर्तों के अनुसार इसके खिलाफ कानूनी रूप से वैध, बाध्यकारी और लागू करने योग्य दायित्व होंगे;

(ङ) यह भारत के कानूनों के अधीन है, और एतद्वारा स्पष्ट रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से इस करार के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रतिरक्षा को या इसके तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में किसी भी प्रतिरक्षा को माफ करता है, जिसमें इसके तहत कोई दायित्व, दायित्व या जिम्मेदारी या अधिकार क्षेत्र का मुद्दा शामिल है;

(च) चयनित बोलीदाता द्वारा बोली में प्रस्तुत की गई जानकारी और इस समझौते की तारीख को या उससे पहले अद्यतन की गई जानकारी इस समझौते की तारीख को सभी मामलों में सत्य और सटीक है;

(छ) इस समझौते का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन इसके किसी भी ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों या चयनित बोलीदाता के किसी भी सदस्य या किसी भी लागू कानूनों या किसी भी वाचा, अनुबंध, समझौता, समझ, डिक्री या आदेश के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उल्लंघन नहीं होगा, या इसके तहत डिफॉल्ट का गठन नहीं करेगा, या किसी भी लागू कानून या किसी भी अनुबंध, अनुबंध, समझ, डिक्री या आदेश के साथ संघर्ष नहीं करेगा, जिसके लिए यह एक पार्टी है या जिसके द्वारा यह या इसकी कोई संपत्ति या संपत्ति बाध्य या प्रभावित है;

(ज) कोई कार्रवाई, मुकदमे, कार्यवाही, या जांच लंबित नहीं है या, इसकी जानकारी में, किसी भी अदालत के समक्ष या किसी अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या अन्य प्राधिकरण के समक्ष कानून में या इक्विटी में इसके खिलाफ धमकी दी गई है, जिसके परिणाम के परिणामस्वरूप इस समझौते का उल्लंघन हो सकता है या जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने की क्षमता में कोई भौतिक हानि हो सकती है;

(i) इसे किसी भी न्यायालय या सरकारी साधन के किसी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या डिक्री के संबंध में किसी भी उल्लंघन या चूक का कोई ज्ञान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और कोई तथ्य या परिस्थिति मौजूद नहीं है जो ऐसी कार्यवाही को जन्म दे सकती है जिसके परिणामस्वरूप इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन में भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ज) न तो उसे और न ही चयनित बोलीदाता (उसके सदस्यों सहित, यदि कोई हो) और संबंधित सहयोगियों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित अभियोग या प्रतिकूल आदेश दिए गए हैं जो परियोजना को शुरू करने की इसकी क्षमता पर संदेह कर सकते हैं या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित है जो समुदाय की नैतिक भावना को ठेस पहुंचाता है;



(ट) भारत की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में न तो उसे और न ही चयनित बोलीदाता (उसके सदस्यों सहित, यदि कोई हो) और संबंधित सहयोगियों को किसी भी सरकारी साधन द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया गया है या किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है;

(ठ) किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा न तो उसके विरुद्ध अथवा चयनित बोलीदाता (उसके सदस्यों सहित, यदि कोई हो) और संबंधित सहयोगियों के विरुद्ध अथवा उनके किसी संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा किसी निदेशक, प्रबंधक अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कोई जांच लंबित नहीं है;

(ड) इसने सभी भौतिक मामलों में लागू कानूनों का अनुपालन किया है और किसी भी जुर्माना, दंड, निषेधाज्ञा राहत या किसी अन्य नागरिक या आपराधिक देनदारियों के अधीन नहीं है, जो कुल मिलाकर इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता पर भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है या हो सकता है;

(ढ) यह किसी भी समय खंड 5.3 के प्रावधानों के अनुसार के अलावा स्वामित्व में किसी भी परिवर्तन को करने या अनुमति नहीं देगा;

(ण) चयनित बोलीदाता और उसके सहयोगियों (उसके सदस्यों सहित, यदि कोई हो) के पास आवश्यक इक्विटी को निधि देने और इस समझौते के अनुसार परियोजना को शुरू करने और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ऋण जुटाने के लिए वित्तीय स्थिति और संसाधन हैं;

(त) चयनित बोलीदाता (उसके सदस्यों सहित, यदि कोई हो) विधिवत संगठित है और इसके निगमन या पंजीकरण के अधिकार क्षेत्र के कानूनों के तहत वैध रूप से मौजूद है, और प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह पुरस्कार के पत्र के अनुसार रियायतग्राही के साथ इस समझौते में प्रवेश करे, और इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर सहमत हो गया है और बिना शर्त स्वीकार कर लिया है;

(थ) हवाई अड्डे में अपने सभी अधिकार और हित लागू कानूनों और लागू परमिट के अनुसार हस्तांतरण तिथि पर प्राधिकरण को पारित और निहित करेंगे, सभी ग्रहणाधिकार, दावों और ऋणों से मुक्त और स्पष्ट, अपनी ओर से या प्राधिकरण की ओर से किसी भी आगे के कार्य या विअनुच्छेद के बिना, और यह कि परियोजना संपत्ति में से कोई भी इसके द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जाएगा, किसी भी समझौते के अधीन जिसके तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा एक सुरक्षा हित या अन्य ग्रहणाधिकार या भार बनाए रखा जाता है, सिवाय इसके और इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए के अलावा;

(द) इसके द्वारा निहित कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी यहां या लागू परमिट के संबंध में प्राधिकरण या किसी भी सरकारी साधन को इसके द्वारा प्रस्तुत किसी अन्य दस्तावेज में शामिल नहीं है या इसमें भौतिक तथ्य का कोई असत्य या भ्रामक बयान शामिल है या इसमें शामिल नहीं है या इस तरह के प्रतिनिधित्व या वारंटी को भ्रामक नहीं बनाने के लिए आवश्यक भौतिक तथ्य को बताने के लिए छोड़ दिया जाएगा;

(ध) किसी भी व्यक्ति को फीस, कमीशन या अन्यथा रियायत हासिल करने या इस समझौते में प्रवेश करने के लिए या प्राधिकरण या किसी सरकारी साधन के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रभावित करने या प्रभावित करने का प्रयास करने के लिए, इसके द्वारा या उसकी ओर से नकद या वस्तु के रूप में कोई रकम का भुगतान नहीं किया गया है या भुगतान किया जाएगा;

(न) प्रस्ताव के अनुरोध के जवाब में चयनित बोलीदाता द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी या अन्यथा, अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार है, सभी भौतिक मामलों में सत्य और सटीक है; तथा

(प) प्रस्ताव के लिए अनुरोध या अन्यथा से उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी उपक्रम और दायित्व रियायतग्राही के लिए बाध्यकारी होंगे जैसे कि वे इस करार का हिस्सा हैं।

## 7.2 प्राधिकरण के अभ्यावेदन और वारंटी

प्राधिकरण रियायतग्राही का प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि:

(क) इसके पास भारत सरकार और अन्य लागू परमिटों के अनुसार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने, वितरित करने और निष्पादित करने, यहां विचार किए गए लेनदेन को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और अधिकार है और यह कि इसने इस समझौते को निष्पादित करने, अपने अधिकारों का प्रयोग करने और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई की है;

(ख) इसने इस समझौते के निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन को अधिकृत करने के लिए लागू कानूनों के तहत सभी आवश्यक कार्रवाई की है;

(ग) इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए इसकी वित्तीय स्थिति और क्षमता है;

(घ) यह समझौता एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है जो इसके खिलाफ लागू करने योग्य है, जो यहां की शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है;

(ड) इसे किसी भी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा या किसी भी अदालत की किसी डिक्री या किसी भी सरकारी साधन के किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश के संबंध में किसी भी उल्लंघन या चूक का कोई ज्ञान नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की प्राधिकरण की क्षमता पर कोई भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(च) इसने सभी भौतिक मामलों में लागू कानूनों का अनुपालन किया है; तथा

(छ) इसके पास रियायतग्राही को स्थल के संबंध में पट्टा प्रदान करने की शक्ति और अधिकार है।

### **7.3 प्रकटीकरण**

इस घटना में कि कोई भी घटना या परिस्थिति किसी भी पक्ष के ध्यान में आती है जो उसके किसी भी उपरोक्त अभ्यावेदन या वारंटी को असत्य या गलत बनाती है, ऐसी पार्टी तुरंत दूसरे पक्ष को उसी के बारे में सूचित करेगी। इस तरह की अधिसूचना का प्रतिनिधित्व या वारंटी के किसी भी उल्लंघन को दूर करने का प्रभाव नहीं होगा जो असत्य या गलत पाया गया है और न ही यह इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष के किसी भी अधिकार, उपाय या दायित्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित या माफ करेगा।

## अनुच्छेद 8: अस्वीकरण

### 8.1 अस्वीकरण

8.1.1 रियायतग्राही अपनी ओर से और चयनित बोलीदाता की ओर से स्वीकार करता है कि इस समझौते के निष्पादन से पहले, चयनित बोलीदाता और रियायतग्राही ने पूर्ण और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, प्रस्ताव के लिए अनुरोध, परियोजना के दायरे, विनिर्देशों और मानकों, साइट, इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लागू परमिट की आवश्यकताओं, मौजूदा संरचनाओं, स्थानीय परिस्थितियों, जमीन, उप-मृदा और भूविज्ञान के भौतिक गुण, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई या प्राप्त, खरीदी या अन्यथा एकत्र की गई सभी जानकारी का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया है, और इसकी संतुष्टि के लिए सटीकता या अन्यथा और कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा निर्धारित की है जो इसके तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न होने की संभावना है या इसका सामना कर सकते हैं। प्राधिकरण यहां या लागू कानूनों के तहत प्रदान किए गए किसी भी मूल्यांकन, धारणा, बयान या जानकारी की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और/या पूर्णता के संबंध में कोई भी व्यक्त, व्यक्त, निहित या अन्यथा प्रतिनिधित्व नहीं करता है और रियायतग्राही अपनी ओर से और चयनित बोलीदाता की ओर से पुष्टि करता है कि इस संबंध में प्राधिकरण के खिलाफ उसका कोई दावा नहीं होगा।

8.1.2 रियायतग्राही अपनी ओर से और चयनित बोलीदाता की ओर से स्वीकार करता है और इसके द्वारा स्वीकार करता है, ऊपर खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले में या उससे संबंधित अपर्याप्तता, गलती या त्रुटि के जोखिम को स्वीकार करता है और इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि प्राधिकरण किसी भी तरह से रियायतग्राही, चयनित बोलीदाता और उसके सहयोगियों या उनमें से किसी के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

8.1.3 पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि उपरोक्त खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले में या उससे संबंधित कोई भी गलती या त्रुटि इस समझौते को दूषित नहीं करेगी या इसे शून्य नहीं बनाएगी।

8.1.4 इस घटना में कि किसी भी पक्ष को उपरोक्त खंड 8.1.1 में निर्धारित किसी भी मामले से संबंधित किसी भी गलती या त्रुटि के बारे में पता चलता है, वह पार्टी गलती या त्रुटि को निर्दिष्ट करते

हुए तुरंत दूसरे पक्ष को सूचित करेगी; बशर्ते, हालांकि, इस खंड 8.1.4 के अनुसार कोई नोटिस देने के लिए प्राधिकरण की ओर से विफलता खंड 8.1.1 में निहित प्राधिकरण के अस्वीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और किसी भी तरह से इस समझौते के अनुसार रियायतग्राही द्वारा ग्रहण किए गए किसी भी जोखिम को प्राधिकरण में स्थानान्तरित नहीं करेगी।

8.1.5 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, परियोजना से संबंधित सभी जोखिम रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे और प्राधिकरण ऐसे जोखिमों या उसके परिणामों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

### भाग III

#### विकास और प्रचालन

## अनुच्छेद 9: प्रदर्शन सुरक्षा

### 9.1 प्रदर्शन सुरक्षा

9.1.1 रियायतग्राही, इसके तहत चरण I के दौरान अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए, प्राधिकरण को इस समझौते की तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिनों के भीतर, अनुसूची ई ("प्रदर्शन सुरक्षा") में निर्धारित प्रपत्र में 125,00,00,000 रुपये (एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये) के बराबर राशि के लिए एक बैंक से एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी प्रदान करेगा। जब तक इस तरह के समय के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान की जाती है और यह प्रभावी नहीं होता है, तब तक बोली सुरक्षा लागू और प्रभावी रहेगी, और इसके अनुसार प्रदर्शन सुरक्षा के ऐसे प्रावधान पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को बोली सुरक्षा जारी करेगा।

9.1.2 इस अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, यदि इस समझौते की तारीख से 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो प्राधिकरण बोली सुरक्षा को भुना सकता है और उसकी आय को नुकसान के रूप में उपयुक्त कर सकता है, और इसके बाद इस समझौते के तहत या उससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों, दावों और हकदारियों को माफ कर दिया गया माना जाएगा, और रियायतग्राही की सहमति से समाप्त हो गया है, और इस समझौते को पार्टियों के आपसी समझौते से समाप्त माना जाएगा।

9.1.3 चरण- I के पूरा होने के बाद, प्रदर्शन सुरक्षा के मूल्य को रियायत वर्ष से ठीक पहले रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक रियायत शुल्क के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि में संशोधित किया जाएगा, जिसमें चरण I पूरा होने की तारीख आती है। इसके बाद, प्रदर्शन सुरक्षा का मूल्य रियायतग्राही द्वारा हर 5 (पांच) रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक रियायत शुल्क के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर राशि तक बढ़ाया जाएगा।

### 9.2 प्रदर्शन सुरक्षा का विनियोग

किसी रियायतग्राही के डिफॉल्ट या किसी भी शर्त को पूरा करने में विफलता की घटना पर, प्राधिकरण, इसके तहत या लागू कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रदर्शन सुरक्षा से भुनाने और उचित करने का हकदार होगा, इसके कारण देय राशि, ऐसे रियायतग्राही के डिफॉल्ट के लिए और उसके संबंध में या किसी भी शर्त को पूरा करने में विफलता के लिए। बोली सुरक्षा या प्रदर्शन सुरक्षा से इस तरह के नकदीकरण और विनियोग पर, जैसा लागू हो, रियायतग्राही, उसके 15

(पंद्रह) दिनों के भीतर, आंशिक विनियोग के मामले में, अपने मूल स्तर तक और संपूर्ण बोली सुरक्षा या प्रदर्शन सुरक्षा के विनियोग के मामले में, एक नई प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करेगा, जिसमें विफल रहने पर प्राधिकरण अनुच्छेद 35 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। इस तरह की पुनःपूर्ति या नई निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर, रियायतग्राही रियायतग्राही की चूक को दूर करने या किसी भी शर्त की मिसाल को पूरा करने के लिए 60 (साठ) दिनों की अतिरिक्त इलाज अवधि का हकदार होगा, और रियायतग्राही द्वारा अपनी चूक का इलाज नहीं करने या ऐसी उपचार अवधि के भीतर ऐसी शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में, प्राधिकरण इस तरह के प्रदर्शन सुरक्षा को नुकसान के रूप में भुनाने और उचित करने का हकदार होगा, और अनुच्छेद 35 के अनुसार इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा।

### 9.3 प्रदर्शन सुरक्षा जारी करना

प्रदर्शन सुरक्षा रियायत अवधि के अंत तक लागू और प्रभावी रहेगी और इस तरह की समाप्ति के 3 (तीन) महीने बाद जारी की जाएगी, हालांकि, यदि रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो प्रदर्शन सुरक्षा जारी नहीं की जाएगी। इस खंड 9.3 के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि स्थापित करने वाले विवरणों के साथ प्रदर्शन सुरक्षा जारी करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए अनुरोध पर, प्राधिकरण प्रदर्शन सुरक्षा को तुरंत जारी करेगा।

### 9.4 मानित प्रदर्शन सुरक्षा

पार्टियां स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि, प्रत्येक चरण के संबंध में, संबंधित चरण के निर्माण कार्यों की लागत के 2% (दो प्रतिशत) के बराबर राशि के लिए एक अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा (जैसा कि रियायतग्राही द्वारा निर्धारित किया गया है), इस खंड 9.4 ("डीमंड प्रदर्शन सुरक्षा") के तहत बनाई गई मानी जाएगी। डीमंड प्रदर्शन सुरक्षा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय होगी, और खंड 29.3 में निहित इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, एस्क्रो खाते में समतुल्य शेष राशि पर और रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और देय सभी राशियों पर पहला और अनन्य शुल्क होगा, और प्राधिकरण एस्क्रो खाते से निकासी के माध्यम से या खंड 9.5 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा देय और देय राशियों से कटौती करके डीमंड प्रदर्शन सुरक्षा को लागू करने का हकदार होगा। पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि किसी भी संभावित नुकसान के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए एस्क्रो खाते में कोई राशि निर्धारित, फ्रीज या रोकी नहीं जाएगी, जो बाद की तारीख में हो सकती है, और केवल वही राशि जो रियायतग्राही के



डिफॉल्ट होने पर रियायतग्राही द्वारा देय और देय हो जाएगी, इसके तहत विनियोग के लिए उत्तरदायी होगी। डीमंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्रासंगिक चरण के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने पर जारी की जाएगी।

### **9.5 मानित प्रदर्शन सुरक्षा का विनियोग**

किसी रियायतग्राही की चूक होने पर, प्राधिकरण, इसके तहत या कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित चरण में निर्माण कार्यों के संबंध में किसी भी रियायतग्राही की चूक के लिए डीमंड प्रदर्शन सुरक्षा से संबंधित राशि को नुकसान के रूप में विनियोजित करने का हकदार होगा। पार्टियां स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि डीमंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को पूरी तरह या आंशिक रूप से विनियोजित किए जाने पर, इसे इस तरह के विनियोग की सीमा तक फिर से भरा माना जाएगा और अतिरिक्त इलाज अवधि के संबंध में खंड 9.2 के प्रावधान इस तरह की पुनःपूर्ति पर लागू होंगे।

### **9.6 प्रदर्शन सुरक्षा के संदर्भ**

प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा की डिलीवरी से पहले किसी भी अवधि के लिए और उसके संबंध में इस समझौते में होने वाले प्रदर्शन सुरक्षा के संदर्भ, या उसकी समाप्ति या रिलीज के बाद की किसी भी अवधि के संबंध में, जैसा भी मामला हो, पूरी तरह से रियायतग्राही द्वारा देय नुकसान की राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए माना जाएगा, और इस प्रकार निर्धारित राशि को बोली सुरक्षा या डीमंड प्रदर्शन सुरक्षा से विनियोजित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो या ऐसी तारीख पर उपलब्ध हो।

## अनुच्छेद 10: मार्ग का अधिकार

### 10.1 साइट

हवाई अड्डे की साइट में अनुसूची ए में वर्णित अचल संपत्ति शामिल होगी और जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा इस समझौते ("साइट") के तहत और उसके अनुसार पट्टे के रूप में रियायतग्राही को मार्ग का अधिकार प्रदान और प्रदान किया जाएगा। यह इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है और सहमति व्यक्त की जाती है कि साइट के संदर्भों को अनुसूची ए में निर्धारित हवाई अड्डे के लिए आवश्यक अचल संपत्ति के संदर्भ के रूप में माना जाएगा, और इसमें सिटी साइट शामिल होगा।

### 10.2 लीज, एक्सेस और राइट ऑफ वे

10.2.1 प्राधिकरण एतद्वारा रियायतग्राही को सुरक्षा प्रतिबंधों और इस समझौते की अन्य शर्तों के अधीन, किसी भी सर्वेक्षण, जांच और मिट्टी के परीक्षण करने के लिए साइट तक पहुंच प्रदान करता है, जिसे रियायतग्राही सीओडी से पहले आवश्यक समझ सकता है, यह स्पष्ट रूप से सहमत है और समझा जाता है कि समाप्ति की स्थिति में या अन्यथा साइट पर या उसके बारे में रियायतग्राही द्वारा किए गए सर्वेक्षण, जांच और परीक्षणों या कार्य के संबंध में प्राधिकरण का कोई दायित्व नहीं होगा।

10.2.2 मासिक रियायत शुल्क को ध्यान में रखते हुए, इस समझौते और इसमें निहित रियायतग्राही की ओर से अनुबंधों और वारंटियों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण, यहां निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, सीओडी से शुरू होकर, रियायतग्राही को सभी भूमि (किसी भी भवन के साथ, निर्माण या अचल संपत्ति, यदि कोई हो, तो उस पर) जिसमें साइट शामिल है, जिसे अनुसूची ए में वर्णित, चित्रित और दिखाया गया है, किसी भी भार से मुक्त, साइट को विकसित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए, सभी और एकवचन अधिकारों, स्वतंत्रताओं, विशेषाधिकारों, सुखभोगियों और परिशिष्टों के साथ, जो भी उक्त साइट, आनुवंशिकता या परिसर या उसके किसी भी हिस्से से संबंधित है या किसी भी तरह से उसके साथ जुड़ा हुआ है या इसके साथ आनंद लिया गया है, इस समझौते के तहत अनुमत उद्देश्यों के लिए, और रियायत अवधि के लिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

10.2.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है कि, उसने एक पूर्ण और सावधानीपूर्वक जांच के बाद, समग्र रूप से साइट का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया है और कठिनाइयों, उन्नयन, इनपुट, लागत, समय, संसाधनों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा निर्धारित की है जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न होने की संभावना है या इसका सामना कर सकते हैं और आवश्यक प्रयासों की

सीमा और तरीका। रियायतग्राही आगे स्वीकार करता है कि प्राधिकरण के खिलाफ उसका कोई सहारा नहीं होगा यदि बाद की तारीख में यह पाया जाता है कि साइट किसी भी तरह से कमी है। यदि कोई कमी पाई जाती है, तो रियायतग्राही एतद्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह अपनी लागत पर और प्राधिकरण को बिना किसी लागत के, उसी को दूर करने के लिए सभी उचित उपाय करेगा।

10.2.4 इस समझौते के प्रयोजनों के लिए, रियायतग्राही के पास है:

(क) स्थल और उसके आस-पास का निरीक्षण किया;

(ख) साइट की जलवायु, हाइड्रोलॉजिकल और सामान्य भौतिक स्थितियों की प्रकृति, जमीन और उप-भूमि की प्रकृति, भूमि के रूप और प्रकृति के रूप और प्रकृति के बारे में खुद को संतुष्ट करता है। साइट, और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक डिजाइन, कार्य और सामग्री की प्रकृति;

(ग) हवाई अड्डे पर संचार के साधनों, पहुंच और आवास के बारे में स्वयं को संतुष्ट करता है जिसकी उसे आवश्यकता हो सकती है या जैसा हो सकता है इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए अन्यथा आवश्यक हो;

(घ) जोखिमों, आकस्मिकताओं और अन्य सभी परिस्थितियों के बारे में अपने लिए सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जो रियायतग्राही और इसके अधिकारों और दायित्वों और इसके तहत इसके अन्य अधिकारों और दायित्वों को इस समझौते के तहत या उसके अनुसार प्रभावित या प्रभावित कर सकता है।

10.2.5 रियायतग्राही को इस समझौते द्वारा प्रदान किया गया पट्टा, पहुंच और रास्ते का अधिकार हमेशा रास्ते के मौजूदा अधिकारों के अधीन होगा और रियायतग्राही अपने दायित्वों का पालन इस तरह से करेगा कि रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डा हर समय उपयोगकर्ताओं के लिए खुला हो, सिवाय और उन घंटों को छोड़कर जिनके लिए प्राधिकरण या किसी अन्य सरकारी साधन द्वारा इसे बंद करने की अनुमति दी गई होगी।

10.2.6 रियायतग्राही स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि इस अनुच्छेद 10 के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के संबंध में रियायतग्राही द्वारा की गई किसी भी गलती या गलतफहमी की स्थिति में प्राधिकरण

के खिलाफ उसका कोई सहारा नहीं होगा और प्राधिकरण इसके संबंध में किसी भी दायित्व को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है।

10.2.7 इसके तहत दिया गया पट्टा किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति पर, पट्टे को समाप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता के बिना, स्वचालित रूप से और तुरंत समाप्त हो जाएगा। रियायतग्राही या उसके उप-लाइसेंसधारियों और/या उप-पट्टेदार (ओं) द्वारा साइट पर बनाई गई किसी भी अस्थायी या स्थायी संरचनाओं के बावजूद, हवाई अड्डे के संबंध में साइट के संबंध में पट्टा, इस समझौते की समाप्ति पर, पार्टियों के किसी भी आगे के कार्य के बिना, स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा।

10.2.8 रियायतग्राही एतद्वारा अपरिवर्तनीय रूप से प्राधिकरण (सीधे या एक नामांकित व्यक्ति के माध्यम से कार्य करना) को अपना सच्चा और वैध वकील बनने के लिए, रियायत अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी समय इसके तहत दिए गए पट्टे के हस्तांतरण या आत्मसमर्पण को निष्पादित करने और हस्ताक्षर करने के लिए, या ऐसे समय में किसी भी लागू कानूनों के अनुसार आवश्यक होने पर इसके संदर्भ में पहले समाप्त कर दिया गया है, जिसका एक पर्याप्त प्रमाण प्राधिकरण के किसी भी विधिवत अधिकृत अधिकारी की घोषणा होगी, और रियायतग्राही इस उद्देश्य के लिए पंजीकृत होने के लिए सहमति देता है।

10.2.9 यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि साइट पर पेड़ प्राधिकरण की संपत्ति हैं, सिवाय इसके कि रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान और लागू परमिट के अनुसार उस पर सूदखोरी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा।

### 10.3 स्थल की खरीद

10.3.1 खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट नोटिस के अनुसार, प्राधिकरण और रियायतग्राही, पारस्परिक रूप से सहमत तिथि और समय पर, साइट का निरीक्षण करेंगे और साइट की एक सूची वाला एक ज्ञापन तैयार करेंगे, जिसमें साइट पर या उससे जुड़ी कोई अन्य अचल संपत्ति शामिल है। पार्टियों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा 2 (दो) समकक्षों (जिनमें से प्रत्येक एक मूल का गठन करेगा) में ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, खंड 10.2.2 के प्रावधानों के अधीन, एक वैध पट्टे का गठन करने के लिए समझा जाएगा, और इस समझौते के प्रावधानों के तहत और रियायत अवधि के अनुसार और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिना भार वाली साइट के मुफ्त और अप्रतिबंधित उपयोग और विकास के लिए रियायतग्राही को रास्ते का अधिकार माना जाएगा।

10.3.2 खंड 10.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पार्टियां यहां इस बात से सहमत हैं कि सीओडी पर या उससे पहले, प्राधिकरण ने साइट के कुल क्षेत्रफल के 100% (एक सौ प्रतिशत) के संबंध में खाली पहुंच, रास्ते का अधिकार और पट्टा प्रदान किया होगा, जो हवाई अड्डे के लिए आवश्यक और आवश्यक है।

10.3.3 खंड 10.3.1 में निर्दिष्ट ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद और हस्तांतरण की तारीख तक, रियायतग्राही साइट पर चौबीसों घंटे निगरानी रखेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उस पर कोई अतिक्रमण या कब्जा न हो, और उसके किसी भी हिस्से पर किसी भी अतिक्रमण या कब्जे की स्थिति में, रियायतग्राही प्राधिकरण को ऐसे अतिक्रमण या कब्जे की सूचना देगा और इसकी लागत और व्यय पर इसे हटाने का कार्य करेगा।

10.3.4 [उपयोग नहीं किया गया]।

10.3.5 [उपयोग नहीं किया गया]।

10.3.6 इस घटना में कि रियायतग्राही को साइट के किसी भी हिस्से में पट्टे और/या रास्ते के अधिकार से वंचित किया जाता है, जो किसी भी प्रकार और प्रकृति के तीसरे पक्ष से किसी भी प्रकार और प्रकृति के दावे के अनुसार होता है, जो कि साइट में शामिल भूमि में स्वामित्व और प्राधिकरण के अधिकारों में दोष से उत्पन्न होता है, प्राधिकरण, इस तरह के अभाव के 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर, पार्टियों की पारस्परिक संतुष्टि के लिए रियायतग्राही को पट्टे और/या अतिरिक्त/वैकल्पिक भूमि के लिए मार्ग का अधिकार प्रदान करने के लिए उचित प्रयास करेगा। इस घटना में कि प्राधिकरण उपरोक्त समय-अवधि के भीतर पार्टियों की पारस्परिक संतुष्टि के लिए ऐसी भूमि और/या मार्ग का अधिकार प्रदान करने में असमर्थ है, खंड 40.1.2 के प्रावधान लागू होंगे:

बशर्ते कि प्राधिकरण इस खंड 10.3.6 के तहत उत्तरदायी नहीं होगा, जहां ऐसा कोई दावा, वाद, कार्यवाही, कार्रवाई, और/या मांग एक लापरवाह कार्य या चूक, या इसके किसी भी दायित्व के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई है इस करार के किसी भी प्रावधान या किसी भी संबंधित समझौते और/या रियायतग्राही, इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, ठेकेदारों, नौकरों या एजेंटों की ओर से सांविधिक कर्तव्य का उल्लंघन।

**10.4 साइट भार से मुक्त होने के लिए**

खंड 10.3 के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण द्वारा साइट को रियायतग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा, जो सभी ऋणों से मुक्त होगा और रियायतग्राही को रियायत अवधि की अवधि के लिए ऐसी साइट के अधिग्रहण और उपयोग के लिए किसी भी लागत, मुआवजे, व्यय और शुल्क के कारण प्राधिकरण को कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय इसके कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किया गया हो। यह सहमति है कि साइट के रास्ते के मौजूदा अधिकारों, सुगमताओं, विशेषाधिकारों, स्वतंत्रताओं और परिसंपत्तियों को भार नहीं माना जाएगा। यह भी सहमति है कि रियायतग्राही साइट की अपर्याप्तता या भौतिक स्थिति से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी जोखिमों को स्वीकार करता है और वहन करने का वचन देता है।

### **10.5 भार से साइट की सुरक्षा**

रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही किसी भी और सभी व्यवसायों, अतिक्रमण या ऋणों से साइट की रक्षा करेगा, और किसी भी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को या तो रियायतग्राही के माध्यम से या उसके तहत या अन्यथा दावा करने वाले किसी भी ठेकेदार या अन्य व्यक्ति को साइट या परियोजना परिसंपत्तियों के सभी या किसी भी हिस्से पर या रियायतग्राही के किसी भी अधिकार पर या इस समझौते के तहत कोई भी ऋणभार या सुरक्षा हित रखने या बनाने की अनुमति नहीं देगा, इस समझौते में स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए को छोड़कर।

### **10.6 विशेष/अस्थायी मार्ग का अधिकार**

रियायतग्राही साइट तक पहुंच के संबंध में उसके द्वारा आवश्यक किसी भी विशेष या अस्थायी रास्ते के अधिकार के लिए सभी लागतों और शुल्कों को वहन करेगा। रियायतग्राही अपनी लागत पर साइट पर या उसके बाहर ऐसी सुविधाएं प्राप्त करेगा जो हवाई अड्डे के प्रयोजनों और इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो सकती हैं:

बशर्ते कि, उस घटना में कि रियायतग्राही की आवश्यकता होती है, वैमानिकी के प्रयोजन के लिए(ख) अनुसूची क में प्राधिकरण के लिए बनाए गए क्षेत्र के भीतर आने वाली किसी भी भूमि के संबंध में प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार से रियायतग्राही को भारत सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के अधीन बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदान कर सकता है।

### **10.7 प्राधिकरण तक पहुंच**

10.7.1 रियायतग्राही प्राधिकरण के प्राधिकृत प्रतिनिधियों, वरिष्ठ ऋणदाताओं और स्वतंत्र अभियंता के लिए और किसी भी सरकारी साधन या भारत सरकार की नामित एजेंसी द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्तियों और उनके संबंधित कर्मचारियों, एजेंटों और सलाहकारों के लिए निर्माण कार्यों, हवाई अड्डे का निरीक्षण करने और उनके अधिकार के भीतर किसी भी मामले की जांच करने के लिए हर समय साइट तक मुफ्त पहुंच की अनुमति देगा, और रियायतग्राही ऐसे सभी व्यक्तियों को अपने संबंधित कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक उचित सहायता प्रदान करेगा।

10.7.2 रियायतग्राही, अनुच्छेद 11 में निर्दिष्ट किसी भी उपयोगिता या सड़क के संचालन और रखरखाव के प्रयोजन के लिए, ऐसी उपयोगिता या सड़क के नियंत्रण निकाय के अधिकृत व्यक्तियों और वाहनों के लिए हर समय साइट तक मुफ्त पहुंच की अनुमति देगा।

## **10.8 भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक खोज**

यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि खनन, भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक अधिकार इस समझौते के तहत रियायतग्राही को दिए गए पट्टे का हिस्सा नहीं हैं और रियायतग्राही एतद्वारा स्वीकार करता है कि अंतर्निहित खनिजों, जीवाश्म, पुरावशेषों, संरचनाओं या अन्य अवशेषों या विशेष भूवैज्ञानिक या पुरातात्विक हित की चीजों में इसका कोई खनन अधिकार या हित नहीं होगा और इस तरह के अधिकार, हित और संपत्ति प्राधिकरण या संबंधित सरकारी साधन में निहित होगी और संबंधित होगी। रियायतग्राही अपने कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे हित या संपत्ति को हटाने या नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरतेगा और प्राधिकरण को इसकी खोज के बारे में तुरंत सूचित करेगा और ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो प्राधिकरण या संबंधित सरकारी साधन ऐसी संपत्ति को हटाने के लिए यथोचित रूप से दे सकते हैं। यह सहमति है कि इसके तहत रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी उचित खर्च की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इस बात पर भी सहमति हुई है कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि इसके तहत दिए गए निर्देश संबंधित सरकारी साधन द्वारा एक उचित अवधि के भीतर जारी किए गए हैं ताकि रियायतग्राही ऐसे संशोधनों के साथ अपने निर्माण कार्यों को जारी रखने में सक्षम हो सके जिन्हें आवश्यक समझा जा सके।

## **10.9 लीज अधिकार**

इस समझौते के प्रयोजन के लिए, रियायतग्राही के पास इस समझौते के अधीन और उसके अनुसार एकमात्र पट्टेदार के रूप में साइट के उपयोग का अधिकार होगा, और इस उद्देश्य के लिए, यह इस

समझौते के प्रावधानों के अनुसार और उसके अधीन तीसरे पक्ष द्वारा हवाई अड्डे के प्रवेश और उपयोग को विनियमित कर सकता है।

#### **10.10 संपत्ति कर/सेवा शुल्क और अन्य शुल्क**

10.10.1 सीओडी पर और से, संपत्ति कर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण/संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण या किसी अन्य संबंधित सरकारी साधन को ऐसी दरों पर देय होगा जो लागू कानूनों के अनुसार समय-समय पर लागू हो सकती हैं।

10.10.2 साइट के संबंध में किसी भी शुल्क और कर और यदि लागू कानूनों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाता है, तो प्राधिकरण से नोटिस प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को आवश्यक विवरण के साथ रियायतग्राही द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

10.10.3 रियायतग्राही प्राधिकरण को सभी शुल्कों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा और संबंधित सरकारी साधन, जैसा कि साइट पर उपलब्ध निर्मित क्षेत्र के लिए लागू कानूनों के तहत लगाया जा सकता है।

#### **10.11 उप किराये पर प्रतिबंध**

रियायतग्राही इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए कार्यों को छोड़कर, साइट के पूरे या किसी भी हिस्से को लाइसेंस या सबलेट नहीं करेगा; बशर्ते कि इसमें निहित किसी भी चीज़ का अर्थ या व्याख्या रियायतग्राही के अधिकार को प्रतिबंधित करने के रूप में नहीं की जाएगी, जिसमें हवाई अड्डे के सभी या किसी भी हिस्से के संचालन और रखरखाव के लिए इसके तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करना शामिल है।



## अनुच्छेद 11: उपयोगिताएँ और पेड़

### 11.1 मौजूदा उपयोगिताएँ

यहां निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि साइट पर या उसके ऊपर उपयोगिताओं के स्वामित्व वाली संबंधित संस्थाओं को उस उपयोगिता के नियंत्रक निकाय के प्राधिकरण के साथ उपयुक्त अस्थायी या स्थायी डायवर्जन प्रदान करके, यदि आवश्यक हो, तो ऐसी उपयोगिताओं को निरंतर संतोषजनक उपयोग में रखने के लिए सक्षम बनाया गया है, और प्राधिकरण, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध पर, इस तरह के डायवर्जन के लिए आवश्यक किसी भी अधिकार के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करेगा और करेगा।

### 11.2 अवरोधक उपयोगिताओं का स्थानांतरण

रियायतग्राही, लागू कानूनों के अधीन और प्राधिकरण की सहायता से, बिजली लाइनों, पानी के पाइप और टेलीफोन केबल सहित किसी भी उपयोगिता को साइट के भीतर या बाहर एक उपयुक्त स्थान या संरेखण में स्थानांतरित करने का कार्य करेगा, यदि और केवल तभी जब ऐसी उपयोगिता हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास पर भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डालती है या पैदा करती है। इसे स्थानांतरित करने में किसी भी देरी की स्थिति में, रियायतग्राही को इसके तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए क्षमा कर दिया जाएगा यदि ऐसी विफलता ऐसी बिजली लाइनों, पानी के पाइप या टेलीफोन केबल, जैसा भी मामला हो, के स्वामित्व वाली इकाई की ओर से देरी का प्रत्यक्ष परिणाम है। दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि केवल हवाई अड्डे के उपयोग के लिए किसी भी उपयोगिता को स्थानांतरित करने पर होने वाली सभी लागत और व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा।

### 11.3 नई उपयोगिताएँ

11.3.1 रियायतग्राही टेलीफोन लाइनों, पानी के पाइप, बिजली के केबल या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं को बिछाने के लिए साइट तक पहुंच और उपयोग की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि या अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं द्वारा ऐसी टेलीफोन लाइनों, पानी के पाइप, बिजली के केबल बिछाने से किसी भी तरह से हवाई अड्डे के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जहां इस तरह की पहुंच या उपयोग से रियायतग्राही को कोई वित्तीय नुकसान होता है, वहां साइट के उपयोगकर्ता को लागू कानूनों के अनुसार मुआवजे या क्षति का भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। यह सहमति है कि इस खंड 11.3

के तहत साइट का उपयोग किसी भी तरह से रियायतग्राही को इस समझौते और लागू परमिट के अनुसार हवाई अड्डे को विकसित करने और बनाए रखने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं करेगा और इस तरह के उपयोग से होने वाली किसी भी क्षति को तुरंत बहाल किया जाएगा।

11.3.2 [उपयोग नहीं किया गया]।

#### **11.4 पेड़ों की कटाई**

प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा पहचाने जाने वाले पेड़ों की कटाई के लिए लागू परमिट प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा, यदि और केवल तभी जब ऐसे पेड़ हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास पर भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। रियायतग्राही के नियंत्रण से परे कारणों से उसकी कटाई में किसी भी देरी की स्थिति में, इसे इसके तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता के लिए क्षमा कर दिया जाएगा यदि ऐसी विफलता पेड़ों की कटाई में देरी का प्रत्यक्ष परिणाम है। पेड़ों की कटाई के संबंध में लागत और व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किया जाएगा और उसके किसी भी राजस्व का भुगतान प्राधिकरण को किया जाएगा। यहां पक्ष इस बात से सहमत हैं कि काटे गए पेड़ों का निपटान इस तरह से किया जाएगा और ऐसी शर्तों के अधीन किया जाएगा जो प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार में लागू कानूनों के अनुसार उचित समझे।

## अनुच्छेद 12: हवाई अड्डे का विकास और विस्तार

### 12.1 निर्माण शुरू होने से पहले के दायित्व

12.1.1 निर्माण कार्य शुरू करने से पहले, रियायतग्राही निम्नलिखित कार्य करेगा:

(ए) प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता, इसकी विकास योजना, विस्तृत डिजाइन, चित्र, निर्माण पद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाएं, और खरीद प्रस्तुत करें, ई(क) क्या यह सच है कि संबंधित चरण को पूरा करने के लिए निर्माण और निर्माण की समय-सारणी;

(ख) इस विधान सभा के अधीन या उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता से निपटने के लिए विधिवत प्राधिकृत अपने प्रतिनिधि की नियुक्ति करेगारीमेंट;

(ग) इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत और उसके अनुसार निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक या आवश्यक सभी कार्यों, कर्मों और चीजों को करना, करना और निष्पादित करना;

(d) के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करें(ग) लागू कानूनों और लागू परमिटों के तहत और उनके अनुसार हवाई अड्डे के लिए आवश्यक सामग्रियों का उत्खनन और खरीद।

### 12.2 मास्टर प्लान

12.2.1 रियायतग्राही हर समय खरीद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे का निर्माण और विकास मास्टर प्लान के अनुसार किया गया है। मास्टर प्लान तैयार करने के लिए दिशानिर्देश अनुसूची ए के अनुलग्नक II में प्रदान किए गए हैं।

12.2.2 हवाई अड्डे के लिए मास्टर प्लान सभी नियामक आवश्यकताओं और इस समझौते के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें विशेष रूप से, अनुसूची सी शामिल है। मास्टर प्लान लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, सभी प्रमुख हितधारकों के साथ पूर्ण परामर्श के अनुसार बनाया जाएगा।

12.2.3 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, पक्ष एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि यह सुनिश्चित करना रियायतग्राही की एकमात्र जिम्मेदारी और दायित्व होगा कि मास्टर प्लान लागू कानूनों और इस समझौते की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन में है, और इसके अतिरिक्त, अन्य परियोजना समझौतों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार है और इस समझौते में कुछ भी किसी भी तरह से, यह सुनिश्चित करने के लिए अपने दायित्व से रियायतग्राही को मुक्त नहीं करेगा

कि अंतिम मास्टर प्लान किसी भी परियोजना समझौते के तहत प्रावधानों और अन्य सभी दायित्वों के अनुसार है।

12.2.4 रियायतग्राही मास्टर प्लान को समय-समय पर, हर 5 (पांच) साल या उससे पहले, जैसा भी मामला हो, अद्यतन करने के लिए सहमत होता है।

12.2.5 चरण I और बाद के चरणों के लिए विकास योजना इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू परमिट के अनुसार रियायतग्राही द्वारा तैयार की जाएगी।

12.2.6 रियायतग्राही हवाई अड्डे के भविष्य के विस्तार के लिए निर्धारित किसी भी क्षेत्र का उपयोग हवाई अड्डे के आकस्मिक या उससे जुड़े अन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है, जब तक कि मास्टर प्लान में निर्दिष्ट विस्तार के लिए इसकी आवश्यकता न हो, इस शर्त के अधीन कि ऐसे क्षेत्र में केवल अस्थायी संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है और उसका उपयोग हर समय लागू कानूनों, लागू परमिट और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप होगा।

12.2.7 रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय, वैमानिकी सेवाओं में सुधार या वृद्धि करने के लिए मास्टर प्लान को संशोधित कर सकता है या भीड़भाड़ को कम करने या समाप्त करने के लिए हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से का विस्तार करने के लिए।

### 12.3 रेखाचित्र

12.3.1 रियायतग्राही उचित तत्परता के साथ और इस तरह के क्रम में तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा, जैसा कि चरण पूर्णता अनुसूची के अनुरूप है, 1 (एक) सॉफ्ट कॉपी और 3 (तीन) हार्ड कॉपी स्वतंत्र अभियंता, प्राधिकरण और या लागू कानूनों और लागू परमिट के अनुसार किसी भी सरकारी साधन को समीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा।

12.3.2 स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण को समीक्षा के लिए चित्र प्रस्तुत करके, रियायतग्राही को यह माना जाएगा कि उसने यह निर्धारित और सत्यापित किया है कि डिजाइन और इंजीनियरिंग, जिसमें उससे संबंधित क्षेत्र निर्माण मानदंड शामिल हैं, परियोजना के दायरे, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों, लागू परमिट और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप हैं।

12.3.3 स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण, चित्र प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, इसकी समीक्षा करेंगे और अपनी संबंधित टिप्पणियों को रियायतग्राही को उनकी अनुरूपता के विशेष संदर्भ में या अन्यथा परियोजना के दायरे, विनिर्देशों और मानकों या अन्यथा के साथ अवगत कराएंगे। रियायतग्राही उक्त 30 (तीस) दिनों की अवधि के बाद इसके अनुसार प्रस्तुत किए गए चित्रों पर स्वतंत्र इंजीनियर या प्राधिकरण की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा और अपने विवेक और जोखिम पर निर्माण कार्य शुरू या जारी रख सकता है।

12.3.4 यदि स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण की उपरोक्त टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि चित्र परियोजना के दायरे या विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो ऐसे चित्रों को रियायतग्राही द्वारा संशोधित किया जाएगा और समीक्षा के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण संशोधित आरेखों की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, देंगे।

12.3.5 स्वतंत्र अभियंता या प्राधिकरण की कोई समीक्षा और/या अवलोकन और/या किसी भी चित्र पर अपनी टिप्पणियों की समीक्षा और/या व्यक्त करने में इसकी विफलता रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों और देनदारियों से किसी भी तरह से राहत नहीं देगी और न ही स्वतंत्र इंजीनियर या प्राधिकरण किसी भी तरह से इसके लिए उत्तरदायी होगा।

12.3.6 पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही समीक्षा और टिप्पणियों के लिए स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, वैमानिकी परिसंपत्तियों और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों और स्वतंत्र इंजीनियर से संबंधित इसके चित्र और प्राधिकरण को अधिकार है, लेकिन दायित्व नहीं है कि इस तरह की समीक्षा करें और अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, ऐसे चित्र प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर प्रदान करें। इस खंड 12.3 के प्रावधान यहां दी गई समीक्षा और टिप्पणियों पर उत्परिवर्तन लागू करेंगे।

12.3.7 किसी भी चरण के पूरा होने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर, रियायतग्राही प्राधिकरण को 2 (दो) हार्ड कॉपी में और इसके संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप में या ऐसे अन्य माध्यम और तरीके से जो प्राधिकरण को स्वीकार्य हो सकता है, के रूप में निर्मित आरेखों का एक पूरा सेट प्रस्तुत करेगा, जो हवाई अड्डे को वास्तव में डिजाइन, इंजीनियर और निर्मित के रूप में दर्शाता है, जिसमें हवाई अड्डे के लेआउट और सेटबैक लाइनों, यदि कोई हो, को दर्शाते हुए परियोजना सुविधाओं का हिस्सा बनने वाली इमारतों और संरचनाओं का निर्माण शामिल है।

## 12.4 टर्मिनल बिल्डिंग

12.4.1 रियायतग्राही, टर्मिनल भवन और/या हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से का निर्माण शुरू होने से पहले, प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को वास्तुशिल्प पैरामीटर, नियंत्रण, भवन प्रोफाइल, अग्रभाग, आयाम, डिजाइन, निर्माण सामग्री, विनिर्देश, मात्रा का बिल और लागत अनुमान ("वास्तुशिल्प डिजाइन") प्रस्तुत करेगा। एक बार जब स्वतंत्र अभियंता और/या प्राधिकरण द्वारा इसकी समीक्षा और टिप्पणी की जाती है, तो केवल रियायतग्राही इसे किसी भी सहायक प्रस्तुतीकरण के रूप में या अन्यथा किसी भी सरकारी साधन को लागू कानूनों, लागू परमिट और/या प्रासंगिक लागू परमिट प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराएगा।

12.4.2 वास्तुशिल्प डिजाइन की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराएगा। यदि प्राधिकरण या स्वतंत्र इंजीनियर (प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत) की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि वास्तुशिल्प डिजाइन परियोजना के दायरे या विनिर्देशों और मानकों या अन्यथा के अनुरूप नहीं है, तो इसे रियायतग्राही द्वारा संशोधित किया जाएगा और प्राधिकरण की टिप्पणियों की प्राप्ति की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर समीक्षा के लिए प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। प्राधिकरण और/या स्वतंत्र अभियंता संशोधित वास्तुशिल्प डिजाइन प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, देंगे।

12.4.3 इस घटना में कि वास्तुशिल्प डिजाइन में कोई भी संशोधन खंड 12.4.1 के तहत और उसके अनुसार निर्धारित किया गया होगा, वास्तुशिल्प डिजाइन को उसकी सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

12.4.4 लागू परमिट प्राप्त करने के अधीन, रियायतग्राही खंड 12.4.2 में निर्दिष्ट 30 (तीस) दिनों की अवधि से परे इसके अनुसार प्रस्तुत वास्तुशिल्प डिजाइन पर प्राधिकरण की टिप्पणियों की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं होगा, और अपने विवेक और जोखिम पर निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। प्राधिकरण या स्वतंत्र इंजीनियर की कोई समीक्षा और/या अवलोकन और/या वास्तुशिल्प डिजाइन पर अपनी टिप्पणियों की समीक्षा और/या व्यक्त करने में उनकी विफलता, रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों और देनदारियों से किसी भी तरह से राहत नहीं देगी और न ही प्राधिकरण या स्वतंत्र इंजीनियर किसी भी तरह से इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

12.4.5 खंड 12.4.1 या खंड 12.4.2 के अनुसार रियायतग्राही या प्राधिकरण के बीच किसी भी असहमति उत्पन्न होती है, और अपने इरादे के दूसरे पक्ष को सूचित करता है, एक विवाद उत्पन्न हुआ माना जाएगा और अनुच्छेद 41 के प्रावधान उसके समाधान के लिए *mutatis mutandis* लागू होगा, बशर्ते कि खंड 41.3 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जा करने के लिए मध्यस्थों केवल अंतरराष्ट्रीय ख्याति के प्रख्यात वास्तुकारों से मिलकर होगा. इस तरह के मध्यस्थों के लिए प्राधिकरण द्वारा देय शुल्क होगा, मामले में संशोधन रियायतग्राही द्वारा प्रस्तावित किया गया है, प्रति दिन रु. 5,00,000 (रुपये पांच लाख) की सीमा के अधीन रियायतग्राही द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी.

## 12.5 हवाई अड्डे का निर्माण

12.5.1 रियायतग्राही अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची सी में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों और मास्टर प्लान के अनुरूप हवाई अड्डे पर निर्माण करेगा।

(i) रियायतग्राही सभी लागू परमिटों की खरीद करेगा जैसा कि चरण I के लिए निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक हो सकता है, जिसमें अनुसूची डी में निर्दिष्ट लागू परमिट बिना शर्त शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, या यदि शर्तों के अधीन हैं, तो ऐसी सभी शर्तों को तारीख तक और उसमें निर्दिष्ट रूप और तरीके से पूरा करें।

(ii) इस करार की शर्तों के अनुसार विकास अवधि में अनुमोदित विस्तार (विस्तारों) के अध्यक्षीन, परियोजना के चरण-I को पूरा करने की निर्धारित तारीख रियायतग्राही द्वारा दर्शाई गई तारीख होगी खंड 4.1.3 (एच) ("अनुसूचित पूर्णता तिथि") के अनुसार और रियायतग्राही सहमत है और यह वचन देता है कि हवाई अड्डे के चरण I का निर्माण निर्धारित समापन तिथि पर या उससे पहले पूरा हो जाएगा।

(iii) निर्धारित कार्य पूरा करने की तारीखें बाद के चरणों का निर्धारण रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर के परामर्श से किया जाएगा। इस बात पर सहमति है कि परियोजना के पूरा होने की अनुसूची और निर्धारित समापन तिथि सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, हवाई अड्डे के वाणिज्यिक संचालन से संबंधित प्रावधानों को अनुच्छेद 15 के तहत शामिल किया गया है।

12.5.2 रियायतग्राही स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से रियायतग्राही द्वारा तैयार और प्रस्तुत की जाने वाली चरण पूर्णता अनुसूची के अनुसार हवाई अड्डे का निर्माण करेगा और अनुसूची एफ में निर्धारित किया जाएगा।

12.5.3 घटना में, रियायतग्राही अनुसूची एफ में इस तरह के चरण मील के पत्थर के लिए निर्धारित तारीख से 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के भीतर चरण मील के पत्थर के अनुसार किसी भी मील का पत्थर को प्राप्त करने में विफल रहता है, जब तक कि ऐसी विफलता अप्रत्याशित घटना के कारण या प्राधिकरण के कारण कारणों से नहीं हुई है, वह प्राधिकरण को हर्जाने का भुगतान करेगा, जिसकी राशि का 0.1% (शून्य बिंदु एक प्रतिशत) की दर से गणना की गई राशि में प्राधिकरण को नुकसान का भुगतान किया जाएगा। चरण पूर्णता अनुसूची के अनुसार इस तरह के मील के पत्थर को प्राप्त करने तक प्रत्येक दिन की देरी के लिए प्रदर्शन सुरक्षा, बशर्ते कि यदि चरण पूर्णता अनुसूची या निर्धारित समापन तिथि के लिए कोई या सभी मील के पत्थर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाए जाते हैं, तो अनुसूची एफ में निर्धारित तिथियों को तदनुसार संशोधित माना जाएगा और इस समझौते के प्रावधान लागू होंगे जैसे कि अनुसूची एफ को ऊपर के रूप में संशोधित किया गया है, बशर्ते कि इस तरह के चरण के लिए निर्धारित पूर्णता तिथि को या उससे पहले संबंधित चरण के लिए सीओडी प्राप्त किया जाता है, इस खंड 12.5.3 के तहत भुगतान किए गए नुकसान को प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन उस पर बिना किसी ब्याज के। यह सहमति है कि इस खंड 12.5.3 के तहत नुकसान की वसूली इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगी, जिसमें समाप्ति का अधिकार भी शामिल है।

12.5.4 इस घटना में कि एक चरण निर्धारित पूर्णता तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर पूरा नहीं होता है, जब तक कि देरी पूरी तरह से प्राधिकरण के कारण या अप्रत्याशित घटना के कारण नहीं होती है, प्राधिकरण इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा। यहां निहित प्रावधानों के बावजूद, रियायतग्राही निर्धारित पूर्णता तिथि से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों की उक्त अवधि के भीतर चरण । पूर्णता तिथि की प्राप्ति में किसी भी देरी के लिए, लागू कानूनों के तहत देय अन्य राशियों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

## 12.6 परियोजना सुविधाओं का विकास



12.6.1 खंड 12.5 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही अनुसूची बी में निर्दिष्ट परियोजना सुविधाओं का विकास करेगा, और अनुसूची सी में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों और लागू परमिट के अनुरूप होगा।

12.6.2 परियोजना सुविधाओं में कोई भी विकास, जोड़ या संशोधन डिजाइन और मास्टर प्लान के अनुसार और हवाई अड्डे के समग्र डिजाइन और पर्यावरण के अनुरूप होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में, यह लागत प्रभावी और उपयोगकर्ताओं के सर्वोत्तम हित में होगा।

## **12.7 हवाई अड्डे का विस्तार**

12.7.1 जब भी हवाई अड्डे की क्षमता, जैसा कि मास्टर प्लान में निर्दिष्ट है, इस समझौते और/या आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों से कम हो जाती है, तो रियायतग्राही ऐसी कमी को पूरा करने के लिए क्षमता वृद्धि और उसका विस्तार करेगा। इस संबंध में, रियायतग्राही बिना शर्त या शर्तों के अधीन इस तरह के किसी भी विस्तार को करने के लिए आवश्यक सभी लागू परमिटों की खरीद करेगा, फिर ऐसी सभी शर्तों को पूरी तारीख तक और उसमें निर्दिष्ट तरीके से पूरा करेगा।

12.7.2 इस अनुच्छेद 12 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा और खरीद करेगा कि परियोजना सुविधाओं का विस्तार वास्तुशिल्प डिजाइन और मास्टर प्लान के अनुसार और हवाई अड्डे के समग्र डिजाइन और पर्यावरण के अनुरूप होगा।

## अनुच्छेद 13: निर्माण की निगरानी

### 13.1 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट

विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही, प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, प्राधिकरण को निष्पादित निर्माण कार्यों की प्रगति (भौतिक और वित्तीय दोनों) और अगली तिमाही की निर्माण योजना पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, साथ ही प्रासंगिक जानकारी के साथ, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो सकता है।

### 13.2 निरीक्षण

विकास अवधि के दौरान, स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों पर विचार करते हुए, हवाई अड्डे के कार्यों का निरीक्षण करेगा, तिमाही में कम से कम एक बार और इस तरह के निरीक्षण ("निरीक्षण रिपोर्ट") की एक रिपोर्ट बनाएगा, जिसमें चरण पूर्णता अनुसूची, परियोजना के दायरे, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों और लागू परमिट के विशेष संदर्भ में दोषों या कमियों, यदि कोई हो, को उचित विस्तार से बताया गया हो। यह प्राधिकरण को निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा और यदि आवश्यक हो तो प्राधिकरण दोषों या कमियों को सुधारने और दूर करने के लिए रियायतग्राही को सूचित करेगा, यदि निरीक्षण रिपोर्ट में कोई पहचान की गई है और रियायतग्राही, प्राधिकरण से ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, दोषों या कमियों, यदि कोई हो, को सुधारेगा और दूर करेगा। स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा इस तरह के निरीक्षण या निरीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से रियायतग्राही को किसी भी तरह से इसके तहत अपने दायित्वों और देनदारियों से राहत या मुक्ति नहीं मिलेगी। पार्टियां स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस अनुच्छेद 13 के तहत स्वतंत्र इंजीनियर के कार्यों में सिटी साइड डेवलपमेंट शामिल नहीं होगा।

### 13.3 जांच

13.3.1 यह निर्धारित करने के लिए कि निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र इंजीनियर को रियायतग्राही को गुणवत्ता आश्वासन के लिए अच्छे उद्योग अभ्यास, लागू कानूनों, लागू परमिट और इस समझौते के अनुसार, समय-समय पर स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले समय और आवृत्ति पर परीक्षण करने या कराने की आवश्यकता होगी। ऐसे परीक्षणों के लिए नमूने का आकार, जहां तक संभव हो, प्रदर्शन किए गए कुल कार्यों की मात्रा और/या परीक्षणों की संख्या के 10%

(दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा। रियायतग्राही, उचित परिश्रम के साथ, स्वतंत्र अभियंता के निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी परीक्षणों को करेगा या करवाएगा और उसके परिणाम स्वतंत्र अभियंता को प्रस्तुत करेगा। बशर्ते, हालांकि, स्वतंत्र अभियंता, इसके तहत निर्दिष्ट परीक्षणों को करने के बजाय, अपने विकल्प पर, अच्छे उद्योग अभ्यास, लागू कानूनों, लागू परमिट और इस समझौते के अनुसार अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले किसी भी परीक्षण को देखने या उसमें भाग लेने का निर्णय ले सकता है, और ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही इसके तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए स्वतंत्र इंजीनियर के साथ सहयोग करेगा, और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

13.3.2 इस घटना में कि इस खंड 13.3 के तहत किए गए किसी भी परीक्षण के परिणाम निर्माण कार्यों में किसी भी दोष या कमी को स्थापित करते हैं, रियायतग्राही उपचारात्मक उपाय करेगा और इस संबंध में स्वतंत्र इंजीनियर को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। स्वतंत्र इंजीनियर को रियायतग्राही को यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करने या करने की आवश्यकता होगी कि इस तरह के उपचारात्मक उपायों ने निर्माण कार्यों को विनिर्देशों और मानकों के अनुपालन में लाया है, और इस खंड 13.3 में निर्धारित प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि ऐसे निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप न हों।

13.3.3 यह सहमति है कि इस खंड 13.3 के अनुसार परीक्षण उन परीक्षणों के अलावा और स्वतंत्र रूप से किए जाएंगे जो अच्छे उद्योग अभ्यास, लागू कानूनों और लागू परमिट के अनुसार रियायतग्राही द्वारा अपने स्वयं के गुणवत्ता आश्वासन के लिए किए जाएंगे। यह भी सहमति है कि ऐसे परीक्षणों के परिणामों की एक प्रति रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर को तुरंत भेजी जाएगी।

## 13.4 निर्माण के दौरान देरी

खंड 12.5.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि रियायतग्राही किसी भी चरण के मील के पत्थर को प्राप्त नहीं करता है या स्वतंत्र इंजीनियर ने यथोचित रूप से निर्धारित किया होगा कि निर्माण कार्यों की प्रगति की दर ऐसी है कि निर्माण कार्य निर्धारित पूर्णता तिथि तक पूरा होने की संभावना नहीं है, तो वह प्राधिकरण को सूचित करेगा और प्राधिकरण बदले में इस आशय के रियायतग्राही को सूचित करेगा, और रियायतग्राही, इस तरह के नोटिस के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, एक संचार द्वारा प्राधिकरण

और स्वतंत्र अभियंता को प्रगति में तेजी लाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उचित विस्तार से सूचित करेगा और जिस अवधि के भीतर यह चरण पूरा होने की तारीख प्राप्त करेगा।

### 13.5 असुरक्षित निर्माण कार्यों का निलंबन

13.5.1 इस आशय के स्वतंत्र अभियंता की सिफारिश पर, प्राधिकरण नोटिस द्वारा रियायतग्राही को निर्माण कार्यों के पूरे या किसी भी हिस्से को निलंबित करने की आवश्यकता कर सकता है, यदि प्राधिकरण की उचित राय में, ऐसा कार्य उपयोगकर्ताओं या किसी भी जीवन या संपत्ति की सुरक्षा को खतरे में डालता है, हवाई अड्डे पर या उसके आसपास। बशर्ते कि आपात स्थिति के मामले में, प्राधिकरण स्वतः ऊपर उल्लिखित नोटिस जारी कर सकता है।

13.5.2 रियायतग्राही, खंड 13.5.1 के तहत नोटिस के अनुसार, निर्माण कार्यों या उसके किसी भी हिस्से को ऐसे समय के लिए और ऐसे तरीके से निलंबित कर देगा जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है और उसके बाद निलंबित कार्यों और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए उपचारात्मक उपाय करेगा। रियायतग्राही नोटिस द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर से ऐसे उपचारात्मक उपायों का निरीक्षण करने और प्राधिकरण को एक रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता कर सकता है जिसमें सिफारिश की गई हो कि इसके तहत निलंबन रद्द किया जा सकता है या नहीं। स्वतंत्र अभियंता की सिफारिशें प्राप्त होने पर, प्राधिकरण या तो इस तरह के निलंबन को रद्द कर देगा या रियायतग्राही को ऐसे अन्य और आगे उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश देगा जो प्राधिकरण की उचित राय में आवश्यक हो सकते हैं, और इस खंड 13.5 में निर्धारित प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि इसके तहत निलंबन रद्द नहीं हो जाता।

13.5.3 खंड 32.7 के प्रावधानों के अधीन, निलंबन की अवधि ("संरक्षण लागत") के दौरान निर्माण कार्यों या उसके हिस्से को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए किए गए सभी उचित लागत रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे, बशर्ते कि यदि प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप निलंबन हुआ है, तो संरक्षण लागत प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएगी। नियामक द्वारा निर्धारित किए जाने वाले वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए संरक्षण लागत को विशेष रूप से बाहर रखा जाएगा।

13.5.4 यदि निर्माण कार्यों का निलंबन रियायतग्राही के लिए जिम्मेदार नहीं होने के कारणों से है, और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार रियायतग्राही द्वारा पूर्वानुमानित और टाला नहीं जा सकता है, तो प्राधिकरण, स्वतंत्र इंजीनियर की सिफारिश पर, चरण पूर्णता अनुसूची में निर्धारित तिथियों के किसी भी

विस्तार का निर्धारण करेगा, जिसके लिए रियायतग्राही यथोचित हकदार है। इस घटना में कि अनुसूचित पूर्णता तिथि को इसके अनुसार बढ़ाया जाता है, रियायत अवधि को अनुसूचित पूर्णता तिथि के विस्तार की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया जाना माना जाएगा।

### **13.6 वीडियो रिकॉर्डिंग**

13.6.1 विकास अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्राधिकरण को प्रत्येक कैलेंडर तिमाही के लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करेगा, जिसे 3 (तीन) घंटे की डिजिटल वीडियो डिस्क या उसके किसी भी विकल्प में संकलित किया जाएगा, जिसमें उस तिमाही में निर्माण कार्यों की स्थिति और प्रगति को शामिल किया जाएगा। इस तरह की पहली वीडियो रिकॉर्डिंग सीओडी के 7 (सात) दिनों के भीतर और उसके बाद, प्रत्येक तिमाही के बंद होने के 15 (पंद्रह) दिनों के बाद नहीं प्रदान की जाएगी।

13.6.2 इस खंड 13.6 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग, समान रूप से साप्ताहिक वितरण के आधार पर रियायतग्राही द्वारा की गई गतिविधियों को कवर करेगी, और प्रासंगिक रिकॉर्डिंग अवधि के दौरान रियायतग्राही द्वारा की गई और की गई गतिविधियों का सही प्रतिबिंब होगी।

## अनुच्छेद 14: चरण का पूरा होना

### 14.1 टेस्ट

14.1.1 प्रासंगिक चरण के संभावित समापन से 30 (तीस) दिन पहले नहीं, रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक चरण के अधीन करने के अपने इरादे के बारे में सूचित करेगा। प्रत्येक परीक्षण की तारीख और समय रियायतग्राही द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा, और प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा जो परीक्षण देखने के लिए अपने प्रतिनिधि को नामित कर सकता है। रियायतग्राही और स्वतंत्र इंजीनियर के परीक्षण आयोजित करने की तारीखों पर पारस्परिक रूप से सहमत होने में विफल रहने की स्थिति में, रियायतग्राही स्वतंत्र इंजीनियर को कम से कम 15 (पंद्रह) दिनों के नोटिस द्वारा तारीखें तय करेगा। यह सहमति है कि इस अनुच्छेद 14 के प्रावधान सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होंगे।

14.1.2 सभी परीक्षण रियायतग्राही की लागत और व्यय पर अनुसूची जी के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। स्वतंत्र इंजीनियर विनिर्देशों और मानकों और लागू परमिटों के साथ हवाई अड्डे के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए परीक्षाओं के परिणामों का निरीक्षण, निगरानी और समीक्षा करेगा और यदि किसी भी परीक्षण के दौरान स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा यह उचित रूप से प्रत्याशित या निर्धारित किया जाता है कि हवाई अड्डे या उसके किसी भी हिस्से का प्रदर्शन विनिर्देशों और मानकों को पूरा नहीं करता है, तो उसे इस तरह के परीक्षण को निलंबित करने या देरी करने का अधिकार है और रियायतग्राही को दोषों या कमियों को दूर करने और सुधारने की आवश्यकता होगी। प्रत्येक परीक्षण के पूरा होने पर, रियायतग्राही स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकरण को विस्तृत परीक्षण परिणामों सहित सभी परीक्षण डेटा की प्रतियां प्रदान करेगा।

14.1.3 प्राधिकरण और/या स्वतंत्र इंजीनियर को विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों और लागू परमिटों के साथ हवाई अड्डे के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए, अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार, रियायतग्राही की लागत पर अतिरिक्त परीक्षण करने या करने की आवश्यकता हो सकती है, या निम्नलिखित में से किसी भी कारण से रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, एटीसी सुविधा और टर्मिनल भवन की भौतिक संरचना की ताकत की पर्याप्तता के बारे में उचित संदेह है:

(क) के परिणाम निर्दिष्ट ताकत से नीचे गिरने वाले कंक्रीट परीक्षण क्यूब्स पर संपीड़न शक्ति;

(ख) फॉर्मवर्क को समय से पहले हटाना;

(ग) कंक्रीट का अपर्याप्त उपचार;(घ) संरचना या उसके हिस्से के निर्माण के दौरान अधिक लोडिंग;

(ड.) कंधी किए गए शहद की उपस्थिति या क्षतिग्रस्त कंक्रीट जो डिजाइन भार ले जाने के लिए संरचना की

स्थिरता को प्रभावित कर सकता है; या

(च) कोई अन्य कारण जिसके परिणामस्वरूप संरचना या उसका कोई भाग अपेक्षित संख्या से कम हो सकता है।

## 14.2 समापन

इस समझौते ("समापन") के प्रावधानों के अनुसार निर्माण कार्यों के पूरा होने पर और सफल होने के लिए परीक्षणों का निर्धारण करने वाले स्वतंत्र अभियंता, रियायतग्राही स्वतंत्र इंजीनियर को एक प्रति के साथ प्राधिकरण को एक पूर्णता रिपोर्ट ("पूर्णता रिपोर्ट") प्रस्तुत करेगा। पूर्णता रिपोर्ट में परीक्षण डेटा, अपनाई गई प्रक्रियाएं, परीक्षण के परिणाम शामिल होंगे और स्वतंत्र इंजीनियर रियायतग्राही की पूर्णता रिपोर्ट के सत्यापन पर, इस समझौते की शर्तों के अनुसार संबंधित चरण के भौतिक निर्माण को पूरा करने के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र ("पूर्णता प्रमाणपत्र") जारी करने के लिए प्राधिकरण की सिफारिश करेगा, और रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार, वाणिज्यिक संचालन शुरू करने से पहले सभी आवश्यक लागू परमिट प्राप्त करने के लिए बाध्य रहेगा।

## 14.3 अस्थायी समापन

14.3.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही के अनुरोध पर और स्वतंत्र अभियंता की सिफारिशों के अधीन और डीजीसीए लाइसेंस सहित सभी अपेक्षित लागू परमिट प्राप्त करने के अधीन, निर्माण कार्यों के वाणिज्यिक संचालन की अनुमति दे सकता है यदि परीक्षण सफल होते हैं और निर्माण कार्यों को सुरक्षित और मज़बूती से वाणिज्यिक संचालन में रखा जा सकता है, हालांकि कुछ कार्य या चीजें उसका हिस्सा बनने वाली हैं और अभी तक पूर्ण नहीं हैं ("अनंतिम पूर्णता")। ऐसी स्थिति में, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही के परामर्श से, प्राधिकरण को बकाया मदों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जिस पर बाद में प्राधिकरण, स्वतंत्र अभियंता और रियायतग्राही ("पंच लिस्ट") द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।

14.3.2 यहां पार्टियां स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस खंड 14.3 के तहत संचालन, इस आशय के रियायतग्राही के अनुरोध पर, हवाई अड्डे के संचालन के हिस्से के लिए अनुमति दी जा सकती है, यदि इसे खंड 14.3.1 के प्रावधानों के अनुसार वाणिज्यिक संचालन में सुरक्षित और मजबूती से रखा जा सकता है। इस खंड 14.3 के तहत संचालन की अनुमति देने पर, इस समझौते के प्रावधान हवाई अड्डे के ऐसे पूर्ण हिस्से पर लागू होंगे, और हवाई अड्डे के ऐसे पूर्ण हिस्से के संबंध में रियायतग्राही के अधिकारों और दायित्वों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

14.3.3 रियायतग्राही निर्धारित अवधि के भीतर पंच सूची मदों को पूरा करने और लागू कानूनों के अनुसार सभी आवश्यक लागू परमिट प्राप्त करने के लिए बाध्य रहेगा।

#### **14.4 पंच लिस्ट आइटम का समापन**

14.4.1 पंच सूची में सभी मदों को रियायतग्राही द्वारा निर्धारित पूर्णता तिथि से पहले पूरा किया जाएगा और उसके बाद किसी भी देरी के लिए, प्राधिकरण पूरी तरह से प्राधिकरण के कारण या अप्रत्याशित घटना के कारण कारणों के अलावा, प्राधिकरण रियायतग्राही से नुकसान की वसूली करने का हकदार होगा, जिसकी गणना की जाएगी और देरी के प्रत्येक दिन के लिए भुगतान किया जाएगा जब तक कि सभी मदें पूरी नहीं हो जातीं, निम्न स्तर पर: (ए) प्रदर्शन सुरक्षा का 0.1% (शून्य बिंदु एक प्रतिशत), और (बी) स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा अनुमानित ऐसी वस्तुओं को पूरा करने की लागत का 0.2% (शून्य बिंदु दो प्रतिशत)। इस तरह के नुकसान के भुगतान के अधीन, रियायतग्राही पंच सूची आइटम को पूरा करने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक की अवधि का हकदार होगा। यदि किसी वस्तु के पूरा होने में पूरी तरह से प्राधिकरण के कारण या अप्रत्याशित घटना के कारण देरी हो रही है, तो उसके पूरा होने की तारीख स्वतंत्र अभियंता द्वारा अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

14.4.2 सभी पंच सूची मदों के पूरा होने पर, रियायतग्राही, यदि आवश्यक हो, स्वतंत्र इंजीनियर की उपस्थिति में लागू परीक्षण करेगा और रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को अपनी पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। किसी भी कारण से खंड 14.4.1 में निर्धारित समय के भीतर सभी पंच सूची मदों को पूरा करने में रियायतग्राही की विफलता, अप्रत्याशित घटना का गठन करने वाली शर्तों के अलावा या पूरी तरह से प्राधिकरण के लिए जिम्मेदार कारणों से, प्राधिकरण को इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार देगा।

#### **14.5 पूर्णता प्रमाणपत्र रोकना**



14.5.1 यदि स्वतंत्र इंजीनियर यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डा या उसका कोई हिस्सा इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसे वाणिज्यिक संचालन में सुरक्षित और मज़बूती से नहीं रखा जा सकता है, तो वह तुरंत इस संबंध में एक रिपोर्ट देगा और उसकी प्रतियां प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा। स्वतंत्र अभियंता से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर और अपना स्वयं का निरीक्षण करने के बाद, यदि प्राधिकरण की राय है कि हवाई अड्डा वाणिज्यिक सेवा के लिए उपयुक्त और सुरक्षित नहीं है, तो वह उपरोक्त रिपोर्ट प्राप्त करने के 7 (सात) दिनों के भीतर, हवाई अड्डे में दोषों और कमियों के बारे में रियायतग्राही को सूचित करेगा और स्वतंत्र इंजीनियर को अनंतिम प्रमाण पत्र या पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने से रोकने का निर्देश देगा, जैसा भी मामला हो। इस तरह के नोटिस की प्राप्ति पर, रियायतग्राही ऐसे दोषों या कमियों को दूर करेगा और उन्हें सुधारेगा और उसके बाद इस अनुच्छेद 14 के अनुसार परीक्षण किए जाएंगे। इस तरह की प्रक्रिया को आवश्यकतानुसार तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए दोषों या कमियों को ठीक नहीं किया जाता है।

14.5.2 खंड 14.5.1 में निहित विपरीत कुछ भी होते हुए भी, प्राधिकरण, उस खंड के तहत स्वतंत्र अभियंता से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद किसी भी समय, स्वतंत्र अभियंता खंड 14.3 के तहत एक अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निदेश हो सकता है, और इस तरह के निर्देश का तुरंत पालन किया जाएगा.

## **14.6 परीक्षणों का पुनर्निर्धारण**

यदि स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण और रियायतग्राही को प्रमाणित करता है कि वह पूर्णता प्रमाण पत्र या अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करने में असमर्थ है, जैसा भी मामला हो, उन घटनाओं या परिस्थितियों के कारण जिनके कारण परीक्षण आयोजित नहीं किए जा सके या निलंबित किए जाने पड़े, तो रियायतग्राही परीक्षणों को फिर से निर्धारित करने और जितनी जल्दी संभव हो सके इसे आयोजित करने का हकदार होगा।

## अनुच्छेद 15: वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश

### 15.1 व्यावसायिक संचालन तिथि

15.1.1 इस रियायत की वाणिज्यिक संचालन तिथि ("सीओडी") वह तारीख होगी जिस पर अनुच्छेद 4 के अनुसार सभी शर्तों को पूरा किया गया है और रियायतग्राही ने वित्तीय समापन प्राप्त किया है, और सीओडी से रियायतग्राही हवाई अड्डे के संचालन और प्रबंधन को शुरू करने का हकदार होगा और अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क की मांग करने और एकत्र करने का हकदार होगा।

15.1.2 रियायतग्राही एतद्वारा सहमत है और वचन देता है कि वह इस समझौते की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर सीओडी प्राप्त करेगा और देरी की स्थिति में, यह देरी के प्रत्येक दिन के लिए प्रदर्शन सुरक्षा के 0.2% (शून्य बिंदु दो प्रतिशत) की दर से गणना की गई राशि में प्राधिकरण को नुकसान के भुगतान के अधीन 90 (नब्बे) दिनों से अधिक की अवधि का हकदार होगा; बशर्ते कि यहां निर्दिष्ट नुकसान हर हफ्ते अग्रिम में देय होगा और 90 (नब्बे) दिनों की अवधि केवल भुगतान किए गए नुकसान की सीमा तक दी जाएगी; बशर्ते कि कोई नुकसान देय नहीं होगा यदि सीओडी में इस तरह की देरी खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट शर्तों की संतुष्टि में प्राधिकरण द्वारा किसी भी चूक या देरी के परिणामस्वरूप हुई है या अप्रत्याशित घटना के कारण। संदेह से बचने के लिए, इसके तहत देय हर्जाना खंड 4.2 के तहत देय नुकसान के अतिरिक्त होगा।

### 15.2 विलंब के कारण समाप्ति

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, लेकिन खंड 32.6.1 के अधीन, इस घटना में कि सीओडी नहीं होता है, किसी भी कारण से, खंड 15.1 में निर्धारित अवधि के भीतर, इस समझौते के तहत या उससे उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के सभी अधिकारों, विशेषाधिकारों, दावों और हकदारियों को माफ कर दिया गया माना जाएगा, और रियायतग्राही की सहमति से समाप्त हो गया है, और रियायत समझौते को पार्टियों के आपसी समझौते से समाप्त माना जाएगा।

## अनुच्छेद 16: संक्रमणकालीन व्यवस्था

### 16.1 वित्त का हस्तांतरण

16.1.1 हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में सभी राजस्व, प्राप्तियां, व्यय और अन्य वित्तीय लेनदेन को सीओडी पर 0000 (शून्य शून्य शून्य) घंटे से प्राधिकरण से रियायतग्राही को हस्तांतरित किया जाएगा और इसके संबंध में सभी अधिकार, दायित्व और देनदारियां विशेष रूप से उस घंटे से और हस्तांतरण की तारीख तक रियायतग्राही में निहित होंगी।

सीओडी से पहले प्राधिकरण द्वारा की गई सभी देनदारियां, जिसमें कोई भी ऋण दायित्व और प्राधिकरण या किसी भी तीसरे को भुगतान शामिल हैडी पार्टी, हर समय प्राधिकरण में निहित होना जारी रखेगा, और प्राधिकरण किसी भी और सभी मुकदमे, कार्यवाही, कार्यों, मांगों और किसी भी प्रकार के नुकसान, क्षति, लागत और व्यय के लिए किसी भी और सभी मुकदमे, कार्यवाही, कार्रवाइयों, मांगों और दावों के खिलाफ हानिरहित रखेगा। बशर्ते कि प्राधिकरण किसी भी व्यक्तिगत दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो 2,00,00,000 रुपये (दो करोड़ रुपये) से कम है, और न ही किसी या सभी नवीकृत अनुबंधों और/या गैर-नवीकृत अनुबंधों के तहत सभी दावों (संबंधित ब्याज और प्रवर्तन लागतों को छोड़कर) के लिए प्राधिकरण की कुल देयता 20,00,00,000 रुपये (बीस करोड़ रुपये) के बराबर या उससे अधिक होगी।

16.1.2 हवाई अड्डे के लिए और उसके संबंध में सभी मौजूदा सुरक्षा जमा, बयाना धन जमा, बैंक गारंटी, प्रदर्शन प्रतिभूतियां या अन्य समान उपकरण, जिनमें वे भी शामिल हैं जो सभी नवीकृत अनुबंधों के लिए प्रतिपक्ष (पक्षों) द्वारा प्रस्तुत किए गए हो सकते हैं, प्राधिकरण द्वारा काउंटर पार्टी को जारी किए जाएंगे, जो ऐसे प्रतिपक्ष द्वारा रियायतग्राही को प्रस्तुत किए जाने पर, सीओडी के 180 (एक सौ आठ) दिनों के भीतर।

### 16.2 गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

खंड 16.3 के अधीन, रियायतग्राही को सीओडी पर सभी गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों का नियंत्रण ग्रहण करने वाला माना जाएगा।

### 16.3 वैमानिकी परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

रियायतग्राही को सीओडी पर सभी वैमानिकी परिसंपत्तियों और टर्मिनल भवन का नियंत्रण ग्रहण करने वाला माना जाएगा।

#### **16.4 संयुक्त प्रबंधन के दौरान प्राधिकरण के दायित्व**

16.4.1 प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा और प्राप्त करेगा कि संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर सेवारत उसके सभी कर्मचारी रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और ईमानदारी और दक्षता के साथ अपने संबंधित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करें।

16.4.2 प्राधिकरण या उसके कर्मचारी संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान किसी भी कार्य या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य या चूक घोर लापरवाही या जानबूझकर चूक के कारण हुई थी।

16.4.3 रियायतग्राही सीओडी से 1 (एक) वर्ष के भीतर हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त करेगा। इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, प्राधिकरण डीजीसीए द्वारा जारी विमान नियम, 1937 और 16 अक्टूबर, 2006 के नागरिक विमानन आवश्यकताओं (सीएआर) के पैराग्राफ 7.3 सहित लागू कानूनों के अनुसार हवाई अड्डे के हवाई अड्डे के हवाई अड्डे के संचालन के रूप में कार्य करना जारी रखेगा, और हवाई अड्डे के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा जब तक कि रियायतग्राही को हवाई अड्डा लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाता है; बशर्ते, हालांकि, इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों को रियायतग्राही की देनदारियां माना जाएगा।

16.4.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि, संयुक्त प्रबंधन अवधि के दौरान, रियायतग्राही हवाई अड्डे के संचालन, विकास और प्रबंधन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, और प्राधिकरण के पास इस संबंध में कोई दायित्व और/या अधिकार नहीं होंगे, सिवाय इसके कि इस समझौते में अन्यथा निर्धारित किया गया है।

#### **16.5 सीओडी से पहले अवलोकन अवधि**

प्राधिकरण, सीओडी से पहले 60 (साठ) दिनों की अवधि के लिए, रियायतग्राही और उसके द्वारा नामित सभी व्यक्तियों को हवाई अड्डे में प्रवेश करने और हवाई अड्डे पर कर्मचारियों, उपकरणों, प्रणालियों

और सुविधाओं के कामकाज का निरीक्षण करने में सक्षम करेगा। प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को रियायतग्राही और उसके नामित व्यक्तियों के साथ सहयोग करने और सीओडी के बाद हवाई अड्डे के संचालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में उनकी सहायता करने का निर्देश देगा। बशर्ते कि इस खंड 16.5 के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब रियायतग्राही ने अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान की हो।

## **अनुच्छेद 17: कार्यक्षेत्र में परिवर्तन**

### **17.1 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन**

17.1.1 इस समझौते में निहित किसी भी बात के बावजूद, परियोजना के दायरे का हिस्सा बनने वाले दायित्वों में से किसी भी अतिरिक्त या चूक को दायरे में परिवर्तन ("दायरे का परिवर्तन") माना जाएगा। दायरे का कोई भी परिवर्तन इस अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

17.1.2 यदि रियायतग्राही किसी भी समय यह निर्धारित करता है कि उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए दायरे में परिवर्तन आवश्यक हैं, तो उसे लिखित रूप में नोटिस द्वारा, प्राधिकरण को दायरे के ऐसे परिवर्तन पर विचार करने की आवश्यकता होगी। प्राधिकरण, इस तरह की सूचना प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, या तो संशोधनों के साथ इस तरह के दायरे में परिवर्तन, यदि कोई हो, को स्वीकार करेगा और इस अनुच्छेद 17 के अनुसार वहां कार्यवाही शुरू करेगा या इस तरह के दायरे में बदलाव को स्वीकार नहीं करने के कारणों के बारे में रियायतग्राही को लिखित रूप में सूचित करेगा।

17.1.3 कोई भी कार्य या सेवाएं जो इस अनुच्छेद 17 के अनुसार दायरे में परिवर्तन के रूप में की जाती हैं, हवाई अड्डे का हिस्सा बनेंगी, और इस समझौते के प्रावधान ऐसे कार्यों या सेवाओं पर उत्परिवर्तन लागू करेंगे।

17.1.4 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि वैमानिकी परिसंपत्तियों और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों का कोई भी विस्तार, जो इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन के लिए आवश्यक है, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का हिस्सा नहीं बनेगा और रियायतग्राही की लागत और व्यय पर किया जाएगा।

### **17.2 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया**

17.2.1 यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक हैं, तो वह रियायतग्राही को उसके तहत विचार किए गए कार्यों और सेवाओं ("कार्यक्षेत्र में परिवर्तन") को उचित विस्तार से निर्दिष्ट करने वाला एक नोटिस जारी करेगा।

17.2.2 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने पर, रियायतग्राही, उचित परिश्रम के साथ, प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो आवश्यक हो, साथ ही निम्नलिखित के समर्थन में प्रारंभिक दस्तावेज भी प्रदान करेगा:

(क) यदि विकास अवधि के दौरान कार्य या सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है तो चरण पूर्णता अनुसूची पर कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) कार्यक्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन को कार्यान्वित करने के लिए क्या विकल्प हैं?d प्रभाव, यदि कोई हो, तो ऐसे प्रत्येक विकल्प का लागत और समय पर प्रभाव पड़ेगा।

17.2.3 खंड 17.2.2 में निर्धारित जानकारी प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण दायरे में बदलाव के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेता है, तो वह रियायतग्राही को अपना पसंदीदा विकल्प बताएगा, और पार्टियां स्वतंत्र इंजीनियर की सहायता से कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कार्यान्वयन के तरीके पर सहमत होने के लिए सद्भावना प्रयास करेंगी। एक समझौते पर पहुंचने पर, प्राधिकरण एक आदेश जारी करेगा ("दायरे में परिवर्तन आदेश") जिसके लिए रियायतग्राही को उसके प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। इस घटना में, पार्टियां सहमत होने में असमर्थ हैं, प्राधिकरण, दायरे में बदलाव आदेश जारी करके, रियायतग्राही को विवाद के लंबित समाधान के प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है।

17.2.4 इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षाओं से संबंधित हैं, इस अनुच्छेद 17 के तहत दायरे में बदलाव के रूप में रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्परिवर्तन लागू करेंगे।

17.2.5 कार्यक्षेत्र का ऐसा कोई भी परिवर्तन इस अनुच्छेद 17 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, जो नियामक के अनुमोदन के अधीन होगा, जिसमें वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए नियामक के निर्णय के संबंध में भी शामिल है। प्राधिकरण कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के हिस्से के रूप में कार्यों या सेवाओं के संबंध में रियायतग्राही को कोई भुगतान नहीं करेगा।

### **17.3 कार्य और सेवाएं करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति**

17.3.1 इस अनुच्छेद 17 में निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, प्राधिकरण, रियायतग्राही को नोटिस देने के बाद और उसके जवाब पर विचार करने के बाद, खुली प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दायरे में परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले किसी भी कार्य या सेवाओं को प्रदान कर

सकता है, बशर्ते कि रियायतग्राही के पास बोली प्रक्रिया में भाग लेने का विकल्प हो, प्राधिकरण को ऐसे कार्यों या सेवाओं की अनुमानित लागत का 2.50% (दो दशमलव पांच शून्य प्रतिशत) का भुगतान करने के अधीन। रियायतग्राही इस तरह के एक बार के विकल्प का प्रयोग करने का हकदार होगा यदि उसने बोली प्रक्रिया में भाग लिया है और इसकी बोली पहली रैंक की बोली के 10% (दस प्रतिशत) के भीतर है। यदि रियायतग्राही ऐसे किसी भी कार्य या सेवाओं को लागू नहीं कर रहा है, तो रियायतग्राही उस व्यक्ति को पहुंच, सहायता और सहयोग प्रदान करेगा जो इसके तहत कार्यों या सेवाओं को करता है।

17.3.2 इस खंड 17.3 के अनुसार किए गए कार्य या सेवाएं विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप होंगी और इस तरह से की जाएंगी जिससे हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास में व्यवधान कम हो सके। इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्यों और परीक्षणों से संबंधित हैं, इस खंड 17.3 के तहत किए गए कार्यों के लिए उत्परिवर्तन लागू करेंगे।

#### **17.4 दायरे में परिवर्तन के कार्यान्वयन के लिए लागत**

रियायतग्राही को कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले कार्यों या सेवाओं के पुरस्कार के बावजूद या अन्यथा इस अनुच्छेद 17 के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी भी लागत को प्राधिकरण द्वारा ऐसे कार्यों या सेवाओं के पूरा होने पर रियायतग्राही को सूचित किया जाएगा। रियायतग्राही नियामक को वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ ऐसी लागतों का एक विवरण प्रस्तुत करेगा, और प्राधिकरण को ऐसी सभी राशियों का भुगतान 6 (छह) समान मासिक किश्तों में करेगा।



## अनुच्छेद 18: संचालन, रखरखाव और प्रबंधन

### 18.1 रियायतग्राही के ओ एंड एम दायित्व

18.1.1 रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार या तो स्वयं या ओ एंड एम ठेकेदारों के माध्यम से हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव करेगा और यदि आवश्यक हो, तो इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू परमिटों का पालन करने के लिए हवाई अड्डे में संशोधन, मरम्मत या अन्यथा सुधार करेगा, और विनिर्देशों और मानकों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप होगा। इसके तहत रियायतग्राही के दायित्वों में शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

(क) वैमानिकी सेवाएं, गैर-वैमानिक सेवाएं और ऐसी अन्य सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करना, जैसे यदि हां,

तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सामान्य प्रचालन की स्थिति के दौरान प्रयोक्ताओं की सुरक्षित, सुचारू और निर्बाध आवाजाही और हवाईअड्डे पर यातायात के प्रवाह की अनुमति देना, जिसमें हानि या क्षति को रोकना शामिल है एनएस;

(ग) शुल्क एकत्र करना और उसका विनियोग करना;

(घ) विमान की सुरक्षा और उपयोग को प्रभावित करने वाली दुर्घटनाओं या अन्य घटनाओं की स्थिति में एयरसाइड, टमनल भवन और भूमि की ओर सहित हवाईअड्डे के प्रचालन में व्यवधान को कम करना राज्य की आपातकालीन सेवाओं के साथ त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया और संपर्क बनाए रखना;

(ङ) विमानपत्तन का आवधिक निवारक अनुरक्षण करना;

(च) यह सुनिश्चित करना कि रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच क्षेत्र सहित वैमानिकी परिसंपत्तियां लागू कानूनों, लागू परमिट और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निहित प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा और संचालित किया जाता है;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि रन के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया सहित रनवेटैक्सोवे और आइसोलेशन बे के लिए रास्ता और स्ट्रिप्स और कंधों को लागू कानूनों, लागू परमिट और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निहित प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा जाता है;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि हवाई अड्डे की बाधा सीमा सतहें और पहुंच और टेक-ऑफ क्षेत्र अवरोधों से मुक्त हैं या बाधाएं लागू कानूनों, लागू परमिटों और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में विनिर्दिष्ट अनुमेय सीमाओं तक सीमित होंगी;

(i) नियमित एम का उपक्रमदरारें, जोड़ों, जल निकासी प्रणाली, तटबंधों, संरचनाओं, भवनों, फुटपाथ चिह्नों, सिग्नलिंग सिस्टम, संचार प्रणाली, प्रकाश व्यवस्था, साइनेज और अन्य उपकरणों की शीघ्र मरम्मत सहित अनिश्चितता;

(ज) रेपाई जैसे प्रमुख अनुरक्षण करना संरचनाओं, उपकरणों की मरम्मत और नवीनीकरण, सिग्नलिंग और संचार प्रणाली और उपकरणों के प्रमुख ओवरहाल के लिए आरएस;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि प्राधिकरण अथवा भारत सरकार की नामित एजेंसी द्वारा यथास्थिति, संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र, यथा भी मामला हो, ई, सीएनएस/एटीएम उपकरण और सुविधाओं के संचालन के लिए किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाएगा और किसी भी बाधा की अनुमति नहीं दी जाएगी जो इन उपकरणों और सुविधाओं की सुरक्षा या कामकाज में बाधा डाल सकती है या विमान संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है;

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि लागू कानूनों और उद्योग पद्धतियों के अनुसार विमानपत्तन में और उसके आस-पास पक्षियों और पशुओं के उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर समुचित व्यवस्था और सावधानियां बरती गई हैं;

(ड) टी को बनाए रखना वह एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम और मुख्य और स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणाली लागू कानूनों और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित मानकों के अनुसार, और डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं, जैसा कि समय-समय पर जारी या अद्यतन किया जा सकता है, और प्रासंगिक और मानक;

(ढ) संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से हवाई अड्डे पर किसी भी अतिक्रमण, अनधिकृत प्रवेश या अनधिकृत उपयोग को रोकना;

(ण) पर्यावरण का संरक्षण और संरक्षण और पीड़ितों के लिए उपकरण और सामग्री का रोज़िजन;

(त) वैमानिकी सेवाओं और गैर-वैमानिकी सेवाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी संचार, नियंत्रण और प्रशासनिक प्रणालियों का संचालन और रखरखाव;

(थ) अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए लागू कानूनों के अनुसार उपयोगकर्ताओं, सरकारी उपकरणों, मीडिया और अन्य एजेंसियों के सुझावों पर ध्यान देने और उन पर ध्यान देने के लिए एक जनसंपर्क इकाई का गठन;

(द) संरक्षा संबंधी ब्यौरा क्या है? अनुच्छेद 18 के अनुसार आयरमेंट;

(एस) सभी परियोजना परिसंपत्तियों का परिश्रमपूर्वक और कुशलता से और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार संचालन और रखरखाव;

(ध) हवाई अड्डे के प्रचालन में समय की पाबंदी और विश्वसनीयता बनाए रखना;

(न) एक उच्च स्तर बनाए रखना (क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डे पर साफ-सफाई और स्वच्छता के स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा;

(प) संगत इकाओं मानकों अथवा उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्नि सावधानियों से संबंधित सभी उपाय करना (एस), लागू कानून, लागू परमिट और अच्छा उद्योग अभ्यास;

(w) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सभी अपेक्षित सूचना, आंकड़े, प्रचालन सांख्यिकी आदि प्रदान करना, जैसा कि किसी भी सरकारी यंत्र, नागर विमानन महासंचालनालय, राज्य सरकार या भारत सरकार, के साथ समय-समय पर।

18.1.2 रियायतग्राही हवाई अड्डे से सभी अधिशेष निर्माण मशीनरी और सामग्री, अपशिष्ट पदार्थ (खतरनाक सामग्री और अपशिष्ट जल सहित), कचरा और अन्य मलबे (बिना किसी सीमा के, दुर्घटना मलबे सहित) को तुरंत हटा देगा और हवाई अड्डे को साफ, सुव्यवस्थित और व्यवस्थित स्थिति में रखेगा, और लागू कानूनों, लागू परमिट और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप होगा।

18.1.3 रियायतग्राही अनुच्छेद 11 के अनुसार, साइट पर स्थित संपर्क सड़कों, ओवर-ब्रिज/अंडर-ब्रिज, ओवर-पास, अंडर-पास या अन्य संरचनाओं या उपयोगिताओं के सभी खंडों को अच्छी उद्योग पद्धति के अनुरूप, बनाए रखेगा।

## 18.2 रखरखाव आवश्यकताएँ

रियायतग्राही हर समय हवाई अड्डे के रखरखाव में लागू कानून का पालन करेगा और लागू कानूनों, लागू परमिट, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित मानकों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार अच्छी परिचालन मरम्मत और स्थिति को बनाए रखेगा या हवाई अड्डे को उचित रूप से आवश्यक सीमा तक नवीनीकृत, प्रतिस्थापित और अपग्रेड करेगा। सभी रखरखाव, मरम्मत और अन्य कार्य इस तरह से किए जाएंगे कि हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं को होने वाली असुविधा को कम किया जा सके।

## 18.3 सुरक्षा, ब्रेकडाउन और दुर्घटनाएं

18.3.1 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित स्थिति सुनिश्चित करेगा, और असुरक्षित परिस्थितियों, रनवे या टैक्सीवे को नुकसान, एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में व्यवधान, ब्रेकडाउन और दुर्घटनाओं की स्थिति में, यह प्रासंगिक मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और बिना किसी देरी के रुकावट और मलबे को हटाने का कार्य करेगा। ऐसी प्रक्रियाएं इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों, लागू परमिट, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित मानकों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप होंगी। इस संबंध में, रियायतग्राही यहां अनुसूची 1 में सुरक्षा के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का भी पालन करेगा।

18.3.2 हवाई अड्डे पर बचाव कार्यों के लिए रियायतग्राही की जिम्मेदारी में किसी विशेष घटना की प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में प्रभावित क्षेत्र से सभी उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों की सुरक्षित निकासी शामिल होगी और इसमें मलबे या किसी अन्य बाधा को शीघ्र हटाना भी शामिल होगा, जो यातायात के सुचारु प्रवाह और उपयोगकर्ताओं की आवाजाही को खतरे में डाल सकता है या बाधित कर सकता है। इस प्रयोजन के लिए, यह बचाव उपकरणों के साथ 2 (दो) चौबीसों घंटे बचाव वाहनों का रखरखाव और संचालन करेगा और वाहनों को इस तरह से तैनात करेगा जिससे दुर्घटना स्थल तक त्वरित पहुंच हो सके।

## 18.4 आपातकालीन स्थिति के कारण सेवा से हटाना

18.4.1 यदि, कोई आपात स्थिति मौजूद है जो हवाई अड्डे के पूरे या किसी भी हिस्से को डी-कमीशनिंग और बंद करने की वारंट करती है, तो रियायतग्राही, प्राधिकरण या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा

सलाह के अनुसार, इस तरह की आपात स्थिति और उसके परिणामों के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए हवाई अड्डे के पूरे या किसी भी हिस्से को बंद करने और बंद करने का हकदार होगा, बशर्ते कि इस तरह की डी-कमीशनिंग और उसके विवरण को रियायतग्राही द्वारा बिना किसी देरी के प्राधिकरण को अधिसूचित किया जाएगा, और रियायतग्राही परिश्रमपूर्वक किसी भी उचित निर्देश का पालन करेगा और उनका पालन करेगा जो प्राधिकरण ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए दे सकता है।

18.4.2 रियायतग्राही हवाई अड्डे या उसके प्रभावित हिस्से को जल्द से जल्द फिर से चालू कर देगा, जब इसके डी-कमीशनिंग और बंद होने की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है या इतना कम हो गया है कि रियायतग्राही हवाई अड्डे को फिर से चालू करने में सक्षम हो जाएगा और बिना किसी देरी के प्राधिकरण को सूचित करेगा।

18.4.3 हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से को बंद करना या बंद करना और उसे फिर से चालू करना, जितनी जल्दी संभव हो, सार्वजनिक घोषणाओं/नोटिस के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के ध्यान में लाया जाएगा।

18.4.4 आपातकाल के दौरान या राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के कारणों से हवाई अड्डे या उसके किसी भी हिस्से के डी-कमीशनिंग या प्रतिबंधित उपयोग के कारण रियायतग्राही को कोई दावा या मुआवजा देय और देय नहीं होगा।

## **18.5 अनुभाग बंद करना**

खंड 18.6 में प्रदान किए गए के अलावा और इसके अलावा, रियायतग्राही नियमित और निवारक रखरखाव या मरम्मत कार्यों के लिए हवाई अड्डे के किसी भी खंड को बंद नहीं करेगा, प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना और नामित भारत सरकार की एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में जो प्रभावित खंड में आरक्षित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस तरह की मंजूरी रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को किए जाने वाले लिखित अनुरोध के माध्यम से इस तरह की धारा के प्रस्तावित बंद होने से कम से कम 7 (सात) दिन पहले मांगी जाएगी और उसके विवरण के साथ होगी। इस तरह के अनुरोध को प्राप्त करने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, प्राधिकरण ऐसे संशोधनों के साथ अनुमति देगा जो वह उचित और आवश्यक समझे और ऐसी अनुमति की एक प्रति रियायतग्राही को भेजी जाएगी। एयरमैन को नोटिस (एनओटीएएम) की उत्पत्ति की आवश्यकता पर किसी भी परिस्थिति में विचार किया जाएगा जो विमान/हवाई अड्डे के संचालन को प्रभावित कर सकता है। रियायतग्राही आवश्यकता पड़ने पर एयरमैन (एनओटीएएम) को नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक समय की अनुमति देगा।

## 18.6 प्राधिकरण की अधिभावी शक्तियाँ

18.6.1 यदि प्राधिकरण की उचित राय में, रियायतग्राही इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का भौतिक उल्लंघन कर रहा है और इस तरह के उल्लंघन से उपयोगकर्ताओं को भौतिक कठिनाई या खतरा पैदा हो रहा है या होने की संभावना है, तो प्राधिकरण, इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसमें इसकी समाप्ति भी शामिल है, नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसी कठिनाई या खतरे को सुधारने या हटाने के लिए तुरंत उचित उपाय करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसा भी मामला हो।

18.6.2 यदि रियायतग्राही, खंड 18.6.1 के तहत नोटिस मिलने पर, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर किसी भी कठिनाई या खतरे को सुधारने या दूर करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण इस खंड 18.6 के तहत अधिभावी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और इस तरह की कठिनाई या खतरे को सुधारने या दूर करने के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के प्रदर्शन को अपने हाथ में ले सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अधिभावी शक्तियों का प्रयोग इसका दायरा अधिक नहीं होगा और इसकी अवधि यथोचित रूप से आवश्यकता से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा इसके तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में किए गए किसी भी लागत और व्यय को ओ एंड एम व्यय माना जाएगा, और प्राधिकरण इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही से उन्हें वसूलने का हकदार होगा। इस प्रकार वसूल की गई राशि को वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण में पास-थ्रू के लिए नहीं माना जाएगा।

18.6.3 खंड 32.3 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आपातकाल, नागरिक हंगामा या किसी अन्य कार्य की स्थिति में, प्राधिकरण रियायतग्राही के किसी भी या सभी दायित्वों के प्रदर्शन को उसके द्वारा आवश्यक समझे जाने तक ले सकता है, या किसी भी नामित भारत सरकार एजेंसी को अपने कब्जे में ले सकता है, और हवाई अड्डे पर इस तरह के नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है या रियायतग्राही को ऐसे निर्देश दे सकता है जो आवश्यक समझा जा सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी अधिभावी शक्तियों का प्रयोग उन परिस्थितियों में यथोचित रूप से आवश्यक से अधिक नहीं होगा जो प्राधिकरण द्वारा ऐसी अधिभावी शक्ति के प्रयोग का कारण बनती हैं। यह सहमति है कि इस तरह की कार्रवाई के परिणामों को अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा। यह भी सहमत है कि रियायतग्राही ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो प्राधिकरण इस खंड 18.6 के प्रावधानों के अनुसरण में जारी कर सकता है, और इसके तहत

अपने दायित्वों के प्रदर्शन के लिए सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्राधिकरण को सहायता और सहयोग प्रदान करेगा।

### **18.7 हवाई अड्डे को नुकसान या क्षति की भरपाई**

इस समझौते में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इस घटना में कि हवाई अड्डे या उसके किसी भी हिस्से को किसी भी कारण से रियायत अवधि के दौरान कोई नुकसान या क्षति होती है, रियायतग्राही, अपनी लागत और खर्च पर, इस तरह के नुकसान या क्षति को तुरंत सुधारेगा और उसका समाधान करेगा ताकि हवाई अड्डा इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हो। यदि इस तरह के नुकसान या क्षति के परिणामस्वरूप इस तरह के समझौते के तहत रियायतग्राही के प्रदर्शन दायित्वों में किसी भी उल्लंघन या चूक के कारण हुआ है, तो, इस तरह के नुकसान या क्षति की मरम्मत या सुधार पर रियायतग्राही द्वारा की गई लागतों को वैमानिकी प्रभारों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

### **18.8 हवाई अड्डे में संशोधन/ बदलाव**

18.8.1 हवाई अड्डे के चरणवार विकास और परिणामी परिवर्तनों के संबंध में इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, जो ऐसे विकासात्मक कार्यों के कारण आवश्यक हो सकते हैं और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो सकते हैं, रियायतग्राही विकास अवधि के बाद किसी भी समय हवाई अड्डे पर कोई भी सामग्री संशोधन नहीं करेगा। हालांकि, रियायतग्राही ऐसे किसी भी संशोधन को कर सकता है, जहां हवाई अड्डे के लिए मास्टर प्लान, विनिर्देशों और मानकों, अच्छे उद्योग अभ्यास, लागू कानूनों, लागू परमिट और इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप संचालित करने के लिए इस तरह के संशोधन आवश्यक हैं, बशर्ते कि रियायतग्राही इस तरह के संशोधनों पर काम शुरू करने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले प्रस्तावित संशोधनों के विवरण के साथ प्राधिकरण को सूचित करेगा और किसी भी सुझाव पर यथोचित रूप से विचार करेगा जो प्राधिकरण रियायतग्राही के प्रस्ताव को प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर कर सकता है। इसके तहत किए गए सभी संशोधन सुरक्षा आवश्यकताओं, विनिर्देशों और मानकों, लागू कानूनों, लागू परमिट, अच्छे उद्योग अभ्यास और इस समझौते के प्रावधानों का पालन करेंगे।

18.8.2 किसी भी समय, इस तरह के संशोधन हवाई अड्डे के मौजूदा और परिचालन भागों और/या उपयोगकर्ताओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

18.8.3 इस समझौते के प्रावधान, जहां तक वे निर्माण कार्य और परीक्षणों से संबंधित हैं, हवाई अड्डे के संशोधन का हिस्सा बनने वाले सभी निर्माण कार्य पर उत्पत्ति लागू करेंगे।

18.8.4 इस समझौते में निहित विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, खंड 18.8.1 के तहत किया गया कोई भी संशोधन दायरे में परिवर्तन का गठन नहीं करेगा।

### **18.9 दायित्वों के प्रदर्शन से बहाना**

रियायतग्राही को इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन में नहीं माना जाएगा यदि हवाई अड्डे का कोई हिस्सा निम्नलिखित में से किसी के कारण उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है:

(ए) अप्रत्याशित घटना की एक घटना;

(ख) रियायतग्राही द्वारा असुरक्षित परिस्थितियों में उत्पन्न होने के कारण असुरक्षित परिस्थितियों को छोड़कर हवाई अड्डे का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय किए गए हैं। इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करता है; या

(ग) प्राधिकरण के अनुरोध या किसी सरकारी साधन के निदेशों का अनुपालन, जिसका प्रभाव हवाई अड्डे के सभी या किसी हिस्से को बंद करना है।

बशर्ते कि ऐसी कोई अनुपलब्धता और पीडित के आर्टिकुलर को रियायतग्राही द्वारा बिना किसी देरी के प्राधिकरण को अधिसूचित किया जाएगा।

बशर्ते कि रियायतग्राही हवाई अड्डे के सभी अप्रभावित हिस्सों को सामान्य संचालन के लिए खुला रखेगा, बशर्ते कि उन्हें सुरक्षित रूप से संचालित किया जा सके।

### **18.10 बाधाएं और डायवर्जन**

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि रियायत अवधि के दौरान, आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था के कारणों को छोड़कर हवाई अड्डे पर किसी भी सरकारी उपकरण द्वारा कोई बाधा या अवरोध खड़ा या रखा नहीं जाता है। प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित प्रयास करेगा



कि कोई भी सरकारी साधन आपातकाल, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून और व्यवस्था, किसी भी डायवर्जन, या हवाई अड्डे के लिए संपर्क सड़कों को बंद करने के कारणों को छोड़कर, जो हवाई अड्डे से आने-जाने के लिए भौतिक प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है।

#### **18.11 रक्षा बलों द्वारा और कुछ अन्य आकस्मिकताओं के दौरान हवाई अड्डे का उपयोग**

18.11.1 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि रक्षा बलों को हर समय किसी भी प्रकार के किसी भी प्रतिबंध या बाधा के बिना, हवाई अड्डे और उसकी सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा।

18.11.2 खंड 18.3.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपात स्थिति के दौरान हवाई क्षेत्र के आवंटन और बंद होने और हवाई अड्डे के उपयोग के संबंध में रक्षा बलों के लिए रियायतग्राही के दायित्वों को समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और इसकी सीमा तक, रियायतग्राही को हवाई अड्डे के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के अपने दायित्वों से मुक्त किया जाएगा।

18.11.3 कहीं और विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, रियायतग्राही करेगा:

(क) युद्ध, प्राकृतिक स्थिति जैसी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए विमानपतन और परियोजना सुविधाएं निशुल्क और जहां तक आवश्यक हो, उपलब्ध कराना भारत सरकार की संघ युद्ध पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार आपदा आपदाएं, आंतरिक अशांति आदि;

(ख) रक्षा और अन्य अर्धसैनिक विमानों के लिए लैंडिंग और पाकग प्रभारों से मुक्त निर्बाध लैंडिंग और पाकग सुविधाएं प्रदान करना, और रक्षा संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और उपकरण भी प्रदान करना;

(ग) सुरक्षा एजेंसियों को समय-समय पर और औचक निरीक्षण के लिए विमानपतन तक पहुंच उपलब्ध कराना;

(घ) संबंधित सरकारी इंस्ट्रूमेन का अनुमोदन प्राप्त करना प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में किसी भी पद पर वरिष्ठ निर्णय लेने वाले पदों के लिए विदेशी नागरिकों को काम पर रखने के लिए टैलिटी;

(ङ) नागर विमानन सीमा संरक्षण ब्यूरो (बीसीएस) और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना;

(च) विदेशी फर्मों की साख का पूर्व सत्यापन प्राप्त करना साइट और हवाई अड्डे पर निर्माण, ग्राउंड हैंडलिंग या अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए संलग्न किया जाना है;

(छ) हवाईअड्डे के विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमाओं से संबंधित संबंधित स्वीकृति प्राप्त करना, यदि आवश्यक हो, और नियंत्रण या स्वामित्व में कोई भी परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा मंजूरी के अधीन होगा;

(ज) अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और चालक दल को संभालने के लिए अपेक्षित अवसंरचना सुनिश्चित करना, जिन्हें आप्रवासन और सीयू से गुजरना पड़ता हैस्टोम्स; तथा

(i) हवाईअड्डे पर स्वास्थ्य सेवाओं और पादप संगरोध के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना।

### **18.12 बिजली, दूरसंचार सेवाएं, पानी और अन्य उपयोगिताएं**

18.12.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार प्रभारों के भुगतान पर संबंधित स्थानीय उपयोगिताओं से बिजली, दूरसंचार सेवाओं, पानी और अन्य ऐसी उपयोगिताओं, जो हवाई अड्डे के संचालन के लिए आवश्यक हो सकती हैं, की खरीद करेगा।

18.12.2 रियायतग्राही परियोजना के प्रयोजनों के लिए बिजली का लाभ, उत्पादन या वितरण के प्रयोजनों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन करेगा।

### **18.13 पर्यावरण लेखा परीक्षा और रिपोर्ट**

18.13.1 रियायतग्राही सहमत है और प्राधिकरण को आश्वासन देता है कि वह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित हवाई अड्डे और साइट से संबंधित सभी शर्तों का पालन करेगा, और ऐसी अन्य अनुमतियां और अनुमोदन जो इसे समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं, हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के दौरान। रियायतग्राही प्राधिकरण को तिमाही आधार पर उसमें बताई गई आवश्यकताओं के अनुसार सभी डेटा और रिपोर्ट के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

18.13.2 रियायतग्राही समय-समय पर संबंधित सरकारी साधन द्वारा अपेक्षित वायु गुणवत्ता, शोर और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों को मापने के लिए सुविधाओं और सेवाओं की खरीद करेगा और संबंधित सरकारी उपकरणों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उक्त डेटा को बनाए रखेगा और अद्यतन भी करेगा।

18.13.3 रियायतग्राही चरण I के पूरा होने की तारीख के 1 (एक) वर्ष के भीतर, यह प्राप्त करेगा कि एक स्वतंत्र विशेषज्ञ हवाई अड्डे का पूर्ण पर्यावरण ऑडिट करता है और प्राधिकरण को इस तरह के ऑडिट की एक प्रति प्रदान करता है। ऐसे स्वतंत्र विशेषज्ञ को प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

18.13.4 पर्यावरण लेखा परीक्षा से मिली जानकारी के आधार पर, रियायतग्राही, 6 (छह) महीने की एक और अवधि के भीतर, हवाई अड्डे के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन रणनीति तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा, हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति और एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए रणनीतियों और कार्यों को निर्धारित करेगा जो समय के साथ हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करता है।

18.13.5 रियायतग्राही वार्षिक रूप से या ऐसे अंतराल पर समीक्षा करेगा जैसा कि संबंधित सरकारी साधन द्वारा निर्धारित किया गया है, पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति और समय-समय पर उक्त पर्यावरण प्रबंधन रणनीति को अद्यतन करेगा। रियायतग्राही प्राधिकरण के साथ-साथ संबंधित सरकारी साधन को पर्यावरण प्रबंधन रणनीति के तहत प्रगति के संबंध में द्वि-वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करेगा।

18.13.6 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि समाप्ति के समय और स्थानांतरण तिथि पर, हवाई अड्डे की पर्यावरणीय स्थिति सभी वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिसमें पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी में कहा गया है।

#### **18.14 स्लॉट आवंटन दिशानिर्देश**

रियायतग्राही हवाई अड्डे पर विमान के लैंडिंग और समय सारिणी स्लॉट का प्रबंधन और आवंटन करेगा, और एयरलाइनों के परामर्श से और आईएटीए स्लॉट आवंटन दिशानिर्देशों और संबंधित नामित भारत सरकार की एजेंसी और/या प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे स्लॉट आवंटित करेगा और समय-समय पर निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत तरीके से अपडेट किया जाएगा।

#### **18.15 सुरक्षा आवश्यकताएँ**

18.15.1 रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों, लागू कानूनों और लागू परमिटों का पालन करेगा और हवाई अड्डे पर या उसके आसपास उपयोगकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप होगा, और हमेशा हवाई अड्डे पर या उसके आसपास दुर्घटनाओं

के परिणामस्वरूप शून्य या कम से कम चोटों, जीवन की हानि या जीवन या संपत्ति को नुकसान सुनिश्चित करेगा, भले ही व्यक्ति (व्यक्तियों) की गलती हो। विशेष रूप से, रियायतग्राही हवाई अड्डे पर या उसके बारे में एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित करेगा, कार्यान्वित करेगा और प्रशासित करेगा, जहां तक वे सुरक्षित आवाजाही, सुरक्षा प्रबंधन, सुरक्षा उपकरण, अग्नि सुरक्षा, प्रवर्तन और आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़े उपायों को शामिल करते हुए उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से संबंधित हैं, और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार निम्नलिखित में निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं ("सुरक्षा आवश्यकताओं") का पालन करेगा:

(क) लागू कानून और लागू परमिट;

(ख) इस समझौते के प्रावधान; और

(ग) आईसीएओ के संगत दस्तावेज और अनुलग्नक, नागर विमानन महानिदेशालय के लागू दिशा-निर्देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत अन्य संगत मानकों/दिशा-निर्देशों में निहितओडेस।

18.15.2 सुरक्षा आवश्यकताएं दुर्घटनाओं से जुड़े कारकों की पहचान, उस पर विचार करने और उचित उपचारात्मक उपायों के कार्यान्वयन पर जोर देने के साथ संचालन, प्रबंधन और विकास के सभी चरणों पर लागू होंगी।

18.15.3 रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के लिए एक निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम का विकास, कार्यान्वयन और प्रशासन करेगा, जिसमें विमान के अपहरण की प्रतिक्रिया, सुरक्षा उल्लंघनों और कमियों में सुधार और इस समझौते के अनुसार एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य शामिल हैं।

18.15.4 रियायतग्राही सीओडी से कार्यात्मक होने के लिए एक हवाई अड्डा सुरक्षा प्रबंधन इकाई ("एसएमयू") की स्थापना करेगा, और एसएमयू के प्रभारी होने के लिए अपने अधिकारियों में से एक को नामित करेगा। इस तरह के अधिकारी इस विषय पर एक प्रतिष्ठित संगठन द्वारा आयोजित एक पाठ्यक्रम में भाग लेने के द्वारा हवाई अड्डे प्रणाली सुरक्षा में विशेषज्ञ ज्ञान और प्रशिक्षण होगा।

18.15.5 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर होने वाली किसी भी दुर्घटना के संबंध में पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट ("एफआईआर") की एक प्रति रखेगा। इसके अलावा, रियायतग्राही पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की गई दुर्घटनाओं के सभी मामलों के लिए डेटा भी एकत्र करेगा। इस प्रकार एकत्र की गई जानकारी को इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संक्षेपित किया जाएगा।

रियायतग्राही प्रत्येक दुर्घटना के सटीक स्थान को रूट मैप पर भी रिकॉर्ड करेगा। उपरोक्त डेटा प्रत्येक तिमाही के समापन पर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

18.15.6 रियायतग्राही प्रत्येक वर्ष के 31 मई से पहले प्राधिकरण को एक वार्षिक रिपोर्ट (दस प्रतियों में) प्रस्तुत करेगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, पिछले लेखा वर्ष की सभी दुर्घटनाओं की विस्तृत सूची और विश्लेषण और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने या कम करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए उपाय शामिल होंगे।

18.15.7 सुरक्षा आवश्यकताओं से उत्पन्न होने वाली या उनसे संबंधित सभी लागतें और व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे, और इस समझौते के अनुसार, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुसार, वैमानिकी शुल्कों का निर्धारण या संशोधन करते समय, हवाई अड्डे के प्रयोजनों के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्चों के एक हिस्से के रूप में नियामक द्वारा विचार किया जा सकता है।

## **18.16 रखरखाव मैनुअल**

18.16.1 निर्धारित समापन तिथि से 90 (नब्बे) दिन पहले, रियायतग्राही, स्वतंत्र अभियंता के परामर्श से, विनिर्देशों और मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, सुरक्षा आवश्यकताओं, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुलग्नकों में निर्धारित मानकों, लागू कानूनों, डीजीसीए द्वारा समय-समय पर अधिसूचित लागू दिशानिर्देशों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप हवाई अड्डे के नियमित और निवारक रखरखाव के लिए एक मरम्मत, संचालन और रखरखाव मैनुअल ("रखरखाव मैनुअल") विकसित करेगा और प्राधिकरण को उसकी 5 (पांच) प्रतियां और स्वतंत्र इंजीनियर को 2 (दो) प्रतियां प्रदान करेगा। रखरखाव मैनुअल को हर 3 (तीन) वर्षों में एक बार संशोधित और अद्यतन किया जाएगा और इस खंड 18.16 के प्रावधान इस तरह के संशोधन के लिए लागू होंगे। इस खंड 18.16 के प्रावधान सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होंगे।

18.16.2 खंड 18.16.1 के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रखरखाव मैनुअल, विशेष रूप से, परियोजना परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए प्रावधान शामिल करेगा और जीवन चक्र रखरखाव, नियमित रखरखाव और प्रतिक्रियाशील रखरखाव के लिए प्रदान करेगा जो परियोजना परिसंपत्तियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकता है, जिसमें प्रतिस्थापन भी शामिल है, जैसे कि उनकी समग्र स्थिति अच्छे उद्योग अभ्यास, लागू कानूनों और लागू परमिट के अनुरूप हो।

### 18.17 रखरखाव कार्यक्रम

18.17.1 सीओडी पर या उससे पहले और रियायत अवधि के दौरान प्रत्येक लेखा वर्ष की शुरुआत से 45 (पैंतालीस) दिनों के बाद, रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र इंजीनियर को रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव मैनुअल और सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए निवारक, तत्काल और अन्य अनुसूचित रखरखाव ("रखरखाव कार्यक्रम") के अपने प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम प्रदान करेगा। इस तरह के रखरखाव कार्यक्रम में शामिल होंगे:

(क) रखरखाव अनुसूची;

(ख) तत्काल मरम्मत करने की व्यवस्था और प्रक्रियाएं;

(ग) अनुरक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए कौन-कौन से मानदंड अपनाए जाएंगे;

(घ) विमानपतन के सभी घटकों का निरीक्षण करने के लिए क्या अंतराल और प्रक्रियाएं हैं;

(ई) अंतराल जिन पर रियायतग्राही आवधिक रखरखाव करेगा;

(च) सुरक्षा संबंधी उपायों को पूरा करने के लिए व्यवस्था और प्रक्रियाएं; और

(छ) प्रमुख अनुरक्षण कार्यों के लिए अंतराल और उसका कार्यक्षेत्र।

18.17.2 रखरखाव कार्यक्रम की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, स्वतंत्र अभियंता और प्राधिकरण इसकी समीक्षा करेंगे और रखरखाव आवश्यकताओं, रखरखाव मैनुअल और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप होने के विशेष संदर्भ में रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां बताएंगे।

18.17.3 रियायतग्राही परिस्थितियों में उचित हो सकता है रखरखाव कार्यक्रम को संशोधित कर सकता है, और खंड 18.17.1 और 18.17.2 में निर्दिष्ट प्रक्रिया ऐसे संशोधनों के लिए उत्परिवर्तन उत्परिवर्तन लागू करेगी।

### 18.18 रखरखाव दायित्वों के उल्लंघन से नुकसान

18.18.1 इस घटना में कि रियायतग्राही उसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर रखरखाव आवश्यकताओं में निर्धारित किसी भी दोष या कमी की मरम्मत या सुधार करने में विफल रहता है, इसे इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा और प्राधिकरण नुकसान के रूप में वसूली का हकदार होगा, जिसकी गणना की जाएगी और उल्लंघन ठीक होने तक देरी के प्रत्येक दिन के लिए भुगतान किया जाएगा, स्वतंत्र इंजीनियर

द्वारा अनुमानित इस तरह की मरम्मत या सुधार की लागत का 0.1% (शून्य बिंदु एक प्रतिशत)। इस तरह के नुकसान की वसूली इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें समाप्ति का अधिकार भी शामिल है।

18.18.2 खंड 18.18.1 में निर्धारित नुकसान का आकलन किया जा सकता है और स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तुरंत निर्दिष्ट किया जा सकता है, बशर्ते कि प्राधिकरण, अपने विवेक से, हर्जाने के रूप में एक छोटी राशि की मांग कर सकता है, यदि उसकी राय में, उल्लंघन को तुरंत ठीक कर दिया गया है और रियायतग्राही अन्यथा इसके तहत अपने दायित्वों के अनुपालन में है। रियायतग्राही इस तरह के नुकसान का तुरंत भुगतान करेगा और इस घटना में कि वह इस तरह के नुकसान का विरोध करता है, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

### **18.19 सुधार के उपाय करने का अथॉरिटी का अधिकार**

18.19.1 अगर रियायतग्राही (रियायत-प्राप्त पक्ष) एयरपोर्ट या उसके किसी हिस्से का रखरखाव और मरम्मत 'रखरखाव की ज़रूरतों' या 'रखरखाव मैनुअल' या 'रखरखाव कार्यक्रम' (जैसा भी मामला हो) के अनुसार नहीं करता है, और O&M निरीक्षण रिपोर्ट या अथॉरिटी या स्वतंत्र इंजीनियर (जैसा भी मामला हो) से इस बारे में सूचना मिलने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर सुधार का काम शुरू नहीं करता है, तो अथॉरिटी - इस एग्रीमेंट के तहत अपने अन्य अधिकारों (जैसे टर्मिनेशन या अनुबंध खत्म करने का अधिकार) पर असर डाले बिना - कंसेशनरी के जोखिम और खर्च पर ऐसे सुधार के काम कर सकती है और कंसेशनरी से इसकी लागत वसूल कर सकती है। खर्च की गई लागत की वसूली के अलावा, रियायतग्राही को अथॉरिटी को हर्जाने के तौर पर उस लागत का 20% (बीस प्रतिशत) भी देना होगा। क्लॉज़ 18.19.1 के तहत दिए गए अधिकार और उपाय, क्लॉज़ 18.18 के तहत दिए गए अधिकारों और उपायों के अतिरिक्त होंगे।

18.19.2 अथॉरिटी के पास यह अधिकार होगा - और कंसेशनरी इसके द्वारा अथॉरिटी को स्पष्ट रूप से यह अधिकार देता है - कि वह क्लॉज़ 18.19.1 में बताई गई लागत और हर्जाने को सीधे एस्क्रो अकाउंट से वसूल करे, जैसे कि वे O&M खर्च हों; और इस मकसद के लिए, कंसेशनरी इसके द्वारा एस्क्रो बैंक को यह पक्का निर्देश देने के लिए सहमत है कि वह इस क्लॉज़ 18.19.2 के तहत अथॉरिटी के निर्देशों के अनुसार एस्क्रो अकाउंट से भुगतान करे और उसे O&M खर्च के तौर पर डेबिट करे।

## अनुच्छेद 19. प्रचालन एवं रखरखाव सेवाएँ

### 19.1 एरोनॉटिकल एसेट्स (विमानन से जुड़ी सुविधाएँ)

19.1.1 इस एग्रीमेंट में दी गई व्यवस्था के अलावा, रियायतग्राही (रियायत पाने वाला) इस एग्रीमेंट, लागू कानूनों, लागू परमिटों और इंडस्ट्री के अच्छे तौर-तरीकों के प्रावधानों के अनुसार एरोनॉटिकल एसेट्स के संचालन और प्रबंधन का काम करेगा।

19.1.2 रियायतग्राही, शेड्यूल C में बताई गई स्पेसिफिकेशन्स और स्टैंडर्ड्स के अनुसार, और DGCA और इकाओ या उनके उत्तराधिकारी द्वारा समय-समय पर बताए गए स्टैंडर्ड्स के अनुसार एरोनॉटिकल एसेट का संचालन करेगा। इस अनुच्छेद 19 की सामान्य बातों पर असर डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि एरोनॉटिकल एसेट्स हर समय यूजर्स की सुरक्षा और संरक्षा, और जीवन व संपत्ति से जुड़े नियमों का पालन करें।

19.3 इस एग्रीमेंट में दी गई व्यवस्था के अलावा, रियायतग्राही लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार एरोनॉटिकल एसेट्स के उपयोग को नियंत्रित करेगा। यूजर्स की अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग-अलग स्तर की सेवाएँ देने को भेदभाव नहीं माना जाएगा।

19.1.4 रियायतग्राही हर समय उन सभी जगहों को रुकावट-मुक्त रखेगा जो आवाजाही और उपयोग के लिए हैं।

19.1.5 रियायतग्राही, इकाओ द्वारा समय-समय पर बताए गए साइनेज (संकेत-चिह्न) के स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए, एरोनॉटिकल एसेट्स के सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए दिशा-निर्देश, संकेत और सिग्नल उपलब्ध कराएगा।

19.1.6 आरक्षित सेवाओं को देने के लिए ज़रूरी जगह और पहुँच, रियायतग्राही द्वारा क्लॉज़ 20.7 के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

### 19.2 ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएँ

‘रियायतग्राही लागू कानूनों और इंडस्ट्री के अच्छे तौर-तरीकों के अनुसार, अपनी लागत और खर्च पर, एयरपोर्ट पर यूज़र (जैसे एयरक्राफ्ट, यात्री और कार्गो) के लिए ज़रूरी ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संचालन



के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगी या उपलब्ध करवाएगी। इसमें रैंप हैंडलिंग, यात्री हैंडलिंग, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग और इस समझौते, लागू कानूनों और इंडस्ट्री के अच्छे तौर-तरीकों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित सुविधाएँ शामिल होंगी।’

### 19.3 एयरक्राफ्ट फ्यूलिंग सेवाएँ

‘रियायतग्राही एयरपोर्ट पर सभी एयरलाइंस के लिए समान पहुँच के आधार पर, निष्पक्ष और बिना भेदभाव वाले तरीके से फ्यूलिंग सेवाओं के संचालन के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगी या उपलब्ध करवाएगी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इस समझौते, लागू कानूनों और इंडस्ट्री के अच्छे तौर-तरीकों के प्रावधानों के अनुसार टैंक फार्म और संबंधित सुविधाएँ शामिल होंगी।’

### 19.4 कार्गो सुविधाएँ

19.4.1 (क) ‘रियायतग्राही इस समझौते, लागू कानूनों, लागू परमिटों, संबंधित इकाओं दस्तावेजों और एनेक्स तथा इंडस्ट्री के अच्छे तौर-तरीकों के प्रावधानों के अनुसार कार्गो सुविधाओं को अपग्रेड, विकसित, संचालित और उनका रखरखाव करेगी।’

(ख) इस खंड 194 और खंड 235 में दिए गए विपरीत प्रावधानों के विपरीत, यह स्पष्ट किया जाता है कि, जहां कार्गो सुविधाओं को अनुसूची-ए में एएआईसीएलएएस के लिए आरक्षित किया गया है, (i) रियायतग्राही उनके संचालन, विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा, और न ही रियायतग्राही इस खंड 194 में उल्लिखित दायित्वों से बाध्य होगा; और (ii) एएआईसीएलएएस को रियायतग्राही द्वारा निःशुल्क पहुँच प्रदान की जाएगी।

(ग) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, जहाँ अनुसूची-क में एएआईसीएलएएस के लिए कार्गो सुविधाएँ आरक्षित की गई हैं, वहाँ रियायतग्राही द्वारा कार्गो सुविधाओं के उन्नयन और/या विकास पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसा उन्नयन और/या विकास हवाई अड्डे पर कार्गो की मात्रा, वाणिज्यिक क्षमता अथवा ऐसी अतिरिक्त उड़ानों के संचालन के प्रभाव के आधार पर भी प्रतिबंधित नहीं होगा, जिनका प्रभाव कार्गो सुविधाओं या एएआईसीएलएएस पर पड़ सकता है।

19.4.2 रियायतग्राही को ये काम करने होंगे:

(क) यह पक्का करने के लिए उचित कोशिश करना कि कार्गो सुविधाओं में पर्याप्त कार्गो प्रोसेसिंग स्पेस, हैंडलिंग इक्विपमेंट, खराब होने वाले कार्गो और खतरनाक सामान के लिए स्टोरेज और हैंडलिंग की सुविधा, कार्गो एजेंट और ग्राहकों के लिए जगह, इंस्पेक्शन एरिया, ऑफिस स्पेस, ऑटोमेशन सिस्टम, स्क्रीनिंग इक्विपमेंट, स्टोरेज सुविधाएं, और इस एग्रीमेंट और अच्छी इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार मेल हैंडलिंग और कूरियर शिपमेंट के लिए सुविधाएं शामिल हों;

(ख) इस एग्रीमेंट, लागू कानूनों और अच्छी इंडस्ट्री प्रैक्टिस के प्रावधानों के अनुसार कार्गो सुविधाओं को चलाना और बनाए रखना और एयरलाइंस और कंसाइनर (माल भेजने वालों) को संबंधित सेवाएं देना;

(ग) कस्टम्स, सिक्योरिटी, क्वारंटाइन और भारत सरकार की अन्य संबंधित एजेंसियों को उनके कानूनी काम करने के लिए - जैसा भी मामला हो - अच्छी इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार बिना किसी शुल्क के ऑपरेशनल स्पेस और अन्य सुविधाएं देना;

(घ) कार्गो हैंडलिंग के काम को अच्छी स्थिति में बनाए रखना और चलाना, और किसी भी तरह की रुकावट या बाधा को दूर करना।

## 19.5 कार्गो सुविधाओं का विनियमन

“रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो योजना में कार्गो सुविधाओं के लिए एक क्षेत्र चिह्नित हो, और उस क्षेत्र का उपयोग कार्गो की हैंडलिंग और संबंधित कार्यों के लिए किया जाएगा।

19.52 रियायतग्राही कार्गो सुविधाओं के किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार से कोई भार नहीं लगाएगा या उत्पन्न नहीं करेगा, सिवाय खंड 52 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार।

## 19.6 टर्मिनल भवन

19.6.1 रियायतग्राही इस समझौते, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छी उद्योग प्रथाओं के प्रावधानों के अनुसार टर्मिनल भवन का संचालन और प्रबंधन करेगा। इस अनुच्छेद 19 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल भवन के भीतर के स्थानों का उपयोग अनुसूची बी में निर्दिष्ट संबंधित उद्देश्यों के लिए किया जाए।

19.6.2 रियायतग्राही टर्मिनल भवन का संचालन अनुसूची सी में उल्लिखित विनिर्देशों और मानकों तथा टाटा (या उसके किसी उत्तराधिकारी) द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार करेगा।

19.6.3 रियायतग्राही टर्मिनल भवन के उपयोग के संबंध में लागू कानूनों तथा इस समझौते के प्रावधानों का पालन करेगा और सभी उपयोगकर्ताओं को उक्त प्रावधानों के अनुरूप गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर टर्मिनल भवन तक पहुँच और उसके उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा। तथापि, उपयोगकर्ताओं की प्रतिबंधित श्रेणियों के लिए सुविधाओं के विभिन्न स्तरों का प्रावधान, अपने आप में, भेदभावपूर्ण नहीं माना जाएगा।

19.6.4 रियायतग्राही उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालेगा।

19.6.5 रियायतग्राही (रियायत पाने वाली कंपनी) बैगेज क्लेम एरिया और टर्मिनल बिल्डिंग के एंटी पॉइंट्स के पास आसानी से उपलब्ध होने वाली अच्छी क्वालिटी की बैगेज ट्रॉली की पर्याप्त सप्लाई और रखरखाव सुनिश्चित करेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ट्रॉली पर विज्ञापन दिखाए जा सकते हैं।

19.6.6 कंसेशनेयर, मांग के आधार पर, पेमेंट करने पर पोर्टर सर्विस उपलब्ध कराएगा।

19.6.7 रियायतग्राही हर समय टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर मुफ्त पीने का पानी, बैठने की जगह, वेटिंग एरिया, और अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर बोतलबंद पानी और लोकप्रिय ड्रिंक्स देने वाली वेंडिंग मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा या इनकी व्यवस्था करेगा। यह सब मास्टर प्लान के अनुसार होगा।

19.6.8 कंसेशनेयर, इकाओ द्वारा समय-समय पर तय किए गए साइनेज (संकेत) मानकों का पालन करते हुए, यात्रियों की सुविधा और उन्हें एयरलाइन काउंटर, ट्रेवल फैसिलिटी और कार्गो फैसिलिटी तक रास्ता खोजने में मदद करने के लिए दिशा-निर्देश, साइन, सिग्नल, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और पूछताछ काउंटर उपलब्ध कराएगा।

19.6.9 COD (कमर्शियल ऑपरेशन की तारीख) से 1 (एक) साल बाद की तारीख से, रियायतग्राही एयरपोर्ट पर IATA सर्विस लेवल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होगा। अगर यह देखा जाता है कि सर्विस का लेवल पीक आवर्स (सबसे व्यस्त समय) के दौरान IATA के ऑप्टिमम सर्विस लेवल से कम है, और रियायतग्राही (रियायत-प्राप्तकर्ता) किसी भी कंसेशन ईयर में सर्विस लेवल में ऐसी गिरावट के 90 दिनों के भीतर इसे ठीक नहीं करता है, तो रियायतग्राही को अथॉरिटी को हर्जाना देना होगा। यह हर्जाना ठीक पिछली तिमाही में फीस से हुई कुल कमाई के 0.5% (ज़ीरो पॉइंट फाइव परसेंट) की दर से

तय किया जाएगा। रियायतग्राही को क्लॉज़ 23.10 के प्रावधानों के अनुसार यूज़र चार्टर पब्लिश और लागू करना होगा।

19.6.10 रियायतग्राही (रियायत-प्राप्तकर्ता) क्लॉज़ 23.10 के प्रावधानों के अनुसार 'यूज़र चार्टर' प्रकाशित और लागू करेगा।

## 19.7 जिन यूज़र्स को विशेष सहायता की आवश्यकता है

19.7.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि टर्मिनल बिल्डिंग बुजुर्गों, और शारीरिक या दृष्टि से अक्षम यूज़र्स और विज़िटर्स की यात्रा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करे। इसके लिए 'गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस' के अनुसार और यूज़र्स व विज़िटर्स पर बिना किसी अतिरिक्त लागत के रैंप, मॉडिफाइड टॉयलेट, व्हीलचेयर और विशेष सहायता की आवश्यकता वाले यूज़र्स के लिए आरक्षित पार्किंग स्थल जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

19.7.2 रियायतग्राही टर्मिनल बिल्डिंग में यूज़र्स के लिए चाइल्डकेयर रूम और सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

19.7.3 रियायतग्राही क्लॉज़ 5.11 में बताए गए तरीके से टर्मिनल बिल्डिंग के भीतर प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) सुविधाएँ स्थापित करेगा और उनका संचालन करेगा।

## 19.8 आरक्षित क्षेत्र

19.8.1 निम्नलिखित उपयोगों या प्रयोजनों के लिए निर्धारित स्थान टर्मिनल भवन में आरक्षित क्षेत्र कहलाएगा:

(क) प्राधिकरण:

(ख) सचिव,

(ग) वी आई पी लाउंज

(घ) आव्रजन

(ङ) सीमा शुल्क

(च) संगरोधन और

(छ) स्वास्थ्य

19.8.2 आरक्षित एरिया का कंट्रोल संबंधित अथॉरिटी या तय की गई सरकारी एजेंसियों के पास होगा, जो उन कामों के लिए ज़िम्मेदार होंगी जिनके लिए जगह तय की गई है (क्लॉज़ 19.8.1 के तहत या क्लॉज़ 19.8.1 में बताए गए कामों जैसे किसी अन्य मकसद के लिए)। आरक्षित एरिया और वहाँ जाने के रास्ते के संबंध में रियायतग्राही की ज़िम्मेदारियाँ आरक्षित एरिया का हिस्सा बनने वाले सिविल कामों, स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट के रखरखाव तक सीमित होंगी, बशर्ते कि इमरजेंसी या ऐसी ही किसी स्थिति में वहाँ बिना रोक-टोक के जाने की सुविधा हो।

19.8.3 रियायतग्राही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर आरक्षित एरिया में अपने खर्च पर बिजली और पानी की सप्लाई करेगी।

19.8.4 जहाँ टर्मिनल बिल्डिंग में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग लगाई गई है और चलाई जा रही है, वहाँ रियायतग्राही आरक्षित एरिया को इसका फ़ायदा देने से मना नहीं करेगी, बशर्ते कि यह ज़िम्मेदारी उन घंटों पर लागू न हो जब टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर लॉबी और अन्य कॉमन एरिया के लिए सामान्य एयर कंडीशनिंग बंद रहती है।

19.8.5 इस क्लॉज़ 19 में दी गई किसी भी बात के बावजूद, अथॉरिटी और तय की गई सरकारी एजेंसियाँ (जैसा भी मामला हो), रियायतग्राही की सहमति से, आरक्षित एरिया या उसके किसी हिस्से को रियायतग्राही को ऐसी शर्तों पर ट्रांसफर कर सकती हैं जिन पर सहमति बनी हो। ऐसी स्थिति में, रियायतग्राही अथॉरिटी और/या तय की गई सरकारी एजेंसियों (जिनमें आरक्षित एरिया में सुरक्षित और कुशल माहौल बनाने के लिए तय की गई एजेंसियाँ भी शामिल हैं) के साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश करेगी।

19.8.6 अगर और जब क्लॉज़ 19.8.1 में बताए गए कामों के लिए अतिरिक्त जगह की ज़रूरत होगी, तो रियायतग्राही संबंधित तय सरकारी एजेंसी के साथ सलाह-मशविरा करके, आरक्षित एरिया का हिस्सा बनने के लिए अतिरिक्त जगह ऐसी शर्तों पर उपलब्ध कराएगी जिन पर सहमति बनी हो।

## **19.9 वी आई पी लाउंज**

रियायत पाने वाली कंपनी रियायतग्राही को टर्मिनल बिल्डिंग में मेहमानों और कर्मचारियों के इस्तेमाल और आराम के लिए वी आई पी लाउंज उपलब्ध कराने और उनका रखरखाव करने की ज़रूरत होगी,

जैसा कि समय-समय पर भारत सरकार, संबंधित एजेंसियों, राज्य सरकार और/या अथॉरिटी द्वारा रियायत पाने वाली कंपनी को बताया जाएगा।

### **19.10 चेक-इन सेवाएँ**

19.10.1 रियायतग्राही अपने खर्च पर एयरपोर्ट पर चेक-इन सेवाओं के संचालन के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा या उपलब्ध करवाएगा। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंटर, सेल्फ-सर्विस चेक-इन कियोस्क, सामान ले जाने वाली कन्वेयर बेल्ट, कंप्यूटर टर्मिनल, IT बैकबोन और संबंधित सुविधाएँ शामिल होंगी। यह सब इस समझौते की शर्तों, लागू कानूनों (जिनमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए लागू DGCA नियम शामिल हैं), संबंधित इकाओं दस्तावेज़ों और 'एनेक्स' (अनुबंधों) तथा उद्योग के अच्छे तौर-तरीकों के अनुसार होगा।

19.10.2 कन्सेशनेयर यूज़र्स के लिए, एयरलाइंस के लिए और उनकी ओर से, इस एग्रीमेंट और अच्छे इंडस्ट्री प्रैक्टिस के प्रावधानों के अनुसार चेक-इन सर्विस देगा या दिलवाएगा।

19.10.3 इस क्लॉज़ 19.10 में दी गई किसी भी बात के बावजूद, कन्सेशनेयर हर एयरलाइन को, उस एयरलाइन की मर्जी से, यूज़र्स को सर्विस फ्रीस के तौर पर आपसी सहमति से तय रकम का भुगतान करने पर, उस एयरलाइन के यूज़र्स को, कन्सेशनेयर को चेक-इन सर्विस देने का विकल्प देगा।

### **19.11 खास इलाकों का कमर्शियल इस्तेमाल**

19.11.1 इस एग्रीमेंट और लागू कानूनों के प्रावधानों के अधीन, कन्सेशनेयर टर्मिनल बिल्डिंग का इस्तेमाल कमर्शियल कामों के लिए कर सकता है, जैसे कि ट्रेवल सुविधाएँ, यूज़र्स के लिए सुविधाएँ, रेस्तरां, रहने की जगह और रिटेल स्टोर।

19.11.2 कन्सेशनेयर एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से को किसी और को नहीं सौंपेगा या उस पर किसी भी तरह का बोझ (एनकम्ब्रेन्स) नहीं डालेगा, सिवाय क्लॉज़ 5.2 और क्लॉज़ 382 के प्रावधानों के अनुसार।

19.11.3 कन्सेशनेयर यह पक्का करेगा कि उसके लाइसेंसी और/या सब-लाइसेंसी कोई सार्वजनिक परेशानी (न्यूसेंस) पैदा न करें, जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर या खाना पकाने की गंध; वे बिना मंजूरी के कारोबार न करें,

और नकली सामान बेचने के लिए न रखें, और वे अपनी-अपनी गतिविधियाँ लागू कानूनों, लागू नियमों और अच्छे इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अनुसार करें।

## 19.12 पार्किंग

19.12.1 रियायतग्राही इस एग्रीमेंट, मास्टर प्लान, लागू कानूनों, लागू परमिटों और 'अच्छे इंडस्ट्री प्रैक्टिस' के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग को विकसित, संचालित और बनाए रखेगा या ऐसा करवाएगा।

19.12.2 रियायतग्राही इस एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार एयरपोर्ट पर आने वाले यूज़र्स या विज़िटर्स द्वारा पार्किंग के इस्तेमाल को रेगुलेट करेगा और सभी यात्रियों और विज़िटर्स को बिना किसी भेदभाव के इसका इस्तेमाल करने की अनुमति देगा, बशर्ते कि कंसेशनरी क्लॉज़ 19.12 के अनुसार पार्किंग के इस्तेमाल के लिए शुल्क ले सकता है।

19.12.3 रियायत स्थल पर निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

- (क) यात्रियों की सुविधा और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वाहन पार्किंग स्थान की योजना बनाई जाएगी और वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश और निकास द्वार इस प्रकार डिजाइन किए जाएंगे।
- (ख) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दो वाहनों, कारों, निजी वाहनों, रेलवे, रेलवे आदि के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराया जाए।
- (ग) अल्पकालिक, दीर्घकालिक और रात्रिकालीन पार्किंग जैसे विभिन्न उपयोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
- (घ) आरक्षित पार्किंग और प्राधिकरण, नामित भारत सरकार एजेंसी और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग शुल्क वाली पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।
- (ङ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पार्किंग का उपयोग केवल मोटर वाहनों की पार्किंग के लिए किया जाए और विज्ञापन और उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाओं और आराम की व्यवस्था को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए।
- (च) खंड 2 और खंड 38.2 के प्रावधानों के अनुसार पार्किंग के किसी भी हिस्से पर कोई भार नहीं डाला जाएगा।

(छ)पार्किंग एरिया सहित सभी जगहों पर लागू आग और सुरक्षा नियमों के तहत सभी प्रावधानों का पालन करना और उन्हें लागू करना; और

(ज)पार्किंग के इस्तेमाल के लिए ऐसी दरें तय करना और लागू करना जो वह अपनी मर्जी से तय कर सके।

19.12.4 रियायतग्राही एक आरक्षित पार्किंग बनाएगा, चलाएगा और उसकी देखभाल करेगा और छूट प्राप्त व्यक्तियों और VIP लाउंज का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए इसके इस्तेमाल की सुविधा देगा। छूट प्राप्त व्यक्तियों के साथ-साथ, निम्नलिखित लोग भी मुफ्त पार्किंग के हकदार होंगे:

(क)कानून-व्यवस्था बनाए रखने में लगे लोग जो अपनी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान एयरपोर्ट या उसके किसी हिस्से में आ रहे हों;

(ख) अग्निशमन कर्मचारी और आपातकालीन चिकित्सा सेवा में लगे लोग, अपनी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान; और

(ग)निरीक्षण, सर्वेक्षण, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए टर्मिनल बिल्डिंग में आने वाले लोग, अपनी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान।

19.12.5 रियायतग्राही हर समय कार पार्क में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा या उपलब्ध करवाएगा:

(क)सुविधाजनक जगह पर मुफ्त पीने के पानी की सुविधा;

(ख) सुविधाजनक जगह पर गर्म पानी और लोकप्रिय पेय पदार्थों (गर्म और ठंडे) के लिए वेंडिंग मशीनें लगाना, जिनकी कीमत एयरपोर्ट के बाहर बाज़ार में प्रचलित अधिकतम खुदरा कीमत से ज्यादा नहीं होगी।

19.12.46 पार्किंग के प्रवेश या निकास बिंदु के निकट स्थित रियायती क्षेत्र में चालकों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था के साथ एक प्रतीक्षा कक्ष होगा और पार्किंग से जुड़ा होगा।

साथ ही, यह यात्रियों और आगंतुकों के लिए टर्मिनल भवन में निर्दिष्ट स्थानों तक पहुंचने के लिए एक सार्वजनिक प्रवेश प्रणाली भी प्रदान करेगा। इस प्रकार के प्रतीक्षा कक्ष और सुविधाएं सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होंगी। ऐसे प्रतीक्षा कक्ष, शौचालय और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों से इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।



19.12.7 रियायत स्थल किसी भी ऐसे वाहन को हटा सकता है जो किसी ऐसे स्थान पर खड़ा हो जो चिह्नित या पार्किंग के लिए अधिकृत न हो और ऐसे वाहन को पार्किंग में खड़ा कर सकता है। यदि रियायतग्राही किसी भी कारण से वाहन को पार्किंग से स्थानांतरित करने में असमर्थ है, तो वह वाहन को उस स्थान पर या उसके पास स्थिर कर सकता है जहां वह खड़ा है। रियायतग्राही ऐसे उल्लंघन के लिए शुल्क वसूलने के लिए बाध्य होगा और साथ ही वाहन को स्थिर करने या पार्किंग में ले जाने की पूर्व-निर्धारित लागत के रूप में शुल्क के बराबर राशि वसूल कर सकता है।

19.12.8 जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस खंड 19.12.7 के प्रावधानों के तहत वाहनों को स्थिर करना या स्थिर करना इस प्रकार किया जाए जिससे ऐसे वाहनों को कोई क्षति न पहुंचे।

यह रियायतग्राही टर्मिनल भवन या कार्गो सुविधा के किसी भी हिस्से से गुजरने वाले वाहनों (निजी या वाणिज्यिक) के संबंध में लागू कानूनों का अनुपालन करते हैं।

## अनुच्छेद 20, आरक्षित सेवाएं

### 20.1 आरक्षित सेवाएं

20.1.1 रियायतग्राही यह स्वीकार करता है और सहमत है कि केवल नामित भारतीय सरकार की एजेंसियां ही हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं।

- (क) सीएनएस/एटीएम सर्विसेज़,
- (ख) सिक्योरिटी सर्विसेज़
- (ग) मेटियोरोलॉजी सर्विसेज़
- (घ) अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाएँ
- (ङ) कस्टम कंट्रोल
- (च) इमिग्रेशन सर्विसेज़;
- (छ) क्वारंटीन सर्विसेज़
- (ज) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली कोई अन्य सेवाएँ ।

बशर्ते कि, लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन रहते हुए, इस समझौते में कुछ भी प्राधिकरण को रियायतग्राही से किसी भी या सभी आरक्षित सेवाओं को ऐसे नियमों और शर्तों पर करने की आवश्यकता से प्रतिबंधित नहीं करेगा, जिन पर दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो।

20.2.1 अथॉरिटी समय-समय पर कंसेशनरी (रियायत पाने वाले) से यह कह सकती है कि वह आरक्षित सेवाओं को लागू करने के लिए, लागू कानूनों और इंडस्ट्री के अच्छे तौर-तरीकों के अनुसार, तय की गई GOL एजेंसियों में से किसी के साथ भी आपसी समझौते करे। दोनों पक्ष साफ़ तौर पर इस बात पर सहमत हैं कि अगर 'आरक्षित सर्विसेज़' देने के लिए कंसेशनरी की लागत में कोई बड़ी बढ़ोतरी होती है (सिवाय उस बढ़ोतरी के जो संबंधित अवधि के दौरान WPI में बढ़ोतरी की वजह से हुई हो), तो कंसेशनरी रेगुलेटर की मंजूरी से फीस बढ़ाकर उस लागत की भरपाई कर सकता है।

20.1.3 जहाँ रियायत-प्राप्तकर्ता को आरक्षित सेवाओं के लिए उपयोगकर्ताओं से कोई शुल्क वसूलना हो, वहाँ वह लागू कानूनों के अनुसार ऐसा करेगा।

### 20.2 सीएनएस/एटीएम सेवाएं

20.2.1 प्राधिकरण, रियायतग्राही ओं द्वारा लागू नियमों और शर्तों के अनुपालन पर, रियायतग्राही ओं के अनुरोध पर, प्राधिकरण और रियायतग्राही ओं के बीच अनुसूची Q में निर्धारित प्रारूप में एक समझौता (सीएनएस/एटीएम समझौता) निष्पादित करेगा, जो रियायत अवधि के दौरान हवाई अड्डे और सभी स्थानों पर शिकागो कन्वेंशन के तहत समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार और भारत में अन्य स्थानों पर समान सेवाओं पर लागू शर्तों के अनुरूप तथा डीजीसीए के प्रावधानों के अनुपालन में सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा। यदि इस समझौते की तिथि के बाद लेकिन रियायतग्राही ओं द्वारा निष्पादन से पहले प्राधिकरण द्वारा अपने विवेकाधिकार से सीएनएस/एटीएम समझौतों के प्रारूप में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है, तो रियायतग्राही नए समझौते पर सीएनएस/एटीएम समझौता ऐसे परिवर्तित या संशोधित प्रारूप में हस्ताक्षर करेंगे।

20.2.2 भारत सरकार की अधिकृत एजेंसी अपने खर्च पर हवाई अड्डे पर ऐसे रडार, उपकरण या सुविधाएं लगा सकती है जो रास्ते में और टर्मिनल पर हवाई नेविगेशन सेवाएं देने के लिए ज़रूरी हों; और कंसेशन लेने वाली कंपनी इसके लिए ज़रूरी सभी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी सहायता व सहयोग देने का वादा करती है।

### **20.3 एयरपोर्ट सुरक्षा**

20.3.1 रियायतग्राही, लागू कानूनों के अनुसार, एयरपोर्ट पर सुरक्षा का इंतज़ाम करेगी, जिसमें आतंकवाद, हैकिंग, मारपीट और/या हिंसा या घटनाओं की रोकथाम शामिल है।

20.3.2 रियायतग्राही इस बात से सहमत है और यह मानती है कि एयरपोर्ट, यूज़र और एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोगों और एयरपोर्ट पर मौजूद दूसरी प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले तरीके और तरीके BCAS या डिज़ाइन एजेंसी द्वारा तय गाइडलाइन के अनुसार होंगे।

20.3.3 रियायतग्राही एयरपोर्ट का इंस्पेक्शन और तलाशी लेने और वहां से जाने वाली किसी भी गाड़ी की तलाशी लेने के लिए हकदार होगी, बिना किसी गलत या गलत तरीके से इस एयरपोर्ट के काम को नुकसान पहुंचाए।

20.3.4 रियायतग्राही को अपने कामकाज में रुकावट या किसी भी अधिकृत भारत सरकार की एजेंसी की कार्रवाई से हुए नुकसान या क्षति के लिए किसी भी तरह के मुआवजे का अधिकार नहीं होगा; सिवाय उन मामलों के जहाँ ऐसा नुकसान या क्षति उस अधिकृत सरकारी एजेंसी की जान-बूझकर की गई या घोर लापरवाही वाली हरकत या चूक के कारण हुई हो।

## 20.4 पुलिस सहायता

लागू कानूनों और इस समझौते के अनुसार एयरपोर्ट के उपयोग को विनियमित करने के लिए, प्राधिकरण रियायतग्राही को पुलिस से सहायता प्राप्त करने में मदद करेगा। इसमें रियायतग्राही द्वारा एयरपोर्ट पर एक पुलिस सहायता चौकी ("पुलिस सहायता चौकी") स्थापित करने में सहायता प्रदान करना भी शामिल है।

## 20.5 मौसम संबंधी सेवाएं

प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि एयरपोर्ट पर CNS/ATM सेवाओं के प्रावधान के लिए मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं नामित भारत सरकार (GOI) की एजेंसी द्वारा प्रदान की जाएं। यह शिकागो कन्वेंशन के तहत समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं और भारत के अन्य समान एयरपोर्टों पर दी जा रही समान शर्तों के अनुसार होगा। रियायतग्राही, अपनी लागत और खर्च पर, और प्राधिकरण के लिए बिना किसी लागत के, परिचालन क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा, स्थान या आवश्यक मौसम संबंधी सेवाओं के प्रावधान और उपकरणों/यंत्रों की स्थापना के लिए कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान प्रदान करेगा।

## 20.6 आरक्षित सेवाओं के संबंध में दायित्व

रियायतग्राही इस बात से सहमत है और वचन देता है कि वह रियायत अवधि के दौरान हर समय :

- (क) नामित भारत सरकार एजेंसी को CNS/ATM सेवाएं प्रदान करने के लिए एटीसी सुविधा उपलब्ध कराना,
- (ख) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए आरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराना,
- (ग) बीसीएस या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना, जो हवाई अड्डे के परिसर के अनुरूप हों, और हवाई अड्डे के चारों ओर उचित सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना।
- (घ) समय-समय पर बीसीएस या नामित भारत सरकार एजेंसी द्वारा यथोचित रूप से आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करना और उनका रखरखाव करना;
- (ङ) प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार अधिकृत की एजेंसी द्वारा हवाई अड्डे के भीतर और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिए गए किन्हीं भी निर्देशों का पालन करना और उन्हें लागू करना, और प्राधिकरण और/या नामित भारत सरकार की एजेंसी को ऐसी कार्रवाइयाँ करने की अनुमति देना जो उनके द्वारा तर्कसंगत रूप से आवश्यक समझी जाएं, बिना हवाई अड्डे के संचालन में अनुचित या अनुचित रूप से बाधा डाले;
- (च) यह सुनिश्चित करना और प्राप्त करना कि लागू कानूनों

और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं के लिए प्रभावी और कुशल प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण और जनशक्ति (मैनपावर) उपलब्ध होगी:

- (i) रनवे से अक्षम विमान को हटाना;
- (ii) किसी भी विमान या हवाई अड्डे पर बम की धमकी;
- (iii) हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में विमान दुर्घटनाएं;
- (iv) गैर-अनुसूचित (नॉन-शेड्यूल्ड) विमान को हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर किया जाना;
- (v) हवाई अड्डे पर आग लगना;
- (vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां;
- (vii) हवाई अड्डे पर हड़ताल;
- (viii) नागरिक विमानन (सिविल एविएशन) के साथ गैर-कानूनी हस्तक्षेप; और

(ix) हवाई अड्डे पर कोई अन्य आपातकालीन स्थिति;

- (छ) अनुच्छेद 20 के तहत अपने दायित्वों के निर्वहन में नामित GOI (भारत सरकार) एजेंसियों को सहायता और सहयोग प्रदान करना;
- (ज) ऐसी जानकारी प्रदान करना जो प्राधिकरण (Authority) और नामित GOI एजेंसी, आरक्षित सेवाओं (Reserved Services) के प्रावधान के लिए उचित रूप से आवश्यक समझें;
- (i) अपने स्वयं के खर्च और लागत पर, बिजली, दूरसंचार सेवाओं, पानी और अन्य ऐसी उपयोगिताओं की निरंतर आपूर्ति प्रदान करना जो नामित GOI एजेंसियों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, आरक्षित सेवाओं के प्रावधान के लिए या अन्यथा, उनके द्वारा आवश्यकतानुसार आवश्यक हो सकती हैं; और
- (झ) प्राधिकरण और नामित भारत सरकार की एजेंसी को किसी भी प्रस्तावित बंदी (closure) या हवाई अड्डे पर किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं को वापस लेने के संबंध में 7 (सात) दिन पहले सूचित करना, सिवाय किसी आपात स्थिति के मामले में, जो समय-समय पर पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत परिचालन प्रक्रियाओं के अनुसार हो।

## 20.7 आरक्षित एरिया (आरक्षित क्षेत्र)

207.1 क्लॉज़ 19.8 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही यह वचन देती है कि कंसेशन की अवधि के दौरान वह हर समय अथॉरिटी या उसके नॉमिनी को एयरपोर्ट पर ऐसा आरक्षित एरिया, एक्सेस और सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी जो उन्हें इस एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित सर्विसेज़ करने में सक्षम बनाने के लिए ज़रूरी हों। इसके अलावा, रियायतग्राही अथॉरिटी के लिए टर्मिनल बिल्डिंग के कॉनकोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 500 (पाँच सौ) वर्ग फुट की लगातार एयर-कंडीशंड जगह अलग से चिह्नित करके उपलब्ध कराएगी।

20.7.2 आरक्षित एरिया का इस्तेमाल अथॉरिटी या उसके चुने हुए लोग उस तरीके से करेंगे जो उन्हें सही लगे, और कंसेशन पीरियड के दौरान रियायतग्राही इसका इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए नहीं

कर सकेगा। आरक्षित एरिया का कंट्रोल और मैनेजमेंट अथॉरिटी या उसके चुने हुए लोगों के पास होगा, जो उन कामों को करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे जिनके लिए यह एरिया तय किया गया है या जो इन कामों से जुड़े किसी और मकसद के लिए ज़रूरी हों। आरक्षित एरिया और वहाँ आने-जाने के रास्ते के संबंध में कंसेशनरी की ज़िम्मेदारियाँ आरक्षित एरिया के सिविल कामों, स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट के रखरखाव तक ही सीमित होंगी, बशर्ते कि इमरजेंसी, आग या ऐसी ही किसी घटना की स्थिति में वहाँ बिना किसी रोक-टोक के पहुँचा जा सके।

20.7.3 कन्सेशनेयर, अथॉरिटी या उसके नामांकित व्यक्तियों की पूर्व सहमति के बिना, आरक्षित सर्विसेज के प्रावधान के लिए अथॉरिटी या उसके नामांकित व्यक्तियों को प्रदान की गई पहुँच, स्थान और सुविधाओं को कम या प्रतिबंधित नहीं करेगा, जैसा भी मामला हो।

20.7.4 इस क्लॉज 20.7 में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, अथॉरिटी, कन्सेशनेयर की सहमति से, आरक्षित एरिया या उसके किसी हिस्से को कन्सेशनेयर को ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थानांतरित कर सकती है जो आपस में सहमत हों। ऐसी स्थिति में, कन्सेशनेयर आरक्षित एरिया में एक सुरक्षित और कुशल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, अथॉरिटी और उसके द्वारा नामित एजेंसियों के साथ सहयोग करने का हर संभव प्रयास करेगा।

20.7.5 एयरपोर्ट के किसी भी ऐसे विस्तार की स्थिति में जिसके लिए आरक्षित सर्विसेज के प्रावधान के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं के स्थानांतरण या पुनर्गठन की आवश्यकता होती है, कन्सेशनेयर अथॉरिटी या उसके नामांकित व्यक्तियों को सूचित करेगा, जैसा भी मामला हो, और इसके संबंध में आवश्यक होने वाले किसी भी संशोधन को आपसी सहमति से निर्धारित करेगा।

20.7.6 यदि आरक्षित एरिया में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता होती है, तो अथॉरिटी या उसके नामांकित व्यक्ति, कन्सेशनेयर की सहमति से, आरक्षित एरिया वाले स्थान को बढ़ा सकते हैं।

## अनुच्छेद 21, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और रखरखाव

### 21.1 एयरपोर्ट ऑपरेटर का डेटाबेस

रियायत पाने वाले को एयरपोर्ट ऑपरेशन डेटाबेस (AODB) बनाना और बनाए रखना होगा, जिसमें एयरपोर्ट ऑपरेशन डेटाबेस, कम्युनिकेशन लेयर और विज़ुअल सिस्टम शामिल होंगे जो एयरपोर्ट के अलग-अलग सिस्टम को आपस में जोड़ते हैं। AODB को एयरपोर्ट पर सभी ऑपरेशन डेटा उपलब्ध कराना होगा, जिसमें सर्विस के लक्ष्यों और टर्मिनल बिल्डिंग की सर्विस के स्तर को तय करने वाले पैरामीटर से जुड़ा डेटा और इस एग्रीमेंट के तहत अथॉरिटी या किसी तय सरकारी एजेंसी द्वारा मांगी गई कोई भी अन्य जानकारी शामिल होगी। AODB को इस एग्रीमेंट की ज़रूरतों के अनुसार रोज़ाना, साप्ताहिक, मासिक, तिमाही और सालाना रिपोर्ट तैयार करनी होगी। AODB सिस्टम में रणनीतिक फैसले लेने में मदद करने और रियायत पाने वाले को अलग-अलग अनुपालन ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता के लिए ऐतिहासिक और रियल-टाइम डेटा उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए। रियायत पाने वाले को समय-समय पर समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करने के लिए अथॉरिटी को AODB का एक्सेस देना होगा।

### 21.2 स्टेटस रिपोर्ट

21.2.1 रियायत की अवधि के दौरान, रियायत पाने वाले को हर तिमाही के खत्म होने के 7 (सात) दिनों के भीतर अथॉरिटी को एक तिमाही रिपोर्ट देनी होगी (जो अथॉरिटी को स्वीकार्य हो)। इस रिपोर्ट में एयरपोर्ट की स्थिति के बारे में उचित विवरण होना चाहिए, जिसमें सुरक्षा ज़रूरतों का पालन (या न होना) और किसी घटना के होने की तारीख शामिल हो। साथ ही, अथॉरिटी द्वारा मांगी गई कोई भी अन्य संबंधित जानकारी तुरंत देनी होगी। ऐसी रिपोर्ट में उन कमियों का अलग से और उचित विवरण के साथ उल्लेख किया जाएगा जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है।

21.2.2 रियायत अवधि के दौरान हर समय, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 10 (दस) दिनों के भीतर प्राधिकरण को एक त्रैमासिक प्रबंधन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जो निम्नलिखित का सारांश होगी:



- (क) तिमाही में हासिल किए गए मुख्य प्रदर्शन संकेतक, साथ ही विफलताओं के कारणों का विश्लेषण (यदि कोई हो), और उन्हें सुधारने के प्रस्ताव;
- (ख) अगली तिमाही में अपेक्षित मुख्य परिचालन बाधाएँ और डिलिवरेबल्स, साथ ही उनसे निपटने और हवाई अड्डे के परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने की रणनीतियाँ;
- (ग) तिमाही के मुख्य वित्तीय मानदंड, जैसा कि तिमाही बजट के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है, कमी के कारण (यदि कोई हो), और उन्हें सुधारने के प्रस्ताव; और
- (घ) हवाई अड्डे के वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने की रणनीतियों के साथ अगली तिमाही का त्रैमासिक बजट।

21.2.3 रियायतग्राही (रियायतग्राही ) नियमित आधार पर प्राधिकरण को निम्नलिखित रिपोर्ट सौंपेगा:

- (क) तिमाही गतिविधि रिपोर्ट (यात्री यातायात, विमानों की आवाजाही, कार्गो आदि);
- (ख) तिमाही वित्तीय खाते;
- (ग) वार्षिक बजट;
- (घ) बिजनेस प्लान (व्यावसायिक योजना) का नवीनतम अपडेट;
- (ङ) वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम;
- (च) अन्य परिचालन संबंधी जानकारी, जैसा कि किसी भी सरकारी संस्था द्वारा आवश्यक हो, (भारत सरकार, राज्य सरकार, नागरिक विमानन मंत्रालय, डीजीसीए, प्राधिकरण, आईसीएओ या एटीए सहित) और
- (छ) हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास से संबंधित ऐसी अन्य रिपोर्ट जानकारी (या उसका विश्लेषण) जिसे प्राधिकरण समय-समय पर अनुरोध कर सकता है।

### 21.3 सेवा स्तर की निगरानी

कंसेशनेयर निम्नलिखित कार्य करेगा:

(क) पूरे रियायत काल के दौरान, हवाई अड्डे पर यातायात के प्रवाह की नियमित रूप से निगरानी करेगा और हवाई अड्डे पर सेवा के स्तरों की नियमित रूप से जांच करेगा;

(ख) सीओडी (COD) प्राप्त करने के बाद, नियमित रूप से हवाई जहाज से उतरने वाले और चढ़ने वाले पीक ऑवर (व्यस्त समय के) यात्रियों की निगरानी और गिनती करेगा;

(ग) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 7वें (सातवें) दिन तक, प्राधिकरण को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करेगा:

(i) यह पुष्टि करते हुए कि पिछली तिमाही (या उसके हिस्से) के दौरान हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर कभी भी आईएटीए ऑप्टिमम सेवा स्तर से नीचे नहीं गिरा या उन तारीखों या समय की अवधियों का विवरण देगा जिसके दौरान हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर आईएटीए ऑप्टिमम सेवा स्तर से नीचे गिरा था, और

(ii) रिपोर्टिंग तिमाही के दौरान हवाई अड्डे पर अपेक्षित सेवा के स्तर का अपना विश्लेषण (सभी सहायक डेटा के साथ) प्रस्तुत करेगा, जिसमें समय की वह अवधि भी शामिल होगी जब सेवा का स्तर आईएटीए ऑप्टिमम सेवा स्तर से नीचे गिरने का अनुमान है; और

(घ) प्राधिकरण को तुरंत लिखित में सूचित करेगा, यदि वह अन्यथा यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे पर सेवा का स्तर किसी भी समय गिर गया है या आईएटीए ऑप्टिमम सेवा स्तर से नीचे गिरने का अनुमान है, तथा ऐसी कमी से संबंधित कोई भी और सभी डेटा प्राधिकरण को इसके समाधान की योजना के साथ प्रदान करेगा।

#### **21.4 असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट**

कंसेशनेयर प्रत्येक दिन की समाप्ति से पहले, प्राधिकरण और नामित भारत सरकार एजेंसी को फैक्स और ईमेल द्वारा हवाई अड्डे पर उपयोगकर्ताओं और हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं की रिपोर्ट भेजेगा। ऐसी रिपोर्टों का साप्ताहिक और मासिक सारांश भी प्रत्येक सप्ताह और माह की समाप्ति के 3 (तीन) दिनों के भीतर भेजा जाएगा। इस खंड 21.4 के प्रयोजनों के लिए, हवाई अड्डे पर दुर्घटनाओं और असामान्य घटनाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट;

- (ख) क्षतिग्रस्त या विस्थापित स्थिर उपकरण;
- (ग) हवाई अड्डे पर कोई क्षति या अवरोध, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं में बाधा उत्पन्न होती है;
- (घ) रनवे, एप्रन या टैक्सीवे पर कोई क्षति या अवरोध;
- (ङ) हवाई अड्डे पर हवाई यातायात की भीड़ जिसके कारण निर्धारित विमान संचालन में अनावश्यक देरी या टर्मिनल भवन में भीड़भाड़ होती है;
- (च) हवाई अड्डे की प्रकाश व्यवस्था में कोई खराबी या दोष;
- (छ) आरक्षित सेवाओं के प्रावधान में कोई अवरोध या अत्यधिक भीड़भाड़;
- (ज) हवाई अड्डे पर विद्युत आपूर्ति या जल आपूर्ति में रुकावट या विफलता;
- (झ) टर्मिनल भवन में वातानुकूलन सेवाओं में रुकावट या विफलता;
- (ञ) हवाई अड्डे पर किसी क्लोज्ड-सर्किट टेलीविज़न प्रणाली का अक्रियशील होना;
- (ट) हवाई अड्डे के प्रचालन को प्रभावित करने वाली संचार विफलता;
- (ठ) प्रचालन क्षेत्र, रनवे और टैक्सीवे के भीतर तथा उसके आसपास पक्षी टकराव, संभावित पक्षी टकराव या पशु उपद्रव की कोई घटना;
- (ड) हवाई अड्डे पर चोरी या डकैती की कोई घटना;
- (ढ) हवाई अड्डे पर सुरक्षा भंग;
- (ण) हवाई अड्डे में घुआं, आग या जल भराव;
- (त) प्रोजेक्ट सुविधाओं में से किसी को पर्याप्त क्षति या विनाश; और
- (थ) प्राधिकरण द्वारा युक्तिसंगत रूप से आपेक्षित ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी ।

## 21.5 निरीक्षण

प्राधिकरण या उसकी नामित एजेंसी, यदि आवश्यक हो, तो रियायतग्राही को पूर्व सूचना देकर वर्ष में कम से कम एक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकती है। यह ऐसे निरीक्षण की एक रिपोर्ट बनाएगी जिसे ("ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट" / O&M Inspection Report) कहा जाएगा। इस रिपोर्ट में इस समझौते की आवश्यकताओं, लागू कानूनों, लागू परमिटों, प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) और आईएटीए (IATA) मानकों, नियामक और अच्छी उद्योग प्रथाओं द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन का उचित विवरण दिया जाएगा। साथ ही, किसी भी कमी या दोष का उल्लेख किया जाएगा, और उसकी एक प्रति निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर रियायतग्राही को भेजी जाएगी।

## **21.6 उपचारात्मक उपाय**

21.6.1 कंसेशनेयर, क्लॉज 21.5 में उल्लिखित ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाए गए दोषों या कमियों (यदि कोई हो) की मरम्मत या सुधार करेगा और ओएंडएम निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उसके संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। बशर्ते कि जहाँ ऐसे दोषों या कमियों को दूर करने में 15 (पंद्रह) दिनों से अधिक का समय लगने की संभावना हो, वहाँ रियायतग्राही सप्ताह में एक बार ऐसे मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तब तक प्रस्तुत करेगा जब तक कि ऐसे कार्य इस समझौते के अनुरूप पूरे नहीं हो जाते।

21.6.2 प्राधिकरण, रियायतग्राही से अपनी लागत पर ऐसे परीक्षण करने या करवाने की अपेक्षा करेगा, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि ऐसे उपचारात्मक उपायों ने हवाई अड्डे को इस समझौते के अनुपालन में ला दिया है। इस क्लॉज 21.6 में निर्धारित प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि हवाई अड्डा इस समझौते के अनुरूप नहीं हो जाता।

## **21.7 प्रबंधन तक पहुँच प्राधिकरण**

उचित सूचना देने के बाद, समय-समय पर वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों और हवाई अड्डे के अन्य प्रासंगिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों तक उचित पहुँच का हकदार होगा।

## **218 सिटी साइड डेवलपमेंट**

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 21 में कोई भी बात सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होगी।

## अनुच्छेद 22. यातायात विनियमन और जनगणना

### 22.1 रियायतग्राही द्वारा यातायात विनियमन

22.1.1 रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार और लागू कानूनों के तहत इस संबंध में अधिकृत नामित भारत सरकार एजेंसियों या उनके किसी विकल्प के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, हवाई अड्डे के भीतर और हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों के यातायात को विनियमित करेगा।

22.1.2 रियायतग्राही उद्योग में अच्छी प्रथाओं पर आधारित एक ऐसी प्रणाली विकसित और प्रचारित करेगा, जिससे हवाई अड्डे के उपयोग में किसी भी उपयोगकर्ता या उपयोगकर्ता वर्ग के साथ भेदभाव या अनुचित लाभ न हो।

22.1.3 रियायतग्राही को सभी व्यक्तियों को गैर-भेदभावपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हुए, एक सामान्य वाहक आधार पर हवाई अड्डे का प्रबंधन, संचालन और विनियमन करने का अधिकार और दायित्व है।

### 22.2 जनगणना

कंसेशनेयर हवाई अड्डे से होकर गुजरने वाले हवाई और जमीनी यात्री एवं माल यातायात से संबंधित डेटा एकत्र करेगी। ऐसे डेटा का मासिक विवरण संकलित करके प्राधिकरण को प्राधिकरण द्वारा स्वीकार्य प्रारूप में तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक मासिक यातायात विवरण में व्यस्त समय के दौरान यात्रियों की संख्या, विमानों की आवाजाही और दैनिक आधार पर माल की मात्रा शामिल होगी।

### 22.3 कंप्यूटर प्रणाली एवं नेटवर्क

कंसेशनेयर यातायात के कुशल एवं पारदर्शी विनियमन एवं प्रबंधन के लिए उपयोगी या आवश्यक डेटा एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसियों और अन्य संबंधित

संस्थाओं के नेटवर्क से चौबीसों घंटे जुड़े रहने वाली एक कंप्यूटर प्रणाली स्थापित, संचालित और रखरखाव करेगी। इस उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ("ईडीआई") प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। यह सहमति हुई है कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ईडीएल की आवश्यकताओं और आउटपुट के अनुरूप संशोधित खंड 28.9 में निर्दिष्ट प्रारूप को संशोधित किया जा सकता है।

## अनुच्छेद 23 मुख्य प्रदर्शन संकेतक

### 23.1 मुख्य प्रदर्शन संकेतक

23.1.1 इस समझौते में निर्दिष्ट दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सीओडी (COD - वाणिज्यिक संचालन तिथि) की तारीख से शुरू होने वाले 1 (एक) वर्ष से, रियायतग्राही हवाई अड्डे का संचालन इस प्रकार करेगा कि यह इस अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट प्रदर्शन संकेतकों और अनुसूची H ("मुख्य प्रदर्शन संकेतक") में निर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करे या उससे अधिक हो।

23.1.2 रियायतग्राही इसके अंतर्गत अनुसूची H में पहचाने गए मापदंडों पर सेवा की गुणवत्ता की निगरानी और माप करेगा। रियायतग्राही माप प्रणाली और माप आवृत्ति/आवधिकता पर विवरण प्रदान करते हुए एक प्रदर्शन माप योजना प्रस्तुत करेगा। प्रदर्शन माप योजना रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों, नियामक ढांचे और अनुसूची H के तहत दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार तैयार की जाएगी।

### 23.2 वैमानिकी संपत्तियों का संचालन

23.2.1 रियायतग्राही वैमानिकी संपत्तियों का संचालन इस प्रकार करेगा कि, सीओडी (COD) से शुरू होने वाले 1 (एक) वर्ष से, यह इस क्लॉज 23.2 और अनुसूची H में निर्दिष्ट मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।

23.2.2 कंसेशनेयर, रियायत अवधि के दौरान हर समय, प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) मानकों, डीजीसीए (DGCA) के दिशानिर्देशों, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम का रखरखाव करेगा।

### 23.3 टर्मिनल भवन का संचालन

23.3.1 रियायतग्राही टर्मिनल बिल्डिंग का संचालन और रखरखाव इस तरह करेगा कि सीओडी (COD) से 1 (एक) वर्ष की तारीख से, यह इस क्लॉज 23.3 और शेड्यूल H में निर्दिष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।

23.3.2 रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) टर्मिनल बिल्डिंग और इसके शौचालय साफ, स्वच्छ और गंधहीन हों;



- (ख) शेड्यूल C के अनुसार विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप टर्मिनल बिल्डिंग के भीतर पर्याप्त रोशनी हो;
- (ग) टर्मिनल बिल्डिंग के भीतर सामान्य क्षेत्रों में तापमान को बाहरी तापमान के संबंध में गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज के अनुसार आरामदायक स्तर पर बनाए रखा जाए;
- (घ) सभी प्रवेश और निकास बिंदु, मार्ग, सर्कुलेशन क्षेत्र और वाहनों का ट्रैफिक इस तरह प्रबंधित किया जाए कि 95% समय के लिए उनकी कतार (queue) में प्रतीक्षा समय 5 (पाँच) मिनट से अधिक न हो; और
- (ङ) सभी लिफ्ट, एस्केलेटर, वॉकलेटर, उड़ान सूचना प्रणाली, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और प्रकाश व्यवस्थाएं कुशलतापूर्वक कार्य करें और उनकी उपलब्धता 98% (अठ्ठानवे प्रतिशत) से कम न हो।
- (च) कार्यालय समय के दौरान आने वाले सभी फोन कॉलों में से 75% (पचहतर प्रतिशत) और निर्धारित ऑपरेटिंग समय के भीतर आने वाले फोन कॉलों का उत्तर 30 (तीस) सेकंड के भीतर दिया जाए।

## 23.4 वाहन पार्किंग का संचालन

23.4.1 रियायतग्राही सीओडी (वाणिज्यिक संचालन की तारीख) से 1 (एक) साल बाद की तारीख से पार्किंग का संचालन और प्रबंधन करेगा, बशर्ते यह मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के अनुरूप हो।

23.4.2 कंसेशनेयर, सीओडी (COD) की तारीख से 1 (एक) वर्ष बाद शुरू होने वाली तारीख से, हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (क) वाहन पार्क में प्रवेश से लेकर खाली स्लॉट में पार्किंग करने तक का औसत समय, जिसमें शुल्क के भुगतान का समय भी शामिल है, कम से कम 95% (पचानवे प्रतिशत) उपयोगकर्ताओं के लिए 5 (पाँच) मिनट से अधिक नहीं होगा;
- (ख) पार्किंग स्लॉट से प्रस्थान करने से लेकर निकास द्वार तक जाने का औसत समय, जिसमें शुल्क के भुगतान का समय भी शामिल है, कम से कम 95% (पचानवे प्रतिशत) उपयोगकर्ताओं के लिए 5 (पाँच) मिनट से अधिक नहीं होगा; और
- (ग) स्थान और उपकरणों का प्रावधान, तथा उनका उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि वाहनों का रखरखाव अच्छी उद्योग पद्धति के अनुरूप सुरक्षित और कुशल हो।

23.4.3 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि पार्किंग को साफ-सुथरा और पर्याप्त रोशनी के साथ रखा जाए।

23.4.4 रियायतग्राही पार्किंग में सुविधाजनक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालयों की व्यवस्था करेगा और उन्हें साफ और स्वच्छ स्थिति में रखेगा।

### 23.5 कार्गो सुविधाओं का प्रचालन

कार्गो सुविधाओं का संचालन रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि इस समझौते के खंड 19.4 के अनुसार विकसित, संचालित और बनाए रखी गई कार्गो सुविधाएं:

- (क) साफ-सुथरी रखी जाएं और वहां पर्याप्त रोशनी (लाइटिंग) की व्यवस्था हो;
- (ख) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सुविधा प्रदान करें और उसका संचालन करें;
- (ग) ऐसी कार्गो सुविधाओं के उपयोगकर्ताओं को अच्छी उद्योग प्रथाओं के तुलनीय कुशल और किफायती सेवाएं प्रदान करें;
- (घ) कार्गो सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में शौचालयों की व्यवस्था करें और उन्हें स्वच्छ एवं स्वच्छ स्थिति में रखें।

### 23.6 आईएसओ प्रमाणन

23.6.1 कंसेशनेयर, चरण 1 पूरा होने की तारीख से 24 (चौबीस) महीनों के भीतर, रियायत अवधि के दौरान कड़ाई से QMS ISO 9001:2008, EMS ISO 14001:2004 और OHSAS ISO 18001:2007 प्रमाणन तथा अन्य लागू प्रमाणपत्र या हवाई अड्डे पर उन सभी सुविधाओं के लिए उनके स्थान पर कोई वैकल्पिक प्रमाणन प्राप्त करेगा और उसके बाद उसे बनाए रखेगा जो रियायतग्राही द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित हैं, तथा उसकी एक प्रमाणित प्रति तुरंत प्राधिकरण को प्रदान करेगा।

23.6.2 क्लॉज 23.6.1 में निर्दिष्ट प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) प्राप्त करने में चूक (डिफॉल्ट) होने की स्थिति में, रियायतग्राही उसके 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, प्राधिकरण (अथॉरिटी) को एक कार्य योजना (एक्शन प्लान) सौंपेगा, जिसमें हवाई अड्डे (एयरपोर्ट) की सभी सुविधाओं के लिए अपनी कमियों को सुधारने और ऐसा प्रमाणन प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाइयों का विवरण होगा।

23.6.3 यदि इस क्लॉज 23.6 के तहत आईएसओ (ISO) प्रमाणन प्राप्त करने में चूक की अवधि लगातार 3 (तीन) महीने से अधिक हो जाती है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण को हर्जाना (डैमेजेस) का भुगतान करेगा, जिसकी राशि 3 (तीन) महीने की उक्त अवधि से आगे प्रत्येक 1 (एक) महीने की चूक के लिए शुल्क (फीस) से होने वाले कुल मासिक राजस्व के 0.1% (शून्य दशमलव एक प्रतिशत) के बराबर होगी।

## 23.7 लक्ष्य रेटिंग और उपयोगकर्ता सर्वेक्षण

23.7.1 रियायतग्राही एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ("ACI") या उसके किसी विकल्प द्वारा आयोजित ASQ उपयोगकर्ता सर्वेक्षण में भाग लेगा, जो हर तिमाही में आयोजित किया जाता है। वह यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डा कम से कम 4.5 (पांच में से साढ़े चार) की रेटिंग प्राप्त करे और उसे बनाए रखे, या वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) से 5 (पांच) वर्षों के भीतर दुनिया में अपनी श्रेणी के सभी हवाई अड्डों के शीर्ष 20% (बीस प्रतिशत) में दिखाई दे और रियायत अवधि के शेष समय के लिए इसे बनाए रखे।

23.7.2 रियायतग्राही, प्रत्येक कैलेंडर तिमाही की समाप्ति के 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण को ठीक पिछली तिमाही के ASQ उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के परिणामों पर एक लिखित रिपोर्ट प्रदान करेगा। इसके साथ ही वह परिणामों का अपना विश्लेषण और उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार के लिए की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई (यदि कोई हो) भी सौंपेगा।

23.7.3 क्लॉज 23.7.1 में निर्दिष्ट उपयोगकर्ता सर्वेक्षण के अतिरिक्त, प्राधिकरण, अपनी लागत और खर्च पर, "उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण" आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी को नियुक्त कर सकता है। यह सर्वेक्षण रियायतग्राही द्वारा इस अनुच्छेद 23 के प्रावधानों के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक कैलेंडर तिमाही में एक बार नमूना सर्वेक्षण के रूप में किया जाएगा। उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण की प्रकृति और सामग्री प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के परामर्श से तय की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम निष्पक्ष हो और उपयोगकर्ताओं के एक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को दर्शाता हो। यह सहमति है कि उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण को तैयार करने में, प्राधिकरण अच्छी उद्योग प्रथाओं पर भरोसा करेगा और समय-समय पर अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वर्तमान में आयोजित ASQ सर्वेक्षणों के समान सर्वेक्षणों के अनुरूप काम करेगा।

23.7.4 यदि उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि सर्वेक्षण किए गए 20% (बीस प्रतिशत) से अधिक उपयोगकर्ता रियायतग्राही के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, और सेवाओं को औसत से कम आंकते हैं, तो प्राधिकरण ऐसे उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण के निष्कर्षों की रिपोर्ट नियामक

को सौंपेगा, ताकि नियामक फ्रेमवर्क के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। ऐसी स्थिति में, इस तरह के उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण की लागत रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

## **23.8 स्थिति रिपोर्ट**

रियायत अवधि के दौरान, रियायतग्राही प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, इस अनुच्छेद 23 और अनुसूची H में निर्दिष्ट सभी प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के अनुपालन के संबंध में उचित विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही, यदि कोई विफलता हुई है, तो उसके कारणों का विश्लेषण और हवाई अड्डे के परिचालन प्रदर्शन को सुधारने की रणनीतियाँ भी शामिल की जाएंगी। इस रिपोर्ट में खंड 23.9 के अनुसार गणना की गई क्षतियों का परिमाणीकरण भी शामिल होगा।

## **23.9 प्रदर्शन में कमी के लिए हर्जाना**

रियायतग्राही इस अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक का अनुपालन सुनिश्चित और प्राप्त करेगा। किसी तिमाही के दौरान औसत प्रदर्शन में किसी भी कमी के लिए, वह हर्जाने का उत्तरदायी होगा। ऐसे किसी भी हर्जाने का निर्धारण नियामक के परामर्श से किया जाएगा और निर्दिष्ट अवधि के लिए वैमानिकी शुल्कों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

## **23.10 उपयोगकर्ता चार्टर**

रियायतग्राही उपयोगकर्ताओं के अधिकारों और अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हुए एक चार्टर ("उपयोगकर्ता चार्टर") प्रकाशित और लागू करेगा, जो मुख्य रूप से अनुसूची J में निर्दिष्ट प्रारूप में होगा। रियायतग्राही उपयोगकर्ता चार्टर और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हर समय उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होगा।

## **23.11 मुख्य प्रदर्शन संकेतकों से छूट**

रियायतग्राही को किसी भी मुख्य प्रदर्शन संकेतक के अनुरूप काम न करने (चूक होने) पर तब तक माफ किया जाएगा जब तक कि ऐसी चूक प्राधिकरण द्वारा इसके तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफलता के कारण हुई हो।

तकनीक में बदलाव, उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं आदि के साथ, रियायतग्राही के साथ-साथ प्राधिकरण अनुसूची H में निर्दिष्ट प्रदर्शन संकेतकों और मानकों में बदलाव का प्रस्ताव कर सकते हैं ताकि हवाई अड्डे के प्रदर्शन से संबंधित नए प्रदर्शन संकेतकों की पहचान की जा सके और उचित प्रदर्शन उपाय निर्धारित किए जा सकें; मौजूदा संकेतकों के लिए प्रदर्शन मानकों को संशोधित किया जा सकता है, या नवीनतम विकास/प्रगति के अनुरूप संकेतकों के लिए माप प्रणाली को अपडेट किया जा सकता है।

ऐसे बदलावों का प्रस्ताव करने वाले किसी भी पक्ष पर, प्राधिकरण नियामक और उपयोगकर्ताओं के साथ ऐसे प्रस्ताव पर परामर्श करेगा। प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणियों के साथ-साथ नियामक और उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श से प्राप्त इनपुट पर चर्चा करने के लिए पक्षकार ऐसे प्रस्ताव के 60 (साठ) दिनों के भीतर बैठक करेंगे।

ऐसी बैठक के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण नियामक और/या उपयोगकर्ताओं से प्राप्त परामर्श इनपुट को शामिल करने के लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार करेगा, साथ ही प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की टिप्पणियों और नियामक तथा उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श से प्राप्त इनपुट पर भी विचार करेगा। प्राधिकरण तदनुसार रियायतग्राही को उन बदलावों के बारे में सूचित करेगा जो वह अनुसूची H में प्रस्तावित करता है। ऐसे बदलावों को समझौते का हिस्सा माना जाएगा और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को अधिसूचना की तारीख के बाद कम से कम 60 (साठ) दिनों के बाद आने वाली कैलेंडर तिमाही की शुरुआत से लागू माना जाएगा।

इस खंड 23.11 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों में पक्षों के बीच किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

### **23.12 नियामक द्वारा प्रदर्शन मानकों की समीक्षा**

इस अनुच्छेद 23 में इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, नियामक समय-समय पर मुख्य प्रदर्शन संकेतकों की पूर्ति के संबंध में रियायतग्राही के प्रदर्शन की समीक्षा कर सकता है और ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो वह नियामक ढांचे के तहत अपनी शक्तियाँ और कार्यों का प्रयोग करने के लिए आवश्यक समझे।

### 23.13 सिटी साइड डेवलपमेंट

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुच्छेद 23 की कोई भी बात सिटी साइड डेवलपमेंट पर लागू नहीं होगी।

## अनुच्छेद 24 स्वतंत्र इंजीनियर

### 24.1 स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति

24.1.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही अनुसूची ट में दिए गए चयन मानदंडों के अनुसार पर्याप्त रूप से एक परामर्शदाता इंजीनियरिंग फर्म को इस समझौते के तहत स्वतंत्र सलाहकार ("स्वतंत्र इंजीनियर") के रूप में नियुक्त करेंगे। स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति अनुसूची ट के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

24.1.2 स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति इस समझौते के निष्पादन की तारीख से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर की जाएगी, और ऐसी नियुक्ति 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी। उक्त नियुक्ति की समाप्ति या अंत होने पर, प्राधिकरण अनुसूची ट के प्रावधानों के अनुसार 3 (तीन) वर्षों की अगली अवधि के लिए एक स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति करेगा, और प्रत्येक नियुक्ति की समाप्ति के बाद इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा।

### 24.2 कर्तव्य और कार्य

24.2.1 स्वतंत्र इंजीनियर अनुसूची ठ में निर्धारित संदर्भ शर्तों के अनुसार पर्याप्त रूप से अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करेगा।

24.2.2 स्वतंत्र इंजीनियर अनुसूची ठ में निर्धारित अपने कर्तव्यों और कार्यों के संबंध में प्राधिकरण को नियमित आवधिक रिपोर्ट (कम से कम हर महीने में एक बार) प्रस्तुत करेगा।

24.2.3 प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र इंजीनियर को भेजे गए और स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्राधिकरण को भेजे गए सभी संचारों (कन्वर्सेशन/नोटिस) की एक सच्ची प्रति स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तुरंत रियायतग्राही को भेजी जाएगी।

24.2.4 स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा रियायतग्राही को भेजे जाने वाले सभी आवश्यक संचार प्राधिकरण के माध्यम से किए जाएंगे।

### 24.3 पारिश्रमिक

24.3.1 स्वतंत्र इंजीनियर के पारिश्रमिक, लागत और खर्चों का भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, और ऐसे सभी पारिश्रमिक, लागत और खर्चों की प्रतिपूर्ति रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से व्यय का

विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को की जाएगी। स्वतंत्र इंजीनियर को भुगतान की गई कोई भी राशि नियामक द्वारा वैमानिकी शुल्क के निर्धारण के लिए एक पास-थ्रू मानी जाएगी।

## **24.4 नियुक्ति की समाप्ति**

24.4.1 प्राधिकरण, अपने विवेक से, किसी भी समय स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति को समाप्त कर सकता है, लेकिन केवल क्लॉज 24.1 के अनुसार दूसरे स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति के बाद ही ऐसा किया जा सकता है।

24.4.2 यदि रियायतग्राही के पास यह विश्वास करने का कारण है कि स्वतंत्र इंजीनियर अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन निष्पक्ष, कुशल और मुस्तैद तरीके से नहीं कर रहा है, तो वह प्राधिकरण को एक लिखित प्रतिवेदन दे सकता है और स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति को समाप्त करने की मांग कर सकता है। ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकरण विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए रियायतग्राही और स्वतंत्र इंजीनियर के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करेगा, और यदि प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई मतभेद या असहमति अनसुलझी रहती है, तो विवाद का निपटारा विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यदि इसके तहत स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति समाप्त कर दी जाती है, तो प्राधिकरण तुरंत क्लॉज 24.1 के अनुसार एक अन्य स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति करेगा।

## **24.5 विवाद समाधान**

यदि कोई भी पक्ष स्वतंत्र इंजीनियर की किसी भी सलाह, निर्देश, निर्णय या आदेश पर विवाद करता है, या जैसा भी मामला हो, अधिकार क्षेत्र के दावे या दावा करने में विफलता पर विवाद करता है, तो विवाद को विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार हल किया जाएगा।

## **24.6 अंतरिम व्यवस्था**



ऐसी स्थिति में जब प्राधिकरण ने किसी स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति नहीं की है, या स्वतंत्र इंजीनियर ने अपने कार्यों को छोड़ दिया है या उनके निर्वहन में चूक की है, तो प्राधिकरण अंतरिम रूप से, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नामित और अधिकृत कर सकता है। बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति इस समझौते में स्वतंत्र इंजीनियर के संबंध में निर्दिष्ट अनुमोदन से संबंधित किसी भी कार्य का प्रयोग नहीं करेगा, और ऐसे कार्यों को तब समाप्त माना जाएगा जब कोई स्वतंत्र इंजीनियर इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। हालांकि, यह भी प्रावधान है कि इस खंड 24.6 में निहित कुछ भी इस समझौते के प्रावधानों का अनुपालन लागू करने के प्राधिकरण के अधिकारों को किसी भी तरह से सीमित नहीं करेगा।

## अनुच्छेद 25. सिटी साइड डेवलपमेंट

### 25.1 सिटी साइड का विकास

25.1.1 रियायतग्राही, अनुसूची क में निर्दिष्ट भूमि पर सिटी साइड डेवलपमेंट करने का हकदार होगा, जो अनुसूची ख और अनुसूची ग में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा, और समझौते (समझौतों) के माध्यम से इसके किसी भी या सभी हिस्सों को उप-पट्टे पर देने के अधिकार के साथ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऐसे विकास का लाभ उठाने का हकदार होगा, जिस समझौते (समझौतों) को एक परियोजना समझौते के रूप में पहचाना जाएगा, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो और इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद।

25.1.2 रियायतग्राही इस समझौते, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छी उद्योग प्रथाओं के प्रावधानों के अनुसार, अपने खर्च पर सिटी साइड डेवलपमेंट के हिस्से के रूप में सड़कों, बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे (infrastructure) के विकास और रखरखाव का कार्य करेगा या करवाएगा।

### 25.2 सिटी साइड डेवलपमेंट का संचालन और रखरखाव

रियायतग्राही इस समझौते, लागू कानूनों, लागू परमिटों और अच्छी उद्योग प्रथाओं के प्रावधानों के अनुसार सिटी साइड डेवलपमेंट के संचालन, प्रबंधन और विकास में इस समझौते, लागू कानूनों और लागू परमिटों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा और उसका व्यावसायिक उपयोग करेगा।

### 25.3 लागत, कर और राजस्व

25.3.1 सीओडी (व्यावसायिक संचालन तिथि) को और उसके बाद से, सिटी साइड डेवलपमेंट से संबंधित सभी लागत, व्यय, कर, शुल्क और प्रभार, जिसमें संपत्ति पर कर भी शामिल हैं, रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे या जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किए जाएंगे। रियायतग्राही द्वारा किए गए किसी भी विकास से उत्पन्न होने वाले संपत्ति पर कोई भी कर, लागू कानूनों के अनुसार

प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा और रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को उसकी आवश्यक विवरणों के साथ नोटिस प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

25.3.2 सिटी साइड डेवलपमेंट से अर्जित होने वाले सभी राजस्वों को रियायतग्राही द्वारा इस समझौते और लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार विनियोजित किया जाएगा।

## **25.4 सिटी साइड डेवलपमेंट और भूमि उपयोग पर प्रतिबंध**

25.4.1 रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि सिटी साइड डेवलपमेंट और उसका भूमि उपयोग हर समय लागू कानूनों के अनुरूप होगा और इसमें निम्नलिखित का निर्माण शामिल नहीं होगा:

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार (GOI) द्वारा वर्गीकृत प्रदूषणकारी उद्योग;

(ख) आवासीय इकाइयां, समूह आवास समितियां, या किसी भी प्रकार का आवासीय विकास; और

(ग) हवाई संचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि।

25.4.2 रियायतग्राही इस क्लॉज 25.4.1 में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार का विकास कार्य करने का वचन देता है।

25.4.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि वह क्लॉज 25.6 के प्रावधानों के अनुसार होने वाले विकास के अलावा, सिटी साइड डेवलपमेंट के किसी भी हिस्से पर उप-पट्टा, हस्तांतरण, या किसी भी तरीके से कोई भार नहीं बनाएगा।

## **25.5 फर्श क्षेत्र सूचकांक (FSI) पर प्रतिबंध**

मास्टर प्लान के प्रावधानों के अधीन, सिटी साइड डेवलपमेंट (City Side Development) का फर्श क्षेत्र सूचकांक (FSI), लागू विधियों (Applicable Laws) के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। सिटी साइड डेवलपमेंट के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली किसी भी संरचना की ऊँचाई, यथास्थिति, प्राधिकरण (Authority) अथवा नामित भारत सरकार की एजेंसी (Designated GOI Agency) द्वारा हवाई अड्डे से सटे विभिन्न क्षेत्रों के लिए सामान्यतः निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी। FSI की गणना मास्टर प्लान में सिटी साइड डेवलपमेंट के रूप में चिन्हित

कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में की जाएगी, जिसमें सड़कों, पार्कों तथा अन्य साझा सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाएगा।

## 25.6 सिटी साइड डेवलपमेंट का उप-पट्टा

25.6.1 क्लॉज 5.2 और इस अनुच्छेद 25 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही प्रोजेक्ट एसेट्स को उप-पट्टे पर दे सकता है, जिसमें सिटी साइड डेवलपमेंट शामिल है। बशर्ते कि इस तरह के उप-पट्टे की अवधि और वैधता क्लॉज 25.7 में निर्दिष्ट अवधि से आगे नहीं बढ़ेगी।

25.6.2 इस समझौते में इसके विपरीत किसी भी बात के होने के बावजूद, रियायतग्राही सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली किसी भी प्रोजेक्ट एसेट पर उप-पट्टा, समनुदेशन नहीं कर सकता है या किसी भी तरह से कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

25.6.3 रियायतग्राही सहमत है और वचन देता है कि सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली किसी भी प्रोजेक्ट एसेट पर किसी भी उप-पट्टे, समनुदेशन या अन्य भार के संबंध में, वह मासिक शुल्क, चार्ज, किराया या राजस्व हिस्सेदारी प्राप्त करने का हकदार है, जैसा भी मामला हो। वह इसके अलावा किसी भी अन्य नाम के तहत कोई अन्य राशि प्राप्त या स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह सुरक्षा जमा, ऋण, अग्रिम के रूप में हो या किसी अन्य मद में हो, जो उप-पट्टे, समनुदेशन या अन्य भार के संबंध में रियायतग्राही को देय भुगतान से अधिक हो। रियायतग्राही निम्नलिखित 3 (तीन) वर्षों के लिए उप-पट्टे, समनुदेशन या अन्य भार के संबंध में शुल्क, चार्ज, किराया या राजस्व हिस्सेदारी के रूप में अग्रिम भुगतान प्राप्त करने और उसका लाभ उठाने के लिए सहमत है। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत है कि किसी भी उप-पट्टे, समनुदेशन या अन्य भार के लिए उसे देय प्रतिफल रियायत अवधि के दौरान समान रूप से अर्जित होगा और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार देय होगा; बशर्ते कि इस अनुच्छेद 25 में कुछ भी रियायतग्राही को प्राप्तकर्ता के राजस्व या मुनाफे में उतार-चढ़ाव के अनुपात में पूरे या प्रतिफल के किसी भी हिस्से को समायोजित करने से नहीं रोकेगा या रियायत अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि निर्दिष्ट करने से नहीं रोकेगा।

25.6.4 इस क्लॉज 25.6 के प्रावधानों से उत्पन्न होने वाले मामलों में पक्षों के बीच किसी भी मतभेद या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

## 25.7 प्रतिपक्षी के अधिकार समाप्ति पर

25.7.1 पक्ष स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि रियायतग्राही अपने विवेक से, ऐसे समझौतों, अनुबंधों, उप-पट्टों, उप-लाइसेंस और किसी भी अन्य महत्वपूर्ण समझौतों या अनुबंधों में प्रवेश कर सकता है जो सिटी साइड डेवलपमेंट के संबंध में या उससे उत्पन्न या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ किए जा सकते हैं (भले ही अनुबंध का प्रतिफल) रु. 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) सालाना से कम हो) जो क्लॉज 3.1.1 के तहत अनुमेय अधिकतम अवधि तक हो।

25.7.2 पक्ष आगे सहमत हैं कि ऐसी अधिकतम अनुमेय अवधि की समाप्ति से पहले समाप्ति की स्थिति में, क्लॉज 25.7.1 में संदर्भित अनुबंधों का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा मानो अनुबंध प्राधिकरण द्वारा किए गए थे, और प्राधिकरण प्रत्येक अनुबंध के शेष कार्यकाल के लिए, ऐसे अनुबंध में कदम रखकर अनुबंध के प्रदाता के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि रियायत अवधि 50 (पचास) वर्ष है और रियायत समझौता इस तरह की अवधि से पहले समाप्त कर दिया जाता है, तो ऐसा अनुबंध ऐसे अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि या सीओडी (COD) की 50वीं (पचासवीं) वर्षगांठ, जो भी पहले हो, तक विस्तारित होगा।

## **25.8 लागू कानूनों का अनुपालन**

रियायतग्राही इस बात से सहमत है और वचन देता है कि वह सिटी साइड डेवलपमेंट के संबंध में हर समय लागू कानूनों और उनके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों या उप-नियमों का पालन करेगा, जो भवनों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, खुले स्थानों, बिजली आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज और इसी तरह के अन्य मामलों से संबंधित हैं।

## **25.9 वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन**

रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों और लागू कानूनों के अनुरूप सिटी साइड डेवलपमेंट पर वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन शुरू कर सकता है या करवा सकता है।

**भाग IV**  
**वित्तीय प्रतिज्ञापत्र**

## अनुच्छेद 26. वित्तीय समाधान

### 26.1 वित्तीय समाधान

26.1.1 रियायतग्राही एतद्वारा यह सहमति देता है और वचनबद्ध होता है कि वह इस समझौते के निष्पादन की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर वित्तीय समाधान प्राप्त कर लेगा। देरी की स्थिति में, वह 90 (नब्बे) दिनों से अनधिक की अतिरिक्त अवधि का हकदार होगा, जो कि रियायतग्राही द्वारा इस तरह के विस्तार की मांग करने के कारणों का विवरण देते हुए एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के अधीन होगा, बशर्ते कि प्राधिकरण को अग्रिम रूप से हर्जाने के भुगतान की शर्त हो, जिसकी गणना प्रतिदिन की देरी के लिए कार्य-निष्पादन सुरक्षा के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पांच प्रतिशत) की दर से की जाएगी; बशर्ते कि उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक की अवधि के लिए यहाँ निर्दिष्ट हर्जाना प्रत्येक सप्ताह अग्रिम रूप से देय होगा और केवल उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि वित्तीय समाधान प्राप्त करने में ऐसी देरी प्राधिकरण द्वारा किसी चूक या देरी के परिणामस्वरूप या खंड 4.1.2 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा न करने के कारण, या बल के कारण न हुई हो। इसके तहत रियायतग्राही द्वारा देय हर्जाना, खंड 4.2 के प्रावधानों के तहत देय और भुगतान योग्य हर्जाने के अतिरिक्त होगा।

26.1.2 रियायतग्राही, वित्तीय समाधान प्राप्त होने पर, तुरंत प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा, और प्राधिकरण को वित्तीय समझौतों की 3 (तीन) सच्ची प्रतियां प्रदान करेगा, जो रियायतग्राही के एक निदेशक द्वारा विधिवत सत्यापित होंगी।

### 26.2 वित्तीय समाधान प्राप्त करने में विफलता के कारण समाप्ति

26.2.1 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, लेकिन खंड 32.6.1 के अधीन, यदि वित्तीय समाधान किसी भी कारण से खंड 26.1.1 में निर्धारित अवधि या उसके तहत प्रदान की गई विस्तारित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो पक्षों के बीच सहमति के अनुसार अन्य सभी अधिकार,

विशेषाधिकार, दावे और रियायतग्राही के हक, जो इस समझौते के तहत या इससे उत्पन्न होते हैं, समाप्त मान लिए जाएंगे और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इस समझौते को समाप्त मान लिया जाएगा। बशर्ते, हालांकि, कि यदि पक्षों ने आपसी सहमति से वाणिज्यिक संचालन तिथि (COD) को वित्तीय समाधान से पहले करने का निर्णय लिया है, तो इस खंड 26.2.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

26.2.2 खंड 26.2.1 के तहत समाप्ति पर, प्राधिकरण बोली सुरक्षा या कार्य-निष्पादन सुरक्षा को भुनाने का हकदार होगा, जैसी भी स्थिति हो, और उसके प्राप्त धन को हर्जाने के रूप में विनियोजित करने का हकदार होगा; बशर्ते, हालांकि, कि यदि वित्तीय समाधान बल के कारण या खंड 4.2 के तहत अपने किसी दायित्व में प्राधिकरण की चूक के परिणामस्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण, समाप्ति पर, बोली सुरक्षा या कार्य-निष्पादन सुरक्षा को, जैसी भी स्थिति हो, खंड 4.2 के तहत देय हर्जाने (यदि कोई हो) के साथ तुरंत वापस कर देगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि यदि बोली सुरक्षा को कार्य-निष्पादन सुरक्षा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, तो प्राधिकरण बोली सुरक्षा के बराबर की राशि भुनाने का हकदार होगा।



## "अनुच्छेद 27: रियायत शुल्क"

### 27.1 मासिक रियायत शुल्क

27.1.1 क्लॉज 27.3 के अधीन, रियायतग्राही, रियायत अवधि के दौरान प्राधिकरण को निम्नानुसार गणना की गई मासिक रियायत शुल्क ("मासिक रियायत शुल्क") का भुगतान करने के लिए सहमत है:

$\{\text{मासिक रियायत शुल्क}\} = \{\text{प्रति यात्री अंतर्राष्ट्रीय शुल्क}\} \times \{\text{उस महीने का अंतर्राष्ट्रीय यात्री प्रवाह}\} + \{\text{प्रति घरेलू यात्री शुल्क}\} \times \{\text{उस महीने का घरेलू यात्री प्रवाह}\}$

जहाँ:

"प्रति घरेलू यात्री शुल्क" का अर्थ रु. 171 (रुपये एक सौ इकहत्तर) है, जिसे क्लॉज 27.3 के अनुसार संशोधित किया जा सकता है;

"प्रति अंतर्राष्ट्रीय यात्री शुल्क" का अर्थ घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क का 2 (दो) गुना है;

"घरेलू यात्री प्रवाह" से किसी भी महीने के लिए कुल घरेलू यात्री यातायात (विमान में चढ़ने वाले और उतरने वाले यात्री) अभिप्रेत है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अगले महीने के 7वें (सातवें) दिन तक उस रूप और तरीके से प्रदान किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है;

"अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट" का किसी भी महीने के लिए अर्थ है, उस महीने के दौरान कुल अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात (विमान में चढ़ने वाले और उतरने वाले यात्री), जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूप और तरीके से अगले महीने के 7वें (सातवें) दिन तक प्रदान किया जाएगा; बशर्ते आगे यह भी कि, रियायत अवधि के पहले और आखिरी महीनों में, अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट को उस महीने के दिनों की संख्या के अनुसार यथानुपात किया जाएगा, जिसकी गणना सीओडी (COD) या स्थानांतरण तिथि के संबंध में की जाएगी, जैसा भी प्रासंगिक हो। 27.1.2 इस समझौते की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली मासिक रियायत शुल्क को वैमानिकी

सेवाओं के प्रावधान के लिए लागत के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा और इसके संबंध में कोई पास-थ्रू उपलब्ध नहीं होगा।

## 27.2 यात्री थ्रूपुट का सत्यापन

प्राधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और/या घरेलू यात्री थ्रूपुट को सत्यापित करने के लिए और/या हवाई अड्डे पर वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट और घरेलू यात्री थ्रूपुट का पता लगाने के लिए, हवाई अड्डे और रियायतग्राही के कार्यालयों में अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकता है, और ऐसे अन्य उपाय और कार्रवाई कर सकता है जो वह आवश्यक समझे। प्राधिकरण रियायतग्राही से कोई भी और सभी डेटा, जानकारी, लॉग, शीट, दस्तावेज़ या विवरण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, जिसे प्राधिकरण इन उद्देश्यों के लिए उचित और आवश्यक समझे।

## 27.3 प्रति यात्री शुल्क का संशोधन

27.3.1 पक्ष इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क सीओडी (COD) से लागू होगा और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI (IW)) में भिन्नता को ध्यान में रखने के लिए सीओडी की प्रत्येक वर्षगांठ पर सालाना संशोधित किया जाएगा।

(a) पहले 15 (पंद्रह) रियायत वर्षों (Concession Years) में घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क (Per Passenger Fee) को निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार संशोधित किया जाएगा:

{घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क}={घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क} $\times$ {डेल्टा CPI (IW) का 1+85%}

(a) शेष रियायत वर्षों में घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क को निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार संशोधित किया जाएगा:

{घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क} $\{(Y)\}$ ={घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क} $\{(Y-1)\}$  $\times$ {डेल्टा CPI (IW) का 1+50%}

जहां (Where):

"प्रति यात्री शुल्क (Y) का अर्थ है नए रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किया जाने वाला संशोधित घरेलू प्रति यात्री शुल्क;

"प्रति यात्री शुल्क  $((Y-1))$ " का अर्थ है पिछले रियायत वर्ष में रियायतग्राही द्वारा भुगतान किया जा रहा प्रति यात्री शुल्क;

"डेल्टा CPI (IW)" की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$\{\text{डेल्टा CPI (IW)}\} = \{\text{गणना की तिथि के अनुसार नवीनतम उपलब्ध मासिक CPI (IW)}\} - \{\text{नवीनतम उपलब्ध मासिक CPI (IW) से 12 (बारह) महीने पहले का CPI (IW)}\}$

\_\_\_\_\_

$\{\text{नवीनतम उपलब्ध मासिक CPI (IW) से 12 (बारह) महीने पहले का CPI (IW)}\}$

बशर्ते कि, पहले रियायत वर्ष के पूरा होने के बाद किसी भी रियायत वर्ष में यदि डेल्टा CPI नकारात्मक (negative) होता है, तो उस वर्ष के लिए डेल्टा CPI को 0 (शून्य) माना जाएगा।

27.3.2 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क को [आगे] निर्धारित तरीके से संशोधित किया जाएगा...

## 27.4 मासिक रियायत शुल्क का भुगतान

27.4.1 क्लॉज 27.2 के अनुसरण में, प्राधिकरण रियायतग्राही को मासिक रियायत शुल्क के भुगतान के लिए एक चालान प्रस्तुत करेगा, जिस चालान में लागू कानून के तहत मासिक रियायत शुल्क के भुगतान पर देय जीएसटी (GST) की राशि भी शामिल होगी, जो आगामी महीने के 15वें (पंद्रहवें) दिन से बाद की नहीं होगी।

27.4.2 रियायतग्राही मासिक रियायत शुल्क के भुगतान पर लागू कानून के तहत देय किसी भी जीएसटी को वहन करेगा और क्लॉज 27.4.1 के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए चालान में निर्दिष्ट जीएसटी की राशि का प्राधिकरण को भुगतान करेगा।

27.4.3 लागू कानूनों के तहत मासिक रियायत शुल्क का भुगतान करते समय रियायतग्राही स्रोत पर काटी जाने वाली किसी भी आवश्यक टैक्स (TDS) को प्राधिकरण को किए जाने वाले भुगतान से काटने का हकदार होगा।

27.4.4 इसके अतिरिक्त, क्लॉज 35.1.1 के अधीन और उसके अनुसार, इस क्लॉज 27.4 के तहत मासिक रियायत शुल्क के भुगतान में किसी भी देरी के मामले में, रियायतग्राही प्राधिकरण को प्रत्येक दिन के विलंब के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के 0.05% (शून्य दशमलव शून्य पांच प्रतिशत) की दर से गणना की गई राशि का भुगतान करेगा।

## 27.5 मासिक रियायत शुल्क का वार्षिक मिलान

27.5.1 किसी भी रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय संचयी मासिक रियायत शुल्क निम्नलिखित होगा:

$(\sum_{i=1}^{12} \{\text{किसी भी रियायत वर्ष में महीने के लिए भुगतान किया गया मासिक रियायत शुल्क}\})$

27.5.2 किसी भी रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए संचयी मासिक रियायत शुल्क की तुलना उस रियायत वर्ष के लिए देय वार्षिक रियायत शुल्क से की जाएगी। इस खंड के उद्देश्य के लिए, "वार्षिक रियायत शुल्क" की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले के अनुसार की जाएगी:

$\{\text{रियायत वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क}\} \times \{\text{रियायत वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री थ्रूपुट}\} + \{\text{रियायत वर्ष के लिए घरेलू यात्रियों के लिए प्रति यात्री शुल्क}\} \times \{\text{रियायत वर्ष के लिए घरेलू यात्री थ्रूपुट}\}$

रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान किए गए संचयी मासिक रियायत शुल्क और उस रियायत वर्ष के लिए वार्षिक रियायत शुल्क के बीच किसी भी अंतर का समायोजन रियायतग्राही द्वारा संतुलित भुगतान के हिस्से के रूप में किया जाएगा जो मिलान पूरा होने के तुरंत बाद खंड 31.4 के तहत देय और भुगतान योग्य हो जाता है।

## 27.6 यात्री यातायात में गिरावट के कारण समाप्ति

27.6.1 उपरोक्त के बावजूद, यदि यात्री यातायात में बदलाव लगातार 2 (दो) रियायत वर्षों की अवधि के लिए 20% (बीस प्रतिशत) या उससे अधिक नकारात्मक रहता है, तो इस समझौते को रियायतग्राही द्वारा दूसरे ऐसे रियायत वर्ष की समाप्ति के 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर, 30 (तीस) दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

जहाँ:

"कुल यात्री क्षमता" का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय यात्री क्षमता और घरेलू यात्री क्षमता का कुल योग है;

"यात्री यातायात में बदलाव", जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, की गणना निम्नानुसार की जाती है:

$$100 \times \left[ \frac{\text{चालू रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री क्षमता} - \text{पिछले रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री क्षमता}}{\text{पिछले रियायत वर्ष के लिए कुल यात्री क्षमता}} \right]$$

27.6.2 इस प्रकार की समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

27.6.3 इसके द्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि प्राधिकरण या उसके सहयोगी सीओडी (COD) की समाप्ति से 10 (दस) वर्ष की अवधि से पहले हवाई अड्डे के 50 किलोमीटर के दायरे में एक नए हवाई अड्डे को चालू नहीं करेंगे।

## अनुच्छेद 28 शुल्क

### 28.1 रियायतग्राही द्वारा शुल्कों की वसूली

28.1.1 व्यावसायिक संचालन तिथि (COD) से लेकर हस्तांतरण तिथि तक, रियायतग्राही के पास वैमानिकी सेवाओं और गैर-वैमानिकी सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क की मांग करने, उन्हें वसूलने और उचित रूप से रखने का एकमात्र और विशेष अधिकार होगा। इसमें एयरलाइंस और यात्री शामिल हैं, जो विनियामक ढांचे के प्रावधानों और अनुसूची R समझौता जापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा। बशर्ते कि रियायतग्राही इन नियमों और लागू कानूनों तथा लागू परमिटों के अनुसार उपयोगकर्ताओं से कम दरें भी ले सकता है या उपयोगकर्ताओं की किसी श्रेणी के शुल्कों को निर्धारित और एकत्र कर सकता है।

28.1.2 रियायतग्राही यह स्वीकार करता है और सहमत है कि शुल्क के भुगतान पर, कोई भी उपयोगकर्ता हवाई अड्डे पर संबंधित निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग करने का हकदार होगा। रियायतग्राही लागू कानूनों, लागू परमिटों या इस समझौते के प्रावधानों में निर्दिष्ट सीमा के अलावा, ऐसे उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा या प्रतिबंध लगाने का कारण नहीं बनेगा।

28.1.3 रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत है कि कोई भी उपयोगकर्ता, जो शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है, लागू कानूनों, लागू परमिटों या इस समझौते के प्रावधानों द्वारा निर्दिष्ट सीमा के अलावा, बिना किसी प्रतिबंध के हवाई अड्डे का उपयोग करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त, रियायतग्राही अपने स्वयं के कर्मचारियों और ठेकेदारों, उप-ठेकेदारों, एजेंटों के कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों को लागू कानूनों, लागू परमिटों और इस समझौते के प्रावधानों के अधीन हवाई अड्डे में मुफ्त प्रवेश के लिए पास जारी कर सकता है।

28.1.4 पक्ष सहमत हैं कि प्राधिकरण या किसी नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा हवाई अड्डा सुरक्षा सेवाओं के प्रावधान के शुल्क, जो लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा यात्रियों से वसूले जाएंगे, उन्हें प्राधिकरण या नामित भारत सरकार की एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।

### 28.2 आरक्षित शुल्कों की वसूली

28.2.1 नामित भारत सरकार की एजेंसी उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली या दी जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के लिए शुल्क लगाने, वसूलने और विनियोजित करने की हकदार होगी, जिसमें मार्ग नेविगेशन सुविधाएं शुल्क और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित

नहीं है, जो लागू कानूनों के अनुसार होंगे। किसी भी एयरलाइन द्वारा ऐसे शुल्कों का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, नामित भारत सरकार की एजेंसी एयरलाइन को ऐसी सेवा के प्रावधान को निलंबित करने की हकदार होगी और ऐसी एयरलाइन से शुल्कों की वसूली के लिए उचित समझे जाने वाले कदम उठाएंगी।

28.2.2 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह खंड 28.2.1 के प्रावधानों के अनुपालन को लागू करने के लिए नामित भारत सरकार की एजेंसी द्वारा दिए गए ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें किसी भी निर्धारित या गैर-निर्धारित हवाई परिवहन ऑपरेटर को ऐसी सेवा के प्रावधान के निलंबन के संबंध में निर्देश शामिल हैं।

### **28.3 वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत**

28.3.1 पक्ष इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि कोई भी और सभी वैमानिकी शुल्क जो रियायतग्राही किसी उपयोगकर्ता से लगा सकता है, वसूल सकता है और विनियोजित कर सकता है, नियामक द्वारा निर्धारित और संशोधित किए जाएंगे, जो नियामक द्वारा एक आदेश के माध्यम से, नियामक ढांचे और इस समझौते के अनुसार होंगे, जिसमें अनुसूची R (सहमति पत्र) में निर्धारित शर्तें शामिल हैं, जो लागू कानूनों के अनुसार पक्षों द्वारा दायर किए जाने वाले आवेदन/याचिका के अनुसरण में होंगी।

28.3.2 भारत सरकार ने, 15 जून, 2016 की राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति के माध्यम से, भारत के सभी हवाई अड्डों के लिए वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए 30% (तीस प्रतिशत) साझा-तिल ढांचा ("साझा-तिल स्वीकृति") को मंजूरी दी है, और वही लागू होगा। तदनुसार, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार शुल्क/वैमानिकी शुल्क के निर्धारण के उद्देश्य से नियामक द्वारा विचार किया गया। यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस समझौते के उद्देश्यों के लिए, साझा-तिल अनुमोदन इस समझौते की तारीख को लागू होगा, भले ही ऐसे साझा-तिल अनुमोदन में कोई बाद का संशोधन या बदलाव हुआ हो।"

28.3.3 वैमानिकी शुल्कों को साझा-तिजोरी अनुमोदन, समझौता ज्ञापन को शामिल करते हुए इस समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनः निर्धारित किया जाएगा।

28.3.4 रियायतग्राही द्वारा किसी भी नामित सरकारी एजेंसी को किया गया कोई भी भुगतान, हवाई अड्डे की सीमा के भीतर सीमा शुल्क, आव्रजन, पादप संगरोध, पशु संगरोध सेवाओं, मौसम संबंधी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आरक्षित सेवाएं प्रदान करने के लिए सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर, वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से पास-थ्रू माना जाएगा।

28.3.5 इसके विपरीत कहीं भी कुछ भी होने के बावजूद, रियायतग्राही क्लॉज 15.1.1 के अनुसार सीओडी (COD) से प्रभावी हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से नियामक द्वारा अनुमोदित टैरिफ की दरों पर वैमानिकी शुल्क लगाने, वसूलने और विनियोजित करने का हकदार होगा। बशर्ते कि, यदि सीओडी की तारीख तक नियामक द्वारा हवाई अड्डे के संबंध में टैरिफ की दरें निर्धारित नहीं की गई हैं, तो रियायतग्राही सीओडी की तारीख पर प्राधिकरण द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ की दरों पर वैमानिकी शुल्क लगाने, वसूलने और विनियोजित करने का हकदार होगा जब तक कि नियामक टैरिफ की दरों का निर्धारण नहीं कर देता।

28.3.6 वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण, लेवी (लगाने), वसूली (वसूली में कमी या अधिक वसूली सहित) या विनियोग से संबंधित किसी भी पहलू के संबंध में रियायतग्राही के पास प्राधिकरण के खिलाफ कोई सहारा नहीं होगा।

28.3.7 इस समझौते में इसके विपरीत कहीं भी कुछ भी होने के बावजूद, यह स्पष्ट रूप से नोट और सहमति व्यक्त की गई है कि सभी राजस्व/धन जो रियायतग्राही सिटी साइड डेवलपमेंट के संबंध में किसी भी उप-पट्टे, असाइनमेंट या अन्य बाधाओं के संबंध में प्राप्त करने का हकदार है, चाहे वह मासिक शुल्क, शुल्क, किराए या राजस्व शेयरों के रूप में हो, जैसा भी मामला हो, ऊपर दिए गए क्लॉज 28.3.2 के उद्देश्यों के लिए गैर-वैमानिकी सेवाओं से प्राप्त राजस्व के रूप में माना जाएगा।"तदनुसार, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार शुल्क/वैमानिकी शुल्क के निर्धारण के उद्देश्य से नियामक द्वारा विचार किया गया। यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस समझौते के उद्देश्यों के लिए, साझा-टिल अनुमोदन इस समझौते की तारीख को लागू होगा, भले ही ऐसे साझा-टिल अनुमोदन में कोई बाद का संशोधन या बदलाव हुआ हो।"

## 28.4 वैमानिकी शुल्कों के संशोधन पर प्रतिबंध



28.4.1 रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि वह इस समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण, नियामक या किसी सरकारी एजेंसी से किसी भी रूप या तरीके से वैमानिकी शुल्कों या किसी अन्य राहत में किसी भी संशोधन का हकदार नहीं है, सिवाय इसके कि लागू कानूनों और/या इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार ऐसा किया गया हो, और यह हर समय इसमें निर्दिष्ट सीमा तक ही सीमित रहेगा। नियामक या अन्यथा से वैमानिकी शुल्कों में कोई संशोधन नहीं मांगने की रियायतग्राही स्वीकार्यता, सहमति और वचनबद्धता देता है, और यदि ऐसा कोई संशोधन किसी लागू कानून और/या इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार मांगा जाता है, तो यह हर समय इसमें निर्दिष्ट सीमा तक ही सीमित रहेगा।

28.4.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 की धारा 22A और उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्रमुख विमानपत्तन) विकास शुल्क नियम, 2011 शामिल हैं, के तहत उपयोगकर्ताओं पर विकास शुल्क लगाने या वसूलने का हकदार नहीं होगा।

28.4.3 दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं और मानते हैं कि रियायतग्राही स्पष्ट रूप से उन लागतों और/या खर्चों को एरोनॉटिकल चार्जेंज में 'पास-थ्रू' के तौर पर वसूलने के अपने अधिकार को छोड़ता है, जिन्हें इस समझौते के तहत वसूलने से उसे रोका गया है।

## **28.5 वैमानिकी शुल्कों की समीक्षा**

28.5.1 अनुच्छेद 28 के प्रावधानों के अनुसार लगाए जाने वाले, एकत्र किए जाने वाले और विनियोजित किए जाने वाले वैमानिकी शुल्कों की समीक्षा नियामक द्वारा हर 5 (पांच) वर्षों में एक बार की जाएगी, जो कि नियामक ढांचे और इस समझौते के अनुसार होगी। हालांकि, यह शर्त है कि ऐसी समीक्षा वैमानिकी शुल्कों में संशोधन के लिए रियायत अवधि के दौरान या इस समझौते में प्रदान की गई राहत या उपाय के किसी अन्य रूप में किसी भी घटना, घटनाक्रम, परिस्थितियों या आधारों पर न तो पूरी तरह से निर्भर होगी, न ही उनकी जांच करेगी या उन पर विचार करेगी।

28.5.2 कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, विनिर्देशों और मानकों में परिवर्तन, सुरक्षा आवश्यकताओं या लागू कानून के लागू होने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुपालन से उत्पन्न होने वाली कोई भी अतिरिक्त

लागत, यदि कोई हो, या उसमें कमी, की समीक्षा नियामक द्वारा वैमानिकी शुल्कों के संशोधन के उद्देश्यों के लिए की जा सकती है। ऐसी किसी भी समीक्षा में परियोजना के लिए जारी किए गए लागू परमिट के अनुसार वैमानिकी सेवाओं के संबंध में और उससे प्राप्त होने वाले राजस्व पर विचार शामिल होगा।

28.5.3 क्लॉज 28.5.1 के प्रावधानों के तहत वैमानिकी शुल्कों की किसी भी समीक्षा में राजस्व, समायोजन, वसूलियों या भुगतानों पर विचार किया जाएगा, यदि कोई हो, जो पार्टियों ने इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार वसूल किए हैं या किए हैं। नियामक यह निर्धारित कर सकता है कि कोई और वसूली या भुगतान, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही के कारण है या उससे प्राप्त होना बाकी है। नियामक, अपने निर्धारण को प्रभावी करने के लिए, वैमानिकी शुल्कों की दर में उचित वृद्धि या कमी कर सकता है, जैसा भी मामला हो, और ऐसी अवधि के लिए जो वह निर्दिष्ट कर सकता है, जो नियामक ढांचे और इस समझौते के अनुसार होगी।

28.5.4 पार्टियां स्वीकार करती हैं कि इस क्लॉज 28.5 के प्रावधानों के तहत वैमानिकी शुल्कों की कोई भी समीक्षा लागू कानूनों के अनुसार की जाएगी और नियामक ढांचे और इस समझौते के अनुसार विनियमित की जाएगी तथा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

## **28.6 वैमानिकी शुल्कों में वृद्धि पर कुछ सीमाएँ**

28.6.1 यदि क्लॉज 28.5.2 के प्रावधानों के अनुसरण में कोई पूंजीगत लागत वहन की जानी आवश्यक है, तो रियायतग्राही प्रभावित उपयोगकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि निकायों के साथ परामर्श करके इसकी विशिष्टताओं और लागतों को नियामक के पास उसकी जांच के लिए प्रस्तुत करेगा। ऐसी जांच और परामर्श पूरा होने पर, नियामक वैमानिकी शुल्कों को निर्धारित करने के लिए प्रस्तुतियों पर विचार करेगा।

28.6.2 रियायतग्राही नियामक और अन्य सरकारी तंत्रों द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार बाद के चरणों के लिए निर्माण कार्य शुरू करेगा और पूरा करेगा, और इस समझौते के प्रावधान इस क्लॉज 28.6 के अनुसरण में शुरू किए गए निर्माण कार्यों के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

28.6.3 इस क्लॉज 28.6 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा वहन की जाने वाली पूंजीगत लागत, संबंधित निर्माण कार्यों के पूरा होने पर, लागू कानूनों और नियामक के लागू टैरिफ दिशानिर्देशों सहित इस समझौते की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा वसूल की जाएगी।

## 28.7 शुल्कों की चोरी के लिए जुर्माना यदि

कोई उपयोगकर्ता देय शुल्कों का भुगतान किए बिना हवाई अड्डे का उपयोग करता है, तो रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू परमिटों के अधीन, उसे निर्धारित करने और एकत्र करने का हकदार होगा ऐसे व्यक्ति से बकाया फीस और एयरपोर्ट का अनधिकृत इस्तेमाल करने की कोशिश के लिए उस रकम का दोगुना तक हर्जाना वसूला जाएगा; बशर्ते कि ऐसी फीस और हर्जाने का निर्धारण और वसूली रियायतग्राही (रियायत-प्राप्तकर्ता) के जोखिम और खर्च पर होगी और अथॉरिटी इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी।

## 28.8 वैमानिकी शुल्कों का प्रदर्शन

28.8.1 रियायतग्राही अपनी वेबसाइट और अपने कार्यालय में उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए लागू वैमानिकी शुल्कों की दरों को बनाए रखेगा और उपलब्ध कराएगा।

28.8.2 रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को लागू वैमानिकी शुल्कों की जानकारी देगा।

28.8.3 रियायतग्राही नियामक द्वारा अनुमोदित वैमानिकी शुल्कों की दरों से अधिक किसी भी राशि का संशोधन, प्रदर्शन या संग्रह नहीं करेगा।

## 28.9 मासिक विवरण

रियायतग्राही, सीओडी की तिथि से प्रभावी रूप से, प्रत्येक महीने की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना/डेटा का एक विवरण ("मासिक विवरण") प्रस्तुत करेगा:

- (i) यातायात डेटा जिसके अंतर्गत अनुसूचित विमान संचलन, गैर-अनुसूचित विमान संचलन, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रियों की संख्या (चढ़ने वाले, उतरने वाले, पारगमन वाले), अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कार्गो की मात्रा (आगमन, प्रस्थान और ट्रांसशिपमेंट) शामिल हैं;
- (ii) वित्तीय डेटा जिसके अंतर्गत राजस्व (उचित शीर्षों में पृथक्कृत), परिचालन व्यय, शुल्क आदि शामिल हैं; और
- (iii) सेवा की गुणवत्ता पर डेटा। ऐसी सूचना/डेटा रियायतग्राही द्वारा संकलित किया जाएगा और लागू कानूनों के तहत आवश्यक प्रारूप में, जैसा भी लागू हो, प्राधिकरण को तत्काल प्रस्तुत किया जाएगा, या जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अन्य सभी विवरणों के साथ उचित रूप से अनुरोध किया जा सकता है।

## **28.10 शुल्क ठेकेदार**

रियायतग्राही अपनी ओर से शुल्क एकत्र करने के लिए एक शुल्क ठेकेदार या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है; बशर्ते कि ऐसी नियुक्ति के बावजूद, रियायतग्राही इस समझौते के अनुसार शुल्कों के संग्रह और एस्करो खाते में जमा करने और इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी और जिम्मेदार होगा।

## **28.11 मान लिया गया प्रारंभिक आरएबी**

28.11.1 रियायतग्राही अगले लागू नियंत्रण काल के लिए लागू विनियामक ढांचे के अनुसार नियामक से वैमानिकी शुल्कों में संशोधन की मांग करेगा:

उपरोक्त के बावजूद, रियायतग्राही के पास वैमानिकी शुल्कों में इस तरह के संशोधन की मांग करने के लिए सीओडी (COD) से 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों से कम का समय नहीं होना चाहिए।

28.11.2 प्राधिकरण करेगा:

(क) रियायतग्राही द्वारा इस तरह के संशोधन की मांग के लिए आवश्यक डेटा और जानकारी तुरंत उपलब्ध कराना;

(ख) इस संबंध में रियायतग्राही से नोटिस प्राप्त होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर रियायतग्राही को ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करना जो नियामक द्वारा इस तरह के संशोधन के उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक हो; और

(ग) इस तरह के संशोधन के उद्देश्य से नियामक द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न का तुरंत उत्तर देना (और ऐसे उत्तरों की प्रतियां रियायतग्राही को प्रदान करना)।

28.11.3 (क) पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है कि रियायतग्राही, वाणिज्यिक परिचालन तिथि के अनुसार प्राधिकरण द्वारा वैमानिक संपत्तियों में किए गए निवेश के बराबर राशि का भुगतान प्राधिकरण को करने के लिए उत्तरदायी होगा, और नियामक द्वारा इसे विनियामक संपत्ति आधार के हिस्से के रूप में माना जाएगा, जो नियामक द्वारा ऐसे निवेश की मात्रा के आवश्यक मिलान, ड्र-अप और अंतिम निर्धारण के अधीन होगा ("माना गया प्रारंभिक आरएबी")।

(ख) 31 मार्च, 2018 को हवाई अड्डे पर वैमानिक संपत्तियों में प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश का अनुमानित मूल्यहास मूल्य 143,00,00,000 रुपये (एक सौ तैंतालीस करोड़ रुपये) है ("अनुमानित माना गया प्रारंभिक आरएबी")। पक्षों द्वारा यह सहमति व्यक्त की गई है कि अनुमानित माना गया प्रारंभिक आरएबी सीओडी के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य होगा।

28.11.4 अनुमानित डीमंड इनिशियल आरएबी के भुगतान के बाद, और क्लॉज 28.11.3(क) के तहत निवेश की मात्रा के नियामक द्वारा समाधान, ड्र-अप और अंतिम निर्धारण होने पर, अनुमानित डीमंड इनिशियल आरएबी में कोई भी अधिशेष या कमी, नियामक द्वारा निम्नलिखित के लिए उचित समायोजन के बाद, अंतिम निर्धारण से 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद देय और भुगतान योग्य होने वाले बैलेंसिंग पेमेंट के हिस्से के रूप में समायोजित की जाएगी ("अडजस्टेड डीमंड इनिशियल आरएबी") :

(क) प्राधिकरण द्वारा वैमानिकी राजस्व की अधिक-वसूली, यदि कोई हो, की सीमा तक कम किया जाएगा, जो कि सीओडी तक हो, जिसके लिए नियामक अगले नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिकी शुल्क निर्धारित करते समय नीचे की ओर समायोजन प्रदान करेगा; या

(ख) प्राधिकरण द्वारा वैमानिकी राजस्व की कम-वसूली, यदि कोई हो, की सीमा तक बढ़ाया जाएगा, जो कि सीओडी तक हो, जिसके लिए नियामक अगले नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिकी शुल्क निर्धारित करते समय ऊपर की ओर समायोजन प्रदान करेगा। प्राधिकरण या रियायतग्राही द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, अडजस्टेड डीमंड इनिशियल आरएबी का वर्तमान मूल्य होगी, जिसकी गणना नियामक द्वारा निर्धारित रिटर्न की उचित दर का उपयोग करके सीओडी से अडजस्टेड डीमंड इनिशियल आरएबी के वास्तविक भुगतान की तारीख तक की अवधि के लिए की जाएगी।

28.11.5 रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति होने पर, डीमंड इनिशियल आरएबी, रियायतग्राही द्वारा किए गए निवेशों के अतिरिक्त, नियामक द्वारा वैमानिकी शुल्क के निर्धारण के उद्देश्य से माना जाएगा।

(क) प्राधिकरण, नियामक द्वारा इस तरह के विचार और निर्धारण के लिए नियामक को कोई भी आवश्यक सहायक सबमिशन करने का वचन देता है।

(ख) पक्षकार नियामक को प्रस्तुत करेंगे और अनुरोध करेंगे कि मूल्यहास, आवश्यक रिटर्न आदि के संबंध में भविष्य में वैमानिकी शुल्क के निर्धारण में डीमंड इनिशियल आरएबी को अलग से पहचानें।

28.11.6 इस खंड 28.11, "नियंत्रण अवधि" और "नियामक संपत्ति आधार" के उद्देश्य के लिए वही अर्थ होगा जो विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (विमानपत्तन ऑपरेटरों के लिए टैरिफ और शर्तों का निर्धारण) दिशानिर्देश, 2011 में निर्धारित किया गया है।

## **28.12 प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश**

28.12.1 पक्षों के बीच यह सहमति है कि रियायतग्राही, प्राधिकरण को गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों ("प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश") के विकास के लिए वाणिज्यिक संचालन तिथि के अनुसार प्राधिकरण द्वारा हवाई अड्डे पर किए गए निवेश के अनुमानित मूल्यहास मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

28.12.2 31 मार्च, 2018 को हवाई अड्डे पर गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों के विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए निवेश का अनुमानित मूल्यहास मूल्य रु. 4,93,00,000 (रु. चार करोड़ और तिरानवे लाख) ("अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश") है। पक्षों के बीच यह सहमति है कि अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश रियायतग्राही द्वारा सीओडी के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य होगा।

28.12.3 अनुमानित प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश के भुगतान के बाद, और स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रारंभिक गैर-वैमानिकी निवेश की मात्रा के अंतिम निर्धारण पर, रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली कोई भी अतिरिक्त राशि या कमी की राशि, या स्थिति के अनुसार प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को दी जाने वाली राशि को संतुलित भुगतान के हिस्से के रूप में समायोजित किया जाएगा जो ऐसे अंतिम निर्धारण से 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद खंड 31.4 के अनुसार देय और भुगतान योग्य हो जाती है।

28.12.4 खंड 28.12.3 के अनुसार प्राधिकरण या रियायतग्राही द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि उसी का वर्तमान मूल्य होगी, जिसकी गणना नियामक द्वारा निर्धारित रिटर्न की उचित दर का उपयोग करके सीओडी से ऐसी राशि के वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए की जाएगी।

## अनुच्छेद 29, एस्क्रो अकाउंट

### 29.1 एस्क्रो खाता

29.1.1 कंसेशनेयर, COD (कमर्शियल ऑपरेशन डेट/व्यावसायिक संचालन तिथि) से पहले, इस अनुबंध समझौते के अनुसार एस्क्रो एग्रीमेंट के साथ 'एस्क्रो बैंक' में एक एस्क्रो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा।

29.1.2 एस्क्रो खाते की प्रकृति और दायरा पूरी तरह से उस समझौते ("एस्क्रो एग्रीमेंट") में वर्णित है जो कंसेशनेयर, अथॉरिटी, एस्क्रो बैंक और सीनियर लेंडर्स के प्रतिनिधि के माध्यम से उनके बीच किया जाएगा, जो मुख्य रूप से अनुसूची-M) में दिए गए फॉर्म के अनुसार होगा।

### 29.2 एस्क्रो खाते में जमा राशि

कंसेशनेयर एस्क्रो खाते में निम्नलिखित आवक और प्राप्तियां जमा करेगा या जमा करवाएगा:

(क) बैंकों, सीनियर लेंडर्स, अन्य लेंडर्स, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति या माध्यम से प्रोजेक्ट के संबंध में प्राप्त सभी धन;

(ख) हवाई अड्डे, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सुविधाओं और/या प्रोजेक्ट संपत्तियों से या उनके संबंध में प्राप्त सभी शुल्क और अन्य सभी राजस्व, जिसमें किसी भी किराये, जमा, पूंजीगत प्राप्तियों, बीमा दावों आदि से प्राप्त राशि शामिल है;

(ग) अथॉरिटी द्वारा किए गए सभी भुगतान, किसी भी बकाया मासिक रियायत और करों की कटौती के बाद; और

(घ) टर्मिनेशन भुगतान; बशर्ते कि सीनियर लेंडर्स फाइनेंसिंग समझौतों में इस संबंध में निहित एक्सप्रेस प्रावधानों के अनुसार सीधे ईपीसी ठेकेदार को भुगतान कर सकते हैं।

### 29.3 निकासी

29.3.1 रियायतग्राही, एस्क्रो खाता खोलने के समय, एस्क्रो बैंक को एक एस्क्रो समझौते के माध्यम से ऐसे अपरिवर्तनीय निर्देश देगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश होगा कि एस्क्रो खाते में



जमा राशियों को प्रत्येक महीने निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा, या आवश्यकतानुसार उससे कम अंतरालों पर किया जाएगा, और यदि किसी महीने में देय न हो तो ऐसी जमा राशियों को उस महीने में आनुपातिक रूप से रोक कर रखा जाएगा और देय होने वाले महीने में उसमें से भुगतान किया जाएगा:

- (क) हवाई अड्डे के संबंध में और उसके लिए रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य वैधानिक भुगतान, सभी कर;
- (ख) प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य मासिक रियायत शुल्क;
- (ग) ऐसे सभी भुगतान जो इस समझौते के अनुसरण में प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य हो सकते हैं और/या प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाना जो कि इस समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा उसे देय और भुगतान योग्य हो;
- (द) एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा का मासिक आनुपातिक प्रावधान;
- (घ) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार।

29.3.2 प्राधिकरण की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, रियायतग्राही किसी भी तरह से क्लॉज 29.3.1 में निर्दिष्ट भुगतान के क्रम को संशोधित नहीं करेगा।

## 29.4 समाप्ति पर निकासी

29.4.1 इस समझौते में किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, समाप्ति पर एस्क्रो खाते में जमा सभी राशियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

- (क) पेट्रोल बकाया और उससे संबंधित वैधानिक भुगतान, हवाई अड्डे के संबंध में और उसके लिए रियायतग्राही द्वारा देय और भुगतान योग्य सभी कर;
- (ख) बकाया मासिक रियायत शुल्क;
- (ग) अन्य सभी राशियाँ जो रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को समाप्ति की तिथि पर देय और बकाया हैं;

- (घ) वे सभी भुगतान जो इस समझौते के तहत प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य हो सकते हैं और/या प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय और भुगतान योग्य प्रमाणित किए गए हर्जाने; और
- (ड) बकाया ऋण सेवा जिसमें देय ऋण की शेष राशि शामिल है;
- (च) शेष राशि, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निर्देशों के अनुसार:

29.4.2 इस अनुच्छेद 29 के प्रावधान और एस्करो समझौते में निहित निर्देश तब तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेंगे जब तक कि खंड 29.4.1 में निर्धारित दायित्वों को पूरी तरह से डिस्चार्ज (पूरा) नहीं कर दिया जाता।

## अनुच्छेद 30 : बीमा

### 30.1 बीमा दायित्व

रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान अपने स्वयं के खर्च पर ऐसे बीमे लागू करेगा और बनाए रखेगा, जिसकी अधिकतम राशि वित्तपोषण समझौतों और लागू कानूनों के तहत आवश्यक हो सकती है। इसके अलावा, अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार ऐसे बीमे भी किए जाएंगे जो आवश्यक या विवेकपूर्ण हो सकते हैं। रियायतग्राही ऐसे बीमे भी लागू करेगा और बनाए रखेगा जो किसी ऐसे अधिनियम या चूक के परिणामस्वरूप प्राधिकरण पर आने वाले जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं जिसके लिए प्राधिकरण उत्तरदायी हो सकता है। रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बीमा पॉलिसी में प्राधिकरण एक सह-बीमाधारक होगा और बीमाकर्ता बीमा की आय सीधे एस्क्रो खाते में भुगतान करेगा। पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वरिष्ठ ऋणदाताओं के बकाए के पूर्ण भुगतान के बाद रियायतग्राही द्वारा बनाए रखे जाने वाले बीमा का स्तर उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जो वरिष्ठ ऋणदाताओं के बकाए के भुगतान से पहले बीमा का स्तर निर्धारित करने के लिए लागू होते हैं।

### 30.2 बीमा कवर खंड

30.1 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान निम्नलिखित सहित (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं) बीमा कवर प्राप्त करेगा और बनाए रखेगा:

(क) परियोजना संपत्तियों की हानि, क्षति या विनाश, जिसमें प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को सौंपी गई संपत्तियां भी शामिल हैं, जो प्रतिस्थापन मूल्य पर होंगी;

(ख) व्यापक तीसरे पक्ष की देनदारी का बीमा, जिसमें प्राधिकरण के कर्मियों या हवाई अड्डे में प्रवेश करने वाले अन्य लोगों को होने वाली चोट या मृत्यु शामिल है;

(ग) रियायत से उत्पन्न होने वाली रियायतग्राही की सामान्य सामान्य देनदारी;

(घ) माल या संपत्ति के नुकसान के लिए तीसरे पक्ष के प्रति देनदारी;

(ड) कामगार मुआवजा बीमा; और

(च) कोई भी अन्य बीमा जो रियायतग्राही और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, जिसमें सभी दैवीय घटनाएं शामिल हैं और जो ऊपर (a) से (e) तक के मदों में शामिल नहीं हैं।

### 30.3 प्राधिकरण को सूचना

रियायत अवधि शुरू होने से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण को उन बीमा पॉलिसियों के बारे में उचित विवरण के साथ जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिन्हें वह इस अनुच्छेद 30 के अनुसार प्रभावी और बनाए रखने का प्रस्ताव करता है। इस तरह के नोटिस की प्राप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर, प्राधिकरण रियायतग्राही से ऐसे अन्य बीमा प्रभावी करने और बनाए रखने की आवश्यकता कर सकता है जो इसके अनुसार आवश्यक हो सकते हैं, और ऐसे किसी भी बीमा से संबंधित किसी भी अंतर या असहमति की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

### 30.4 बीमा कवर का साक्ष्य

इस अनुच्छेद 30 के तहत कंसेशनियर द्वारा लिए गए सभी इंश्योरेंस को 'गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस' (उद्योग के अच्छे तौर-तरीकों) के अनुसार बनाए रखा जाएगा। कोई भी इंश्योरेंस कवर लेने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, कंसेशनियर अथॉरिटी को इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की नोटरी-सत्यापित मूल कॉपी, इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी और ऐसे इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भुगतान की रसीदें देगा। साथ ही, ऐसे इंश्योरेंस को तब तक रद्द, उसमें बदलाव, या खत्म (लैप्स) नहीं किया जाएगा जब तक कि कंसेशनियर द्वारा अथॉरिटी को ऐसे प्रस्तावित रद्दीकरण, बदलाव या नवीनीकरण न करने का नोटिस दिए जाने के बाद कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन न बीत जाएं।

### 30.5 बीमा करने में विफलता के लिए उपाय

यदि रियायतग्राही उन सभी बीमाओं को प्रभावी करने और लागू रखने में विफल रहता है जिसके लिए वह इसके तहत जिम्मेदार है, तो प्राधिकरण के पास या तो ऐसे बीमाओं को लागू रखने का विकल्प होता है, और रियायतग्राही से उसकी लागत वसूल करने का, या समाप्ति भुगतान की गणना के मामले में, एक ऐसी राशि को बीमा कवर के बराबर मानने का जैसा माना जाता है कि वह रियायतग्राही द्वारा प्राप्त कर ली गई है।

### 30.6 सबरोगेशन (अधिकारों के हस्तांतरण) का अधित्याग

इस अनुच्छेद 30 के अनुसार रियायतग्राही द्वारा प्राप्त बीमा नीतियों में निम्नलिखित के खिलाफ बीमाकर्ताओं द्वारा सबरोगेशन या वसूली के किसी भी और सभी अधिकारों का अधित्याग शामिल होगा, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकरण, और उसके समनुदेशिती, उत्तराधिकारी, उपक्रम और उनकी सहायक कंपनियां, सहयोगी, कर्मचारी, बीमाकर्ता और हामीदार, और बीमाकर्ताओं के किसी भी सेट-ऑफ या प्रतिदावे या किसी अन्य कटौती के अधिकार का, चाहे कुर्की द्वारा या अन्यथा, किसी भी ऐसी नीति के तहत बीमित किसी भी व्यक्ति की किसी भी दायित्व के संबंध में या किसी भी नुकसान, दायित्व या दायित्व के साथ किसी भी तरह से जुड़े होने के संबंध में जो बीमा की ऐसी नीतियों द्वारा कवर किया गया है।

### 30.7 रियायतग्राही का अधित्याग

रियायतग्राही इसके द्वारा प्राधिकरण और उसके समनुदेशिती, उपक्रमों और उनकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, कर्मचारियों, उत्तराधिकारियों, बीमाकर्ताओं और हामीदारों के खिलाफ सबरोगेशन या वसूली के किसी भी और सभी अधिकारों को जारी करता है, सौंपता है और त्यागता है, जिसे रियायतग्राही अन्यथा इस समझौते के अनुसार बनाए रखी जाने वाली या बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा नीतियों द्वारा कवर किए गए किसी भी नुकसान, दायित्व या दायित्व से संबंधित या किसी भी तरह से जुड़ा हुआ पा सकता है या प्राप्त कर सकता है (तीसरे पक्ष की देनदारी बीमा नीतियों के अलावा अन्य) या बीमा की ऐसी किसी भी नीति की सीमा की अपर्याप्तता या कटौती योग्य खंडों के कारण।

### 30.8 बीमा आय का उपयोग

जीवन और चोट को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्त राशि का भुगतान रियायतग्राही द्वारा एस्क्रो खाते में क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा। क्लॉज 29.3 में इसके विपरीत किसी भी बात के बावजूद, वह ऐसी प्राप्त राशि का उपयोग हवाई अड्डे की किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, बहाली, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए करेगा। इसके बाद बची हुई शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे इस संबंध में वित्तीय समझौतों में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा।

### 30.9 बीमा पॉलिसियों की शर्तों का अनुपालन

रियायतग्राही स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता है और वचन देता है कि वह इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी की गई बीमा पॉलिसियों के तहत लगाई गई शर्तों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसानों और दावों के खिलाफ प्राधिकरण को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा।

## अनुच्छेद 31. लेखा और लेखापरीक्षा

### 31.1 अंकेक्षित लेखा

31.1.1 रियायतग्राही इस समझौते, उत्तम उद्योग प्रथाओं, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के अनुसार अपनी सभी प्राप्तियों (इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुसार एकत्र किए गए सभी राजस्व और हवाई अड्डे और/या इसके उपयोग से या उसके खाते में प्राप्त/एकत्रित अन्य राजस्व सहित), आय, व्यय, भुगतानों (एस्करो खाते से भुगतानों सहित), परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्ज करने वाले लेखा बही बनाए रखेगा। रियायतग्राही लागू कानूनों के अनुसार प्रचलित लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों (Statutory Auditors) की रिपोर्ट के साथ अपने तुलन पत्र (Balance Sheet), नकदी प्रवाह विवरण (Cash Flow Statement) और लाभ एवं हानि खाते (Profit and Loss Account) की 2 (दो) प्रतियां लेखा वर्ष की समाप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रदान करेगा। ऐसे अंकेक्षित खाते, जहां स्पष्ट रूप से इसके विपरीत प्रावधान न हो, इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा किए जाने वाले भुगतानों का आधार होंगे। प्राधिकरण को स्वयं या अपने किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय समय के दौरान रियायतग्राही के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने और भुगतानों के आधार के सत्यापन के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखा बही के प्रासंगिक उद्धरणों की प्रतियां प्रदान करने की मांग करने का अधिकार है, और किसी भी विसंगति या त्रुटि पाए जाने की स्थिति में, उसे सुधारा जाएगा और ऐसा संशोधित खाता इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष द्वारा भुगतानों का आधार बनेगा।

31.1.2 रियायतग्राही, किसी लेखा वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर, शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा तिमाही परिणामों के प्रकाशन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा निर्धारित रीति और प्रारूप में प्राधिकरण को पूर्ववर्ती तिमाही के संबंध में अपने अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करेगा।

31.1.3 प्रत्येक लेखा वर्ष के जुलाई माह के 31वें (इकतीसवें) दिन या उससे पहले, रियायतग्राही पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए प्राधिकरण को अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत अंकेक्षित एक विवरण प्रदान करेगा जिसमें (क) हवाई अड्डे का उपयोग करने वाले और उसके लिए शुल्क भुगतान के लिए उत्तरदायी उपयोगकर्ताओं की प्रत्येक श्रेणी के लिए यातायात गणना (traffic count), (ख) प्रभारित और प्राप्त शुल्क, इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुसार एकत्र किया गया राजस्व, और हवाई

अड्डे से प्राप्त अन्य राजस्व, और (ग) ऐसी अन्य जानकारी शामिल होगी जो प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से अपेक्षित हो।

### 31.2 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

31.2.1 प्राधिकरण रियायतग्राही को छह (6) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों का एक पैनल (&#39;चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का पैनल 39;) नामांकित करेगा, ऐसा पैनल मुख्य रूप से अनुसूची N में निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार किया जाएगा। रियायतग्राही को ऐसे एक या अधिक नामितों पर आपत्ति करने का अधिकार होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 3(तीन) नामितों से अधिक पर नहीं। रियायतग्राही चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल में से अपने सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा। सांविधिक लेखा परीक्षकों की सभी फीस और व्यय रियायतग्राही द्वारा वहन किए जाएंगे।

31.2.2 रियायतग्राही कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और प्राधिकरण की सहमति से अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि प्रतिस्थापित सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल में से ही की जाए।

31.2.3 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, प्राधिकरण को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पैनल में से किसी अन्य फर्म प्राधिकरण नामांकित लेखा परीक्षक(&#39;) को समय-समय पर और किसी भी समय अपने खर्च पर नियुक्त करने का अधिकार है (लेकिन दायित्व नहीं), जो उन सभी मामलों, खर्चों, लागतों, वसूलियों और चीजों का अंकेक्षण और सत्यापन करे, जिन्हें सांविधिक लेखा परीक्षकों को इस समझौते के अनुसरण में करना, निष्पादित करना या प्रमाणित करना आवश्यक है।

31.2.4 [प्रयुक्त नहीं]।

### 31.3 सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दावों का प्रमाणन

प्राप्तियों, आय, भुगतानों, लागतों, खर्चों, खातों या लेखापरीक्षा, और उससे जुड़े किसी भी आनुषंगिक मामले के संबंध में रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को प्रदान किया गया कोई भी दावा या दस्तावेज केवल तभी मान्य और प्रभावी होगा जबवह उसके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित हो। व्यवसाय



के सामान्य क्रम में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए ऐसे प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें खंड 28.9 के तहत मासिक विवरण जमा करना शामिल है।

### **31.4 सामंजस्य / मिलान**

31.4.1 प्रत्येक तिमाही में संतुलित भुगतान (उन राशियों के समाशोधन/नेटिंग को दर्शाते हुए जो पुनर्पूर्ति, समायोजन या अन्यथा, या नुकसान/हर्जाने के रूप में देय और भुगतान योग्य हैं और जिनका भुगतान नहीं किया गया है, या इस समझौते के तहत यथास्थिति कार्य निष्पादन प्रतिभूति या बोली प्रतिभूति से वसूली नहीं की गई है) की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी, जो लेखा वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी गणना और विवरण रियायतग्राही को सौंपेगा। ऐसे प्रत्येक विवरण में दावा की गई सभी राशियों के उचित समर्थक साक्ष्य संलग्न होंगे। संदेह के निवारण के लिए, इस खंड 31.4.1 के तहत गणना किए गए संतुलित भुगतान में ऐसी गणना के लिए मासिक रियायत शुल्क को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इसमें खंड 27.5 के अनुसरण में कोई भी समायोजन शामिल होगा।

31.4.2 खंड 31.4.1 के तहत प्राधिकरण का विवरण प्राप्त होने पर, रियायतग्राही के पास (क) अनुमोदन करने या (ख) पुनर्गणना और संशोधनों की मांग करने के लिए 20 (बीस) दिनों का समय होगा। दोनों पक्ष खंड 31.4.1 के तहत बनाए गए प्राधिकरण के सभी विवरणों के सत्यापन को सक्षम करने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। उपरोक्त 20 (बीस) दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण के किसी भी विवरण पर टिप्पणी करने में रियायतग्राही की विफलता को अनुमोदन माना जाएगा।

31.4.3 यदि प्राधिकरण किसी लेखा वर्ष की किसी तिमाही के अंत के 10 (दस) दिनों के भीतर संतुलित भुगतान की अपनी गणना प्रस्तुत नहीं करता है, तो रियायतग्राही दावा की गई सभी राशियों के उचित समर्थक साक्ष्यों के साथ ऐसी गणना प्रस्तुत करने का हकदार होगा, और ऐसी स्थिति में, ऊपर खंड 31.4.2 के प्रावधान पक्षों पर विपरीत क्रम में लागू होंगे।

### **31.5 विवाद समाधान**

प्राधिकरण नामांकित लेखा परीक्षकों के निष्कर्षों और सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणन के बीच कोई अंतर होने की स्थिति में, पक्ष अंतर को सुलझाने के लिए बैठक करेंगे और यदि

वे उसे सुलझाने में असमर्थ रहते हैं, तो ऐसे विवाद को पक्षों द्वारा विवाद समाधान प्रक्रिया का सहारा लेकर सुलझाया जाएगा।

## भाग V

अप्रत्याशित घटना और समाप्ति

## अनुच्छेद 32. अप्रत्याशित घटना

### 32.1 अप्रत्याशित घटना

इस समझौते में प्रयुक्त 'अप्रत्याशित घटना' (Force Majeure) या 'अप्रत्याशित घटना की स्थिति' (Force Majeure Event) अभिव्यक्ति का अर्थ, जहां तक स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, भारत में गैर-राजनीतिक घटना (Non-Political Event), अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना (Indirect Political Event) और राजनीतिक घटना (Political Event) में से किसी या सभी का घटित होना होगा, जैसा कि क्रमशः खंड 32.2, खंड 32.3 और खंड 32.4 में परिभाषित किया गया है, यदि यह अप्रत्याशित घटना के लाभ का दावा करने वाले पक्ष ('प्रभावित पक्ष') के इस समझौते के तहत दायित्वों के निष्पादन को प्रभावित करता है और जो कार्य या घटना (क) प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे है, और (ख) प्रभावित पक्ष उचित सतर्कता बरतने और उत्तम उद्योग प्रथाओं का पालन करके रोक या दूर नहीं कर सकता था, और (ग) प्रभावित पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव (Material Adverse Effect) डालती है।

### 32.2 गैर-राजनीतिक घटना

गैर-राजनीतिक घटना का अर्थ निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यों या घटनाओं से होगा:

(क) दैवीय घटना , महामारी, अत्यंत प्रतिकूल मौसम स्थितियां, आकाशीय बिजली, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण, आग या विस्फोट (स्थल के बाहरी स्रोत से उत्पन्न संदूषण या विकिरण या आग या विस्फोट की सीमा तक);

(ख) हड़ताल या बहिष्कार (रियायतग्राही, ठेकेदारों या उनके संबंधित कर्मचारियों/प्रतिनिधियों को शामिल करने वाले, या उनमें से किसी के किसी कार्य या चूक के कारण होने वाले मामलों को छोड़कर) जो एक लेखा वर्ष में लगातार 24 (चौबीस) घंटे की अवधि और कुल मिलाकर 7 (सात) दिनों से अधिक अवधि

के लिए हवाई अड्डे को आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करते हैं, और जो खंड 32.3 में उल्लिखित अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना न हों;

(ग) सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय या वैधानिक प्राधिकरण का कोई निर्णय या आदेश जो रियायतग्राही के विरुद्ध किसी कार्यवाही में (i) रियायतग्राही द्वारा किन्हीं लागू कानूनों या लागू अनुमतियों का पालन करने में विफलता, या (ii) किन्हीं लागू कानूनों या लागू अनुमतियों या किसी अनुबंध के उल्लंघन के कारण, या (iii) इस समझौते के प्रवर्तन, या (iv) प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के तहत अपने अधिकारों के प्रयोग के अतिरिक्त अन्य कारणों से दिया गया हो;

(घ) स्थल पर भूगर्भीय स्थितियों, विषैले संदूषण या पुरातात्विक अवशेषों की खोज जिसकी स्थल निरीक्षण के माध्यम से खोजे जाने की उचित उम्मीद नहीं की जा सकती थी; या

(ङ) पूर्वगामी में से किसी के समान प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

### 32.3 अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना

अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना का अर्थ निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यों या घटनाओं से होगा:

(क) युद्ध का कार्य (चाहे घोषित हो या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कार्य, नाकाबंदी, पूर्ण प्रतिबंध (embargo), दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई, नागरिक अशांति या राजनीतिक रूप से प्रेरित तोड़फोड़;

(ख) कोई राजनीतिक या आर्थिक उथल-पुथल, अशांति, आंदोलन, संघर्ष या इसी तरह की घटना जिसकी किसी विवेकशील व्यक्ति द्वारा पूर्वकल्पना या पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था और जो परियोजना के संचालन, प्रबंधन या विकास को वित्तीय रूप से अव्यवहारिक या अन्यथा असंभाव्य बनाती है;

(ग) एक लेखा वर्ष में लगातार 24 (चौबीस) घंटे की अवधि के लिए और कुल मिलाकर 7 (सात) दिनों से अधिक की अवधि के लिए उद्योग-व्यापी या राज्य-व्यापी हड़ताल या औद्योगिक कार्रवाई;

(घ) कोई भी नागरिक अशांति, बहिष्कार या राजनीतिक आंदोलन जो एक लेखा वर्ष में 7 (सात) दिनों से अधिक की कुल अवधि के लिए रियायतग्राही द्वारा वैमानिक प्रभारों (Aeronautical Charges) के संग्रह को रोकता है;

(ङ) किसी भूगर्भीय या पुरातात्विक खोजों के बाद ऐसे कार्यों के रुकने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को संशोधनों के साथ या उसके बिना निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति देने में विफलता;

(च) किसी ठेकेदार की कोई विफलता या देरी जिस सीमा तक किसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण हुई हो और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई क्षतिपूर्ति देय न हो;

(छ) कोई भी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना जो गैर-राजनीतिक घटना का कारण बनती है; या

(ज) पूर्वगामी में से किसी के समान प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

### 32.4 राजनीतिक घटना

राजनीतिक घटना का अर्थ किसी सरकारी एजेंसी/निकाय (Government Instrumentality) द्वारा या उसके कारण निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यों या घटनाओं से होगा:

(क) राष्ट्रीय हित में अनिवार्य अधिग्रहण या किसी परियोजना परिसंपत्तियों (Project Assets) या रियायतग्राही या ठेकेदारों के अधिकारों का जब्तीकरण/उच्छेद (expropriation);

(ख) रियायतग्राही या किसी भी ठेकेदार द्वारा इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी मंजूरी, पट्टे, लाइसेंस, परमिट, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन या छूट को गैर-कानूनी या अनाधिकृत या बिना क्षेत्राधिकार के रद्द करना, या वैध कारण के बिना नवीनीकृत करने या देने से इनकार करना, बशर्त कि ऐसी देरी, संशोधन, इनकार या रद्द करना रियायतग्राही या किसी ठेकेदार की ऐसी मंजूरी, पट्टे, लाइसेंस, प्राधिकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, छूट, सहमति, अनुमोदन या परमिट के अनुदान, रखरखाव या

नवीनीकरण से संबंधित किसी भी शर्त का पालन करने में असमर्थता या विफलता के परिणामस्वरूप न हुआ हो;

(ग) किसी ठेकेदार की कोई विफलता या देरी, लेकिन केवल उस सीमा तक जो किसी अन्य राजनीतिक घटना के कारण हुई हो और जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से रियायतग्राही को कोई क्षतिपूर्ति देय न हो; या

(घ) पूर्वगामी में से किसी के समान प्रकृति की कोई घटना या परिस्थिति।

### **32.5 अप्रत्याशित घटना की रिपोर्ट करने का कर्तव्य**

32.5.1 अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, प्रभावित पक्ष नोटिस द्वारा तुरंत दूसरे पक्ष को ऐसी घटना की रिपोर्ट करेगा। इसके अनुसार किसी भी नोटिस में निम्नलिखित का पूरा विवरण शामिल होगा:

(क) इस अनुच्छेद 32 के तहत राहत के किसी भी दावे का विषय बनने वाली प्रत्येक अप्रत्याशित घटना की प्रकृति और सीमा, इसके समर्थन में साक्ष्य के साथ;

(ख) अनुमानित अवधि और वह प्रभाव या संभावित प्रभाव जो ऐसी अप्रत्याशित घटना का इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के प्रभावित पक्ष द्वारा निष्पादन पर पड़ रहा है या पड़ेगा;

(ग) ऐसे अप्रत्याशित घटना के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावित पक्ष द्वारा किए जा रहे या किए जाने वाले प्रस्तावित उपाय; और

(घ) प्रभावित पक्ष के दावे से संबंधित कोई अन्य जानकारी।

32.5.2 प्रभावित पक्ष अप्रत्याशित घटना के लिए या उसके संबंध में किसी भी राहत का हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना दूसरे पक्ष को व्यावहारिक रूप से जल्द से जल्द न दी हो, और किसी भी स्थिति में प्रभावित पक्ष को इसके घटित होने की जानकारी होने

या उचित रूप से जानकारी होनी चाहिए थी के 7 (सात) दिनों के भीतर, और संभावित प्रभाव का विवरण दिया हो जो अप्रत्याशित घटना का इस समझौते के तहत उसके दायित्वों के निष्पादन पर पड़ने की संभावना है।

32.5.3 जब तक प्रभावित पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने का दावा करता रहता है, वह दूसरे पक्ष को नियमित (और साप्ताहिक से कम नहीं) रिपोर्ट प्रदान करेगा जिसमें खंड 32.5.1 द्वारा यथा आवश्यक जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी शामिल होगी जो दूसरा पक्ष प्रभावित पक्ष से प्रदान करने के लिए उचित रूप से अनुरोध कर सकता है।

## **32.6 रियायत पर अप्रत्याशित घटना का प्रभाव**

32.6.1 वाणिज्यिक संचालन तिथि से पहले किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, वित्तीय समाप्ति प्राप्त करने या पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि की अवधि को अप्रत्याशित घटना की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया जाएगा।

32.6.2 सीओडी के बाद किसी भी समय, यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटित होती है:

(क) ऐसे चरण की चरण पूर्णता तिथि से पहले, तो ऐसे चरण के लिए विकास अवधि को अप्रत्याशित घटना के बने रहने की अवधि के बराबर अवधि तक बढ़ाया जाएगा; या

(ख) ऐसे चरण की चरण पूर्णता तिथि के बाद, जिसके परिणामस्वरूप रियायतग्राही सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वैमानिक प्रभारों को एकत्र करने में असमर्थ है या प्राधिकरण या किसी सरकारी एजेंसी द्वारा ऐसी अप्रत्याशित घटना के बने रहने के दौरान इसके संग्रह को निलंबित करने का निर्देश दिया जाता है, तो नियामक लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार किसी भी ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभाव पर विचार करेगा और उचित उपचार प्रदान करेगा।

## **32.7 अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न लागतों का आवंटन**



32.7.1 सीओडी (COD) से पहले किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, पक्ष अपनी-अपनी लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को उसकी कोई लागत देने की आवश्यकता नहीं होगी।

32.7.2 सीओडी के बाद अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर, ऐसी घटना के कारण हुई और वैमानिक सेवाओं (Aeronautical Services) से सीधे संबंधित लागतों (&#39;अप्रत्याशित घटना लागत&#39;) का आवंटन और भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) गैर-राजनीतिक घटना के घटित होने पर, पक्ष अपनी-अपनी अप्रत्याशित घटना लागत वहन करेंगे और किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को इसकी कोई लागत देने की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के घटित होने पर, ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण होने वाली सभी अप्रत्याशित घटना लागतें, जो ऐसी अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के लिए स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर से अधिक न हों, रियायतग्राही द्वारा वहन की जाएंगी, और जिस सीमा तक अप्रत्याशित घटना लागत स्वीकृत और भुगतान किए गए बीमा कवर से अधिक होती है, उस अतिरिक्त राशि का आधा हिस्सा प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को पुनर्भुगतान किया जाएगा; और

(ग) राजनीतिक घटना के घटित होने पर, ऐसी राजनीतिक घटना के कारण होने वाली सभी अप्रत्याशित घटना लागतें प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को पुनर्भुगतान की जाएंगी। अप्रत्याशित घटना लागतों में ऋण पर ब्याज भुगतान, ओएंडएम व्यय (संचालन एवं रखरखाव व्यय), मुद्रास्फीति के कारण निर्माण कार्यों की लागत में कोई वृद्धि और अप्रत्याशित घटना के लिए सीधे जिम्मेदार अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन इसमें वैमानिक प्रभारों से राजस्व की हानि या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व शामिल नहीं होंगे।

32.7.3 इस अनुच्छेद 32 में स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, कोई भी पक्ष किसी भी अप्रत्याशित घटना के घटित होने या अस्तित्व में होने या इसके अनुसरण में किसी अधिकार के प्रयोग

से संबंधित या उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत, व्यय, दावों, मांगों और कार्यवाहियों के संबंध में दूसरे पक्ष के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

### **32.8 अप्रत्याशित घटना के लिए समाप्ति नोटिस**

यदि अप्रत्याशित घटना 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों की निरंतर अवधि के भीतर 180 (एक सौ अस्सी) दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए बनी रहती है, तो कोई भी पक्ष अपने विवेक से दूसरे पक्ष को समाप्ति नोटिस (Termination Notice) जारी करके इस समझौते को समाप्त कर सकता है, बिना किसी भी तरह से उत्तरदायी हुए, जैसा कि इस अनुच्छेद 32 में प्रदान किया गया है, और ऐसा समाप्ति नोटिस जारी होने पर, यह समझौता, इसमें निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, तुरंत समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, समाप्ति नोटिस जारी करने का इरादा रखने वाला पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे इरादे की सूचना देगा और अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, वह अपने एकमात्र विवेक से समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

### **32.9 अप्रत्याशित घटना के लिए समाप्ति भुगतान**

32.9.1 यदि समाप्ति गैर-राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान (Termination Payment) के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किया गया बीमा कवर घटा दिया जाएगा।

32.9.2 यदि समाप्ति अप्रत्यक्ष राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 100% (एक सौ प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, जिसमें से स्वीकृत और भुगतान किया गया बीमा कवर घटा दिया जाएगा।

32.9.3 यदि समाप्ति राजनीतिक घटना के कारण होती है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही को उतनी ही राशि का भुगतान करेगा जितनी प्राधिकरण व्यतिक्रम (Authority Event of Default) के कारण समाप्ति पर देय होगी।

### 32.10 विवाद समाधान

यदि पक्ष अप्रत्याशित घटना के घटित होने या अस्तित्व के बारे में सद्भाव से सहमत होने में असमर्थ हैं, तो ऐसे विवाद को अंतिम रूप से विवाद समाधान प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाएगा, बशर्ते कि ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने या अस्तित्व के संबंध में सबूत का भार उस पक्ष पर होगा जो ऐसी अप्रत्याशित घटना के कारण राहत और/या छूट का दावा कर रहा है।

### 32.11 दायित्वों के निष्पादन से छूट

यदि प्रभावित पक्ष अप्रत्याशित घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में पूरी तरह या आंशिक रूप से असमर्थ हो जाता है, तो उसे उस सीमा तक अपने ऐसे दायित्वों के निष्पादन से छूट दी जाएगी जिस सीमा तक वह ऐसी अप्रत्याशित घटना के कारण निष्पादित करने में असमर्थ है, बशर्ते कि:

(क) निष्पादन का निलंबन अप्रत्याशित घटना द्वारा उचित रूप से आवश्यक सीमा से अधिक व्यापक और लंबी अवधि का न हो;

(ख) प्रभावित पक्ष ऐसी अप्रत्याशित घटना के अस्तित्व या घटित होने से उत्पन्न या उसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष को होने वाले नुकसान को कम या सीमित करने और उचित सतर्कता के साथ उसे ठीक करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा; और

(ग) जब प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन फिर से शुरू करने में सक्षम होता है, तो वह दूसरे पक्ष को उस आशय की सूचना देगा और तुरंत अपने दायित्वों का निष्पादन फिर से शुरू करेगा।

### 32.12 अप्रत्याशित घटनाओं के लिए राहत

32.12.1 इस समझौते में परिकल्पित या संदर्भित न की गई किसी अप्रत्याशित घटना, स्थिति या समान परिस्थितियों के घटित होने और बने रहने पर, जिसका एक विवेकशील और सतर्क व्यक्ति द्वारा पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था (&#39;अप्रत्यक्ष घटना&#39;), कोई भी पक्ष नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने की सूचना उसके विवरण और परियोजना की लागत, व्यय और राजस्व पर इसके प्रभावों के साथ दे सकता है। ऐसे नोटिस के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्ष बैठक करेंगे और सद्भाव से यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी है और जारी है, और इसके घटित होने पर सहमति बनने पर इस खंड 32.12 के प्रावधानों के अनुसार इससे निपटेंगे।

32.12.2 अप्रत्याशित घटना के घटित होने और जारी रहने के निर्धारण पर, पक्ष एक सुलह न्यायाधिकरण (conciliation tribunal) को संदर्भित करेंगे जिसमें दोनों पक्षों द्वारा उन व्यक्तियों में से एक-एक सदस्य नामांकित किया जाएगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हों और इस प्रकार नामांकित मध्यस्थ/सुलहकर्ता एक अध्यक्ष चुनेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हों।

32.12.3 खंड 32.12.2 में संदर्भित सुलह न्यायाधिकरण अपनी कार्यवाही अनुच्छेद 41 के प्रावधानों के अनुसार संचालित करेगा, मानो यह उस अनुच्छेद के तहत एक मध्यस्थता कार्यवाही (arbitration proceeding) है, जैसा कि इस खंड 32.12 में प्रदान किया गया है उसे छोड़कर।

32.12.4 इस खंड 32.12 में संदर्भित सुलह न्यायाधिकरण प्रारंभिक कार्यवाही संचालित करेगा ताकि स्वयं को संतुष्ट कर सके कि:

(क) एक अप्रत्याशित घटना घटी है;

ख) ऐसी अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को किसी ऐसे उपाय या राहत के बिना कम नहीं किया जा सकता

है जो समझौते में परिकल्पित नहीं है; और

ग) अप्रत्याशित घटना या इसके प्रभाव किसी भी पक्ष द्वारा अपनी ओर से किसी कार्य या चूक के कारण नहीं हुए हैं, और यदि सुलह न्यायाधिकरण संतुष्ट है कि ऊपर निर्दिष्ट प्रत्येक शर्त पूरी होती है, तो वह इस आशय का एक आदेश जारी करेगा और इस खंड 32.12 के तहत आगे की कार्यवाही संचालित करेगा।

32.12.5 इस खंड 32.12 में संदर्भित सुलह कार्यवाही पूरी होने पर, सुलह न्यायाधिकरण एक तर्कसंगत आदेश द्वारा सिफारिशें कर सकता है और संदर्भ की शर्तें (terms of reference) निर्धारित कर सकता है, जो:

(क) एक निष्पक्ष और पारदर्शी औचित्य पर आधारित होंगी;

(ख) अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक व्यापक नहीं होंगी;

(ग) अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक अवधि से अधिक लंबी अवधि की नहीं होंगी; और

(घ) राहत या उपाय के संदर्भ में परिमाणित और प्रतिबंधित होंगी।

32.12.6 खंड 32.12.5 में संदर्भित आदेश और संदर्भ की शर्तें प्राप्त करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, पक्ष बैठक करेंगे और अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए सुलह न्यायाधिकरण द्वारा अनुशंसित राहत या उपाय को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने के लिए और इस समझौते के तहत पहुंचे गए समझौते को निर्धारित करते हुए एक निपटान समझौते (settlement agreement) में प्रवेश करके इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए

सद्भाव से प्रयास करेंगे। ऐसे निपटान समझौते की शर्तों का वही बल और प्रभाव होगा मानो वे इस समझौते का हिस्सा हैं, और यह माना जाएगा कि उन्होंने इस समझौते की संबंधित शर्तों (यदि कोई हो) को संशोधित कर दिया है।

### **अनुच्छेद 33. समझौते के उल्लंघन के लिए मुआवजा**

33.1 रियायतग्राही द्वारा व्यतिक्रम के लिए मुआवजा खंड 33.4 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही के इस समझौते के तात्विक उल्लंघन या व्यतिक्रम की स्थिति में, वह आवश्यक विवरणों के साथ मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसे तात्विक उल्लंघन या व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राधिकरण द्वारा उठाए गए या सहे गए सभी प्रत्यक्ष लागतों का मुआवजे के रूप में प्राधिकरण को भुगतान करेगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद 33 के तहत किसी भी तात्विक उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके संबंध में इस समझौते के तहत नुकसान/हर्जाना (Damages) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट और देय है या प्राधिकरण द्वारा उठाए गए किसी भी परिणामी नुकसान के लिए।

### **33.2 प्राधिकरण द्वारा व्यतिक्रम के लिए मुआवजा**

खंड 33.4 के प्रावधानों के अधीन, सीओडी के बाद किसी भी समय प्राधिकरण के इस समझौते के तात्विक उल्लंघन या व्यतिक्रम की स्थिति में, वह आवश्यक विवरणों के साथ मांग प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसे तात्विक उल्लंघन या व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप रियायतग्राही द्वारा उठाए गए या सहे गए सभी प्रत्यक्ष लागतों का मुआवजे के रूप में रियायतग्राही को भुगतान करेगा, बशर्ते कि किसी भी तात्विक उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए ऐसा कोई मुआवजा देय नहीं होगा जिसके संबंध में इस समझौते में नुकसान/हर्जाना स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है। संदेह के निवारण के लिए, देय मुआवजे में ऋण पर ब्याज भुगतान, ओएंडएम व्यय, मुद्रास्फीति के कारण पूंजीगत लागत में कोई वृद्धि और ऐसे तात्विक उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए सीधे जिम्मेदार अन्य सभी लागतें शामिल हो सकती हैं, लेकिन इसमें राजस्व की हानि या ऋण पुनर्भुगतान दायित्व या अन्य परिणामी नुकसान शामिल नहीं होंगे।

### 33.3 रियायत अवधि का विस्तार

खंड 33.4 के प्रावधानों के अधीन, यदि खंड 33.2 में उल्लिखित इस समझौते के तात्त्विक उल्लंघन या व्यतिक्रम के कारण किसी भी चरण के सीओडी प्राप्त करने में देरी होती है या निलंबन होता है, तो प्राधिकरण खंड 33.2 के तहत मुआवजे के भुगतान के बदले रियायत अवधि का विस्तार करने पर विचार कर सकता है। रियायत अवधि में ऐसे विस्तार की अवधि पर उस समय प्राधिकरण द्वारा विचार और निर्धारण किया जाएगा।

33.4 लागतों और नुकसान को कम करना (Mitigation of costs and damage) प्रभावित पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा समझौते के उल्लंघन से उत्पन्न या उसके परिणामस्वरूप होने वाली लागतों और नुकसान को कम या सीमित करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगा।

### 33.5 मुआवजा अतिरिक्त होगा

ऊपर अन्यथा बताए गए मामलों को छोड़कर, इस अनुच्छेद 33 के तहत देय मुआवजा इसके समाप्ति सहित इस समझौते के तहत पक्षों के अन्य अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

## अनुच्छेद 34. रियायतग्राही के अधिकारों का निलंबन

### 34.1 रियायतग्राही के व्यतिक्रम पर निलंबन

रियायतग्राही के व्यतिक्रम होने पर, प्राधिकरण इस समझौते के तहत अपने अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके तहत समाप्ति के अपने अधिकारों सहित, (क) इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने का हकदार होगा जिसमें किसी भी शुल्क और अन्य राजस्व को एकत्र करने का रियायतग्राही का अधिकार शामिल है, और (ख) ऐसे निलंबन (निलंबन) के दौरान स्वयं ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने और इसके तहत दायित्वों का निष्पादन करने या अपनी ओर से इसका प्रयोग या निष्पादन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करने का हकदार होगा। इसके तहत निलंबन प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को नोटिस जारी करने पर तुरंत प्रभावी होगा और ऐसे नोटिस जारी करने की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि रियायतग्राही और ऋणदाता प्रतिनिधि के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की उक्त अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अधिक न होने वाली आगे की अवधि तक बढ़ाएगा।

### 34.2 रियायतग्राही की ओर से कार्य करने का प्राधिकरण

34.2.1 निलंबन की अवधि के दौरान, प्राधिकरण, रियायतग्राही की ओर से, इस समझौते के तहत और इसके अनुसार सभी शुल्क और राजस्व एकत्र करेगा और उसे एस्क्रो खाते में जमा करेगा। प्राधिकरण ओएंडएम व्यय को पूरा करने और निलंबन के कारण को सुधारने और ठीक करने के लिए, और उसके बाद खंड 29.3 में निर्दिष्ट खर्चों का भुगतान करने के लिए अपने द्वारा उठाए गए खर्चों को पूरा करने के लिए एस्क्रो खाते से निकासी करने का हकदार होगा।

34.2.2 इसके तहत निलंबन की अवधि के दौरान, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही में निहित सभी अधिकार और देनदारियां रियायतग्राही में निहित रहेंगी और इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत और इसके अनुसार रियायतग्राही के दायित्वों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय सहित किए गए सभी कार्य या की गई कार्रवाइयां रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर



से की गई मानी जाएंगी और रियायतग्राही ऐसी अवधि के दौरान उठाए गए सभी खर्चों के लिए प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। रियायतग्राही एतद्वारा प्राधिकरण या इस अनुच्छेद 34 के तहत उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति को हवाई अड्डे और उसके संचालन, प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास के संबंध में रियायतग्राही से संबंधित या लाइसेंस प्राप्त सभी बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) का उपयोग करने के लिए लाइसेंस और उप-लाइसेंस देता है, जिसका उपयोग या निर्माण रियायतग्राही द्वारा समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में किया जाता है।

### **34.3 निलंबन की बहाली / रद्दीकरण**

यदि प्राधिकरण ने खंड 34.1 में निर्धारित अवधि से अधिक न होने वाली अवधि के भीतर निलंबन के कारण को ठीक कर दिया है या हटा दिया है, तो वह तुरंत निलंबन को रद्द कर देगा और इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा। पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि प्राधिकरण, अपने विवेक से, किसी भी समय निलंबन को रद्द कर सकता है, चाहे इसके तहत निलंबन के कारण को ठीक किया गया हो या हटाया गया हो या नहीं।

### **34.4 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन**

खंड 38.5 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अपने स्टेप-इन अधिकारों (step-in rights) के प्रयोग के अधीन, निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) की ओर से ऋणदाता

प्रतिनिधि, प्रतिस्थापन समझौते के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा, और ऋणदाता प्रतिनिधि से इसके तहत नोटिस प्राप्त होने पर, प्राधिकरण वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से प्रतिस्थापन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि को सक्षम बनाने के लिए निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि और इस अनुच्छेद 34 के तहत इसके किसी भी विस्तार के लिए समाप्ति को रोके रखेगा।

### **34.5 समाप्ति**

34.5.1 इस अनुच्छेद 34 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान किसी भी समय, रियायतग्राही नोटिस द्वारा प्राधिकरण से निलंबन को रद्द करने और समाप्ति नोटिस जारी करने की मांग कर सकता है। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार और खंड 34.4 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिस्थापन करने के ऋणदाता प्रतिनिधि के अधिकारों के अधीन, प्राधिकरण ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अनुच्छेद 34 के तहत और उसके अनुसार इस समझौते को समाप्त कर देगा मानो यह अनुच्छेद 33 के तहत रियायतग्राही का व्यतिक्रम है।

34.5.2 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, यदि इसके तहत निलंबन को निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर या अनुच्छेद 34 में निर्धारित विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के भीतर रद्द नहीं किया जाता है, तो उक्त अवधि की समाप्ति पर इस समझौते को पक्षों की पारस्परिक सहमति से समाप्त मान लिया जाएगा और इस समझौते के सभी प्रावधान यथोचित परिवर्तनों सहित ऐसी समाप्ति पर लागू होंगे मानो रियायतग्राही के व्यतिक्रम के घटित होने पर प्राधिकरण द्वारा समाप्ति नोटिस जारी किया गया था।

## अनुच्छेद 35. समाप्ति

### 35.1 रियायतग्राही के व्यतिक्रम के लिए समाप्ति

35.1.1 इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, यदि नीचे निर्दिष्ट व्यतिक्रमों में से कोई भी घटित होता है, और रियायतग्राही नीचे निर्धारित उपचार अवधि (Cure Period) के भीतर व्यतिक्रम को ठीक करने में विफल रहता है, या जहां कोई उपचार अवधि निर्दिष्ट नहीं है, वहां 60 (साठ) दिनों की उपचार अवधि के भीतर, तो रियायतग्राही को इस समझौते के व्यतिक्रम में माना जाएगा (&#39;रियायतग्राही का व्यतिक्रम&#39;), जब तक कि व्यतिक्रम प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुआ हो। यहाँ संदर्भित व्यतिक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) कार्य निष्पादन प्रतिभूति को खंड 9.2 के अनुसार भुनाया और विनियोजित किया गया है और रियायतग्राही 15(पंद्रह) दिनों की उपचार अवधि के भीतर नई कार्य निष्पादन प्रतिभूति प्रदान करने या पुनः पूर्ति करने में विफल रहता है;

(ख) खंड 9.2 के अनुसार नई कार्य निष्पादन प्रतिभूति की पुनः पूर्ति या व्यवस्था के बाद, रियायतग्राही 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि के भीतर किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने या रियायतग्राही के व्यतिक्रम को ठीक करने में विफल रहता है, जिसके लिए कार्य निष्पादन प्रतिभूति का पूर्ण या आंशिक हिस्सा विनियोजित किया गया था;

(ग) रियायतग्राही खंड 12.5.2 और अनुसूची F के प्रावधानों के अनुसार देय नवीनतम बकाया चरण मील के पत्थर (Phase Milestone) को प्राप्त नहीं करता है और 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि के दौरान व्यतिक्रम में बना रहता है;

(घ) रियायतग्राही प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति के बिना हवाई अड्डे के निर्माण या संचालन को छोड़ देता है या छोड़ने का इरादा प्रकट करता है;

(ङ) किसी चरण का समापन खंड 12.5.4 में निर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं होता है;

- (च) पंच सूची (Punch List) की वस्तुओं को खंड 14.4.1 में निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया है;
- (छ) खंड 19.6.9 के अनुसार IATA सेवा स्तर अनुकूलतम (IATA Level of Service Optimum) के उल्लंघन के कारण किसी रियायत वर्ष के लिए रियायतग्राही द्वारा भुगतान योग्य नुकसान/हर्जाने की राशि पूर्ववर्ती लेखा वर्ष के लिए वार्षिक रियायत शुल्क के 2% (दो प्रतिशत) के बराबर या उससे अधिक है;
- (ज) रियायतग्राही रियायत अवधि के दौरान किसी भी लगातार 6 (छह) महीनों की अवधि में अनुसूची H में निर्दिष्ट मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators) की महत्वपूर्ण उद्देश्य सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के 2/3 (दो-तिहाई) से अधिक के उल्लंघन में है;
- (झ) रियायतग्राही चरण I समापन तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के भीतर खंड 23.6 के अनुसार आईएसओ और अन्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने में विफल रहता है;
- (ञ) रियायतग्राही इस समझौते में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राधिकरण को कोई भुगतान करने में विफल रहा है
- (ट) एस्करो व्यतिक्रम (Escrow Default) हुआ है और रियायतग्राही 15 (पंद्रह) दिनों की उपचार अवधि के भीतर व्यतिक्रम को ठीक करने में विफल रहता है;
- (ठ) वित्तीय व्यतिक्रम (Financial Default) घटित होने पर, ऋणदाता प्रतिनिधि ने प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार नोटिस द्वारा प्राधिकरण को यथास्थिति निलंबन या समाप्ति करने की आवश्यकता जताई है और रियायतग्राही ऊपर निर्दिष्ट उपचार अवधि के भीतर व्यतिक्रम को ठीक करने में विफल रहता है;
- (ड) रियायतग्राही द्वारा परियोजना समझौतों में से किसी के उल्लंघन ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है;
- (ढ) रियायतग्राही इस समझौते के उल्लंघन में कोई प्रभार/बोजा (Encumbrance) बनाता है;

- (ण) रियायतग्राही इस समझौते का परित्याग करता है या अन्यथा कोई कार्रवाई करता है या समझौते से बाध्य न होने का इरादा दिखाता या व्यक्त करता है;
- (त) स्वामित्व में परिवर्तन (Change in Ownership) या कोई अन्य परिवर्तन खंड 5.3 के प्रावधानों के उल्लंघन में हुआ है;
- (थ) कानून के अनुसरण में (i) किसी भी परियोजना समझौते के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और/या दायित्वों का, या
- (द) रियायतग्राही की सभी या आंशिक परिसंपत्तियों या उपक्रम का हस्तांतरण होता है, और ऐसा हस्तांतरण प्रतिकूल प्रभाव डालता है;
- (ध) रियायतग्राही की किसी भी परिसंपत्ति पर निष्पादित जब्ती/कब्जे ने प्रतिकूल प्रभाव डाला है;
- (न) रियायतग्राही को दिवालिया या दिवालिया घोषित किया जाता है, या यदि रियायतग्राही के लिए या उसकी परिसंपत्तियों के संपूर्ण या तात्विक हिस्से के लिए एक ट्रस्टी या रिसीवर नियुक्त किया जाता है जिसका परियोजना पर तात्विक प्रभाव पड़ता है;
- (न) रियायतग्राही का परिसमापन, विघटन, समापन, समामेलन या पुनर्गठन इस तरीके से किया गया है या किया जा रहा है जिससे प्राधिकरण की उचित राय में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;
- (प) रियायतग्राही के समापन के लिए एक संकल्प पारित किया जाता है, या रियायतग्राही के समापन के लिए कोई याचिका सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है और एक अनंतिम परिसमापक या रिसीवर नियुक्त किया जाता है और ऐसा आदेश उसकी तिथि के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रद्द नहीं किया गया है या समामेलन या पुनर्गठन के उद्देश्य को छोड़कर न्यायालय द्वारा रियायतग्राही के समापन का आदेश दिया जाता है, बशर्ते कि, ऐसे समामेलन या पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, रियायतग्राही की संपूर्ण संपत्ति, परिसंपत्तियां और उपक्रम समामेलित या पुनर्गठित संस्था को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और समामेलित या पुनर्गठित संस्था ने बिना शर्त इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के दायित्वों को ग्रहण कर लिया है; और बशर्ते कि:
- (i) समामेलित या पुनर्गठित संस्था के पास इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक क्षमता और परिचालन अनुभव हो

(ii) समामेलित या पुनर्गठित संस्था के पास इस समझौते और परियोजना समझौतों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय स्थिति हो और उसकी साख (credit worthiness) कम से कम सीओडी पर रियायतग्राही के समान अच्छी हो; और

(iii) प्रत्येक परियोजना समझौता पूर्ण बल और प्रभाव में रहे,

(फ) इसमें निहित रियायतग्राही का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी जो आज की तिथि तक तात्त्विक रूप से झूठी, गलत या भ्रामक पाई जाती है या रियायतग्राही इसके बाद किसी भी समय इसके उल्लंघन में पाया जाता है;

(ब) रियायतग्राही प्राधिकरण को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई विवरण, नोटिस या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है, जिसका प्राधिकरण के अधिकारों, दायित्वों या हितों पर तात्त्विक प्रभाव पड़ता है और जो तात्त्विक विवरणों में झूठा है;

(भ) रियायतग्राही किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफल रहा है, जिस विफलता के लिए इस समझौते में समाप्ति निर्दिष्ट की गई है;

(म) रियायतग्राही इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए समाप्ति नोटिस जारी करता है; या

(य) रियायतग्राही इस समझौते के किसी अन्य प्रावधान का पालन करने में व्यतिक्रम करता है यदि ऐसा व्यतिक्रम प्राधिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

35.1.2 इस समझौते के तहत प्राधिकरण के पास मौजूद किसी भी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही के व्यतिक्रम के घटित होने पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि समाप्ति नोटिस

जारी करने से पहले, प्राधिकरण एक नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे की सूचना देगा और रियायतग्राही को अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, खंड 35.1.3 के प्रावधानों के अधीन समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

35.1.3 प्राधिकरण, यदि वरिष्ठ ऋणदाता हैं, तो ऋणदाता प्रतिनिधि को सूचित करने के लिए खंड 35.1.2 में संदर्भित समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे की नोटिस की एक प्रति भेजेगा और प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के इरादे का उल्लेख करते हुए वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से अभ्यावेदन करने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि को 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा। यदि प्राधिकरण को वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त होता है, तो वह अपने विवेक से, या तो ऐसे अभ्यावेदन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों से अधिक न होने वाली अवधि के लिए समाप्ति को रोके रखेगा या प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए ऋणदाता प्रतिनिधि को सक्षम बनाने के लिए यथास्थिति निलंबन के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा: बशर्ते कि ऋणदाता प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रतिस्थापन के अधिकार का प्रयोग करने के बजाय, यह सुनिश्चित कर सकता है कि नोटिस में निर्दिष्ट व्यतिक्रम 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की उक्त अवधि के भीतर ठीक हो जाए, और ऐसे ठीक होने पर, प्राधिकरण ऊपर संदर्भित अपने नोटिस को वापस ले लेगा और रियायतग्राही के सभी अधिकारों को बहाल कर देगा। बशर्ते आगे कि ऋणदाता प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की उक्त अवधि को 90 (नब्बे) दिनों से अधिक न होने वाली ऐसी आगे की अवधि तक बढ़ाएगा, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

## **35.2 प्राधिकरण व्यतिक्रम के लिए समाप्ति**

35.2.1 यदि नीचे निर्दिष्ट व्यतिक्रमों में से कोई भी घटित होता है, और प्राधिकरण 90 (नब्बे) दिनों की उपचार अवधि या इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई लंबी अवधि के भीतर ऐसे व्यतिक्रम को ठीक करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण को इस समझौते के व्यतिक्रम में माना जाएगा प्राधिकरण

व्यतिक्रम जब तक कि व्यतिक्रम रियायतग्राही द्वारा इस समझौते के किसी उल्लंघन के परिणामस्वरूप या अप्रत्याशित घटना के कारण न हुआ हो। यहाँ संदर्भित व्यतिक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) प्राधिकरण इस समझौते के किन्हीं प्रावधानों का पालन करने में तात्त्विक व्यतिक्रम करता है और ऐसे व्यतिक्रम का रियायतग्राही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) प्राधिकरण इस समझौते का परित्याग करता है या अन्यथा कोई कार्रवाई करता है जो इस समझौते से बाध्य न होने के अपरिवर्तनीय इरादे के बराबर है या उसे प्रकट करती है।

35.2.2 इस समझौते के तहत रियायतग्राही के पास मौजूद किसी भी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण व्यतिक्रम के घटित होने पर, रियायतग्राही, प्रतिस्थापन समझौते के प्रावधानों के अधीन, प्राधिकरण को समाप्ति नोटिस जारी करके इस समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते कि समाप्ति नोटिस जारी करने से पहले, रियायतग्राही एक नोटिस द्वारा प्राधिकरण को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे की सूचना देगा और प्राधिकरण को अभ्यावेदन करने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा, और ऐसे 15 (पंद्रह) दिनों की समाप्ति के बाद, चाहे उसे ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हो या नहीं, समाप्ति नोटिस जारी कर सकता है।

### 35.3 समाप्ति भुगतान

35.3.1 प्राधिकरण व्यतिक्रम के कारण समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 120% (एक सौ बीस प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

35.3.2 रियायतग्राही व्यतिक्रम के कारण समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर

प्रतिशत) के बराबर राशि में से स्वीकृत और भुगतान किया गया बीमा कवर घटाकर भुगतान करेगा।



### 35.3.3 समय बीतने के कारण रियायत अवधि की समाप्ति पर समाप्ति होने पर:

(क) प्राधिकरण रियायतग्राही को निम्नलिखित में से जो भी कम हो उसके 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करेगा:

(i) सिटी साइड डेवलपमेंट (City Side Development) का हिस्सा बनने वाली ऐसी परियोजना परिसंपत्तियों का अवमूल्यित पुस्तक मूल्य (depreciated book value), यदि कोई हो, जिन्हें सीओडी की 30वीं वर्षगांठ तक रियायतग्राही की बही-खातों में पूंजीकृत किया गया है; और

(ii) सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली ऐसी परियोजना परिसंपत्तियों का मूल्य, जिन्हें सीओडी की 30वीं वर्षगांठ तक रियायतग्राही की बही-खातों में पूंजीकृत किया गया है, जैसा कि एक स्वीकृत मूल्यांकक (Approved Valuer) द्वारा निर्धारित किया गया है जिसे हस्तांतरण तिथि (Transfer Date) के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण द्वारा चुना और नियुक्त किया जाएगा, और जो अपनी नियुक्ति के 30 (तीस) दिनों के भीतर अपना निर्धारण प्रस्तुत करेगा।

(ख) हस्तांतरण तिथि को रियायतग्राही द्वारा वैमानिक परिसंपत्तियों (Aeronautical Assets), गैर-वैमानिक परिसंपत्तियों (Non-Aeronautical Assets) (सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर) और किसी भी प्रगतिधीन कार्य (works-in-progress) के लिए प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को कोई समाप्ति भुगतान नहीं किया जाएगा। संदेह के निवारण के लिए, सभी वैमानिक परिसंपत्तियां, गैर-वैमानिक परिसंपत्तियां (सिटी साइड डेवलपमेंट का हिस्सा बनने वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर) और हस्तांतरण तिथि को रियायतग्राही द्वारा किया जा रहा कोई भी प्रगतिधीन कार्य रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को निःशुल्क सौंपा जाएगा।

35.3.4 पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि खंड 27.6, 32.9, 35.3 और 39.3 के अनुसरण में किया गया समाप्ति भुगतान:

(क) आवश्यक विवरणों के साथ रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से मांग किए जाने के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर देय और भुगतान योग्य होगा, और किसी भी देरी की स्थिति में, प्राधिकरण अंसोधित/अदत्त

समाप्ति भुगतान की राशि पर बैंक दर से 3% (तीन प्रतिशत) अधिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

(ख) इस समझौते की समाप्ति के कारण रियायतग्राही के सभी दावों का पूर्ण और अंतिम निपटान होगा, और इसके तहत प्राधिकरण के भुगतान दायित्वों का डिस्चार्ज होगा, और रियायतग्राही या उसके किसी भी शेयरधारक का किसी भी कानून, संधि, सम्मेलन, अनुबंध या अन्यथा के तहत कोई आगे का अधिकार या दावा नहीं होगा।

#### 35.4 प्राधिकरण के अन्य अधिकार और दायित्व

किसी भी कारण से समाप्ति होने पर, प्राधिकरण:

(क) तुरंत हवाई अड्डे का कब्जा और नियंत्रण अपने हाथ में लेगा;

(ख) स्थल पर या उसके आसपास सभी सामग्रियों, स्टोरो, औजारों, निर्माण संयंत्रों और उपकरणों का कब्जा और नियंत्रण अपने हाथ में लेगा;

(ग) रियायतग्राही और रियायतग्राही के माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थल या परियोजना के किसी भी हिस्से में प्रवेश करने से रोकने का हकदार होगा;

(घ) रियायतग्राही से अनुच्छेद 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं (Divestment Requirements) का पालन करने की अपेक्षा करेगा; और

(ड) प्राधिकरण द्वारा चयन किए जाने पर, रियायतग्राही द्वारा किसी और कार्रवाई की आवश्यकता के बिना, ऐसे परियोजना समझौतों के तहत रियायतग्राही के हितों का उत्तराधिकारी बनेगा जिन्हें प्राधिकरण अपने विवेक से उचित समझे, और ऐसे चयन पर ठेकेदारों के प्रति केवल उस क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा जो प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के हितों का उत्तराधिकारी बनने की तिथि से उनके संबंधित परियोजना समझौतों की शर्तों के तहत देय और भुगतान योग्य होती है। रियायतग्राही स्वीकार करता है और सहमत होता है कि ऐसी तिथि से पहले किए गए कार्यों और सेवाओं के लिए देय और बकाया के रूप में या किसी कार्य, चूक या घटना के कारण ऐसे ठेकेदारों द्वारा दावा की गई सभी राशियां रियायतग्राही और ऐसे ठेकेदारों के बीच ऋण का गठन करेंगी, और प्राधिकरण ऐसी राशियों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। यह आगे सहमति बनी है कि यदि प्राधिकरण ऐसे परियोजना समझौतों के तहत किन्हीं बकाया व्यतिक्रमों को ठीक करने का विकल्प चुनता है, तो इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा खर्च की गई राशि समाप्ति भुगतान से काट ली जाएगी।

### 35.5 अधिकारों की उत्तरजीविता

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, लेकिन खंड 35.3 के प्रावधानों के अधीन, इस समझौते के प्रावधानों के अनुसरण में कोई भी समाप्ति किसी भी पक्ष के अर्जित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी, जिसमें धन नुकसान/हर्जाने, बीमा आय, सुरक्षा जमा, और अन्य अधिकारों और उपचारों का दावा करने और वसूल करने का अधिकार शामिल है, जो उसके पास कानून या अनुबंध में हो सकता है। समाप्ति भुगतान और विनिवेश आवश्यकताओं सहित इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष के सभी अधिकार और दायित्व समाप्ति के बाद भी जीवित रहेंगे, जिस सीमा तक ऐसे अधिकारों और दायित्वों को प्रभावी करने के लिए ऐसा जीवित रहना आवश्यक है।

## अनुच्छेद 36. अधिकारों और हितों का विनिवेश

### 36.1 विनिवेश आवश्यकताएं

36.1.1 समाप्ति पर, रियायतग्राही निम्नलिखित विनिवेश आवश्यकताओं का पालन करेगा और उनके अनुरूप होगा:

- (क) प्राधिकरण को सभी परियोजना परिसंपत्तियों के स्थान और विवरण की तुरंत सूचना देगा;
- (ख) प्रतिस्थापन समझौते में निर्धारित सीमा को छोड़कर, सभी प्रभारों/बोझों से मुक्त और स्पष्ट, हवाई अड्डे का वास्तविक या रचनात्मक कब्जा तुरंत सौंपेगा;
- (ग) सभी परियोजना परिसंपत्तियों के सभी दोषों और कमियों को ठीक करेगा ताकि हवाई अड्डा इस समझौते के अनुपालन में हो, बशर्ते कि विकास अवधि के दौरान समाप्ति की स्थिति में, सभी परियोजना परिसंपत्तियों को सुरक्षित स्थिति में लाने के बाद &#39;जैसा है जहाँ है&#39; के आधार पर सौंपा जाएगा;
- (घ) मास्टर प्लान और उससे संबंधित सभी कार्यक्रमों और नियमावलियों (manuals) सहित हवाई अड्डे और उसके संचालन, प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड, रिपोर्ट, बौद्धिक संपदा और अन्य लाइसेंस, और हस्तांतरण तिथि के अनुसार पूर्ण &#39;एज-बिल्ट&#39; (as built) ड्राइंग सौंपेगा और स्थानांतरित करेगा। रियायतग्राही प्रतिनिधित्व करता है और वारंटी देता है कि इसके तहत दी गई बौद्धिक संपदा हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग और विकास के लिए पर्याप्त और पूर्ण होगी और प्राधिकरण को बिना किसी प्रभार/बोझ के सौंपी जाएगी;
- (ङ) लागू कानूनों के तहत स्वीकार्य सीमा तक सभी लागू अनुमतियों को स्थानांतरित और सौंपेगा;
- (च) ऐसे हस्तांतरण विलेख, दस्तावेज और अन्य लेखन निष्पादित करेगा जो प्राधिकरण को परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों को स्थानांतरित करने, विनिवेश करने और सौंपने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें किसी भी संयंत्र या उपकरण के संबंध में निर्माताओं की वारंटी और प्राधिकरण को देय और भुगतान योग्य सीमा तक बकाया बीमा दावों को प्राप्त करने का अधिकार, पूरी तरह से प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्ति को शामिल है; और

(छ) लागू कानूनों के तहत हवाई अड्डे में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों के विनिवेश और समनुदेशन (assignment) को पूरा करने के लिए निर्धारित या आवश्यक सभी अन्य आवश्यकताओं का पालन करेगा, जो सभी प्रभारों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्ति के पास होगा।

36.1.2 रियायतग्राही के किन्हीं दायित्वों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा निष्पादित करने या निष्पादित कराने के लिए इस समझौते के तहत या किसी परियोजना समझौते के तहत प्राधिकरण द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग के अधीन, पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन जारी रखेंगे, किसी भी समाप्ति नोटिस के जारी होने के बावजूद, जब तक कि इस समझौते की समाप्ति उसकी शर्तों के अनुसार प्रभावी न हो जाए।

## 36.2 निरीक्षण और सुधार

समाप्ति से 90 (नब्बे) दिन पहले से नहीं बल्कि ऐसी समाप्ति की प्रभावी तिथि से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले, प्राधिकरण या उसका कोई नामांकित व्यक्ति, रियायतग्राही को ऐसे सत्यापन और/या निरीक्षण के समय, तिथि और स्थान का उल्लेख करते हुए उचित नोटिस देने के बाद, रियायतग्राही द्वारा इस समझौते की शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करेगा, और यदि आवश्यक हो, तो इस उद्देश्य के लिए रियायतग्राही के खर्च पर उचित परीक्षण करवाएगा। व्यतिक्रम, यदि कोई हो, को रियायतग्राही द्वारा अपने खर्च पर ठीक किया जाएगा और अनुच्छेद 37 के प्रावधान इस अनुच्छेद 36 के तहत दोषों या कमियों को ठीक करने के संबंध में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

## 36.3 परियोजना के हस्तांतरण पर सहयोग और सहायता

36.3.1 पक्ष सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सहयोग करेंगे और सद्भाव से इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के सुचारु हस्तांतरण को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे ताकि उपयोगकर्ताओं, जनता के अन्य सदस्यों या स्थल के किसी भी हिस्से के वैध कब्जाधारियों की सुरक्षा की रक्षा की जा सके और अनुचित देरी या असुविधा से बचा जा सके।

36.3.2 पक्ष हस्तांतरण तिथि से 9 (नौ) महीने पहले (समय बीतने के कारण समाप्ति के मामले में) और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे को व्यक्त करने के मामले

में तुरंत, जैसा भी मामला हो, हस्तांतरण तिथि के बाद हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्रस्तावित व्यवस्थाओं के संबंध में एक-दूसरे को व्यावहारिक रूप से उतनी जानकारी और सलाह प्रदान करेंगे जितनी उचित हो। रियायतग्राही ऐसी उचित सलाह और सहायता प्रदान करेगा जैसा कि प्राधिकरण, उसका रियायतग्राही या एजेंट हस्तांतरण तिथि के 6 (छह) महीने बाद की समाप्ति तक परियोजना के संचालन के लिए उचित रूप से मांग सकता है।

36.3.3 प्राधिकरण को रियायतग्राही से उचित बाजार मूल्य पर और किसी भी प्रभार/बोझ से मुक्त, परियोजना के संबंध में उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी के सभी या किसी भी हिस्से को खरीदने या किराए पर लेने का विकल्प होगा, जो खंड 36.1.1 में निर्दिष्ट परियोजना परिसंपत्तियों का हिस्सा नहीं है और परियोजना के संचालन के संबंध में उचित रूप से आवश्यक है।

#### **36.4 निहितीकरण प्रमाण पत्र**

हवाई अड्डे में सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों का विनिवेश उस तिथि को पूर्ण माना जाएगा जब सभी विनिवेश आवश्यकताएं पूरी हो गई हों, और प्राधिकरण, अनुचित देरी के बिना, उसके बाद अनुसूची O में निर्धारित प्रारूप में मुख्य रूप से एक प्रमाण पत्र (&#39;निहितीकरण प्रमाण पत्र&#39;) जारी करेगा, जिसका प्रभाव हवाई अड्डे में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों के विनिवेश और इसके अनुसरण में प्राधिकरण में उनके निहित होने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति बनी है कि विनिवेश आवश्यकताओं में किसी भी दोष या कमी को किसी भी तरह से प्राधिकरण या उसके नामांकित व्यक्ति द्वारा हवाई अड्डे पर या उसके संबंध में इस आधार पर कि रियायतग्राही द्वारा सभी विनिवेश आवश्यकताओं का पालन किया गया है, किन्हीं अधिकारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के रूप में अर्थ या व्याख्या नहीं की जाएगी।

#### **36.5 विनिवेश लागत, आदि**

36.5.1 रियायतग्राही समाप्ति पर प्राधिकरण के पक्ष में परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही के सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों के विनिवेश के लिए आकस्मिक सभी लागतों को वहन करेगा और भुगतान करेगा, जिसमें ऐसे विनिवेश के संबंध में रियायतग्राही द्वारा निष्पादित किसी भी विलेख या दस्तावेजों पर देय सभी स्टाम्प शुल्क शामिल हैं।

36.5.2 इस अनुच्छेद 36 के तहत आने वाले मामलों से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में, विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

## अनुच्छेद 37. समाप्ति के बाद दोष देयता

### 37.1 समाप्ति के बाद दोषों के लिए देयता

रियायतग्राही समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए हवाई अड्डे में सभी दोषों और कमियों के लिए जिम्मेदार होगा, और उसका यह दायित्व है कि वह उक्त अवधि के दौरान हवाई अड्डे में प्राधिकरण द्वारा देखे गए सभी दोषों और कमियों की मरम्मत या सुधार अपने खर्च पर करे। यदि रियायतग्राही इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे दोष या कमी की मरम्मत या सुधार करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर उसकी मरम्मत या सुधार करवाने का हकदार होगा ताकि हवाई अड्डा मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) और इस समझौते की शर्तों के अनुरूप बन सके। इसके तहत प्राधिकरण द्वारा उठाए गए सभी खर्चों का पुनर्भुगतान रियायतग्राही द्वारा मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को किया जाएगा, और ऐसे खर्चों के पुनर्भुगतान में व्यतिक्रम की स्थिति में, प्राधिकरण खंड 37.2 के प्रावधानों के तहत एस्क्रो खाते में रखी गई धनराशि से या इसके तहत प्रदान की गई कार्य निष्पादन गारंटी से वसूली करने का हकदार होगा।

### 37.2 एस्करो खाते में प्रतिधारण

37.2.1 इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, लेकिन खंड 37.2.3 के प्रावधानों के अधीन, हस्तांतरण तिथि से ठीक पहले वाले लेखा वर्ष के लिए रियायतग्राही के अंकेक्षित बही-खातों के अनुसार कुल कर-पूर्व

सकल राजस्व के 5% (पांच प्रतिशत) के बराबर राशि अनुच्छेद 35 के प्रावधानों से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली देनदारियों, यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए समाप्ति के बाद 120 (एक सौ बीस) दिनों की अवधि के लिए एस्करो खाते में रखी जाएगी।



37.2.2 खंड 37.2.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण स्वयं या अपने नामांकित व्यक्ति के माध्यम से, समाप्ति से 210 (दो सौ दस) और 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के बीच किसी भी समय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, और यदि वह सिफारिश करता है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि खंड 37.2.1 में निर्धारित राशि से अधिक राशि एस्क्रो खाते में रखी जानी चाहिए और उक्त 120 (एक सौ बीस) दिनों से अधिक अवधि के लिए रखी जानी चाहिए, तो प्राधिकरण या स्वतंत्र इंजीनियर (Independent Engineer) द्वारा अनुशंसित राशि उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए एस्क्रो खाते में रखी जाएगी।

37.2.3 रियायतग्राही, इस अनुच्छेद 37 के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए, प्राधिकरण को किसी बैंक से खंड 37.2.1 या खंड 37.2.2, जैसा भी मामला हो, के तहत निर्धारित राशि के बराबर राशि के लिए और उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुसूची E में निर्धारित प्रारूप में (‘कार्य निष्पादन गारंटी / Performance Guarantee’) मुख्य रूप से एक गारंटी प्रदान कर सकता है, जिसे इस उद्देश्य के लिए यथोचित परिवर्तनों सहित संशोधित किया जाएगा, और प्राधिकरण इसके तहत या कानून में अपने अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अनुच्छेद 37 के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर मरम्मत या सुधार करने के लिए कार्य निष्पादन गारंटी से आवश्यक राशियों को भुनाने और विनियोजित करने का हकदार होगा। इस खंड 37.2.3 के तहत कार्य निष्पादन गारंटी जमा करने पर, यथास्थिति खंड 37.2.1 या खंड 37.2.2 के संदर्भ में एस्क्रो खाते में धनराशि का प्रतिधारण समाप्त कर दिया जाएगा।

**ભાગ VI**  
**અન્ય પ્રાવધાન**

## अनुच्छेद 38. समनुदेशन और प्रभार

### 38.1 समनुदेशन और प्रभारों पर प्रतिबंध

38.1.1 खंड 38.2 और खंड 38.3 के अधीन, यह समझौता रियायतग्राही द्वारा किसी भी व्यक्ति को समनुदेशित (assign) नहीं किया जाएगा, केवल प्राधिकरण की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर, जिसे अस्वीकार करने का अधिकार बिना कोई कारण बताए प्राधिकरण के पास होगा।

38.1.2 खंड 38.2 और खंड 25.6 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही कोई प्रभार/बोझ (Encumbrance) नहीं बनाएगा और न ही बनने देगा, या अन्यथा इस समझौते या किसी भी परियोजना समझौते के तहत अपने सभी या किन्हीं अधिकारों और लाभों को स्थानांतरित या निपटाएगा नहीं, जिसमें रियायतग्राही एक पक्ष है।

### 38.2 अनुमत समनुदेशन और प्रभार

खंड 38.1 में निर्धारित प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) हवाई अड्डे के व्यवसाय के सामान्य क्रम में लागू कानूनों के संचालन से (या उसी को दर्शाने वाले समझौते द्वारा) उत्पन्न होने वाले धारणाधिकार (liens);

(ख) परियोजना परिसंपत्तियों (प्राप्य राशियां / receivables को छोड़कर) के अलावा अन्य वस्तुओं/परिसंपत्तियों और उनके संबंधित शीर्षक दस्तावेजों पर हवाई अड्डे के व्यवसाय के सामान्य क्रम में उत्पन्न या बनाए गए बंधक/गिरवी (hypothecation/pledge), और केवल वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रति ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में और/या हवाई अड्डे के लिए कार्यशील पूंजी व्यवस्था के लिए। वरिष्ठ ऋणदाता इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों के अधीन और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना एस्क्रो खाते पर धारणाधिकार बनाने के हकदार होंगे; और

(ग) वित्तपोषण समझौतों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए वित्तपोषण की सुरक्षा के रूप में प्रतिस्थापन समझौते के अनुसार और उसके द्वारा कवर की गई सीमा तक वरिष्ठ ऋणदाताओं

के लाभ के लिए और नामांकित व्यक्ति के रूप में ऋणदाता प्रतिनिधि के पक्ष में रियायतग्राही के अधिकारों, हितों और दायित्वों का समनुदेशन।

### 38.3 प्रतिस्थापन समझौता

38.3.1 वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि, रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के समझौते (‘प्रतिस्थापन समझौता’) के अनुसरण में रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिस्थापन समझौता ऐसे समय में किया जाना है जैसा कि रियायतग्राही द्वारा अनुरोध किया जा सकता है, और अनुसूची P में निर्धारित प्रारूप में मुख्य रूप से रियायतग्राही, प्राधिकरण और वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाता प्रतिनिधि के बीच किया जाएगा। बशर्ते, हालांकि, यदि वरिष्ठ ऋणदाता, ऋणदाता प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, प्रतिस्थापन समझौते की शर्तों के अनुसार किसी नामांकित कंपनी के साथ रियायतग्राही की पहचान या प्रतिस्थापन करने में सक्षम नहीं हैं, तो प्राधिकरण के पास रियायतग्राही को इस तरह से प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा कि प्राधिकरण प्रतिस्थापन समझौते के उद्देश्यों के लिए एक नामांकित कंपनी हो, और नामांकित कंपनी का कोई भी संदर्भ प्राधिकरण माना जाएगा और प्रतिस्थापन समझौते की अन्य सभी नियमों और शर्तों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

38.3.2 प्रतिस्थापन समझौते के तहत और उसके अनुसार रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने वाली नामांकित कंपनी को इस समझौते के तहत रियायतग्राही माना जाएगा और वह इस समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी अधिकारों का आनंद लेगी और सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होगी मानो वह रियायतग्राही थी, बशर्ते कि जहां रियायतग्राही ऐसे प्रतिस्थापन की तिथि पर इस समझौते के उल्लंघन में है, प्राधिकरण नोटिस द्वारा रियायतग्राही को ऐसे उल्लंघन को ठीक करने के लिए 120 (एक सौ बीस) दिनों की उपचार अवधि प्रदान करेगा।

### 38.4 प्राधिकरण द्वारा समनुदेशन

इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, प्राधिकरण, रियायतग्राही को 60 (साठ) दिनों का नोटिस देने के बाद, इस समझौते के तहत अपने किन्हीं अधिकारों और लाभों और/या दायित्वों को किसी ऐसे समनुदेशिती (assignee) को समनुदेशित और/या स्थानांतरित कर सकता है जो प्राधिकरण की उचित राय में, इस समझौते के तहत प्राधिकरण के तत्कालीन सभी बकाया दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है।

### 38.5 स्टेप-इन अधिकार

38.5.1 आपात स्थिति के मामले में (जैसा कि प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में, अपने एकमात्र विवेक से सूचित किया गया है), प्राधिकरण के पास स्वयं या किसी नामांकित सरकारी एजेंसी के माध्यम से रियायतग्राही के स्थान पर हवाई अड्डे का नियंत्रण अस्थायी रूप से संभालने का अधिकार है। उस अवधि के दौरान जिसमें हवाई अड्डे पर नियंत्रण प्राधिकरण या नामांकित सरकारी एजेंसी द्वारा संभाला जाता है, प्राधिकरण को उस सीमित अवधि के लिए इस समझौते के तहत रियायतग्राही के दायित्वों का निर्वहन करने के उद्देश्य से रियायतग्राही माना जाएगा। ऐसी अवधि के दौरान रियायतग्राही के कर्तव्य और दायित्व निलंबित रहेंगे और प्राधिकरण या उसकी नामांकित सरकारी एजेंसी इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे का संचालन और रखरखाव करेगी। बशर्ते हालांकि, उक्त आपात स्थिति और उसके किसी भी प्रभाव की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, या ऐसी लंबी अवधि के भीतर जो आपात स्थिति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित हो, प्राधिकरण या उसकी नामांकित सरकारी एजेंसी, जैसा भी मामला हो, हवाई अड्डे को (जैसा कि वह उस तिथि को है) रियायतग्राही को वापस सौंप देगी, ताकि इसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार इसका संचालन और प्रबंधन किया जा सके।

38.5.2 ऐसी अवधि के दौरान प्राधिकरण या उसकी नामांकित सरकारी एजेंसी द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए वैमानिक सेवाओं या गैर-वैमानिक सेवाओं के प्रावधान से संबंधित कोई भी प्रभार, रियायतग्राही के लिए और उसकी ओर से रखा जाएगा और नीचे खंड 38.5.3 के अधीन रियायतग्राही को दिया जाएगा।

38.5.3 रियायतग्राही, स्टेप-इन की अवधि के दौरान हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव से संबंधित प्राधिकरण या उसकी नामांकित सरकारी एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी और सभी लागतों और खर्चों के लिए प्राधिकरण या उसकी नामांकित सरकारी एजेंसी, जैसा भी मामला हो, को पुनर्भुगतान और क्षतिपूर्ति करेगा, जिन लागतों और खर्चों को ऊपर खंड 38.5.2 के तहत प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय राशियों में से प्राधिकरण या उसकी नामांकित सरकारी एजेंसी द्वारा समायोजित (set-off) किया जा सकता है।

38.5.4 यदि स्टेप-इन की अवधि 3 (तीन) महीने से अधिक हो जाती है, तो इसे खंड 32.4 के तहत अप्रत्याशित घटना की राजनीतिक घटना माना जाएगा और तदनुसार निपटा जाएगा।

### अनुच्छेद 39. नियामक दर्शन में परिवर्तन

39.1 यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, सीओडी से 7 (सात) वर्षों की समाप्ति के बाद नियामक दर्शन में परिवर्तन (Change in Regulatory Philosophy) होने पर, पक्ष संयुक्त रूप से यह निर्धारित करने के लिए एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष की नियुक्ति करेंगे कि क्या ऐसा परिवर्तन रियायतग्राही पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जैसे कि इसके कारण होने वाला वित्तीय बोझ या नुकसान रु. 5,00,00,000/- (रुपये पांच करोड़) और ठीक पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में रियायतग्राही के अंकेक्षित बही-खातों के अनुसार उसके कर-पूर्व सकल राजस्व का 0.5% (शून्य दशमलव पांच प्रतिशत) में से जो भी अधिक हो।

39.2 यदि ऐसा तीसरा पक्ष निर्धारित करता है कि परिवर्तन से रियायतग्राही पर पूर्वोक्त अनुसार प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो पक्ष इस समझौते में संशोधनों पर चर्चा करने और सहमत होने के लिए बैठक करेंगे ताकि रियायतग्राही को उसी वित्तीय स्थिति में रखा जा सके जैसा कि ऐसा कोई परिवर्तन न होने पर होता। पक्षों की बैठक के 30 (तीस) दिनों के भीतर ऐसा कोई समझौता न होने की स्थिति में, रियायतग्राही को 30 (तीस) दिनों का नोटिस देकर अपने एकमात्रविवेक से इस समझौते को समाप्त करने की अनुमति होगी।

39.3 ऐसी समाप्ति पर, प्राधिकरण रियायतग्राही को समाप्ति भुगतान के 70% (सत्तर प्रतिशत) के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

## अनुच्छेद 40. देयता और क्षतिपूर्ति

### 40.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

40.1.1 रियायतग्राही प्राधिकरण और उसके अधिकारियों, सेवकों, एजेंटों, सरकारी एजेंसियों, नामित भारत सरकार की एजेंसियों और प्राधिकरण के स्वामित्व वाली और/या नियंत्रित संस्थाओं/उद्यमों (&#39;सरकारी क्षतिपूर्त व्यक्ति / Government Indemnified Persons&#39;) को तीसरे पक्ष के किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, मांगों और दावों से किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय से बचाएगा, क्षतिपूर्ति करेगा और सुरक्षित रखेगा, चाहे वह इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व के रियायतग्राही द्वारा किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न हुआ हो या रियायतग्राही द्वारा दायित्वों के निष्पादन में किसी दोष या कमी के कारण या अनुबंध या अपकृत्य (tort) के तहत रियायतग्राही की किसी भी लापरवाही से, या धोखाधड़ी या लापरवाही के आधार पर, या किसी अन्य आधार पर उत्पन्न हुआ हो, केवल उस सीमा को छोड़कर कि ऐसे कोई भी मुकदमे, कार्यवाही, कार्रवाइयां, मांगें और दावे सरकारी क्षतिपूर्त व्यक्तियों की ओर से किसी जानबूझकर किए गए लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक, या इस समझौते के उल्लंघन या व्यतिक्रम के कारण उत्पन्न हुए हैं।

40.1.2 खंड 10.3.6 के अधीन, प्राधिकरण रियायतग्राही को तीसरे पक्ष के किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्रवाइयों, मांगों और दावों से किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और व्यय से बचाएगा, क्षतिपूर्ति करेगा और सुरक्षित रखेगा, जो (क) स्थल में शामिल भूमि में शीर्षक और/या प्राधिकरण के अधिकारों में दोष, और/या (ख) इस समझौते या किसी संबंधित समझौते के तहत प्राधिकरण द्वारा अपने किन्हीं दायित्वों के उल्लंघन से उत्पन्न होते हैं, जो इस समझौते के तहत रियायतग्राही द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन को प्रतिकूल और तात्त्विक रूप से प्रभावित करते हैं, सिवाय इसके कि जहां ऐसा कोई दावा, मुकदमा, कार्यवाही, कार्रवाई और/या मांग रियायतग्राही, उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों, ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों की ओर से किसी लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक, या इस समझौते



या किसी संबंधित समझौते के किसी प्रावधान के तहत अपने किन्हीं दायित्वों के उल्लंघन और/या वैधानिक कर्तव्य के उल्लंघन के कारण उत्पन्न हुई है, वह रियायतग्राही की देयता होगी।

## 40.2 रियायतग्राही द्वारा क्षतिपूर्ति

40.2.1 अनुच्छेद 37 की सामान्यता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाले किसी भी और सभी नुकसान और/या क्षति से प्राधिकरण और सरकारी क्षतिपूर्त व्यक्तियों को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा, सुरक्षित रखेगा और उनका बचाव करेगा:

- (क) रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों और लागू अनुमतियों का पालन करने में विफलता,
- (ख) रियायतग्राही के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और प्रतिनिधियों की आय या अन्य करों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले करों का भुगतान, या
- (ग) रियायतग्राही या उसके किसी भी ठेकेदार को प्रस्तुत की गई सामग्रियों या सेवाओं के परिणामस्वरूप देय राशियों का गैर-भुगतान जो रियायतग्राही या उसके किसी ठेकेदार द्वारा देय हैं।

40.2.2 इस अनुच्छेद 40 के प्रावधानों की सामान्यता को सीमित किए बिना, रियायतग्राही सरकारी क्षतिपूर्त व्यक्तियों को किसी भी और सभी मुकदमों, कार्यवाहियों, कार्रवाईयों, दावों, मांगों, देनदारियों और हर्जाने से पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा, सुरक्षित रखेगा और उनका बचाव करेगा जो सरकारी क्षतिपूर्त व्यक्ति इसके बाद रियायतग्राही द्वारा या ठेकेदारों द्वारा रियायतग्राही के दायित्वों को पूरा करने में उपयोग की जाने वाली या किसी भी तरह से परियोजना में शामिल या उससे संबंधित किसी भी सामग्री, सूचना, डिजाइन या प्रक्रिया के संबंध में किसी भी घरेलू या विदेशी पेटेंट अधिकारों, कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा, स्वामित्व या गोपनीयता अधिकारों के उल्लंघन के दावों से उत्पन्न मांगों, दावों, मुकदमों या कार्यवाहियों के कारण भुगत सकते हैं या भुगतान कर सकते हैं। यदि ऐसे किसी मुकदमे, कार्रवाई, दावे या कार्यवाही में, एक अस्थायी रोक आदेश या प्रारंभिक व्यादेश (injunction) दिया जाता है, तो

रियायतग्राही एक संतोषजनक बॉन्ड देकर या अन्यथा व्यादेश या रोक आदेश को रद्द करने या निलंबित करने के लिए हर उचित प्रयास करेगा।

यदि, ऐसे किसी मुकदमे, कार्रवाई, दावे या कार्यवाही में, हवाई अड्डे, या उसके किसी हिस्से को उल्लंघन माना जाता है और इसका उपयोग स्थायी रूप से रोक दिया जाता है, तो रियायतग्राही प्राधिकरण के लिए बिना किसी लागत के उल्लंघनकारी कार्य के निरंतर उपयोग को अधिकृत करने वाला लाइसेंस प्राप्त करने का तुरंत हर उचित प्रयास करेगा। यदि रियायतग्राही निर्धारित समय के भीतर ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने में असमर्थ है, तो रियायतग्राही, अपने खर्च पर, और विनिर्देशों और मानकों (Specifications and Standards) को प्रभावित किए बिना, या तो प्रभावित कार्य, या उसके हिस्से, या प्रक्रिया को गैर-उल्लंघनकारी कार्य या हिस्से या प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करेगा, या उसमें ऐसा संशोधन करेगा कि वह गैर-उल्लंघनकारी बन जाए।

### 40.3 नोटिस और दावों का विरोध

यदि किसी भी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से ऐसा दावा या मांग प्राप्त होती है जिसके संबंध में वह इस अनुच्छेद 40 (&#39;क्षतिपूर्त पक्ष / Indemnified Party&#39;) के तहत क्षतिपूर्ति के लाभ का हकदार है, तो वह दावा या मांग प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर दूसरे पक्ष (&#39;क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष / Indemnifying Party&#39;) को सूचित करेगा और क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, जिस स्वीकृति को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष दावे या मांग का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही संचालित कर सकता है, जो क्षतिपूर्त पक्ष को शामिल किसी भी लागत के विरुद्ध उसकी उचित संतुष्टि के लिए सुरक्षित करने के अधीन होगा।

### 40.4 दावों का बचाव

40.4.1 क्षतिपूर्त पक्ष के पास ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जिसके लिए वह इसके तहत क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है, किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा उस पक्ष के विरुद्ध कथित या दावा किए गए किसी भी दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का विरोध करने, बचाव करने और मुकदमा लड़ने का अधिकार है, लेकिन दायित्व नहीं, और इसकी उचित लागतों और खर्चों की क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष द्वारा

की जाएगी। यदि क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष इस अनुच्छेद 40 द्वारा प्रदान की गई पूर्ण सीमा तक नुकसान के संबंध में क्षतिपूर्त पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व को लिखित रूप में स्वीकार करता है, तो क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष, अपने विकल्प पर, ऐसे दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही, देनदारियों, भुगतानों और दायित्वों के बचाव को अपने खर्च पर और अपनी पसंद के वकील के माध्यम से क्षतिपूर्त पक्ष के नाम पर संभालने और नियंत्रित करने का हकदार होगा, यदि ऐसा आवश्यक हो, बशर्ते कि वह ऐसा करने के अपने इरादे की तुरंत सूचना क्षतिपूर्त पक्ष को दे और क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष द्वारा ऐसे बचाव को संभालने से पहले क्षतिपूर्त पक्ष द्वारा किए गए उचित लागत और खर्चों के लिए क्षतिपूर्त पक्ष को पुनर्भुगतान करे। क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष क्षतिपूर्त पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी दावे, मांग, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का निपटान या समझौता करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष क्षतिपूर्त पक्ष को ऐसी प्रतिभूति प्रदान न करे जो क्षतिपूर्त पक्ष द्वारा इस सीमा तक समझौता या निपटान किए गए नुकसान को सुरक्षित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

40.4.2 यदि क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष ने खंड 40.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया है, तो क्षतिपूर्त पक्ष क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष की पूर्व लिखित सहमति (जिस सहमति को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा) के बिना किसी भी दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही का निपटान या समझौता करने का हकदार नहीं होगा।

40.4.3 यदि क्षतिपूर्ति देने वाला पक्ष खंड 40.3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, तो भी क्षतिपूर्त पक्ष को अपने स्वयं के वकील को नियुक्त करने का अधिकार होगा, और ऐसा वकील ऐसी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे वकील की फीस और खर्च क्षतिपूर्त पक्ष के खर्च पर होंगे, जब और जैसे हुए हों, जब तक कि:

(क) ऐसे पक्ष द्वारा वकील की नियुक्ति को क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष द्वारा लिखित रूप में अधिकृत न किया गया हो;

(ख) क्षतिपूर्त पक्ष उचित रूप से इस निष्कर्ष पर न पहुंचा हो कि ऐसी कार्रवाई के बचाव के संचालन में क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष और क्षतिपूर्त पक्ष के बीच हितों का टकराव (conflict of interest) हो सकता है;

(ग) क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष ने वास्तव में, ऐसी कार्रवाई के बचाव को संभालने के लिए क्षतिपूर्ति पक्ष के लिए उचित रूप से संतोषजनक स्वतंत्र वकील नियुक्त न किया हो, और क्षतिपूर्ति पक्ष द्वारा उसे सूचित किया गया हो; या

(घ) क्षतिपूर्ति पक्ष उचित रूप से निष्कर्ष पर पहुंचा हो और विशेष रूप से क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष को सूचित किया हो कि:

(i) उसके पास विशिष्ट बचाव उपलब्ध हो सकते हैं जो क्षतिपूर्ति देने वाले पक्ष को उपलब्ध बचावों से भिन्न या अतिरिक्त हैं, या

(ii) ऐसे दावे, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही में इस समझौते के दायरे से परे उस पर प्रतिकूल प्रभाव शामिल है या हो

सकता है: बशर्ते कि यदि इस खंड 40.4.3 के उप-खंड (ख), (ग) या (घ) लागू होते हैं, तो क्षतिपूर्ति पक्ष के वकील को क्षतिपूर्ति पक्ष की ओर से ऐसे दावे, मांग, कार्रवाई, मुकदमे या कार्यवाही के बचाव को निर्देशित करने का अधिकार है, और ऐसे वकील की उचित फीस और संवितरण (disbursements) इसके तहत कानूनी या अन्य खर्चों का गठन करेंगे।

#### **40.5 कोई परिणामी दावा नहीं**

इस अनुच्छेद 40 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, इसमें प्रदान की गई क्षतिपूर्ति में किसी भी अप्रत्यक्ष, आकस्मिक या परिणामी प्रकृति की लागत, व्यय, हानि या क्षति के संबंध में कोई दावा या वसूली शामिल नहीं होगी, जिसमें लाभ की हानि शामिल है, सिवाय इसके कि इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।

#### **40.6 समाप्ति पर उत्तरजीविता**

इस अनुच्छेद 40 के प्रावधान समाप्ति के बाद भी लागू रहेंगे।

## अनुच्छेद 41. विवाद समाधान

### 41.1 विवाद समाधान

41.1.1 पक्षों के बीच इस समझौते के तहत या उससे उत्पन्न (इसके अर्थ निर्धारण सहित) किसी भी प्रकृति का कोई भी विवाद, अंतर या विवाद विषय, और किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित रूप में इस प्रकार सूचित किया गया (&#39;विवाद&#39;), प्रथम दृष्टया, खंड 41.2 में निर्धारित सुलह प्रक्रिया (conciliation procedure) के अनुसार सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा।

41.1.2 पक्ष इस समझौते के तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को तुरंत, न्यायसंगत और सद्भाव से हल करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने पर सहमत होते हैं, और आगे किसी भी विवाद से संबंधित सभी गैर-विशेषवाधिकार प्राप्त रिकॉर्ड, सूचना और डेटा तक सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान एक-दूसरे को उचित पहुंच प्रदान करने पर सहमत होते हैं।

### 41.2 सुलह

पक्षों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, कोई भी पक्ष विकास अवधि के दौरान स्वतंत्र इंजीनियर और रियायत अवधि के दौरान एक उद्योग विशेषज्ञ को मध्यस्थता करने और विवाद के सौहार्दपूर्ण निपटान तक पहुंचने में पक्षों की सहायता करने के लिए बुला सकता है। यथास्थिति स्वतंत्र इंजीनियर या उद्योग विशेषज्ञ द्वारा मध्यस्थता विफल होने पर, या ऐसे स्वतंत्र इंजीनियर या उद्योग विशेषज्ञ के हस्तक्षेप के बिना, कोई भी पक्ष ऐसे विवाद को सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक (Managing Director) और रियायतग्राही के निदेशक मंडल के अध्यक्ष (Chairman of the Board of Directors) को संदर्भित करने की मांग कर सकता है, और ऐसे संदर्भ पर, उक्त व्यक्ति विवाद पर चर्चा करने और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने के लिए संदर्भ की तिथि से 7 (सात) दिनों के बाद नहीं मिलेंगे। यदि ऐसी बैठक 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर नहीं होती है या बैठक के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर विवाद सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है या खंड 41.1.1 में संदर्भित लिखित

नोटिस के 30 (तीस) दिनों के भीतर लिखित निपटान शर्तों के हस्ताक्षर द्वारा जैसा कि साक्ष्य है विवाद हल नहीं होता है या पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत ऐसी लंबी अवधि के भीतर, कोई भी पक्ष खंड 41.3 के प्रावधानों के अनुसार विवाद को मध्यस्थता (arbitration) के लिए संदर्भित कर सकता है।

### 41.3 मध्यस्थता

41.3.1 इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार विवादों पर निर्णय लेने की नियामक (Regulator) की शक्ति और प्राधिकरण से संबंधित नियामक ढांचे के प्रावधानों के अधीन, कोई भी अन्य विवाद जो खंड 41.2 में प्रदान किए गए अनुसार सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं होता है, खंड 41.3.2 के अनुसार मध्यस्थता न्यायाधिकरण (arbitral tribunal) द्वारा मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा अंतिम रूप से तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अधीन होगी। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

41.3.2 एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण होगा जिसमें 3 (तीन) मध्यस्थ शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक पक्ष 1 (एक) का चयन करेगा, और 3रे (तीसरे) मध्यस्थ की नियुक्ति इस प्रकार चुने गए 2 (दो) मध्यस्थों द्वारा की जाएगी, और दोनों मध्यस्थों के बीच असहमति की स्थिति में, नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी।

41.3.3 मध्यस्थता न्यायाधिकरण एक तर्कसंगत पंचाट (Award) देगा। इस अनुच्छेद 41 के अनुसार आयोजित किसी भी मध्यस्थता में दिया गया कोई भी पंचाट दिए जाने की तिथि से पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, और रियायतग्राही और प्राधिकरण बिना किसी देरी के ऐसे पंचाट को निष्पादित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं।

41.3.4 रियायतग्राही और प्राधिकरण सहमत हैं कि एक पंचाट को यथास्थिति रियायतग्राही और/या प्राधिकरण के विरुद्ध लागू किया जा सकता है, और उनकी संबंधित परिसंपत्तियों के विरुद्ध जहां भी वे स्थित हों।

41.3.5 इसके तहत किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में पंचाट के लंबित रहने तक, यह समझौता और पक्षों के अधिकार और दायित्व पूर्ण बल और प्रभाव में रहेंगे।

#### **41.4 न्यायाधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन**

इस अनुच्छेद 41 में कहीं भी विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, विशेष रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) ढांचे से उत्पन्न विवादों से निपटने के लिए या अन्यथा रियायतग्राही और प्राधिकरण के बीच विवादों पर न्यायनिर्णयन करने की शक्तियों के साथ एक वैधानिक न्यायाधिकरण या अन्य मंच के गठन की स्थिति में, ऐसे गठन के बाद उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, खंड 41.3 के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के बजाय, लागू कानूनों के अनुसार ऐसे न्यायाधिकरण या अन्य मंच द्वारा न्यायनिर्णित किए जाएंगे और विवाद समाधान प्रक्रिया के सभी संदर्भों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

## अनुच्छेद 42. प्रकटीकरण

### 42.1 प्रकटीकरण

रियायतग्राही रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय में और हवाई अड्डे पर सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान, किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए, इस समझौते और सुरक्षा आवश्यकताओं (Safety Requirements) की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही टर्मिनल भवन (Terminal Building) में प्रमुखता से सार्वजनिक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें ऐसे निरीक्षण के लिए इस समझौते की उपलब्धता का उल्लेख होगा, और 'न लाभ न हानि' के आधार पर फोटोकॉपी शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां प्रदान करेगा।

### 42.2 सुरक्षा से संबंधित दस्तावेजों का प्रकटीकरण

रियायतग्राही के पंजीकृत कार्यालय और हवाई अड्डे पर सभी कार्य दिवसों में सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए, हवाई अड्डे की सुरक्षा से संबंधित सभी दस्तावेजों और डेटा की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। रियायतग्राही 'न लाभ न हानि' के आधार पर फोटोकॉपी शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

### 42.3 संरक्षित दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकना

अनुच्छेद 39 और खंड 42.2 के प्रावधानों के बावजूद, प्राधिकरण पूर्वोक्त खंडों के अनुसरण में किसी भी व्यक्ति को संरक्षित दस्तावेजों (Protected Documents) के प्रकटीकरण को रोकने के लिए समय-समय पर रियायतग्राही को निर्देशित करने का हकदार होगा, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) के प्रावधानों के तहत प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है और रोका गया है।



## अनुच्छेद 43. सार्वजनिक शिकायतों का निवारण

### 43.1 शिकायत रजिस्टर

43.1.1 रियायतग्राही हवाई अड्डे पर एक जनसंपर्क कार्यालय बनाए रखेगा जहां वह किसी भी व्यक्ति (&#39; शिकायतकर्ता / Complainant&#39;) द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए हर समय जनता की पहुंच के लिए एक रजिस्टर (&#39; शिकायत रजिस्टर / Complaint Register&#39;) खुला रखेगा। शिकायत रजिस्टर की उपलब्धता और पहुंच से संबंधित जानकारी रियायतग्राही द्वारा टर्मिनल भवन में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी ताकि इसे सभी उपयोगकर्ताओं के ध्यान में लाया जा सके।

43.1.2 शिकायत रजिस्टर सुरक्षित रूप से बंधा होगा और उसका प्रत्येक पृष्ठ विधिवत क्रमांकित होगा। इसमें शिकायत संख्या, तिथि, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार और रियायतग्राही द्वारा की गई कार्रवाई सहित उचित कॉलम होंगे। शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद, रियायतग्राही शिकायतकर्ता को तिथि और शिकायत संख्या बताते हुए एक रसीद देगा।

43.1.3 खंड 43.1.1 और खंड 43.1.2 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, रियायतग्राही के परामर्श से, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शिकायतें करने और उसके उत्तर देने की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है।

### 43.2 शिकायतों का निवारण

43.2.1 रियायतग्राही प्रतिदिन शिकायत रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए त्वरित और उचित कार्रवाई करेगा। की गई कार्रवाई को शिकायत रजिस्टर में संक्षेप में नोट किया जाएगा और उसका विवरण देते हुए एक उत्तर रियायतग्राही द्वारा डाक प्रमाण पत्र (certificate of posting) के तहत शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा।

43.2.2 प्रत्येक माह की समाप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, रियायतग्राही शिकायत रजिस्टर के उन सभी पृष्ठों की एक- एक सही फोटोकॉपी प्राधिकरण को भेजेगा जिन पर ऐसे माह के दौरान कोई प्रविष्टि दर्ज की गई है, और उसके अवलोकन पर, प्राधिकरण अपने विवेक से, रियायतग्राही को किसी भी शिकायत के निष्पक्ष और न्यायसंगत निवारण के लिए ऐसी आगे की कार्रवाई करने की सलाह दे सकता

है जिसे प्राधिकरण उचित समझे। रियायतग्राही ऐसी सलाह पर विचार करेगा और उस पर अपने निर्णय की सूचना प्राधिकरण को देगा, और यदि प्राधिकरण की राय है कि शिकायतकर्ता आगे की राहत का हकदार है, तो वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (Consumer Protection Act, 1986) के तहत इसके निपटान के लिए मामले को सक्षम मंच को संदर्भित कर सकता है, और शिकायतकर्ता को अपने जोखिम और लागत पर शिकायत को आगे बढ़ाने की सलाह दे सकता है।

## अनुच्छेद 44. विविध

44.1 लागू कानून और क्षेत्राधिकार (Governing law and jurisdiction) इस समझौते का अर्थ और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और वे उसी से शासित होंगे, और नई दिल्ली की अदालतों के पास इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित मामलों पर विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

44.2 उन्मुक्ति का त्याग (Waiver of immunity) प्रत्येक पक्ष बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

1. सहमत है कि उसके द्वारा इस समझौते का निष्पादन, सुपुर्दगी और प्रदर्शन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए और निष्पादित व्यावसायिक कार्यों का गठन करता है;
2. सहमत है कि, यदि इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी लेन-देन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के विरुद्ध कोई कार्यवाही लाई जाती है, तो उसकी परिसंपत्तियों के संबंध में पक्ष द्वारा या उसकी ओर से ऐसी कार्यवाहियों से कोई उन्मुक्ति (चाहे संप्रभुता के कारण या अन्यथा) का दावा नहीं किया जाएगा; उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार का त्याग करता है जो उसके या उसकी परिसंपत्तियों, संपत्ति या राजस्व के पास अब है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे किसी भी क्षेत्राधिकार में उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; और
3. ऐसी कार्यवाहियों में उसके विरुद्ध किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में सामान्य रूप से किसी भी राहत देने या किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी प्रक्रिया को जारी करने के लिए सहमति देता है।

44.3 मूल्यहास (Depreciation)लागू कानूनों के तहत मूल्यहास (depreciation) के उद्देश्यों के लिए, परियोजना परिसंपत्तियों में रियायतग्राही द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को रियायतग्राही द्वारा अधिग्रहित और स्वामित्व माना जाएगा। प्राधिकरण लागू कानूनों के तहत रियायतग्राही द्वारा किए जाने वाले मूल्यहास के किसी भी दावे के संबंध में किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

44.4.1 विलंबित भुगतान (Delayed payments) पक्ष एतद्वारा सहमत हैं कि इस समझौते के प्रावधानों के तहत एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय भुगतान उसमें निर्धारित अवधि के भीतर किए जाएंगे, और यदि ऐसी कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो आवश्यक विवरणों के साथ मांग प्राप्त होने के 30 (तीस)

दिनों के भीतर किए जाएंगे। जब तक कि इस समझौते में विशेष रूप से अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, ऐसी अवधि से परे देरी की स्थिति में, व्यतिक्रम करने वाला पक्ष बैंक दर से 2% (दो प्रतिशत) अधिक की दर से गणना की गई देरी की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा, और उसकी वसूली इसके समाप्ति सहित इस समझौते के तहत पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

44.4.2 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौते के तहत देय कोई भी ब्याज दैनिक बकाया आधार पर अर्जित होगा और तिमाही चक्र के आधार पर चक्रवृद्धि होगा।

44.4.3 खंड 27.6.2, 34.1 या 35.3 के अनुसार समाप्ति के कारण प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को देय सभी भुगतान हस्तांतरण तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर किए जाएंगे।

#### **44.5 त्याग**

44.5.1 इस समझौते के किसी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष द्वारा किसी भी व्यतिक्रम का किसी भी पक्ष द्वारा त्याग (Waiver), जिसमें आंशिक या सशर्त त्याग शामिल है:

क. इसके किसी अन्य या बाद के व्यतिक्रम या इस समझौते के अन्य प्रावधानों या दायित्वों के त्याग के रूप में संचालित या अर्थ नहीं लगाया जाएगा;

ख. प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो; और

ग. किसी भी तरह से इस समझौते की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

44.6 दस्तावेजों और ड्राइंग की समीक्षा के लिए देयता (Liability for review of Documents and Drawings) इस समझौते में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई सीमा को छोड़कर:

(क) रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किसी भी परियोजना समझौते, दस्तावेज या ड्राइंग का प्राधिकरण द्वारा कोई समीक्षा, टिप्पणी या अनुमोदन न ही हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन या विकास का कोई अवलोकन या निरीक्षण और न ही इसके तहत समीक्षा, अनुमोदन, टिप्पणी, अवलोकन या निरीक्षण करने में विफलता रियायतग्राही को इस समझौते, लागू कानूनों और लागू अनुमतियों के तहत उसके दायित्वों, कर्तव्यों और देनदारियों से मुक्त या दोषमुक्त करेगी; और

(ख) प्राधिकरण ऊपर उप-खंड (क) में संदर्भित किसी भी समीक्षा, टिप्पणी, अनुमोदन, अवलोकन या निरीक्षण के कारण रियायतग्राही के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

44.7 निहित वारंटियों आदि का अपवर्जन (Exclusion of implied warranties etc.) यह समझौता कानून में या प्रथा द्वारा या अन्यथा पक्षों के बीच किसी अन्य समझौते से उत्पन्न या दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित बाध्यकारी कानूनी समझौते में निहित नहीं होने वाले किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी प्रतिनिधित्व से उत्पन्न होने वाली किसी भी वारंटी, शर्त या अन्य उपक्रम को स्पष्ट रूप से बाहर करता है।

#### **44.8.1 उत्तरजीविता समाप्ति:**

(क) यथास्थिति रियायतग्राही या प्राधिकरण को इसके तहत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से इसके समाप्ति के बाद भी जीवित रहते हैं, और

(ख) किसी भी पक्ष की देयता को स्पष्ट रूप से सीमित करने वाले इस समझौते के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर, किसी भी पक्ष को ऐसी समाप्ति के प्रभावी होने से पहले उस पक्ष के कार्यों या चूक के कारण होने वाले, या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दूसरे पक्ष के नुकसान या क्षति के दायित्वों या देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी।

44.8.2 समाप्ति के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व ऐसी समाप्ति की तिथि के बाद केवल 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए जीवित रहेंगे।

#### **44.9 संपूर्ण समझौता**

यह समझौता और अनुसूचियां मिलकर इसके विषय पर पक्षों के बीच समझौते की शर्तों का एक पूर्ण और अनन्य विवरण प्रस्तुत करती हैं, और इसमें कोई भी संशोधन या बदलाव तब तक मान्य और प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसा संशोधन या बदलाव पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमत न हो और संबंधित पक्षों द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त व्यक्तियों द्वारा विधिवत निष्पादित न किया गया हो। इस समझौते से संबंधित हर प्रकार की सभी पूर्व लिखित या मौखिक समझ, प्रस्ताव या अन्य

संचार रद्द और वापस लिए जाते हैं। इसके पक्ष सहमत हैं कि प्रस्ताव के अनुरोध (RFP), जैसा भी मामला हो, से उत्पन्न होने वाले रियायतग्राही के किसी भी दायित्व को इस समझौते का हिस्सा माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा।

#### 44.10 पृथक्करणीयता

यदि किसी भी कारण से, इस समझौते का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय हो जाता है या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय या किसी अन्य निकाय द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, कानूनविहीनता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष सद्भाव से बातचीत करेंगे ताकि एक या अधिक ऐसे प्रावधानों पर सहमति व्यक्त की जा सके जिन्हें ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जो ऐसे अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के व्यावहारिक रूप से निकटतम हों। ऐसे किन्हीं प्रावधानों पर सहमत होने में विफलता इस समझौते के तहत निर्धारित विवाद समाधान प्रक्रिया या अन्यथा के अधीन नहीं होगी।

44.11 कोई साझेदारी नहीं इस समझौते की व्याख्या या अर्थ पक्षों के बीच एक जुड़ाव, संयुक्त उद्यम या साझेदारी बनाने के रूप में नहीं लगाया जाएगा, या किसी भी पक्ष पर कोई साझेदारी दायित्व या देयता लगाने के रूप में नहीं लगाया जाएगा, और न ही किसी पक्ष के पास दूसरे पक्ष के लिए या उसकी ओर से कोई समझौता या उपक्रम करने, या एजेंट या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने या अन्यथा दूसरे पक्ष को बाध्य करने का कोई अधिकार, शक्ति या अधिकार होगा।

44.12 तीसरे पक्ष यह समझौता केवल पक्षों, और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों के लाभ के लिए है, और इस समझौते में कुछ भी इस समझौते के पक्षकार न होने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई कर्तव्य, देखभाल का मानक, या कोई देयता बनाने के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

44.13 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती यह समझौता पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए लागू होगा।

44.14 नोटिस (Notices) इस समझौते द्वारा परिकल्पित मामलों के तहत या उनके संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या अन्य संचार लिखित रूप में होगा और:

(क) रियायतग्राही के मामले में, फैक्स या ई-मेल द्वारा और नीचे दिए गए पते पर हाथ से दिए गए पत्र द्वारा दिया जाएगा और नीचे निर्धारित व्यक्ति के ध्यान के लिए चिह्नित किया जाएगा या ऐसे अन्य व्यक्ति को जैसा कि रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को नोटिस द्वारा नामित कर सकता है, बशर्ते कि नीचे उप-खंड में निर्दिष्ट शहर के बाहर किसी पते पर दिए जाने वाले नोटिस या अन्य संचार, यदि वे बाद में पंजीकृत पावती रसीद, एयर मेल या कूरियर द्वारा उसकी एक प्रति भेजकर पुष्टि की जाती हैं, फैक्स या ई-मेल द्वारा उस नंबर पर भेजे जा सकते हैं जैसा कि रियायतग्राही समय-समय पर प्राधिकरण को नोटिस द्वारा नामित कर सकता है।

ध्यानार्थ: मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी

पदनाम: सीएओ

पता: अडानी कॉर्पोरेट हाउस शांतिग्राम, एसजी हाईवे, अहमदाबाद - 382421, गुजरात, भारत

(ख) प्राधिकरण के मामले में, फैक्स या ई-मेल द्वारा और नीचे दिए गए पते पर हाथ से दिए गए पत्र द्वारा दिया जाएगा और नीचे नामित व्यक्ति को संबोधित किया जाएगा, जिसकी एक प्रति प्राधिकरण या ऐसे अन्य व्यक्ति को दी जाएगी जैसा कि प्राधिकरण समय-समय पर रियायतग्राही को नोटिस द्वारा नामित कर सकता है, बशर्ते कि यदि रियायतग्राही का प्राधिकरण के समान शहर में कोई कार्यालय नहीं है, तो वह ऐसा नोटिस फैक्स या ई-मेल द्वारा और पंजीकृत पावती रसीद, एयर मेल या कूरियर द्वारा भेज सकता है।

ध्यानार्थ: अध्यक्ष

पता: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली-110003

फैक्स नं: +91-11-24641088

ईमेल: chairman@aai.aero

(ग) इसके अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया गया कोई भी नोटिस या संचार, तब दिया गया माना जाएगा जब डाक के सामान्य क्रम में इसे वितरित किया जाना चाहिए था और अन्य सभी मामलों में, इसे वितरण की वास्तविक तिथि और समय पर वितरित माना जाएगा, बशर्ते कि फैक्स या ई-मेल के मामले में, इसे इसके वितरण की तिथि के अगले कार्य दिवस पर वितरित माना जाएगा।

#### **44.15 कानून में परिवर्तन**

कानून में कोई भी परिवर्तन इस समझौते की किसी भी शर्त में या इसके पक्ष में इस समझौते से बहने वाले किन्हीं अधिकारों और दायित्वों में किसी भी परिवर्तन या संशोधन का आधार नहीं होगा। इसके तहत अधिकार और दायित्व कानून में किसी भी परिवर्तन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे।

#### **44.16 भाषा**

एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार, दस्तावेजीकरण और कार्यवाहियां जो इस समझौते से किसी भी तरह से प्रासंगिक हैं, लिखित रूप में और अंग्रेजी भाषा में होंगे।

#### **44.17 स्टाम्प शुल्क**

इस समझौते के निष्पादन या सुपुर्दगी पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान रियायतग्राही द्वारा किया जाएगा।

#### **44.18 प्रतिरूप**

यह समझौता दो प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक, निष्पादित और वितरित होने पर, इस समझौते की एक मूल प्रति का गठन करेगी।

हस्ताक्षर



जिसके साक्ष्य के रूप में, पक्षों ने ऊपर बताए अनुसार अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से, ऊपर सबसे पहले उल्लेख की गई तिथि को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं: की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षरित:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि:

नाम: श्री बी. के. मेहरोत्रा

पदनाम: कार्यकारी निदेशक, सामरिक पहल इकाई

गवाह 1: एन. वी. सुब्बा रायुडू, महाप्रबंधक (इंजी.)

की ओर से और उनके लिए हस्ताक्षरित: अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड

द्वारा विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि:

नाम: श्री बहनाद जांदी

पदनाम: मुख्य कार्यकारी अधिकारी

गवाह 2: सुरेश चंद्र होता, मुख्य हवाई अड्डा अधिकारी

અનુસૂચિયાં

## अनुसूची क.

हवाई अड्डे का स्थल

(देखें खंड 10.1)

### 1. स्थल

1.1 हवाई अड्डे के स्थल का वर्णन इस अनुसूची A के अनुलग्नक I में किया गया है।

1.2 स्थल पर या उससे जुड़ी भूमि, भवनों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, वृक्षों और किसी भी अन्य अचल संपत्ति सहित स्थल की एक सूची प्राधिकरण और रियायतग्राही द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाएगी, और ऐसी सूची समझौते के खंड में संदर्भित जापन का हिस्सा बनेगी।

1.3 स्थल के लिए परिप्रेक्ष्य योजना, जैसा कि वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई है, इस अनुसूची A के अनुलग्नक II में प्रदान की गई है।

1.4 हवाई अड्डे के लिए निर्धारित स्थल वैमानिक (Aeronautical) के साथ-साथ गैर-वैमानिक (Non-Aeronautical) परिसंपत्तियों के संबंध में सभी भूमि उपयोग को समायोजित करता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि रियायतग्राही, प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन से, वैमानिक सेवाओं और/या गैर-वैमानिक सेवाओं को शुरू करने के उद्देश्य से सिटी साइड डेवलपमेंट के लिए निर्धारित भूमि का उपयोग कर सकता है, और इसके विपरीत, इस शर्त के अधीन कि सिटी साइड डेवलपमेंट के उद्देश्य से रियायतग्राही द्वारा उपयोग किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल इसके तहत उसी के लिए निर्धारित कुल क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा (जैसा कि इसके अनुलग्नक III में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है)।

### 2. हवाई अड्डे के विस्तार के लिए अतिरिक्त भूमि

2.1 रियायतग्राही एतद्वारा स्वीकार करता है, पुष्टि करता है और स्वीकार करता है कि स्थल का हिस्सा बनने वाली भूमि परियोजना के विकास और कार्यान्वयन को शुरू करने के लिए सभी मापदंडों से अच्छी और पर्याप्त है।

2.2 प्राधिकरण न तो किसी दायित्व के तहत है और न ही रियायतग्राही परियोजना के विकास या कार्यान्वयन के किसी भी हिस्से को शुरू करने के लिए रियायत अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी अतिरिक्त भूमि की मांग करने का हकदार होगा। किसी भी वैमानिक सेवाओं के प्रावधान और/या

एयरसाइड गतिविधियों को शुरू करने के लिए सीओडी के बाद प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित हवाई अड्डे के संबंध में किसी भी भूमि को अनिवार्य रूप से प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को उन्हीं नियमों और शर्तों पर पेश किया जाएगा जिन पर ऐसी भूमि प्राधिकरण के पक्ष में अधिग्रहित की गई है।

**अनुलग्नक I**  
**(अनुसूची क)**

**हवाई अड्डे के लिए स्थल**

**पृष्ठभूमि**

वर्तमान हवाई अड्डे का स्थान: **लखनऊ हवाई अड्डा** स्थान: एयरोड्रोम संदर्भ बिंदु (ARP) 264543N 0805300E; 210 DEG, लखनऊ रेलवे स्टेशन से 11 किमी।

कृपया नीचे दी गई छवि देखें जो स्थल की स्थिति और स्थल तक पहुँचने वाले मार्ग को दर्शाती है।

**(चित्र)**

**हवाई अड्डा कनेक्टिविटी**

राजमार्ग और शहर के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सुविधाजनक परिवहन सुविधा उपलब्ध है।

**मौसम की स्थिति**

अत्यधिक

**हवा**

जून से मध्य-सितंबर के अलावा वर्ष के अधिकांश समय पछुआ/शांत स्थिति रहती है, जब यह पूर्वी होती है।

## हवाई अड्डे पर वर्तमान सुविधा/संपत्ति

| रनवे<br>(RWY) | ऊंचाई<br>(Elevation<br>in) | टीओआरए<br>(TORA) | टीओडीए<br>(TODA) | एसडीए<br>(ASDA)  | एलडीए<br>(LDA)   | ढलान<br>(Slope)                                        |
|---------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------|
| 09            | 405 फीट<br>(FT)            | 2742 मीटर<br>(M) | 2742 मीटर<br>(M) | 2742 मीटर<br>(M) | 2585 मीटर<br>(M) | अनुदैर्घ्य ढलान<br>(Longitudinal<br>Slope): -<br>0.15% |
| 27            | 399 फीट<br>(FT)            | 2742 मीटर<br>(M) | 2742 मीटर<br>(M) | 2742 मीटर<br>(M) | 2742 मीटर<br>(M) | अनुप्रस्थ<br>ढलान<br>(Transverse<br>Slope): -<br>1.10% |

## रनवे आयाम

| रनवे नं.<br>(RWY No) | टीओआरए<br>(TORA)<br>(मीटर) | टीओडीए<br>(TODA)<br>(मीटर) | एसडीए<br>(ASDA)<br>(मीटर) | एलडीए<br>(LDA) (मीटर) | आरईएसए<br>(RESA)<br>(मीटर) |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 09                   | 2742                       | 2742                       | 2742                      | 2585                  | 90 x 150                   |
| 27                   | 2742                       | 2742                       | 2742                      | 2742                  | 115 x 150                  |

## स्थान एवं भौगोलिक निर्देशांक

अक्षांश (Latitude): 26°45'42.670" N

देशांतर (Longitude): 080°53'00.344" E

ऊंचाई (Elevation): 405 फीट (Ft)

वर्तमान में हवाई अड्डे पर निम्नलिखित हवाई यातायात सेवाएं, निगरानी और नेविगेशन सहायता सुविधाएं उपलब्ध हैं:

| सेवा का प्रकार | उपलब्ध सुविधाएं एवं विवरण |
|----------------|---------------------------|
|----------------|---------------------------|

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>हवाई यातायात सेवाएं<br/>(Air Traffic Services)</p> | <p>सतह मुवमेंट नियंत्रण, एयरोड्रोम नियंत्रण (Surface Movement Control, Aerodrome Control)</p> <p>प्रक्रियात्मक एप्रोच नियंत्रण, प्रक्रियात्मक एरिया नियंत्रण (Procedural Approach Control, Procedural Area Control)</p> <p>1. वीएचएफ संचार एवं संबद्ध सुविधाएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) टावर नियंत्रण</li> <li>(ख) अप्रोच नियंत्रण</li> <li>(ग) एलएसीसी</li> <li>(घ) यूएएच</li> <li>(ङ) एटीआईएस</li> <li>(च) एसएमसी (प्रगति पर)</li> <li>(छ) डीवीआर</li> </ul> <p>2. वीएचएफ एफएम (वाकी-टॉकी)</p> <p>3. एएमएसएस</p> <p>4. ऑटोमेशन</p> <p>5. एटीएफएम</p> |
| <p>निगरानी सुविधाएं<br/>(Surveillance)</p>            | <p>ए-एसएमजीसीएस, निगरानी आधारित अप्रोच नियंत्रण (A-SMGCS, Surveillance Based Approach Control)</p> <p>(ADS-B, PSR, MSSR का उपयोग करते हुए)</p> <p>निगरानी आधारित क्षेत्र नियंत्रण (ADS-B, PSR, MSSR का उपयोग करते हुए)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. पीएसआर (PSR)</li> <li>2. एएमएसएसआर (MSSR)</li> <li>3. एसएमजीसीएस (ASMGCS)</li> <li>4. एडीएस-बी (ADS-B)</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |

|                                      |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| नेविगेशन सहायता<br>(Navigation Aids) | 1. डीवीओआर (DVOR)<br>2. डीएमई (DME)<br>3. आईएलएस (ILS - CAT-III B) |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

वर्तमान हवाई अड्डे पर निम्नलिखित मापों के साथ टैक्सीवे और एप्रन उपलब्ध हैं :

| टैक्सीवे और एप्रन एरिया का विवरण          |                                              |                      |                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| टैक्सीवे और एप्रन<br>(Taxiways and Apron) | वर्ग मीटर में क्षेत्र<br>(Area in sq meters) | आयाम<br>(Dimensions) | एरिया वर्ग मीटर<br>(Area square meters) |
| टैक्सी ए                                  |                                              | 252 x 23             | 5796                                    |
| टैक्सी बी                                 |                                              | 207 x 23             | 4761                                    |
| टैक्सी सी                                 |                                              | 207 x 23             | 4761                                    |
| टैक्सी डी                                 |                                              | 245 x 23             | 5635                                    |



|                |  |           |        |
|----------------|--|-----------|--------|
| टैक्सी ई       |  | 223 x 23  | 5129   |
| टैक्सी एल      |  | 88 x 23   | 2024   |
| टैक्सी एम      |  | 61 x 23   | 1403   |
| एप्रन (मुख्य)  |  | 745 x 150 | 111750 |
| एप्रन (वीआईपी) |  | 76 x 107  | 8132   |

### टर्मिनल क्षेत्र और काउंटरों की संख्या

| टर्मिनल                | क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)                                                | काउंटरों की संख्या                   |                                |         |         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|
|                        |                                                                          | चेक इन                               | इमिग्रेशन                      | कस्टम्स | सुरक्षा |
| एकीकृत<br>(Integrated) | घरेलू -<br>20,850 वर्ग<br>मीटर<br>अंतर्राष्ट्रीय -<br>8,965 वर्ग<br>मीटर | घरेलू - 17<br>अंतर्राष्ट्रीय -<br>11 | प्रस्थान - 06<br>आगमन -<br>6+4 | 04      | 11      |

टर्मिनल भवन में अन्य यात्री सुविधाओं के विवरण नीचे दिए गए हैं:

### अन्य यात्री सुविधाएं

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| प्रवेश द्वार         |                                                                     |
| घरेलू                | 02 + 01 (स्टाफ गेट)                                                 |
| अंतर्राष्ट्रीय       | 01 + 01 (स्टाफ गेट)                                                 |
| एक्स-रे सामान सुविधा |                                                                     |
| घरेलू                | 05 (04- पंजीकृत सामान और 01- रैंडम एक्स-रे) + 05 हैंड बैगेज एक्स-रे |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अंतर्राष्ट्रीय    | 04 (03- पंजीकृत सामान और 01- रैंडम एक्स-रे) + 02 हैंड बैगेज एक्स-रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| खरीदारी की सुविधा | फूड कोर्ट जिसमें केएफसी, पिज्जा हट आदि जैसे रेस्तरां हैं, इयूटी फ्री शॉप, क्लॉथिंग रिटेल शॉप, जूस और बेवरेज शॉप, पैकड स्वीट शॉप।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| कार/बस पार्किंग   | 312 कार पार्किंग (घरेलू); 100 कार पार्किंग (अंतर्राष्ट्रीय) और 10 बस पार्किंग। 9701 वर्ग मीटर T2 के बाहर और 3232 वर्ग मीटर T1 के बाहर, कुल क्षेत्रफल = 12,933 वर्ग मीटर और ठेकेदार का नाम मैसर्स सुशीला ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन C-15, डॉल्फिन गार्डन BLDG, पूनम सागर कॉम्प्लेक्स मीरा रोड (E), ठाणे - 401107                                                                                                                                                                                         |
| यात्री सुविधाएं   | मनी एक्सचेंज, एटीएम, बैंक, मेडिकल रूम, मुफ्त पैक्स बैगेज ट्रॉली, व्हीलचेयर, डिस्पोजेबल ग्लास के साथ पीने का पानी, पैक्स सूचना और मार्गदर्शन साइनेज, आरक्षित लाउंज, खोया-पाया सामान सुविधा, प्रीपेड टैक्सी, पर्यटक सूचना केंद्र, मनोरंजन टीवी, स्पा, सेल्फ चेक-इन कियोस्क, सीमा शुल्क संग्रह, पे एंड यूज शौचालय, बैगेज रैपिंग, होटल बुकिंग, ऐप आधारित कैब सेवा (ओला), एफएंडबी सुविधाएं, खुदरा दुकानें, स्पा और सैलून, एफआईडीएस, पीए सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम, स्मार्ट फीडबैक सिस्टम, कियोस्क मशीन। |

## भूमि विवरण

परियोजना के लिए भूमि के कब्जे की स्थिति निम्न अनुसार है:

| विवरण                            | इकाई     | मान     |
|----------------------------------|----------|---------|
| हवाई अड्डा क्षेत्र               | एकड़     | 1258.80 |
| प्राधिकरण के स्वामित्व वाली भूमि | हेक्टेयर | 385.25  |

### नोट:

उपरोक्त के अलावा, निम्नलिखित भूमि भी एएआई (AAI), लखनऊ के कब्जे में है (जो एएआई के स्वामित्व में नहीं है):

- i) रक्षा भूमि: 229.15 एकड़ (92.735 हेक्टेयर)
- ii) राज्य सरकार की भूमि (पट्टे पर ली गई): 77.69 एकड़ (31.440 हेक्टेयर)

**अनुलग्नक II**  
**(अनुसूची क)**  
**(खंड 12.2.1 देखें)**

**स्थल के लिए मास्टर प्लान**

1. चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के साथ तालमेल बिठाते हुए, पर्यटन और व्यापारिक बाजारों की सेवा करने वाले एक अत्याधुनिक (state-of-the-art) हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

**2. चरण I विकास**

रियायत अवधि (Concession Period) के दौरान हवाई अड्डे को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का प्रस्ताव है। रियायतग्राही (Concessionaire) इस समझौते में दिए गए सभी चरणों के लिए समय-समय पर हवाई अड्डे के लिए मास्टर प्लान तैयार और अद्यतन करेगा।

रियायतग्राही हवाई अड्डे के चरण I की योजना और विकास इस समझौते में निर्धारित तरीके से करेगा, साथ ही अपनी मांग के अनुमानों के अनुसार सहायक सुविधाओं के साथ-साथ वार्षिक यात्री क्षमता (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) और वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता को भी पूरा करेगा।

**3. आगामी चरणों के दौरान विकास**

क. आगामी चरणों के लिए विकास योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ (inter alia), प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators) की निरंतर उपलब्धि से जुड़ी विशिष्ट पूंजीगत व्यय (capital expenditure) परियोजनाओं को शुरू करने का प्रावधान होगा।

ख. रियायतग्राही मास्टर प्लान में परिभाषित अनुसार, उस चरण के लिए निर्माण कार्य शुरू करने की नियोजित तिथि से कम से कम 3 (तीन) महीने पहले चरण I के बाद के आगामी चरणों के लिए विकास योजना जमा करेगा।

ग. रियायतग्राही पिछले 6 (छह) महीने की अवधि में देखी गई यातायात वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए, किसी भी लेखा वर्ष में हवाई अड्डे पर वास्तविक पीक आवर यात्री यातायात और वार्षिक यात्री

यातायात बनाम हवाई अड्डे की डिजाइन क्षमता के संबंध में समयबद्ध तरीके से चरण 1 के बाद आगामी चरणों के लिए निर्माण कार्य शुरू करेगा।

घ. उपरोक्त आवश्यकताओं का पालन करते हुए, रियायतग्राही किसी भी चरण के लिए अपनी विकास गतिविधियों और निर्माण कार्यों की योजना इस प्रकार बनाएगा कि मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (KPIs), आईएटीए सेवा स्तर - सी (इष्टतम मानक), सुरक्षा आवश्यकताओं और लागू कानूनों के तहत किसी भी अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का कोई उल्लंघन न हो, जिनका हवाई अड्डे के संचालन के लिए पालन करना आवश्यक है।

4. रियायतग्राही निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार इसके साथ प्रदान किए गए परिप्रेक्ष्य योजना (perspective plan) का उपयोग करके मास्टर प्लान तैयार करेगा:

रियायतग्राही के पास समझौते के प्रावधानों के अधीन सुविधाओं की योजना बनाने और डिजाइन करने का लचीलापन है।

मास्टर प्लान डीजीसीए, आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों, और अच्छी उद्योग प्रथाओं द्वारा निर्धारित नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार होगा।

टर्मिनल भवन के लिए सेवा स्तर - आईएटीए सेवा स्तर "सी" (इष्टतम मानक) अनुपालन। टर्मिनल भवन डिजाइन वर्तमान संचालन और मौजूदा बुनियादी ढांचे पर न्यूनतम प्रभाव के साथ वृद्धिशील विस्तार के सक्षम होना चाहिए।

सिटी साइड विकास समझौते और लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार होगा।

रियायतग्राही, ऊपर उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा इस अनुसूची क, अनुसूची ख और अनुसूची ग में दिए गए प्रावधानों के आधार पर मास्टर प्लान तैयार करेगा। मास्टर प्लान में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी:

1. समग्र विकास रणनीति और दर्शन का विवरण;
2. प्रत्येक परियोजना सुविधा के विकास के लिए यातायात पूर्वानुमानों और यातायात ट्रिगर का विवरण, जो यातायात वृद्धि से जुड़े हुए हैं;
3. प्रत्येक चरण में हवाई अड्डा और उसके प्रत्येक परिसर कैसे दिखेंगे, इसका दृष्टिकोण और अवधि के अंत में जब हवाई अड्डा अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुँच जाता है, तब हवाई अड्डे का अंतिम दृष्टिकोण;

4. हवाई अड्डे तथा दृष्टिकोण और टेक-ऑफ क्षेत्रों के लिए बाधा सीमा सतहें;
5. हवाई अड्डे के विकास की चरणबद्ध तरीके से ग्राफिकल प्रस्तुति प्रदान करना;
6. तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरणीय अवधारणाओं और विकल्पों की जांच के माध्यम से प्रस्तावित विकास;
7. ऐसे अन्य मामले जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

चित्र

6. प्रत्येक चरण के लिए विकास योजना (“विकास योजना”) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगी:

क. विकास योजना निम्नलिखित के अनुपालन में होगी:

- i. मास्टर प्लान;
- ii. इसके अनुसूची क, अनुसूची ख और अनुसूची ग में निर्धारित आवश्यकताएं;
- iii. अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के अनुसार;
- iv. नागर विमानन महानिदेशालय, भारत सरकार (DGCA) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश, यह समझौता और अच्छी उद्योग प्रथाओं (Good Industry Practice) के अनुरूप;

ख. विकास योजना में शामिल होंगे:

- i. प्रत्येक चिन्हित परियोजना सुविधाओं के लिए इंजीनियरिंग डिजाइन और रेखाचित्र (ड्राइंग);
- ii. मात्रा और लागत का अनुमान;
- iii. विशिष्टताएं और मानक;
- iv. पूरा होने की समय-सारणी (कमोडिटी/कम्प्लीशन शेड्यूल);
- v. वित्त योजना; और
- vi. कोई अन्य मानदंड, जैसा कि प्राधिकरण या किसी संबंधित सरकारी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

6. रियायतग्राही (Concessionaire) व्यावसायिक संचालन तिथि (COD) से शुरू होकर प्रत्येक 5 (पांच) वर्षों में मास्टर प्लान को अपडेट करेगा।

7. रियायतग्राही एयरोनॉटिकल सेवाओं में सुधार या वृद्धि करने अथवा भीड़भाड़/जाम को कम करने या समाप्त करने के लिए हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से का विस्तार करने हेतु मास्टर प्लान में संशोधन कर सकता है।

8. चरण I के बाद के चरणों का निर्माण समझौते के खंड 12.7 में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।





### अनुलग्नक III

(अनुसूची क)

(खंड 25 देखें)

#### सिटी साइड विकास

व्यावसायिक विकास के लिए उपलब्ध भूमि 110 एकड़ है, जिसका उपयोग आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए किया जा सकता है। सिटी साइड विकास के लिए भू-उपयोग योजना अनुलग्नक II (अनुसूची क) में प्रदान किए गए परिप्रेक्ष्य योजना (Perspective Plan) में दर्शाई गई है।

## अनुलग्नक IV

(अनुसूची क)

(खंड 10.1 देखें)

### पृथक की गई परिसंपत्तियां और क्षेत्र

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थल (Site) और परियोजना परिसंपत्तियों (Project Assets) में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे:

| क्र.सं. | परिसंपत्ति                                                | वर्ग मीटर (लगभग) |
|---------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| 1.      | एटीसी टावर                                                | 8250 Sq.m        |
| 2.      | कार्गो टर्मिनल                                            | 11000 Sq.m       |
| 3.      | स्टेट हैंगर / वीआईपी टर्मिनल और एप्रन                     | 46735 Sq.m       |
| 4.      | मेट्रो - (1899 वर्ग मीटर + 16269 वर्ग मीटर)               | 18168 Sq.m       |
| 5.      | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)                        | 19600 Sq.m       |
| 6.      | प्रशासनिक भवन (मौजूदा) एएआई और डीजीसीए                    | 6056 Sq.m        |
| 7.      | सीएनएस/एटीएम/कर्मचारी आवास के लिए भविष्य की भूमि आवश्यकता | 35525 Sq.m       |

|    |     |                      |
|----|-----|----------------------|
| 8. | कुल | 145334 Sq.m          |
|    |     | (35.91 Acres / एकड़) |

**अनुसूची ख**  
**हवाईअड्डे का विकास**  
(खंड 2.1 देखें)

**1. हवाई अड्डे का विकास:** एक सुविकसित हवाई अड्डे की उपलब्धि को सुगम बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजना दृष्टिकोण, विभिन्न चरणों के लिए अनुमानित भविष्य के यातायात के आधार पर एयरसाइड, टर्मिनल विकास और अन्य सुविधाओं की आवश्यकताओं को स्थापित करना होना चाहिए। योजना अवधि के दौरान प्रासंगिक पूर्वानुमान आंकड़ों पर तकनीकी और सेवा स्तर के मानकों को लागू करने का परिणाम सुविधा आवश्यकताएं होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवाई अड्डे के सीओडी (COD) से रियायत अवधि के अंत तक अनुमानित यातायात मात्रा को समायोजित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियां जो समग्र हवाई अड्डे की क्षमता और उपयोगकर्ताओं के लिए सेवा के स्तर को प्रभावित करती हैं, वे हैं रनवे/टैक्सीवे प्रणाली और यात्री टर्मिनल भवन (और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय विभाजन), साथ ही एप्रन स्टैंड और संपर्क द्वारों (कॉन्टैक्ट गेट्स) की संख्या। हवाई अड्डे का विकास अनुसूची A में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगा।

इसके अलावा, सुविधाओं का समय-समय पर रखरखाव और उन्नयन करने, उपकरणों को बदलने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित निवेश की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हवाई अड्डा बुनियादी ढांचा इस समझौते में निर्धारित सेवा स्तर मानकों को पूरा करते हुए अनुमानित यातायात की जरूरतों को पूरा करता है।

**2. विकास दर्शन:** किसी भी योजना प्रयास का उद्देश्य अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्धारण करना है, जिसमें निकट-अवधि की योजना का उपयोग आवश्यक प्रारंभिक विकास की पहचान करने के साधन के रूप में किया जाता है। हालांकि, यह भी अनिवार्य है कि योजना प्रयास ऐसा विकास शुरू न करें जो हवाई अड्डे के बाद के चरणों को विकसित करने की क्षमता को रोके या महत्वपूर्ण रूप से जटिल बनाए। इसके अतिरिक्त, योजना प्रयास के परिणामस्वरूप एक ऐसी योजना तैयार होनी चाहिए जो लचीली बनी रहे और साथ ही हवाई अड्डे के विशिष्ट तत्वों की क्रमिक वृद्धि के लिए एक समन्वित योजना निश्चित रूप से स्थापित करे।

**सततता**

पर्यावरण संरक्षण स्थल (साइट) के लिए प्रस्तावित सभी कार्यों के लिए विचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। मास्टर प्लान विभिन्न दृष्टिकोणों से इस पर विचार करेगा, जिसमें स्थल के संबंध में समग्र स्थल सततता को ध्यान में रखा जाएगा कि परियोजना स्थल पर कैसी स्थित है, यह स्थल की सीमाओं के भीतर और आसपास के क्षेत्र को कैसे प्रभावित करती है, उदाहरण के लिए, साइट तक परिवहन और वहां रौशनी की व्यवस्था के माध्यम से।

**जल:** जल की मांग को कैसे प्रबंधित किया जाता है, और स्थल पर जल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है?

सतत, स्थल-व्यापी जल रणनीतियों को सबसे पहले भवन उपयोग, सिंचाई और अग्नि सुरक्षा के लिए जल की मांग में कमी को बढ़ावा देना चाहिए। भवन की पानी की मांग को जल-कुशल फिक्स्चर, अर्थात् सिंक और शौचालय प्रदान करके प्रबंधित किया जाना चाहिए। सूखा-सहनशील देशी प्रजातियों के उपयोग से सिंचाई आवश्यकताओं को न्यूनतम किया जाना चाहिए। ऐसी रणनीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो गैर-पेय उपयोगों के लिए ग्रे-वाटर और तूफानी जल (स्टॉर्म-वाटर) के संग्रह को बढ़ावा देती हैं, जिसमें सिंचाई और विमान धोना शामिल है।

**ऊर्जा:** स्थल पर टिकाऊ तरीकों से ऊर्जा कैसे प्रदान की जाती है या पहुंचाई जाती है, और ऊर्जा संचालित करने वाले भवन प्रणालियों को कुशलतापूर्वक कैसे संचालित किया जाता है?

हवाई अड्डे का अंतिम ईपीआई (ऊर्जा प्रदर्शन सूचकांक) समय-समय पर यथा संशोधित उद्योग औसत से कम होगा।

स्थल पर भवनों को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा संवहन प्रणालियों, उपकरणों, विशेष प्रणालियों (जैसे सामान संभालने/बैगोज हैंडलिंग) एवं एचवीएसी लाइटिंग के लिए आवश्यक होता है।

विशेष रूप से एचवीएसी और लाइटिंग लोड को सौर शेडिंग (उदाहरण के लिए सनशेड्स के उपयोग के माध्यम से) और डेलाइटिंग का उपयोग करके कम करने की क्षमता है। इन रणनीतियों को प्रत्येक सहायक भवनों के साथ-साथ पैसेंजर टर्मिनल में भी लागू किया जाना चाहिए। यह उम्मीद की जाती है कि आधुनिक नियंत्रण तकनीकों और ऊर्जा कुशल लाइटिंग से जुड़े सर्वोत्तम प्रदर्शन गुणांक (Coefficient of Performance) के साथ सबसे ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।

**सामग्री/संसाधन** साइट पर कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाता है, निर्माण के दौरान और दैनिक संचालन के दौरान दोनों में, और क्या नई सामग्रियों का चयन और स्थापना टिकाऊ तरीकों से की जाती है?

साइट निर्माण कार्यों, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग और सहायक संरचनाओं पर उपयोग के लिए निर्दिष्ट सामग्रियां होनी चाहिए: कम-विषैकता (low-toxicity), टिकाऊ, कम-रखरखाव (low-maintenance), और पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग (जितना संभव हो अधिकतम सीमा तक)। जहां क्षेत्रीय उत्पाद और सामग्रियां उपलब्ध हैं जो उल्लिखित प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करती हैं, उन उत्पादों के उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए।

**अपशिष्ट प्रबंधन:** साइट पर कचरे का प्रबंधन कैसे किया जाता है?

एक अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति विकसित की जानी चाहिए जो निर्माण कचरे को कम से कम करे, जिससे बदले में साइट से और साइट तक सामग्री और कचरे को ले जाने में खर्च होने वाली परिवहन ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। एक बार सुविधाएं पूरी हो जाने के बाद, यदि संभव हो तो रीसाइक्लिंग और जैविक कचरे की कंपोस्टिंग के प्रचार के माध्यम से, श्रमिकों और यात्रियों द्वारा दैनिक संचालन के दौरान उत्पन्न लैंडफिल कचरे को सीमित करने के लिए एक रणनीति विकसित की जानी चाहिए।

**आंतरिक पर्यावरणीय गुणवत्ता:** क्या स्वच्छ हवा और प्राकृतिक प्रकाश तक रहने वालों की पहुंच को अधिकतम करने के लिए भवन प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है; क्या ध्वन्यात्मक (acoustical) चिंताओं को कम किया गया है?

सभी भवनों को यांत्रिक रूप से वेंटिलेट किया जाएगा और कम-वीओसी (low-VOC) सामग्रियों का चयन इनडोर हवा की उच्च गुणवत्ता को प्रोत्साहित करेगा। भवन के आंतरिक भागों में बाहरी विमानों और

वाहनों के शोर के प्रभाव को कम करने में मदद के लिए विशेष ग्लेज़िंग और अन्य ध्वन्यात्मक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए; यात्रियों और कार्य गतिविधियों द्वारा उत्पन्न इनडोर शोर को नियंत्रित करने के लिए भी इसी तरह के उपाय किए जाने चाहिए।

**निम्नलिखित न्यूनतम साइट स्थिरता लक्ष्यों और उद्देश्यों को संक्षिप्त करता है:**

सड़क और पार्किंग स्थल की कम से कम 25% (पचीस प्रतिशत) लाइटों के लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्रदान करें।

साइट पर उत्पन्न सभी तूफानी जल (storm water runoff) का कम से कम 30% (तीस प्रतिशत) वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting) प्रदान करें। ऐसे पानी का उपयोग एक्विफर (जलभृत) को रिचार्ज करने के लिए या सिंचाई के पानी के रूप में किया जा सकता है।

उपयोगिता सहायता भवनों के लिए सौर ऊर्जा या पुनर्चक्रण योग्य ऊर्जा के अन्य रूपों का उपयोग करें, यानी बिजली उत्पादन के लिए मीथेन गैस।

सभी उपचारित सीवेज पानी का पुनः उपयोग या तो चिलर मेकअप पानी या सिंचाई के पानी के रूप में करें।

साइट पर मौजूद जितने हो सकें उतने मौजूदा पेड़ों को बचाएं और/या वाणिज्यिक विकास क्षेत्रों में उपयोग के लिए उन्हें स्थानांतरित (relocate) करें।

### **3. हवाई अड्डा**

#### **3.1 हवाई अड्डे के विकास में निम्नलिखित शामिल होंगे:**

(i) इस अनुसूची ख में वर्णित और इस अनुसूची ख के अनुलग्नक I (Annex I) में सूचीबद्ध विभिन्न संपत्तियों का निर्माण और खरीद, जैसा कि आवश्यक हो सकता है, जिसमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन, विमान पार्किंग बे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, कार्गो सुविधाएं, पार्किंग, फ्लाइट किचन, एमआरओ (MRO) सुविधाएं, वेयरहाउसिंग सुविधाएं, एयरलाइन कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय एवं संबद्ध सुविधाएं शामिल हैं।

(ii) टर्मिनल भवन और सुविधाओं का निर्माण और खरीद; और

(iii) आवश्यक पहुंच मार्गों (अप्रोच रोड) का निर्माण।

**3.2** हवाई अड्डे का निर्माण रियायतग्राही (Concessionaire) द्वारा मास्टर प्लान और अनुसूची C (Schedule C) में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

#### **4. आरक्षित क्षेत्र**

रियायतग्राही आरक्षित क्षेत्र को चिह्नित करेगा और आवंटित करेगा।

#### **5. सिटी साइड विकास**

**5.1** सिटी साइड विकास अनुसूची क के अनुलग्नक III में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार और उनके अधीन किया जाएगा।

**5.2** सिटी साइड विकास अनुसूची ग में निर्धारित विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप किया जाएगा।



## अनुलग्नक I

(अनुसूची ख)

### परिसंपत्तियों / परियोजना सुविधाओं का विवरण

इस अनुसूची का उद्देश्य हवाई अड्डे पर प्रदान की जाने वाली विभिन्न परियोजना सुविधाओं का व्यापक विवरण और आवश्यकताएं प्रदान करना है। रियायत प्राप्तकर्ता इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार परियोजना सुविधाओं का संचालन, प्रबंधन और विकास करेगा।

#### 1. परिसंपत्तियाँ:

|    |                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क. | एरोड्रोम नियंत्रण सेवाएं                                                                         |
| ख. | एयरफील्ड                                                                                         |
| ग. | एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग                                                                         |
| घ. | रनवे                                                                                             |
| ड. | एप्रन और रोड लाइटिंग                                                                             |
| च. | रैपिड एग्जिट टैक्सीवे सहित टैक्सीवे                                                              |
| छ. | विमान बचाव और अग्निशमन                                                                           |
| ज. | एयरसाइड और लैंडसाइड पहुंच सड़कें और फोरकोर्ट, जिसमें ट्रैफिक सिग्नल, साइनेज और निगरानी शामिल हैं |

|    |                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| झ. | सुरक्षा जांच चौकियां                                                                                                 |
| ज. | प्राधिकृत प्रदाताओं द्वारा विमान ईंधन भरने की सेवाओं के लिए साझा हाइड्रेंट अवसंरचना                                  |
| ट. | एप्रन क्षेत्र                                                                                                        |
| ठ. | एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंड का आवंटन                                                                              |
| ड. | मैन्युवरिंग क्षेत्र                                                                                                  |
| ढ. | एयरफील्ड साइनेज और एयरफील्ड मार्किंग                                                                                 |
| ण. | पक्षियों को भगाना / बर्ड स्केयरिंग                                                                                   |
| त. | कार्गो टर्मिनल                                                                                                       |
| थ. | विमान में ईंधन भरने के लिए इनटू-द-प्लेन सेवाएं                                                                       |
| द. | एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर                                                                                       |
| ध. | स्थल पर निर्मित और संचालित की जाने वाली संबद्ध सुविधाएं जैसे सीवेज संग्रह और रीसाइक्लिंग / जल उपचार / वर्षा जल योजना |
| न. | ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट (GSE) रखरखाव भवन और पार्किंग क्षेत्र                                                       |

|    |                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न. | सामान्य विमानन सेवाएं (वाणिज्यिक हवाई परिवहन सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं के अलावा, जो यात्रियों या कार्गो या दोनों के संयोजन को ले जाती हैं) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- प. हैंडर्स / हैंगर
- फ. उड़ान खानपान सेवाएं
- ब. वाहन पार्किंग
- भ. हवाई अड्डा रखरखाव भवन
- म. हवाई अड्डा रखरखाव भवन हैंगर
- कक. पुलिस स्टेशन और सीमा शुल्क भवन

परिसंपत्तियों की क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार होगी, जैसा कि रियायतग्राही द्वारा मास्टर प्लान के भाग के रूप में इकाओं दस्तावेजों और अनुलग्नकों, डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में अद्यतन किया गया है।

## 2. टर्मिनल भवन का विवरण

टर्मिनल भवन के नियोजन और डिजाइन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। रियायतग्राही को एक एकीकृत टर्मिनल भवन विकसित करना होगा, जो कुशलतापूर्वक नियोजित, चरणबद्ध विकास के लिए लचीला, टिकाऊ और किफायती हो।

### दक्षता

टर्मिनल का संगठन स्पष्ट दिशा-निर्देश (wayfinding) के साथ सीधा और कुशल होना चाहिए। यात्री और सामान की आवाजाही को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रस्थान करने वाले और आने वाले यात्रियों के साथ-साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री भवन के एयरसाइड (airside) में किसी भी बिंदु पर आपस में न मिलें। टर्मिनल भवन को हवाई अड्डे पर आने और जाने वाले सभी यात्रियों के लिए यात्री और सामान के सीधे और कुशल प्रवाह की अनुमति देनी चाहिए।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फाटकों (gates) का वितरण आदर्श रूप से स्विंग क्षमताओं (swing capabilities) की अनुमति देने और टर्मिनल प्रोसेसिंग क्षेत्र से समान दूरी का यात्रा पथ बनाए रखने के लिए व्यवस्थित किया जाना चाहिए। टर्मिनल भवन में एकीकृत लैंडस्केपिंग होनी चाहिए।

### लचीलापन

स्थानों का संगठन और टर्मिनल का संरचनात्मक डिजाइन मॉड्यूलर होना चाहिए जिससे विस्तार में लचीलापन और आसानी हो सके। टर्मिनल प्रोसेसर को सामान का दावा करने वाले हॉल (baggage claim halls) और प्रसंस्करण क्षेत्रों जैसे प्रमुख कार्यों के चरणबद्ध विकास की अनुमति देनी चाहिए।

### **स्थिरता / संधारणीयता**

टर्मिनल के नियोजन और वास्तुकला में टिकाऊ रणनीतियों को एकीकृत किया जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, जैसे कि सौर पैनल, की संभावना तलाश की जानी चाहिए। हरित रणनीतियों, जैसे कि वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting) का उपयोग किया जाना चाहिए। इसकी न्यूनतम GRIHA-4 रेटिंग होनी चाहिए।

### **मितव्ययिता**

नए एकीकृत टर्मिनल का निर्माण लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का उपयोग करके किया जाना चाहिए। इसमें स्थानीय सामग्रियों और संसाधनों के उपयोग को नियोजित किया जाना चाहिए।

### **सुविधाएं**

यात्री टर्मिनल भवन में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित सुविधाएं शामिल होनी चाहिए:

|                                 |
|---------------------------------|
| क. आगमन संगम और मुलाकात क्षेत्र |
|---------------------------------|

|     |                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ख.  | इन-लाइन न्यूनतम सीटी एक्स-रे आधारित सामान प्रणाली (इनमें आउटबाउंड और रिकलेम शामिल हैं)                                                                                      |
| ग.  | पारंपरिक और स्व-सेवा चेक-इन डेस्क के साथ प्रस्थान कॉनकोर्स, जिसमें कॉमन यूजर पैसेंजर प्रोसेसिंग सिस्टम (CUPPS) के अनुकूल सिस्टम और कॉमन यूजर सेल्फ सर्विस (CUSS) शामिल हैं। |
| घ.  | चेक-इन कॉनकोर्स और स्व-सामान ड्रॉप सिस्टम                                                                                                                                   |
| ङ.  | सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई, हीटिंग, लाइटिंग और वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग)                                                                                                  |
| च.  | सीमा शुल्क (कस्टम्स) और आव्रजन (इमिग्रेशन) हॉल                                                                                                                              |
| छ.  | अपवर्जन कक्ष                                                                                                                                                                |
| ज.  | आपातकालीन सेवाएं                                                                                                                                                            |
| झ.  | दिव्यांगों और अन्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुविधाएं                                                                                                                |
| ञ.  | अग्निशमन सेवा (फायर सर्विस)                                                                                                                                                 |
| ट.  | उड़ान सूचना और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली                                                                                                                                      |
| ठ.  | गंदे पानी और सतही जल की निकासी प्रणाली                                                                                                                                      |
| ड.  | मार्गदर्शन प्रणाली और मार्शलिंग                                                                                                                                             |
| ढ.  | सूचना डेस्क                                                                                                                                                                 |
| ण.  | इंटर-टर्मिनल ट्रांजिट सिस्टम (टर्मिनलों के बीच आवाजाही प्रणाली)                                                                                                             |
| त.  | लिफ्ट, एस्केलेटर और यात्री कन्वेयर                                                                                                                                          |
| थ.  | लोडिंग ब्रिज (एरोब्रिज)                                                                                                                                                     |
| द.  | खोया-पाया सामान                                                                                                                                                             |
| ध.  | यात्री और हाथ के सामान की जांच/तलाशी                                                                                                                                        |
| न.  | पुलिसिंग और सामान्य सुरक्षा, जिसमें सीसीटीवी प्रणाली और संबंधित सुरक्षा उपकरण शामिल हैं                                                                                     |
| नं. | प्रार्थना कक्ष                                                                                                                                                              |
| प.  | साइनबोर्ड / संकेत चिह्न                                                                                                                                                     |
| फ.  | शौचालय और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कमरे                                                                                                                             |

|    |                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ब. | अपशिष्ट और कचरा उपचार तथा निपटान                          |
| भ. | केबिन सामान (कैरी-ऑन) और चेक-इन सामान के लिए एक्स-रे सेवा |
| म. | वीआईपी / विशेष लाउंज / समारोह लाउंज / शहीद मंच            |
| य. | एयरलाइन लाउंज                                             |
| र. | टर्मिनल भवन में अल्पाहार/जलपान सुविधाएं;                  |
| र. | टूर ऑपरेटरों और ट्रेवल एजेंटों के लिए सुविधाएं;           |

खख. टैक्सी और परिवहन किराए पर लेने की सुविधाएं;

गग. बैंक और विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधाएं;

घघ. सार्वजनिक पहुंच टेलीफोन;

डड. वृक्षारोपण और भूनिर्माण (लैंडस्केपिंग);

चच. पोर्टर/कुली सेवा;

छछ. डाक सेवाएं;

जज. हवाई अड्डा कार्यालय

**टर्मिनल भवन के फिनिश और अन्य लेआउट तत्वों में न्यूनतम रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:**

- i. टर्मिनल भवन के उपयुक्त क्षेत्रों में पूर्ण वातानुकूलन (एयर कंडीशनिंग);
- ii. टर्मिनल में इष्टतम लेआउट और फिनिश के साथ विश्राम गृह (कंफर्ट रूम्स) जो जल संरक्षण उपकरणों आदि के उपयोग पर जोर देते हैं;
- iii. टर्मिनल में इष्टतम लेआउट के साथ एस्केलेटर;
- iv. टर्मिनल में इष्टतम लेआउट के साथ लिफ्ट (एलिवेटर);
- v. उपयुक्त क्षमता वाले सार्वजनिक बैठने के क्षेत्र;
- vi. यात्री टर्मिनलों में पर्याप्त संख्या में स्क्रीन और फ्लैट पैनल बोर्ड के साथ सार्वजनिक उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (FID System); और
- vii. सूचनात्मक, दिशात्मक और आपातकालीन संबंधित संकेत (साइनेज)।

**हवाई अड्डा आईसीटी (ICT) प्रणाली में शामिल होना चाहिए:**

- i. वायरलेस सहित डेटा संचार नेटवर्क;
- ii. एयरपोर्ट ऑपरेशंस डेटाबेस (AODB) सहित एयरपोर्ट सूचना प्रबंधन प्रणाली;
- iii. सामान समाधान (बैगेज रीकॉन्सिलिएशन) प्रणाली;



- iv. नई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (ICTs) को एकीकृत करने की क्षमता वाले एयरपोर्ट और एयरलाइन सिस्टम;
- v. सूचना कियोस्क;
- vi. सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पब्लिक एड्रेस सिस्टम); और
- vii. हवाई अड्डे की निगरानी के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन सुरक्षा प्रणाली;
- viii. स्वचालित ट्रे पुनर्प्राप्ति प्रणाली

**रियायतग्राही एक सुरक्षित और कुशल हवाई अड्डा बैगेज हैंडलिंग सिस्टम प्रदान करेगा और बनाए रखेगा, जिसमें शामिल हैं:**

- i. इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली, जो सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए सभी चेक-इन सामान की 100% (एक सौ प्रतिशत) सुरक्षा जाँच प्रदान करती है, जो इकाओ एनेक्स 17 एसएआरपी (मानक और अनुशंसित अभ्यास) की न्यूनतम आवश्यकताओं और हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रदान करने या उसकी देखरेख करने के लिए ज़िम्मेदार संबंधित सरकारी एजेंसी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, बशर्ते टर्मिनल में कोई स्थान संबंधी बाधाएँ (यदि कोई हों) न हों।

ii. चेक-इन और आने वाले, ट्रांसफर और बड़े आकार (आउटसाइज़्ड) के सामान (सामान/सामान की हैंडलिंग) का प्रबंधन;

iii. सामान का दावा (बैगेज क्लेम) की सुविधाएं; और

iv. खोए हुए सामान की हैंडलिंग और भंडारण।

यह स्पष्ट किया जाता है कि, जहां वर्तमान में हवाई अड्डे पर इन-लाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम (In-Line Baggage Screening System) मौजूद नहीं है, वहां रियायतग्राही मौजूदा टर्मिनल भवन में ऐसी प्रणाली प्रदान करने का हकदार होगा, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं होगा। यह और भी स्पष्ट किया जाता है कि, नए टर्मिनल भवन के निर्माण की स्थिति में, इसके संबंध में एक इन-LINE बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम प्रदान किया जाएगा।

टर्मिनल भवन की क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना के अनुसार होगी, जैसा कि रियायतग्राही द्वारा मास्टर प्लान के हिस्से के रूप में आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों, डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाओं और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुपालन में अद्यतन किया गया है।

### 3. विशिष्टताएं और मानक

सभी संपत्तियां (टर्मिनल भवन सहित) अनुसूची ग में निर्दिष्ट विशिष्टताओं और मानकों के अनुरूप होंगी।

**अनुसूची ग**  
**विशिष्टताएं और मानक**  
(खंड 2.1 देखें )

**हवाई अड्डा**

रियायतग्राही (Concessionaire) हवाई अड्डे पर उसके द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले निर्माण कार्य (लेकिन इस समझौते के खंड 6.4.5 में संदर्भित प्रगतिधीन कार्यों को छोड़कर) के लिए इस अनुसूची C में निर्धारित विशिष्टताओं और मानकों का पालन करेगा।

**1. अनिवार्य मानक और आवश्यकताएं**

रियायतग्राही निम्नलिखित (समय-समय पर यथा अद्यतन) में निर्दिष्ट निर्माण मानकों और अन्य आवश्यकताओं का पालन करेगा:

(क) धारा 4, श्रृंखला बी (भाग I), नागर विमानन अपेक्षाएं, एयरोड्रोम मानक और हवाई यातायात सेवाएं (नवंबर 2009);

(ख) डीजीसीए नागर विमानन अपेक्षाएं धारा 4 - एयरोड्रोम मानक और हवाई यातायात सेवाएं; एयरोड्रोम लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में श्रृंखला 'एफ' भाग I;

(ग) आईसीएओ - अंतर्राष्ट्रीय मानक और अनुशंसित अभ्यास, एयरोड्रोम, जिन्हें संदर्भित किया जाना है उनमें निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- i. इकाओ एनेक्स 9 - सुविधा;
- ii. इकाओ एनेक्स 12 - खोज और बचाव;
- iii. इकाओ एनेक्स 14 - एयरोड्रोम डिजाइन और संचालन;
- iv. इकाओ एनेक्स 15 - वैमानिक सूचना सेवाएं;
- v. इकाओ एनेक्स 16 - पर्यावरण संरक्षण;
- vi. इकाओ एनेक्स 17 - सुरक्षा;

vii. इकाओ एनेक्स 18 - वायु द्वारा खतरनाक सामानों का सुरक्षित परिवहन;

(घ) इकाओ एयरोड्रोम डिजाइन मैनुअल;

(ङ) इकाओ एयरपोर्ट सर्विसेज मैनुअल;

(च) इकाओ एयरपोर्ट प्लानिंग मैनुअल (डीओसी 9184-AN/902);

(छ) यथा लागू कोई अन्य इकाओ मैनुअल और मानक;

(ज) यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन एयरपोर्ट टर्मिनल भवनों, ईंधन भरने वाले रैंप जल निकासी और लोडिंग वॉकवे पर मानक;

(झ) इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एयरपोर्ट डेवलपमेंट रेफरेंस मैनुअल, 10वां संस्करण, मार्च 2014;

(ञ) एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के एप्रन मार्किंग्स एंड साइंस हैंडबुक की सिफारिशें;

(ट) भारत का राष्ट्रीय भवन कोड, 2016;

(ठ) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित प्रासंगिक भारतीय मानक कोड;

(ड) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, 2007 (समय-समय पर संशोधित)।

(ण) वैधानिक एजेंसी आवश्यकताएं, जिनमें डीजीसीए (DGCA), नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security), रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defense), सीमा शुल्क और आव्रजन अधिकारी (Customs and Immigration authorities), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forests and Climate Change), प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) शामिल हैं;

(त) ईएन मानक;

(थ) लागू कानून;

(द) ऊपर सूचीबद्ध न किए गए कोई भी अन्य लागू मैनुअल, मानक, विशिष्टताएं, दिशानिर्देश।

यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में, डीजीसीए की आवश्यकताएं और मानक, आईएटीए या आईसीएओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के किसी भी मानक और आवश्यकताओं पर प्रभावी होंगे।

## अनुसूची घ

### संकेतात्मक लागू परमिट

(खंड 4.1.3 देखें)

रियायतग्राही प्रासंगिक गतिविधि शुरू करने से पहले, आवश्यकताओं के अधीन, निम्नलिखित लागू परमिट प्राप्त करेगा:

- क. खदान से बोल्टर/पत्थर निष्कर्षण के लिए राज्य सरकार से अनुमति;
- ख. क्रशर (crushers) की स्थापना के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति;
- ग. विस्फोटकों (explosives) के उपयोग के लिए लाइसेंस;
- घ. विभिन्न श्रेणियों के पेट्रोलियम के भंडारण, उपयोग और परिवहन के लिए लाइसेंस;
- ङ. नदी/जलाशय (river/reservoir) से पानी खींचने के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- च. बैचिंग प्लांट (Batching Plant) स्थापित करने के लिए कारखानों के निरीक्षक (Inspector of factories) या अन्य सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस;
- छ. बैचिंग प्लांट स्थापित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति/स्वीकृति (Clearance);
- ज. डामर संयंत्र (Asphalt Plant) के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति;
- झ. डीजल जनरेटर सेट (diesel generator sets) की स्थापना के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति;
- ञ. टर्मिनल भवन, कार्गो परिसर (cargo complex), विमान ईंधन भरने और अन्य संरचनाओं जैसे अग्नि (fire), बीसीएस (BCAS), पेट्रोलियम आदि के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक स्वीकृतियां;
- ट. पेड़ों की कटाई के लिए राज्य सरकार की अनुमति;
- ठ. लागू कानूनों के तहत आवश्यक कोई अन्य अनुमति या स्वीकृति;
- ड. हवाई अड्डे के लिए सीएनएस/एटीएम (CNS/ATM) संचालन के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airport Authority of India) के साथ समझौता;
- ढ. कार्गो संचालन के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) से स्वीकृतियां; और

ण. यदि कोई विदेशी मालिक/भागीदार (foreign proprietor/partner) शामिल है, तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृतियां।

## अनुसूची ड

### कार्यान्वयन सुरक्षा (परफॉरमेंस सिक्योरिटी)

(खंड 9.1 देखें)

[उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है]

#### भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

राजीव गांधी भवन,  
सफदरजंग हवाई अड्डा,  
नई दिल्ली - 110003,  
भारत

#### जबकि:

क. [•] ("रियायतग्राही") और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने दिनांक [•] को एक रियायत समझौते ("समझौता" / Agreement) में प्रवेश किया है, जिसके तहत प्राधिकरण ने रियायतग्राही को इसके प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार [राज्य का नाम जहाँ हवाई अड्डा स्थित है] राज्य में [हवाई अड्डे का नाम दर्ज करें] के संचालन, प्रबंधन और विकास को करने के लिए अधिकृत किया है।

ख. समझौते के अनुसार रियायतग्राही को समझौते के तहत और उसके अनुसार अपने दायित्वों के उचित और निष्ठापूर्वक पालन की सुरक्षा के रूप में प्राधिकरण को रु. [•] (रुपये [•] करोड़) ("गारंटी राशि") की कार्यान्वयन सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ग. हम, [•] अपनी शाखा [•] के माध्यम से ("बैंक") कार्यान्वयन सुरक्षा की शर्तों के तहत कार्यान्वयन सुरक्षा के रूप में यह बैंक गारंटी ("गारंटी" / Guarantee) प्रस्तुत करने के लिए सहमत हुए हैं।

अतः अब, बैंक इसके द्वारा बिना किसी शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से निम्नलिखित की गारंटी और पुष्टि करता है:

1. बैंक इसके द्वारा बिना किसी शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से गारंटी देता है और प्राधिकरण को भुगतान करने का वचन देता है, रियायतग्राही द्वारा समझौते के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार अपने सभी या किसी भी दायित्व के उचित और निष्ठापूर्वक पालन में किसी भी विफलता या चूक की स्थिति में, उसकी पहली लिखित मांग पर, और बिना किसी आपत्ति, आरक्षण, सहारा, विवाद या विरोध



के, और रियायतग्राही को संदर्भित किए बिना, ऐसी राशि या राशियाँ जो गारंटी राशि की कुल राशि तक हों, जैसा कि प्राधिकरण मांग करेगा, बिना प्राधिकरण को अपनी मांग के लिए कारण या आधार साबित करने या दिखाने की आवश्यकता के।

2. प्राधिकरण की ओर से, [•] के पद से नीचे न होने वाले किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत एक पत्र, कि रियायतग्राही से एक राशि देय और बकाया है, या रियायतग्राही ने समझौते के तहत अपने दायित्वों के उचित और निष्ठापूर्वक पालन में चूक की है, बैंक के लिए निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी होगा। बैंक आगे सहमति व्यक्त करता है कि प्राधिकरण ही इस बात का एकमात्र निर्णायक होगा कि क्या रियायतग्राही समझौते के तहत अपने दायित्वों के पालन में चूक कर रहा है और इस संबंध में उसका निर्णय बैंक पर अंतिम और बाध्यकारी होगा, भले ही प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच कोई भी मतभेद हो, या किसी अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के समक्ष कोई विवाद लंबित हो, या किसी भी कारण से रियायतग्राही को मुक्त कर दिया गया हो।

3. इस गारंटी को प्रभावी करने के लिए, प्राधिकरण इस तरह से कार्य करने का हकदार होगा मानो बैंक मुख्य देनदार (Principal Debtor) हो और रियायतग्राही और/या बैंक के गठन में कोई भी परिवर्तन, चाहे वह किसी अन्य निकाय या निगम के साथ विलय के माध्यम से हो या अन्यथा, इस गारंटी के तहत बैंक के दायित्व या देयता को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा।

4. प्राधिकरण के लिए इस गारंटी के तहत बैंक के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले रियायतग्राही (Concessionaire) के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक नहीं होगा, और बैंक एतद्वारा ऐसी किसी भी आवश्यकता का त्याग करता है।

5. प्राधिकरण को यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह इस गारंटी के तहत बैंक के किसी भी दायित्व को प्रभावित किए बिना, किसी भी समय, समझौते के नियमों और शर्तों को बदल सकता है या समझौते में निहित रियायतग्राही के सभी या किसी भी दायित्व के पालन, पूर्ति और/या प्रदर्शन के लिए समय या अवधि को बढ़ा सकता है या किसी भी समय और समय-समय पर समझौते में निहित किसी भी नियम और शर्त को लागू करने या लागू करने से परहेज करने का अधिकार रखता है और/या प्राधिकरण को उपलब्ध प्रतिभूतियों का उपयोग कर सकता है, और बैंक को पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा दी गई स्वतंत्रता के कारण या रियायतग्राही को समय दिए जाने या प्राधिकरण की ओर से किसी अन्य सहनशीलता, छूट, कार्य या चूक या किसी अन्य मामले या चीज के कारण अपने दायित्व और दायित्वों से मुक्त नहीं किया जाएगा, जो जमानतदारों और गारंटर्स से संबंधित किसी भी कानून के तहत बैंक को इसके दायित्वों से मुक्त करने का प्रभाव रखता हो, और बैंक एतद्वारा ऐसे किसी भी कानून के तहत अपने सभी अधिकारों का त्याग करता है।

6. यह गारंटी किसी भी अन्य गारंटी या सुरक्षा के अतिरिक्त है और न कि उसके स्थान पर है, जो प्राधिकरण द्वारा समझौते के संबंध में या उससे संबंधित वर्तमान में रखी गई है या इसके बाद रखी जा सकती है या समझौते के तहत रियायतग्राही के सभी या किसी भी दायित्व के पालन, पूर्ति और/या प्रदर्शन के लिए रखी जा सकती है।

7. इसमें पहले निहित किसी भी बात के बावजूद, इस गारंटी के तहत बैंक का दायित्व गारंटी राशि तक सीमित है और यह गारंटी समझौते में निर्धारित अवधि के लिए लागू रहेगी, और जब तक प्राधिकरण द्वारा बैंक से लिखित रूप में कोई मांग या दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, जो इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से 3 (तीन) महीने बाद से अधिक न हो, इस गारंटी के तहत प्राधिकरण के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और बैंक को इसके तहत अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

8. परफॉर्मंस सिक्योरिटी (Performance Security) समझौते में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद और उसके बाद 3 (तीन) महीने की दावा अवधि तक प्रभावी रहेगी। परफॉर्मंस सिक्योरिटी को जारी करने के लिए रियायतग्राही द्वारा लिखित रूप में अनुरोध किए जाने पर, और रियायतग्राही के वैधानिक लेखापरीक्षक (Statutory Auditor) द्वारा विधिवत प्रमाणित आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने पर,

प्राधिकरण इस गारंटी की समाप्ति की तारीख से 3 (तीन) महीने की अवधि के बाद तुरंत परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जारी करेगा।

9. बैंक इस गारंटी की अवधि के दौरान इसे रद्द न करने का वचन देता है, केवल प्राधिकरण की पूर्व व्यक्ति सहमति के बिना, और यह घोषणा करता है और वारंटी देता है कि उसके पास बैंक की ओर से ऐसा करने की पूरी शक्ति है।

10. अनुरोध, मांग या अन्यथा इस गारंटी के तहत कोई भी नोटिस पोस्ट द्वारा बैंक को उसकी ऊपर उल्लिखित शाखा के पते पर भेजा जा सकता है, जिसे इस तरह के नोटिस प्राप्त करने और उसके तत्काल भुगतान को प्रभावी बनाने के लिए विधिवत अधिकृत माना जाएगा, और यदि पोस्ट द्वारा भेजा जाता है तो इसे उस समय दिया गया माना जाएगा जब इसे डाक के माध्यम से सामान्य क्रम में वितरित किया जाना चाहिए था और ऐसे नोटिस को साबित करने में, जब पोस्ट द्वारा दिया गया हो, यह साबित करना पर्याप्त होगा कि नोटिस वाले लिफाफे को पोस्ट किया गया था और प्राधिकरण के एक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र कि लिफाफा इस प्रकार पोस्ट किया गया था, निर्णायक होगा।

आज दिनांक [•] को [•] में [•], 20[•] को हस्ताक्षरित और सील किया गया | हस्ताक्षरित, सील किया गया और सौंपा गया

बैंक की ओर से और उसके लिए:

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(कोड संख्या) /

(पता)

**नोट):**

(क) बैंक गारंटी में गारंटी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी (अधिकारियों) का नाम, पदनाम और कोड संख्या होनी चाहिए।

(ख) बैंक के प्रधान कार्यालय (Head Office) और जारीकर्ता शाखा का पता, टेलीफोन नंबर और अन्य विवरण जारीकर्ता शाखा के कवरिंग लेटर पर उल्लिखित होना चाहिए।

## अनुसूची च

### चरण पूरा करने की समय-सारणी

(खंड 12.5.2 देखें)

#### 1. चरण पूरा करने की समय-सारणी

1.1 विकास अवधि (Development Period) के दौरान, रियायतग्राही (Concessionaire) प्रत्येक चरण के महत्वपूर्ण पड़ाव (Phase Milestones) के लिए इस अनुसूची F में निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

1.2 प्रत्येक चरण के संबंध में महत्वपूर्ण पड़ाव और निर्धारित समापन तिथि (Scheduled Completion Date) रियायतग्राही द्वारा ऐसे प्रत्येक चरण के निर्माण कार्यों (Construction Works) के प्रारंभ से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले स्वतंत्र इंजीनियर (Independent Engineer) के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

1.3 रियायतग्राही विकास अवधि के दौरान किए जाने वाले संपूर्ण निर्माण कार्यों को मापने योग्य समय इकाई (दिन/सप्ताह/महीने/वर्ष) में विभाजित करेगा ("चरण पूरा करने की समय-सारणी") और इसे विकास अवधि के दौरान पूरी की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों से जोड़ेगा। इन प्रमुख गतिविधियों को विभिन्न कार्यों में उप-विभाजित किया जा सकता है और प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए समयावधि परिभाषित की जाएगी।

1.4 समयावधि के साथ निर्माण कार्यों का विवरण बार चार्ट या किसी उपयुक्त आरेख के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो कार्यों और गतिविधियों के बीच संबंधों तथा अंतर-निर्भरता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

1.5 रियायतग्राही, विकास योजना के एक भाग के रूप में, प्रत्येक चरण के संबंध में प्राधिकरण (Authority) को चरण पूरा करने की समय-सारणी प्रस्तुत करेगा।

#### 2. चरण के महत्वपूर्ण पड़ाव

रियायतग्राही परियोजना के प्रत्येक चरण के लिए निर्माण कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के संदर्भ में पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण पड़ाव ("फेज माइलस्टोन") की पहचान करेगा, जिन्हें प्रत्येक चरण

के लिए निर्धारित समापन तिथि पर या उससे पहले पूरा किया जाना है। रियायतग्राही प्रत्येक चरण के संबंध में प्राधिकरण को चरण पूरा करने की समय-सारणी प्रदान करेगा।

### **3. निर्धारित समापन तिथि से पूर्व समाप्ति**

चरण 1 की निर्धारित समापन तिथि को या उससे पहले, रियायतग्राही इस समझौते के अनुसार हवाई अड्डे के चरण 1 का कार्य पूरा कर लेगा।

### **4. अवधि का विस्तार**

जैसा भी मामला हो, इस समझौते के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार किसी भी या सभी चरण के मील के पत्थरों या निर्धारित समापन तिथि के विस्तार पर, चरण पूरा करने की समय-सारणी को तदनुसार संशोधित माना जाएगा।

## अनुसूची छ

### परीक्षण

(खंड 14.1.2 देखें)

#### 1 परीक्षणों के लिए अनुसूची

1.1. रियायतग्राही, हवाई अड्डे के संबंधित चरण के संभावित समापन से 90 (नब्बे) दिनों से बाद नहीं, स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकरण को परीक्षणों के अधीन करने के अपने इरादे को सूचित करेगा, और ऐसे नोटिस की वास्तविक तिथि से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले, स्वतंत्र इंजीनियर और प्राधिकरण को हवाई अड्डे का हिस्सा बनने वाले सभी कार्यों और उपकरणों की विस्तृत सूची और विवरण प्रस्तुत करेगा।

1.2. रियायतग्राही ऐसे नोटिस की तारीख से 7 (सात) दिनों के बाद किसी भी समय परीक्षणों के लिए हवाई अड्डे के संबंधित चरण को प्रस्तुत करने के लिए अपनी तत्परता की सूचना स्वतंत्र इंजीनियर को देगा, और ऐसा नोटिस प्राप्त होने पर, स्वतंत्र इंजीनियर, रियायतग्राही के परामर्श से, प्रत्येक परीक्षण की तिथि और समय निर्धारित करेगा और प्राधिकरण को सूचित करेगा, जो परीक्षणों का गवाह बनने के लिए अपना प्रतिनिधि नामित कर सकता है। इसके बाद रियायतग्राही अनुच्छेद 14 और इस अनुसूची जी के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर की उपस्थिति में परीक्षण आयोजित करेगा।

#### 2 परीक्षण

इस समझौते के खंड 14.1.2 के प्रावधानों के अनुपालन में, रियायतग्राही, स्वतंत्र इंजीनियर की उपस्थिति में, निम्नलिखित परीक्षण आयोजित करेगा:

##### 2.1 दृश्य और भौतिक परीक्षण:

2.1.1 यह निर्धारित करने के लिए कि इसका हिस्सा बनने वाले सभी कार्य और उपकरण इस समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हैं, रियायतग्राही हवाई अड्डे की दृश्य और भौतिक जांच करेगा।

2.1.2 रनवे, टैक्सीवे, एप्रन (apron), एटीसी सुविधा और टर्मिनल भवन को पूर्ण निर्मित संरचनाओं या उनके हिस्से का गैर-विनाशकारी परीक्षण दिया जाएगा, जो (IS-13311) में वर्णित प्रक्रिया, प्रासंगिक

आईसीएओ) दस्तावेजों और अनुबंधों और डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

## **2.2 उपकरणों के लिए परीक्षण:**

रियायतग्राही विशिष्टताओं और मानकों और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ सभी उपकरणों के अनुपालन को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) दस्तावेजों और अनुबंधों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार परीक्षण आयोजित करेगा।

**2.3 परिचालन तत्परता के लिए परीक्षण:** रियायतग्राही विनिर्देश और मानकों, रखरखाव आवश्यकताओं, प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) दस्तावेजों और अनुबंधों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों और सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ हवाई अड्डे का अनुपालन निर्धारित करने के लिए, वैमानिकी परिसंपत्तियों (Aeronautical Assets), टर्मिनल भवन और गैर-वैमानिकी परिसंपत्तियों सहित हवाई अड्डे का परीक्षण संचालन (trial run) आयोजित करेगा।

**2.4 पर्यावरणीय लेखापरीक्षा:** रियायतग्राही लागू कानूनों और लागू अनुमतियों में निर्धारित पर्यावरणीय आवश्यकताओं के साथ हवाई अड्डे की अनुरूपता निर्धारित करने के लिए एक जांच करेगा।



## **2.5 अन्य अनिवार्य परीक्षण:**

रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा और प्राप्त करेगा कि डीजीसीए (DGCA) द्वारा हवाई अड्डे के लाइसेंस की स्वीकृति के लिए लागू कानूनों (Applicable Laws) के अनुसार आवश्यक सभी वैधानिक परीक्षण सीओडी (COD) से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले आयोजित और पूरे किए जाएं।

## **3 परीक्षण आयोजित करने वाली एजेंसी:**

इस अनुसूची छ में निर्धारित सभी परीक्षण रियायतग्राही द्वारा या ऐसी अन्य एजेंसी या व्यक्ति द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जैसा कि वह प्राधिकरण के परामर्श से निर्दिष्ट कर सकता है, जो स्वतंत्र इंजीनियर और/या प्राधिकरण की उपस्थिति में होगा।

## **4 सुरक्षा प्रमाणन के लिए परीक्षण:**

सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ हवाई अड्डे की अनुरूपता निर्धारित करने के लिए परीक्षण अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार और लागू कानूनों एवं लागू परमिटों के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे।

## **5 समापन/अनंतिम रिपोर्ट:**

परीक्षणों के सफल समापन पर, स्वतंत्र इंजीनियर अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अनुसार, मामला जो भी हो, समापन या अनंतिम समापन के संबंध में प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

## **6 निर्माण के दौरान परीक्षण:**

इस अनुसूची छ के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्माण कार्यों के निष्पादन के दौरान परीक्षण क्लॉज 13.3.1 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे।

**अनुसूची ज**  
**सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं**  
(खंड 23.1.1 देखें)

**1. सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं**

रियायतग्राही, व्यावसायिक संचालन तिथि से 1 (एक) वर्ष की तिथि से प्रारंभ करते हुए, हर समय इस अनुसूची ज के अनुलग्नक I में निर्धारित सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं को प्राप्त करना और सुनिश्चित करना सुनिश्चित करेगा।

**2. मासिक अनुपालन रिपोर्ट**

रियायतग्राही प्रत्येक कैलेंडर माह की समाप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, सेवा गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

**3. अनुसूची ज का प्रदर्शन**

रियायतग्राही टर्मिनल भवन में शिकायत रजिस्टर के साथ इस अनुसूची ज की एक प्रति प्रदर्शित करेगा, जैसा कि अनुच्छेद 43 में निर्धारित है।

**अनुबंध I**  
**(अनुसूची ज)**

**सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं**

1 रियायतग्राही, वाणिज्यिक संचालन तिथि से 1 (एक) वर्ष की तिथि से प्रारंभ करते हुए, हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डे पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस अनुसूची H के अनुबंध I में निर्दिष्ट मुख्य प्रदर्शन सूचकों ("सेवा गुणवत्ता आवश्यकताएं") के अनुरूप हों।

**1.1 सेवा मापदंडों और मानकों की उद्देश्यपरक गुणवत्ता**

| क्र. सं. | प्रदर्शन सूचक              | प्रदर्शन माप                                                                                                        | न्यूनतम प्रदर्शन मानक                                  | मापन तंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मापन आवृत्ति                                                          | Critical |
|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1        | कार पार्किंग (Car Parking) | a) पार्किंग स्थान खोजने में लगा औसत समय, जिसमें पार्किंग शुल्क के भुगतान या टिकट प्राप्त करने में लगा समय शामिल है। | a) 95% चालकों (ड्राइवर्स) को 5 मिनट से कम समय लगता है। | ग्राहकों की वह संख्या जहां औसत कतार (क्वींग) समय निर्धारित मानक के अनुसार कतार में कुल ग्राहकों के प्रतिशत के रूप में है।<br><br>कार पार्किंग कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय की गणना यात्री के कतार में शामिल होने के समय से लेकर कार पार्क में पार्किंग स्थान मिलने के समय तक की जाएगी, तथा इसकी गणना इस अनुबंध के पैरा 1.2.b | प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित (Based on Performance Measurement Plan) | a)No     |

|  |  |                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
|  |  |                                                                                                              |                                                        | में निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी।                                                                                                                                                                                                    |  |      |
|  |  | b) पार्किंग स्लोट से एग्जिट (निकास) गेट तक का औसत समय, जिसमें पार्किंग शुल्क के भुगतान में लगा समय शामिल है। | b) 95% चालकों (ड्राइवर्स) को 5 मिनट से कम समय लगता है। | कार पार्क से बाहर निकलने वाले यात्रियों के लिए औसत कतार समय की गणना यात्री द्वारा पार्किंग स्थान छोड़ने के समय से लेकर एग्जिट गेट छोड़ने के समय तक की जाएगी, तथा इसकी गणना इस अनुबंध के पैरा 1.2.b में निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी। |  | b)No |

| क्र. सं. | प्रदर्शन संकेतक (Performance Indicator) | प्रदर्शन मापदंड (Performance Measure) | न्यूनतम प्रदर्शन मानक (Minimum Performance Standard) | मापन तंत्र (Measurement Mechanism) | मापन आवृत्ति (Measurement Frequency) | महत्वपूर्ण (Critical - Yes/No) |
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

|   |                                  |                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                |              |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2 | सुरक्षा जांच<br>(Security Check) | कतार में प्रतीक्षा समय<br>(Waiting time in queue) | पीक आवर्स (व्यस्त समय) के 95% यात्री 5 मिनट से कम समय प्रतीक्षा करते हैं                                                                    | <p>ग्राहकों की संख्या जहाँ औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है, कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में।</p> <p>सुरक्षा कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय की गणना यात्री के कतार में शामिल होने के समय से लेकर प्रोसेसिंग काउंटर तक पहुँचने के समय तक की जाएगी और इसकी गणना इस अनुबंध के पैरा 1.2.b के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।</p> | अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर | हाँ<br>(Yes) |
| 3 | चेक-इन<br>(Check-in)             | कतार में प्रतीक्षा समय<br>(Waiting time in queue) | <p>a) बिजनेस क्लास के 95% यात्री 5 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं</p> <p>b) इकोनॉमी क्लास के 95% यात्री 20 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं</p> | <p>यात्रियों की संख्या जहाँ औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है, कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में।</p> <p>चेक-इन कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय की गणना यात्री के कतार में शामिल होने के समय से लेकर प्रोसेसिंग काउंटर/डेस्क तक पहुँचने के समय तक की</p>                                                                                  | अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्रियों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर | हाँ<br>(Yes) |

|   |                                                 |                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |           |
|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|   |                                                 |                                                                             |                                                                                                        | जाएगी और इसकी गणना इस अनुबंध के पैरा 1.2.b के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी।                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |           |
| 4 | इमिग्रेशन (Immigration)                         | कतार में प्रतीक्षा समय (Waiting time in queue)                              | a) 95% यात्री 10 मिनट से कम प्रतीक्षा करते हैं                                                         | यात्रियों की संख्या जहाँ औसत कतार समय निर्धारित मानक के भीतर है, कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में।<br><br>इमिग्रेशन कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय की गणना यात्री के कतार में शामिल होने के समय से लेकर प्रोसेसिंग काउंटर तक पहुँचने के समय तक की जाएगी और इसकी गणना इस अनुबंध के पैरा 1.2.b के तहत निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार की जाएगी। | प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर                           | हाँ (Yes) |
| 5 | सामान वितरण - घरेलू (Baggage delivery domestic) | विमान आगमन से सामान वितरण में लगा समय (Time taken for baggage delivery from | a) पहला सामान विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय से 10 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर पहुंचेगा, और<br>b) कोड C विमान | विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय से बैगेज बेल्ट पर पहले बैग के वितरण में लगा अधिकतम समय।<br><br>विमान के ऑन-ब्लॉक्स समय से बैगेज बेल्ट पर अंतिम बैग के वितरण में लगा                                                                                                                                                                                                  | सभी घरेलू उड़ानों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना के आधार पर | हाँ (Yes) |

|   |                                                 |                                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |           |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                                                 | aircraft arrival)               | के लिए अंतिम सामान 30 मिनट के भीतर तथा कोड E विमान के लिए ऑन-ब्लॉक्स समय से 45 मिनट के भीतर बैगेज बेल्ट पर पहुंचेगा | अधिकतम समय। प्रथम बैग और अंतिम बैग दोनों के लिए लिया गया अधिकतम समय निर्धारित मानक के भीतर होना चाहिए।                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |           |
| 6 | सामान वितरण - घरेलू (Baggage delivery domestic) | % समय उपलब्ध (% time available) | a) प्रत्येक बैगेज बेल्ट कम से कम 95% समय उपलब्ध होनी चाहिए                                                          | एक महीने में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके प्रत्येक बैगेज बेल्ट के लिए मापा जाने वाला उपलब्ध समय, एक महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर)। उपलब्धता को इस अनुबंध के पैरा 1.2.a में प्रदान किए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा। | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होना चाहिए | हाँ (Yes) |





| क्र.सं. | यात्री कार्यप्रदर्शन सूचकांक    | कार्यप्रदर्शन मापदंड (Performance Indicator) | कार्यप्रदर्शन मापदंड (Performance Measure) | महत्वपूर्णता (Minimum Performance Standard) | कार्यप्रदर्शन मानक (Measurement Mechanism) | मापन तंत्र (Measurement Mechanism) | मापन आवृत्ति (Measurement Frequency) | महत्वपूर्ण (Yes/No) (Critical) |
|---------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 7       | बोर्डिंग (Boarding) (Passenger) | बोर्डिंग का प्रति से                         | बोर्डिंग का प्रति से                       | बोर्डिंग का प्रति से                        | बोर्डिंग का प्रति से                       | बोर्डिंग का प्रति से               | बोर्डिंग का प्रति से                 | बोर्डिंग का प्रति से           |
| 7       | बोर्डिंग (Boarding) (Passenger) | बोर्डिंग का प्रति से                         | बोर्डिंग का प्रति से                       | बोर्डिंग का प्रति से                        | बोर्डिंग का प्रति से                       | बोर्डिंग का प्रति से               | बोर्डिंग का प्रति से                 | बोर्डिंग का प्रति से           |

|   |                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |                                        |           |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 8 | सामान की सुपुर्दगी अंतरराष्ट्रीय (Baggage delivery international) | उपलब्ध समय मापन प्रत्येक बैगेज बेल्ट कम से कम 95% समय उपलब्ध होना चाहिए। (Performance Measurement Plan) पर आधारित होना चाहिए। | एक महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर) के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके प्रत्येक बैगेज बेल्ट के लिए उपलब्ध समय मापा जाना चाहिए। यह उपलब्धता इस अनुबंध के पैरा 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में होगी। | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यप्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) पर आधारित होना चाहिए। | हाँ (Yes)                              |           |
| 9 | यात्री आगमन प्रक्रिया                                             | विमान आगमन से कर्बसाइड तक लिया गया समय                                                                                        | क) अंतरराष्ट्रीय - 95% यात्रियों को 45 मिनट से कम समय लगता है                                                                                                                                                                                                     | उन यात्रियों की संख्या जहाँ लिया गया औसत समय निर्धारित मानक के भीतर है, जो कुल यात्रियों के                                                                | अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्रियों | हाँ (Yes) |

|  |                             |                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |  |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  | (Passenger arrival process) | (Time taken from aircraft arrival to kerbside) | ख) घरेलू - 95% यात्रियों को 35 मिनट से कम समय लगता है | प्रतिशत के रूप में है। यात्रियों के लिए औसत समय यात्री विमान के आगमन के समय से लेकर कर्बसाइड तक पहुँचने के समय तक मापा जाएगा और इसकी गणना इस अनुबंध के पैरा 1.2.b के तहत निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी। | के लिए, कार्यप्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) के आधार पर। |  |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|

| क्र. सं.<br>(Sl. No.) | प्रदर्शन संकेतक<br>(Performance Indicator)            | प्रदर्शन माप<br>(Performance Measure)                | न्यूनतम प्रदर्शन मानक<br>(Minimum Performance Standard)                                 | मापन तंत्र (Measurement Mechanism)                                                                                                                                                                                                                                                          | मापन आवृत्ति<br>(Measurement Frequency)                                                                                                                           | महत्वपूर्ण<br>(Critical - Yes/No) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10 क)                 | यात्री बोर्डिंग ब्रिज<br>(Passenger boarding bridges) | उपलब्ध समय का प्रतिशत<br>(Percentage time available) | क) प्रत्येक यात्री बोर्डिंग ब्रिज कम से कम 95% समय उपलब्ध होना चाहिए।                   | एक महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर) प्रत्येक यात्री बोर्डिंग ब्रिज के लिए उपलब्ध समय मापा जाना चाहिए।<br><br>उपलब्धता नीचे दिए गए पैरा 1.2.a में प्रदान किए गए सूत्र के संदर्भ में मापी जाएगी। | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए।<br><br>डेटा स्रोत कार्यप्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) पर आधारित होना चाहिए। | हाँ<br>(Yes)                      |
| 10 ख)                 | पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज<br>(Aerobridge)                | एयरलाइन अनुरोध को पूरा करने के लिए                   | ख) पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज 90% अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए और B737/A320 या उससे बड़े | उपलब्धता को ऐसे विमान आवाजाही की संख्या के संबंध में मापा जाना है जिसके लिए पैसेंजर                                                                                                                                                                                                         | मापन अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्री टर्मिनलों के लिए                                                                                                        | हाँ<br>(Yes)                      |

|    |                            |                                      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |           |
|----|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                            | विमान आवाजाही के प्रतिशत की उपलब्धता | विमानों पर यात्रा करने वाले 90% घरेलू यात्रियों के लिए उपलब्ध होने चाहिए, जब तक कि एयरलाइंस द्वारा आवश्यकता न हो। | बोर्डिंग ब्रिज (एयरोब्रिज) की आवश्यकता को कुल विमान आवाजाही के प्रतिशत के रूप में पूरा किया गया था जिसके लिए एयरलाइंस द्वारा एयरोब्रिज की आवश्यकता थी।                                                | मौजूदा टर्मिनलों के किसी भी विस्तार या नए टर्मिनल भवनों के निर्माण के पूरा होने से किया जाएगा।<br><br>डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) पर आधारित होना चाहिए। |           |
| 11 | पार्किंग बे (Parking bays) | उपलब्ध समय का प्रतिशत                | a) प्रत्येक पार्किंग बे स्टैंड कम से कम 99% समय उपलब्ध होना चाहिए।                                                | उपलब्ध समय को प्रत्येक पार्किंग बे के लिए एक महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में एक महीने में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके मापा जाना है (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर)। | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए।<br><br>डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना (Performance                                                                      | हाँ (Yes) |

|    |                                                 |                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |           |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                 |                       |                                                      | उपलब्धता को इस एनेक्स के पैराग्राफ 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा।                                                                                                                                                                                                       | Measurement Plan) पर आधारित होना चाहिए।                                                                                                                      |           |
| 12 | उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली (FIDS) की उपलब्धता | उपलब्ध समय का प्रतिशत | a) प्रत्येक FIDS कम से कम 98% समय उपलब्ध होना चाहिए। | उपलब्ध समय को प्रत्येक FIDS के लिए एक महीने में कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में एक महीने में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके मापा जाना है (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर)।<br><br>उपलब्धता को इस एनेक्स के पैराग्राफ 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा। | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए।<br><br>डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) पर आधारित होना चाहिए। | नहीं (No) |
| 13 | सामान ट्रॉलियों (Baggage Trolleys) की उपलब्धता  | उपलब्ध समय का प्रतिशत | a) सामान ट्रॉलियां 100% समय उपलब्ध होनी चाहिए।       | निर्दिष्ट स्थानों पर न्यूनतम उपलब्ध खाली सामान ट्रॉलियां 25 से कम नहीं होनी चाहिए।<br><br>निर्दिष्ट स्थानों की पहचान                                                                                                                                                                      | प्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) पर आधारित।                                                                                                | नहीं (No) |

|    |                                   |                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |           |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                   |                                      |                                                                                                              | रियायतग्राही (concessionaire) द्वारा उद्योग प्रथाओं के अनुसार की जाएगी।                                                                               |                                                                                                                                                              |           |
| 14 | व्हीलचेयर की आवश्यकता वाले यात्री | सहायता प्रावधान के लिए प्रतीक्षा समय | a) व्हीलचेयर की आवश्यकता वाले 100% प्रस्थान करने वाले यात्रियों को 5 मिनट से अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। | सहायता के लिए अनुरोधों की संख्या जहाँ अनुरोध के समय से दी गई सहायता के समय तक मापन सेट मानक के भीतर है, सहायता के कुल अनुरोधों के प्रतिशत के रूप में। | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए।<br><br>डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) पर आधारित होना चाहिए। | नहीं (No) |

| क्रमांक<br>(SL No.) | प्रदर्शन सूचक<br>(Performance Indicator)                  | प्रदर्शन माप<br>(Performance Measure)                                                                                         | न्यूनतम प्रदर्शन मानक<br>(Minimum Performance Standard)                                                                                                                                                                                                      | मापन तंत्र<br>(Measurement Mechanism)                                                                                                                                                                                                                                                   | मापन की आवृत्ति<br>(Measurement Frequency)                                                                                       | महत्वपूर्ण<br>(Critical Yes/No) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 15                  | ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्री<br>(Transit/transfer Passengers) | के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय:<br>(i) घरेलू / घरेलू या<br>(ii) घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय या<br>(iii) अंतर्राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय | a) 80% घरेलू/घरेलू यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय 60 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।<br>b) 80% घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए न्यूनतम कनेक्ट समय 75 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।<br>c) 80% अंतर्राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए न्यूनतम | न्यूनतम कनेक्टिंग समय को आईएटीए संकल्प 765 (IATA Resolution 765) के अनुसार परिभाषित और मापा जाएगा, जहाँ इसे 'किसी विशिष्ट स्थान पर, एक उड़ान से दूसरे कनेक्टिंग उड़ान में यात्री और उसके सामान को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक सबसे छोटा समय अंतराल' के रूप में परिभाषित किया गया है। | अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ट्रांजिट/ट्रांसफर यात्रियों के लिए, प्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) के आधार पर। | नहीं (No)                       |



|    |                                                                        |                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |           |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                                        |                                                     | कनेक्ट समय 60 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |           |
| 16 | एस्केलेटर, एलिवेटर, और ट्रैवलेटर (Escalators, elevators, & travellers) | समय उपलब्धता प्रतिशत (Percentage time availability) | a) एस्केलेटर, एलिवेटर और ट्रैवलेटर 98% समय उपलब्ध होने चाहिए।                                              | प्रत्येक एस्केलेटर, एलिवेटर और ट्रैवलेटर के लिए उपलब्ध समय को कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों का उपयोग करके मापा जाना है (नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर)। उपलब्धता को इस अनुबंध के पैराग्राफ 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा। | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की पूरी अवधि के लिए।<br><br>डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) पर आधारित होगा। | नहीं (No) |
| 17 | स्वचालित सेवाएं (Automated services)                                   | समय उपलब्धता प्रतिशत (Percentage time availability) | a) स्वचालित सेवाएं 98% समय उपलब्ध होनी चाहिए। "स्वचालित सेवाओं" में इनबाउंड सामान प्रणाली (inbound baggage | प्रत्येक स्वचालित सेवा के लिए उपलब्ध समय को कुल नियोजित परिचालन घंटों के प्रतिशत के रूप में वास्तविक परिचालन घंटों                                                                                                                                                                  | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की पूरी अवधि के लिए।                                                                                      | नहीं (No) |

|    |                                                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |           |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                                   |                                                                                                          | system), आउटबाउंड सामान प्रणाली (outbound baggage system), एक्स-रे मशीनें और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली शामिल होंगी, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। | का उपयोग करके मापा जाना है (रियायतग्राही द्वारा नियोजित रखरखाव समय को छोड़कर)। उपलब्धता को इस अनुबंध के पैराग्राफ 1.2.a में दिए गए सूत्र के संदर्भ में मापा जाएगा। | डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) पर आधारित होगा।                                                         |           |
| 18 | सूचना/शिकायत डेस्क (Information /complaint desks) | सूचना/शिकायत डेस्क पर कर्मियों की उपलब्धता (Availability of personnel at the information/complaint desk) | a) सूचना/शिकायत डेस्क 100% समय मानवयुक्त (कर्मचारियों से युक्त) होने चाहिए।                                                                          | परिचालन घंटों के दौरान सूचना/शिकायत डेस्क पर कर्मियों की उपलब्धता।                                                                                                 | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की पूरी अवधि के लिए।<br><br>डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement | नहीं (No) |

|  |  |  |  |  |                          |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
|  |  |  |  |  | Plan) पर<br>आधारित होगा। |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------|--|

| क्र. सं.<br>(SL No.) | प्रदर्शन संकेतक<br>(Performance Indicator)                                                | प्रदर्शन मापदंड<br>(Performance Measure)                                                                              | न्यूनतम प्रदर्शन मानक<br>(Minimum Performance Standard)                                                                                                                  | मापन तंत्र<br>(Measurement Mechanism)                                                               | मापन आवृत्ति<br>(Measurement Frequency)                                                                                                                                                                                                                          | क्रिटिकल<br>(Critical )<br>(हाँ/नहीं) |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 19                   | यात्री टर्मिनलों में परिवेशी स्थितियाँ<br>(Ambient conditions in the Passenger Terminals) | यात्री टर्मिनलों में परिवेशी परिस्थितियों का रखरखाव<br>(Maintenance of ambient conditions in the Passenger Terminals) | क) वास्तविक संचालन घंटों के दौरान यात्री टर्मिनल में तापमान सीमा 21-25 डिग्री सेल्सियस होगी, और<br>ख) सापेक्ष आर्द्रता का स्तर निर्दिष्ट तापमान सीमा से सह-संबंधित होगा। | मापन वास्तविक संचालन घंटों के दौरान यात्री टर्मिनल में औसत तापमान और आर्द्रता स्तर के रूप में होगा। | मापन पूरे सप्ताह के सभी दिनों को कवर करते हुए महीने में बेतरतीब ढंग से चुने गए दिनों के दौरान हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्री टर्मिनलों के लिए किया जाएगा।<br><br>डेटा स्रोत प्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा। | नहीं (No)                             |

|    |                                                     |                                                            |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |           |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 20 | रनवे परिचालन सुरक्षा<br>(Runway operational safety) | रनवे अतिक्रमणों की संख्या<br>(Number of runway incursions) | क) रनवे अतिक्रमण की रिकॉर्डिंग, जांच और इसे न्यूनतम करना। | विमान के उतरने और उड़ान भरने के लिए निर्दिष्ट सतह के सुरक्षित क्षेत्र में किसी विमान, वाहन या व्यक्ति की गलत उपस्थिति से जुड़ी प्रति हजार गतिविधियों में घटनाओं की संख्या, जिसे एक वर्ष की अवधि में मापा जाता है। गंभीरता, और विशिष्ट कारण व सहायक कारकों की पहचान करने के लिए सभी रनवे अतिक्रमणों की पर्याप्त विस्तार से रिपोर्ट और जांच की जानी चाहिए। | प्रदर्शन मापन योजना (Performance Measurement Plan) के आधार पर। | हाँ (Yes) |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|

| क्र. सं.<br>(Sl. No.) | कार्यप्रदर्शन सूचक<br>(Performance Indicator) | कार्यप्रदर्शन माप<br>(Performance Measure)             | न्यूनतम कार्यप्रदर्शन मानक<br>(Minimum Performance Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मापन तंत्र (Measurement Mechanism)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मापन आवृत्ति<br>(Measurement Frequency)                               | महत्वपूर्ण<br>(Critical)<br>(हाँ/नहीं) |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 21                    | ARFF<br>(विमान बचाव एवं अग्निशमन)             | घटना पर प्रतिक्रिया समय<br>(Response time to incident) | <p>a) इकाओ द्वारा निर्दिष्ट अनुसार, अनुकूलतम दृश्यता और सतह की स्थिति में प्रत्येक परिचालन रनवे के किसी भी बिंदु और आवाजाही क्षेत्र (movement area) के किसी भी अन्य हिस्से तक 3 मिनट से अधिक का प्रतिक्रिया समय प्राप्त न करना।</p> <p>b) अग्निशामक एजेंटों की मात्रा देने के लिए आवश्यक कोई भी अन्य वाहन पहले प्रतिक्रिया देने वाले वाहन (वाहनों) के बाद 1 मिनट से अधिक समय में</p> | प्रतिक्रिया समय को ARFF सेवा को प्रारंभिक कॉल और उस समय के बीच का समय माना जाएगा जब पहला प्रतिक्रिया वाहन (वाहनों) हवाई अड्डे के लिए निर्दिष्ट श्रेणी की फोम डिस्चार्ज दर के कम से कम 50% की दर से फोम लगाने की स्थिति में हो। इष्टतम दृश्यता और सतह की स्थिति को दिन के समय, अच्छी दृश्यता, बिना किसी बारिश के तथा सामान्य प्रतिक्रिया मार्ग सतह संदूषण (जैसे पानी) से मुक्त होने के रूप में परिभाषित किया गया है। | कार्यप्रदर्शन मापन योजना<br>(Performance Measurement Plan) के आधार पर | हाँ (Yes)                              |

|    |                                           |                                                |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |           |
|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                                           |                                                | नहीं पहुंचना चाहिए (यानी पहली कॉल के 4 मिनट से अधिक नहीं) ताकि निरंतर एजेंट का छिड़काव सुनिश्चित हो सके। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                          |           |
| 22 | टैक्सी की उपलब्धता (Availability of taxi) | कतार में प्रतीक्षा समय (Waiting time in queue) | a) टैक्सियों के लिए कतार का समय 95% यात्रियों के लिए 5 मिनट से अधिक नहीं होगा।                           | उन यात्रियों की संख्या जहाँ औसत कतार का समय निर्धारित मानक के भीतर है, कतार में कुल यात्रियों के प्रतिशत के रूप में।<br><br>टैक्सी की कतार में यात्रियों के लिए औसत कतार समय यात्री के कतार में शामिल होने के समय से लेकर टैक्सी मिलने के समय तक मापा जाएगा और नीचे दिए गए पैरा 1.2.b में निर्दिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार गणना की जाएगी। | अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों आगमन यात्रियों के लिए, कार्यप्रदर्शन मापन योजना के आधार पर | नहीं (No) |
| 23 | शिकायतों का निपटान                        | निर्दिष्ट समय के भीतर निपटाई गई                | a) 100% शिकायतों का उत्तर 2 कार्य दिवसों के भीतर दिया गया।                                               | शिकायतों की कुल संख्या जहाँ शिकायत प्राप्त होने से पहली प्रतिक्रिया के बीच का समय                                                                                                                                                                                                                                                         | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन                                              | नहीं (No) |

|  |                          |                                                                                |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                      |  |
|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | (Handling of complaints) | शिकायतों का प्रतिशत (Percentage of complaints responded within specified time) |  | निर्धारित मानक के भीतर है, प्राप्त कुल शिकायतों के प्रतिशत के रूप में।<br><br>शामिल शिकायतों में डाक/ईमेल या शिकायत/सुझाव रजिस्टर के माध्यम से प्राप्त शिकायतें शामिल होंगी। | समय की अवधि के लिए।<br><br>डेटा स्रोत कार्यप्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होना चाहिए। |  |
|--|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|



| क्र. सं. | कार्यप्रदर्शन सूचकांक<br>(Performance Indicator)    | कार्यप्रदर्शन माप<br>(Performance Measure)                                                          | न्यूनतम कार्यप्रदर्शन मानक<br>(Minimum Performance Standard)                                                                                   | मापन प्रणाली<br>(Measurement Mechanism)                                                                                                                                                                                                 | मापन आवृत्ति<br>(Measurement Frequency)                                                                                                                 | गंभीर<br>(Critical - Yes/No) |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 24       | मरम्मत पूरा होने का समय<br>(Repair completion Time) | निर्दिष्ट समय के भीतर की गई मरम्मत का प्रतिशत<br>(Percentage of repairs done within specified time) | a) उच्च प्राथमिकता वाले मरम्मत कार्यों का 95% 4 घंटे के भीतर हल किया जाना चाहिए,<br>b) अन्य कार्यों का 95% 24 घंटे के भीतर हल किया जाना चाहिए। | मरम्मत कार्यों की कुल संख्या जहाँ मरम्मत की आवश्यकता दर्ज करने के समय (शिकायतों या आवधिक निरीक्षण के माध्यम से) और पहली प्रतिक्रिया के बीच का अंतर निर्धारित मानक के भीतर दर्ज की गई मरम्मत की कुल आवश्यकताओं के प्रतिशत के रूप में हो। | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यप्रदर्शन मापन योजना<br>(Performance Measurement Plan) पर आधारित होगा। | नहीं<br>(No)                 |
| 25       | स्वच्छता<br>(Cleanliness)                           | स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान रेटिंग                                                                  | a) सभी निरीक्षणों के                                                                                                                           | स्थापित उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवधिक स्वच्छता                                                                                                                                                                                         | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन                                                                                                             | नहीं<br>(No)                 |

|    |                          |                                          |                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |                          | (Ratings during cleanliness surveys)     | 95% के लिए एक संतोषजनक स्वच्छता रेटिंग प्राप्त करना। | सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त संतोषजनक स्वच्छता रेटिंग।                              | घंटों की अवधि के लिए। डेटा स्रोत कार्यप्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा।                                                                                                                                                                        |           |
| 26 | गेट लाउंज (Gate lounges) | सीटों की उपलब्धता (Seating availability) | a) आईएटीए (IATA) इष्टतम सेवा स्तर के अनुसार।         | गेट के पास उपलब्ध सीटों की कुल संख्या, जहाँ विशेष विमान पर यात्रियों को चढ़ना है। | मापन चरण 1 पूर्ण होने की तिथि से शुरू होकर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों यात्री टर्मिनलों के लिए किया जाएगा।<br><br>या<br><br>मौजूदा टर्मिनलों के किसी भी विस्तार या नए टर्मिनल भवनों के निर्माण के पूरा होने पर।<br><br>डेटा स्रोत कार्यप्रदर्शन | नहीं (No) |

|    |                                  |                                                 |                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |              |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |                                  |                                                 |                                            |                                                                                                                                                 | मापन योजना पर आधारित होगा।                                                                                                   |              |
| 27 | बग्गी सेवाएं<br>(Buggy Services) | बगियों की उपलब्धता<br>(Availability of buggies) | a) बग्गी सेवाएं 98% समय उपलब्ध होनी चाहिए। | उद्योग प्रथा के अनुरूप न्यूनतम उपलब्धता।<br><br>नामित स्थानों की पहचान रियायतग्राही (concessionaire) द्वारा उद्योग की प्रथा के अनुरूप की जाएगी। | महीने के प्रत्येक दिन हवाई अड्डे के परिचालन घंटों की अवधि के लिए।<br><br>डेटा स्रोत कार्यप्रदर्शन मापन योजना पर आधारित होगा। | नहीं<br>(No) |

## 1.2 वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन मापदंडों की मापन प्रणाली

a) "पार्किंग बे (parking bays)", "यात्री बोर्डिंग ब्रिज (Passenger boarding bridges)", "सामान वितरण (baggage delivery)", "उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली की उपलब्धता (availability of Flight Information Display Systems)", "एस्केलेटर, एलिवेटर और ट्रैवललेटर (escalators, elevators and travellers)", तथा "स्वचालित सेवाएं (Automated services)" मापदंडों पर प्रदर्शन के लिए मापन प्रणाली।

प्रत्येक मापदंड की उपलब्धता का मापन, प्रत्येक मापदंड के तहत शामिल परिसंपत्तियों (assets) की संख्या और प्रकार के संदर्भ में किया जाएगा और निम्नलिखित के अनुसार मापा जाएगा:

(i) प्रत्येक मापदंड के तहत परिसंपत्तियों की कुल संख्या की गणना करें, जैसे- एस्केलेटरों की संख्या, और प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए आवश्यक कुल उपलब्ध समय तथा कुल अनुपलब्ध समय से गुणा करें। सभी परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक कुल उपलब्ध समय और कुल अनुपलब्ध समय का योग निकालें, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा:

आवश्यक कुल उपलब्ध समय (Total available time required) =  $\sum_{k=1}^n T_{k,j}$

कुल अनुपलब्ध समय (Total unavailable time) =  $\sum_{k=1}^n U_{k,j}$

जहाँ:

$n$  = मापदंड  $i$  में शामिल परिसंपत्तियों की कुल संख्या है;  
 $k$  = मापदंड  $i$  में शामिल एक विशिष्ट परिसंपत्ति को दर्शाता है, जैसे कि  $k = 1, 2, \dots, n$   
 $T_{k,j}$  = महीने  $j$  में परिसंपत्ति  $k$  के लिए कुल नियोजित उपलब्ध समय है (यानी नियोजित रखरखाव के लिए समय घटाने के बाद);

$U_{k,j}$  = वह समय है जिसमें परिसंपत्ति  $k$  महीने  $j$  में अनुपलब्ध रहती है;

(ii) महीने  $j$  में मापदंड  $i$  के लिए उपलब्धता (Availability) की गणना इस प्रकार करें:

$Availability_{i,j} = 100 \times [ 1 - ( \sum_{k=1}^n U_{k,j} / \sum_{k=1}^n T_{k,j} ) ]$

**जहाँ:**

Availability<sub>{i,j}</sub> = महीने j में मापदंड i की प्रतिशत उपलब्धता है;

b) "कार पार्किंग", "सुरक्षा जांच", "चेक-इन", "इमिग्रेशन", "यात्री आगमन प्रक्रिया", और "टैक्सी के लिए प्रतीक्षा समय" मापदंडों पर प्रदर्शन के लिए मापन प्रणाली।

यह मापन कतारों की संख्या के लिए इस प्रकार किया जाना है कि यात्रियों का एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नमूना इसमें शामिल हो जाए। कतार में प्रतीक्षा समय का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) महीने के प्रत्येक रैंडम तरीके से चुने गए दिन के लिए, दिन के 'सबसे व्यस्त घंटे' (busiest hour) में प्रदर्शन को मापा जाएगा। इसे संबंधित घंटे में xx:00, xx:10, xx:20, xx:30, xx:40, xx:50 और xx:60 से शुरू होने वाले '10 मिनट के समय अंतरालों' में विभाजित किया जाएगा; प्रत्येक "10 मिनट के समय अंतराल" के लिए, औसत कतार समय की गणना इस प्रकार की जाएगी:

$$\text{"औसत कतार समय"} = \text{Num} / A$$

**जहाँ :**

A: 10 मिनट के समय अंतराल में प्रति मिनट कतार छोड़कर जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या है;

Num: 10 मिनट के समय अंतराल में प्रति मिनट कतार में मौजूद यात्रियों की औसत संख्या है।

**(ii) निर्धारित मानक के लिए प्रदर्शन प्रतिशत आंकड़ों की गणना निम्नानुसार की जाएगी:**

i. यह पहचानना कि सबसे व्यस्त घंटों के दौरान कितने यात्रियों को ऐसे समय अंतराल में संसाधित किया गया था जहाँ मापा गया औसत कतार समय निर्धारित मानक से अधिक नहीं है; और

ii. उपरोक्त आंकड़े को उन व्यस्ततम घंटों में संसाधित यात्रियों की कुल संख्या से विभाजित करके प्रतिशत की गणना करना।

एक घंटे को मानक घंटे (clock hour) के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो घंटे के 00 मिनट से शुरू होकर घंटे के 59 मिनट पर समाप्त होता है या रियायतग्राही (Concessionaire) द्वारा चुने गए किसी अन्य पूर्व-निर्धारित परिपाटी के अनुसार हो सकता है (पूर्व-निर्धारित ताकि नमूना घंटा निर्धारित करते समय एक घंटे की परिभाषा किसी अन्य कारकों से प्रभावित न हो)।

### 1.3 सेवा गुणवत्ता के विषयपरक मानदंड और बेंचमार्क

#### a) विषयपरक प्रदर्शन मानदंडों का मापन

रियायतग्राही सीओडी से पहले एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल का सदस्य बनेगा। सीओडी के छह महीने के भीतर, रियायतग्राही एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भाग लेना शुरू कर देगा, जिसके माध्यम से प्रस्थान करने वाले यात्रियों का हवाई अड्डे पर उनके उस दिन के अनुभव के बारे में साक्षात्कार लिया जाएगा।

यदि रियायतग्राही की सदस्यता उस अवधि के भीतर एसीआई द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, तो वह एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त करेगा जो (1) एक प्रश्नावली तैयार करेगी और 5-पॉइंट स्केल पर विषयपरक प्रदर्शन मानदंडों का मापन करने के लिए एक सर्वेक्षण प्रक्रिया आयोजित करेगी तथा ऐसी प्रश्नावली व सर्वेक्षण प्रक्रिया पर प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करेगी, और (2) त्रैमासिक आधार पर यात्रियों की प्रतिक्रियाओं का मापन करेगी।

एसीआई-एसक्यू सर्वेक्षण के माध्यम से या स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से आयोजित यात्री सर्वेक्षण में प्राप्त रेटिंग, विषयपरक प्रदर्शन मानदंडों का मापक होगी।

ख) उपरोक्त निर्दिष्ट यात्री सर्वेक्षण में शामिल किए जाने वाले मानदंड, एसीआई एसक्यू के अनुसार सभी मापे गए मानदंडों को शामिल करेंगे, जो निम्नानुसार हैं:

- (i) हवाई अड्डे के साथ समग्र संतुष्टि
- (ii) हवाई अड्डे तक/से ज़मीनी परिवहन
- (iii) पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता
- (iv) पार्किंग सुविधाओं का मूल्य मूल्यवर्धन / वैल्यू फॉर मनी
- (v) सामान ट्रॉलियों की उपलब्धता
- (vi) चेक-इन कतार/लाइन में प्रतीक्षा समय
- (vii) चेक-इन कर्मचारियों की दक्षता
- (viii) चेक-इन कर्मचारियों का सौजन्य और सहायता
- (ix) पासपोर्ट/व्यक्तिगत पहचान पत्र जांच पर प्रतीक्षा समय
- (x) जांच कर्मचारियों का सौजन्य और सहायता
- (xi) सुरक्षा कर्मचारियों का सौजन्य और सहायता
- (xii) सुरक्षा जांच की गहनता
- (xiii) सुरक्षा जांच में प्रतीक्षा समय

- (xiv) सुरक्षित और संरक्षित होने की भावना
- (xv) हवाई अड्डे पर रास्ता खोजने में आसानी
- (xvi) उड़ान सूचना प्रदर्शन प्रणाली
- (xvii) टर्मिनल के अंदर चलने की दूरी
- (xviii) अन्य उड़ानों के साथ कनेक्शन/कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने में आसानी
- (xix) हवाई अड्डा कर्मचारियों की सौजन्यता और सहायता (चेक-इन, पासपोर्ट नियंत्रण और सुरक्षा को छोड़कर)
- (xx) रेस्तरां/भोजन की सुविधाएं
- (xxi) रेस्तरां/भोजन सुविधाओं के पैसे का मूल्य/उचित मूल्य
- (xxii) बैंक/एटीएम सुविधाओं/मुद्रा विनिमय (मनी चेंजर्स) की उपलब्धता
- (xxiii) खरीदारी (शॉपिंग) की सुविधाएं
- (xxiv) खरीदारी की सुविधाओं के पैसे का मूल्य/उचित मूल्य
- (xxv) इंटरनेट एक्सेस/वाई-फाई
- (xxvi) बिजनेस/एग्जीक्यूटिव लाउंज
- (xxvii) वॉशरूम/शौचालय की उपलब्धता
- (xxviii) वॉशरूम/शौचालय की स्वच्छता
- (xxix) प्रतीक्षा/गेट क्षेत्रों का आराम
- (xxx) एयरपोर्ट टर्मिनल की स्वच्छता
- (xxxi) हवाई अड्डे का परिवेश/माहौल
- (xxxii) पासपोर्ट/व्यक्तिगत पहचान निरीक्षण
- (xxxiii) सामान डिलीवरी सेवा की गति
- (xxxiv) सीमा शुल्क (कस्टम्स) निरीक्षण

ग) लक्ष्य रेटिंग रियायत समझौते के खंड 23.7 में निर्दिष्ट अनुसार होगी।

**अनुसूची झ**  
**सुरक्षा दिशानिर्देश**  
(खंड 18.3.1 देखें)

## **1 सुरक्षित आवाजाही**

हवाई अड्डे के संचालन, विकास और प्रबंधन में, उपयोगकर्ताओं और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। विमानों के लिए, नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार सुरक्षा पैरामीटर प्रदान किए जाएंगे। बचाव और अग्निशमन, एप्रन प्रबंधन, वन्यजीव टकराने के खतरे में कमी, एरोड्रोम वाहन संचालन, एरोड्रोम बाड़ लगाना और प्रकाश व्यवस्था जैसे सुरक्षा सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें आपातस्थिति के मामले में सुरक्षित और कुशल निकासी की सुविधाएं शामिल होंगी।

## **2 सिस्टम की अखंडता**

बिजली आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, सिग्नलिंग, संचार और सुरक्षा उपकरणों के डिजाइन में, विफलता (failure) की संभावित घटनाओं को कम करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। सेवाओं को चालू रखने के लिए आवश्यक निवारक रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

## **3 सेवा की बहाली**

हवाई अड्डे को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि खराबी आने की स्थिति में, प्रभावित क्षेत्र या उपकरण को अलग (isolate) करके, जहाँ तक संभव हो, कुछ ही मिनटों के भीतर सीमित सेवा प्रदान की जा सके। द्वितीयक बिजली आपूर्ति की आवश्यकताएं CAR के अनुसार प्रदान की जानी हैं।

## **4 आकस्मिकता और सुरक्षा प्रबंधन**

**4.1** रियायतग्राही प्रासंगिक इकाओं दस्तावेजों और एनेक्स तथा डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्था की खरीद और उपयोग सुनिश्चित करेगा:

(क) रणवे और टैक्सीवे से विकलांग/अक्षम विमानों को हटाना;

(ख) विमान या हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी, या आतंकवाद का कोई भी कार्य;



- (ग) हवाई अड्डे के आसपास और उसके निकट क्षेत्र में विमान दुर्घटनाएं;
- (घ) गैर-अनुसूचित विमान जिन्हें हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर किया गया हो;
- (ङ) हवाई अड्डे पर आग लगना;
- (च) प्राकृतिक आपदाएं और विपदाएं;
- (छ) हवाई अड्डे पर हड़ताल;
- (ज) डायवर्सन (मार्ग परिवर्तन) का प्रबंधन;
- (झ) नागरिक विमानन के साथ गैर-कानूनी हस्तक्षेप; और
- (ञ) हवाई अड्डे पर कोई अन्य आपात स्थिति।

**4.2** विभिन्न संपत्तियों के लिए जांच की प्रबंधन प्रणाली और रखरखाव की सहनशीलता तथा उनके अनुपालन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए रियायतग्राही द्वारा हर तिमाही में एक बार सुरक्षा विवरण तैयार किया जाएगा। यह विवरण ऐसी जांचों और सहनशीलता से निपटने में कर्मचारियों के प्रशिक्षण और जागरूकता की प्रकृति और सीमा को भी सामने लाएगा। विकास अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही के अंत के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर स्वतंत्र इंजीनियर को विवरण/विवरणिका की 2 (दो) प्रतियां भेजी जाएंगी।

## 5. सुरक्षा उपकरण

हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे:

- (क) हवाई अड्डे पर उपयुक्त स्थानों पर अग्निशामक और अग्नि अलार्म;
- (ख) पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस, एम्बु-लिफ्ट, स्ट्रैचर और मानक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स;
- (ग) पैरामेडिकल स्टाफ के साथ चिकित्सा सुविधा; और
- (घ) ऐसे अन्य उपकरण जो प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों, डीजीसीए के लागू दिशानिर्देशों तथा उत्कृष्ट उद्योग प्रथाओं के अनुरूप आवश्यक हों।

## 6. आपातकालीन स्थिति

- (क) विभिन्न आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन प्रक्रियाओं का एक सेट तैयार किया जाएगा और परिचालन कर्मचारियों को एरोड्रोम आपातकालीन योजना (जिसमें विमान आपात स्थिति, तोड़फोड़, बम की धमकियां, अवैध हस्तक्षेप, खतरनाक सामान, भवन में आग, प्राकृतिक आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य

आपात स्थिति शामिल हैं) में निर्धारित अनुसार आवधिक सिमुलेशन अभ्यासों के माध्यम से उचित प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसे व्यावसायिक संचालन तिथि (COD) से पूर्व रियायतग्राही (Concessionaire) द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किया जाएगा। रियायतग्राही सीओडी (COD) से पूर्व प्राधिकरण (Authority) को एरोड्रोम आपातकालीन योजना की 5 (पांच) प्रतियां प्रदान करेगा।

(ब) आपातकालीन संचालन केंद्र की स्थापना और कमान पोस्ट की उपलब्धता।

(ग) टर्मिनल भवन और एयरसाइड पर चिकित्सा आपात स्थितियों का प्रबंधन।

## 7. अग्नि सुरक्षा

7.1 रियायतग्राही हवाई अड्डे के टर्मिनल भवनों, ईंधन भरने वाले रैंप जल निकासी और लोडिंग डॉकवे पर यूएस नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (US National Fire Protection Association) में निर्दिष्ट मानकों का अनुपालन करेगा।

7.2 यात्री क्षेत्रों में आग को रोकने के लिए, रियायतग्राही इसके निर्माण में अग्निरोधक सामग्री का उपयोग करेगा और ऐसी सामग्रियों के उपयोग से बचेगा जो कुछ हद तक ज्वलनशील हैं या जो जलने पर धुआं और हानिकारक गैसों छोड़ती हैं।

7.3 आपातकालीन निकास बिना किसी बाधा के सुलभ होना चाहिए और बिना चाबियों, औजारों या विशेष ज्ञान के बाहर से आसानी से खुलने में सक्षम होना चाहिए। पैनिक बार (Panic Bar) जैसा उपकरण जो केवल बाहर से लॉक होता है, उसकी अनुमति है। आपात स्थिति में निकास द्वार टर्मिनल भवन के भीतर से खोलने में आसान होने चाहिए।

7.4 निकास मार्गों (Escape routes) को सही दिशा में तीरों द्वारा स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और किसी भी गुप्त या अस्पष्ट प्रतीक का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस खंड 7.4 के प्रावधानों का अनुपालन करते समय धुएं के कारण कम दृश्यता की संभावना को विधिवत ध्यान में रखा जाएगा। सभी नोटिस और संकेतक (Signages) एकसमान और मानकीकृत होंगे।

7.5 प्रासंगिक डीजीसीए कार एवं आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणियां उपलब्ध कराई जाएंगी और उनका रखरखाव किया जाएगा।

## 8. उपयोगकर्ता सुरक्षा और सूचना प्रणाली

8.1 रियायतग्राही (concessionaire) यात्री क्षेत्र और टर्मिनल भवन के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं एसएमयू (ASMU) को प्रदान करेगा, तथा उपयोगकर्ताओं को दृश्य/विजुअल जानकारी उपलब्ध कराएगा।

रियायतग्राही सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से टर्मिनल भवन में उपयोगकर्ताओं को एकतरफा संचार भी प्रदान करेगा। आपात स्थिति में उपयोगकर्ताओं को **ASMU** से संपर्क करने की सुविधा देने के लिए उपयोगकर्ता कॉल प्वाइंट सुविधाजनक स्थानों पर स्थित होने चाहिए।

8.2 उपयोगकर्ता सूचना प्रणाली में डायनेमिक विजुअल डिस्प्ले और लाउडस्पीकर शामिल होंगे।

अनुसूची - 'अ'  
उपयोगकर्ता चार्टर  
(खंड 23.10 देखें)

## अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

### 1. संरक्षा सहित सेवा

अत्याधुनिक अवसंरचना के माध्यम से हवाई अड्डा प्रबंधन में सुरक्षा और गुणवत्ता प्रदान करना हमारा उद्देश्य है ताकि कुल ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके। यह चार्टर हमारे हवाईअड्डे के उपयोगकर्ताओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं और उनसे हमारी अपेक्षाओं को स्पष्ट करता है।

### 2. विषय-सूची

- (क) परिचय
- (ख) यात्री सेवा के हमारे मानक
- (ग) सूचना की उपलब्धता
- (घ) सहायता की आवश्यकता वाले यात्रीगण
- (ङ) टिकट खरीदना
- (च) खोई हुई संपत्ति
- (छ) आपके विचारों को सुनना
- (ज) हमारे प्रतिज्ञाबद्ध प्रतिक्रिया अवधि

#### 2.1 परिचय

ग्राहक संतुष्टि हमारा ध्येय है! हवाई अड्डे के प्रबंधन का यह उद्देश्य है कि अपने प्रशिक्षित जनशक्ति और ठेकेदारों के माध्यम से इस हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की जाए। हमारा लक्ष्य निम्नलिखित है :

- (क) हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं के लिए संरक्षा और सुरक्षा
- (ख) स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण
- (ग) विश्वसनीय और आसानी से समझ में आने वाली जानकारी
- (घ) विनम्र, ग्राहक-हितैषी और सहायक कर्मचारी
- (ङ) खरीदारी एवं खान-पान का सुखद और उचित अनुभव

(च) आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता

## 2.2 यात्री सेवा हेतु हमारे मानक

हम अपने हवाई अड्डों पर आपको एक विश्वसनीय और आरामदायक सेवा प्रदान करने के लिए अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु लगातार कठिन प्रयास करते रहेंगे।

### 2.2.1 हवाई अड्डे तक पहुंच

हम हवाई अड्डा परिसर के अंदर आपके आगमन को सुगम और आरामदायक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी ट्रेफिक योजनाएं इस प्रकार से तैयार की जाएंगी जो हवाई अड्डा क्षेत्र में आसान प्रवेश और निकास को सक्षम बनाएंगी। आपकी पहुंच को आरामदायक बनाने के लिए, हम हवाई अड्डा क्षेत्र के भीतर अप्रोच रोड पर अनाधिकृत रूप से खड़े वाहनों को क्रेन से हटवा देंगे (टो अवे कर देंगे)।

### 2.2.2 टर्मिनल भवन में प्रवेश

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि टर्मिनल भवन में प्रवेश परेशानी मुक्त (hassle-free) हो और जब कई प्रवेश द्वार उपलब्ध हों, तो विशिष्ट एयरलाइनों के लिए निर्धारित प्रवेश द्वारों पर उचित रूप से सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

टर्मिनल भवन में प्रवेश सभी के लिए समान रूप से होगा। हालाँकि, यात्रियों के साथ आने वाले आगंतुकों को निर्धारित प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार कभी-कभी आगंतुकों के प्रवेश को सीमित या निलंबित किया जा सकता है।

### 2.2.3 सामान

हम उन सभी यात्रियों को सामान ढोने वाली ट्रॉली (luggage trolleys) की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आपकी सुविधा के लिए सशुल्क कुली सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

### 2.2.4 वाहनों की पार्किंग

हम कार, स्कूटर, बस आदि जैसे विभिन्न वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थान प्रदान करने का प्रयास करेंगे। पार्किंग सुविधाओं का उपयोग निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध होगा, जो वाहन और उपयोग किए जाने वाले पार्किंग के प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकता है। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आप अपना वाहन पार्क करने/बाहर निकालने में 5 (पाँच) मिनट से अधिक समय न खर्च करें।

### 2.2.5 कतार की लंबाई

पर्याप्त संख्या में चेक-इन काउंटर, एक्स-रे बैगेज मशीनें, कन्वेयर बेल्ट आदि प्रदान किए जाएंगे ताकि कतारों में लगने वाला समय कम से कम हो।

### 2.2.6 सुविधाएं

आपको शौचालय, स्वच्छ पीने का पानी, तरल साबुन, पेपर ग्लास और चाइल्ड केयर रूम जैसी निःशुल्क सुविधाओं का लाभ मिलेगा। अन्य सभी सुविधाएं भुगतान के आधार पर उपलब्ध होंगी। यात्रियों की आवश्यकता के लिए खान-पान और खरीदारी की सभी आवश्यक सुविधाएं एक सुखद माहौल में उपलब्ध होंगी। उचित मूल्य पर बुनियादी पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सुविधाजनक

स्थानों पर वेंडिंग मशीनें स्थापित की जाएंगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विक्रेता एमआरपी (MRP) से संबंधित कानूनों के अनुसार अपने वस्तुओं की कीमत तय करें। यात्रियों को प्रतिस्पर्धा और विकल्प सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं की वेंडिंग मशीनें प्रदान की जाएंगी। हम टर्मिनल भवन की स्वच्छता और साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखेंगे ताकि आप अपना समय सार्थक और सुखद तरीके से व्यतीत कर सकें।

हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिकांश सेवाओं के लिए आपको 5 (पाँच) मिनट से अधिक और आपके सामान/बैगज के लिए 20 (बीस) मिनट से अधिक समय तक कतार में न खड़ा होना पड़े।

### **2.2.7 बैठने की व्यवस्था**

उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी जिससे यह सुनिश्चित की जा सके कि व्यस्ततम समय की क्षमता का कम से कम 40% आरामदायक सीटें प्रदान किया जा सके।

आपकी सुविधा के लिए पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी और जब बाहर का तापमान 40°C से कम हो, तो टर्मिनल भवन के अंदर का तापमान 25°C रखा जाएगा। अन्य मामलों में, टर्मिनल भवन के बाहर के तापमान और टर्मिनल भवन के अंदर के तापमान के बीच का अंतर 15°C से कम नहीं होगा। सर्दियों के मौसम में, तापमान 15°C से कम नहीं होगा।

### **2.2.8 टैक्सियाँ**

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके आगमन पर प्रीपेड टैक्सियाँ उपलब्ध हों। कम से कम 95% (पचानवे प्रतिशत) समय के लिए अधिकतम प्रतीक्षा समय 5 (पाँच) मिनट से अधिक नहीं होगा।

### **2.2.9 नियोजित / अनियोजित अभियांत्रिकी कार्य**

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी कोई संशोधन/मरम्मत का कार्य किया जाए, तो उस क्षेत्र को पर्याप्त रूप से बैरिकेड कर दिया जाए, स्पष्ट संकेतक उपलब्ध हों और हवाई अड्डे का सामान्य कामकाज किसी भी तरह से प्रभावित न हो।

## **2.3 सूचना की उपलब्धता**

सूचना शक्ति है।

हम उड़ानों के आगमन और प्रस्थान समय से संबंधित सूचना समय पर प्रदान करेंगे। यह सूचना टर्मिनल भवन में प्रवेश करने से पहले पूर्व भी उपलब्ध होगी ताकि किसी भी विलंब की स्थिति में आप अपने रिश्तेदारों/मित्रों के साथ अधिक समय बिता सकें। हम टर्मिनल भवन के अंदर स्पष्ट और आसानी से समझ में आने वाले सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत संकेतक भी प्रदान करेंगे, ताकि आप बिना किसी की सहायता के सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

हालाँकि, यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता है, तो हमारे प्रशिक्षित कर्मचारी आपकी सहायता के लिए वहां मौजूद रहेंगे। उड़ानों के समय की सटीकता और असामान्य विलंब एयरलाइनों के सहयोग पर निर्भर करती

है। हम एयरलाइनों के साथ समन्वय करने और सूचना प्राप्ति के तुरंत बाद सूचना को अपडेट करने के सभी प्रयास करेंगे।

## **2.4 सहायता की आवश्यकता वाले यात्री**

हम दिव्यांग यात्रियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हैं। हम निम्नलिखित उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

### **2.4.1 यात्रियों को सहायता**

आपकी आवश्यकता हमारे प्रशिक्षित कर्मचारी के संज्ञान में लाने पर वे आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे।

### **2.4.2 प्रसाधन कक्ष**

हम दिव्यांग-अनुकूल प्रसाधन कक्ष प्रदान करेंगे जो उपयोग में आसान हों।

### **2.4.3 रैंप**

जहां भी संभव हो, व्हीलचेयर के यात्रियों के लिए रैंप प्रदान किए जाएंगे।

### **2.4.4 प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं**

किसी भी अप्रत्याशित चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी और योग्य पेशेवर द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाएगी।

## **2.5 टिकट खरीदना**

हमारे हवाई अड्डे पर टिकट खरीदना बहुत आसान और सुविधाजनक है। हवाई अड्डे पर सभी प्रमुख एयरलाइनों के पर्याप्त टिकट काउंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। हवाई मार्ग से आने वाले और अन्य गंतव्य की ओर जाने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए भी वे खुले रहेंगे, जहां टर्मिनल भवन से बाहर जाए बिना अपना टिकट खरीद सकते हैं।

## **2.6 खोई हुई संपत्ति**

हवाई अड्डे पर कुछ खो गया है ? आपको यह टर्मिनल भवन में स्थित खोई-पाई संपत्ति कार्यालय से वापस मिल सकता है।

सभी खोई और पाई गई वस्तुएं खोई-पाई संपत्ति प्रभारी अधिकारी को भेजी जाएगी। आप अपनी खोई हुई वस्तुओं की वापिस पाने के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन तक ईमेल पते [ ] के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

## **2.7 आपके विचारों को सुनना**

ग्राहक सर्वोपरि हैं। ग्राहक संतुष्टि हमारा ध्येय है। निरंतर सुधार हमारा लक्ष्य है।

हमारी सेवा के विभिन्न पहलुओं पर उपयोगकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण का आवधिक विश्लेषण किया जाएगा। आपके सुझावों/शिकायतों को दर्ज करने के लिए, विभिन्न स्थानों पर सुझाव पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आप पत्राचार या हमारे टेलीफोन लाइनों के माध्यम से या हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।

## 2.8 हमारी प्रतिज्ञाबद्ध प्रतिक्रिया अवधि

जब आप हमें लिखते हैं, तो आपको सात कार्यदिवसों के भीतर हमारी ओर से प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए।

(क) यदि पूर्ण उत्तर प्रदान करने में अधिक समय की आवश्यकता है, तो हम आपको 7 (सात) कार्यदिवसों के भीतर पावती भेजेंगे और 25 (पच्चीस) कार्यदिवसों के भीतर उत्तर देंगे।

(ख) यदि 25 (पच्चीस) कार्यदिवसों के भीतर पूर्ण उत्तर नहीं दिया जा गया, तो हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको अद्यतित करेंगे।

(ग) हवाई अड्डे पर विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए कई एजेंसियां शामिल हैं। उपर्युक्त कुछ सेवाओं में इन एजेंसियों के साथ बातचीत और समन्वय शामिल हो सकता है जो सेवा के प्रावधान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। इस मामले में, हम आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।

यदि आप हमारे उत्तर से असंतुष्ट हैं, तो हम आपको अपनी प्रतिक्रिया से संतुष्ट करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। कृपया हमें बताएं। इससे हमें त्रुटियों की पहचान करने और लगातार हमारे प्रदर्शन में सुधार करने में मदद मिलेगी।



## स्वतंत्र अभियंता का चयन

(खंड 24.1 देखें)

### 1 स्वतंत्र अभियंता का चयन

1.1 प्राधिकरण के भीतर समान कार्यों के लिए एक अभियंता के चयन की प्रक्रिया रियायत अनुबंध के तहत स्वतंत्र अभियंता के चयन के लिए लागू होगी। बशर्ते कि स्वतंत्र अभियंता के रूप में चुने जाने वाली इकाई एक अनुभवी फर्म होगी और रियायत अनुबंध के तहत परिकल्पित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होगी। बशर्ते कि कोई भी इकाई जो प्राधिकरण के स्वामित्व में या उसके नियंत्रण में है, इसके तहत स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

1.2 प्राधिकरण हवाई अड्डा विकास और पर्यवेक्षण में विशेषज्ञता वाले कम से कम 6 (छह) अभियंताओं के एक पैनल को नामित करेगा, जो कार्य की आवश्यकताओं से सीधे संबंधित हों और जिनका रियायतग्राही से कोई हित टकराव न हो। रियायतग्राही को ऐसे एक या अधिक नामित व्यक्तियों पर आपत्ति करने का अधिकार होगा लेकिन किसी भी परिस्थिति में 3 (तीन) नामित व्यक्तियों से अधिक नहीं। प्राधिकारी नामांकित व्यक्तियों में से किसी एक को, जिस पर रियायतग्राही ने आपत्ति नहीं की है, स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त करेगा।

1.3 अनुच्छेद 1.1 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त स्वतंत्र अभियंता की समाप्ति की स्थिति में, प्राधिकरण तत्काल तकनीकी सलाहकारों की एक अन्य फर्म को नियुक्त करेगा या इस अनुसूची 'के' के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली इकाई को नियुक्त कर सकता है।

1.4 रियायतग्राही, अपने विवेक से, इस अनुसूची 'के' के तहत प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है।

1.5 स्वतंत्र अभियंता के संदर्भ की शर्तें काफी हद तक अनुसूची 'एल' के अनुरूप होंगी।

### 2. शुल्क और व्यय

2.1 सीओडी से पूर्व की अवधि, विकास अवधि और रियायत अवधि के दौरान स्वतंत्र अभियंता द्वारा किए जाने वाले कार्यों और सेवाओं की प्रकृति और मात्रा निर्धारित करने में, प्राधिकरण यह प्रयास करेगा कि शुल्क और व्यय के संबंध में स्वतंत्र अभियंता को भुगतान प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाए।

2.2 स्वतंत्र अभियंता का पारिश्रमिक, लागत और व्यय प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा, और ऐसे सभी पारिश्रमिक, लागत और व्यय रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण से व्यय का विवरण प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रतिपूर्ति किए जाएंगे।

2.3 स्वतंत्र अभियंता को भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि को एईआरए द्वारा वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए पास-थ्रू (pass-through) माना जाएगा।

### 3. प्रत्येक तीन वर्ष पर चयन

इस अनुसूची 'के' के अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के अनुसरण में स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति की तारीख से 3 (तीन) वर्ष और तत्पश्चात प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष पर, प्राधिकरण एक अन्य फर्म को नियुक्त करेगा, जो इस अनुसूची 'के' में निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्वतंत्र अभियंता के रूप में कार्य करेगी.

### 4. सरकारी इकाई की स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्ति

इस अनुसूची 'के' में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, प्राधिकरण अपने विवेक से सरकार के स्वामित्व वाली इकाई को स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी इकाई एक निगमित निकाय होगी, जिसके प्राथमिक कार्यों में से एक अभियांत्रिकी परियोजनाओं के लिए परामर्श, सलाह और पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करना है, बशर्ते कि सरकार के स्वामित्व वाली इकाई जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो स्वतंत्र अभियंता के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

## 1 कार्यक्षेत्र

1.1 स्वतंत्र अभियंता के लिए ये संदर्भ की शर्तें ("TOR") दिनांक [ ] के रियायत अनुबंध ("अनुबंध") के अनुसरण में निर्दिष्ट की जा रही हैं, जो [ ] राज्य में [हवाई अड्डे के स्थित होने वाले शहर का नाम दर्ज करें] शहर में हवाई अड्डे के लिए प्राधिकरण और [ ] ("रियायतग्राही") के बीच दर्ज किया गया है, और जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इस टीओआर के भाग के रूप में रूप में अनुलग्नक ए के रूप में चिह्नित है।

1.2 यह टीओआर हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास पर लागू होगा।

## 2. परिभाषाएं और व्याख्या

2.1 इस टीओआर में बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले या उनमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अनुबंध में परिभाषित किया गया है, संदर्भ के प्रतिकूल न होने पर, अनुबंध में उनके लिए क्रमशः निर्धारित अर्थ होंगे।

2.2 इस टीओआर में अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ, सिवाय जहाँ संदर्भ की अन्य आवश्यकता हो, अनुबंध के अनुच्छेदों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ माने जाएंगे, और अनुच्छेद के संदर्भ इस टीओआर के अनुच्छेद के संदर्भ माने जाएंगे।

2.3 अनुबंध के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, इस टीओआर पर यथा आवश्यक परिवर्तन (mutatis mutandis) लागू होंगे।

## 3. स्वतंत्र अभियंता की भूमिका और कार्य

स्वतंत्र अभियंता की भूमिका और कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) अनुच्छेद 4 में निर्धारित डिजाइनों, रेखाचित्रों और दस्तावेजों की समीक्षा;

(ख) अनुच्छेद 4 में निर्धारित निर्माण कार्यों की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी;

(ग) निर्माण पूरा होने पर परीक्षणों की समीक्षा और गवाही देना तथा अनुच्छेद 4 में निर्धारित अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र/अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने में प्राधिकारी की सहायता करना;

(घ) अनुच्छेद 5 में निर्धारित प्रचालन और रखरखाव की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी;

(ङ) अनुच्छेद 6 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं की समीक्षा, निरीक्षण और निगरानी;

(च) अनुबंध के तहत आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य या सेवाओं की लागत और/या उनकी औचित्य का निर्धारण करना;

(छ) अनुबंध के तहत आवश्यकतानुसार किसी भी कर्तव्य या बाध्यता के निष्पादन के लिए अवधि या उसके किसी विस्तार का निर्धारण करना;

(ज) अनुच्छेद 8 में निर्धारित विवादों के समाधान में पक्षों की सहायता करना;

(झ) अनुबंध के अनुसार अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों को करना; और

(ञ) अनुसूची पूर्णता तिथियों और फेज माइलस्टोन निर्धारित करने में रियायतग्राही की सहायता करना।

3.2 स्वतंत्र अभियंता अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक निष्पक्ष, तटस्थ और कुशल तरीके से करेगा, जो पेशेवर अखंडता के उच्चतम मानकों और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुकूल हो।

#### 4. विकास अवधि

4.1 विकास अवधि के दौरान, स्वतंत्र अभियंता भू-तकनीकी और हाइड्रोलॉजिकल जांच, उधार क्षेत्रों और खदान स्थलों से सामग्री की विशेषताओं, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और यातायात सर्वेक्षण सहित सहायक डेटा के साथ रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डिजाइनों और रेखाचित्रों की विस्तृत समीक्षा करेगा। स्वतंत्र अभियंता ऐसी समीक्षा को पूरा करेगा और ऐसे विकास योजना और रेखाचित्रों की प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां/अवलोकन भेजेगा। विशेष रूप से, ऐसी टिप्पणियां परियोजना के दायरे और विशिष्टताओं तथा मानकों के साथ विकास योजना और ऐसे रेखाचित्रों की अनुरूपता या अन्यथा निर्दिष्ट करेंगी।

4.2 इस स्तर पर स्वतंत्र अभियंता का संक्षिप्त कार्यक्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

4.2.1 सभी डिजाइन, रेखाचित्र, विनिर्देशों और क्रय दस्तावेजों की समीक्षा:

(क) डिजाइन आधार;

(ख) डिजाइन, रेखाचित्रों, मात्राओं और लागत पर टिप्पणियां प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएंगी;

(ग) विकास मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार सभी डिजाइन और विनिर्देशों की समीक्षा की जाएगी;

(घ) रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत विभिन्न खरीद दस्तावेजों के बिल ऑफ क्वांटिटीज में सभी वस्तुओं की मात्रा और वस्तुओं की सूची को सत्यापित करना और यदि आवश्यक हो, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ उसमें संशोधन का प्रस्ताव करना।

4.2.2 रियायतग्राही द्वारा कार्य आदेश और वाणिज्यिक करारों की समीक्षा:

(क) तकनीकी (डिजाइन, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग) और वाणिज्यिक शर्तों के लिए अनुबंध दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी;

(ख) ठेकेदारों की क्षमता की समीक्षा और टिप्पणी करना;

(ग) रियायतग्राही द्वारा अपनाई गई टेंडरिंग और पुरस्कृत करारों की प्रक्रिया की समीक्षा करना।

4.3 स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण द्वारा उसे भेजे गए किसी भी संशोधित रेखाचित्र या सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करेगा और प्राधिकरण को ऐसे रेखाचित्रों या दस्तावेजों को प्राप्त करने के 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.4 स्वतंत्र अभियंता अनुसूची I के अनुसार रेखाचित्रों की समीक्षा करेगा और ऐसे रेखाचित्रों को प्राप्त करने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.5 स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण द्वारा उसे भेजे गए विस्तृत डिजाइन, निर्माण पद्धति, गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और खरीद, अभियांत्रिकी और निर्माण समय सारणी की समीक्षा करेगा, जो रियायतग्राही द्वारा तैयार की जाती है और प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.6 प्राधिकरण के संदर्भ पर, स्वतंत्र अभियंता ईपीसी अनुबंध (EPC Contract) या हवाई अड्डे के प्रासंगिक चरण के निर्माण के लिए किसी अन्य अनुबंध की समीक्षा करेगा और उस पर टिप्पणी करेगा, और प्राधिकरण से ऐसे संदर्भ की प्राप्ति से 7 (सात) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा।

4.7 स्वतंत्र अभियंता निम्नलिखित के संबंध में रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करेगा और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां भेजेगा:

- (क) विकास योजना, रेखाचित्रों, विनिर्देशों और मानकों का अनुपालन;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि रियायतग्राही द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट विकास योजना और अनुबंध की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है;
- (ग) कार्यों की मात्रा और उन्हें पूरा करने की समय-सीमा की समीक्षा और मूल्यांकन;
- (घ) विनिर्देशों और मानकों के अनुसार आवश्यकताओं के संबंध में जमीन पर भौतिक रूप से रिपोर्ट में उल्लिखित सभी विकास कार्यों की समीक्षा और सत्यापन करना;
- (ङ) कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा करना और अपनी टिप्पणियां देना तथा कार्य पूरा होने से पहले ठीक किए जाने वाले किसी भी कार्य या कार्य के हिस्से की पहचान करना; और
- (च) लागत और समय सारणी को एकीकृत करने वाले संसाधनों की पर्याप्तता, संभावित रुझानों (नकारात्मक और सकारात्मक दोनों) और दावों को प्रस्तुत करने वाले परियोजना नियंत्रण दृष्टिकोण की समीक्षा करना और उसे अपनाना जो स्वीकृत निर्माण लागत को प्रभावित कर सकता है।

4.8 स्वतंत्र अभियंता महीने में एक बार निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगा, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, लेकिन किसी भी स्थिति में प्रत्येक महीने के 20वें (बीसवें) दिन से पहले, और स्थिति, प्रगति, गुणवत्ता और निर्माण की सुरक्षा का अवलोकन करते हुए ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट ("निरीक्षण रिपोर्ट") तैयार करेगा, जिसमें अपनाई गई कार्य पद्धति, उपयोग की जाने वाली सामग्री और उनके स्रोत, और परियोजना के कार्यक्षेत्र तथा विनिर्देशों और मानकों के साथ निर्माण कार्यों की अनुरूपता शामिल

है। निरीक्षण रिपोर्ट के एक अलग खंड में, स्वतंत्र अभियंता हवाई अड्डे के निर्माण में उसके द्वारा देखी गई चूकों, कमियों या कमियों का उचित विस्तार से वर्णन करेगा। स्वतंत्र अभियंता निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकारी और रियायतग्राही को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा।

4.9 यदि किसी चूक, दोष या कमियों के लिए ऐसे निरीक्षणों की आवश्यकता होती है, तो स्वतंत्र अभियंता महीने में एक से अधिक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकता है।

4.10 यह निर्धारित करने के लिए कि निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हैं, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही को गुणवत्ता आश्वासन के लिए अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले नमूना आधार पर परीक्षण करने या कराने की आवश्यकता होगी। इस अनुच्छेद 4.10 के उद्देश्यों के लिए, संरचनाओं, इमारतों और उपकरणों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमावली में निर्दिष्ट परीक्षण ("गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली") या उनमें कोई संशोधन/प्रतिस्थापन गुणवत्ता आश्वासन के लिए अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप परीक्षण माना जाएगा। स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करेगा कि परीक्षण निष्पक्ष और कुशल तरीके से आयोजित किए जाएं, और उनके परिणामों की निगरानी और समीक्षा करेगा।

4.11 अनुच्छेद 4.10 के तहत स्वतंत्र अभियंता द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले परीक्षणों के नमूना आकार में गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली में प्रत्येक श्रेणी या प्रकार के परीक्षणों के लिए निर्धारित मात्रा या परीक्षणों की संख्या का 10% (दस प्रतिशत) शामिल होगा, बशर्ते कि स्वतंत्र अभियंता, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कुछ श्रेणियों या प्रकार के परीक्षणों के लिए उपर्युक्त नमूना आकार को 10% (दस प्रतिशत) तक बढ़ा सकता है।

4.12 अनुच्छेद 4.10 में संदर्भित परीक्षणों का समय, और उनके परिणामों की स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए मानदंड स्वतंत्र अभियंता द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षण यादृच्छिक नमूना आधार पर किए जाएंगे और रियायतग्राही द्वारा अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार अपनी गुणवत्ता आश्वासन के लिए किए जाने वाले परीक्षणों के अतिरिक्त और स्वतंत्र होंगे।

4.13 किसी भी दोष या कमियों को दूर करने या सुधारने के लिए रियायतग्राही द्वारा कोई सुधारात्मक कार्य किए जाने की स्थिति में, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही से यह अपेक्षा करेगा कि वह यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करें या करवाएं कि ऐसे सुधारात्मक कार्यों से निर्माण कार्य विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप हुआ है, और इस अनुच्छेद 4 के प्रावधान ऐसे परीक्षणों पर लागू होंगे।

4.14 रियायतग्राही किसी भी फेज माइलस्टोन को प्राप्त करने में विफल होने की स्थिति में, स्वतंत्र अभियंता निर्माण की प्रगति की समीक्षा करेगा और यदि कोई हो तो संभावित विलंब की पहचान करेगा। यदि स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि अनुबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर हवाई अड्डे का कार्य सम्पूर्ण करना संभाव्य नहीं है, तो वह, प्राधिकरण के माध्यम से, रियायतग्राही से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर यह संकेत देने की अपेक्षा करेगा कि प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं, और वह अवधि

जिसके भीतर पूर्णता प्राप्त की जाएगी। प्राधिकरण से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, स्वतंत्र अभियंता उसकी समीक्षा करेगा और तुरंत प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां भेजेगा।

4.15 विकास अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि रियायतग्राही ने निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों और उपयोगकर्ताओं की संरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है, या कोई भी कार्य इस तरह से किया जा रहा है जिससे श्रमिकों और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को खतरा है, तो वह तुरंत प्राधिकरण को एक सिफारिश करेगा, जिसमें निर्माण कार्यों के पूरे या उस हिस्से की पहचान की जाएगी जिसे उसके संबंध में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निलंबित किया जाना चाहिए।

4.16 निलंबित कार्यों और उपयोगकर्ताओं की संरक्षा सुरक्षित करने के लिए रियायतग्राही द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय किए जाने की स्थिति में, प्राधिकरण लिखित सूचना द्वारा, स्वतंत्र अभियंता से ऐसे कार्यों का निरीक्षण करने की अपेक्षा कर सकता है, और ऐसी सूचना प्राप्त होने के 3 (तीन) दिनों के भीतर, स्वतंत्र अभियंता निलंबित कार्यों का निरीक्षण करेगा और प्राधिकरण को तुरंत एक रिपोर्ट देगा, जिसमें यह सिफारिश की जाएगी कि प्राधिकरण द्वारा ऐसे निलंबन को रद्द किया जाए या नहीं।

4.17 यदि निर्माण कार्यों का निलंबन ऐसे कारणों से है जिसके लिए रियायतग्राही जिम्मेदार नहीं हैं, तो स्वतंत्र अभियंता चरण 1 के लिए चरण पूर्णता अनुसूची एवं बाद के चरणों के लिए भी निर्धारित तिथियों के विस्तार की सिफारिश करेगा, जिसके लिए रियायतग्राही उचित रूप से हकदार है, और प्राधिकरण को इसकी सूचना देगा।

4.18 स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा किए जा रहे सभी परीक्षणों का साक्षी बनेगा और अनुसूची 'जी' में निर्दिष्ट परीक्षणों के परिणाम के आधार पर, पूर्णता या अनंतिम पूर्णता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा भी मामला हो। इस अनुच्छेद 4.18 के तहत अपने कार्यों को पूरा करने और उससे जुड़े सभी मामलों के लिए, स्वतंत्र अभियंता धारा 14 और अनुसूची 'जी' के प्रावधानों के तहत और उनके अनुसार कार्य करेगा।

4.19 प्राधिकरण के संदर्भ में, स्वतंत्र अभियंता धारा 17 में निर्धारित सूचना, कार्यों और सेवाओं को प्रदान करने की लागत का एक निष्पक्ष और उचित मूल्यांकन करेगा और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को भुगतान के लिए ऐसी लागत के औचित्य को प्रमाणित करेगा।

## 5 रियायत अवधि

5.1 रियायत अवधि के दौरान स्वतंत्र अभियंता द्वारा समीक्षा और टिप्पणियों के लिए प्राप्त रेखाचित्रों, दस्तावेजों और रिपोर्टों के संबंध में, अनुच्छेद 4 के प्रावधान, यथा आवश्यक परिवर्तन लागू होंगे।

5.2 स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रखरखाव कार्यक्रम की समीक्षा करेगा और रखरखाव कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को इस पर अपनी टिप्पणियां भेजेगा।

5.3 स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही द्वारा प्रस्तुत मासिक और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और ऐसे रिपोर्ट प्राप्त होने के 07 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को इस पर अपनी टिप्पणियां भेजेगा।

**5.4** स्वतंत्र अभियंता प्रत्येक महीने में एक बार, अधिमानतः रियायतग्राही से मासिक और त्रैमासिक स्थिति रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, लेकिन किसी भी मामले में प्रत्येक महीने के 20वें (बीसवें) दिन से पहले, हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा, और ओ एंड एम निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें ओ एंड एम की स्थिति, गुणवत्ता और संरक्षा का अवलोकन शामिल हो, जिसमें मुख्य निष्पादन संकेतक, रखरखाव आवश्यकताओं और संरक्षा आवश्यकताओं के साथ इसकी अनुरूपता शामिल है। ओ एंड एम निरीक्षण रिपोर्ट के एक अलग भाग में, स्वतंत्र अभियंता हवाई अड्डे के ओ एंड एम में उसके द्वारा पाई गई चूकों, दोषों या कमियों का उचित विस्तार से वर्णन करेगा। स्वतंत्र अभियंता निरीक्षण के 7 (सात) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी ओ एंड एम निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा।

**5.5** यदि कोई चूक, दोष या कमी ऐसे निरीक्षणों की माँग करती हैं, तो स्वतंत्र अभियंता महीने में एक से अधिक बार हवाई अड्डे का निरीक्षण कर सकता है।

**5.6** स्वतंत्र अभियंता अपनी ओ एंड एम निरीक्षण रिपोर्ट में उन परीक्षणों को निर्दिष्ट करेगा, यदि कोई हों, जिन्हें रियायतग्राही यह निर्धारित करने के उद्देश्य से करेगा या करवाएगा कि हवाई अड्डा, रखरखाव आवश्यकताओं के अनुरूप है। वह ऐसे परीक्षणों के परिणामों और इस संबंध में रियायतग्राही द्वारा उठाए गए किसी भी उपचारात्मक उपायों की निगरानी और समीक्षा करेगा।

**5.7** अनुसूची 1 के अनुच्छेद 3 में संदर्भित किसी भी दोष या कमी के संबंध में, स्वतंत्र अभियंता, अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुरूप, विनिर्देशों और मानकों के संदर्भ में विचलन या गिरावट की अनुमेय सीमा को विनिर्दिष्ट करेगा और विचलन या गिरावट की मरम्मत या सुधार के लिए समय सीमा भी विनिर्दिष्ट करेगा जो अनुमेय सीमा से अधिक है।

**5.8** स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करेगा कि अनुबंध के अनुसार मरम्मत या उपचारात्मक कार्यों को पूरा करने में कोई विलंब हुई है या नहीं, और ऐसे विलंब के लिए देय होने पर हर्जाने, यदि कोई हों, का भी निर्धारण करेगा।

**5.9** स्वतंत्र अभियंता, यातायात में व्यवधान को कम करने की आवश्यकता और अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार ऐसे रखरखाव/मरम्मत को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए, रखरखाव/मरम्मत करने के लिए रियायतग्राही के हवाईअड्डा को बंद रखने के अनुरोध की जाँच करेगा।

**5.10** रियायतग्राही प्राधिकरण और स्वतंत्र अभियंता को हवाई अड्डा में किए जाने वाले किसी भी संशोधन के बारे में सूचित करने की स्थिति में, स्वतंत्र अभियंता उसकी समीक्षा करेगा और प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपनी टिप्पणियाँ भेजेगा।

**5.11** स्वतंत्र अभियंता, अपनी सटीकता की जाँच करने के लिए, रियायतग्राही द्वारा स्थापित प्रणालियों का कम से कम महीने में एक बार ऑडिट करेगा।

**5.12** स्वतंत्र अभियंता रियायत अवधि के अंत में (किसी भी विस्तार सहित, यदि कोई हो) रियायतग्राही से प्राधिकरण को परियोजना के संपत्तियों के हस्तांतरण पर सहायता प्रदान करेगा और अनुबंध की शर्तों के



अनुसार रियायतग्राही को निहित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को करने में प्राधिकरण की सहायता करेगा।

## **6. समापन**

**6.1** किसी भी समय, समापन से 90 (नब्बे) दिन से पूर्व नहीं परंतु ऐसी समाप्ति से 15 (पंद्रह) दिन बाद नहीं, स्वतंत्र अभियंता रियायतग्राही के एक प्रतिनिधि की उपस्थिति में, धारा 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं के रियायतग्राही द्वारा अनुपालन को निर्धारित करने के लिए हवाई अड्डे का निरीक्षण करेगा और यदि आवश्यक हो ऐसे अनुपालन को निर्धारित करने के लिए रियायतग्राही की लागत पर परीक्षण करने का कारण बनेगा। यदि स्वतंत्र अभियंता यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे की स्थिति ऐसी है कि इसकी मरम्मत और सुधार के लिए खंड 37.2 में निर्धारित राशि से अधिक राशि की आवश्यकता होगी, तो वह एस्क्रो खाते में आवश्यक राशि और उसकी प्रतिधारण अवधि को बनाए रखने की सिफारिश करेगा।

**6.2** स्वतंत्र अभियंता, धारा 37 में निर्दिष्ट दोषों या कमियों के संबंध में, अनुच्छेद 37 के तहत रियायतग्राही की देयता निर्धारित करने के लिए समापन के बाद 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के दौरान हर 15 (पंद्रह) दिनों में एक बार हवाई अड्डा का निरीक्षण करेगा। यदि स्वतंत्र अभियंता को ऐसा कोई दोष या कमी मिलती है, तो वह उचित विवरण सहित एक रिपोर्ट तैयार करेगा और तुरंत प्राधिकरण और रियायतग्राही को भेजेगा।

## **7. लागत और समय का निर्धारण**

**7.1** स्वतंत्र अभियंता लागत, और/या उनकी तर्कसंगतता का निर्धारण करेगा, जिन्हें अनुबंध के तहत उसके द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता है।

**7.2** स्वतंत्र अभियंता उस अवधि, या तत्पश्चात किसी विस्तार, का निर्धारण करेगा जिसे अनुबंध के तहत उसके द्वारा निर्धारित करने की आवश्यकता है।

## **8. विवाद समाधान में सहायता**

**8.1** किसी भी विवाद की स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा बुलाए जाने पर, स्वतंत्र अभियंता मध्यस्थता करेगा और पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुँचने में सहायता करेगा।

**8.2** अनुबंध के किसी भी प्रावधान में निर्धारित अच्छे उद्योग अभ्यास के अर्थ, कार्यक्षेत्र और प्रकृति के संबंध में पक्षकारों के बीच किसी भी असहमति की स्थिति में, स्वतंत्र अभियंता अच्छे उद्योग अभ्यास और प्रामाणिक साहित्य पर भरोसा करते हुए एक तर्कसंगत लिखित बयान जारी करके ऐसे अर्थ, कार्यक्षेत्र और प्रकृति को विनिर्दिष्ट करेगा।

## **9. अन्य कर्तव्य और कार्य**

स्वतंत्र अभियंता अनुबंध में विनिर्दिष्ट अन्य सभी कर्तव्यों और कार्यों को निष्पादित करेगा।

## 10. विविध

**10.1** स्वतंत्र अभियंता प्राधिकरण और रियायतग्राही को अपने निरीक्षण कार्यक्रम की सूचना देगा, जो निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने के लिए अपने संबंधित प्रतिनिधियों को अपने विवेक पर प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

**10.2** स्वतंत्र अभियंता को प्राप्त सभी ड्राइंग और दस्तावेजों की कम से कम 1 (एक) प्रति, 'एज-बिल्ट' ड्राइंग सहित, अपने पास रखेगा और उन्हें अपनी संरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

**10.3** अपने सौंपे हुए कार्य को पूरा करने पर, स्वतंत्र अभियंता सभी ड्राइंग, दस्तावेजों, परीक्षणों के परिणामों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड को विधिवत वर्गीकृत और सूचीबद्ध करेगा, तथा उन्हें प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्ति को सौंप देगा, और इसकी लिखित रसीद प्राप्त करेगा। उक्त दस्तावेजों की 2 (दो) प्रतियाँ उनके संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप में या ऐसे अन्य माध्यम या तरीके से भी प्रस्तुत की जाएंगी जो प्राधिकरण को स्वीकार्य हो।

**10.4** जहाँ भी स्वतंत्र अभियंता द्वारा सेवाएँ देने के लिए कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई है, स्वतंत्र अभियंता अच्छे उद्योग अभ्यास के अनुसार अपने कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक दक्षता और तात्कालिकता के साथ कार्य करेगा।

अनुसूची - 'ड'

एस्करो अनुबंध

(खंड 29.1 देखें)

यह एस्करो अनुबंध ("अनुबंध") इस [ ] के [ ] वें दिन [ ], 20[ ] पर निष्पादित किया गया है:

**किनके बीच:**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका निगमित पहचान संख्या [ ] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [ ] पर है (जिसे इसके बाद "रियायतग्राही" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न होने पर, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिती और प्रतिस्थापन शामिल हैं);

**और**

[ ] (ऋणदाताओं के प्रतिनिधियों के नाम और विवरण लीकें) जो इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में मामलों के संबंध में अपने विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनकी ओर से कार्य कर रहे हैं और जिसका पंजीकृत कार्यालय [ ] पर है (जिसे इसके बाद "ऋणदाता प्रतिनिधि" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न होने पर, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं);

**और**

[ ] (एस्करो बैंक का नाम और विवरण लिखें), जिसका पंजीकृत कार्यालय [ ] पर है और अन्य स्थानों के अलावा, [ ] पर एक शाखा कार्यालय है (जिसे इसके बाद "एस्करो बैंक" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न होने पर, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं);

**और**

भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय और जिसका निगमित कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली 110003, भारत में है, (जिसे इसके बाद "प्राधिकरण" कहा जाएगा, जिसमें संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न होने पर, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं);

**चूँकि:**

**क.** प्राधिकरण ने [ ] राज्य में [हवाईअड्डा जिस शहर में स्थित है उस शहर का नाम दर्ज करें] में एयरपोर्ट के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [ ] का एक रियायत अनुबंध ("रियायत अनुबंध") रियायत अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किया है, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इस अनुबंध का हिस्सा बनने के लिए अनुलग्नक 'ए' के रूप में चिह्नित है।

**ख.** वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण अनुबंधों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार प्रोजेक्ट को वित्तपोषित करने के लिए सहमत हुए हैं।

**ग.** रियायत अनुबंध के अनुसार रियायतग्राही को अन्य बातों के साथ-साथ उसमें बताए गए नियमों और शर्तों पर एक एस्क्रो खाता स्थापित करने की आवश्यकता है।

**अतः अब,** पूर्वगामी और इस अनुबंध में निर्धारित संबंधित अनुबंधों और अनुबंधों के विचार में, जिसकी रसीद और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकार निम्नलिखित पर सहमत हैं:

## 1. परिभाषाएं और व्याख्या

### 1.1 परिभाषाएं

इस अनुबंध में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल नहीं हैं, नीचे दिए गए अर्थ होंगे:

**"अनुबंध"** का तात्पर्य इस एस्क्रो अनुबंध और इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए किसी भी संशोधन से है।

**"रियायत अनुबंध"** का तात्पर्य ऊपर प्रस्तावना 'ए' में संदर्भित और इसके साथ संलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न रियायत अनुबंध से है, और इसमें इसके सभी प्रस्तावना व अनुसूचियां तथा इस संबंध में इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए कोई भी संशोधन शामिल होंगे।

**"रियायतग्राही"** का तात्पर्य पूर्ववर्ती प्रस्तावना में रियायतग्राही के रूप में संदर्भित व्यक्ति से है।

**"सुधार अवधि"** का तात्पर्य रियायतग्राही द्वारा इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान के किसी भी उल्लंघन या व्यतिक्रम को सुधारने के लिए इस अनुबंध में विनिर्दिष्ट अवधि से है, और उस तिथि से शुरू होगी जिस दिन प्राधिकरण या ऋणदाता के प्रतिनिधि द्वारा, जैसा भी मामला हो, रियायतग्राही को ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट उल्लंघन या व्यतिक्रम को सुधारने के लिए कहने वाला नोटिस दिया जाता है।

**"एस्क्रो खाता"** का तात्पर्य इस अनुबंध की शर्तों के तहत एवं इसके अंतर्गत स्थापित एस्क्रो खाते से है, और इसमें उप-खाते शामिल होंगे।

**"एस्क्रो बैंक"** का तात्पर्य पूर्ववर्ती प्रस्तावना में एस्क्रो बैंक के रूप में संदर्भित बैंक से है।

**"एस्क्रो व्यतिक्रम"** का वही अर्थ है जो खंड 6.1.1 में दिया गया है।

**"क्षतिपूरित पक्ष"** का वही अर्थ है जो खंड 9.2 में दिया गया है।

**"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष"** का वही अर्थ है जो खंड 9.2 में दिया गया है।

**"ऋणदाताओं के प्रतिनिधि"** का तात्पर्य पूर्ववर्ती प्रस्तावना में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित व्यक्ति से है।

**"पक्षकारों"** का तात्पर्य सामूहिक रूप से इस अनुबंध के पक्षकारों से है और **"पक्षकार"** शब्द का तात्पर्य व्यक्तिगत रूप से इस अनुबंध के किसी भी पक्ष से है।

**"भुगतान तिथि"** का तात्पर्य, खंड 4.1 में निर्दिष्ट किसी भी भुगतान के संबंध में, ऐसे भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि (तिथियों) से है।

**"उप-खाते"** का तात्पर्य एस्क्रो खाते के संबंधित उप-खातों से है, जिसमें खंड 4.1 में विनिर्दिष्ट धन हर महीने जमा किया जाएगा और यदि देय हो तो भुगतान किया जाएगा, और यदि किसी महीने में देय नहीं है, तो ऐसे महीने में आनुपातिक रूप से विनियोजित किया जाएगा और संबंधित उप-खातों में रखा जाएगा और भुगतान तिथि (तिथियों) पर उससे भुगतान किया जाएगा।

## 1.2 व्याख्या

**1.2.1** ऋणदाताओं के प्रतिनिधि का तात्पर्य, जब तक संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और की ओर से कार्य करने वाले ऋणदाताओं के प्रतिनिधि का है।

**1.2.2** बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस अनुबंध में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का यहाँ उन्हें दिया गया अर्थ होगा, और इस अनुबंध में प्रयुक्त तथा यहाँ परिभाषित न किए गए किंतु रियायत अनुबंध में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, रियायत अनुबंध में दिया गया अर्थ होगा।

**1.2.3** खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस अनुबंध के खंडों के संदर्भ हैं।

**1.2.4** रियायत अनुबंध के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम इस अनुबंध पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे।

## 2. एस्क्रो खाता

### 2.1 एस्क्रो बैंक का ट्रस्टी के रूप में कार्य करना

**2.1.1** रियायतग्राही एतदद्वारा एस्क्रो बैंक को इस संबंध में प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिए ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है, और एस्क्रो बैंक को ऐसे अधिकार, शक्ति, प्राधिकार और विवेक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है जो इसके निबंधनों द्वारा एस्क्रो बैंक को विशेष रूप से प्रत्यायोजित किए गए हैं, साथ ही ऐसे सभी अधिकार, शक्ति, प्राधिकार और विवेक के साथ जो इसके साथ उचित रूप से आनुषंगिक हैं, और एस्क्रो बैंक इसके निबंधनों के अनुसरण में ऐसी नियुक्ति को स्वीकार करता है।

**2.1.2** रियायतग्राही एतदद्वारा यह घोषित करता है कि एस्क्रो खाते में और उसके सभी अधिकार, शीर्षक और हित एस्क्रो बैंक में निहित होंगे और प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिए ट्रस्ट में रखे जाएंगे, और इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार लागू किए जाएंगे। प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति का इस अनुबंध के तहत लाभार्थी के रूप में, या तीसरे पक्ष के लाभार्थी के रूप में अधिकार नहीं होगा।

## **2.2 एस्क्रो बैंक की स्वीकृति**

एस्क्रो बैंक एतदद्वारा ऐसा कार्य करने और इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एस्क्रो बैंक को वितरित किए जाने वाले और उसके द्वारा रखे जाने वाले सभी भुगतानों और अन्य राशियों को स्वीकार करने के लिए सहमत है। एस्क्रो बैंक इस अनुबंध की अवधि के दौरान एस्क्रो खाते को रखेगा और सुरक्षित रखेगा और एस्क्रो खाते में राशि को रियायतग्राही, वरिष्ठ ऋणदाताओं या प्राधिकरण द्वारा एस्क्रो बैंक के पास जमा की गई राशि के रूप में मानेगा। इस अनुबंध के तहत अपने कार्यों और कर्तव्यों का प्रदर्शन करने में, एस्क्रो बैंक इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही या उनके नामित, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों के लाभ के लिए और उनके एजेंट के रूप में ट्रस्ट में कार्य करेगा।

## **2.3 एस्क्रो खाते की स्थापना और प्रचालन**

**2.3.1** इस अनुबंध की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर, और किसी भी स्थिति में सीओडी से पूर्व, रियायतग्राही एस्क्रो बैंक की [ ] (शाखा का नाम) शाखा के साथ एस्क्रो खाता खोलेगा और स्थापित करेगा। एस्क्रो खाता रुपयों में मूल्यवर्गित होगा।

**2.3.2** एस्क्रो बैंक इस अनुबंध की शर्तों और अपनी सामान्य प्रथाओं तथा लागू विनियमों के अनुसार एस्क्रो खाते का रखरखाव करेगा, और समय-समय पर उक्त खाते में शेष राशि पर सदृश ग्राहकों को देय ब्याज की अधिकतम दर का भुगतान करेगा।

**2.3.3** एस्क्रो बैंक और रियायतग्राही, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के परामर्श से, एस्क्रो खाते के लिए विस्तृत अधिदेश, नियमों और शर्तों, तथा संचालन प्रक्रियाओं पर सहमत होंगे, हालांकि इस अनुबंध और ऐसे अधिदेशों, नियमों और शर्तों, या प्रक्रियाओं के बीच किसी भी संघर्ष या असंगति की स्थिति में, यह अनुबंध मान्य होगा।

## **2.4 एस्क्रो बैंक का शुल्क**

एस्क्रो बैंक, एस्क्रो बैंक और रियायतग्राही के बीच निर्धारित समय पर एवं राशि पर अपना शुल्क और खर्च प्राप्त करने का हकदार होगा।

## 2.5 पक्षकारों के अधिकार

रियायत अनुबंध में अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर, एस्क्रो खाते में रखी गई राशियों में प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के अधिकार इस अनुबंध में पूरी तरह से निर्धारित किए गए हैं और प्राधिकरण, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही का एस्क्रो खाते में या उसके धन के विरुद्ध कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

## 2.6 रियायतग्राही का प्रतिस्थापन

यहाँ पक्षकार यह स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि प्रतिस्थापन अनुबंध के अनुसरण में नामित कंपनी के साथ रियायतग्राही के प्रतिस्थापन पर, इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि नामित कंपनी यहाँ एक पक्ष है और तदनुसार नामित कंपनी को रियायतग्राही के प्रतिस्थापन की तिथि से और उसके प्रभावी होने पर इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही के अधिकारों और दायित्वों का उत्तराधिकारी माना जाएगा।

## 3. एस्क्रो खाते में जमा

### 3.1 रियायतग्राही द्वारा जमा

**3.1.1** रियायतग्राही सहमत है और यह वचन देता है कि वह निम्नलिखित इंटफर्लो और रसीदों को एस्क्रो खाते में जमा करेगा या करवाएगा:

(क) परियोजना के संबंध में बैंकों, वरिष्ठ ऋणदाताओं, अन्य ऋणदाताओं, शेयरधारकों, बीमा कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति से या अन्यथा प्राप्त सभी धन;

(ख) हवाईअड्डा, परियोजना, परियोजना सुविधाओं और/या परियोजना संपत्तियों से या उनके संबंध में सभी शुल्क और अन्य सभी राजस्व, जिसमें किसी भी किराए, जमा, पूंजीगत प्राप्तियों, बीमा दावों आदि की आय शामिल है; और

(ग) किसी भी बकाया मासिक रियायत शुल्क की कटौती के बाद प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान,

बशर्ते कि वरिष्ठ ऋणदाता वित्तपोषण अनुबंधों में इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार ईपीसी ठेकेदार को प्रत्यक्ष संवितरण कर सकते हैं।

**3.1.2** रियायतग्राही किसी भी समय एस्क्रो खाते में अपने अन्य फंड जमा कर सकता है, बशर्ते कि इस अनुबंध के प्रावधान ऐसे जमा पर लागू होंगे।

### 3.2 प्राधिकरण द्वारा जमा

प्राधिकरण सहमत है और यह वचन देता है कि, देय होने पर, वह एस्क्रो खाते में समाप्ति भुगतान जमा करेगा और/या क्रेडिट करेगा। बशर्ते कि, खंड 4.1.1 के प्रावधानों के बावजूद, प्राधिकरण उपर्युक्त राशियों से,



रियायतग्राही द्वारा उसे देय किसी भी मासिक रियायत शुल्क को विनियोजित करने का हकदार होगा और शेष बची हुई राशि एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी।

### 3.3 वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा जमा

ऋणदाताओं के प्रतिनिधि सहमत है, पुष्टि करता है और वचन देता है कि वरिष्ठ ऋणदाता प्रोजेक्ट के संबंध में या उसके संबंध में उनके द्वारा किए गए सभी संवितरणों के साथ एस्क्रो खाते में जमा करेंगे और/या क्रेडिट करेंगे, बशर्ते कि इस अनुबंध में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, वरिष्ठ ऋणदाता इस संबंध में निहित स्पष्ट प्रावधानों के तहत ईपीसी ठेकेदार को प्रत्यक्ष भुगतान करने के हकदार होंगे।

### 3.4 जमा पर ब्याज

एस्करो बैंक सहमत है और यह वचन देता है कि एस्करो खाते की शेष राशि पर अर्जित होने वाला सभी ब्याज एस्करो खाते में जमा किया जाएगा, बशर्ते कि एस्करो बैंक एस्करो खाते के संबंध में रियायतग्राही से देय अपनी शुल्क और खर्चों को उससे विनियोजित करने का हकदार होगा और शेष बची हुई राशि को एस्करो खाते में क्रेडिट करेगा।

## 4. एस्करो खाते से निकासी

### 4.1 निकासी

4.1.1 प्रत्येक महीने की शुरुआत में, या ऐसे कम अंतरालों पर जैसा कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही, लिखित निदेशों द्वारा, निर्धारित कर सकते हैं कि एस्करो बैंक एस्करो खाते से राशि निकालेगा और देय भुगतान करने के लिए प्रासंगिक उप-खातों में ऐसी राशि जमा करके उन्हें निम्नलिखित प्राथमिकता के क्रम में विनियोजित करेगा, और यदि ऐसे भुगतान किसी महीने में देय नहीं हैं, तो ऐसे धन को ऐसे उप-खातों में रखेगा और भुगतान तिथि (तिथियों) पर उससे भुगतान करेगा:

(क) वैधानिक भुगतान, हवाईअड्डा के लिए और उसके संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय सभी कर;

(ख) प्राधिकरण को देय मासिक रियायत शुल्क;

(ग) रियायत अनुबंध के अनुसार और/या रियायत अनुबंध के तहत रियायतग्राही द्वारा इसे देय के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाने के अनुसार प्राधिकरण को देय सभी भुगतान; और

(घ) एक लेखा वर्ष में देय ऋण सेवा का मासिक आनुपातिक प्रावधान;

(ङ) शेष, यदि कोई हो, रियायतग्राही के निदेशों के अनुसार।

4.1.2 प्रत्येक लेखा वर्ष की शुरुआत से 60 (साठ) दिन से कम नहीं, रियायतग्राही ऋणदाताओं के प्रतिनिधि की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ, एस्करो बैंक को इस खंड 4.1 में निर्धारित प्रत्येक भुगतान दायित्वों के लिए आवश्यक होने वाली संभावनाओं का विवरण प्रदान करेगा, बशर्ते कि ऋणदाताओं का प्रतिनिधि की पूर्व लिखित स्वीकृति के साथ ऐसे संस्करणों को बाद में संशोधित किया जा सकता है, यदि वर्ष के दौरान प्राप्त नई जानकारी ऐसा संशोधन आवश्यक बनाती है।

## 4.2 समाप्ति पर निकासी

रियायत अनुबंध की समाप्ति पर, इस अनुबंध में किसी भी बात के होते हुए भी, एस्क्रो खाते के क्रेडिट में मौजूद सभी राशियों को विनियोजित किया जाएगा और निम्नलिखित क्रम में निपटाया जाएगा:

(क) हवाईअड्डा के लिए व संबंध में रियायतग्राही द्वारा देय वेतनपत्रक बकाया और वैधानिक भुगतान, सभी कर;

(ख) बकाया मासिक रियायत शुल्क;

(ग) रियायत अनुबंध की समाप्ति की तिथि के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को भुगतान किए जाने वाले अन्य सभी बकाया राशि;

(घ) इस अनुबंध के अनुसार प्राधिकरण को बाकी और देय भुगतान और/या रियायतग्राही द्वारा इसे देय के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हर्जाने;

(ङ) देय ऋण की शेष राशि सहित बकाया ऋण सेवा;

(च) रियायतग्राही के निदेशों के अनुसार, यदि कोई हो, शेष:

बशर्ते कि इस खंड 4.2 के उप-खंड (ङ) में निर्दिष्ट संवितरण केवल तभी किए जाएंगे जब प्राधिकरण द्वारा निहित प्रमाण पत्र (Vesting Certificate) जारी कर दिया गया हो।

## 4.3 अपर्याप्त निधि का अनुप्रयोग

एस्करो खाते में निधि को खंड 4.1 और 4.2 में निर्धारित प्राथमिकता के क्रमिक व्यवस्था में लागू किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। यदि उपलब्ध निधि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो एस्करो बैंक ऐसे निधि को समाप्त होने तक प्राथमिकता के क्रमिक व्यवस्था में लागू करेगा।

## 4.4 बीमा प्राप्ति का अनुप्रयोग

इस अनुबंध में किसी भी बात के होते हुए भी, जीवन और चोट को छोड़कर, सभी बीमा दावों से प्राप्ति को एस्करो खाते में जमा किया जाएगा और/या क्रेडिट किया जाएगा और हवाईअड्डा की किसी भी आवश्यक मरम्मत, पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार, प्रतिस्थापन या सुधार के लिए उपयोग किया जाएगा, और शेष बची हुई राशि, यदि कोई हो, वित्तपोषण अनुबंध में इस संबंध में निहित प्रावधानों के अनुसार लागू की जाएगी।

## 4.5 निलंबन के दौरान निकासी

इस अनुबंध में निहित इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण रियायत अनुबंध के धारा 34 के तहत निलंबन की अवधि के दौरान रियायतग्राही के सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है। इस तरह की अवधि के दौरान एस्करो बैंक को दिए गए प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का ऐसे पालन किया जाएगा जैसे कि ऐसे निर्देश इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही द्वारा दिए गए थे, और यहाँ प्राधिकरण के सभी कार्यों को रियायतग्राही की ओर से और के लिए लिया गया माना जाएगा।

## 5. एस्करो बैंक के दायित्व

### 5.1 निधि का पृथक्करण

इस अनुबंध के तहत एस्करो बैंक द्वारा प्राप्त धन और अन्य संपत्ति, जब तक कि इस अनुबंध के अनुसार उपयोग या लागू नहीं की जाती है, एस्करो बैंक द्वारा उन उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट में रखी जाएगी जिनके लिए वे प्राप्त किए गए थे, और एस्करो बैंक के अन्य निधियों और संपत्ति से अलग रखी जाएगी।

### 5.2 शेष राशि की सूचना

प्रत्येक भुगतान तिथि से 7 (सात) व्यावसायिक दिन पहले (और इस प्रयोजन के लिए एस्करो बैंक प्रासंगिक भुगतान तिथियों के रूप में रियायतग्राही और/या ऋणदाताओं का प्रतिनिधि द्वारा एक पुष्टिकरण पर भरोसा करने का हकदार होगा), एस्करो बैंक ऋणदाताओं का प्रतिनिधि को तुरंत पिछले व्यावसायिक दिन कारोबार की समाप्ति पर एस्करो खाते और उप-खातों में शेष राशि की सूचना देगा।

### 5.3 संचार और नोटिस

एस्करो बैंक एतद्वारा अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में :

(क) यदि उसकी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही न हो, तो तथ्यात्मक मामले में यह यथोचित रूप से अपेक्षित हो कि वह उसकी ओर से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र पर रियायतग्राही के ज्ञान में होगा, भरोसा कर सकता है;

(ख) यदि उनकी ओर से दुर्भावना या घोर लापरवाही न हो तो, किसी भी संचार या दस्तावेज की प्रामाणिकता पर भरोसा कर सकता है जिसे वह प्रामाणिक मानता है;

(ग) प्राप्ति के बाद 5 (पाँच) व्यावसायिक दिनों के भीतर, रियायतग्राही या यहाँ या इसके संबंध में किसी अन्य व्यक्ति से एस्करो बैंक के रूप में अपनी क्षमता में इसके द्वारा प्राप्त किसी भी नोटिस या दस्तावेज की एक प्रति ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को देगा; और

(घ) प्राप्ति के बाद 5 (पाँच) व्यावसायिक दिनों के भीतर, इसके संबंध में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि से इसके द्वारा प्राप्त किसी भी सूचना या दस्तावेज की एक प्रति रियायतग्राही को देगा।

### 5.4 नो सेटऑफ-

एस्करो बैंक एस्करो खाते के क्रेडिट में मौजूद राशियों के संबंध में सेट-ऑफ, बैंकर के ग्रहणाधिकार (lien) या अन्य अधिकार या उपाय के किसी भी अधिकार का दावा करने या उसका प्रयोग करने के लिए सहमत नहीं है। एस्करो बैंक द्वारा यह स्वीकार किया जाता है और सहमति दी जाती है कि एस्करो बैंक द्वारा एस्करो खाते में रखे गए धन और संपत्ति को एस्करो बैंक की संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जाएगा और ट्रस्ट संपत्ति होने के

नाते, एस्क्रो बैंक के दिवालियापन या परिसमापन के मामले में, ऐसे दिवालियापन या परिसमापन में एस्क्रो बैंक की संपत्ति से पूरी तरह से बाहर रखा जाएगा।

## 5.5 विनियामक स्वीकृतियाँ

एस्क्रो बैंक एस्क्रो खाते को स्थापित करने और संचालित करने के लिए आवश्यक सभी विनियामक स्वीकृतियों को प्राप्त करने, और उसके बाद बनाए रखने तथा उनका पालन करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा। एस्क्रो बैंक प्रतिनिधित्व करता है और वारंट करता है कि उसे किसी भी ऐसे कारण की जानकारी नहीं है जिसके कारण ऐसी विनियामक स्वीकृतियाँ सामान्यतः एस्क्रो बैंक को नहीं दी जाएंगी।

## 6. एस्क्रो व्यतिक्रम

### 6.1 एस्क्रो व्यतिक्रम

निम्नलिखित घटनाएँ रियायतग्राही द्वारा व्यतिक्रम की एक घटना का गठन करेंगी ("एस्क्रो व्यतिक्रम"), जब तक कि ऐसी व्यतिक्रम की घटना फोर्स माजेर या प्राधिकरण या ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के किसी कृत्य या चूक के परिणामस्वरूप न हुई हो:

(क) रियायतग्राही यहाँ प्रदान किए गए अनुसार एस्क्रो खाते में किसी भी प्राप्ति को जमा करने में विफल रहकर इस अनुबंध का उल्लंघन करता है, और 5 (पाँच) व्यावसायिक दिनों की सुधार अवधि के भीतर एस्क्रो खाते में समान जमा करके ऐसे उल्लंघन को सुधारने में विफल रहता है;

(ख) रियायतग्राही इस अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में रियायतग्राही के किसी भी खाते में फंड ट्रांसफर करने के लिए एस्क्रो बैंक का कारण बनता है और 5 (पाँच) व्यावसायिक दिनों की सुधार अवधि के भीतर एस्क्रो खाते में संबंधित निधि जमा करके ऐसे उल्लंघन को सुधारने में विफल रहता है; या

(ग) रियायतग्राही इस अनुबंध के प्रावधानों का कोई अन्य उल्लंघन करता है या उसका कारण बनता है और 5 (पाँच) व्यावसायिक दिनों की सुधार अवधि के भीतर इसे सुधारने में विफल रहता है।

**6.1.2** एस्क्रो व्यतिक्रम होने पर, इसके परिणामों को रियायतग्राही अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

## 7. एस्क्रो अनुबंध का समापन

### 7.1 एस्क्रो अनुबंध की अवधि

**7.1.1** यह अनुबंध तब तक पूर्ण अधिकार और प्रभाव में रहेगा जब तक कि वरिष्ठ ऋणदाताओं से प्राप्त ऋण, गारंटी या वित्तीय सहायता के संबंध में रियायतग्राही से कोई राशि अग्रिम रूप से देय या बकाया रहती

है, या प्राधिकरण के प्रति इसके कोई भी दायित्व का निर्वहन होना बाकी है, जब तक कि सभी पक्षकारों की सहमति से या इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार पहले समाप्त न किया जाए।

**7.1.2** ऊपर खंड 7.1.1 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खंड 7.1.1 के अनुसार एस्क्रो अनुबंध की समाप्ति के साथ-साथ, रियायतग्राही एतद्वारा निम्नलिखित संशोधनों के अधीन, उसी प्रारूप में एक नया एस्क्रो अनुबंध निष्पादित करने के लिए सहमत है:

(क) ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को एस्क्रो अनुबंध में एक पक्ष के रूप में प्राधिकरण या उसके किसी नामित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) प्राधिकरण या उसका कोई नामित, (क) के अनुसार एस्क्रो अनुबंध में एक पक्ष होने के नाते, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के को निर्धारित सभी कार्यों को निष्पादित और निर्वहन करेगा;

(ग) वरिष्ठ ऋणदाताओं और वित्तपोषण आनुबंधों तथा अन्य संबंधित शर्तों के सभी संदर्भों को प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार संशोधित किया जाएगा;

(घ) ऐसा कोई भी एस्क्रो अनुबंध रियायत अनुबंध के समापन के बाद ही समाप्त किया जाएगा, और उस अवधि के लिए कम से कम वैध रहेगा जिसके लिए खंड 37.2 के अनुसार एस्क्रो खाते में कोई भी राशि रखी जानी है; और

(ङ) ऐसे अन्य परिवर्तन और संशोधन, जैसा कि ऐसे समय में प्राधिकरण द्वारा निदेशित किया जा सकता है।

**7.1.3** उपर्युक्त खंड 7.1.1 के अनुसार एस्क्रो अनुबंध के समापन के अधिकतम 24 (चौबीस) घंटों के भीतर खंड 7.1.2 के अनुसार एस्क्रो अनुबंध का निष्पादन न होना, रियायत अनुबंध के तहत रियायतग्राही का व्यतिक्रम माना जाएगा, जिसमें प्राधिकरण के पास रियायत अनुबंध के समापन के अधिकार सहित अनुवर्ती उपाय उपलब्ध होंगे।

## **7.2 एस्क्रो बैंक का प्रतिस्थापन**

**7.2.1** रियायतग्राही, एस्क्रो बैंक, प्राधिकरण और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को कम से कम 45 (पैंतालीस) दिन पूर्व नोटिस देकर, इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है और एक नया एस्क्रो बैंक नियुक्त कर सकता है, बशर्ते कि नया एस्क्रो बैंक ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को स्वीकार्य हो और उत्तराधिकारी एस्क्रो बैंक के साथ स्थापित एक नए एस्क्रो खाते में पूर्व के एस्क्रो खाते में जमा राशियों के ट्रांसफर के लिए ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के लिए संतोषजनक व्यवस्था की जाती है।

**7.2.2** इस अनुबंध का समापन केवल तभी प्रभावी होगी जब प्रतिस्थापन एस्क्रो बैंक के साथ एक एस्क्रो अनुबंध लागू हो जाएगा।

### 7.3 एस्करो खाते का बंद होना

एस्करो बैंक, रियायतग्राही और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के अनुरोध पर रियायत अनुबंध और वित्तपोषण अनुबंधों के तहत सभी बकाया राशियों के भुगतान पर या उसके बाद किया गया अनुरोध जिसमें खंड 4.2 में निर्दिष्ट भुगतान शामिल हैं, और ऐसे भुगतानों की प्राप्ति की पुष्टि पर, एस्करो खाते और उप-खातों को बंद करेगा और इसके क्रेडिट में किसी भी राशि का भुगतान रियायतग्राही को करेगा। यहाँ एस्करो खाते के बंद होने पर, एस्करो अनुबंध समाप्त माना जाएगा।

## 8. अनुपूरक एस्करो अनुबंध

### 8.1 अनुपूरक एस्करो अनुबंध

ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही, खंड 4.1.1 के अनुसरण में उपखातों से निकासी के लिए विस्तृत प्रक्रियाओं और प्रलेखन के संबंध में, तथा इस अनुबंध के अंतर्गत शामिल न किए गए मामलों जैसे कि वरिष्ठ ऋणदाताओं और अधीनस्थ ऋण के ऋणदाताओं के अधिकारों और दायित्वों, अधिशेष निधि के निवेश, इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या एस्करो व्यतिक्रम होने पर रियायतग्राही द्वारा निकासी पर प्रतिबंध, एस्करो खाते के संचालन और उससे निकासी से संबंधित प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और इससे जुड़े किसी भी मामले के लिए एस्करो बैंक के साथ एक अनुपूरक एस्करो अनुबंध में प्रवेश करने के हकदार होंगे, बशर्ते कि ऐसे अनुपूरक एस्करो अनुबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा जो इस अनुबंध के साथ असंगत हो, और इस अनुबंध के प्रावधानों तथा ऐसे अनुपूरक एस्करो अनुबंध के प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष या असंगति की स्थिति में, इस अनुबंध के प्रावधान प्रभावी होंगे।

## 9. क्षतिपूर्ति

### 9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

9.1.1 रियायतग्राही, इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या लागू कानूनों और लागू परमिटों के अनुपालन करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण होने वाले किसी भी तथा सभी कार्यवाहियों, मुकदमों और तीसरे पक्ष के दावों, किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के विरुद्ध प्राधिकरण, एस्करो बैंक और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करने वाले वरिष्ठ ऋणदाताओं को क्षतिरहित रखेगा, उनकी रक्षा करेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा।

9.1.2 प्राधिकरण, इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में प्राधिकरण की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी तथा सभी कार्यवाहियों, मुकदमों और तीसरे पक्ष के दावों, किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के विरुद्ध रियायतग्राही को क्षतिरहित रखेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा, जो रियायत अनुबंध या इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, सिवाय प्राधिकरण, उसके अधिकारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं द्वारा उनके वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के।

9.1.3 एस्क्रो बैंक, इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में एस्क्रो बैंक की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी तथा सभी कार्यवाहियों, मुकदमों और तीसरे पक्ष के दावों, किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के विरुद्ध रियायतग्राही को क्षतिरहित रखेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा, जो रियायत अनुबंध के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, सिवाय एस्क्रो बैंक, उसके अधिकारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं द्वारा उनके वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के।

## 9.2 नोटिस और दावों पर विवाद

यदि यहाँ किसी पक्षकार को किसी तीसरे पक्ष से कोई दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति के लाभ का हकदार है या जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति का हकदार है ("**क्षतिपूरित पक्ष**"), तो वह दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इस अनुबंध के तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष को सूचित करेगा ("**क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष**") क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, ऐसी स्वीकृति को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का मुकाबला करना या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूरित पक्ष के नाम पर कार्यवाही का संचालन कर सकता है और इसका मुकाबला करने में शामिल सभी लागतों को वहन करेगा। क्षतिपूरित पक्ष किसी भी दावे का मुकाबला करने में सभी सहयोग और सहायता प्रदान करेगा तथा ऐसे सभी लेखपत्रों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष यथोचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

## 10. विवाद समाधान

### 10.1 विवाद समाधान

10.1.1 इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाला या इससे संबंधित कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, जिसका सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया गया है, विवाद के प्रत्येक पक्षकार द्वारा नामित एक व्यक्ति को मिलाकर गठित मध्यस्थों के एक बोर्ड की नियुक्ति करके मध्यस्थता के माध्यम से अंतिम रूप से तय किया जाएगा, और जहाँ ऐसे नामितों की संख्या एक सम संख्या है, वहाँ नामितगण ऐसे बोर्ड के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव करेंगे। ऐसी मध्यस्थता, नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और समय-समय पर यथा संशोधित मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के प्रावधानों के अधीन होगी।

10.1.2 मध्यस्थों एक तर्कपूर्ण निर्णय जारी करेंगे और ऐसा निर्णय पक्षकारों पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगी और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

## 11. विविध प्रावधान

### 11.1 शासक विधि और अधिकार क्षेत्र

इस अनुबंध का निर्माण और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और उनके द्वारा शासित होगा, और राज्य की न्यायालयों का इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों पर अधिकार क्षेत्र होगा।

### 11.2 संप्रभु उन्मुक्ति का अधित्यजन

प्राधिकरण बिना शर्त और अपरिवर्तनीयरूप से :

(क) सहमत है कि इस अनुबंध का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन मिलाकर व्यावसायिक कार्यों तथा व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए है;

(ख) सहमत है कि इस अनुबंध द्वारा परिकल्पित किसी लेनदेन या इस अनुबंध के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में इसके या इसकी संपत्तियों, परिसंपत्तियों या राजस्व के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही की गई, तो उसकी संपत्ति के संबंध में प्राधिकरण द्वारा एवं की ओर से ऐसी कार्यवाही से कोई भी उन्मुक्ति (संप्रभुता या अन्यथा के कारण) दावा नहीं की जाएगी;

(ग) उन्मुक्ति के किसिस भी अधिकार को त्यागता है जो उसके पास या उसकी संपत्तियों, परिसंपत्तियों या राजस्व अब है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे किसी भी अधिकार क्षेत्र के तहत इसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; और

(घ) सहमत है कि ऐसी किसी भी कार्यवाही में उसके विरुद्ध किसी भी निर्णय या अधिनिर्णय को लागू करने की कार्यवाही में किसी भी अधिकार क्षेत्र में कोई राहत दी जा सकती है या कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है (इसमें उससे जुड़ी किसी भी संपत्ति, परिसंपत्ति या राजस्व के विरुद्ध, चाहे उनका प्रयोग किसी भी तरह से हो रहा हो या होने वाला हो, किसी भी आदेश या निर्णय को जारी करना, लागू करना या उस पर अमल करना शामिल है)।

### 11.3 अनुबंधों की प्राथमिकता

रियायत अनुबंध और इस अनुबंध के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, रियायत अनुबंध में अंतर्विष्ट प्रावधान इस अनुबंध पर प्रभावी होंगे।

### 11.4 निबंधनों में परिवर्तन

इस अनुबंध में सभी जोड़, संशोधन, उपांतरण और विविधताएँ तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब वे लिखित रूप में हों और पक्षकारों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।



## 11.5 अधित्यजन

11.5.1 इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान या दायित्वों के अनुपालन और प्रदर्शन में किसी अन्य पक्षकार द्वारा किसी व्यतिक्रम का किसी पक्षकार द्वारा अधित्यजन:

(क) इस अनुबंध के दायित्वों या अन्य प्रावधानों का या किसी अन्य अथवा अनुवर्ती व्यतिक्रम का प्रचालन या अधित्यजन नहीं किया जाएगा;

(ख) पक्षकार के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित में न होने पर या निष्पादित नहीं किए जाने पर प्रभावी नहीं होगा;

(ग) किसी भी तरह से इस अनुबंध की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

11.5.2 न तो किसी भी अवसर पर इस अनुबंध के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या उसके तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन पर जोर देने में किसी पक्षकार द्वारा विफलता, और न ही किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया गया समय या अन्य रियायत, ऐसे उल्लंघन के अधित्यजन या किसी भी भिन्नता की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी अधिकार के त्याग के रूप में मानी जाएगी या समझी जाएगी।

## 11.6 कोई तीसरे पक्ष के लाभार्थी नहीं

यह अनुबंध पूरी तरह से पक्षकारों के लाभ के लिए है और इसके तहत किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के पास कोई अधिकार नहीं होगा।

## 11.7 उत्तरजीविता

11.7.1 इस अनुबंध की समाप्ति:

(क) पक्षकारों को इसके तहत किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इसकी समाप्ति के बाद भी जीवित रहते हैं; और

(ख) किसी भी पक्षकार की देता को स्पष्ट रूप से सीमित करने वाले इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर किसी भी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को हुई हानी या क्षति के लिए किसी भी दायित्व या डेंदारियों से मुक्त नहीं करेगी जो ऐसे पक्षकार के कृत्यों या चूकों से उत्पन्न या उनके कारण हुई है।

11.7.2 इस अनुबंध के रद्द होने, समाप्त होने या समाप्ति के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व इस अनुबंध की ऐसी समाप्ति या समाप्ति की तिथि से केवल 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए जीवित रहेगा।

## 11.8 पृथक्करण

यदि किसी भी कारण से, इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है या सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी न्यायालय या किसी अन्य उपकरण द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय

घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, मान्यता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्षकार ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधान के लिए यथासंभव निकटतम रूप से प्रतिस्थापित किए जाने वाले एक या अधिक प्रावधानों पर सहमत होने की दृष्टि से सद्भाव से सुलझाएंगे। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमत होने में विफलता इस अनुबंध के खंड 10.1 या अन्यथा के तहत विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

### **11.9 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती**

यह अनुबंध पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों तथा अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए होगा।

#### **11.10 नोटिस**

इस अनुबंध के तहत दिए जाने वाले सभी नोटिस या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और इन्हें या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, साथ ही एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ईमेल द्वारा भी भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्ष का सेवा पता, उसका फैक्स नंबर और ईमेल पता इस अनुबंध के हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के नीचे दिया गया है। नोटिस उसकी वास्तविक प्राप्ति पर प्रभावी होगा, सिवाय इसके कि यदि वह किसी कार्यदिवस पर शाम 5:30 बजे के बाद या किसी ऐसे दिन प्राप्त होता है जो कार्यदिवस नहीं है, तो नोटिस को वास्तविक प्राप्ति की तिथि के बाद आने वाले पहले कार्यदिवस पर प्राप्त माना जाएगा। उपर्युक्त के बावजूद, फैक्स या ईमेल द्वारा नोटिस या संचार देने वाला पक्ष उसकी एक प्रति तुरंत व्यक्तिगत रूप से देगा या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे नोटिस या संचार के प्राप्तकर्ता को भेजेगा। एतद्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि कोई भी पक्ष, नोटिस द्वारा उस पते को बदल सकता है जिस पर ऐसे नोटिस और संचार उसे वितरित किए जाने हैं या मेल किए जाने हैं। ऐसा परिवर्तन तब प्रभावी होगा जब सभी पक्षकारों को इसकी सूचना मिल जाएगी।

#### **11.11 भाषा**

इस अनुबंध के तहत या इसके संबंध में सभी नोटिस, प्रमाण पत्र, पत्रचार और कार्यवाही अंग्रेजी में होगी।

#### **11.12 अधिकृत प्रतिनिधि**

प्रत्येक पक्ष लिखित सूचना द्वारा अपने-अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नामित करेगा, जिनके माध्यम से ही सभी संचार किए जाएंगे। इस अनुबंध का कोई भी पक्ष इसी प्रकार की सूचना द्वारा ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को हटाने और/या प्रतिस्थापित करने या नया प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा।

#### **11.13 मूल दस्तावेज**

यह अनुबंध चार प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक प्रति जब निष्पादित और वितरित की जाएगी, तो वह इस अनुबंध के मूल का गठन करेगी।

जिसकी साक्ष्य में, पक्षों ने उपर्युक्त लिखित तिथि के अनुसार इस अनुबंध का निष्पादन किया और इसे सौंप दिया है।

रियायतग्राही के निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 20[ ] के दिन [ ] को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार [ ], निदेशक की उपस्थिति में जिन्होंने प्रतीक के रूप में प्रतिहस्ताक्षर किया है एवं [ ], कंपनी सचिव/प्राधिकृत की उपस्थिति में, अधिकारी जिन्होंने भी उस पर प्रतिहस्ताक्षर किए हैं, रियायतग्राही की सामान्य मुहर लगाई गई है।

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स नंबर)  
(ई-मेल पता)

#### **हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित**

ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से:

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स नंबर)  
(ई-मेल पता)

#### **हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित**

प्राधिकरण द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से;

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स नंबर)  
(ई-मेल पता)

#### **हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित**

एस्क्रो बैंक द्वारा वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से:

(हस्ताक्षर) (नाम) (पदनाम) (पता) (फैक्स नंबर)

(ई-मेल पता)

की उपस्थिति में

**अनुसूची - 'ढ'**  
**चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल**  
(खंड 31.2.1 देखें)

**1. चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल**

अनुबंध के खंड 31.2.1 के प्रावधानों के अनुसरण में, प्राधिकरण भारत में अपने पंजीकृत कार्यालय रखने वाले छह (6) चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्मों का एक पैनल को नामित करेगा ("चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल")। ऐसे पैनल को तैयार करने के लिए मानदंड और इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस अनुसूची 'एन' में निर्धारित अनुसार होगी।

**2. पैनल में शामिल करने के लिए आमंत्रण**

प्राधिकरण चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सभी प्रतिष्ठित फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, अर्थात्:

(क) फर्म के पास कंपनी अधिनियम, 1956 या 2013 (जैसा भी मामला हो) के तहत पंजीकृत कम से कम एक सौ कंपनियों के वार्षिक खातों का सांविधिक लेखा परीक्षा करने का अनुभव होना चाहिए, जिसमें इसका कोई पुनरूपण या संशोधन शामिल है, और जिनमें से कम से कम दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने चाहिए;

(ख) फर्म की सूची में कम से कम 5 (पाँच) प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक के पास इस पेशे में न्यूनतम 10 (दस) वर्षों का अनुभव हो;

(ग) फर्म या उसके किसी भी साझेदार को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) या प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या काली सूची में नहीं डाला गया हो; और

(घ) फर्म का राज्य में या किसी निकटवर्ती राज्य में एक कार्यालय होना चाहिए जिसमें ऐसे राज्य में उनकी सूची में कम से कम 2 (दो) प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट हों।

2.2 पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले इच्छुक फर्मों को अपनी क्षमता का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें इसकी सूची के सभी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंटों का बायो-डेटा शामिल है। विशेष रूप से, प्रत्येक फर्म को उन सभी कंपनियों के नामों से संबंधित वर्ष-वार जानकारी प्रस्तुत करनी होगी जिनका वार्षिक टर्नओवर 25,00,00,000 रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) से अधिक है और जिनके वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा ऐसे फर्म द्वारा पूर्ववर्ती 5 (पाँच) लेखा वर्षों में से किसी में भी की गई हो।

### 3. मूल्यांकन एवं चयन

3.1 प्रत्येक फर्म द्वारा प्रस्तुत जानकारी की संवीक्षा की जाएगी और प्राधिकरण द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा तथा ऊपर अनुच्छेद 2.2 में विनिर्दिष्ट कंपनियों के प्रत्येक वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए 1 (एक) अंक प्रदान किया जाएगा (उदाहरण के लिए, जिस फर्म ने ऐसे किसी कंपनी के वार्षिक खातों का लेखा परीक्षा 5 (पाँच) वर्षों के लिए किया है, उसे 5 (पाँच) अंक दिए जाएंगे)।

3.2 प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक फर्म द्वारा प्राप्त अंकों के साथ सभी पात्र फर्मों की एक सूची तैयार करेगा और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले 6 (छह) फर्मों की पहचान की जाएगी तथा उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंटों के मसौदा पैनल में शामिल किया जाएगा।

### 4. रियायतग्राही के साथ परामर्श

प्राधिकरण फर्मों के उपर्युक्त पैनल के बारे में रियायतग्राही को संवीक्षा और टिप्पणियों (यदि कोई हो) के लिए सूचित करेगा। रियायतग्राही यह पता लगाने के लिए प्राधिकरण के प्रासंगिक अभिलेखों की संवीक्षा करने का हकदार होगा कि क्या फर्मों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है और यह उपर्युक्त पैनल प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, प्राधिकरण को भेजेगा।

### 5. चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल

5.1 प्राधिकरण रियायतग्राही की टिप्पणियों (यदि कोई हों) सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद, 6 (छह) फर्मों के एक पैनल को अंतिम रूप देगा और उसका गठन करेगा।

5.2 चार्टर्ड अकाउंटेंटों का पैनल तैयार करने की तिथि से प्रत्येक 5 (पाँच) वर्ष पूरे होने के बाद, या ऐसी पूर्व अवधि के बाद जैसा कि प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच सहमति हो, इस अनुसूची 'एन' के प्रावधानों के अनुसार एक नया पैनल तैयार किया जाएगा।

## अनुसूची - 'ण'

### वेस्टिंग प्रमाण पत्र

(खंड 36.4 देखें)

1. **भारतीय विमानपतन प्राधिकरण**, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ("प्राधिकरण") द्वारा किया जाता है, [उस राज्य का नाम लिखें जहां हवाईअड्डा स्थित है] राज्य के [उस शहर का नाम जहां हवाईअड्डा स्थित है] हवाईअड्डा के लिए प्राधिकरण और [ ] ("रियायतग्राही") के बीच निष्पादित दिनांक [ ] के रियायत अनुबंध ("अनुबंध") से तात्पर्य है।
2. प्राधिकरण एतद्वारा अनुबंध के धारा 36 में निर्धारित विनिवेश आवश्यकताओं (Divestment Requirements) के रियायतग्राही द्वारा अनुपालन और पूर्णता को स्वीकार करता है, इस आधार पर कि इस वेस्टिंग प्रमाण पत्र के जारी होने पर, प्राधिकरण यह मानेगा कि उसने हवाईअड्डे में या उसके संबंध में रियायतग्राही के सभी अधिकार, हक और हित को बिना किसी भार, प्रभार और ग्रहणाधिकार (encumbrances, charges and liens) के प्राप्त कर लिया है और वे प्राधिकरण में निहित हो चुके हैं।
3. उपर्युक्त किसी भी बात के विपरीत होते हुए भी, इस वेस्टिंग प्रमाण पत्र की एक शर्त यह होगी कि इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात को रियायतग्राही की किसी भी विनिवेश आवश्यकता में किसी भी त्रुटि या कमी को ठीक करने और सुधारने के दायित्व को त्यागने के रूप में नहीं समझा या व्याख्या किया जाएगा और न ही रियायतग्राही को इससे किसी भी प्रकार से मुक्त किया जाएगा।

यह [ ] वें दिन [ ] माह 20[ ] [ ] पर को हस्ताक्षरित किया गया।

#### सहमत, स्वीकृत व हस्ताक्षरित

कृते एवं की ओर से  
द्वारा रियायतग्राही :

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

#### हस्ताक्षरित, मुहरबंद व सुपुर्द

कृते एवं की ओर से  
द्वारा प्राधिकरण :

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

की उपस्थिति में :

1.

2.

**अनुसूची - 'त'**  
**प्रतिस्थापन अनुबंध**

(खंड 38.3.1 देखें)

यह प्रतिस्थापन अनुबंध ("अनुबंध") [ ]वें दिन [ ] माह, 20[ ] को [ ] स्थान पर संपन्न हुआ:

**द्वारा एवं के मध्य**

**भारतीय विमानपतन प्राधिकरण**, जो भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निगमित निकाय है और जिसका निगमित कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली 110003, भारत में स्थित है (जिसे इसके पश्चात् "प्राधिकरण" तब तक कहा जाएगा, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल हैं);

**तथा**

[ ], कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन गठित एक कंपनी है, जिसकी निगमित पहचान संख्या [ ] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [ ] में स्थित है (जिसे इसके पश्चात् "रियायतग्राही" तब तक कहा जाएगा, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो जिसमें इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिती और प्रतिस्थानी शामिल हैं,);

**तथा**

[ ] (ऋणदाताओं के प्रतिनिधि का नाम और विवरण लिखें), जो वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए और की ओर से उनके विधिवत अधिकृत एजेंट के रूप में इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित मामलों के संबंध में कार्य कर रहा है, और जिसका पंजीकृत कार्यालय [ ] में स्थित है (जिसे इसके पश्चात् "ऋणदाताओं के प्रतिनिधि" तब तक कहा जाएगा, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं)।

**जबकि:**

**क.** प्राधिकरण ने [उस राज्य का नाम लिखें जहां हवाईअड्डा स्थित है] राज्य के [उस शहर का नाम जहां हवाईअड्डा स्थित है] के हवाईअड्डा के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [ ] को एक रियायत अनुबंध ("रियायत अनुबंध") किया है, जो रियायत अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार है, और जिसकी एक प्रति इस अनुबंध के साथ संलग्न है तथा इस अनुबंध का भाग बनने के लिए इसे अनुलग्नक 'क' के रूप में चिह्नित किया गया है।

**ख.** वरिष्ठ ऋणदाताओं वित्तपोषण अनुबंधों में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को वित्त सहमति प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं।



ग. वरिष्ठ ऋणदाताओं ने इस अनुबंध एवं रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार रियायत को एक नामित कंपनी को समनुदेशन, स्थानांतरण और प्रतिस्थापन के माध्यम से अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए प्राधिकरण से प्रतिस्थापन अनुबंध करने का अनुरोध किया है।

घ. परियोजना के प्रचालन, प्रबंधन और विकास सहित उसके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए, प्राधिकरण इस अनुबंध और रियायत अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार रियायत को एक नामित कंपनी में स्थानांतरित और समनुदेशित करने के लिए सहमत हुआ है तथा वचन दिया है।

अतः अब, पूर्वोक्त और इस अनुबंध में निर्धारित पारस्परिक वचनों तथा अनुबंधों को ध्यान में रखते हुए, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्वारा स्वीकार किया जाता है, और कानूनी रूप से बाध्य होने के उद्देश्य से, पक्षकारगण निम्नलिखित रूप में सहमत हुए हैं:

## 1. परिभाषाएं और व्याख्या

### 1.1 परिभाषाएँ

इस प्रतिस्थापन अनुबंध में, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इसके पश्चात् उनके सामने क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो:

**"अनुबंध"** का तात्पर्य इस प्रतिस्थापन अनुबंध से है और इसमें इस अनुबंध में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार किए गए कोई भी संशोधन शामिल हैं;

**"रियायत अनुबंध"** का तात्पर्य प्रस्तावना 'क' में उक्त से है;

**"वित्तीय व्यतिक्रम"** का तात्पर्य वित्तपोषण अनुबंधों के नियमों और शर्तों के महत्वपूर्ण उल्लंघन से है या न्यूनतम 3 (तीन) महीने की अवधि के लिए रियायतग्राही द्वारा ऋण सेवा में निरंतर व्यतिक्रम से है;

**"क्षतिपूरित पक्ष"** का तात्पर्य निम्नलिखित खंड 7.2 में उक्त से है;

**"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष"** का तात्पर्य निम्नलिखित खंड 7.2 में उक्त से है;

**"ऋणदाताओं के प्रतिनिधि"** का तात्पर्य पूर्वोक्त प्रस्तावनाओं में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के रूप में उल्लिखित व्यक्ति से है;

**"नामित कंपनी"** का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत गठित एक कंपनी से है, जिसमें इसका पुनरूपण या संशोधन शामिल है, जिसे वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा चुना गया है और इस अनुबंध के अनुसार रियायत के समनुदेशन/हस्तांतरण के लिए प्राधिकरण को प्रस्तावित किया गया है;

**"वित्तीय व्यतिक्रम का नोटिस"** का तात्पर्य खंड 3.2.1 में दिए गए से है; और

**"पक्षकारगण"** का तात्पर्य सामूहिक रूप से इस अनुबंध के पक्षकारों से है, और **"पक्षकार"** का तात्पर्य व्यक्तिगत रूप से इस अनुबंध के किसी भी पक्षकार से है।

### 1.2 व्याख्या

1.2.1 ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के संदर्भ का तात्पर्य, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, वरिष्ठ ऋणदाताओं की ओर से और उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले ऋणदाताओं के प्रतिनिधि से होगा।

1.2.2 खंडों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस अनुबंध के खंडों के संदर्भ हैं।

1.2.3 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस अनुबंध में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो यहाँ उन्हें दिया गया है, और इस अनुबंध में प्रयुक्त तथा यहाँ परिभाषित न किए गए किंतु रियायत अनुबंध में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में उन्हें दिया गया है, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो।

1.2.4 रियायत अनुबंध के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम इस अनुबंध पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

## **2. समनुदेशन**

### **2.1 समनुदेशन**

रियायतग्राही एतदद्वारा वित्तपोषण अनुबंधों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा वित्तपोषण के संबंध में सुरक्षा के रूप में, इस अनुबंध और रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसरण में तथा उनके अनुसार, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को और उसके पक्ष में रियायत में अधिकारों, हक और हित को समनुदेशित करने के लिए सहमत है।

## **3. रियायतग्राही का प्रतिस्थापन**

### **3.1 प्रतिस्थापन के अधिकार**

3.1.1 खंड 2.1 के तहत समनुदेशित अधिकारों, हक और हित के अनुसरण में, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि इस अनुबंध और रियायत अनुबंध के प्रावधानों के तहत तथा उनके अनुसार प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित एक नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का हकदार होगा।

3.1.2 प्राधिकरण एतदद्वारा इस अनुबंध के अनुसार ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा चुनी गई नामित कंपनी के पक्ष में रियायत अनुबंध पर पृष्ठांकन करके रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत है। वरिष्ठ ऋणदाता या ऋणदाताओं के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, रियायतग्राही के रूप में एयरपोर्ट का संचालन और प्रबंधन करने के हकदार नहीं होंगे।

3.1.3 इस अनुबंध या रियायत अनुबंध में कहीं भी इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, पक्षकारगण इसके द्वारा सहमत हैं कि यदि वरिष्ठ ऋणदाता, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के माध्यम से कार्य करते हुए, इस अनुबंध के निबंधनों के अनुसार किसी भी नामित कंपनी की पहचान करने या उसे प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं हैं, तो प्राधिकरण को रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने का अधिकार होगा, इस प्रकार जैसे प्राधिकरण इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए एक नामित कंपनी है, और नामित कंपनी के किसी भी संदर्भ का अर्थ प्राधिकरण होगा और प्रतिस्थापन अनुबंध के अन्य सभी नियम और शर्तों की तदनुसार व्याख्या की जाएंगी।

## 3.2 वित्तीय व्यतिक्रम होने पर प्रतिस्थापन

3.2.1 उपर्युक्त खंड 2.1 के प्रावधानों के अधीन, वित्तीय व्यतिक्रम होने पर, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि रियायतग्राही को उसके विवरण के साथ एक नोटिस ("वित्तीय व्यतिक्रम का नोटिस") जारी कर सकता है, और इसकी एक प्रति सूचना तथा रिकॉर्ड के लिए प्राधिकरण को भेज सकता है। खंड 3.2 के तहत वित्तीय व्यतिक्रम का नोटिस ऐसे वित्तीय व्यतिक्रम का निर्णायक प्रमाण होगा और यह इस अनुबंध के प्रयोजनों के लिए रियायतग्राही पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

3.2.2 इसके तहत वित्तीय व्यतिक्रम का नोटिस जारी होने पर, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि इस अनुबंध या वित्तपोषण अनुबंधों के तहत अपने किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही को एक नामित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित कर सकता है।

3.2.3 ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय व्यतिक्रम का नोटिस जारी किए जाने के बाद किसी भी समय, वह नोटिस द्वारा प्राधिकरण से रियायतग्राही के सभी अधिकारों को निलंबित करने और रियायत अनुबंध के धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे के प्रचालन तथा प्रबंधन को अपने हाथ में लेने की मांग कर सकता है, और ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, प्राधिकरण रियायत अनुबंध के प्रावधानों के तहत तथा उनके अनुसार निलंबन की कार्रवाई करेगा। किसी नामित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापन होने पर निलंबन को रद्द कर दिया जाएगा, और यदि ऐसे निलंबन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के भीतर ऐसा प्रतिस्थापन पूरा नहीं होता है, तो प्राधिकरण रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार समाप्ति नोटिस जारी करके रियायत अनुबंध को तुरंत समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिन से अधिक न होने वाली अवधि के लिए बढ़ा सकता है। प्राधिकरण इसके तहत निलंबन की तिथि से 270 (दो सौ सत्तर) दिनों के बाद किसी भी समय ऋणदाताओं के प्रतिनिधि से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, रियायत अनुबंध को तुरंत समाप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है और वचन देता है।

## 3.3 रियायतग्राही का व्यतिक्रम होने पर प्रतिस्थापन

3.3.1 उपर्युक्त खंड 2.1 के प्रावधानों के अधीन, रियायतग्राही का व्यतिक्रम होने पर, प्राधिकरण एक नोटिस द्वारा ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को समाप्ति नोटिस जारी करने के अपने इरादे की सूचना देगा और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को एक नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित करने के अपने इरादे को बताते हुए अभ्यावेदन देने के लिए 15 (पंद्रह) दिनों का समय देगा।

3.3.2 यदि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि खंड 3.3.1 में विनिर्दिष्ट 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकरण को यह बताते हुए अभ्यावेदन देता है कि वह रियायतग्राही को एक नामित कंपनी द्वारा प्रतिस्थापित करने का इरादा रखता है, तो ऋणदाताओं के प्रतिनिधि ऐसे अभ्यावेदन की तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के भीतर इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एक नामित कंपनी द्वारा रियायतग्राही के प्रतिस्थापन को अधिग्रहण करने और पूरा करने का हकदार होगा, और प्राधिकरण या तो समाप्ति को स्थगित रखेगा या उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि के लिए निलंबन करेगा, बशर्ते कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और

रियायतग्राही के लिखित अनुरोध पर, प्राधिकरण उक्त 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को 90 (नब्बे) दिन से अधिक न होने वाली अवधि के लिए बढ़ा देगा, बशर्ते कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि किसी भी समय इसके तहत अपने अभ्यावेदन को वापस ले सकता है, और ऐसे वापस लेने पर रियायतग्राही इसके प्रावधानों के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

### 3.4 प्रतिस्थापन की प्रक्रिया

3.4.1 प्राधिकरण और रियायतग्राही इसके द्वारा सहमत हैं कि वित्तीय व्यतिक्रम के नोटिस की तिथि पर या यथास्थिति खंड 3.3.2 के तहत प्राधिकरण को दिए गए अभ्यावेदन की तिथि पर या उसके बाद, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि, वरिष्ठ ऋणदाताओं के अन्य अधिकारों या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नामित कंपनी द्वारा रियायत अनुबंध के तहत प्राधिकरण के प्रति तथा वित्तपोषण अनुबंधों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं के प्रति रियायतग्राही की देनदारियों और दायित्वों को ऐसे नामित कंपनी द्वारा ग्रहण किए जाने पर, हवाईअड्डा तथा रियायत के लिए नामित कंपनी को अधिकार लेने और स्थानांतरित करने के लिए या तो निजी बातचीत या सार्वजनिक नीलामी या निविदा के माध्यम से प्रस्तावों को आमंत्रित, बातचीत और प्राप्त कर सकता है।

3.4.2 रियायतग्राही के स्थान पर प्रतिस्थापन के लिए पात्र होने के लिए, नामित कंपनी को उन पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा जो रियायत के पुरस्कार के लिए बोली लगाने वालों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए थे, बशर्ते कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष यह अभ्यावेदन दे सकता है कि परियोजना के हित में ऐसे सभी मानदंडों या उनमें से किसी को माफ किया जा सकता है, और यदि प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि ऐसी छूट का परियोजना पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह ऐसे सभी पात्रता मानदंडों या उनमें से किसी को माफ कर सकता है।

3.4.3 किसी नामित कंपनी के चयन पर, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि प्राधिकरण से निम्नलिखित अनुरोध करेगा:

(क) रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डा का प्रचालन, प्रबंधन और विकास करने के अधिकार को नामित कंपनी को स्थानांतरण करने की अनुमति देना;

(ख) शेष विकास अवधि या रियायत अवधि के लिए, समान नियमों और शर्तों पर रियायत को नामित कंपनी के पक्ष में पृष्ठांकित और स्थानांतरण करना; और

(ग) इस अनुबंध में अंतर्विष्ट समान शर्तों पर ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और नामित कंपनी के साथ एक प्रतिस्थापन अनुबंध में प्रवेश करना।

3.4.4 यदि इस अनुबंध के अनुसार नामित कंपनी के पक्ष में रियायत के स्थानांतरण पर प्राधिकरण को कोई आपत्ति है, तो वह ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के प्रस्ताव की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि की सुनवाई के बाद एक तर्कसंगत आदेश देगा। यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, तो नामित कंपनी को स्वीकृत माना जाएगा। तत्पश्चात प्राधिकरण नामित कंपनी की स्वीकृति/स्वीकृत माने जाने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर रियायत को स्थानांतरण और पृष्ठांकित करेगा, बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसी आपत्ति की स्थिति में, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि किसी अन्य नामित कंपनी

का प्रस्ताव कर सकता है, जिसके बाद रियायतग्राही के स्थान पर ऐसे नामित कंपनी के प्रतिस्थापन के लिए इस खंड 3.4 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

3.4.5 इस अनुबंध और रियायत अनुबंध में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, यहाँ नामित कंपनी को रियायत का स्थानांतरण, रियायतग्राही की कम से कम 74% (चौहत्तर प्रतिशत) इक्विटी को नामित कंपनी को ट्रांसफर करके किया जा सकता है, और यहाँ ऐसे स्थानांतरण पर, रियायतग्राही को इस अनुबंध और रियायत अनुबंध के प्रावधानों के तहत तथा उनके अनुसार नामित कंपनी माना जाएगा।

### **3.5 चयन का बाध्यकारी होना**

नामित कंपनी के चयन में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि और प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और रियायतग्राही पर बाध्यकारी होगा। रियायतग्राही इस अनुबंध के अनुसरण में की गई ऋणदाताओं के प्रतिनिधि या वरिष्ठ ऋणदाताओं या प्राधिकरण की कार्यवाइयों को, जिसमें नामित कंपनी के पक्ष में रियायत का स्थानांतरण/समनुदेशन शामिल है, चुनौती देने के किसी भी अधिकार को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करता है और त्यागता है। रियायतग्राही सहमत है और पुष्टि करता है कि उसे परियोजना की परिसंपत्तियों या रियायतग्राही के शेयरों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पक्षकारों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही में इन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी और रियायतग्राही को ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा अनुरोधित रियायत के प्रतिस्थापन और पृष्ठांकन द्वारा स्थानांतरण को प्रभावी करने या करवाने से प्राधिकरण या ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को रोकने, बाधित करने या प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार या उपाय नहीं होगा।

## **4. परियोजना अनुबंध**

### **4.1 परियोजना अनुबंधों में नामित कंपनी का प्रतिस्थापन**

रियायतग्राही यह सुनिश्चित और प्राप्त करेगा कि प्रत्येक परियोजना अनुबंध में ऐसे प्रावधान शामिल हों जो रियायत अनुबंध के तहत रियायतग्राही की देनदारियों और दायित्वों को ऐसे नामित कंपनी द्वारा ग्रहण किए जाने की स्थिति में, नामित कंपनी को रियायतग्राही के स्थान और प्रतिस्थापन के रूप में ऐसे परियोजना अनुबंध में कदम रखने का अधिकार देते हैं।

## **5. रियायत अनुबंध की समाप्ति**

### **5.1 वित्तीय व्यतिक्रम होने पर समाप्ति**

वित्तीय व्यतिक्रम का नोटिस जारी करने के बाद किसी भी समय, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि लिखित नोटिस द्वारा प्राधिकरण से रियायत अनुबंध को तुरंत समाप्त करने की मांग कर सकता है, और ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, प्राधिकरण रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 34 के प्रावधानों के तहत तथा उनके अनुसार समाप्ति की कार्यवाई करेगा।

## 5.2 जब कोई नामित कंपनी नहीं चुनी जाती है

खंड 3.3.2 में निर्धारित 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि या उसकी किसी भी वृद्धि के भीतर ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा प्राधिकरण को स्वीकार्य किसी भी नामित कंपनी का चयन और सिफारिश नहीं किए जाने की स्थिति में, प्राधिकरण इसके प्रावधानों के अनुसार रियायत अनुबंध को तुरंत समाप्त कर सकता है।

## 5.3 धन की वसूली

प्राधिकरण और रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि, उनके किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणदाताओं के प्रतिनिधि रियायत अनुबंध की समाप्ति पर वरिष्ठ ऋणदाताओं को देय राशियों को, रियायतग्राही के किसी अन्य संदर्भ या सहमति के बिना, रियायतग्राही से प्राप्त करने का हकदार है।

## 6. अनुबंध की अवधि

### 6.1 अनुबंध की अवधि

यह अनुबंध इस तिथि से लागू होगा और निम्नलिखित में से जो भी घटना पहले घटेगी, उस पर समाप्त हो जाएगा:

(क) अनुबंध की समाप्ति; या

(ख) वित्तपोषण अनुबंधों के तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं को कोई अग्रिम राशि दी जानी बाकी नहीं है और न ही कोई राशि बकाया है।

## 7. क्षतिपूर्ति

### 7.1 सामान्य क्षतिपूर्ति

7.1.1 रियायतग्राही, इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व के रियायतग्राही द्वारा किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले या लागू कानूनों और लागू परमिटों का पालन करने में रियायतग्राही की विफलता के कारण होने वाले किसी भी तथा सभी कार्यवाहियों, मुकदमों और तीसरे पक्ष के दावों, किसी भी प्रकार और प्रकृति के नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के विरुद्ध प्राधिकरण और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि को क्षतिरहित रखेगा, उनकी रक्षा करेगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा।

7.1.2 प्राधिकरण, इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में प्राधिकरण की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी तथा सभी कार्यवाहियों, मुकदमों और तीसरे पक्ष के दावों, किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के विरुद्ध रियायतग्राही को क्षतिरहित रखेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा, जो रियायत अनुबंध या इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, सिवाय प्राधिकरण, उसके अधिकारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं द्वारा उनके वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के।

7.1.3 ऋणदाताओं के प्रतिनिधि, इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में ऋणदाताओं के प्रतिनिधि की विफलता से उत्पन्न होने वाले किसी भी तथा सभी कार्यवाहियों, मुकदमों और तीसरे पक्ष के दावों, किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के विरुद्ध रियायतग्राही को क्षतिरहित रखेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा, जो रियायत अनुबंध के तहत रियायतग्राही के दायित्वों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, सिवाय ऋणदाता प्रतिनिधि, उसके अधिकारियों, सेवकों और अभिकर्ताओं द्वारा उनके वैध कार्यों के निर्वहन में किए गए कृत्यों से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, लागत और खर्च के।

## 7.2 नोटिस और दावों का मुकाबला करना

यदि यहाँ किसी पक्षकार को किसी तीसरे पक्ष से कोई दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 7.1 के तहत क्षतिपूर्ति के लाभ का हकदार है या जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति का हकदार है ("क्षतिपूरित पक्ष"), तो वह दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर इस अनुबंध के तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष") को सूचित करेगा, और क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, ऐसी स्वीकृति को अनुचित रूप से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का मुकाबला करना या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूरित पक्ष के नाम पर कार्यवाही का संचालन कर सकता है और इसका मुकाबला करने में शामिल सभी लागतों को वहन करेगा। क्षतिपूरित पक्ष किसी भी दावे का मुकाबला करने में सभी सहयोग और सहायता प्रदान करेगा तथा ऐसे सभी लेखपत्रों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष यथोचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

## 8. विवाद समाधान

### 8.1 विवाद समाधान

8.1.1 इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाला या इससे संबंधित कोई भी विवाद, मतभेद या दावा, जिसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जाता है, प्राधिकरण, रियायतग्राही और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि में से प्रत्येक के एक नामित व्यक्ति को मिलाकर गठित मध्यस्थों के एक बोर्ड के माध्यम से मध्यस्थता के संदर्भ द्वारा तय किया जाएगा। ऐसी मध्यस्थता नियमों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और समय-समय पर यथासंशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) के प्रावधानों के अधीन होगी।

8.1.2 मध्यस्थ एक तर्कपूर्ण निर्णय जारी करेंगे और ऐसा निर्णय पक्षकारों पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान राज्य की राजधानी होगी और मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

## 9. विविध प्रावधान



## 9.1 शासक विधि और अधिकार क्षेत्र

इस अनुबंध का निर्माण और व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार किया जाएगा और उनके द्वारा शासित होगा, और राज्य के न्यायालय का इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों पर अधिकार क्षेत्र होगा।

## 9.2 संप्रभु उन्मुक्ति का अधित्यजन

प्राधिकरण बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

(क) सहमत है कि इस अनुबंध का निष्पादन, वितरण और इसके द्वारा इसका प्रदर्शन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किए गए और निष्पादित व्यावसायिक कार्य हैं;

(ख) सहमत है कि, इस अनुबंध या इस अनुबंध द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में इसके या इसकी संपत्तियों, परिसंपत्ति या राजस्व के खिलाफ कोई भी कार्यवाही लाई जानी चाहिए, ऐसी कार्यवाही से कोई भी उन्मुक्ति (संप्रभुता या अन्यथा के कारण) प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से उसकी संपत्तियों के संबंध में दावा नहीं की जाएगी;

(ग) उन्मुक्ति के किसी भी अधिकार को त्यागता है जो उसके पास या उसकी संपत्तियों, परिसंपत्ति या राजस्व के पास अब है, भविष्य में प्राप्त हो सकता है या जिसे किसी भी अधिकार क्षेत्र के तहत इसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है; और

(घ) ऐसी किसी भी कार्यवाही में इसके खिलाफ किसी भी निर्णय या अधिनिर्णय के प्रवर्तन के संबंध में, ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र में किसी भी राहत या किसी भी प्रक्रिया को जारी करने के लिए सहमति देता है (इसके खिलाफ या किसी भी संपत्ति, परिसंपत्ति या राजस्व के संबंध में किसी भी आदेश या निर्णय के निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन सहित, उनके उपयोग या इच्छित उपयोग की परवाह किए बिना जो इसके संबंध में बनाया या दिया जा सकता है)।

## 9.3 अनुबंधों की प्राथमिकता

रियायत अनुबंध और इस अनुबंध के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, रियायत अनुबंध में अंतर्विष्ट प्रावधान इस अनुबंध पर प्रभावी होंगे।

## 9.4 निबंधनों में परिवर्तन

इस अनुबंध में सभी जोड़, संशोधन, उपांतरण और विविधताएँ तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब वे लिखित रूप में हों और पक्षकारों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

## 9.5 अधित्यजन

9.5.1 इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान या दायित्वों के अनुपालन और प्रदर्शन में किसी अन्य पक्षकार द्वारा किसी व्यतिक्रम का किसी पक्षकार द्वारा अधित्यजन:

(क) तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह लिखित रूप में न हो और पक्षकार के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न किया गया हो;

(ख) इस अनुबंध के किसी अन्य या बाद के व्यतिक्रम या इसके प्रावधानों या दायित्वों के व्यतिक्रम के रूप में संचालित या निर्वचित नहीं किया जाएगा; और

(ग) किसी भी तरह से इस अनुबंध की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगा।

9.5.2 न तो किसी भी अवसर पर इस अनुबंध के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या उसके तहत किसी भी दायित्व के प्रदर्शन पर जोर देने में किसी पक्षकार द्वारा विफलता, और न ही किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया गया समय या अन्य रियायत, ऐसे उल्लंघन के अधित्यजन या किसी भी भिन्नता की स्वीकृति या इसके तहत ऐसे किसी अधिकार के त्याग के रूप में मानी जाएगी या समझी जाएगी।

## 9.6 तीसरे पक्ष के लाभार्थी नहीं

यह अनुबंध पूरी तरह से पक्षकारों के लाभ के लिए है और इसके तहत किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के पास कोई अधिकार नहीं होगा।

## 9.7 उत्तरजीविता

9.7.1 इस अनुबंध की समाप्ति:

(क) पक्षकारों को इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इसकी समाप्ति के बाद भी जीवित रहते हैं; और

(ख) किसी भी पक्षकार की देयता को स्पष्ट रूप से सीमित करने वाले इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान में अन्यथा प्रदान किए जाने को छोड़कर, किसी भी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को हुई हानि या क्षति के लिए किसी भी दायित्व या देनदारियों से मुक्त नहीं करेगी जो ऐसे पक्षकार के कृत्यों या चूकों से उत्पन्न या उनके कारण हुई हैं।

9.7.2 इस अनुबंध के रद्द होने, समाप्त होने या समाप्ति के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व इस अनुबंध की ऐसी

## 9.8 पृथक्करण

यदि किसी भी कारण से, इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय है या हो जाता है या सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी अदालत या किसी अन्य उपकरण द्वारा अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, कानूनी या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्षकार ऐसे अमान्य, अप्रवर्तनीय या अवैध प्रावधान के लिए यथासंभव निकटतम रूप से प्रतिस्थापित किए जाने वाले एक या अधिक प्रावधानों पर सहमत होने की दृष्टि से सद्भाव से बातचीत करेंगे। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमत होने में विफलता इस अनुबंध के खंड 8 या अन्यथा के तहत विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

## 9.9 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती

यह अनुबंध पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों तथा अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए होगा।

## 9.10 नोटिस

इस अनुबंध के तहत दिए जाने वाले या किए जाने वाले सभी नोटिस या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे, और या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसमें एक अतिरिक्त प्रति फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। प्रत्येक पक्षकार की सेवा के लिए पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता इसके हस्ताक्षर पृष्ठों पर उसके नाम के तहत निर्धारित किया गया है। एक नोटिस उसकी वास्तविक प्राप्ति पर प्रभावी होगा, सिवाय इसके कि जहाँ यह किसी भी दिन शाम 5.30 (पाँच तीस) बजे के बाद, या ऐसे दिन प्राप्त होता है जो सार्वजनिक अवकाश का दिन है, तो नोटिस को वास्तविक प्राप्ति की तिथि के बाद के पहले कार्य दिवस पर प्राप्त हुआ माना जाएगा। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा नोटिस या संचार देने या भेजने वाला पक्ष व्यक्तिगत रूप से उसकी एक प्रति तुरंत वितरित करेगा, या ऐसे नोटिस या संचार के प्राप्तकर्ता को कूरियर या पंजीकृत डाक द्वारा भेजेगा। इसके द्वारा यह सहमति और स्वीकार किया जाता है कि कोई भी पक्ष, नोटिस द्वारा उस पते को बदल सकता है जिस पर ऐसे नोटिस और संचार उसे वितरित किए जाने हैं या मेल किए जाने हैं। ऐसा परिवर्तन तब प्रभावी होगा जब सभी पक्षकारों को इसकी सूचना मिल जाएगी।

## 9.11 भाषा

इस अनुबंध के तहत या इसके संबंध में सभी नोटिस, प्रमाण पत्र, पत्राचार और कार्यवाही अंग्रेजी में होगी।

## 9.12 अधिकृत प्रतिनिधि

प्रत्येक पक्षकार, लिखित रूप में नोटिस द्वारा, अपने संबंधित अधिकृत प्रतिनिधियों को नामित करेगा जिनके माध्यम से ही सभी संचार किए जाएंगे। यहाँ एक पक्षकार ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि को हटाने और/या प्रतिस्थापित करने या इसी तरह के नोटिस द्वारा नए की नियुक्ति करने का हकदार होगा।

## 9.13 मूल दस्तावेज

यह अनुबंध तीन प्रतियों में निष्पादित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक जब निष्पादित और वितरित की जाती है, तो इस अनुबंध के मूल का गठन करेगी।

इसके साक्ष्य में, पक्षकारों ने ऊपर उल्लिखित दिनांक से इस अनुबंध को निष्पादित और जारी किया गया है:

रियायतग्राही का सामान्य मुहर

हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं जारी किया गया

रियायतग्राही के निदेशकों की [ ] वें दिन [ ] माह 20[ ] कृते एवं प्राधिकरण के बोर्ड की ओर से :  
को आयोजित बैठक [ ], निदेशक एवं [ ], कंपनी सचिव/  
अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में पारित प्रस्ताव पर  
लगाई गई है:

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फ़ैक्स न)

(ई-मेल पता)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फ़ैक्स न)

(ई-मेल पता)

**हस्ताक्षरित, मुहरबंद एवं जारी किया गया**

कृते एवं की ओर से

ऋणदाताओं के प्रतिनिधि द्वारा वरिष्ठ ऋणदाता

हस्ताक्षर)

(नाम)

(पदनाम)

(पता)

(फ़ैक्स न)

(ई-मेल पता)

की उपस्थिति में

1.

2.

**अनुसूची- 'थ'**  
**सीएनएस/एटीएम अनुबंध**  
(खंड 20.2.1 देखें)

**विषयसूची**

|         |                                          |             |
|---------|------------------------------------------|-------------|
| धारा 1  | परिभाषाएँ और व्याख्या                    | पृष्ठ 2     |
| धारा 2  | वैधता और अवधि                            | पृष्ठ 4     |
| धारा 3  | अभ्यावेदन और वारंटी                      | पृष्ठ 5     |
| धारा 4  | प्राधिकरण के दायित्व                     | पृष्ठ 5     |
| धारा 5  | रियायतग्राही के दायित्व                  | पृष्ठ 7     |
| धारा 6  | सुविधाओं और उपकरणों का विकास एवं विस्तार | पृष्ठ 8     |
| धारा 7  | संयुक्त समन्वय समिति                     | पृष्ठ<br>11 |
| धारा 8  | राजस्व और प्रभार                         | पृष्ठ<br>11 |
| धारा 9  | क्षतिपूर्ति                              | पृष्ठ<br>12 |
| धारा 10 | देयता                                    | पृष्ठ<br>12 |
| धारा 11 | फोर्स माजेर (दैवीय आपदा)                 | पृष्ठ<br>12 |
| धारा 12 | समाप्ति                                  | पृष्ठ<br>14 |
| धारा 13 | समनुदेशन                                 | पृष्ठ<br>15 |
| धारा 14 | विवाद समाधान                             | पृष्ठ<br>16 |
| धारा 15 | बीमा                                     | पृष्ठ<br>17 |

|           |                                                        |             |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|
| धारा 16   | नोटिस                                                  | पृष्ठ<br>17 |
| धारा 17   | प्राप्त माना गया नोटिस                                 | पृष्ठ<br>18 |
| धारा 18   | विविध                                                  | पृष्ठ<br>18 |
| धारा 19   | शासक विधि                                              | पृष्ठ<br>20 |
| धारा 20   | भाविप्रा द्वारा वचन                                    | पृष्ठ<br>20 |
| अनुसूची 1 | भाविप्रा उपकरण और रियायतग्राही उपकरण                   | पृष्ठ<br>22 |
| अनुसूची 2 | सीएनएस/एटीएम सेवाएँ                                    | पृष्ठ<br>23 |
| अनुसूची 3 | कार्यालय और सुविधाएँ                                   | पृष्ठ<br>24 |
| अनुसूची 4 | अलग किए गए क्षेत्र                                     | पृष्ठ<br>25 |
| अनुसूची 5 | मौजूदा उपकरणों की सूची                                 | पृष्ठ<br>26 |
| अनुसूची 6 | हवाईअड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भविष्य का रोड मैप | पृष्ठ<br>27 |

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए यह अनुबंध ("अनुबंध") आज दिनांक [ ] को [ ] स्थान पर संपन्न हुआ:

#### पक्षकारगण:

1. **भारतीय विमानपतन प्राधिकरण** जो भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 ("अधिनियम") के तहत गठित है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और जिसका मुख्य कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली 110 003, भारत में स्थित है (जिसे इसके पश्चात् "प्राधिकरण" या "भाविप्रा" कहा गया है, जिसमें इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी शामिल हैं, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो) एक पक्ष की ओर से; तथा
2. [ ], जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत गठित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [ ] में स्थित है (जिसे इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है, जिसमें इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिनी और प्रतिस्थानी शामिल हैं, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो) दूसरे पक्ष की ओर से।

"भाविप्रा" और "रियायतग्राही" अभिव्यक्तियों का अर्थ, जहाँ भी संदर्भ की आवश्यकता हो, उनके संबंधित हित-उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों से होगा और इन्हें सामूहिक रूप से "पक्षकारगण" तथा व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" कहा जाएगा।

#### जबकि:

क. रियायतग्राही ने उत्तर प्रदेश राज्य में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए प्राधिकरण के साथ एक रियायत अनुबंध (नीचे परिभाषित) किया है।

ख. भारतीय विमानपतन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के अनुसरण में, भाविप्रा भारतीय हवाई क्षेत्र के भीतर और भारत के सभी नागरिक एयरपोर्टों पर हवाई यातायात सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार है।

ग. उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार, भाविप्रा इस अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों पर एयरपोर्ट (नीचे परिभाषित) पर सेवाएँ प्रदान करेगा।

अतः अब, पूर्वोक्त और इस अनुबंध में निर्धारित पारस्परिक वचनों तथा अनुबंधों को ध्यान में रखते हुए, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, और इसके द्वारा कानूनी रूप से बाध्य होने के इरादे से, पक्षकारगण निम्नलिखित रूप में सहमत होते हैं:

## 1. परिभाषाएँ और व्याख्या

### 1.1 परिभाषाएँ

इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षा न करे:

"भाविप्रा विकास उपकरण" का वही अर्थ है जो खंड 6.4 में दिया गया है;

**"भाविप्रा उपकरण"** का तात्पर्य रियायतग्राही उपकरणों के अलावा उन सभी उपकरणों और सुविधाओं से है, जो भाविप्रा को इस अनुबंध और प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों तथा अनुबंधों (आईसीएओ Documents and Annexes) के अनुसार भाविप्रा सेवाएँ करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं, और इसमें संदर्भ के अनुसार भाविप्रा विकास उपकरण शामिल होंगे;

**"भाविप्रा सेवाएँ"** का तात्पर्य इस अनुबंध के तहत प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है जो खंड 5.1 में निर्धारित हैं;

**"एरा" (आईआरए)** का तात्पर्य एरा अधिनियम के तहत स्थापित भारतीय विमानपतन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (Airports Economic Regulatory Authority of India) से है, और इसमें लागू कानूनों के अनुसार कोई भी उत्तराधिकारी शामिल होगी;

**"प्रभावित पक्ष" (Affected Party)** का वह अर्थ होगा जो खंड 11.1 में इसे दिया गया है।

**"संबद्ध कंपनी"** का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में इसे दिया गया है।

**"एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम"** का तात्पर्य प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक एयरपोर्ट पर प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों से है, जिसमें रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच से संबंधित प्रणालियाँ शामिल हैं।

**"हवाईअड्डा"** का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में इसे दिया गया है।

**"सीओडी"** का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में इसे दिया गया है।

**"शिकागो कन्वेंशन"** का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में इसे दिया गया है।

**"सीएनएस/एटीएम प्रभार"** का वही अर्थ होगा जो खंड 8.1 में दिया गया है।

**"सीएनएस/ एटीएम उपकरण"** तात्पर्य सीएनएस लिए के करने प्रदान सेवाएँ एटीएम/भाविप्रा आवश्यक द्वारा रिय इसमें तथा है से सुविधाओं और उपकरणों सभी रियायतग्राही उपकरण और भाविप्रा उपकरण शामिल हैं।

**"सीएनएस/एटीएम सेवाएँ"** का तात्पर्य एयरपोर्ट पर भाविप्रा द्वारा प्रदान की जाने वाली संचार, नौवहन और निगरानी, तथा हवाई यातायात प्रबंधन सेवाओं से है, जैसा कि इस अनुबंध में और अनुसूची 2 में अधिक विशेष रूप से वर्णित है।

**"रियायत अनुबंध"** का तात्पर्य प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच निष्पादित दिनांक रियायत के [ ] है। से अनुबंध



**"रियायतग्राही उपकरण"** का तात्पर्य अनुसूची 1 के भाग 1 में निर्धारित रियायतग्राही के उपकरणों और सुविधाओं से है, और संदर्भ के अनुसार इसमें रियायतग्राही विकास उपकरण शामिल होंगे।

**"रियायतग्राही विकास उपकरण"** का वही अर्थ है जो खंड 6.3.1 में दिया गया है।

**"डीजीसीए)"** का तात्पर्य नागरिक विमान महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation) या इसके किसी प्रतिस्थानी से होगा।

**"विवाद"** का वही अर्थ होगा जो खंड 14.1 में दिया गया है।

**"विस्तार"** का तात्पर्य रियायत अनुबंध के अनुसरण में समय गए किए द्वारा रियायतग्राही पर समय-एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार से है।

**अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना"** का वही अर्थ होगा जो खंड 6.2.1 में दिया गया है।

**"फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन"** का तात्पर्य परिभाषित आयामों के एक हवाई क्षेत्र से है जिसके भीतर उड़ान सूचना सेवा और सतर्कता सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

**"फोर्स माजेर"** का वही अर्थ होगा जो खंड 11.2 में दिया गया है।

**"भारत सरकार"** का तात्पर्य भारत सरकार और नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और दिशा के अधीन इसकी किसी भी विधिवत अधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण (सहित प्राधिकरण विनियामक भी किसी), विभाग, निरीक्षणालय, मंत्रालय या सांविधिक व्यक्ति है। से (नहीं या हो स्वायत्त चाहे)

**"घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया"** का तात्पर्य घटनाओं और आपात स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए भाविप्रा और रियायतग्राही के मध्य समयहै से प्रक्रिया वाली होने सहमत पर समय-, जो प्रक्रिया प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार तथा उस प्रासंगिक फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में रक्षा की आवश्यकताओं एवं समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन के अनुरूप होगी जिसमें एयरपोर्ट स्थित है।

**"क्षतिपूरित पक्ष"** का वही अर्थ होगा जो खंड 9.2 में दिया गया है।

**"क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष"** का वही अर्थ होगा जो खंड 9.2 में दिया गया है।

**"जेसीसी"** का वही अर्थ होगा जो खंड 7.1 में दिया गया है।

**"संचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया"** का तात्पर्य भाविप्रा सेवाओं के दिन के रियायतग्राही और निर्वहन के प्रतिदिन-लिए के संचार के जानकारी में बारे के दायित्वों भाविप्रा सहमत पर समय-समय बीच के रियायतग्राही और है से प्रक्रिया वाली होने, जो प्रक्रिया प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और अनुबंधों के अनुसार तथा उस प्रासंगिक फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में रक्षा की आवश्यकताओं एवं समग्र हवाई क्षेत्र प्रबंधन के अनुरूप होगी जिसमें एयरपोर्ट स्थित है।

**"प्रारंभिक सीएनएस/एटीएम विकास योजना"** का वही अर्थ होगा जो खंड 6.1.2 में दिया गया है।

**"परियोजना"** का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में इसे दिया गया है।

**"रूट नेविगेशन फैसिलिटीज चार्ज्स"** का तात्पर्य लागू कानूनों के अनुसार रूट नेविगेशन सुविधाओं के प्रावधान के लिए भाविप्रा द्वारा एयरलाइनों और है। से राशियों वाली जाने ली से ऑपरेटरों विमान या/

**"टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग चार्ज्स"** का तात्पर्य लागू कानूनों के अनुसार एयरपोर्ट पर टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए भाविप्रा द्वारा एयरलाइनों या विमान ऑपरेटरों से ली जाने वाली या ली जाने वाली राशियों से है।

## 1.2 व्याख्या

1.2.1 बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और इस अनुबंध में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो यहाँ उन्हें दिया गया है, और इस अनुबंध में प्रयुक्त तथा यहाँ परिभाषित न किए गए किंतु रियायत अनुबंध में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध में उन्हें दिया गया है, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो।

1.2.2 इस अनुबंध के व्याख्या को शासित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिए जाने वाले सभी नोटिस और इस अनुबंध से किसी भी तरह से प्रासंगिक तथा इस अनुबंध के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति से प्रासंगिक सभी अन्य संचार एवं प्रलेखन, जिसमें किसी भी विवाद समाधान कार्यवाही तक सीमित न होना शामिल है, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

1.2.3 धाराओं, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, इस अनुबंध के लेखों, खंडों और अनुसूचियों के संदर्भ हैं।

1.2.4 रियायत अनुबंध के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम इस अनुबंध पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

## 2. वैधता और अवधि

2.1 इस अनुबंध के प्रावधान (लेख) 1, 2, 12 से 14 और 16 से 20 में अंतर्विष्ट प्रावधानों को छोड़कर और उनके अलावा, जो इस अनुबंध की तिथि से पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे पक्षकारों तहत के अनुबंध इस तथा (के अधिकार और दायित्व सीओडी से पूर्ण बल और प्रभाव में आएंगे।

2.2 किसी भी पक्ष पर बिना किसी देयता के, इसके पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा न करने के लिए रियायत अनुबंध के समाप्त होने की स्थिति में यह अनुबंध तुरंत समाप्त हो जाएगा।

2.3 इस लेख के निबंधनों के अधीन, यह अनुबंध, जब तक कि लेख 12 के अनुसार समाप्त न किया जाए, रियायत अनुबंध की समाप्ति या पूर्व समय में समाप्ति तक पूर्ण बल और प्रभाव में रहेगा।

## 3. अभ्यावेदन और वारंटी

रियायत अनुबंध के लेख 7 में बताए गए अभ्यावेदन और वारंटी इस अनुबंध पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

## 4. प्राधिकरण के दायित्व

### 4.1 भाविप्रा सेवाएं

4.1.1 भाविप्रा हर समय (प्रत्येक दिन 24 घंटे आवश्यकतानुसार मल्टी-शिफ्ट संचालन के माध्यम से सहित), इस अनुबंध की अवधि के दौरान, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं के अनुसार अपने स्वयं के खर्च पर:

(क) अनुसूची 2 में विशेष रूप से प्रदान की गई सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करेगा;

(ख) भाविप्रा उपकरणों के आवधिक उड़ान कैलिब्रेशन और अन्य परीक्षणों को करने सहित भाविप्रा उपकरणों का रखरखाव करेगा;

(ग) समय-समय पर आवश्यकतानुसार भाविप्रा उपकरणों को अपग्रेड और/या संवर्धित करेगा: (क) भाविप्रा को हवाई अड्डे पर प्रासंगिक भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए; (ख) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं का पालन करने के लिए; और (ग) विस्तार के परिणामस्वरूप;

(घ) भाविप्रा सेवाएं करने के लिए आवश्यक जनशक्ति को तैनात करेगा।

4.1.2 भाविप्रा, विस्तार के कारण रियायतग्राही के अनुरोध पर, रियायतग्राही के खर्च पर भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित करेगा, बशर्ते ऐसा स्थानांतरण इस अनुबंध के तहत भाविप्रा के दायित्वों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करे:

बशर्ते कि भाविप्रा अपने विवेक से भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित कर सकता है, इस शर्त के अधीन कि ऐसा स्थानांतरण कंसेशन एग्रीमेंट के तहत रियायतग्राही के दायित्वों और/या हवाई अड्डे के सुचारु संचालन को प्रभावित न करे।

**4.1.3** भाविप्रा हवाई यातायात के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित प्रवाह के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन करेगा।

**4.1.4** भाविप्रा रियायतग्राही को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक उड़ानों के आवागमन के सभी आंकड़े ऐसे प्रारूप में, ऐसी आवृत्ति पर और वितरण के ऐसे तरीके के माध्यम से प्रदान करेगा जिस पर पक्ष समय-समय पर सहमत हों।

**4.1.5** भाविप्रा ऐसी जानकारी का रिकॉर्ड प्रदान करेगा और रखेगा तथा संचालन रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत आवश्यक नोटिस रियायतग्राही और वायुसेवकों को जारी करेगा, जिसमें भाविप्रा सेवाओं का टूटना भी शामिल है।

**4.1.6** भाविप्रा अपनी लागत और खर्च पर, शिकागो कन्वेंशन, प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस, डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं, और भाविप्रा तथा भारतीय मौसम विभाग (जीओआई) के बीच दर्ज किसी भी अनुबंध के तहत समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए भारतीय मौसम विभाग (जीओआई) से विमानन मौसम संबंधी सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करेगा। रियायतग्राही अपनी लागत और खर्च पर, भाविप्रा या भारतीय मौसम विभाग (जीओआई) को बिना किसी लागत के, साइट पर ऐसी बुनियादी ढांचा और स्थान प्रदान करेगा जैसा कि भारतीय मौसम विभाग (जीओआई) द्वारा उपकरणों/यंत्रों की स्थापना और कार्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक हो।

**4.1.7** भाविप्रा विमानों के सुरक्षित, त्वरित और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी ऐसी प्रक्रियाओं, मैनुअल और चार्ट को तैयार और प्रकाशित करेगा जो प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं के अनुसार हवाई अड्डे पर और हवाई अड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र में आवश्यक हों।

## **4.2 एन रूट एयर नेविगेशन और एयर ट्रेफिक फ्लो मैनेजमेंट सेवाएं**

**4.2.1** यदि भाविप्रा को आवश्यकता हो, तो वह अपने स्वयं के खर्च पर, एन रूट एयर नेविगेशन सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक किसी भी रडार, उपकरण, भवन, कार्य या सुविधाओं को हवाई अड्डे पर या साइट पर स्थित रख सकता है (या आवश्यकतानुसार स्थानांतरित कर सकता है)।

**4.2.2** भाविप्रा अपने खर्च पर, हवाई अड्डे पर एन रूट एयर नेविगेशन सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं स्थापित कर सकता है।

**4.2.3** भाविप्रा रियायतग्राही की पूर्व स्वीकृति के अधीन, जिसे अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा, हवाई अड्डे पर और पूरे भारत में एयर ट्रेफिक फ्लो मैनेजमेंट सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक अतिरिक्त उपकरण या सुविधाएं अपने खर्च पर स्थापित कर सकता है।

**4.2.4** खंड 4.1.1 और/या 4.1.2 के अनुसार स्थानांतरण और/या स्थापना करते समय, भाविप्रा हवाई अड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी बाधा से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। ऐसे उपाय किए जाने के अधीन, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे स्थानांतरण और/या स्थापना के कारण हवाई अड्डे के सामान्य संचालन में उत्पन्न होने वाली किसी भी बाधा के लिए भाविप्रा को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

**4.2.5** भाविप्रा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा समय-समय पर स्थापित सभी उपकरण, रडार, इमारतें, कार्य या सुविधाएं सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुसार संचालित और अनुरक्षित हों।

#### **4.3 सेवाओं के मानक**

**4.3.1** भाविप्रा हमेशा संबंधित इकाओं दस्तावेजों और एनेक्स तथा डीजीसीए की नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुसार भाविप्रा सेवाएँ प्रदान करेगा, और AAI सेवाओं या भाविप्रा उपकरणों की व्यवस्था से संबंधित किसी भी खर्च को उठाने के लिए रियायतग्राही से अपेक्षा करेगा।

**4.3.2** रियायतकर्ताओं द्वारा शुरू किए गए सुधार उपाय, रियायतग्राही को समान रनवे विन्यास और मौसम संबंधी स्थितियों के लिए यथोचित रूप से प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम विमान आवाजाही (प्रति उड़ान विमान आवाजाही) को प्राप्त करने और बनाए रखने में सहायता करेंगे।

#### **4.4 गैर-हस्तक्षेप**

भाविप्रा न तो स्वयं और न ही अपने कर्मचारियों या एजेंटों के ज़रिए, कंसेशन एग्रीमेंट के तहत कंसेशनरी की ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में कोई रुकावट डालेगा या बाधा पैदा करेगा, सिवाय उस स्थिति के जब AAI की सेवाएँ देने के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो।

### **5. रियायतग्राही के कर्तव्य**

**5.1** रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित और अनुरक्षित हैं और विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) रनवे के लिए स्ट्रिप्स, शोल्डर, स्टॉप वे और रनवे एंड सेफ्टी एरिया तथा टैक्सीवे के लिए स्ट्रिप्स और शोल्डर प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित और अनुरक्षित हैं।

(ग) हवाई अड्डे की बाधा सीमा सतह और एप्रोच तथा टेक-ऑफ क्षेत्र बाधाओं से मुक्त रखे गए हैं, या यह कि कोई भी बाधा प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं में स्वीकार्य सीमाओं के अनुसार है, और भाविप्रा की पूर्व स्वीकृति के अधीन है।

(घ) सीएनएस/एटीएम उपकरणों के लिए भाविप्रा द्वारा पहचाने गए संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र, किसी भी ऐसी बाधा से मुक्त रखे गए हैं जो ऐसे उपकरणों के कामकाज में बाधा डाल सकती है और/या विमान संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।

(ङ) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं के अनुसार बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उपयुक्त श्रेणी उपलब्ध कराई जाती है और बनाए रखी जाती है।

(च) हवाई अड्डे के अंदर और उसके आसपास पक्षी/पशु उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त व्यवस्था की गई है।

(छ) निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्था मौजूद हैं:

(i) रनवे से अक्षम विमान को हटाना।

(ii) विमान या हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी।

(iii) हवाई अड्डे के अंदर और उसके आसपास विमान दुर्घटनाएं।

(iv) गैर-अनुसूचित विमानों को हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना।

(v) हवाई अड्डे पर आग लगना।

(vi) प्राकृतिक आपदाएं।

(vii) हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति।

(viii) हवाई अड्डे पर अपहरण और/या नागरिक विमानन में गैरकानूनी हस्तक्षेप।

(ix) टर्मिनल बिल्डिंग और/या हवाई अड्डे के किसी भी परिचालन क्षेत्र पर आतंकवादी हमले।

(ज) एयर ट्रेफिक सर्विसेज कॉम्प्लेक्स को एयरपोर्ट मैनेजर और हवाई अड्डे पर स्थित सभी आपातकालीन सेवाओं (जैसे अग्नि सेवा, चिकित्सा सेवा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और पुलिस) से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटी स्थापित की गई हैं।

(झ) भाविप्रा और उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों को हवाई अड्डे और उसके सभी परिचालन क्षेत्रों तक ऐसा उचित प्रवेश प्रदान किया जाता है जो भाविप्रा सेवाएं करने के लिए आवश्यक हो।

(ज) भाविप्रा और उसके कर्मियों तथा एजेंटों को ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है जो भाविप्रा सेवाएं करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।

(ट) इसके कर्मचारी और एजेंट, जैसी भी स्थिति हो, ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, और इसके बारे में पता चलते ही तुरंत रिपोर्ट करेंगे: (i) एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में कोई विफलता या खराबी; (ii) भाविप्रा को किसी भी रियायतग्राही उपकरण की अनुपलब्धता; और (iii) रनवे, एप्रोच, एप्रन, टैक्सीवे या अन्य आवाजाही क्षेत्रों पर कोई बाधा।

(ठ) किसी भी रियायतग्राही उपकरण के प्रस्तावित बंद होने या वापस लेने की सूचना ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार भाविप्रा को दी जाएगी।

(ड) आगमन के अनुमानित समय की प्राप्ति पर विमानों के लिए पार्किंग बे और एयरो ब्रिज आवंटित किए जाते हैं, और इसकी सूचना भाविप्रा को दी जाती है ताकि भाविप्रा तदनुसार विमान का मार्गदर्शन कर सके।

## 5.2 रियायतग्राही अपने खर्च और लागत पर:

(क) भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए भाविप्रा के कर्मियों और एजेंटों को अनुसूची 3 में निर्धारित कार्यालय स्थान/सुविधाएं हर समय उपलब्ध कराएगा।

(ख) प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं के अनुसार एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम और मुख्य तथा स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करेगा।

(ग) भाविप्रा के निर्देश पर, रनवे, एप्रन, एप्रोच, टैक्सीवे या अन्य आवाजाही क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाएगा।

(घ) विस्तार के कारणों से जहां आवश्यक हो, भाविप्रा उपकरणों को स्थानांतरित करेगा।

(ड) भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए भाविप्रा उपकरणों और अनुसूची 3 में निर्धारित कार्यालय स्थान/सुविधाओं को यूटिलिटी आपूर्ति (दोहरी आपूर्ति स्रोत के साथ बिजली की आपूर्ति सहित) प्रदान करेगा।

**5.3** यदि रियायतग्राही भाविप्रा से प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक भाविप्रा उपकरणों को अपग्रेड करने की अपेक्षा करता है, तो जेसीसी द्वारा ऐसे उन्नयन को आवश्यक निर्धारित किए जाने के अधीन, भाविप्रा अपने स्वयं के खर्च पर ऐसा उन्नयन करेगा।

## 6. सुविधाओं और उपकरणों का विकास एवं विस्तार

### 6.1 सुविधाओं और उपकरणों के विकास तथा विस्तार के लिए योजना

6.1.1 भाविप्रा और रियायतग्राही हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ट्रेफिक प्रवाह के कारण सीएनएस/एटीएमसेवाओं के लिए भविष्य की आवश्यकताओं का समय-समय पर मूल्यांकन करेंगे।

6.1.2 उस तारीख से कम से कम 24 (चौबीस) महीने पहले जिस तारीख को किसी पक्ष द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि सीएनएस/एटीएमउपकरण भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हो जाएंगे, ऐसा पक्ष सीएनएस/एटीएमउपकरणों के आवश्यक विकास, उन्नयन और/या विस्तार के लिए एक योजना ("प्रारंभिक सीएनएस/एटीएमविकास योजना") प्रस्तुत कर सकता है। प्रारंभिक सीएनएस/एटीएमविकास योजना में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल होंगे:

- (i) अनुमानित ट्रेफिक प्रवाह पर सभी समर्थन डेटा के साथ विश्लेषण;
- (ii) भाविप्रा सेवाओं और रियायतग्राही सेवाओं में वृद्धि की आवश्यकता;
- (iii) अतिरिक्त सीएनएस/एटीएमउपकरणों की आवश्यकता या भाविप्रा उपकरणों का उन्नयन (प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं में निर्धारित आवश्यकताओं से अधिक);
- (iv) सीएनएस/एटीएमउपकरणों के स्थानांतरण की आवश्यकता;
- (v) रियायतग्राही द्वारा भाविप्रा और भारतीय मौसम विभाग (जीओआई) को निम्नलिखित के संदर्भ में प्रदान की जाने वाली बुनियादी ढांचा संरचना:
  - (a) उपकरण/यंत्रों की स्थापना के लिए परिचालन क्षेत्र में स्थान; और
  - (b) कार्यालय स्थापित करने के लिए स्थान।
- (vi) भाविप्रा के कर्मियों और एजेंटों के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्यालय स्थान सुविधाएं।

### 6.2 सुविधाओं या उपकरणों के विकास, विस्तार और परिवर्तन को संभालने की प्रक्रिया

6.2.1 प्रारंभिक सीएनएस/एटीएमविकास योजना प्रस्तुत करने के 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर, पक्ष प्रारंभिक सीएनएस/एटीएमविकास योजना पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे और सीएनएस/एटीएमउपकरणों के विकास, उन्नयन और/या विस्तार के लिए एक योजना को अंतिम रूप देने का सदभाव से प्रयास करेंगे, साथ ही इसके समय-सूची ("अंतिम सीएनएस/एटीएमविकास योजना") को भी तय करेंगे। अंतिम सीएनएस/एटीएमविकास योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, इसे खंड 7.3 के अनुसार जेसीसी को भेजा जाएगा।



**6.2.2** पक्ष इस अनुबंध के तहत अपने संबंधित दायित्वों के अनुसार अंतिम सीएनएस/एटीएमविकास योजना द्वारा आवश्यक अतिरिक्त सुविधाओं, उपकरणों, जनशक्ति और यूटिलिटी आपूर्ति (दोहरी आपूर्ति स्रोत के साथ बिजली की आपूर्ति सहित) को अपनी लागत पर प्रदान करेंगे।

### **6.3 रियायतग्राही के विकास संबंधी कर्तव्य**

**6.3.1** रियायतग्राही, अंतिम सीएनएस/एटीएमविकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने स्वयं के खर्च पर, रियायतग्राही के दायरे के भीतर पहचाने गए ऐसे अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं (कार्यालय सुविधाओं सहित) को डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, कमीशन और संचालित करेगा ("रियायतग्राही विकास उपकरण")।

**6.3.2** यह स्पष्ट किया जाता है कि:

- (i) भाविप्रा किसी भी रियायतग्राही विकास उपकरण के परीक्षण और/या कमीशनिंग के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो कि पूरी तरह से रियायतग्राही की ज़िम्मेदारी होगी।
- (ii) भाविप्रा रियायतग्राही को रियायतग्राही विकास उपकरण को कैलिब्रेट करने में सक्षम बनाने के लिए कैलिब्रेशन उड़ानों का समन्वय करेगा।
- (iii) रियायतग्राही विकास उपकरण का स्वामित्व रियायतग्राही के पास रहेगा।

**6.3.3** रियायतग्राही यह सुनिश्चित करेगा:

- (i) भाविप्रा विकास उपकरणों और रियायतग्राही विकास उपकरणों के बीच के इंटरफेस की पहचान भाविप्रा को करेगा;
- (ii) भाविप्रा और उसके कर्मियों, एजेंटों और वाहनों को हवाई अड्डे तक पहुंच और ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो भाविप्रा सेवाएं करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो;
- (iii) उस तारीख से कम से कम 60 (साठ) दिन पहले भाविप्रा को वह तारीख बताएगा जिस दिन रियायतग्राही विकास उपकरण के कमीशन होने की उम्मीद है;
- (iv) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

### **6.4 भाविप्रा के विकास संबंधी कर्तव्य**

(i) भाविप्रा, अंतिम सीएनएस/एटीएमविकास योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने स्वयं के खर्च पर, भाविप्रा के दायरे के भीतर पहचाने गए ऐसे अतिरिक्त उपकरणों और सुविधाओं को डिजाइन, निर्माण, स्थापित, परीक्षण, कमीशन और संचालित करेगा (भाविप्रा विकास उपकरण);

- (ii) यह सुनिश्चित करेगा कि भाविप्रा विकास उपकरण उस तारीख से कम से कम 30 (तीस) दिन पहले कमीशन किए जाएं जिस तारीख को रियायतग्राही विकास उपकरण के कमीशन होने की उम्मीद है;
- (iii) भाविप्रा विकास उपकरण और रियायतग्राही विकास उपकरण के बीच समन्वय करेगा और अनुकूलता सुनिश्चित करेगा, तथा इस संबंध में उपयुक्त इंटरफेसिंग सुनिश्चित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इसकी लागत रियायतग्राही द्वारा उठाई जाएगी;
- (iv) रियायतग्राही के खर्च पर, रियायतग्राही विकास उपकरण के किसी भी कैलिब्रेशन और बेंचमार्क परीक्षण में भाग लेगा;
- (v) यह सुनिश्चित करेगा कि भाविप्रा विकास उपकरण प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस तथा डीजीसीए नागरिक विमानन आवश्यकताओं के अनुसार भाविप्रा सेवाएं निष्पादित कर सकें;
- (vi) भाविप्रा विकास उपकरणों को भाविप्रा द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक एयर नेविगेशन और मौसम संबंधी उपकरण तथा प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा;
- (vii) भाविप्रा विकास उपकरणों को कमीशन करने के लिए आवश्यक कैलिब्रेशन उड़ानें चलाएगा और, जहां तक व्यावहारिक हो, रियायतग्राही को उसी समय रियायतग्राही विकास उपकरण को कैलिब्रेट करने में सक्षम बनाने के लिए रियायतग्राही के साथ समन्वय करेगा। किसी भी संशय से बचने के लिए, भाविप्रा रियायतग्राही विकास उपकरण को कैलिब्रेट करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किए गए खर्च के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। रियायतग्राही विकास उपकरण को कैलिब्रेट करने के लिए भाविप्रा द्वारा किया गया कोई भी खर्च रियायतग्राही से वसूला जाएगा;
- (viii) अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार अपने कार्यों की सुरक्षा और देखभाल के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।

## 7. संयुक्त समन्वय समिति

7.1 पक्ष स्वीकार करते हैं कि इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए, प्रत्येक पक्ष को दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी, और इस उद्देश्य से पक्ष एतद्द्वारा सीओडी से 1 (एक) महीने के भीतर एक संयुक्त समन्वय समिति ("जेसीसी") स्थापित करने का उपक्रम करते हैं और सहमत होते हैं। जेसीसी:

- (i) 4 (चार) सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें प्रत्येक पक्ष 2 (दो) सदस्यों को नामित और नियुक्त करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जेसीसी के सदस्य अपनी ओर से बैठकों में भाग लेने के लिए प्रॉक्सी को नामित/प्रस्तावित कर सकते हैं।
- (ii) इसकी अध्यक्षता रियायतग्राही के नामित द्वारा की जाएगी।
- (iii) महीने में कम से कम एक बार हवाई अड्डे पर बैठक करेगी।

**7.2** यह माना जाएगा कि पक्षों ने जेसीसी द्वारा विचार किए गए सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उन्हें बाध्य करने के लिए जेसीसी के सदस्यों को पूर्ण अधिकार प्रत्यायुक्त कर दिया है।

**7.3** जेसीसी सीएनएस/एटीएमसेवाओं के संबंध में पक्षों की गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद और मतभेद को हल करना शामिल है।

(i) यदि जेसीसी किसी भी मामले पर ऐसे तरीके से निर्णय तक पहुंचने में असमर्थ है जो पक्षों के लिए संतोषजनक हो, तो कोई भी पक्ष ऐसे मामले को रियायतग्राही के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भाविप्रा के अध्यक्ष के संयुक्त विचार-विमर्श के लिए संदर्भित करने का हकदार होगा।

(ii) यदि उपरोक्त उप-खंड (i) के अनुसार संदर्भ के 15 (पंद्रह) व्यावसायिक दिनों के भीतर मामला हल नहीं होता है, तो कोई भी पक्ष अनुच्छेद 14 के तहत समाधान के लिए मामले को संदर्भित कर सकता है।

## **8. राजस्व और शुल्क**

**8.1** भाविप्रा, भाविप्रा सेवाएं प्रदान करने के एवज में, एयरलाइनों से सीधे रूट नेविगेशन फैसिलिटीज चार्जस और टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जस ("सीएनएस/एटीएमशुल्क") वसूल करने का हकदार होगा और रियायतग्राही ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई देनदारी नहीं रखेगा।

**8.2** भाविप्रा द्वारा सीएनएस/एटीएमशुल्क एकत्र करने में विफलता किसी भी तरह से भाविप्रा को भाविप्रा सेवाओं के प्रदर्शन से मुक्त नहीं करेगी।

**8.3** यदि कोई व्यक्ति भाविप्रा को सीएनएस/एटीएमशुल्क का भुगतान करने में चूक करता है, तो भाविप्रा को ऐसे व्यक्ति को भाविप्रा सेवाएं प्रदान न करने और बकाया राशि वसूलने के लिए उचित समझे जाने वाले कदम उठाने का अधिकार होगा, और यह भाविप्रा सेवाओं के प्रदर्शन में भाविप्रा की ओर से चूक नहीं माना जाएगा।

**8.4** इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सीएनएस/एटीएमसेवाओं और हवाई अड्डे पर या अन्यथा इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के प्रावधान की दिशा में भाविप्रा द्वारा सीधे किए गए सभी लागत और खर्च, चाहे वे परिचालन प्रकृति के हों या पूंजीगत प्रकृति के हों, उन शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे जो भाविप्रा ऐसी सेवाओं के लिए लगा सकता है। भाविप्रा द्वारा सीधे तौर पर उठाए गए किसी भी लागत या खर्च की भरपाई रियायतग्राही द्वारा नहीं की जाएगी, न ही वे उन वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे जिन्हें रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

**8.5** इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा सीधे किए गए सभी लागत और खर्च, चाहे वे परिचालन प्रकृति के हों या पूंजीगत प्रकृति के हों, आईआरए द्वारा वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे, जिन्हें कंसेशन एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है। रियायतग्राही द्वारा सीधे तौर पर उठाए गए किसी भी लागत या खर्च की भरपाई भाविप्रा द्वारा नहीं की जाएगी, न ही वे उन शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वीकार्य होंगे जिन्हें भाविप्रा द्वारा लगाया, एकत्र और विनियोजित किया जा सकता है।

## **9. क्षतिपूर्ति**

### **9.1 सामान्य क्षतिपूर्ति**

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपल्स और एजेंटों को किसी भी और सभी भुगतान के बराबर नुकसान, लागत, खर्च, देयता या क्षति से क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा, जो पीड़ित पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रिंसिपल्स और एजेंटों के खिलाफ किसी भी पक्ष के दायित्वों के प्रदर्शन (चाहे कार्य द्वारा या चूक द्वारा) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के दावों के कारण या उसके परिणामस्वरूप लगाए गए हों, आरोपित किए गए हों या उठाए गए हों (फोर्स माजेर की घटना को छोड़कर), जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु या चोट के दावे या संपत्ति को नुकसान या क्षति के दावे शामिल हैं।

### **9.2 दावों की सूचना और विरोध**

इस बात के होने पर कि किसी पक्ष को किसी तीसरे पक्ष से कोई ऐसा दावा प्राप्त होता है जिसके संबंध में वह खंड 9.1 के तहत क्षतिपूर्ति के लाभ का हकदार है या जिसके संबंध में वह प्रतिपूर्ति ("क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष") का हकदार है, वह इस अनुबंध के तहत ऐसे दावे की क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार दूसरे पक्ष ("क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष") को दावा प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर सूचित करेगा, और क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष की पूर्व स्वीकृति के बिना दावे का निपटान या भुगतान नहीं करेगा, जिसे अनुचित तरीके से रोका या विलंबित नहीं किया जाएगा। यदि क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष दावे का विरोध या विवाद करना चाहता है, तो वह क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष के नाम पर कार्यवाही का संचालन कर सकता है और इसका विरोध करने में शामिल सभी लागतों को वहन करेगा। क्षतिपूर्ति प्राप्त पक्ष किसी भी दावे का विरोध करने में सभी सहयोग और सहायता प्रदान करेगा और ऐसे सभी लेखन और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेगा जिनकी क्षतिपूर्ति करने वाला पक्ष उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।

## **10. देयता**

पक्षों का इरादा है कि इस अनुबंध में निहित अधिकार, दायित्व और देयताएं इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इसके संबंध में पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देयताओं का एक संपूर्ण विवरण होंगी। तदनुसार, इस अनुबंध में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय और इसके अनुसरण में दर्ज कोई भी दस्तावेज कानून या साम्या (equity) के तहत अन्यथा उपलब्ध किसी भी उपाय के बावजूद, इस अनुबंध से उत्पन्न होने या इसके संबंध में एक-दूसरे के प्रति देयताओं के लिए पक्षों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे, जिसमें इसके संबंध में दी

गई कोई भी प्रतिनिधित्व, वारंटी या वचनबद्धता शामिल है। भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के संबंध में प्राधिकरण की देयता आउटेज (outage) की अवधि के अनुरूप टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क और/या प्रासंगिक इकाओं दस्तावेजों और एनेक्सेस द्वारा निर्धारित गुणवत्ता से गिरावट तक सीमित होगी।

## 11. फोर्स माजेर

### 11.1 फोर्स माजेर

अनुच्छेद 11 तब लागू होगा जब फोर्स माजेर के कारण किसी पक्ष ("प्रभावित पक्ष") द्वारा इस अनुबंध के तहत उसके दायित्वों का निष्पादन पूर्णतः या अंशतः रोका जाता है, बाधित होता है या में देरी होती है।

### 11.2 फोर्स माजेर की परिभाषा

11.2.1 इस अनुबंध में, "फोर्स माजेर" का अर्थ किसी भी कार्य, घटना या परिस्थिति या कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जिसमें इस खंड 11.2 में संदर्भित वे घटनाएं शामिल हैं, जो प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे हैं और जिन्हें प्रभावित पक्ष अच्छी उद्योग प्रथा द्वारा या किसी भी सुविधा के निर्माण के संबंध में उचित कौशल और देखभाल के प्रयोग द्वारा रोक नहीं सका था, और जो, या जिनका कोई भी परिणाम, इस अनुबंध के तहत किसी भी पक्ष द्वारा उसके दायित्वों के निष्पादन को पूर्णतः या अंशतः रोकता है, बाधित करता है या विलंबित करता है।

11.2.2 "फोर्स मेज्योर" में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां शामिल हैं जहां तक वे, या उनके परिणाम, उपर्युक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

(a) निम्नलिखित प्रकार के कार्य, घटनाएं या परिस्थितियां:

(i) किसी भी पक्ष या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों से जुड़े हड़ताल, तालाबंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद, ऐसे किसी भी मामले में भारत के भीतर काम के निष्पादन या भारत के भीतर वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर नियोजित हों;

(ii) बिजली चमकना, भूकंप, आंधी, चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़, बहाव, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, अवतलन, सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय परिस्थितियां या तत्वों की कार्रवाई, उल्कापिंड या विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, सुपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले विमानों या अन्य हवाई उपकरणों के कारण उत्पन्न दबाव तरंगों की घटना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण (उन परिस्थितियों को छोड़कर जहां विस्फोट या संदूषण या विकिरण का स्रोत या कारण प्रभावित पक्ष द्वारा या प्रभावित पक्ष द्वारा नियोजित या संलग्न लोगों द्वारा साइट पर या उसके पास लाया गया है या लाया गया है, जब तक कि यह हवाई अड्डे के किसी भी हिस्से के निर्माण या संचालन के लिए आवश्यक न हो या था)।

(iii) हवाई अड्डे पर कोई भी दुर्घटना;

(iv) सीओडी से पहले किसी भी साधन द्वारा पारगमन के दौरान कार्गो की कोई भी आकस्मिक हानि या क्षति जो हवाई अड्डे में शामिल किए जाने के लिए अभिप्रेत हो;

(v) हवाई अड्डे को नुकसान या गंभीर आकस्मिक क्षति;

(vi) महामारी;

(vii) युद्ध की कार्रवाई (घोषित या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु का कृत्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बम या नागरिक उपद्रव;

(viii) तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;

(ix) दैवयोग ;या

(x) पूर्वोक्त प्रकृति का कोई अन्य कृत्य, घटना या परिस्थिति।

बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या उसके परिणाम फोर्स माजेर का गठन करने या उसका कारण बनने में सक्षम नहीं होंगे:

(i) भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; या

(ii) बाजार की स्थितियों के प्रभाव, जब तक कि ऐसी बाजार स्थिति स्वयं किसी फोर्स माजेर घटना के कारण या उसका परिणाम न हो।

और यह भी बशर्ते कि उपर्युक्त खंड 11.2.2(a) में संदर्भित कोई कृत्य, घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को प्रभावित करती है (बिना किसी सीमा के, निर्माण ठेकेदार या हवाई अड्डे के ऑपरेटर, किसी पक्ष के सहयोगी या किसी पक्ष या उसके सहयोगी के उप-ठेकेदार सहित) और जो किसी पक्ष को उसके दायित्वों के निष्पादन में रोकती है, बाधित करती है या विलंबित करती है, ऐसे पक्ष के संबंध में तदनुसार फोर्स माजेर का गठन करेगी यदि और उस सीमा तक यह उस प्रकार या चरित्र की है कि, यदि यह इस खंड पर भरोसा करने के इच्छुक पक्ष के साथ हुआ होता, तो यह इस खंड 11 के तहत फोर्स माजेर की परिभाषा के अंतर्गत आता।

### 11.3 फोर्स माजेर के परिणाम

#### 11.3.1 निष्पादन दायित्व

प्रभावित पक्ष इस अनुबंध के तहत या इसके अनुसार किसी भी दायित्व का पालन करने में किसी भी विफलता या पालन करने में देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और उसे अपने दायित्वों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि ऐसी विफलता या देरी प्रत्यक्ष रूप से किसी फोर्स माजेर घटना के कारण हुई हो, और विशेष रूप से, बिना किसी सीमा के, ऐसे किसी भी दायित्व के निष्पादन के लिए अनुमति दिया गया समय तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा।

### 11.3.2 सूचना

यदि प्रभावित पक्ष यह दावा करता है कि उसे किसी फोर्स माजेर घटना के कारण इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोका गया है, तो वह दावे के आधार और परिणामों को बताते हुए, उचित रूप से व्यावहारिक होते ही दूसरे पक्ष को लिखित रूप में सूचित करेगा।

### 11.3.3 शमन

प्रभावित पक्ष फोर्स माजेर घटना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा।

## 12. समाप्ति

### 12.1 रियायतग्राही की चूक की घटनाएं

भाविप्रा रियायतग्राही को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा, यदि:

- (i) रियायतग्राही इस अनुबंध के तहत भाविप्रा को देय किसी भी राशि का भुगतान नियत और देय होने पर करने में विफल रहता है और चूक को निर्दिष्ट करने वाले तथा इसे सुधारने की मांग करने वाले भाविप्रा के नोटिस की प्राप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर ऐसी विफलता को सुधारा नहीं जाता है;
- (ii) रियायतग्राही के परिसमापन (liquidation), दिवालियापन या विघटन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या प्रस्ताव पारित किया जाता है जिसे, यदि सक्षम हो, तो उसके 90 (नब्बे) दिनों के भीतर समाप्त या रद्द नहीं किया जाता है;
- (iii) रियायतग्राही इस अनुबंध में किसी भी दायित्व (धन भुगतान के दायित्व के अलावा) को इस हद तक निष्पादित करने या उसका पालन करने में विफल रहता है जिसका भाविप्रा के अधिकारों और दायित्वों पर महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि इसे सुधारा जा सकता है, तो चूक को निर्दिष्ट करने वाले तथा इसे सुधारने की मांग करने वाले भाविप्रा के नोटिस की प्राप्ति के बाद ऐसा विफलता 30 (तीस) दिनों की अवधि तक जारी रहती है।

बशर्ते कि, यदि जीओआई, उत्तर प्रदेश सरकार या भाविप्रा द्वारा रियायतग्राही की समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को रोका गया है, तो भाविप्रा ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने का हकदार नहीं होगा।

### 12.2 भाविप्रा की चूक की घटनाएं

कंसैशन एग्रीमेंट में उपयुक्त संशोधन किए जाने के अधीन, यदि लागू कानून रियायतग्राही को सीएनएस/एटीएमसेवाएं निष्पादित करने की अनुमति देते हैं, तो रियायतग्राही भाविप्रा को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा।

## 12.3 समाप्ति नोटिस का प्रभाव

यदि इस अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी पक्ष द्वारा समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, तो ऐसे समाप्ति नोटिस की सेवा की तारीख के बाद 90 (नब्बे) दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी समय, जब तक कि समाप्ति नोटिस जारी करने के कारण बनी परिस्थितियां पूरी तरह से सुधारी न गई हों या लागू होना बंद न हो गई हों, समाप्ति नोटिस जारी करने वाला पक्ष तत्काल प्रभाव से इस अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

## 12.4 समाप्ति के परिणाम

**12.4.1** यदि यह अनुबंध रियायतग्राही द्वारा खंड 12.2 के अनुसार समाप्त किया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भाविप्रा सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाई अड्डे का संचालन प्रभावित या निलंबित न हो, भाविप्रा तुरंत जीओआई को "जैसी है-जहां है" की स्थिति में आपसी सहमति की शर्तों पर भाविप्रा सेवाओं के निष्पादन में भाविप्रा द्वारा तैयार किए गए सभी भाविप्रा उपकरण, मैनुअल, चार्ट और अन्य ज्ञापनों को सौंप देगा, ताकि जीओआई को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1994 की धारा 38 के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम बनाया जा सके। भाविप्रा उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जीओआई को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

**12.4.2** रियायतग्राही, उचित कदम उठाने और किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से भाविप्रा सेवाओं के समतुल्य सेवाएं प्रदान करने के लिए, अपने विवेक पर जीओआई से परामर्श कर सकता है। भाविप्रा उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

**12.4.3** इस खंड 12.4 के प्रावधान इस अनुबंध के तहत किसी भी पक्ष के अधिकारों या उपलब्ध उपायों को प्रभावित किए बिना होंगे।

## 13. समनुदेशन

### 13.1 भाविप्रा द्वारा समनुदेशन

इस अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, भाविप्रा रियायतग्राही की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को समनुदेशित (assign) या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा, बशर्ते कि भाविप्रा के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा समनुदेशन या हस्तांतरण किसी कानून के अधिनियमन के अनुसरण में हो। ऐसा समनुदेशिनी या ट्रांसफरी इस अनुबंध के नियमों और शर्तों से बंधा होगा।

### 13.2 रियायतग्राही द्वारा समनुदेशन

इस अनुबंध में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, लेकिन खंड 18.6 के अधीन रहते हुए, रियायतग्राही भाविप्रा की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस अनुबंध के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के सभी या किसी



भी हिस्से को समनुदेशित या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा: बशर्ते कि, रियायतग्राही ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, लेकिन भाविप्रा को पूर्व लिखित सूचना देकर:

- (i) अपने यहाँ के सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही के किसी सहयोगी को हस्तांतरित कर सकता है;
- (ii) अपने अधिकारों और दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को रियायतग्राही में स्वामित्व हितों के किसी खरीदार को हस्तांतरित कर सकता है;
- (iii) किसी भी ऐसे अनुबंध के तहत देय राशि के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में इस अनुबंध के तहत रियायतग्राही के अधिकारों को ऋणदाताओं को हस्तांतरित कर सकता है जिसके तहत रियायतग्राही ने पैसा उधार लिया है; या
- (iv) कंसेशन एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार जीओआई को अपने सभी या लगभग सभी अधिकारों और दायित्वों को हस्तांतरित कर सकता है।

## **14. विवाद समाधान**

### **14.1 बातचीत और सुलह**

पक्ष इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले, इसके संबंध में या इससे जुड़े किसी भी विवाद, अंतर, दावे, प्रश्न या विवाद ("विवाद") को बातचीत के माध्यम से आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अपने-अपने उचित प्रयास करेंगे।

### **14.2 मध्यस्थ को संदर्भ**

एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 2008 के प्रावधानों के अधीन, जो उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार विवादों का न्याय करने की एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की शक्ति और प्राधिकार से संबंधित हैं, कोई भी विवाद जिसे पक्ष खंड 14.1 के अनुसार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को विवाद के अस्तित्व की लिखित सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर (या ऐसी लंबी अवधि के लिए जिसे पक्ष सहमत हो सकते हैं) हल करने में असमर्थ हैं, (भारतीय) मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और/या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार और अधिनियम के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा यूएनसीआईटीआरएल नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंततः निर्धारित किया जाएगा।

### **14.3 विविध**

मध्यस्थता का स्थल नई दिल्ली होगा। प्रत्येक पक्ष नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्चों का भुगतान करेगा और लागत के लिए अंतिम दायित्व मध्यस्थता अधिनिर्णय की शर्तों के अनुसार होगा। कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट, या सलाहकार या परामर्शदाता नहीं होगा या किसी भी तरह से पक्षों से संबंधित या निकट से जुड़ा नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

## 14.4 निर्णय/अधिनिर्णय

इस अनुच्छेद 14 के अनुसार नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय या अधिनिर्णय पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। पक्ष किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा ऐसे अधिनिर्णय की अपील या किसी भी समीक्षा के किसी भी अधिकार को छोड़ते हैं, जहाँ तक ऐसा त्याग वैध रूप से किया जा सकता है। पक्ष सहमत हैं कि कोई भी मध्यस्थ अधिनिर्णय प्रासंगिक पक्ष की संपत्ति के खिलाफ पक्षों द्वारा लागू किया जा सकता है, चाहे वे संपत्ति कहीं भी स्थित हों या पाई जा सकती हों, और किसी भी मध्यस्थ अधिनिर्णय पर निर्णय (जहां आवश्यक हो) उसके किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा सकता है। पक्ष किसी भी मध्यस्थ अधिनिर्णय के प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं।

## 15. बीमा

### 15.1 बीमा का रखरखाव

भाविप्रा अच्छी उद्योग प्रथा के अनुसार अपनी संपत्ति के नुकसान या क्षति, तीसरे पक्ष की देयता, कामगार मुआवजा नीति और किसी अन्य बीमा को कवर करने के लिए आवश्यक बीमा को हर समय, अपने स्वयं के खर्च और लागत पर प्रभावी करेगा और बनाए रखेगा।

### 15.2 नीतियां

खंड 15.1 के तहत प्राप्त और बनाए रखने के लिए आवश्यक बीमा के संबंध में किसी भी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, भाविप्रा रियायतग्राही को सूचित करेगा कि ऐसा बीमा प्राप्त कर लिया गया है और रियायतग्राही को ऐसे पॉलिसी प्रमाण पत्र की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि इस तरह के बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है। भाविप्रा द्वारा रियायतग्राही को ऐसे रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण के नोटिस से कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों की समाप्ति तक किसी भी बीमा को रद्द, संशोधित या समाप्त या व्यतीत नहीं होने दिया जाएगा।

### 15.3 बीमा न कराने पर उपाय

यदि भाविप्रा सभी ऐसे बीमा को प्रभावी करने और चालू रखने में विफल रहता है जिसके लिए वह इसके तहत जिम्मेदार है, तो रियायतग्राही के पास ऐसे किसी भी बीमा को चालू रखने, ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने और भाविप्रा से उसकी लागत वसूलने का विकल्प होगा।

### 15.4 बीमा आय का उपयोग

भौतिक क्षति से संबंधित न होने वाली बीमा आय को छोड़कर, इस अनुबंध के तहत भाविप्रा को भुगतान किए जाने वाले सभी बीमा दावों का उपयोग क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा।

## 16. नोटिस

### 16.1 लिखित में संचार

ऑपरेटिंग रिपोर्टिंग प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया को छोड़कर, इस अनुबंध के तहत दिए जाने वाले या किए जाने वाले सभी नोटिस या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और या तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाएंगे या कूरियर द्वारा या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाएंगे, जिसमें फैक्स या ई-मेल द्वारा भेजे जाने के लिए एक अतिरिक्त प्रति होगी।

### 16.2 पते

प्रत्येक पक्ष के सेवा के लिए पता, उसका फैक्स नंबर और ई-मेल पता (और विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यान में संचार किया जाना है) इस अनुबंध के तहत या इसके संबंध में किए जाने वाले या वितरित किए जाने वाले किसी भी संचार या दस्तावेज के लिए नीचे दिया गया है:

- **[रियायतग्राही का नाम]:**

फैक्स नंबर:

ई-मेल पता:

ध्यान दें:

- **भाविप्रा:**

राजीव गांधी भवन

सफदरजंग हवाई अड्डा

नई दिल्ली-110003, भारत

फैक्स: 011 24641088

ई-मेल पता:

ध्यान दें: अध्यक्ष

या कोई अन्य प्रतिस्थापन पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जिसे एक पक्ष दूसरे पक्ष को कम से कम 5 (पाँच) व्यावसायिक दिनों के नोटिस द्वारा सूचित कर सकता है।

## 17. डीमिट डिलीवरी

इस अनुबंध में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इस अनुबंध के तहत या इसके अनुसरण में कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा (यदि फैक्स द्वारा भेजा गया है) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस पर प्राप्त हुआ माना जाएगा जहाँ इसे भेजा गया है या (किसी अन्य मामले में) जब खंड 16.2 के तहत आवश्यक पते पर छोड़ा जाता है या उस पते पर पूर्व-भुगतान करके रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाने के बाद ऐसे 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। इन उद्देश्यों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित

अवकाशों के अलावा अन्य दिन हैं। पूर्वगामी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, फैक्स या ई-मेल द्वारा नोटिस या संचार देने या करने वाला पक्ष, उसकी एक प्रति तुरंत व्यक्तिगत रूप से वितरित करेगा, या ऐसे नोटिस या संचार के प्राप्तकर्ता को कूरियर या रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजेगा।

## **18. विविध**

### **18.1 पृथक्करण**

यदि किसी भी कारण से, इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान अमान्य, अवैध या अपरिवर्तनीय है या हो जाता है या किसी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत या किसी अन्य तंत्र द्वारा अमान्य, अवैध या अपरिवर्तनीय घोषित किया जाता है, तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी, और पक्ष ऐसे अमान्य, अपरिवर्तनीय या अवैध प्रावधानों के बदले में एक या अधिक प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने की दृष्टि से सद्भावनापूर्वक बातचीत करेंगे, जो यथासंभव ऐसे अमान्य, अवैध या अपरिवर्तनीय प्रावधान के करीब हो। ऐसे किसी भी प्रावधान पर सहमत होने में विफलता अनुच्छेद 14 के तहत या अन्यथा विवाद समाधान के अधीन नहीं होगी।

### **18.2 संपूर्ण अनुबंध**

इस अनुबंध के विषय के संबंध में भाविप्रा और रियायतग्राही के बीच इस अनुबंध में इसके किसी भी अनुसूची या प्रदर्शन सहित संपूर्ण अनुबंध शामिल है और यह इस तरह के विषय के संबंध में लिखित या मौखिक सभी अन्य समझौतों का स्थान लेता है।

### **18.3 शर्तों में परिवर्तन**

इस अनुबंध में सभी जोड़, संशोधन, बदलाव और विविधताएं तभी प्रभावी और बाध्यकारी होंगी जब लिखित में हों और पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित हों।

### **18.4 छूट**

**18.4.1** किसी पक्ष द्वारा इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान या दायित्वों के पालन और निष्पादन में दूसरे पक्ष की चूक की छूट:

- (i) इस अनुबंध के किसी अन्य या बाद की चूक या अन्य प्रावधानों या दायित्वों की छूट के रूप में संचालित या निर्माण नहीं की जाएगी;
- (ii) तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि यह लिखित में न हो और पक्ष के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित न की गई हो; और
- (iii) किसी भी तरह से इस अनुबंध की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।

**18.4.2** न तो किसी भी अवसर पर इस अनुबंध के नियमों, शर्तों और प्रावधानों या उसके तहत किसी भी दायित्व के निष्पादन पर जोर देने में किसी पक्ष की विफलता, और न ही किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई समय या अन्य रियायत को ऐसे उल्लंघन की छूट या किसी भी भिन्नता की स्वीकृति या इसके तहत किसी भी अधिकार को छोड़ना माना जाएगा।

## **18.5 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाई**

प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज निष्पादित करने और वितरित करने, तथा ऐसे अतिरिक्त कदम उठाने और ऐसा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत है, जो इस अनुबंध द्वारा परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने और इस अनुबंध के आशय को प्रभावी करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकते हैं।

## **18.6 देर से भुगतान के लिए ब्याज**

इस अनुबंध के अनुसार विधिवत देय कोई भी राशि और भुगतान देय होने की तारीख के बाद भी अवैतनिक रहने पर ब्याज (निर्णय से पहले और बाद दोनों) लगेगा, ऐसा ब्याज भुगतान देय होने की तारीख से उस राशि का पूर्ण भुगतान होने तक दिन-प्रतिदिन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक प्राइम लेंडिंग रीट से 2 (दो) प्रतिशत ऊपर की दर से अर्जित होगा।

## **18.7 कोई साझेदारी नहीं**

न तो यह अनुबंध, और न ही कोई अन्य अनुबंध या व्यवस्था जिसका यह हिस्सा है, और न ही ऐसे किसी अनुबंध या व्यवस्था के तहत अपने-अपने दायित्वों का पक्षों द्वारा निष्पादन, पक्षों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष के पास किसी अन्य पक्ष को अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस अनुबंध के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और रद्द न किया गया हो)।

## **18.8 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं**

यह अनुबंध इसके पक्षों के एकमात्र और विशेष लाभ के लिए है और इसके तहत ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं बनाएगा, और न ही किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कार्रवाई का कारण पैदा करेगा।

## **18.9 उत्तरजीविता**

### **18.9.1 इस अनुबंध की समाप्ति:**

- (i) पक्षों को इसके तहत किसी भी ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से इसकी समाप्ति के बाद भी जीवित रहते हैं; और

(ii) इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान में किसी भी पक्ष की देयता को स्पष्ट रूप से सीमित करने के प्रावधान को छोड़कर, किसी भी पक्ष को ऐसी समाप्ति के प्रभावी होने से पहले या ऐसी समाप्ति से उत्पन्न होने वाले कृत्यों या चूकों के कारण दूसरे पक्ष को हुए नुकसान या क्षति के लिए किसी भी दायित्व या देयता से मुक्त नहीं करेगी।

**18.9.2** इस अनुबंध को रद्द करने, समाप्त होने या समाप्ति के बाद जीवित रहने वाले सभी दायित्व इस तरह की समाप्ति या इस अनुबंध की समाप्ति की तारीख से केवल 3 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए जीवित रहेंगे।

## **18.10 उत्तराधिकारी और समनुदेशिती**

यह अनुबंध पक्षों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों तथा अनुमत समनुदेशितियों पर बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए होगा।

## **18.11 प्रतिरूप**

यह अनुबंध एक या अधिक प्रतिरूपों में निष्पादित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और उन सभी को एक ही अनुबंध माना जाएगा।

## **18.12 समय का महत्व**

इस अनुबंध में उल्लिखित तारीखों, अवधियों या दिन के समय के संबंध में और किसी भी तारीख, अवधियों या दिन के समय के संबंध में जो इस अनुबंध के अनुसार उनके बदले में प्रतिस्थापित की जा सकती है, समय का विशेष महत्व होगा।

## **18.13 समय की गणना**

इस अनुबंध में संदर्भित समय भारतीय मानक समय में है। इस अनुबंध के तहत निर्धारित या अनुमति दी गई किसी भी समय अवधि की गणना में, उस कृत्य, घटना या चूक के दिन को शामिल किया जाएगा जिससे निर्धारित समयावधि शुरू होती है। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन व्यावसायिक दिन नहीं है, तो अवधि अगले व्यावसायिक दिन के अंत तक चलेगी।

## **19. शासक कानून**

यह अनुबंध भारत के कानूनों के अनुसार समझा और व्याख्या किया जाएगा तथा उनके द्वारा शासित होगा, और नई दिल्ली के न्यायालयों को इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

## 20. भाविप्रा द्वारा वचनबद्धता

भाविप्रा बिना किसी शर्त के और अपरिवर्तनीय रूप से:

- (i) सहमत है कि, इस अनुबंध या इस अनुबंध द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में इसके या इसकी संपत्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही लाई जानी चाहिए, तो इसके या इसकी संपत्ति के संबंध में या इसकी ओर से ऐसी कार्यवाही से कोई उन्मुक्ति का दावा नहीं किया जाएगा;
- (ii) इसके खिलाफ किसी भी निर्णय या अधिनिर्णय के प्रवर्तन के संबंध में सामान्य रूप से सहमति देता है कि किसी भी क्षेत्राधिकार में ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी राहत देने या किसी प्रक्रिया को जारी करने के लिए (ऐसी किसी भी संपत्ति के विरुद्ध या उसके संबंध में किसी भी निर्णय या पंचाट या किसी भी ऐसे निर्णय या पंचाट से उत्पन्न होने वाले किसी आदेश के निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन सहित, इसके उपयोग या इच्छित उपयोग की परवाह किए बिना)।

**साक्षी स्वरूप, पक्षों ने ऊपर दी गई तारीख को इस समझौते को निष्पादित और वितरित किया है।**

भाविप्रा की ओर से हस्ताक्षरित:

रियायतग्राही की ओर से हस्ताक्षरित:

गवाह:

1.

2.

## अनुसूची 1: भाविप्रा उपकरण और रियायतग्राही उपकरण

### भाग 1: रियायतग्राही उपकरण

1. रनवे
2. रनवे की लाइटें और मार्किंग
3. टैक्सीवे
4. टैक्सीवे की लाइटें और मार्किंग
5. साइनेज
6. एप्रन
7. एप्रन की लाइटें और मार्किंग
8. सुविधा
9. भाविप्रा उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल नींव)
10. पीएपीआई और एप्रोच लाइटिंग
11. एयरोड्रम बीकन (टावर पर)
12. लैंडिंग दिन और रात की मार्किंग
13. हवा की दिशा संकेतक (प्रकाशित)
14. आइसोलेशन बे
15. द्वितीयक बिजली आपूर्ति
16. एटीसी और हवाई अड्डे के दमकल दल के बीच हॉट लाइनें
17. क्रैश बेल, केबल बिछाना और सायरन
18. एयरफील्ड लाइटिंग के लिए कंट्रोल पैनल और मॉनिटरिंग सिस्टम
19. विजुअल एड्स का उन्नयन (भविष्य)
20. साइट एयरपोर्ट नेविगेशन एड्स/रडार के एप्रोच रोड के अलावा परिचालन क्षेत्र के लिए एप्रोच रोड
21. नेविगेशनल एड्स/रडार स्थापना के लिए इमारतें
22. प्रासंगिक आईसीएओ दस्तावेजों और एनेक्सेस के अनुसार सिग्नल क्षेत्र
23. नया एयर ट्रेफिक सर्विसेज कॉम्प्लेक्स (जिसमें कंट्रोल टावर, तकनीकी ब्लॉक, साइट पर और/या साइट से बाहर नेविगेशनल एड्स/रडार के लिए इमारतें शामिल होंगी) जो अंतिम सीएनएस/एटीएम विकास योजना के अनुसार आवश्यक हो सकता है, निर्मित किया गया है।

### भाग 2: भाविप्रा उपकरण

भाविप्रा प्रस्तावित विमान संचालनों के लिए प्रासंगिक इकाओं दस्तावेजों और एनेक्सेस के अनुसार सीएनएस-एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद करेगा और उन्हें उपलब्ध कराएगा। ऐसे उपकरणों में शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा:

1. सहायक उपकरण के साथ VHF कम्युनिकेशन सेट
2. डीवीओआर/डीएमई या एनडीबी
3. वॉयस रिकॉर्डर



4. आईएलएस उपकरण और इसके सहायक उपकरण
5. रडार और इसके सहायक उपकरण
6. एडीएस-बी और इसके सहायक उपकरण
7. एसएमजीसीएस और इसके सहायक उपकरण

## अनुसूची 2: सीएनएस/एटीएम सेवाएं

भाविप्रा ऐसे हवाई क्षेत्र की पार्श्व (lateral) और ऊर्ध्वाधर (vertical) सीमाओं के भीतर हवाई क्षेत्र कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा और उनका समन्वय करेगा:

1. एयरोड्रम कंट्रोल सेवा जिसमें सतह की आवाजाही नियंत्रण या ग्राउंड कंट्रोल शामिल है, लेकिन एप्रन कंट्रोल सेवा इसमें शामिल नहीं है;
2. एप्रोच कंट्रोल/एप्रोच रडार कंट्रोल सेवा (यदि योजना बनाई गई हो);
3. एरिया कंट्रोल/एरिया रडार कंट्रोल सेवा (यदि योजना बनाई गई हो);
4. संबंधित सेवाएं जैसे एयरोनॉटिकल मोबाइल सर्विस ,एयरोनॉटिकल फिक्सड सर्विसेज, एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस, फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, एडवाइजरी सर्विस, अलर्टिंग सर्विस और सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सर्विसेज जैसा उचित हो;

### अनुसूची 3: कार्यालय और सुविधाएं

“रियायतग्राही भाविप्रा सेवाओं के प्रावधान के लिए एएटी तथा उसके कर्मिकों और एजेंटों को वातानुकूलन के प्रावधान के साथ (जिसमें, आवश्यकतानुसार, नियंत्रण टावर में अलग वातानुकूलन, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति तथा हाउसकीपिंग शामिल है) निम्नलिखित कार्यालय स्थान तथा फाइलें उपलब्ध कराएगा:

1. **नियंत्रण टावर:** रियायतग्राही आवश्यकता के अनुसार विभिन्न एटीएस इकाइयों, नैव-एड्स और राडार भवन के लिए **8250 वर्ग मीटर** (यथा लागू, तकनीकी ब्लॉक) का क्षेत्र उपलब्ध कराएगा।
2. **कार्यालय:** रियायतग्राही **6056 वर्ग मीटर** का क्षेत्र उपलब्ध कराएगा।
3. **कार पार्किंग:** रियायतग्राही हवाई अड्डे पर भाविप्रा को उसके कर्मियों और एजेंटों के उपयोग के लिए **10 कार पार्किंग स्थान** उपलब्ध कराएगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि वातानुकूलन, बिजली और पानी की निरंतर आपूर्ति तथा हाउसकीपिंग का प्रावधान रियायतग्राही को अपने ही खर्च पर उपलब्ध करानी होगी।

**अनुसूची 4: पृथक किए गए क्षेत्र**

| क्रम संख्या | परिसंपत्ति                                                        | वर्ग मीटर (लगभग)        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.          | एटीसी टावर                                                        | 8250 वर्ग मीटर          |
| 2.          | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी)                              | 19600 वर्ग मीटर         |
| 3.          | प्रशासनिक भवन (विद्यमान) - भाविप्रा और डीजीसीए                    | 6056 वर्ग मीटर          |
| 4.          | सीएनएस/एटीएम/स्टाफ क्वार्टर के लिए कोई भी भविष्य की भूमि आवश्यकता | 35525 वर्ग मीटर         |
| 5.          | <b>कुल</b>                                                        | <b>69,431 वर्ग मीटर</b> |

## अनुसूची 5: मौजूदा उपकरणों की सूची

1. आईएलएस कैट III बी
2. एलएलजेड मॉनिटर एंटीना
3. एसआर
4. एमएमएसआर
5. डीवीओआर
6. जीपी
7. डीएमई
8. एफएफएम एंटीना
9. जीएआरपी

**अनुसूची 6: हवाई अड्डे पर सीएनएस-एटीएम उपकरणों का भविष्य का रोड मैप**

1. सीएनएस/एटीएम/स्टाफ क्वार्टर के लिए कोई भी भविष्य की भूमि आवश्यकता: **35525 वर्ग मीटर**

**अनुसूची द**  
**समझौता ज्ञापन**

(खंड 4.1.2(d)(ii) और खंड 4.1.3(i) देखिए)

**[उपयुक्त मूल्य के स्टॉप पेपर पर निष्पादित किया जाए]**

यह अनुबंध ज्ञापन (एमओयू) -----, ----- तारीख ----- 20 को बनाया गया है

**द्वारा और के बीच:**

1. **भारत के राष्ट्रपति**, जो भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के सचिव या भारत सरकार द्वारा उनकी ओर से नामित किसी व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसके बाद **"भारत सरकार"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे); और

2.

\_\_\_\_\_, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या [] है और जिसका पंजीकृत कार्यालय [] पर है (जिसे इसके बाद **"रियायतग्राही"** कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारी, अनुमत समनुदेशिती और सहायक कंपनियां शामिल होंगी)।

जैसा कि संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है, भारत सरकार और रियायतग्राही को इसके बाद सामूहिक रूप से **"पक्षकार"** और व्यक्तिगत रूप से **"पक्षकार"** कहा जाएगा।

**जबकि:**

- **क.** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("प्राधिकरण") ने [उस शहर का नाम डालें जहां हवाई अड्डा स्थित है] राज्य में [उस राज्य का नाम डालें जहां हवाई अड्डा स्थित है] में हवाई अड्डे के लिए रियायतकर्ता ("रियायत अनुबंध") के साथ दिनांक [----] को एक रियायत अनुबंध किया है, रियायत अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार।
- **ख.** भारत सरकार स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए रियायतकर्ता को लागू कानूनों और आगे बताई गई शर्तों के अनुसार भारत सरकार से लगातार सहयोग और कुछ अधिकार मिलना ज़रूरी है, और यह परियोजना के लिए संसाधन जुटाने के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है।
- **ग.** परियोजना के सुचारू रूप से चलने और व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार रियायतग्राही को यहाँ बताई गई कुछ सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

**अब एतद्वारा निम्नलिखित पर सहमति बनी है:**

**1. परिभाषाएं एवं व्याख्या**

**1.1**

**परिभाषाएं**

इस समझौता ज्ञापन में, सिवाय उस सीमा के जहाँ संदर्भ के अनुसार अन्यथा आवश्यक हो, और जब तक कि नीचे या इस समझौता ज्ञापन में कहीं और विशेष रूप से परिभाषित न किया गया हो, यहाँ उपयोग किए गए

अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्द (और यहाँ परिभाषित नहीं हैं) लेकिन रियायत अनुबंध के तहत परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो रियायत अनुबंध के तहत उस पद को दिया गया है:

**"पशु संगरोध सेवाएं"** से तात्पर्य संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 1 में निर्धारित किया गया है;

**"पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

**"लागू परमिट"** से तात्पर्य इस समझौता ज्ञापन के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत भारत सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग/एजेंसी से प्राप्त किए जाने वाले और/या उसके बाद बनाए रखे जाने वाले सभी स्पष्टीकरण, लाइसेंस, परमिट, अधिकार पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, अनुमोदन और छूट से होगा;

**"मध्यस्थता अधिकरण"** का वही अर्थ है जो नीचे खंड 6.3.3 में दिया गया है;

**"प्राधिकरण"** का वही अर्थ है जो पूर्वपीठिका क में दिया गया है;

**"प्राधिकरण प्रतिनिधि"** से तात्पर्य प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

**"रियायत अनुबंध"** का वही अर्थ है जो ऊपर पूर्वपीठिका क में दिया गया है;

**"रियायतग्राही"** का वही अर्थ है जो पक्षकारों की सूची में दिया गया है या कोई अन्य पक्षकार जिसे प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किया जा सकता है;

**"रियायतग्राही प्रतिनिधि"** से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति पर समय-समय पर रियायतग्राही द्वारा नामित कम से कम निदेशक के पद के प्रतिनिधि(यों) से होगा;

**"सीमा शुल्क नियंत्रण"** से तात्पर्य सीमा शुल्क से संबंधित सेवाओं से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 3 में निर्धारित किया गया है;

**"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि"** से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

**"डीजीसीए"** से तात्पर्य नागर विमानन महानिदेशालय या उसके किसी विकल्प से होगा;

**"प्रभावी तिथि"** से तात्पर्य यहाँ अंतिम पक्षकार द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि से होगा और ऐसी तिथि रियायत समझौते में प्रदान किए गए सीओडी से बाद की नहीं होगी;

**"भारत सरकार"** का वही अर्थ है जो पक्षकारों की सूची में दिया गया है;



**"भारत सरकार सहायता"** का वही अर्थ है जो इस समझौता ज्ञापन के खंड 2 में दिया गया है;

**"स्वास्थ्य सेवाएं"** से तात्पर्य अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 4 में निर्धारित किया गया है;

**"स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

**"आप्रवासन सेवाएं"** से तात्पर्य लागू कानून के अनुसार आप्रवासन सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 5 में निर्धारित किया गया है;

**"आप्रवासन सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित आप्रवासन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

**"संयुक्त समन्वय समिति"** का वही अर्थ है जो नीचे खंड 3.1.1 में दिया गया है;

**"मौसम विज्ञान सेवाएं"** से तात्पर्य मौसम संबंधी सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 6 में निर्धारित किया गया है;

**"मौसम विज्ञान सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

**"एमओसीए"** का वही अर्थ है जो नीचे खंड 2.6 में दिया गया है;

**"समझौता ज्ञापन"** या "यह समझौता ज्ञापन" से तात्पर्य इस अनुबंध ज्ञापन से होगा;

**"पादप संगरोध सेवाएं"** से तात्पर्य संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 7 में निर्धारित किया गया है;

**"पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

**"परियोजना"** का वही अर्थ है जो रियायत अनुबंध में दिया गया है;

**"आरक्षित सेवाएं"** का वही अर्थ है जो खंड 2.3 में दिया गया है;

**"सुरक्षा सेवाएं"** से तात्पर्य सुरक्षा सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से होगा, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुलग्नक 8 में निर्धारित किया गया है;

**"सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य संयुक्त समन्वय समिति पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामित सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से होगा;

" साझा-टिल अनुमोदन " का वही अर्थ है जो नीचे खंड 2.2.1 में दिया गया है; और

"अवधि" का वही अर्थ है जो खंड 4 में दिया गया है।

## 1.2 व्याख्या के नियम

**1.2.1** इस समझौता ज्ञापन में बड़े अक्षरों से शुरू होने वाले और परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो यहाँ उन्हें दिया गया है, और इस समझौता ज्ञापन में प्रयुक्त और यहाँ परिभाषित नहीं किए गए लेकिन रियायत अनुबंध में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जब तक कि संदर्भ के प्रतिकूल न हो, वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है।

**1.2.2** खंडों के संदर्भ, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, इस समझौता ज्ञापन के खंडों के संदर्भ हैं।

**1.2.3** रियायत अनुबंध के खंड 1.2, 1.3 और 1.4 में बताए गए व्याख्या के नियम, यथोचित परिवर्तनों सहित, इस समझौता ज्ञापन पर लागू होंगे।

## 2. भारत सरकार की सहायता

प्रभावी तिथि से, भारत सरकार एतद्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित सहायता ("भारत सरकार सहायता") प्रदान करने का वचन देती है:

### 2.1 लागू परमिट

**2.1.1** भारत सरकार, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों का पालन करने के अधीन, रियायतग्राही को प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक लागू परमिट प्रदान करने का प्रयास करेगी। पक्षकार सहमत हैं कि जहाँ कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, वहाँ भारत सरकार रियायतग्राही से ऐसा लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तिथि से **45 (पैंतालीस) दिनों** के भीतर परियोजना के संबंध में आवश्यक लागू परमिट प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयासों का उपयोग करेगी, बशर्ते कि रियायतग्राही लागू परमिट प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करता हो।

**2.1.2** रियायतग्राही एतद्वारा वचन देता है कि लागू परमिटों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए, वह तत्परता और समयबद्ध तरीके से:

(क) संबंधित अधिकारियों के पास आवेदन तैयार करेगा और दायर करेगा, जो लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में हों;

(ख) संबंधित अधिकारियों के साथ उपरोक्त आवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई करेगा; और

(ग) आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए सभी अनुरोधों का समयबद्ध तरीके से उत्तर देगा।

## 2.2 शुल्कों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

**2.2.1** भारत सरकार ने 15 जून, 2016 की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के माध्यम से भारत के सभी हवाई अड्डों के लिए वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण और विनियमन के लिए **30% (तीस प्रतिशत) साझा ढाँचे** ("साझा-टिल अनुमोदन") को मंजूरी दी है, और इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार शुल्कों/वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए **एएआरए** द्वारा तदनुसार विचार किया जाएगा।

**2.2.2** वैमानिकी शुल्कों को साझा-टिल अनुमोदन, रियायत समझौते की शर्तों और लागू कानूनों के अनुसार विनियमित और निर्धारित/पुनः निर्धारित किया जाएगा।

**2.2.3** हवाई अड्डे के भीतर सीमा शुल्क, आप्रवासन, पादप संगरोध सेवाएं, पशु संगरोध सेवाएं, मौसम विज्ञान सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा सेवाएं जैसी संप्रभु सेवाएं प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी एजेंसी को किए गए किसी भी भुगतान को वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से 'पास थ्रू' माना जाएगा।

**2.2.5** इसके विपरीत कहीं भी कुछ भी शामिल होने के बावजूद, रियायतग्राही एएआरए द्वारा अनुमोदित टैरिफ की दरों पर हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से रियायत समझौते के खंड 15.1.1 के अनुसार **सीओडी** की तिथि से वैमानिकी शुल्कों को लगाने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा।

## 2.3 आरक्षित सेवाएं

**2.3.1** भारत सरकार, पूरी अवधि के दौरान, हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") प्रदान करेगी या प्रदान करवाएगी:

- (a) सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (b) आप्रवासन सेवाएं;
- (c) पादप संगरोध सेवाएं;
- (d) पशु संगरोध सेवाएं;
- (e) स्वास्थ्य सेवाएं;
- (f) मौसम विज्ञान सेवाएं; और
- (g) सुरक्षा सेवाएं।

**2.3.2** रियायतग्राही हर समय निर्दिष्ट भारत सरकार की एजेंसियों को (क) हवाई अड्डे पर ऐसी पहुंच और सुविधाएं और (ख) स्थान की आवश्यकताएं प्रदान करना सुनिश्चित करेगा जो हवाई अड्डे पर आरक्षित सेवाओं को निष्पादित करने के लिए उनमें से किसी या सभी को आवश्यक हो सकती हैं।

**2.3.3** रियायतग्राही उस निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी की सहमति के बिना हवाई अड्डे पर किसी भी नामित सरकारी एजेंसी को प्रदान किए गए स्थान और सुविधाओं को कम करने का हकदार नहीं होगा।

**2.3.4** हवाई अड्डे पर किसी भी विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास की स्थिति में जिसमें आरक्षित सेवाओं को प्रदान करने या अन्यथा उद्देश्यों के लिए किसी निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान या सुविधाओं का स्थानांतरण या पुनर्गठन शामिल है, रियायतग्राही निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी को विधिवत सूचित करेगा और रियायतग्राही तथा वह निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी चर्चा करेंगे और उस निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी की स्थान आवश्यकताओं में किसी भी बदलाव पर सहमत होंगे जो हवाई अड्डे पर ऐसे विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के परिणामस्वरूप आवश्यक हो सकता है।

**2.3.5** भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन को सुनिश्चित करने का वचन देती है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा जिन पर संबंधित निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

## **2.4 भारत सरकार की एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन**

भारत सरकार एतद्वारा रियायतग्राही और इसके तहत आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाले प्रत्येक सरकारी एजेंसी/विभाग के बीच समझौता ज्ञापन के निष्पादन को सुनिश्चित करने का वचन देती है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा जिन पर प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

## **2.5 द्विपक्षीय हवाई सेवा अनुबंध**

भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित किए बिना या किसी भी तरह से प्रतिबंधित किए बिना, भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय विमान कंपनियों से उड़ान अधिकारों के अनुरोधों को स्वीकार और समीक्षा करेगी और हवाई अड्डे पर अनुसूचित एयरलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्रता निर्धारित करेगी। भारत सरकार/नामित भारत सरकार प्राधिकरण हवाई अड्डे पर सेवाएं प्रदान करने के लिए विमान कंपनियों के अनुरोधों के आधार पर ऐसे देशों के साथ सभी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों को दर्ज करने, संशोधन करने या नवीनीकृत करने का प्रयास करेगा। भारत सरकार हवाई अड्डे के संबंध में द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में कोई अपवर्जन नहीं करेगी। अंतरराष्ट्रीय विमान कंपनियों को हवाई अड्डे पर परिचालन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, हवाई अड्डे पर उनकी अतिरिक्त आवृत्ति को द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों में नहीं गिना जाएगा। भारत सरकार हवाई अड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा हवाई सेवा समझौते को रद्द या समाप्त नहीं करने का प्रयास करेगी। भारत सरकार किसी अन्य राज्य या उसके नामित वाहक (वाहकों) द्वारा ऐसे हवाई सेवा समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहने के कारण, या उस हवाई सेवा समझौते के उल्लंघन या चूक के परिणामस्वरूप किसी भी हवाई सेवा अनुबंध को रद्द या समाप्त करने की हकदार होगी।

## **2.6 सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध (क्वारेन्टाइन)**

भारत सरकार अपनी लागत पर हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और संगरोध प्रक्रियाओं को इस तरह स्थापित या बनाए रखेगी (जैसा लागू हो) कि रियायतग्राही के प्रमुख प्रदर्शन संकेतक इन सेवाओं में से किसी या सभी के संबंध में भारत सरकार के किसी प्रत्यक्ष कारण से प्रभावित न हों। पक्षकारों का इरादा इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली सीमा शुल्क और आप्रवासन प्रक्रियाओं और संगरोध सेवाओं के संबंध में उचित सेवा स्तर के मानकों पर सहमत होने के लिए उचित प्रयासों का उपयोग करना है और नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ("एमओसीए") रियायतग्राही द्वारा इस संबंध में अनुरोध किए जाने पर तदनुसार सहायता करने के लिए अपने प्रयासों का उपयोग करेगा।

## 2.7 सुरक्षा

**2.7.1** भारत सरकार पुष्टि करती है कि जब तक इस समझौता ज्ञापन के तहत अन्यथा सहमति न हो, वह निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से, हवाई अड्डा कानूनों के प्रावधानों के अनुसार हवाई अड्डे पर सभी विमानन सुरक्षा प्रदान करेगी। बशर्ते कि भारत सरकार और रियायतग्राही, आपसी चर्चा के बाद और यदि लागू कानूनों के अनुसार अनुमति हो और यदि इसे उचित माना जाता है, हवाई अड्डे पर संयुक्त रूप से विमानन सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था कर सकते हैं। पक्षकार स्वीकार करते हैं कि प्रति प्रस्थान करने वाले यात्री पर सुरक्षा के लिए लगाया जाने वाला शुल्क भारत में समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर ऐसे शुल्क के अनुरूप होना चाहिए और ऐसे शुल्क को सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए समान रूप से संशोधित किया जा सकता है।

**2.7.2** इस समझौता ज्ञापन के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायतग्राही हवाई अड्डे की सुरक्षा के संबंध में बीसीएएस और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा स्थापित ऐसे नियमों और विनियमों का पालन करेगा। बशर्ते कि रियायतग्राही बाध्य नहीं होगा यदि ऐसे नियम और विनियम समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर सामान्य रूप से और लगातार लागू नहीं होते हैं।

**2.7.3** रियायतग्राही हवाई अड्डे पर सुरक्षा के प्रावधान के लिए समय-समय पर बीसीएएस और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा आवश्यक सभी सुरक्षा उपकरणों को प्रदान करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि वही दायित्व भारत में समान आकार और संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लगाए गए हों।

**2.7.4** हवाई अड्डा भवन, यात्रियों, हवाई अड्डे पर काम करने वाले व्यक्तियों और हवाई अड्डे पर आने वाले उनके आगंतुकों तथा विमान, माल ढुलाई और हवाई अड्डे की अन्य संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं बीसीएएस और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा निर्धारित अनुसार होंगी। रियायतग्राही समय-समय पर बीसीएएस और किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा जारी ऐसी सभी प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा, बशर्ते कि ऐसी प्रक्रियाएं और निर्देश समान संवेदनशीलता वर्गीकरण वाले हवाई अड्डों पर लगातार लागू होते हों।

**2.7.5** रियायतग्राही हर समय निर्दिष्ट सुरक्षा एजेंसियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करेगा।

## **2.8 मौसम विज्ञान सेवा**

**2.8.1** भारत सरकार पुष्टि करती है कि वह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय हवाई नौचालन के लिए मौसम विज्ञान सेवा पर शिकागो कन्वेंशन के अनुसरण में समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित प्रथाओं के अनुसार हवाई अड्डे पर मौसम विज्ञान सेवाएं प्रदान करवाएगी।

**2.8.2** भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या किसी अन्य निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्य और इस खंड 2.8 के तहत रियायतग्राही द्वारा प्रदान की जाने वाली पहुंच और स्थान 'गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज' के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

## **2.9 गैर-भेदभाव**

समय-समय पर लागू कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के अधीन, भारत सरकार हवाई अड्डे का उपयोग करने के लिए अनुमत हवाई यातायात के वर्गों या विवरण के संबंध में गैर-भेदभाव की नीति का पालन करेगी और उचित विनियमों के अधीन, हवाई अड्डे पर विमान के संचालन पर कोई अनुचित सीमा नहीं लगाने या हवाई अड्डे पर क्षमता को अन्यथा प्रतिबंधित नहीं करने का प्रयास करेगी।

## **3. संयुक्त समन्वय समिति**

### **3.1 संयुक्त समन्वय समिति का गठन**

**3.1.1** आरक्षित सेवाओं की सुचारू और कुशल प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार एतद्वारा एक संयुक्त समन्वय समिति ("संयुक्त समन्वय समिति") गठित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) प्राधिकरण प्रतिनिधि;
- (ख) नागर विमानन मंत्रालय का प्रतिनिधि;
- (ग) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;
- (घ) आप्रवासन सेवा प्रतिनिधि;
- (ड.) मौसम विज्ञान सेवा प्रतिनिधि;
- (च) सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि;

(छ) पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि;

(ज) पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि;

(झ) स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि; और

(ञ) रियायतग्राही का प्रतिनिधि.

**3.1.2** नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, इस समिति का गठन करेगा और बैठकों की अध्यक्षता करेगा, जिसे आरक्षित सेवाओं के प्रावधान से संबंधित मुद्दों को हल करने का अधिदेश प्राप्त होगा।

### **3.2 बैठकें और सहायता**

**3.2.1** संयुक्त समन्वय समिति की अध्यक्षता नागर विमानन मंत्रालय (मोका) के सचिव द्वारा की जाएगी, और जब तक कि पक्षकारों द्वारा बाद की तारीख में बैठक आयोजित करने के लिए अन्यथा सहमति न हो, हवाई अड्डे पर प्रति तिमाही कम से कम एक बार बैठक होगी, जिसकी शुरुआत पहली बार में प्रभावी तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर होगी।

**3.2.2** भारत सरकार इसके द्वारा हवाई अड्डे के प्रचालन, प्रबंधन और विकास के संबंध में भारत सरकार के नियंत्रण और निर्देशन के तहत प्रासंगिक एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षणालयों, मंत्रालयों के साथ संपर्क स्थापित करने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने का वचन देती है।

## **4. अवधि और समाप्ति**

### **4.1 अवधि**

**4.1.1** यह समझौता ज्ञापन प्रभावी तिथि से प्रभावी होगा।

**4.1.2** यह समझौता ज्ञापन रियायत अनुबंध के किसी भी कारण से निर्धारण और/या समय पूर्व समाप्ति के साथ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा ("अवधि")।

### **4.2 समाप्ति**

**4.2.1** यह समझौता ज्ञापन तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा और प्रभावी नहीं होगा, यदि रियायत अनुबंध की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही द्वारा सीओडी प्राप्त नहीं किया जाता है।

**4.2.2** इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में रियायतग्राही को दिए गए अधिकार और लाभ रियायतग्राही के किसी भी उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी या किसी अन्य व्यक्ति (प्राधिकरण या प्राधिकरण के किसी उत्तराधिकारी सहित) को हस्तांतरित हो जाएंगे और उनके लाभ के लिए लागू होंगे, जो रियायत अनुबंध की शर्तों के अनुसार किसी भी समय हवाई अड्डे का संचालन कर सकते हैं।

## 5. अभ्यावेदन और वारंटी

### 5.1 रियायतग्राही द्वारा

रियायतग्राही इसके द्वारा भारत सरकार को आश्वस्त करता है और वारंटी देता है कि रियायत अनुबंध के तहत उसके द्वारा किए गए प्रत्येक अभ्यावेदन और वारंटी यथोचित परिवर्तनों सहित इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों के लिए सही और सटीक रहेंगे, जो उसमें निहित प्रपत्र और तरीके के अनुसार होंगे, जिसमें इस समझौता ज्ञापन के निष्पादन और सुपुर्दगी के लिए उसकी शक्ति और अधिकार तथा आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाई शामिल है, लेकिन यह इसी तक सीमित नहीं है।

### 5.2 भारत सरकार द्वारा

भारत सरकार इसके द्वारा रियायतग्राही को आश्वस्त करती है और वारंटी देती है कि उसके पास इस समझौता ज्ञापन को निष्पादित करने का अधिकार, शक्ति और अधिकार है और उसने इस समझौता ज्ञापन को निष्पादित करने तथा सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने और अपने कार्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक सभी कार्रवाइयां की हैं।

## 6. शासी कानून और विवाद समाधान

### 6.1 शासी कानून

यह समझौता ज्ञापन (इस खंड 6 सहित) और इसकी व्याख्या के सभी प्रश्नों का अर्थ भारतीय गणराज्य के कानूनों के अनुसार लगाया जाएगा।

### 6.2 क्षेत्राधिकार

नीचे दिए गए खंड 6.3 के प्रावधानों के अधीन, नई दिल्ली की अदालतों को इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न या उससे संबंधित मामलों पर अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

### 6.3 विवाद समाधान

**6.3.1** पक्षकार सहमत हैं कि वे इस समझौता ज्ञापन के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सद्भावनापूर्वक परामर्श के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस तरह के परामर्श के लिए लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के तुरंत बाद शुरू होगा। बशर्ते कि यदि इस तरह के सद्भावनापूर्ण परामर्श के शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो खंड 6.3.2 के प्रावधान लागू होंगे।

**6.3.2** आईआरए अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, कोई भी विवाद, जिसे पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण समझौते के माध्यम से हल नहीं किया जा सका (जैसा कि ऊपर खंड 6.3.1 के तहत प्रदान किया गया है), समय-



समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा अंतिम रूप से निपटाया जाएगा।

**6.3.3** विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों से बने एक अधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता के प्रत्येक पक्षकार 1 (एक) मध्यस्थ नियुक्त करेंगे, और इस प्रकार नियुक्त 2 (दो) मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे, जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे (सामूहिक रूप से "मध्यस्थता अधिकरण" का गठन करेंगे)। मध्यस्थता की कार्यवाही नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी।

**6.3.4** ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षकारों के बीच अन्यथा सहमति न हो, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

**6.3.5** मध्यस्थता अधिकरण का निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

## **7. विविध**

### **7.1 सूचना**

**7.1.1** इस समझौता ज्ञापन के नियमों के तहत आवश्यक या अनुमत या लागू कानूनों द्वारा आवश्यक कोई भी सूचना (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित में होगी और व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी, या उपयुक्त रूप से पंजीकृत डाक या हवाई डाक द्वारा भेजी जाएगी, जिसे विधिवत पोस्ट किया गया हो और लिफाफे पर उचित पता अंकित कर पूरी तरह से भुगतान किया गया हो, या संबंधित पक्षकारों को निम्नानुसार फैक्स द्वारा भेजा जाएगा:

#### **भारत सरकार:**

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में नामित व्यक्ति

ई-मेल: [•]

फैक्स नंबर: [•]

#### **प्राधिकरण:**

पता: [•]

ध्यानार्थ: [•]

ई-मेल: [•]

फैक्स नंबर: [•]

#### **रियायतग्राही:**

पता: [•]

ध्यानार्थ: [•]

ई-मेल: [•]

फैक्स नंबर: [•]

या ऐसे अन्य पते या फैक्स नंबर पर जैसा कि समय-समय पर इसके तहत सूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

**7.1.2** ऐसी कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और उसे वास्तव में वितरित किए जाने के समय दिया गया माना जाएगा, यदि वह हाथ से वितरित की गई है, या फैक्स द्वारा भेजे जाने के अगले कार्य दिवस पर या किसी अन्य स्थिति में ऊपर बताए गए तरीके से डाक में डाले जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर दी गई मानी जाएगी।

## **7.2 पृथक्करणीयता**

यदि इस समझौता ज्ञापन में निहित नियमों, शर्तों या प्रावधानों का कोई हिस्सा या कोई खंड किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय निर्धारित किया जाता है, तो ऐसे नियम, शर्तें या प्रावधान उस सीमा तक शेष नियमों, शर्तों और प्रावधानों से अलग कर दिए जाएंगे, जो लागू कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

## **7.3 संपूर्ण अनुबंध**

यह समझौता ज्ञापन, इसके सभी अनुलग्नकों के साथ, इस समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण अनुबंध और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षकारों के बीच हुए किसी भी पूर्व लिखित या मौखिक अनुबंध या समझ को प्रतिस्थापित करता है।

## **7.4 संशोधन**

इस समझौता ज्ञापन का कोई भी संवर्धन, संशोधन या रूपांतरण तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि वह लिखित में न हो और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

## **7.5 समनुदेशन**

इसके प्रभावी होने की तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी बदलाव के बावजूद, जो अन्यथा इस समझौता ज्ञापन के समनुदेशन की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्षकार इस समझौता ज्ञापन या इसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी अधिकार या दायित्व या इसमें किसी लाभ या हित का समनुदेशन नहीं कर सकता है। बशर्ते, हालांकि, पूर्वगामी के बावजूद, भारत सरकार इसके द्वारा प्रतिस्थापन समझौते की शर्तों के अनुसार चुनी गई एक वैकल्पिक इकाई या प्राधिकरण द्वारा परियोजना के संबंध में रियायतग्राही के रूप में स्वीकार की गई

किसी अन्य इकाई के पक्ष में इस समझौता ज़ापन को स्थानांतरित और नवीकृत करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है।

## 7.6 अधित्याग न होना

भारत सरकार या प्राधिकरण द्वारा इस समझौता ज़ापन के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का प्रयोग करने में विफलता या उनकी ओर से इसमें देरी को इसका अधित्याग नहीं माना जाएगा, न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार का कोई एकल या आंशिक प्रयोग इसके किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपचार के प्रयोग को रोकेगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौता ज़ापन में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपचार संचयी हैं और किसी अन्य अधिकार, शक्तियों, विशेषाधिकारों या उपचारों (चाहे कानून द्वारा प्रदान किए गए हों या अन्यथा) को अपवर्जित नहीं करते हैं।

## अनुलग्नक 1

### पशु संगरोध सेवाएं

#### क. आगमन से पहले:

- (i) पशु के आयात के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, सभी शेडों और चारा गृहों को उपयुक्त कीटाणुनाशक से अच्छी तरह साफ और कीटाणुरहित किया जाता है और धूमन भी किया जाता है;
- (ii) सभी पशुओं को पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार एक उपयुक्त पशु वाहन में ले जाया जाता है;
- (iii) पशुओं के आगमन की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पशु वाहन को ठीक से कीटाणुरहित किया जाता है;
- (iv) आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

#### ख. प्रवेश बिंदु पर आगमन पर:

- (i) आगमन के दिन और आयातक के साथ तय किए गए समय पर, क्षेत्रीय संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारी हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं;
- (ii) पशु या उत्पादों की शारीरिक रूप से अच्छी तरह से जांच की जाती है;
- (iii) पशुओं या उत्पादों के साथ आने वाले पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र की निर्दिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से जांच की जाती है;
- (iv) यह सुनिश्चित करने के बाद कि पशु रोग-लाक्षणिक रूप से स्वस्थ हैं और खेप के साथ आने वाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र क्रम में हैं, सीमा शुल्क निकासी के लिए आयात करने वाली एजेंसी को मामले के आधार पर एक अनंतिम संगरोध अनापति प्रमाण पत्र (आयात) या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (आयात) जारी किया जाता है;
- (v) आयातित जीवित पशुओं को क्षेत्रीय संगरोध अधिकारी की देखरेख में संगरोध स्टेशन लाया जाता है;
- (vi) पशुओं की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए उन्हें 30 (तीस) दिनों के लिए या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अनुसार संगरोध में रखा जाता है;
- (vii) पशुधन उत्पादों के मामले में, स्वच्छता आयात परमिट में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रासंगिक प्रयोगशालाओं में प्रतिनिधि नमूने लिए जाएंगे और उनका परीक्षण किया जाएगा।

## अनुलग्नक 2

[उपयोग नहीं किया गया]

### अनुलग्नक 3

#### सीमा शुल्क नियंत्रण

- (क) वॉकथ्रू चैनल पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ख) हरे / लाल चैनल में सामान जांच काउंटरों पर सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ग) बैगेज सहायक / उपायुक्त की सेवाओं का प्रावधान;
- (घ) बैगेज मॉल के भीतर कमिश्नर;
- (ङ.) रोके गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (च) गलत तरीके से आए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (छ) मूल्यवान वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ज) पुनः लदान वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (झ) जब्त किए गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण;
- (ञ) निकास द्वार के पास गेट अधिकारी द्वारा तैनाती;
- (ट) निर्यात प्रमाणपत्र जारी करना;
- (ठ) सीमा शुल्क कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों की सेवाएं;
- (ड) वायु आसूचना इकाई ।

## अनुलग्नक 4

### स्वास्थ्य सेवाएं

(क) पक्षकार इसके द्वारा दर्ज करते हैं कि डीजीएचएस का उद्देश्य हवाई अड्डा टर्मिनल पर निम्नलिखित सेवाएं ("स्वास्थ्य सेवाएं") प्रदान करने और निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने का प्रयास करना है:

- (i) यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, भारत सरकार के कर्मचारियों और अन्य कर्मियों, प्राधिकरण, रियायतग्राही और अन्य प्रासंगिक सरकारी विभागों के लाभ के लिए दिन के दौरान हर समय हवाई अड्डा टर्मिनल और कार्गो कॉम्प्लेक्स में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना;
- (ii) हवाई अड्डा टर्मिनल पर तैनात किए जाने वाले चिकित्सा अधिकारी और अन्य डीजीएचएस कर्मी, जैसा कि समय-समय पर डीजीएचएस द्वारा तय किया जाए;
- (iii) डीजीएचएस समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाई अड्डे के आसपास चिकित्सा सुविधाओं का समय तय करेगा;
- (iv) डीजीएचएस हवाई अड्डे पर ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किए जाएं।

(ख) यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि डीजीएचएस ऊपर खंड (क)(i) में उल्लिखित सभी या किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की कोई देनदारी नहीं होगी। ऐसी किसी भी देनदारी को एतद्वारा स्पष्ट रूप से खारिज किया जाता है। रियायतग्राही इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ऊपर खंड (क)(i) में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवा या सुविधाओं के गैर-प्रावधान या आंशिक प्रावधान के लिए उसके पास डीजीएचएस या किसी अन्य सरकारी निकाय के खिलाफ कोई साधन नहीं होगा।

## अनुलग्नक 5

### आप्रवासन सेवाएं

हवाई अड्डे पर आप्रवासन सुविधा और सेवा प्रदान करना तथा लागू कानूनों के तहत विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य करना।



## अनुलग्नक 6

### मौसम विज्ञान सेवाएं

इसमें आईसीएओ अनुलग्नक 3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तकनीकी प्रावधानों के साथ-साथ विमान संचालन की सुरक्षा की दिशा में हवाई नौचालन में निर्दिष्ट भारत सरकार एजेंसी की मानक और अनुशंसित प्रथाओं और सम्मेलनों के अनुसार विमानन मौसम सेवाओं का प्रावधान शामिल है।

पादप संरक्षण एवं संगरोध सेवाएं

इन कार्यों का निष्पादन विनाशकारी कीट एवं जीवनाशी अधिनियम, 1914 और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 तथा इसके संशोधनों के तहत किया जाता है ताकि देश में ऐसे विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम किया जा सके, जिनका भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इन पद्धतियों को अंतरराष्ट्रीय पादप संरक्षण अभिसमय के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है और डब्लूटीओ के स्वच्छ एवं पादक-स्वच्छ अनुबंध के तहत मान्यता दी गई है। इन कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (a) विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और छोड़ना;
- (b) निर्यात के लिए अभिप्रेत कृषि वस्तुओं का दृश्य परीक्षण एवं उपचार;
- (c) निर्यात के लिए अभिप्रेत कृषि वस्तुओं के लिए पादक-स्वच्छ प्रमाणपत्र जारी करना;
- (d) आयातित लकड़ी की पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण और उपचार;
- (e) प्रवेश-पश्चात संगरोध निरीक्षण;
- (f) कृषि वस्तुओं का धूमन/कीटाणुशोधन/संक्रमण-मुक्ति।

## अनुलग्नक 8

### सुरक्षा सेवाएं

- (क) आईसीएओ के शिकागो सम्मेलन के अनुलग्नक 17 के अनुसार, एवीएसईसी उपायों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हवाई अड्डा ऑपरेटरों, एयरलाइन ऑपरेटरों और उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भारत सरकार की नामित एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार की नामित एजेंसी और सुरक्षा नियंत्रणों को लागू करने वाले उसके कार्मिक उचित रूप से प्रशिक्षित हों और उनके पास अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक सभी योग्यताएं/दक्षताएं हों;
- (ग) विमानन सुरक्षा मामलों का नियोजन और समन्वय करना;
- (घ) सुरक्षा कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता और सतर्कता के परीक्षण के लिए भारत सरकार की नामित एजेंसी के माध्यम से औचक/डमी जांच आयोजित करना और विभिन्न एजेंसियों की आकस्मिक योजनाओं की प्रभावकारिता तथा प्रचालन तैयारी के परीक्षण के लिए मॉक अभ्यास आयोजित करना।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षों ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों के माध्यम से इस समझौता ज्ञापन को ऊपर लिखे गए दिन और वर्ष को निष्पादित किया है।

हस्ताक्षरित:

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| भारत सरकार की ओर से और उनके निमित्त<br><br>द्वारा हस्ताक्षरित •   | साक्षीकृत: |
| रियायतग्राही की ओर से और उनके निमित्त<br><br>द्वारा हस्ताक्षरित • | साक्षीकृत: |

**अनुसूची एस**  
**चयनित कर्मचारी**

| समूह             | कैडर (स.म.प्र. और नीचे) | लखनऊ      |
|------------------|-------------------------|-----------|
| ए                |                         | <b>39</b> |
| ई-3              | प्रबंधक                 | 17        |
| ई 4              | वरिष्ठ प्रबंधक          | 8         |
| ई 5              | सहायक महाप्रबंधक        | 14        |
| बी-कार्यपालक     |                         | <b>19</b> |
| ई1               | कनिष्ठ कार्यपालक        | 11        |
| ई2               | सहायक प्रबंधक           | 8         |
| बी-गैर कार्यपालक |                         | <b>37</b> |
| एन9              | वरिष्ठ अधीक्षक          | 20        |
| एनएस             | वरिष्ठ अधीक्षक (एसजी)   | 17        |
| सी               |                         | <b>46</b> |
| एन4              | कनिष्ठ सहायक            | 13        |
| एन5              | सहायक                   | 3         |
| एन6              | वरिष्ठ सहायक            | 3         |
| एन7              | पर्यवेक्षक              | 15        |
| एन8              | अधीक्षक                 | 11        |
| एस6              | सहायक-एसजी-एनई-6        |           |
| एस8              | पर्यवेक्षक (एसजी)       | 1         |
| डी               |                         | <b>28</b> |
| डी6              | परिचर-एसजी-एनई-6        | 1         |

|                |                         |            |
|----------------|-------------------------|------------|
| एन2            | परिचर                   | 3          |
| एन3            | वरिष्ठ परिचर            | 10         |
| एस4            | वरिष्ठ परिचर-एसजी-एनई-4 | 11         |
| एस5            | वरिष्ठ परिचर-एसजी-एनई-5 | 3          |
| <b>कुल योग</b> |                         | <b>169</b> |

## अनुसूची न

### मौजूदा संविदा

लखनऊ हवाई अड्डे में मौजूदा राजस्व संविदाओं का विवरण

| क्र<br>म<br>सं. | ठेकेदार का नाम/.                                                                                                            | सुविधा का<br>नाम/                                    | क्षेत्रफल/                                                                                         | संवि<br>दा<br>की<br>अव<br>धि | लाइसेंस<br>की<br>अवधि | लाइसेंस<br>की<br>अवधि | नियमि<br>त<br>संविदा/<br>तदर्थ<br>या<br>विस्तार | टिप्पणि<br>यां    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                 | प्राधिकृत<br>हस्ताक्षरकर्ता                                                                                                 | स्थान/ओटीबी<br>/टीबी/                                | स्थान                                                                                              |                              | कब से                 | कब तक                 |                                                 |                   |
|                 | फैक्स/फोन नं                                                                                                                | एडी                                                  | आवंटित                                                                                             |                              |                       |                       |                                                 |                   |
| 1               | 2                                                                                                                           | 3                                                    | 4                                                                                                  | 5                            | 6                     | 7                     | 8                                               | 9                 |
| 1               | सुशीला ट्रेडिंग<br>कॉर्पोरेशन सी-15,<br>डॉल्फिन गार्डन<br>बिल्डिंग, पूनम सागर<br>कॉम्प्लेक्स मीरा रोड<br>(ई), ठाणे - 401107 | टर्मिनल<br>भवन के<br>शहर की ओर<br>का कार<br>पार्किंग | टी-2 के बाहर<br>(8701+800<br>+200) वर्ग<br>मीटर, टी-1<br>के बाहर<br>(2872+282<br>+78) वर्ग<br>मीटर | 01<br>वर्ष                   | 23.06.2<br>018        | 22.06.2<br>019        | नियमि<br>त                                      |                   |
| 2               | मैसर्स सप्तगिरी<br>रेस्टोरेंट 73/285,<br>महिपालपुर                                                                          | स्नैक बार<br>(अंतरराष्ट्रीय<br>एस एच ए)<br>टी1       | 11.40 वर्ग<br>मीटर<br>एसएचए<br>आईएन (टी1)                                                          | 05<br>वर्ष                   | 02.06.2<br>012        | 01.06.2<br>017        | नियमि<br>त                                      | विस्तार<br>के तहत |

|   |                                                                                                                           |                                                               |                                                                                   |            |                |                |            |                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------------------|
|   | एक्सटेंशन, नई<br>दिल्ली-110037                                                                                            |                                                               |                                                                                   |            |                |                |            |                                            |
| 3 | मैसर्स लवकुश<br>एंटरप्राइजेज, चतुर्थ<br>तल, बी-ब्लॉक,<br>सूरजदीप कॉम्प्लेक्स,<br>1 जोपलिंग रोड,<br>लखनऊ                   | सामान ट्रॉली<br>(टी1)                                         | 300 ट्रॉलियां                                                                     | 03<br>वर्ष | 01.08.2<br>017 | 31.07.2<br>020 | नियमि<br>त |                                            |
| 4 | श्री करामत अली,<br>मुख्य संचालक हवाई<br>अड्डा प्री-पेड टैक्सी<br>सेवा समिति,<br>लखनऊ। मोबाइल-<br>9415039836               | प्री-पेड टैक्सी<br>सेवा टी2                                   | 4.1 वर्ग<br>मीटर बुकिंग<br>काउंटर टी2<br>और 2.4 वर्ग<br>मीटर बुकिंग<br>काउंटर टी1 | तद<br>र्थ  | 30.11.2<br>015 | 31.05.2<br>017 | तदर्थ      | न्यायाल<br>य में<br>विचारा<br>धीन<br>मामला |
| 5 | मैसर्स सेंट्रम डायरेक्ट<br>लिमिटेड सेंट्रम<br>हाउस, सीएसटी रोड,<br>विद्या नगरी मार्ग,<br>कलिना, सांताक्रूज़<br>(ई), मुंबई | विदेशी मुद्रा<br>काउंटर टी1<br>आगमन हॉल<br>और प्रस्थान<br>हॉल | आगमन हॉल<br>में 8.31 वर्ग<br>मीटर और<br>5.28 प्रस्थान<br>में                      | 03<br>वर्ष | 01.03.2<br>018 | 01.03.2<br>021 | नियमि<br>त |                                            |
| 6 | मैसर्स सेंट्रम डायरेक्ट<br>लिमिटेड सेंट्रम<br>हाउस, सीएसटी रोड,<br>विद्या नगरी मार्ग,<br>कलिना, सांताक्रूज़<br>(ई), मुंबई | आगमन हॉल                                                      | 6.78 वर्ग<br>मीटर                                                                 | 03<br>वर्ष | 15.12.2<br>015 | 16.12.2<br>018 | नियमि<br>त |                                            |
| 7 | मैसर्स लखनऊ<br>चिकन आर्ट,<br>घसियारी मंडी,<br>लखनऊ। (0522)-                                                               | चिकन<br>एम्पोरियम<br>टी1 एसएचए                                | 6.68 वर्ग<br>मीटर                                                                 | तद<br>र्थ  | 18.01.2<br>016 | 17.06.2<br>016 | तदर्थ      | विस्तार<br>के तहत                          |

|   |                                                                                                                |                                                         |                            |            |                |                         |            |                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------|
|   | 2614123,<br>9415014529/941<br>5014729                                                                          |                                                         |                            |            |                |                         |            |                                            |
| 8 | मैसर्स लखनऊ<br>चिकन आर्ट,<br>घसियारी मंडी,<br>लखनऊ। (0522)-<br>2614123,<br>9415014529/941<br>5014729           | चिकन<br>एम्पोरियम<br>(प्रस्थान<br>हॉल) टी2-<br>प्रस्थान | 10.5 वर्ग<br>मीटर प्रस्थान | 03<br>वर्ष | 25.06.2<br>013 | 17.04.2<br>016<br>तदर्थ | नियमि<br>त | न्यायाल<br>य में<br>विचारा<br>धीन<br>मामला |
| 9 | मेसर्स इलाहाबाद बैंक<br>हज़रत गंज, लखनऊ                                                                        | एटीएम-01                                                | 4.4 वर्ग<br>मीटर           | 03<br>वर्ष | 27.07.2<br>015 | 26.07.2<br>018          | नियमि<br>त |                                            |
| # | मैसर्स पंजाब नेशनल<br>बैंक, आलमबाग,<br>लखनऊ                                                                    | टी2 के बाहर<br>एटीएम-02                                 | 2.5 वर्ग<br>मीटर           | 03<br>वर्ष | 27.07.2<br>015 | 26.07.2<br>018          | नियमि<br>त |                                            |
| # | भारतीय स्टेट बैंक,<br>ट्रांसपोर्ट नगर,<br>लखनऊ                                                                 | टी2 के बाहर<br>बैंक एटीएम-<br>03                        | 2.5 वर्ग<br>मीटर           | 03<br>वर्ष | 10.11.2<br>015 | 09.11.2<br>018          | नियमि<br>त |                                            |
| # | मैसर्स ए.के.<br>एजेंसीज, एसएस<br>हुंडई शोरूम, बाग नं.<br>2, कानपुर रोड,<br>लखनऊ।<br>9984944000 /<br>9628376000 | कचरा हटाना                                              | -                          | 03<br>वर्ष | 07.04.2<br>016 | 06.04.2<br>019          | नियमि<br>त |                                            |
| # | मैसर्स इलाहाबाद<br>बैंक, लखनऊ हवाई<br>अड्डा, लखनऊ                                                              | सीमा शुल्क<br>संग्रह और<br>काउंटर टी1                   | 6.72 वर्ग<br>मीटर          | 03<br>वर्ष | 18.11.2<br>015 | 17.11.2<br>018          | नियमि<br>त |                                            |



|   |                                                                                                                                   |                                          |                                      |         |            |            |                  |                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------------|----------------------------------|
| # | मैसर्स हरे रामा हरे कृष्णा, अमौसी हवाई अड्डा, कानपुर रोड, लखनऊ                                                                    | चाय/कॉफी/ शीतल पेय स्टॉल                 | 4 वर्ग मीटर टर्मिनल-1 के बाहर        | 05 वर्ष | 07.12.2012 | 06.12.2017 | नियमित           | विस्तार के तहत                   |
| # | एवीए मर्चेंडाइजिंग प्रा. लिमिटेड, 1/, सलवान मार्केट, ओल्ड राजेंद्र नगर, नई दिल्ली 110060 / ई-116, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 | टी.आर. स्टॉल                             | (आगमन हॉल) 20 वर्ग मीटर क्षेत्र टी-2 | 03 वर्ष | 26.07.2015 | 25.07.2018 | नियमित           | विस्तार के तहत                   |
| # | मैसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, लखनऊ क्षेत्र, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010<br>0522-6677667 (फैक्स)                                   | एटीएम                                    | 9.86 वर्ग मीटर टी-1 प्रस्थान साइड    | 03 वर्ष | 26.01.2017 | 25.01.2020 | नियमित           |                                  |
| # | मैसर्स लखनऊ चिकन आर्ट, 112/110, कुक्स कंपाउंड, घसियारी मंडी, लखनऊ।                                                                | ब्रांडेड परिधान दुकान टी2 (प्रस्थान हॉल) | 22.24 वर्ग मीटर                      | 03 वर्ष | 04.10.2014 | 03.10.2017 | नियमित           | विस्तार के तहत                   |
| # | मैसर्स लखनऊ चिकन आर्ट, 112/110, कुक्स कंपाउंड, घसियारी मंडी, लखनऊ।                                                                | चिकन परिधान दुकान SHA (भूतल)             | SHA 14.8 वर्ग मीटर                   | 03 वर्ष | 25.07.2014 | 24.07.2017 | नियमित (Regular) | विस्तार के तहत (Under Extension) |

|   |                                                                                               |                                     |                                          |         |            |            |        |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------|------------|--------|--|
| # | मैसर्स रिलायबल कंक्रीट, 101 दमदम                                                              | पैसे देकर इस्तेमाल करने वाला शौचालय | 2नं. शौचालय                              | 03 वर्ष | 15.05.2018 | 14.05.2021 | नियमित |  |
| # | मैसर्स सिक्क्योर रैप प्रा. 30/2, आरटी, प्रकाश नगर बेगमपेट, हैदराबाद                           | सामान रैपिंग                        | 5 वर्ग मीटर                              | 05 वर्ष | 08.09.2015 | 08.09.2020 | नियमित |  |
| # | मैसर्स लायन मैनपावर सॉल्यूशंस प्रा. लि., 10, तीसरी मंजिल, एलएससी, बी-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली। | मीट एंड ग्रीट                       | 8.2 वर्ग मीटर                            | 03 वर्ष | 26.11.2015 | 25.11.2018 | नियमित |  |
| # | मैसर्स सिग्मा ट्रेड विंग्स एलएलपी, डी-165, फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016               | एक्स. विज्ञापन अधिकार               | 15256 वर्ग फीट                           | 05 वर्ष | 18.08.2016 | 17.08.2021 | नियमित |  |
| # | मैसर्स डीप डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज प्रा. लि., जुनाबगंज, कानपुर रोड, लखनऊ।                     | होटल आरक्षण सह टूर ऑपरेटर,          | 7.32 वर्ग मीटर आगमन कक्ष टी-2            | 03 वर्ष | 23.03.2017 | 22.03.2020 | नियमित |  |
| # | ओला एएनआई टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., रीजेंट इन्सिग्निया, 414 तीसरी मंजिल, चतुर्थ                  | एप्लिकेशन आधारित कैब एग्रीगेटर सेवा | टी-1 और टी-2, काउंटर के लिए 21 वर्ग मीटर | 03 वर्ष | 27.06.2018 | 26.06.2021 | नियमित |  |

|   |                                                                                                                                                 |                         |                          |            |                |                |            |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------|--|
|   | ब्लॉक, 17वीं मेन,<br>100 फीट रोड,<br>कोरमंगला, बेंगलुरु।                                                                                        |                         |                          |            |                |                |            |  |
| # | देवयानी इंटरनेशनल<br>लिमिटेड प्लॉट नंबर<br>18 सेक्टर 35<br>गुरुग्राम 12004<br>हरियाणा                                                           | खाद्य एवं<br>पेय संविदा | टी2 552.17<br>वर्ग मीटर  | 07<br>वर्ष | 19.02.2<br>018 | 18.02.2<br>025 | नियमि<br>त |  |
| # | फ्यूचर लाइफस्टाइल<br>फैशन लिमिटेड,<br>नॉलेज हाउस, श्याम<br>नगर, जोगेश्वरी<br>विक्रोली लिंक रोड के<br>पास, मुंबई 400060                          | रिटेल संविदा<br>टी-2    | टी-2 414.60<br>वर्ग मीटर | 07<br>वर्ष | 23.05.2<br>018 | 22.05.2<br>025 | नियमि<br>त |  |
| # | मैसर्स एटीसी<br>टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर<br>प्रा. लिमिटेड, 706,<br>बी सातवीं मंजिल,<br>रतन स्क्वायर, 20,<br>विधान सभा मार्ग,<br>लखनऊ             | आईबीएस                  | टी-2                     | 07<br>वर्ष | 27.08.2<br>018 | 26.08.2<br>025 | नियमि<br>त |  |
| # | मैसर्स फ्यूल<br>मार्केटिंग एंड<br>एडवर्टाइजिंग, 325,<br>तीसरी मंजिल, अंसल<br>सिटी सेंटर, तुलसी<br>सिनेमा के पीछे,<br>हजरतगंज, लखनऊ<br>-- 226001 | सामान ट्रॉली            | टी-2                     | 03<br>वर्ष | 29.09.2<br>017 | 28.09.2<br>020 | नियमि<br>त |  |

|   |                                                                                                                                                            |                        |                              |          |            |            |        |                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|------------|------------|--------|----------------|
| # | मैसर्स फ्यूल एडवरटाइजिंग मार्केटिंग एंड, 325, तीसरी मंजिल, अंसल सिटी सेंटर, तुलसी सिनेमा के पीछे, हजरतगंज, लखनऊ -- 226001                                  | हवाई अड्डा प्रवेश टिकट | टी-1 और टी-2, 11.7 वर्ग मीटर | 03 वर्ष  | 26.08.2018 | 25.08.2021 | नियमित |                |
| # | फ्लेमिंगो इयूटी फ्री शॉप प्रा. लि. डी-73/1, टी.टी.सी. औद्योगिक क्षेत्र, एमआईडीसी तुर्भे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र 400705                                      | शुल्क मुक्त दुकान      | 53.07 वर्ग मीटर              | 07 वर्ष  | 03.12.2015 | 02.12.2022 | नियमित |                |
| # | होटल प्रदीप, जगतगंज, वाराणसी                                                                                                                               | उड़ान खानपान           | 463.47 वर्ग मीटर             | 01 वर्ष  | 02.06.2018 | 01.06.2019 | तदर्थ  | विस्तार के तहत |
| # | एचओई वेलनेस प्रा. लि. प्लॉट नंबर 169, दूसरी मंजिल, मैक्सहील हाउस, गोरेगांव अय्यप्पा मंदिर के सामने, बांगुर नगर - पश्चिम, गोरेगांव - पश्चिम, मुंबई - 400090 | स्पा और सैलून          | 74.86 वर्ग मीटर              | 06 महीने | 06.09.2018 | 05.03.2019 | नियमित |                |

लखनऊ हवाई अड्डा के प्रचालन/टर्मिनल प्रबंधन अनुभाग में चल रहे संविदाओं की सूची

## मेस/ईएसएस संविदा

| क्रम सं. | कार्य का नाम | ठेकेदार का नाम/पता                 | कार्य की अनुमानित लागत                                                | अधिनिर्णित मूल्य (रु.)           | प्रारंभ होने की तिथि / | संविदा की अवधि (वर्षों/महीनों में) |
|----------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1.       | एमईएसएस      | मैसर्स बीवीजी इंडिया प्रा. लि.     | 11,52,75,000/-<br>(जीएसटी के बिना)<br>13,37,48,611/-<br>(जीएसटी सहित) | 13,15,73,961.36<br>(जीएसटी सहित) | 20.02.18               | 03 वर्ष<br>(36 महीने)              |
| 2.       | ईएसएस        | मैसर्स आसिम कम्युनिकेशंस प्रा. लि. | 1,69,04,018/-<br>(जीएसटी के बिना)<br>1,99,47,920/-<br>(जीएसटी सहित)   | 1,88,78,261.76<br>(जीएसटी सहित)  | 01.03.18               | 03 वर्ष<br>(36 महीने)              |

## कीट नियंत्रण

| क्रम सं. | कार्य का नाम                                     | ठेकेदार का नाम/पता                                                                                     | कार्य की अनुमानित लागत | अधिनिर्णित मूल्य (रु.) | प्रारंभ होने की तिथि | संविदा की अवधि (वर्षों/महीनों में)                |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.       | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में कीट नियंत्रण उपचार | मैसर्स आदित्य पेस्ट स्पेशलाइजर्स प्रा. लि. 12, फॉरेस्ट व्यू एस्टेट, बसेरा विहार कल्याणपुर, लखनऊ 226022 | रु.<br>8,60,519/-      | रु.<br>5,87,766.23     | 06/05/2017           | 1 वर्ष<br>(06.05.2018 से 31.12.2018 तक विस्तारित) |

प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्यों की सूची:

| अ. मुख्य पूंजीगत कार्य<br>(रुपये करोड़ में) |                                                                                                                                        |                                                 |                           |                                      |                              |                           |         |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|
| क्र. सं.                                    | कार्य का नाम                                                                                                                           | अवार्ड मूल्य / अनुमानित लागत (रूपए करोड़ों में) | प्रारंभ की निर्धारित तिथि | समापन ने की निर्धारित / संभावित तिथि | 30.06.2019 तक संभावित प्रगति |                           | टिप्पणी |
|                                             |                                                                                                                                        |                                                 |                           |                                      | भौतिकी                       | वित्तीय (रू. करोड़ों में) |         |
| (क)                                         | आवंटित कार्य                                                                                                                           |                                                 |                           |                                      |                              |                           |         |
| 1                                           | नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी के लिए परामर्श सेवाएँ                                                          | 0.07                                            | 09.10.2017                | 28.10.2019                           | 93%                          | 0.08                      |         |
| 2                                           | सी.सी.एस. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ पर नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु संकल्पना से लेकर चालू करने तक के लिए परियोजना | 72                                              | 17.03.2017                | 16.07.2021                           | 68%                          | 34.00                     |         |

|   |                                                                                                                                                                    |        |            |            |     |        |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----|--------|--|
|   | प्रबंधन<br>सलाहकार<br>(पीएमसी) की<br>नियुक्ति।<br>(अनुमोदित<br>लागत का<br>6.90% या<br>निष्पादन<br>अनुबंधों का<br>आवंटित मूल्य<br>या समापन<br>लागत, जो भी<br>कम हो) |        |            |            |     |        |  |
| 3 | सी.सी.एस.<br>अंतरराष्ट्रीय<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर<br>नए एकीकृत<br>यात्री टर्मिनल<br>भवन का<br>निर्माण कार्य                                                     | 1048.2 | 04.09.2018 | 03.09.2021 | 36% | 185.00 |  |
| 4 | सी.सी.एस.<br>अंतरराष्ट्रीय<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर<br>नए एकीकृत<br>यात्री टर्मिनल<br>भवन का<br>निर्माण। उप-<br>शीर्षक: बहु-<br>कार्य सेवाएँ                      | 0.19   | 22.10.2018 | 21.10.2020 | 35% | 0.07   |  |

|   |                                                                                                                                                                       |       |            |               |      |      |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|------|------|--|
| 5 | चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) पर दो लिंक टैक्सीवे के साथ 8 संख्या कोड 4सी प्रकार के विमानों के लिए एप्रन का निर्माण                    | 40.90 | 01.02.2018 | सितम्बर, 2019 | 20%  | 8.00 |  |
| 6 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ पर दो लिंक टैक्सीवे के साथ 8 संख्या कोड 4सी प्रकार के विमानों के लिए एप्रन का निर्माण। उप-शीर्षक: केबलों का स्थानांतरण एवं डायवर्जन (चरण-I) | 0.41  | 22.02.2018 | 31.12.2018    | 100% | 0.41 |  |
| 7 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ पर दो लिंक टैक्सीवे के साथ 8                                                                                                                | 0.2   | 25.10.2018 | जनवरी, 2019   | 100% | 0.20 |  |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |              |     |      |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|-----|------|--|
|   | संख्या कोड<br>4सी प्रकार के<br>विमानों के<br>लिए एप्रन का<br>निर्माण। उप-<br>शीर्षक: केबलों<br>का स्थानांतरण<br>एवं डायवर्जन<br>(चरण-II)                                                                                                                                                                        |      |               |              |     |      |  |
| 8 | सीसीएसआई<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर<br>भाविप्रा<br>कर्मचारियों के<br>लिए विभिन्न<br>प्रकार के<br>आवासीय<br>क्वार्टरों के<br>निर्माण हेतु<br>सिविल,<br>संरचनात्मक,<br>विद्युत्,<br>अग्निशमन<br>और अन्य<br>सेवाओं के लिए<br>परामर्श सेवाएँ<br>(अनुमोदित<br>अनुमानित<br>लागत,<br>आवंटित लागत<br>या समापन<br>लागत का | 0.53 | 14/16.08.2017 | अप्रैल, 2022 | 25% | 0.08 |  |

|    |                                                                                                                                                    |       |            |                          |      |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------------------|------|-------|--|
|    | 0.48%, जो भी कम हो)                                                                                                                                |       |            |                          |      |       |  |
| 9  | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ पर नए फायर स्टेशन (सीएटी-आईएक्स), सब फायर स्टेशन (सीएट-आईवी), आपातकालीन चिकित्सा केंद्र और ई एंड एम कार्यशाला का निर्माण | 23.1  | 06.11.2017 | 05.07.2019/ दिसंबर, 2019 | 35%  | 8.50  |  |
| 10 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ पर कैट-III बी लाइटिंग (चरण-II) सहित रनवे की री-कारपेटिंग                                                                 | 36.17 | 30.03.2017 | 30.08.2018 / फरवरी 2019  | 100% | 38.00 |  |
| 11 | मौजूदा आइसोलेशन बे का विस्तार। उप-शीर्षक: सिविल कार्य                                                                                              | 9.33  | 06.12.2017 | 14.10.2018 / जुलाई 2019  | 70%  | 10.00 |  |
| 12 | मौजूदा आइसोलेशन बे का विस्तार।                                                                                                                     | 0.65  | 05.01.2018 | जुलाई, 2019              | 100% | 0.65  |  |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |      |              |                  |    |      |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|----|------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 | उप-शीर्षक:<br>इलेक्ट्रिकल<br>कार्य                                                                                                                                                                  |      |              |                  |    |      |                                                |
| (ख) अनिवार्य कार्यों की सूची जो मौजूदा चल रहे कार्यों का हिस्सा हैं और भाविप्रा द्वारा शुरू किए जाएंगे<br>(नवेशन क्लॉज के तहत): |                                                                                                                                                                                                     |      |              |                  |    |      |                                                |
| 13                                                                                                                              | सीसीएसआई<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर दो<br>लिंक टैक्सीवे<br>के साथ 08<br>संख्या कोड<br>4सी प्रकार के<br>विमानों के<br>लिए एप्रन का<br>निर्माण। उप-<br>शीर्षक: हाई<br>मास्ट का<br>प्रावधान             | 1.53 | अप्रैल, 2019 | सितम्बर,<br>2019 | 0% | 0.00 | चल रहे<br>एप्रन कार्य<br>का अनिवार्य<br>हिस्सा |
| 14                                                                                                                              | सीसीएसआई<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर दो<br>लिंक टैक्सीवे<br>के साथ 08<br>संख्या कोड<br>4सी प्रकार के<br>विमानों के<br>लिए एप्रन का<br>निर्माण। उप-<br>शीर्षक: सीएटी-<br>III बी लाइटिंग<br>प्रदान करना | 3.90 | अप्रैल, 2019 | मार्च, 2020      | 0% | 0.00 | चल रहे<br>एप्रन कार्य<br>का अनिवार्य<br>हिस्सा |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |       |              |                  |     |      |                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|-----|------|------------------------------------------------|
| 15 | सीसीएसआई<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर दो<br>लैंक टैक्सीवे<br>के साथ 08<br>संख्या कोड<br>4सी प्रकार के<br>विमानों के<br>लिए एप्रन का<br>निर्माण। उप-<br>शीर्षक: बिजली<br>आपूर्ति का<br>संवर्धन                             | 5.15  | मई, 2019     | जनवरी 2020       | 0%  | 0.00 | चल रहे<br>एप्रन कार्य<br>का अनिवार्य<br>हिस्सा |
| 16 | सीसीएसआई<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर दो<br>लैंक टैक्सीवे<br>के साथ 08<br>संख्या कोड<br>4सी प्रकार के<br>विमानों के<br>लिए एप्रन का<br>निर्माण। उप-<br>शीर्षक: नए<br>पावर हाउस<br>सह सबस्टेशन<br>सीसीआर भवन<br>का निर्माण | 3.83  | मार्च, 2019  | अप्रैल, 2020     | 10% | 0.30 | चल रहे<br>एप्रन कार्य<br>का अनिवार्य<br>हिस्सा |
| 17 | सीसीएसआई<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर<br>आंशिक                                                                                                                                                                            | 99.75 | अप्रैल, 2019 | सितम्बर,<br>2020 | 0%  | 0.00 | अनिवार्य<br>प्रचालन<br>आवश्यकता,<br>प्राथमिकता |

|    |                                                                                                                                                 |      |              |                  |    |      |                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------|----|------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | समानांतर<br>टैक्सी ट्रैक का<br>निर्माण                                                                                                          |      |              |                  |    |      | पर (ए/ए एवं<br>ई/एस चरण)                                                   |
| 18 | सीसीएसआई<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर<br>आंशिक<br>समानांतर<br>टैक्सी ट्रैक का<br>निर्माण। उप-<br>शीर्षक:<br>प्रचालन सीमा<br>दीवार का<br>स्थानांतरण | 0.62 | जून, 2019    | फरवरी, 2020      | 0% | 0.00 | अनिवार्य<br>प्रचालन<br>आवश्यकता,<br>प्राथमिकता<br>पर (ए/ए एवं<br>ई/एस चरण) |
| 19 | सीसीएसआई<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर<br>आंशिक<br>समानांतर<br>टैक्सी ट्रैक का<br>निर्माण। उप-<br>शीर्षक: मृदा<br>अन्वेषण                           | 0.10 | अप्रैल, 2019 | जून, 2019        | 0% | 0.00 | अनिवार्य<br>प्रचालन<br>आवश्यकता,<br>प्राथमिकता<br>पर (ए/ए एवं<br>ई/एस चरण) |
| 20 | सीसीएसआई<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर<br>आंशिक<br>समानांतर<br>टैक्सी ट्रैक का<br>निर्माण। उप-<br>शीर्षक:<br>गुणवत्ता                               | 0.45 | अप्रैल, 2019 | सितम्बर,<br>2020 | 0% | 0.00 | अनिवार्य<br>प्रचालन<br>आवश्यकता,<br>प्राथमिकता<br>पर (ए/ए एवं<br>ई/एस चरण) |

|    |                                                                                                                  |       |               |               |    |      |                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----|------|-------------------------------------------------------------|
|    | आश्वासन एवं गुणवत्ता नियंत्रण (क्यू ए एवं क्यू सी)                                                               |       |               |               |    |      |                                                             |
| 21 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ पर आंशिक समानांतर टैक्सी ट्रेक का निर्माण। उप-शीर्षक: जीएलएफ कार्यों का प्रावधान       | 12.20 | अक्टूबर, 2019 | सितम्बर, 2020 | 0% | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन आवश्यकता, प्राथमिकता पर (ए/ए एवं ई/एस चरण) |
| 22 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ पर आंशिक समानांतर टैक्सी ट्रेक का निर्माण। उप-शीर्षक: केबलों का स्थानांतरण और डायवर्जन | 1.00  | अप्रैल, 2019  | सितम्बर, 2019 | 0% | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन आवश्यकता, प्राथमिकता पर (ए/ए एवं ई/एस चरण) |
| 23 | सी.सी.एस. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ पर नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का                                      | 34.00 | जनवरी, 2019   | जून, 2020     | 0% | 0.00 | टी3 के निर्माण से संबंधित अनिवार्य कार्य                    |

|    |                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                  |    |      |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | निर्माण। उप-<br>शीर्षक:<br>आकस्मिकता<br>निधि के<br>माध्यम से<br>(सीसीआर<br>प्रणाली का<br>स्थानांतरण,<br>33 केवी सेवा<br>कनेक्शन का<br>प्रावधान,<br>टर्मिनल-2<br>सबस्टेशन पर<br>एचटी पैनल का<br>प्रावधान और<br>अन्य विविध<br>कार्य) |    |          |                  |    |      |                                                                                                                        |
| 24 | सी.सी.एस.<br>अंतरराष्ट्रीय<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर<br>नए एकीकृत<br>यात्री टर्मिनल<br>भवन का<br>निर्माण। उप-<br>शीर्षक:<br>बहुस्तरीय कार<br>पार्किंग                                                                              |    | मई, 2019 | सितम्बर,<br>2020 | 0% | 0.00 | टी3<br>परियोजना<br>के चरण-I<br>को चालू<br>करने से<br>संबंधित<br>अनिवार्य<br>पैकेज।<br>बीडीयू द्वारा<br>बीओटी<br>योजना) |
| 25 | सी.सी.एस.<br>अंतरराष्ट्रीय<br>हवाई अड्डा,<br>लखनऊ पर                                                                                                                                                                               | 19 | मई, 2019 | जून, 2020        | 0% | 0.00 | टी3<br>परियोजना<br>के चरण-I<br>को चालू                                                                                 |

|    |                                                                                                                       |       |           |               |    |      |                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण। उप-शीर्षक: पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज                                            |       |           |               |    |      | करने से संबंधित अनिवार्य पैकेज                                                     |
| 26 | सी.सी.एस. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ पर नए एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन का निर्माण। उप-शीर्षक: बैगेज हैंडलिंग सिस्टम | 40.2  |           | सितम्बर, 2020 | 0% | 0.00 | टी3 परियोजना के चरण-I को चालू करने से संबंधित अनिवार्य पैकेज                       |
| 27 | सी.सी.एस. हवाई अड्डा, लखनऊ पर अंतरिम कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण सहित इलेक्ट्रिकल कार्य                             | 12.69 | जून, 2019 | जून, 2020     | 0% | 0.00 | अनिवार्य। टी3 परियोजना से संबंधित क्योंकि मौजूदा कार्गो भवन को ध्वस्त किया जाना है |

## ब. लघु पूंजीगत कार्य

### (क) आवंटित कार्य



| क्र. सं. | कार्य का नाम                                                                                                                                                                                                                   | स्वीकृत मूल्य/लागत (Cr.) | प्रारंभ तिथि | समापन तिथि | भौतिक % | वित्तीय (Cr.) | टिप्पणी |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------------|---------|---------------|---------|
| 1        | टर्मिनल-2 भवन में एयर कंडिशनिंग सिस्टम का संवर्धन। उप-शीर्षक: अतिरिक्त कूलिंग टावर की एसआईटीसी                                                                                                                                 | 0.30                     | 08.02.2018   | 07.01.2019 | 100%    | 0.30          |         |
| 2        | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ पर एफआईडीएस/सीसीटीवी रूम, पीए सिस्टम, एफएफएम (पैरेट रूम) और सीएनएस के लिए एलएलजेड फ्रेंजिबल हट में एयर कंडीशनिंग इकाइयों का प्रावधान और इलेक्ट्रिकल कार्य उप-शीर्षक: एयर कंडिशनिंग यूनिट का प्रावधान | 0.12                     | 12.02.2018   | 28.02.2019 | 100%    | 0.12          |         |
| 3        | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ पर प्रचालन क्षेत्र में एसएमजीसीएस आरयू इकाइयों के लिए स्टैंडबाय पावर सप्लाई का प्रावधान                                                                                                              | 1.73                     | 11.05.2018   | 10.09.2018 | 100%    | 1.73          |         |
| 4        | "चयनित हवाई अड्डों पर भाविप्रा वे-फाइंडिंग साइनेज प्रोजेक्ट" के                                                                                                                                                                | 3.34                     | 28.05.2018   | 30.06.2019 | 100%    | 3.00          |         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |            |      |      |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------|--|
|   | तहत विभिन्न साइनबोर्ड का प्रावधान                                                                                                                                                                                                  |      |            |            |      |      |  |
| 5 | भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर आईएलबीएस प्रणाली की एसआईटीसी। उप-शीर्षक: सीटीएक्स आधारित आईएलबीएस प्रणाली को समायोजित करने के लिए प्रस्थान बैगेज हैंडलिंग सिस्टम का संशोधन (एफ ओ बी भाग)                                            | 0.85 | 16.08.2018 | 12.04.2019 | 100% | 0.85 |  |
| 6 | भारत के विभिन्न हवाई अड्डों पर आईआईबीएस प्रणाली की एसआईटीसी। उप-शीर्षक: लखनऊ हवाई अड्डे पर सीटीएक्स आधारित आईएलबीएस को समायोजित करने के लिए मौजूदा बैगेज हैंडलिंग सिस्टम में बदलाव। बैगेज हैंडलिंग की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग | 2.88 | 16.08.2018 | 23.03.2019 | 100% | 2.88 |  |
| 7 | भारत में गोआ, कालिकट, कोअम्बटूर, मेंगालूर, तृचि, वडोदरा, अमृतसर, अहमदाबाद एवं त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों के लिए एप्रन ड्राइव ग्लास-                                                                                                  | 1.60 | 16.08.2018 | 30.06.2019 | 100% | 1.60 |  |

|    |                                                                                                                              |      |            |            |      |      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------|--|
|    | वॉल पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज और एडवांस्ड विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम (एवीडीजीएस) प्रदान करना।                                 |      |            |            |      |      |  |
| 8  | टर्मिनल-2 भवन में पहली मंजिल एसएचए के लिए एएचयू के साथ अतिरिक्त रूफ-टॉप आधारित डक्टेबल एयर कूल्ड कंडेंसिंग यूनिट का प्रावधान | 0.30 | 16.08.2018 | 30.06.2019 | 100% | 0.30 |  |
| 9  | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में, कानपुर रोड की ओर, रनवे 09 के सामने और डीवीओआर के चारों ओर प्रचालन सीमा दीवार का निर्माण       | 0.80 | 13.07.2018 | 12.01.2019 | 100% | 0.90 |  |
| 10 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में टर्मिनल-2 के सामने टेन्सिल फैब्रिक कैनोपी और संबद्ध कार्यों का प्रावधान                        | 2.35 | 23.08.2018 | 23.06.2019 | 100% | 2.50 |  |
| 11 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में रनवे 27 के छोर की ओर आरसीसी रिटेनिंग वॉल और बाउंड्री वॉल का निर्माण                            | 0.85 | 11.07.2018 | 10.03.2019 | 100% | 1.10 |  |

|    |                                                                                                                |      |            |            |      |      |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------|--|
| 12 | सीसीएसआई हवाई<br>अड्डा, लखनऊ में<br>पेरीमीटर रोड का<br>चौड़ीकरण                                                | 3.85 | 12.10.2018 | 11.04.2019 | 100% | 4.00 |  |
| 13 | सीसीएसआई हवाई<br>अड्डा, लखनऊ में<br>लोकलाइज़र और ग्लाइड<br>पाथ पर फ्रेंजिबल हट<br>का प्रावधान (सिविल<br>कार्य) | 0.16 | 08.09.2018 | 08.01.2019 | 100% | 0.20 |  |

|    |                                                                                                                   |      |            |            |      |      |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------|---|
| 14 | सीसीएसआई हवाई<br>अड्डा, लखनऊ में<br>टर्मिनल-2 में गेट<br>नंबर 5 के पास सुरक्षा<br>होल्ड क्षेत्र का<br>विस्तार।    | 0.20 | 01.12.2018 | 07.04.2019 | 100% | 0.20 | - |
| 15 | सीसीएसआई हवाई<br>अड्डा, लखनऊ में<br>टर्मिनल-1 के लिए<br>आव्रजन काउंटर का<br>प्रावधान।                             | 0.18 | 25.11.2018 | 10.01.2019 | 100% | 0.18 | - |
| 16 | सीसीएसआई हवाई<br>अड्डा, लखनऊ में<br>भाविप्रा कॉलोनी और<br>टर्मिनल-2 की मौजूदा<br>जल आपूर्ति प्रणाली में<br>सुधार। | 0.45 | 01.11.2018 | 31.01.2019 | 100% | 0.40 | - |

|    |                                                                                                                                     |       |              |              |     |      |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----|------|--|
| 17 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में भाविप्रा की भूमि के चारों ओर संपत्ति की दीवार का निर्माण।<br><br>यू.पी.आर.एन.एन.एल. को निक्षेप कार्य। | 12.58 | दिसम्बर 2018 | दिसम्बर 2020 | 20% | 5.03 |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----|------|--|

(ख) अनिवार्य और मौजूदा चल रहे कार्यों के हिस्से के रूप में किए जाने वाले कार्यों की सूची (नवीनीकरण खंड के तहत)

|        |                                                                                                                                                                                                           |      |            |            |    |      |                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|----|------|---------------------------------------|
| 1<br>8 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में पुराने एसी, वॉटर कूलर, वॉटर प्यूरीफायर आदि का प्रतिस्थापन।                                                                                                                  | 0.35 | 30.11.2018 | 28.02.2019 | 0% | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |
| 1<br>9 | लखनऊ हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 के लिए वातानुकूलन प्रणाली का संवर्धन:<br>1. उप-शीर्ष: प्रस्थान लाउंज के लिए अतिरिक्त वातानुकूलन प्रणाली का प्रावधान।<br>2. उप-शीर्ष: अनुकूलित वेंटिलेशन प्रणाली का प्रावधान। | 1.00 | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 0% | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |

|    |                                                                                                             |       |            |            |      |      |                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------|------|---------------------------------------|
| 20 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में डीजी सेट, पैनल और ट्रांसफार्मर के प्रतिस्थापन सहित एटीसी उपकेंद्र का संवर्धन। | 2.32  | 30.01.2019 | 29.04.2019 | 0%   | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |
| 21 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में टर्मिनल 2 के "गेट नंबर 5 के सुरक्षा होल्ड क्षेत्र" का विस्तार।                | 0.59  | 30.01.2019 | 29.04.2019 | 100% | 0.59 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |
| 22 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में टर्मिनल-2 के सामने टेन्साइल फैब्रिक कैनोपी और संबद्ध कार्यों का प्रावधान।     | 0.19  | 30.01.2019 | 30.07.2019 | 0%   | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |
| 23 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में सर्वेक्षण कार्य सहित प्रचालन और गैर-प्रचालन क्षेत्र में नाली का निर्माण।      | 27.15 | 15.01.2019 | 30.04.2020 | 0%   | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |
| 24 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ के प्रचालन क्षेत्र में विविध सिविल कार्य।                                         | 0.50  | 01.02.2019 | 30.04.2019 | 0%   | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                |    |      |                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|----|------|-------------------------------------------------|
| 2<br>5 | सीसीएसआई हवाई<br>अड्डा, लखनऊ के<br>एटीसी भवन में विविध<br>सिविल कार्य।                                                                                                                                                                                                                            | 1.00 | 01.03.20<br>19 | 30.06.20<br>19 | 0% | 0.00 | अनिवार्य<br>प्रचालन/कार्या<br>त्मक<br>आवश्यकता। |
| 2<br>6 | भाविप्रा अंतरराष्ट्रीय<br>हवाई अड्डों में<br>स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक<br>एक्सेस कंट्रोल सिस्टम<br>(एईएसीएस) / ई-गेट्स<br>और डायनेमिक<br>साइनेज का प्रावधान।<br>उप-शीर्ष: सीसीएसआई<br>हवाई अड्डा, लखनऊ<br>के अंतराष्ट्रीय टर्मिनल<br>भवन (टी1) में 08 नग<br>आव्रजन काउंटरों की<br>आपूर्ति और स्थापना। | 0.30 | 01.04.20<br>19 | 31.10.20<br>19 | 0% | 0.00 | अनिवार्य<br>प्रचालन/कार्या<br>त्मक<br>आवश्यकता। |
| 2<br>7 | सीसीएसआई हवाई<br>अड्डा, लखनऊ के<br>सीआईएसएफ बैरक में<br>विविध सिविल कार्य<br>और नवीनीकरण<br>कार्य।                                                                                                                                                                                                | 0.42 | 01.04.20<br>19 | 30.07.20<br>19 | 0% | 0.00 | अनिवार्य<br>प्रचालन/कार्या<br>त्मक<br>आवश्यकता। |
| 2<br>8 | सीसीएसआई हवाई<br>अड्डा, लखनऊ के<br>टर्मिनल-2 की ओर<br>जाने वाली<br>टूटी/क्षतिग्रस्त सड़क<br>की मरम्मत सहित                                                                                                                                                                                        | 1.15 | 01.04.20<br>19 | 31.10.20<br>19 | 0% | 0.00 | अनिवार्य<br>प्रचालन/कार्या<br>त्मक<br>आवश्यकता। |

|        |                                                                                                                                               |      |              |             |    |      |                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|----|------|---------------------------------------|
|        | जल निकासी पाइप बिछाना।                                                                                                                        |      |              |             |    |      |                                       |
| 2<br>9 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में टर्मिनल 1 और 2 में स्थानीय कला का प्रदर्शन।                                                                     | 0.97 | जनवरी 2019   | जून 2019    | 0% | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |
| 3<br>0 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ के टर्मिनल भवन (टी1 और टी2) के सिटी साइड क्षेत्र में स्टेनलेस स्टील की कुर्सियों का प्रावधान।                       | 0.12 | दिसम्बर 2018 | जनवरी 2019  | 0% | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |
| 3<br>1 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में "स्थानीय कलाकृतियों के प्रदर्शन" (भित्ति चित्र/चित्रकला/मूर्तिकला) के प्रस्ताव की अवधारणा और डिजाइन तैयार करना। | 0.84 | जनवरी 2019   | मई 2019     | 0% | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |
| 3<br>2 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ के टर्मिनल भवन-2 (शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में) के लिए विविध                                                      | 2.00 | जनवरी 2019   | अप्रैल 2019 | 0% | 0.00 | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |



|        |                                                                                                          |         |            |             |    |        |                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|----|--------|---------------------------------------|
|        | सिविल/शोधन/सौंदर्यीकरण कार्य।                                                                            |         |            |             |    |        |                                       |
| 3<br>3 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में टर्मिनल-2 में बीएमए के पास कैनोपी का निर्माण और आसपास के क्षेत्र का विकास। | 0.80    | जनवरी 2019 | अप्रैल 2019 | 0% | 0.00   | अनिवार्य प्रचालन/कार्यात्मक आवश्यकता। |
|        | कुल योग                                                                                                  | 1538.17 |            |             |    | 311.17 |                                       |

पृष्ठ संख्या 295 अंग्रेज़ी पाठ पठनीय नहीं है।

|              |           |                                 |                                                                                                                                          |                      |
|--------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| यू.पी. सरकार | 36.131.30 | कार्यालय, हैंगर, रस्ते, इत्यादि | लीज का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है (ज़मीन न तो राज्य के सिविल विभाग को ट्रांसफर/लीज पर दी गई है और न ही अब तक कोई एग्रीमेंट किया गया है)। | अंग्रेज़ी पाठ अपठनीय |
| एयरवर्क्स    | 40.00     | पोर्टा केबिन                    | 6.2.18 से 5.2.21                                                                                                                         | -                    |
|              | 38.82     | पोर्टा केबिन                    | 11.6.18 से 5.2.21                                                                                                                        | -                    |

|                 |           |                  |                             |                          |
|-----------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| मेसर्स इंडिगो   | 37.16     | पोर्टा केबिन     | 2.6.15 से 1.6.18            | -                        |
|                 | 40.00     | पोर्टा केबिन     | 21.2.16 से 21.2.19          | -                        |
| मेसर्स इंडो-थाई | 27.88     | पोर्टा केबिन     | 1.1.15 से 31.12.17          | -                        |
| डीजीसीए         | 211.00    | प्रशासन कार्यालय | अगस्त 17 से (अनुमानित तिथि) | डीजीसीए के स्तर पर लंबित |
| एलएमआरसी        | 13,207.00 | स्थायी आवंटन     | 01.08.2017                  | -                        |
|                 | 2,326.00  | आरओडब्लू         | 01.08.2017                  | -                        |
|                 | 5,102.00  | अस्थायी आवंटन    | 01.08.2017 से 30.04.2019    | -                        |

**अनुसूची - प**  
**प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची**

| क्रम सं. | कार्य का नाम                                                                                                                           | ए/ए एवं ई/एस राशि (रू. करोड़ों में) | संभावित लागत (रू. करोड़ों में) | प्रारंभ की संभावित तिथि | पूर्ण होने की संभावित तिथि |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1        | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ में भाविप्रा कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रकार के आवासीय क्वार्टरों का निर्माण                                 | प्रक्रियाधीन                        | 15.00                          | जनवरी 2020              | दिसंबर 2021                |
| 2        | सीसीएस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में नए इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण।<br><br>उप-शीर्ष: फर्नीचर और काउंटर       | 1383.00                             | 5.70                           | अप्रैल 2020             | सितंबर 2020                |
| 3        | सीसीएस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में नए इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण<br><br>उप-शीर्ष: मौजूदा टर्मिनल और बदलाव। |                                     | 3.00                           | अप्रैल 2021             | सितंबर 2021                |

|                            |                                                                                                                                                      |      |       |             |             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|
| 4                          | सीसीएस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में नए इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण।<br><br>उप-शीर्ष: सीयूपीपीएस, सीयूटीई और आई.टी. सिस्टम। |      | 10.50 | जनवरी 2020  | सितंबर 2020 |
| 5                          | सीसीएस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लखनऊ में नए इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण।<br><br>उप-शीर्ष: आर्ट वर्क                             |      | 7.85  | अप्रैल 2020 | सितंबर 2020 |
| <b>बी. लघु पूंजी कार्य</b> |                                                                                                                                                      |      |       |             |             |
| 1                          | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ के प्रचालन क्षेत्र में जीएलएफ/पावर/डेटा केबल्स रूट के लिए स्थायी कंक्रीट ट्रेंच/आरसीसी ह्यूम पाइप और चेंबर का प्रावधान।    | 1.00 | 1.00  | 31.03.2020  | 28.02.2021  |
| 2                          | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ के एटीसी टावर सह                                                                                                           | 0.60 | 0.60  | 31.12.2019  | 31.04.2020  |

|   |                                                                                                                                                                                                  |      |      |            |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
|   | तकनीकी ब्लॉक में पुरानी 6-यात्री लिफ्ट का प्रतिस्थापन।                                                                                                                                           |      |      |            |            |
| 3 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ के प्रचालन क्षेत्र में सूचनात्मक और अनिवार्य साइनबोर्डों का प्रावधान।                                                                                                  | 0.50 | 0.50 | 31.03.2020 | 30.05.2020 |
| 4 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ के आइसोलेशन बे के लिए कैट-III बी लाइटिंग सिस्टम का प्रावधान।                                                                                                           | 1.00 | 1.00 | 31.12.2019 | 31.04.2020 |
| 5 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ के रनवे 09 पर कैट-1 का प्रावधान।                                                                                                                                       | 0.50 | 0.50 | 31.03.2018 | 28.02.2021 |
| 6 | सीसीएसआई हवाई अड्डा, लखनऊ के रनवे स्ट्रिप का प्रोफाइल सुधार और संपूर्ण प्रचालन क्षेत्र की ग्रेडिंग।<br><br>उप-शीर्ष: ग्रेडिंग कार्य के लिए मिट्टी की कटाई और भराई की मात्रा की गणना और सर्वेक्षण | -    | 0.13 | 01.02.2019 | 30.04.2019 |

|   |                                                                                                                                                                       |   |      |            |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------|------------|
|   | कार्य के लिए<br>इंजीनियरिंग सलाहकार।                                                                                                                                  |   |      |            |            |
| 7 | सीसीएसआई हवाई<br>अड्डा, लखनऊ के<br>भाविप्रा आवासीय<br>कॉलोनी में चिल्ड्रेन पार्क<br>के विकास सहित<br>सामुदायिक केंद्र के लिए<br>विकास कार्य और<br>फुटपाथ का प्रावधान। | - | 0.75 | 01.04.2019 | 31.10.2019 |
| 8 | सीसीएसआई हवाई<br>अड्डा, लखनऊ के रनवे<br>स्ट्रिप का प्रोफाइल सुधार<br>और संपूर्ण प्रचालन क्षेत्र<br>का समतलीकरण एवं<br>ग्रेडिंग।                                       | - | 2.00 | 01.06.2019 | 31.10.2019 |

नवीनीकरण विलेख का नमूना

यह नवीनीकरण विलेख [तिथि] को निम्नलिखित पक्षों के बीच निष्पादित किया गया:

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत गठित एक निगमित निकाय है जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय है राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110003 में स्थित अपने प्रधान कार्यालय के माध्यम से (जिसे इसके बाद 'प्राधिकरण' कहा जाएगा, इस शब्द में, जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे);
2. [-----], कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय [-----] पर है (जिसे इसके बाद 'रियायतग्राही' कहा जाएगा, इस शब्द में, जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, जिसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे); और
3. [...], एक [संस्था का प्रकार डालें] जो [कानून का नाम डालें] के तहत [इनकॉर्पोरेट/रजिस्टर्ड] है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस [...] पर है [जिसे यहाँ "काउंटरपार्टी" कहा गया है, और इस शब्द में इसके उत्तराधिकारी भी शामिल होंगे]।

"अथॉरिटी", " रियायतग्राही " और "काउंटरपार्टी" को अलग-अलग "पार्टी" और सामूहिक रूप से "पार्टियाँ" कहा जाता है।

जबकि:

क. प्राधिकरण और प्रतिपक्ष ने दिनांक [ ] को एक समझौता किया था, जिसकी एक प्रति इस नवानयन विलेख के परिशिष्ट क के रूप में संलग्न है (इसके बाद इसे "नवानित समझौता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा;

ख. प्राधिकरण ने [राज्य का नाम दर्ज करें] राज्य में [हवाई अड्डे का नाम दर्ज करें] के संचालन, विकास और प्रबंधन के लिए रियायतग्राही के साथ दिनांक [ ] को एक रियायत समझौता ("रियायत समझौता") किया है;

ग. रियायत समझौते में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकरण के कुछ अनुबंधों को रियायतग्राही के पक्ष में नवानित करने का प्रावधान है, जिसमें यह नवानित समझौता भी शामिल है;

घ. प्राधिकरण अपने सभी अधिकारों और दायित्वों को रियायतग्राही के पक्ष में स्थानांतरित करके नवानित समझौते को नवानित करना चाहता है; और

ड. प्रतिपक्ष इस नवानयन विलेख में उल्लिखित नियमों और शर्तों पर इस तरह के नवानयन के लिए सहमत है।

अतः अब, इस नवानयन विलेख में निर्धारित पारस्परिक वचनों के प्रतिफल के रूप में, पक्ष एतद्वारा निम्नलिखित पर सहमत हैं:

1. वाणिज्यिक प्रचालन तिथि या सीओडी (जैसा कि रियायत समझौते में परिभाषित है) पर, नवानित समझौता इस प्रकार नवानित माना जाएगा कि:

(क) प्राधिकरण को रियायतग्राही द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) प्रतिपक्ष अब से नवानित समझौते के तहत प्राधिकरण के स्थान पर रियायतग्राही के लाभ के लिए अपने अधिकारों को लागू करेगा और अपने दायित्वों का पालन करेगा; तथा

(ग) रियायतग्राही अब से नवानित समझौते के तहत प्राधिकरण के सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त कर लेगा।

2. रियायतग्राही और प्रतिपक्ष के बीच, नवानित समझौता खंड 1 में निर्धारित नवानयन को छोड़कर, पहले की तरह ही समान नियमों और शर्तों पर प्रभावी रहेगा।

3. प्रतिपक्ष इस तरह के नवानयन के लिए अपनी सहमति देता है और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही को इसके नवानयन के खिलाफ नवानित समझौते में किसी भी निषेध, प्रतिबंध या शर्तों को छोड़ता है।

4. प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच, लेकिन प्रतिपक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रियायत समझौता बाध्यकारी होगा, और रियायत समझौते और नवानयन विलेख के बीच किसी भी टकराव के मामले में, रियायत समझौता ही मान्य होगा।

5. इस नवानयन विलेख के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा, जिसमें 3 (तीन) मध्यस्थ शामिल होंगे, जिनमें से 1 (एक) मध्यस्थ सामूहिक रूप से दावेदारों द्वारा और 1 (एक) सामूहिक रूप से उत्तरदाताओं द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तथा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति इस प्रकार नियुक्त किए गए 2 (दो) मध्यस्थों द्वारा की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और मध्यस्थता कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी।

6. खंड 5 के अधीन रहते हुए, नई दिल्ली स्थित न्यायालयों के पास इस नवानयन विलेख से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित मामलों पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।



जिसके साक्ष्य के रूप में, पक्षों ने ऊपर लिखे गए दिन, महीने और वर्ष को अपने हस्ताक्षर और मुहर लगा दी है:

प्राधिकरण की ओर से और उनके निमित्त:

[ • ]

रियायतग्राही की ओर से और उनके निमित्त:

[ • ]

प्रतिपक्ष की ओर से और उनके निमित्त:

[ • ]

परिशिष्ट क

[प्रासंगिक नवानित समझौते की प्रति संलग्न करें]

*\* यह विलेख केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए है और आवश्यकतानुसार मामले-दर-मामले के आधार पर इसमें संशोधन किया जा सकता है।*